

INDIA JUSTICE REPORT



Ranking States on Police,
Judiciary, Prisons & Legal Aid



India Justice Report: Ranking States on Police, Judiciary, Prisons and Legal Aid

Published in April 2023

The **India Justice Report** is a first of its kind national periodic reporting that ranks the capacity of states to deliver justice.

Through the filters of human resources, infrastructure, budgets, workload and diversity it assesses the capacity of 4 core pillars of the justice system to deliver to mandate: police, prisons, judiciary and legal aid. Importantly, by comparing data over a five-year period, the IJR assesses efforts governments make year on year to improve the administration of justice. This 'trend' analysis helps discern each state's **intention** to improve the delivery of justice and match it with the needs on the ground.

By bringing previously siloed data all in one place the IJR provides policy makers with an easy but comprehensive tool. On the one hand having the data all in one place, provides a jumping off point on which to base holistic policy frameworks while on the other hand, the itemisation of the data into budgets, human resources, infrastructure, workload and diversity helps to pinpoint low hanging fruit which, if tackled early on can set up a chain reaction reformative of the whole.

The findings of the report are important for governments, civil society and the business community as well because it provides important stakeholders with objective data around which to fashion their own recommendations. It allows for participatory dialogues between governments and active citizens of disparate ideologies to be underpinned by objective facts rather than premised in opinion. This enhances the chances for reforms through consensus building.

After all, justice is the business of us all.

For more information, please visit

<https://indiajusticereport.org>

Cover design by Niyati Singh

Report designed by How India Lives

Printed by PrintWorld

Address: 1743 Udaychand Marg, Ist & UGF, Kotla Mubarakpur Near South Ex. Part I, New Delhi-110003

© Sir Dorabji Tata Trust, 2023

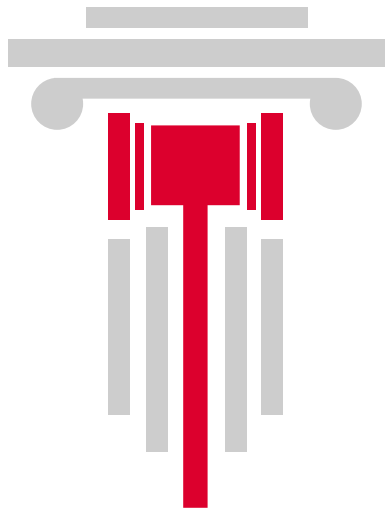
This report is based on publicly available data of different government entities and the judiciary. All efforts were made to verify that the information presented herein is correct to the best of our knowledge. The Tata Trusts and the authors disclaim any responsibility for the correctness or accuracy of the references, information, data or their sources used in this report generally and/or in support of the rankings.

All rights reserved. Any part of this report, including design, may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photo copy, recording or any other information storage and retrieval system, using the citation provided below.

Suggested citation: 'India Justice Report: Ranking States on Police, Judiciary, Prisons and Legal Aid (2022)'

Scan this code to
view the report online
and explore the web
interactive





India Justice

Report | 2022

Ranking States on Police, Judiciary, Prisons and Legal Aid

INDIA JUSTICE REPORT 2022

The India Justice Report (IJR) 2022 remains the only comprehensive quantitative index using the government's own statistics to rank the capacity of the formal justice system operating in various states. This IJR is a collaborative effort undertaken in partnership with DAKSH, Commonwealth Human Rights Initiative, Common Cause, Centre for Social Justice, Vidhi Centre for Legal Policy and TISS-Prayas. First published in 2019, the third edition of the IJR adds an assessment of the capacity of State Human Rights Commissions. It continues to track improvements and persisting deficits in each state's structural and financial capacity to deliver justice based on quantitative measurements of budgets, human resources, infrastructure, workload, and diversity across police, judiciary, prisons and legal aid for all 36 states and UTs.

Steering Committee

- Dr. Arghya Sengupta, Founder, Vidhi Centre for Legal Policy
- Gagan Sethi, Co-founder and Vice-Chair, Centre for Social Justice
- Harish Narasappa, Co-founder, DAKSH
- Maja Daruwala, Chief Editor, India Justice Report
- Valay Singh, Project Lead, India Justice Report
- Ventakesh Nayak, Director, Commonwealth Human Rights Initiative, India
- Prof. Vijay Raghavan, TISS-Prayas
- Vipul Mudgal, Director, Common Cause

India Justice Report Team

- Maja Daruwala, Chief Editor
- Valay Singh, Project Lead
- Dr. Rehana Manzoor, Senior Researcher
- Nayanika Singhal, Research Associate
- Lakhwinder Kaur, Statistical Officer

Authors

- Nupur, Centre for Social Justice
- Radhika Jha, Common Cause
- Venkatesh Nayak, Director, Commonwealth Human Rights Initiative, India
- Devyani Srivastava, Commonwealth Human Rights Initiative
- Devika Prasad, Independent Researcher
- Madhurima Dhanuka, Commonwealth Human Rights Initiative
- Sugandha Mathur, Commonwealth Human Rights Initiative
- Sandhya R, DAKSH
- Leah Verghese, DAKSH
- Smita Mutt, DAKSH
- Prof. Vijay Raghavan, TISS-Prayas
- Apoorva, Vidhi Centre for Legal Policy
- Deepika Kinhal, Vidhi Centre for Legal Policy
- Valay Singh, India Justice Report
- Dr. Rehana Manzoor, India Justice Report
- Nayanika Singhal, India Justice Report
- Lakhwinder Kaur, India Justice Report

Data and design partner

How India Lives (www.howindialives.com)

About the Partners

- **Centre for Social Justice (IDEAL)** is an organisation fighting for the rights of the marginalised and the vulnerable, principally in the sphere of access to justice. Inspired by Freirean thought, CSJ has been active in more than eight states across India, creating human rights interventions, using law as a key strategy through an intimate engagement with grassroots realities. Central to CSJ's efforts are its institutional interventions in legal reform and research, which bridge and symbiotically combine grassroots activism, law and policy-making on a wide gamut of issues concerning the rights of women, Dalits, Adivasis, minorities and other socially vulnerable groups.
- **Common Cause** is dedicated to championing public causes, campaigning for probity in public life and the integrity of institutions. It seeks to promote democracy, good governance and public policy reforms through advocacy and democratic interventions. Common Cause is especially known for the difference it has made through a large number of Public Interest Litigations (PILs), such as recent ones on the cancellation of the entire telecom spectrum; cancellation of arbitrarily allocated coal blocks; and the Apex Court's recognition of an individual's right to die with dignity.
- **Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI)** is an independent, non-governmental, non-profit organisation working for the practical realisation of human rights through research, strategic advocacy and capacity building within the Commonwealth. CHRI specialises in the areas of access to justice (police and prison reforms) and access to information. It also works to advance freedom of expression, media rights and the eradication of contemporary forms of slavery. CHRI is a Commonwealth Accredited Organisation and has a Special Consultative Status with the UN ECOSOC.
- **DAKSH** is a Bengaluru based civil society organisation working on judicial reforms at the intersection of data science, public policy, and operations research. Under the Rule of Law Project initiated in 2014 they undertake research and activities to promote accountability and better governance in India.
- **TISS-Prayas** is a social work demonstration project of the Center for Criminology and Justice, Tata Institute of Social Sciences, established in 1990. Prayas's focus is on service delivery, networking, training, research and documentation, and policy change with respect to the custodial/institutional rights and rehabilitation of socio-economically vulnerable individuals and groups. Their mission is to contribute knowledge and insight to the current understanding of aspects of the criminal justice system policy and process, with specific reference to socio-economically vulnerable and excluded communities, groups and individuals who are at greater risk of being criminalised or exposed to trafficking for the purpose of sexual exploitation.
- **Vidhi Centre for Legal Policy** is an independent think-tank doing legal research to make better laws, and improve governance for the public good. Vidhi engages with ministries and departments of the Indian government, as well as state governments, and also collaborates with other relevant stakeholders within public institutions, and civil society members, to assist and better inform the laws and policies being effectuated. The Centre also undertakes, and freely disseminates, independent research in the areas of legal reform, which it believes is critical to India's future.

Foreword

It is my honour to write this foreword to the 3rd edition of the India Justice Report. The IJR, as it has come to be known, is an eagerly awaited assessment of the capacity of Indian states to deliver justice. It is brought to us by a collective of dedicated researchers, advocates, and specialists committed to improving the justice delivery system. It serves as a valuable resource for active citizens, the media and most importantly for government agencies tasked with the onerous responsibility of delivering justice effectively to all.

By deconstructing the data on budgets, infrastructure, human resources, workload and by measuring changes across time in each sub-system in each state and bringing it all together in one place, the IJR provides us an important tool for evaluating the delivery of justice holistically.

In recent times, technology has helped in putting out more data into the public domain and the report's periodic ranking of states' performance and progress relies entirely on the government's own data. This self-imposed restriction lends authenticity to the report even as it holds up a mirror to justice delivery mechanisms. Yet, even while it evidences the value of data as an

objective foundation for analysis it unconsciously brings out many imperfections that plague analysis based on government data alone.

One of the attributes of the report is that it consciously abjures making judgments about performance or even about why chronic frailties and easy to repair elements remain unaddressed over decades. It lets the time series data—such as the slow pace of inclusion of women and traditionally discriminated segments of society to find a place within the system—speak for itself. But the truth of its finding compels early measures to repair.

This third edition of the India Justice Report (IJR) comes at a time when the need for justice—both in the sense of accessible dispute resolution and fostering equity and equality in society—is outpacing the capacity to deliver it to the satisfaction of our people.

I would like to urge all agencies involved in the justice system to take heed of the IJR's findings and insights. Report like this are a testament to our democratic ways of participatory functioning and must be welcomed as contributions of active citizens to their own governance.



Uday Umesh Lalit

Former Chief Justice of India
[August 27th 2022 to November 8th 2022]

14 February 2023

Acknowledgements

The third India Justice Report is the result of continuous and sustained cooperation between members of the collective and the founding team at Tata Trusts. As a founding member it is a matter of great pride and delight that this group stuck together through the choppy waters of the pandemic. Without the steadfast support of each member of the collective this report wouldn't have been possible. Profound thanks are due to Gagan Sethi, Centre for Social Justice, Dr Arghya Sengupta, Vidhi Centre for Legal Policy, Vipul Mudgal, Common Cause, Harish Narasappa, DAKSH, Dr Vijay Raghavan, Tata Institute of Social Sciences-PRAYAS, and Venkatesh Nayak and his predecessor, Sanjoy Hazarika, at Commonwealth Human Rights Initiative. To our Vidhi colleagues who have been most generous and helpful, a special thank you.

Equally important has been the generous contribution of colleagues from our partner organisations—Radhika Jha, Devyani Srivastava, Devika Prasad, Madhurima Dhanuka, Sugandha Shankar, Nupur, Apoorva, Deepika Kinhal, Sandhya P. R., Smita Mutt, Leah Verghese, and B. S. Suryaprakash.

It is an honour to have Justice Uday Umesh Lalit write the anchoring piece for this report.

The IJR has benefited enormously from the long years of experience and insights of our subject matter advisors—Ish Kumar (former DG, NCRB), Jayanto Choudhury (DG, NSG), Ms Meeran Borwankar, (former DG, BPR&D), Sunil Chauhan, Former Director, NALSA, Avinash Rajvanshi, N. Ramachandran (IPF), Dr Vineet Kapoor, Riva Pocha, Prof Murali Karnam, and Transparency International India's Ramnath Jha and Prof Madhu Bhalla.

We remain indebted to Justice Madan B. Lokur—a constant guide at every step, a rare patron saint to the report, without whose counsel and wisdom the IJR would have been much poorer.

Our grateful thanks to Mr Pradeep Sharma (NALSA) for collating and sharing responses to State Legal Aid

Authorities, as well as Sangeeta Mukherjee, CHRI for helping us collate RTI replies.

We would like to thank our data and design partner How India Lives. We would also like to thank Rushabh Mehta, Faris Ansari and the Frappe team for creating the India Justice Report website pro bono.

Heartfelt thanks to our fellow travellers since the beginning: Debasis Ray, Nayantara Dutta, Anirudh Menon, as well as Niyati Singh, for her creative inputs and counsel.

We have benefitted from the support and counsel of Jayant Banthia, Alok Prasanna Kumar, Rishabh Lalani, Smita Gupta, Nikunj, Udit Singh, Prof Ved Kumari, Prof G. S. Bajpai, Ankit Kaushik, Ivneet Walia and Gautam Misra.

Our talented interns—Ritika Goyal, Ananya Giri Upadhyay, Niveditha Prasad, Aviral Mishra, Sneha Bhambhri, Kartik Bhardwaj, Vaishnavi Gaur, Kaushik Chandrashekhar, Alevoor Shreyas Rao—deserve a special thanks.

We are hugely grateful for the support of our donors—Rohini Nilekani Philanthropies, Tree of Life Foundation, Lal Family Foundation, Fiona and Louis Miranda, Cyrus Guzder, Swayam Charitable Trusts and Frappe.

Lastly, but perhaps most importantly, I would like to thank the core team who worked tirelessly and around the clock. Our Senior Advisor and Chief Editor, Maja Daruwala, who holds us to the highest standards of quality and rigour. Lakhwinder Kaur, our inhouse statistics expert, whose perseverance and eye for detail ensures that the report remains not only free of errors but also improves with each iteration. Nayanika Singhal and Rehana Manzoor for anchoring the research and the writing of the report.

Valay Singh

Project Lead, India Justice Report

Abbreviations

Addl. DGP	Additional Director General of Police	MPF	Modernisation of State Police Forces Scheme
Addl. SP	Additional Superintendent of Police	MSME	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
AFSPA	Armed Forces Special Powers Act	NALSA	National Legal Services Authority
AIGP	Assistant Inspector General of Police	NCRB	National Crime Records Bureau
AIMO	All India Manufacturers Organisation	NJDG	National Judicial Data Grid
ASI	Assistant Sub-Inspector of Police	NPC	National Police Commission
ASP	Assistant Superintendent of Police	NRC	National Register of Citizens
A & N Islands	Andaman and Nicobar Islands	OBC	Other Backward Classes
BPR&D	Bureau of Police Research and Development	PHRA 1993	Protection of Human Rights Act, 1993
BRICS	Brazil, Russia, India, China and South Africa	PLA	Permanent Lok Adalat
CAG	Comptroller and Auditor General of India	PLV	Paralegal Volunteer
CCR	Case Clearance Rate	PP	Percentage Points
CCTNS	Crime and Criminal Tracking Network & Systems	PSI	Prison Statistics India
CCTV Cameras	Closed circuit television cameras	RTI	Right to Information
CrPC	Code of Criminal Procedure	SC	Scheduled Caste
DGP	Director General of Police	SHRC	State Human Rights Commission
DIG	Deputy Inspector General	SI	Sub-Inspector
DLSA	District Legal Service Authority	SLSA	State Legal Services Authority
DNH & DD	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	SP	Superintendent of Police
Dy. SP	Deputy Superintendent of Police	Spl. DGP	Special Director General of Police
FY	Financial Year	SSP	Senior Superintendent of Police
HPC	High Powered Committee	ST	Scheduled Tribe
IGP	Inspector General of Police	UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
ILO	International Labour Organization	UT	Union Territory
LSI	Legal Services Institution	UTP	Undertrial Prisoner
MHA	Ministry of Home Affairs	UTRC	Under Trial Review Committees

■ National Findings

Copyright and citation	ii
Title page	iii
About and team members	iv
About our partners	v
Foreword by Justice (retd.) Uday Umesh Lalit	vi
Acknowledgments	vii
Abbreviations	ix
India in the World	1
National Deficits	2
Introduction by Maja Daruwala	4

Overall ranking	10
Rank and scores of states across pillars	11
Improvement scorecard between IJR 2020 and IJR 2022	12
Performance over IJR 2019, IJR 2020 and IJR 2022	13
Ranking diversity	14
Share of women across pillars	15
How long will it take for women's share to reach 33%	16
The curious case of 'others' in police	17
Ranking human resources	18
Judge to population ratio	19
Vacancies across pillars	20
Ranking intention	22
Budget for the justice system	23
State share in legal aid budget	24
Share of overcrowded jails in a state	25
Cases pending for more than 5 years in subordinate courts	26
Cases pending in high courts	27

■ Police

Police ranking	32
Pushing expectations	33
Police: Incapacity, a continuing challenge	34
SC, ST, OBC vacancies in police	38
Policewomen: Numbers growing but still too few	40
India: Police training budget (2020-21)	43
Police presence: Rural-urban divide	44
Indicator wise data, state scores and ranks	48
Status of state citizen portals	54
CCTV in police stations: a compliance report	58

■ Prisons

Prison ranking	62
Pushing expectations	63
Dire straits to breaking point	64
Occupancy rate in Indian prisons	66

Prisons

Overcrowding in jails	67
Undertrials by detention period	68
Educational Profile of Inmates and facilities provided	70
Meeting benchmarks	71
National trend of prison budget utilisation over the last decade	74
Daily spend per inmate	76
Reforming Prisons in Karnataka	77
Indicator wise data, state scores and ranks	78

Judiciary

Judiciary ranking	86
Pushing expectations	87
Judiciary: Judging the numbers	88
Judge vacancies and case clearance rates	90
The Judge Dilemma	91
SC, ST, OBC judges vacancy in Subordinate Courts	93
Women judges	94
Cases pending per judge	97
Case Clearance Rate	99
Gram Nyayalayas: An Unrealised Vision	100
Indicator wise data, state scores and ranks	102

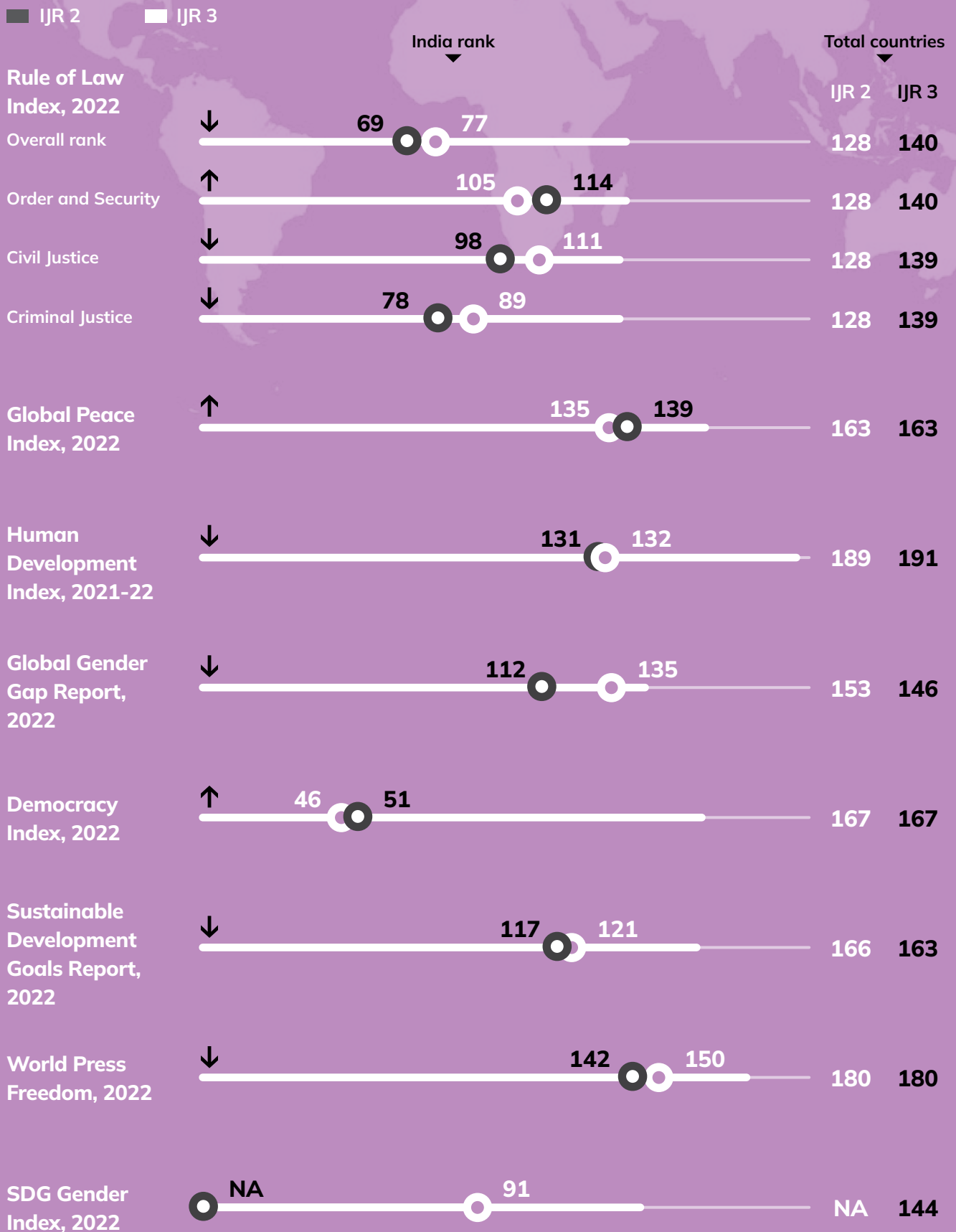
Legal Aid

Legal aid ranking	110
Pushing expectations	111
Legal Aid: Justice for all, a distant dream	112
Paralegal Volunteers: Mapping the numbers	114
Budget utilisation	116
Villages per legal aid clinic	118
Performance of lok adalats	120
Victim Compensation	122
Checking unnecessary pre-trial detention	123
Performance of Undertrial Review Committee	124
Indicator wise data, state scores and ranks	125

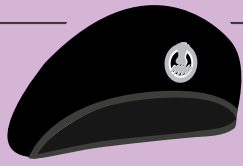
State Human Rights Commissions (SHRC)

SHRC ranking	130
Indicator wise data, state scores and ranks	131
SHRCs: Struggling with capacity deficits	132
Vacancies in the Commissions	134
Cases received and disposed by SHRCs over three years	136
Accessing SHRCs: An analysis of websites	138
The Experience of Using RTI for Data Collection for IJR 2022: A note	142
Challenges in data	147
Methodology	150
Recommendations	155
Glossary	156
References	166
List of Tables, Maps and Figures	168

India in the World



National Deficits



Police

SC/ST/OBCs

Every state has statutorily mandated quotas for SC, ST and OBC. In the police, **only Karnataka** has been able to fulfil these reservations.

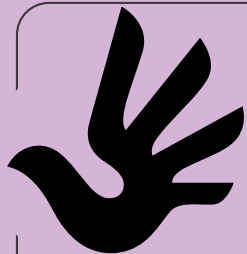
Women

Not a single state/UT meets their own reserved quotas for women in police.

Rural-Urban Divide

In 19 states/UTs **urban police stations serve greater populations than their rural counterparts.**

Kerala's urban police stations serve ten times the population of a rural one and Gujarat's four times.



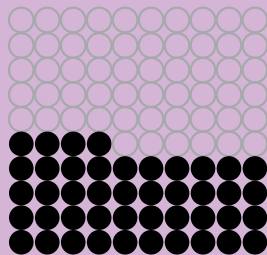
SHRC

33,312

Total number of **pending cases** across all 25 State Human Rights Commissions in March 2021

44%

National average vacancy across 25 SHRCs



CCTVs

Compliance of Supreme Court judgment on installation of CCTVs

Only Arunachal Pradesh

reports having CCTV cameras in all 14 spots (as directed by the apex court) in all its 24 police stations. Only 8 states/UTs (Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Kerala, Ladakh, Tripura, Karnataka, Delhi, Goa) reported having night vision-equipped CCTVs.

National Deficits



Judiciary

Judge vacancy

No court works with a full complement of judges except the High Court of Sikkim and the district courts in Chandigarh.

SC/ST/OBC

At the district court level **no state/UT could fully meet** all its Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes quotas. Data on SC/ST/OBC judges is not available for High Courts.

Case Clearance Rate

Among the 18 large and mid-sized states, **only Kerala and Punjab could achieve case clearance rates of 100 per cent** and more at both High Court and subordinate court levels.



Legal Aid

9,417

The **reduction in the number of Legal services clinics** dropping to 4,742 (2022) from 14,159 (2020)

₹7,322 crore

The total **value of settlement by National Lok Adalats** between 2021-2022



Prisons



32 states where share of undertrials is more than 60%



24 states/UTs that provided education to less than 5% inmates during 2021



5 states that didn't provide any vocational training to inmates in 2021

Introduction

*Every system is
perfectly designed to
get the results it gets.*

W. Edwards Deming

The 2022 India Justice Report continues to assess and rank each state's progress in capacitating its major justice delivery mechanisms—the judiciary, police, prisons and legal aid—to deliver justice to all. A new section in the report measures the capacity of State Human Rights Commissions, which are a specialised means of accessing justice and exist in 25 states. Thousands access them every day. How well-equipped they are to satisfy their mandates merits attention. The report also deepens its 4 pillar assessments with the addition of 17 new indicators.¹

This 3rd edition comes after 24 months in which the entire justice system has had to grapple with exceptional and unprecedented circumstances created by the Covid-19 pandemic and consequent lockdown. Together, the pandemic and lockdown created severe disruptions where both access and delivery of justice suffered.

Each subsystem across every geography entered this unforeseen time with chronic infirmities: long-standing underfunding, human resource and infrastructural deficits, and workloads that evidence the challenge of delivering to reasonable standards of public service.

Nevertheless, a much pared down force, despite their own lack of experience in dealing with this scale of adversity, ill health, family concerns and fatalities, functioned as best they could. During this period, 2.35 crore cases were heard online.²

Decongestion efforts could bring down prison occupancy in most states.³ Despite a faltering beginning, police personnel gained public appreciation for their assistance

and legal aid authorities went beyond their traditional mandates to provide humanitarian assistance to thousands.

Rankings

Pulling out from this extraordinary time, several states have seen dramatic changes in rank. Some for the better, others for the worse. Karnataka, 14th in 2020, jumped thirteen spots to the top. Madhya Pradesh went from 16th to 8th and Andhra Pradesh from 12th to 5th. Among small states, Sikkim moved from 2nd to 1st place and Arunachal Pradesh from 5th to 2nd.

Contrary wise, Maharashtra lost out, moving from top position in both IJR 2019 and IJR 2020 to 11th. Punjab dropped eight ranks from 4th to 12th. Rajasthan five places to 15th and Goa dropped from 3rd to last place amongst small states. While Tamil Nadu and Telangana maintained second and third place amongst large and mid-sized states, Uttar Pradesh remained at the bottom of the table for the third time in a row.

A close examination of place change once again demonstrates that even small yet consistent improvements can lead to quite dramatic rises. Improvements in one indicator, such as filling a vacancy or building more diversity into a system, have a positive ripple effect on other indicators and cumulatively affect overall rankings. Illustratively, Gujarat's rise in the prison pillar is attributable to its efforts to reduce vacancies and improve caste and gender diversity. This had the knock-on effect of reducing workloads and increased utilisation of allocated budgets, all of which contributed to the state's rise in rank.

Downward shifts, though, are not necessarily attributable to in-state deterioration but can come about because other states have improved and positions shifted relative one to the other. Equally, retaining a

¹ Refer to the essay on methodology for more information.

² Newsletter, e-Committee, Supreme Court of India, December 2020 and November 2021.

³ Commonwealth Human Rights Initiative, Responding to the Pandemic: Prisons and Overcrowding, (States' Decongestion Efforts), 2020. Available at <https://humanrightsinitiative.org/download/Responding%20to%20the%20Pandemic%20Prisons%20&%20Overcrowding%20Vol%201.pdf>

positive rank sometimes has to do not only with a state's own improvements but also on the slow pace of capacity improvement in the other states.

Overall, on a scale of 1 to 10, scores across the board improved. Maharashtra, the best scoring state in IJR 2020, came in with a score of 5.77 while Karnataka, top of the table in IJR 2022, has scored 6.38. Even the worst scorers showed improvements, going from 3.15 to 3.78.

Nevertheless, decades of continuing disrepair is intensifying the justice delivery system's incapability to deliver timely justice—with the heaviest toll falling on the justice user.

Budgets

States' expenditure on police and judiciary has kept pace with overall state expenditure. Prisons, the poor child of the neighbourhood, which had earlier seen a dip in allocations, saw an improvement in funds between 2020 and 2021. Legal aid too recently saw increased infusions from the Centre and state exchequers.

If funds are tight, what is available is frequently left underutilized. In 2020-2021 only 47 per cent of the Centre's modernisation grant could be used. Too often the coils of procedure, conditionality, timing, over-centralisation in planning, and mismatch between need and grant ensure that what there is, cannot be rationally spent or fully utilised. While looking at underutilization in the context of central allocations the 123rd report of the Departmental Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice emphasized the need to identify bottlenecks and develop measures that have long needed the "rationalisation of systems that have outlasted their usefulness."⁴ The decentralized planning at the level of local self-government practiced in Kerala can serve as a useful example of dealing with some of these issues.⁵

Human Resources

Vacancies continue to plague all areas of the justice system and can touch 83 per cent, as among prison staff

in Ladakh. No jurisdiction has the benefit of working with full judge strength in both high court and district courts. The actual number of judges now stands at 15 per million (ten lakh) population.⁶

Gaps between "sanctioned strength" and actual personnel availability remain a perennial problem. Though sanctioned strength ought to be readjusted every year to chime with the needs on the ground, it changes little from year to year and often lags behind reality. Illustratively, though sanctioned police strength between January 2021 and January 2022 increased from 26.3 lakh to 26.9 lakh, there were 20.9 lakh personnel on the ground.⁷

Left unaddressed, chronic shortages in critical areas become dangerously acute and a far cry from the ideal. Between 2020 and 2021 the actual numbers of prison doctors dropped drastically, taking vacancies to nearly 50 per cent or one doctor for 842 inmates, instead of the one for 300 inmates' benchmark. These vacancies are not evenly distributed. National statistics do not indicate whether medical officers are permanent, resident, full-time or exclusive to just one jail, or whether they are available only on contract or available on a periodic or part-time basis, or only in attendance when called.

Attempts to fill vacancies are mixed. DLSAs made considerable headway filling secretary vacancies and some like Bihar reduced prison officer vacancies quite dramatically, from 66 per cent to 26 per cent. But others like Punjab which had more medical staff than sanctioned in 2019, increased vacancies in this critical area to 37 per cent.

Diversity

Diversity and representation in all spheres of state endeavour is an essential feature of our plural democracy. The justice sector in particular has an ethical duty to showcase this principle.

⁴ Department related parliamentary standing committee report on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. Available at: https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/18/171/123_2022_12_12.pdf_page 15, Para 2.1

⁵ 'Budgeting for the police', *Live Mint*, 11 April 2017. Available at: <https://www.livemint.com/Opinion/DR8kPY8VKUDyMkR2OHUfM/Budgeting-for-the-police.html>

⁶ Refer to the essay on judiciary.

⁷ Bureau of Police Research and Development, Data on Police Organisation, 2021 and 2022.

Available data indicates levels of commitment to implementing this. Traditionally, data takes account only of caste and gender diversities. Years of advocacy by active citizens has seen a welcome enumeration of disabled and transgender persons. But the diversity listing still abjures enumeration of religious, language or regional diversities. Official data also restricts itself to assessing caste and gender more readily at the lower echelons rather than parsing it across all levels of the hierarchy.

Each state has its benchmarks and its realities—the IJR captures what the data allows. Whether it is caste or gender, everywhere there is a shortfall in inclusion and the pace of repair remains glacial. Despite decades of heated debate, while individual states may meet one or other category, no state meets all three quotas across all subsystems. Nor are women anywhere near parity. It has taken fifteen years, from January 2007 to January 2022, for the share of women personnel in police to move from 3.3 per cent⁸ to 11.8 per cent.

Both caste and gender hit up against the glass ceiling. Illustratively, there are 35 per cent women in subordinate courts while just 13 per cent in high courts. Similarly, the share of women in police at the officer level is 8 per cent as opposed to 12 per cent at the constabulary level. The share of SC, ST and OBC police at the officer level is 15 per cent, 10 per cent and 27 per cent respectively, much lower than the 16 per cent, 12 per cent and 32 per cent within the constabulary.

The distance from the principles of representation and equality is perhaps best exemplified by the composition of states' human rights commissions. Women make up just 17 per cent of the entire SHRC cohort. Only 3 of 25 commissions have one woman member each. The others have none.

Infrastructure

Over the past decade and even between reports, infrastructure to support justice delivery has slowly but steadily improved, particularly for the judiciary and police and perhaps more at the upper reaches than at the first-responder level. Even though local shortages persist,⁹ at present there are enough court halls for judges nationwide. The decade has added nearly a quarter more police stations across the country, though on average 1 serves just over 78,000 people with a coverage of 187 sq km. In 72 per cent of all police stations, there are now women's help desks.

Prison infrastructure though remains wholly inadequate. Of the 1,314 prisons 391 are overcrowded by more than 50 per cent. Facilities for mandated educational improvement, vocational training and assistance in rehabilitation remain rudimentary. After a short hiatus of efforts at rapid decongestion during the pandemic, prisons have been allowed to get overfull again—mostly with undertrials.

Ways of accessing and delivering justice through technology, connectivity, computerisation, digitisation are being strongly relied on to make up for shortfalls in physical infrastructure and personnel, and these efforts have gained pace as never before. There is also a steady rise in online access to information and services through a variety of citizen centric portals, including e-payments and e-sewa kendras.

Courts have adopted new technologies via video conferencing facilities, electronic summons and tracking apps like National Service and Tracking of Electronic Processes (NSTEP). More prisons have increased video conferencing facilities and after the Paramvir judgement, CCTVs to monitor activities inside police stations are making an appearance.

There remain issues of purpose, security, privatisation, localisation, integration, up-skilling, rationalisation of old environments, formats and forms, resistance

⁸ January 2007 figures do not include Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Puducherry. As actual police personnel data was not provided by states/UTs.

⁹ Refer to the essay on judiciary.

and acceptance of changes. Not least is the question of reach—whether technology will widen the justice availability gap or create more enclaves of privilege and exclusion.

In Conclusion

Five-year assessments of subsystems have thrown up trends and patterns. Too many, like vacancies and accumulations of court cases, consistently point downwards, but others like better case clearance rates and the achingly slow but constant improvements in gender ratios and response, signpost determination to improve against all odds. Overall, financing has grown modestly. Significant financial infusions and experimentation into legal aid promise an uptick in legal representation to the needy.

During the pandemic, the challenge before the justice delivery system was to find ways of working through an unprecedented situation and evolve innovative responses even as every subsystem was under tremendous strain. Post-pandemic, this challenge continues in exacerbated form.

Overcrowding went up from 120 per cent to 130 per cent. At 77 per cent, more undertrial prisoners make up the inmate population than ever before—on average spending more time incarcerated than ever before. Legal aid institutions, even with best efforts, could reach

only a fraction of their potential clientele. Beneath the eye-watering figure of nearly 5 crore (50 million) total pending cases lies the dismaying one that records the ever-increasing length of time it takes to reach resolution.

Clearly this state of permacrisis, where functionaries are expected to deliver at impossible levels and from which justice seekers need have little expectation, cries out for urgent repair.

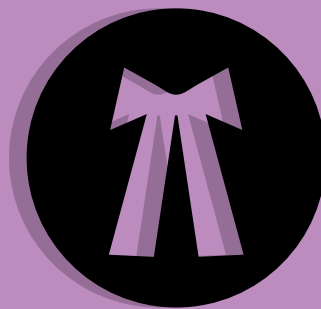
With its comparisons and trend analyses the report is intended to urge those with their hands on the tiller to discern from it directions for immediate repair, set priorities, examine the possibility of strategic reinvestment and redeployment of resources, and assess their own efforts in delivering justice speedily and inexpensively, especially into the most remote and vulnerable communities. Every month of delay makes solutions harder.

In its international commitments under Goal 16 of the Sustainable Development Goals, India is committed to “promoting peaceful and inclusive societies, providing access to justice for all and building effective, accountable and inclusive institutions at all levels.” The deadline is 2030. Much more importantly, the promise of abiding democracy at home is underpinned by the assurance that quality justice—fair and accessible—will be unfailingly to hand for everyone. There is little time to lose.

Maja Daruwala

Editor and Convenor, India Justice Report





National Findings

Overall ranking*

Color guide

Best Middle Worst

Indicators
(in IJR 3)

102

Clusters

- I. 18 large and mid-sized states
(population above 10 million)
- II. 7 small-sized states
(population up to 10 million)

Map 1: Large and mid-sized states

Rank (out of 18)

NEW

IJR 1
2019

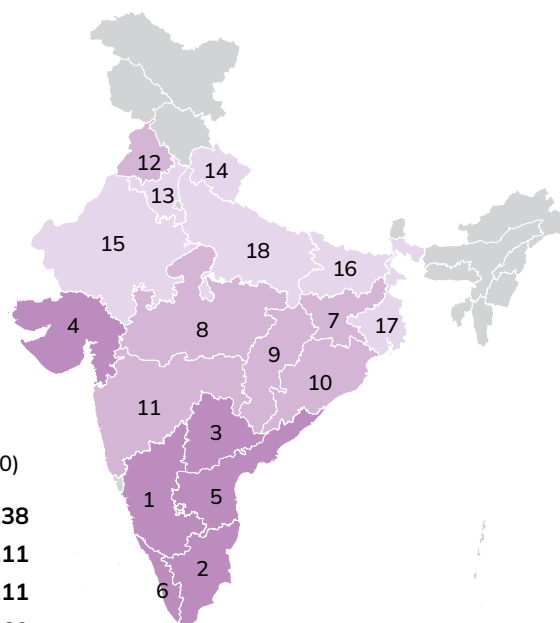
IJR 2
2020

IJR 3
2022

6	14
3	2
11	3
8	6
13	12
2	5
16	8
9	16
10	7
7	11
1	1
4	4
5	9
15	15
14	10
17	13
12	17
18	18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

State	Score (out of 10)
Karnataka	6.38
Tamil Nadu	6.11
Telangana	6.11
Gujarat	5.60
Andhra Pradesh	5.41
Kerala	5.36
Jharkhand	5.26
Madhya Pradesh	5.25
Chhattisgarh	5.20
Odisha	5.16
Maharashtra	5.16
Punjab	5.10
Haryana	4.79
Uttarakhand	4.46
Rajasthan	4.36
Bihar	4.32
West Bengal	3.88
Uttar Pradesh	3.78



Map 2: Small states

Rank (out of 7)

NEW

IJR 1
2019

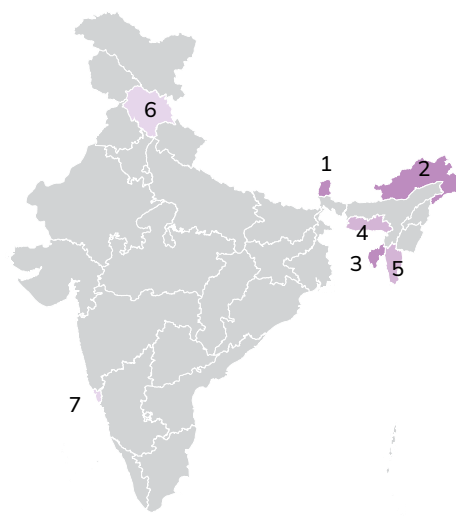
IJR 2
2020

IJR 3
2022

2	2
6	5
7	1
5	7
4	6
3	4
1	3

1
2
3
4
5
6
7

State	Score (out of 10)
Sikkim	5.01
Arunachal Pradesh	4.28
Tripura	4.02
Meghalaya	3.97
Mizoram	3.85
Himachal Pradesh	3.72
Goa	3.42



* Composite ranking across police, prisons, judiciary and legal aid

Note: Scores are shown up to 2 decimals. While they both show the same score, Tamil Nadu is ranked above Telangana on the third decimal (6.112 versus 6.105) and Odisha above Maharashtra (5.159 versus 5.157).

How each ranked state fared in its cluster across the 4 pillars of justice

Table 1: Rank and score for large and mid-sized states

Ranks 1 to 6
Ranks 7 to 12
Ranks 13 to 18

	Overall rank IJR 3 2022	Police			Prisons			Judiciary			Legal aid		
		IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022
Karnataka	1	6	1	2	3	14	2	16	12	2	7	16	2
Tamil Nadu	2	1	5	6	10	6	1	1	1	1	12	11	12
Telangana	3	11	10	1	13	2	3	11	6	5	4	6	5
Gujarat	4	12	8	8	9	10	6	7	8	9	6	9	3
Andhra Pradesh	5	5	4	3	15	7	5	13	14	11	10	14	13
Kerala	6	13	14	17	1	5	4	5	3	4	1	7	6
Jharkhand	7	9	6	11	18	15	14	14	9	7	14	4	1
Madhya Pradesh	8	15	18	7	7	8	7	6	11	10	9	12	14
Chhattisgarh	9	10	2	9	8	11	12	12	4	6	8	15	11
Odisha	10	7	3	4	5	9	11	9	15	13	15	8	10
Maharashtra	11	4	13	10	2	4	10	4	5	12	5	1	7
Punjab	12	3	12	13	16	13	15	2	2	3	3	3	9
Haryana	13	8	9	12	11	16	16	3	7	14	2	5	4
Uttarakhand	14	2	7	5	17	18	18	15	13	8	17	10	8
Rajasthan	15	17	16	14	12	1	8	8	10	17	11	13	17
Bihar	16	14	11	16	6	3	9	18	18	16	16	2	16
West Bengal	17	16	17	18	4	12	13	10	16	18	13	17	15
Uttar Pradesh	18	18	15	15	14	17	17	17	17	15	18	18	18

States arranged in descending order of overall rank in IJR 3.

Table 2: Rank and score for small states

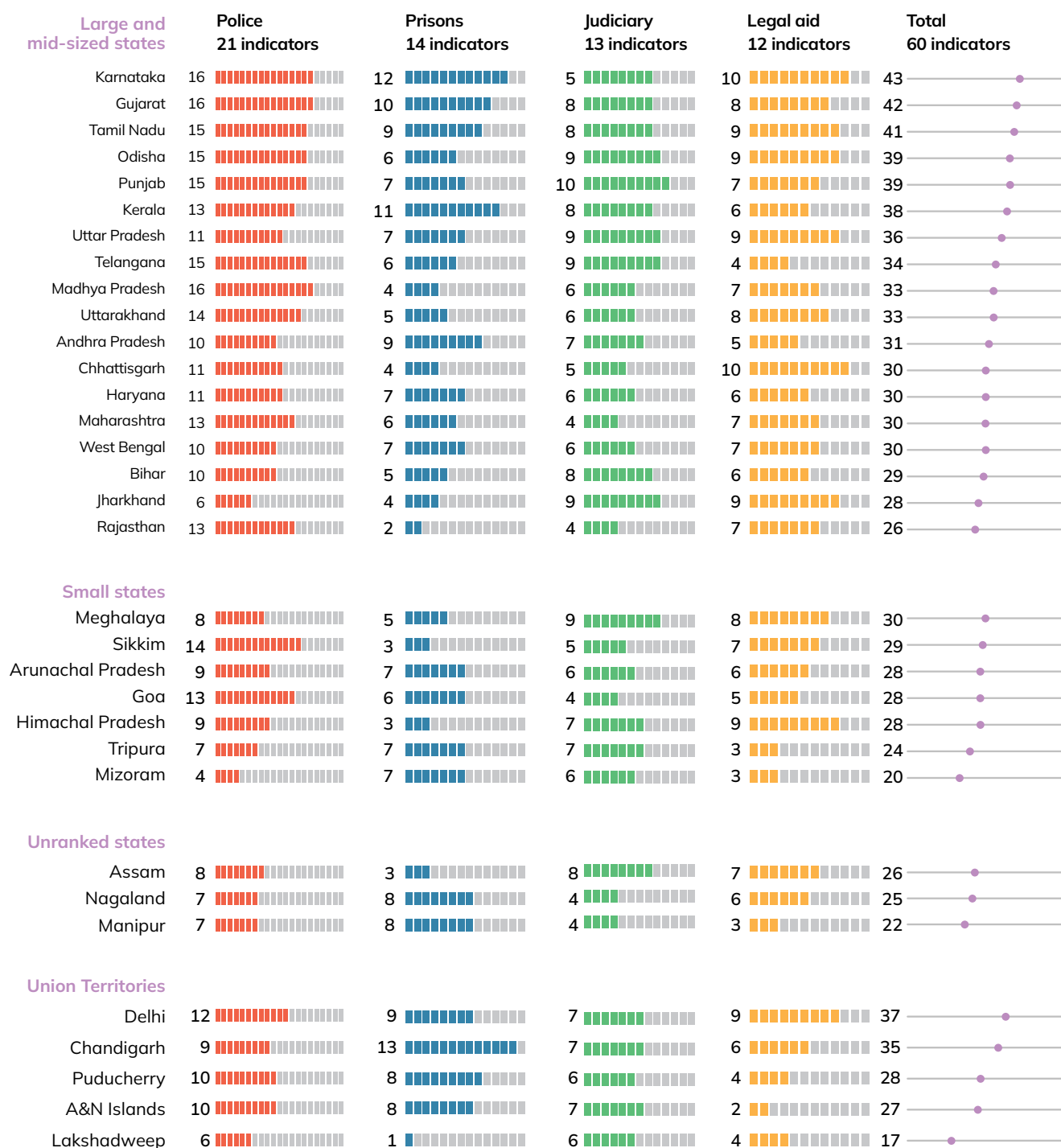
Ranks 1 to 3
Ranks 4 to 5
Ranks 6 to 7

	Overall rank IJR 3 2022	Police			Prisons			Judiciary			Legal aid		
		IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022
Sikkim	1	1	1	1	7	6	4	1	1	1	4	3	1
Arunachal Pradesh	2	2	4	2	3	3	1	7	5	4	7	7	7
Tripura	3	4	5	7	5	2	5	6	6	2	5	2	4
Meghalaya	4	5	3	3	2	5	6	4	7	5	6	5	3
Mizoram	5	7	6	4	4	7	3	5	3	3	2	4	6
Himachal Pradesh	6	6	2	5	6	1	2	3	2	6	3	6	5
Goa	7	3	7	6	1	4	7	2	4	7	1	1	2

States arranged in descending order of overall rank in IJR 3.

Figure 1: The improvement scorecard between IJR 2020 and IJR 2022

Of the 60 static indicators common to this and IJR 2020, in how many did a state/UT improve?



Methodology: Count of indicators on which a state has improved over IJR 2. Only non-trend and comparable indicators present in both IJR 2 and IJR 3 have been considered. For indicators with benchmarks, if a state met the benchmark, it was marked as an improvement even if its value declined within the benchmark. If a state didn't meet the benchmark but its value improved, it was marked as an improvement. Where an indicator value was not available for one or both years, that indicator was not considered. Given the change in their administrative status, values for Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Jammu & Kashmir and Ladakh are not comparable with those from IJR 2, and hence they have not been considered here.

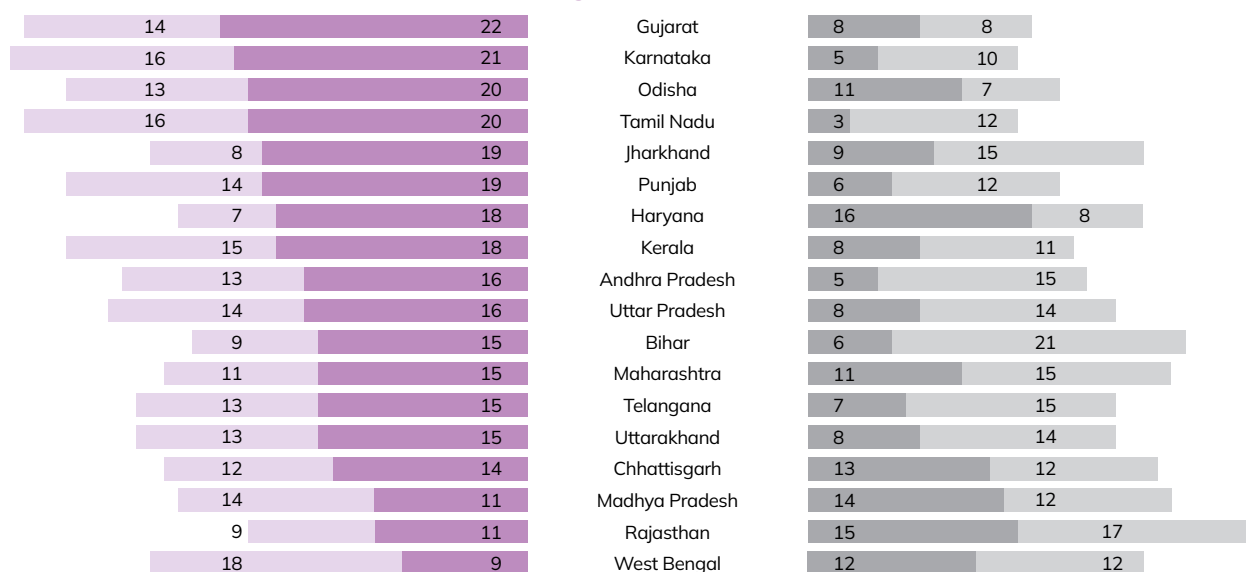
Figure 2: Performance over IJR 2019, IJR 2020 and IJR 2022

Taking IJR 2019 as the baseline, the figure below shows how states/UTs fared over 52 indicators common to all three IJR. For instance, Tamil Nadu could not improve in only 3 indicators, whereas, for Haryana this number was 16. Similarly, Gujarat improved on 22 indicators in IJR 3, while West Bengal could improve only on 9.

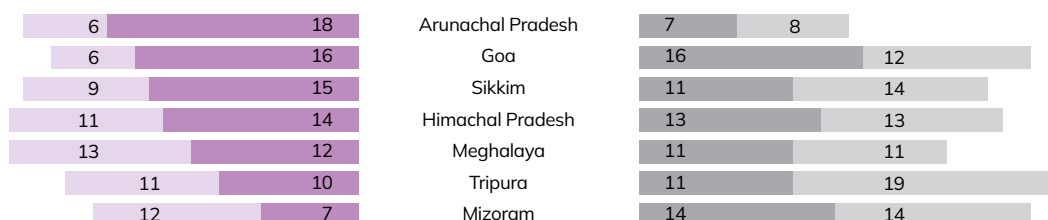
Improvement by number of indicators (maximum: 52) *

Improved in both IJR 2 and IJR 3
 Declined in IJR 2, improved in IJR 3
 Declined in both IJR 2 and IJR 3
 Improved in IJR 2, declined in IJR 3

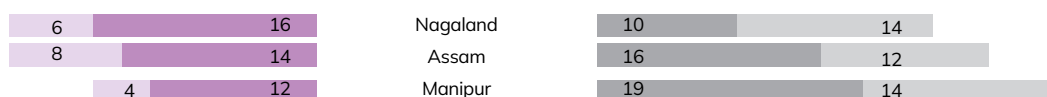
Large and mid-sized states



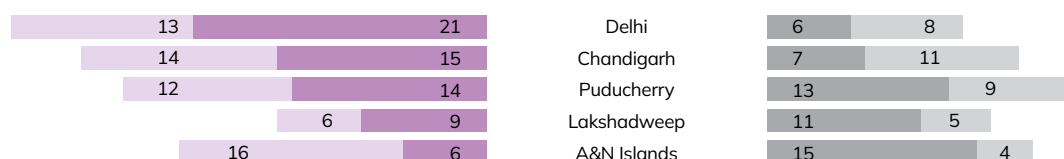
Small states



Unranked states



Union Territories



* Data for 52 non-trend indicators, across 4 pillars, that were present in all three IJR.

Note: 1. States arranged within cluster in descending order of indicators improved on in both IJR. 2. Due to administrative realignments, data for Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Jammu & Kashmir, and Ladakh cannot be compared across IJR, and have hence been excluded from this calculation.

Ranking diversity*

Color guide

Best Middle Worst

Indicators
(in IJR 3)

16

Clusters

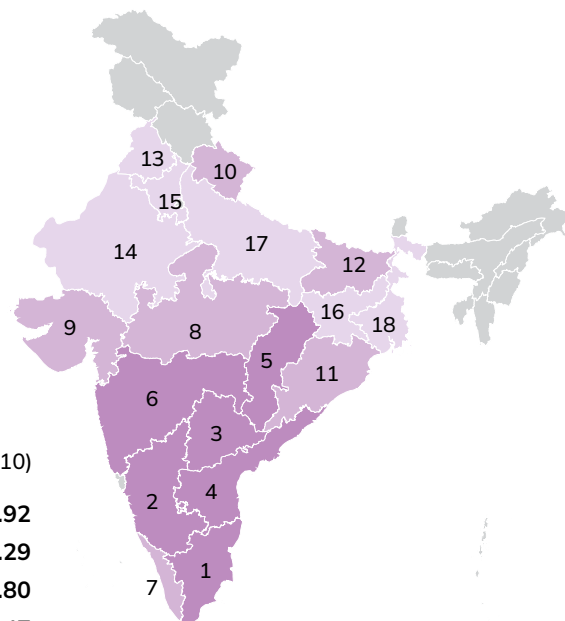
- I. 18 large and mid-sized states
(population above 10 million)
- II. 7 small-sized states
(population up to 10 million)

Map 3: Large and mid-sized states

Rank (out of 18)

NEW

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	State	Score (out of 10)
1	7	1	Tamil Nadu	7.92
2	1	2	Karnataka	7.29
11	9	3	Telangana	6.80
6	4	4	Andhra Pradesh	6.47
13	5	5	Chhattisgarh	6.07
4	8	6	Maharashtra	5.96
3	2	7	Kerala	5.76
12	17	8	Madhya Pradesh	5.54
8	6	9	Gujarat	5.51
7	14	10	Uttarakhand	5.13
5	3	11	Odisha	4.96
17	10	12	Bihar	4.87
10	12	13	Punjab	4.42
16	15	14	Rajasthan	4.10
14	11	15	Haryana	4.05
15	13	16	Jharkhand	3.98
18	18	17	Uttar Pradesh	3.63
9	16	18	West Bengal	2.83

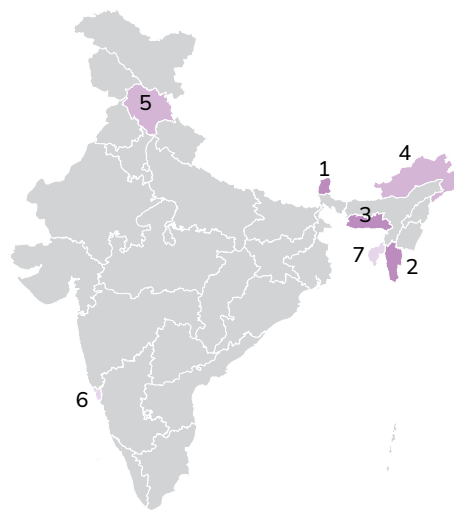


Map 4: Small states

Rank (out of 7)

NEW

IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	State	Score (out of 10)
1	2	1	Sikkim	5.98
2	1	2	Mizoram	5.14
4	6	3	Meghalaya	4.25
5	5	4	Arunachal Pradesh	4.01
6	3	5	Himachal Pradesh	3.77
3	4	6	Goa	2.64
7	7	7	Tripura	2.08



* How do states fare on 16 diversity indicators across police, prisons, judiciary and legal aid? Indicators listed on Page 28.

Figure 3: Share of women across pillars

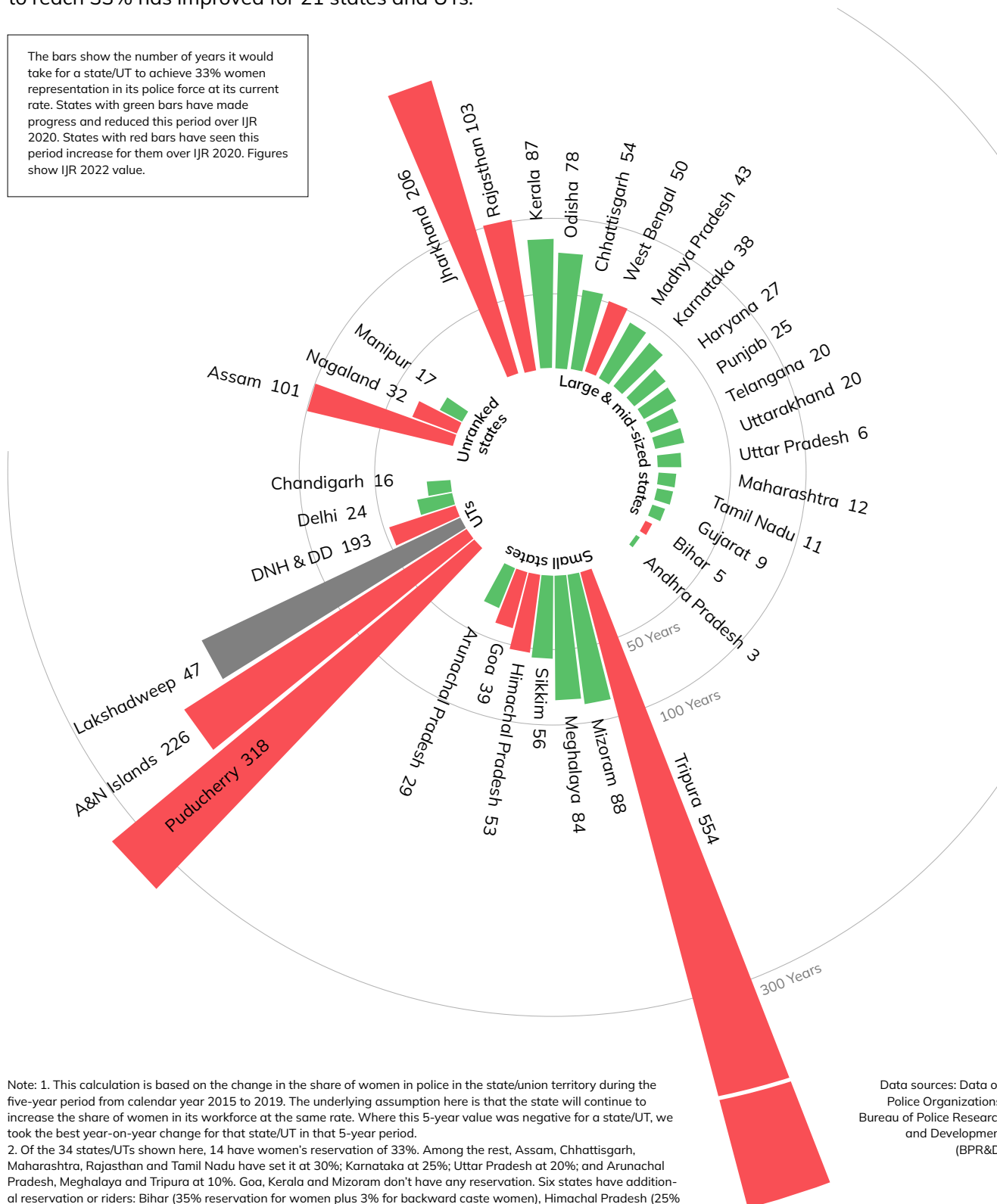
The share of women remains uneven, and their representation is concentrated in the lower ranks.

	Police		Prisons	Judiciary		Legal Aid	
	Women in total police staff (%)	Women in police officers (%)	Women in total prison staff (%)	Women judges (High Court) (%)	Women judges (Sub. court) (%)	Women in panel lawyers (%)	Women PLVs (%)
National average	11.8 ●	8 ●	13.8 ●	13.1 ●	35.1 ●	24.7 ●	40.3 ●
Large and mid-sized states							
Andhra Pradesh	21.8 ●	5.4 ●	8.4 ●	6.7 ●	46.2 ●	16.1 ●	38.0 ●
Bihar	21.2 ●	10.6 ●	21.5 ●	0.0	24.2 ●	18.6 ●	26.6 ●
Chhattisgarh	7.1 ●	9.3 ●	10.4 ●	7.1 ●	41.7 ●	14.9 ●	40.6 ●
Gujarat	16.3 ●	10.0 ●	7.2 ●	21.4 ●	19.5 ●	24.4 ●	43.5 ●
Haryana	8.2 ●	12.2 ●	6.2 ●	19.7 ●	38.4 ●	21.5 ●	41.4 ●
Jharkhand	6.2 ●	4.3 ●	9.3 ●	4.8 ●	23.0 ●	15.6 ●	32.9 ●
Karnataka	8.6 ●	6.4 ●	32.0 ●	10.2 ●	33.6 ●	38.8 ●	58.4 ●
Kerala	7.8 ●	2.4 ●	10.0 ●	16.2 ●	43.1 ●	42.4 ●	62.6 ●
Madhya Pradesh	7.4 ●	11.5 ●	18.6 ●	9.7 ●	34.8 ●	15.1 ●	35.6 ●
Maharashtra	17.8 ●	7.7 ●	14.8 ●	12.1 ●	30.8 ●	28.2 ●	40.8 ●
Odisha	10.5 ●	12.9 ●	12.5 ●	4.5 ●	44.4 ●	26.1 ●	37.6 ●
Punjab	9.9 ●	8.3 ●	9.4 ●	19.7 ●	45.8 ●	18.6 ●	37.1 ●
Rajasthan	10.4 ●	6.8 ●	19.4 ●	7.7 ●	40.2 ●	8.6 ●	27.1 ●
Tamil Nadu	19.1 ●	17.9 ●	14.1 ●	20.4 ●	39.9 ●	24.4 ●	48.7 ●
Telangana	8.5 ●	7.5 ●	10.5 ●	27.3 ●	52.8 ●	18.2 ●	41.9 ●
Uttar Pradesh	10.7 ●	5.1 ●	9.9 ●	7.0 ●	31.7 ●	10.5 ●	24.9 ●
Uttarakhand	12.8 ●	18.1 ●	3.6 ●	0.0	39.1 ●	21.8 ●	44.2 ●
West Bengal	9.9 ●	4.0 ●	10.9 ●	14.8 ●	35.9 ●	26.2 ●	40.0 ●
Small states							
Arunachal Pradesh	10.7 ●	5.7 ●	18.2 ●	16.7 ●	34.3 ●	22.1 ●	46.3 ●
Goa	10.6 ●	15.6 ●	1.8 ●	12.1 ●	70.0 ●	45.3 ●	59.3 ●
Himachal Pradesh	14.0 ●	4.9 ●	8.4 ●	20.0 ●	34.0 ●	24.9 ●	27.2 ●
Meghalaya	6.0 ●	8.5 ●	14.8 ●	0.0	62.7 ●	60.4 ●	41.7 ●
Mizoram	7.1 ●	21.4 ●	25.0 ●	16.7 ●	51.2 ●	37.8 ●	32.6 ●
Sikkim	9.0 ●	7.5 ●	23.2 ●	33.3 ●	52.4 ●	44.7 ●	76.0 ●
Tripura	5.3 ●	5.9 ●	5.4 ●	0.0	34.9 ●	28.7 ●	24.7 ●

Note: 1. States ranked in alphabetical order within cluster. 2. Data as of January 2022 for police indicators; December 2021 for prisons indicators; December 1, 2022, for High Court judges and July 25, 2022, for subordinate court judges; June 2022 for legal aid indicators. Bureau of Police Research and Development, Data on Police Organisation, January 2022; National Crime Records Bureau, Prison Statistics India, December 2021; Department of Justice; Lok Sabha Unstarred Question No. 2116, dated 29 July 2022 and National Legal Services Authority.

Figure 4: How long will it take for women's share in police staff to reach 33%?

Compared to IJR 2020, 23 states and Union Territories have improved the representation of women in their police force in IJR 2022. Even on the basis of their 5-year average, the time it would take for women's share to reach 33% has improved for 21 states and UTs.



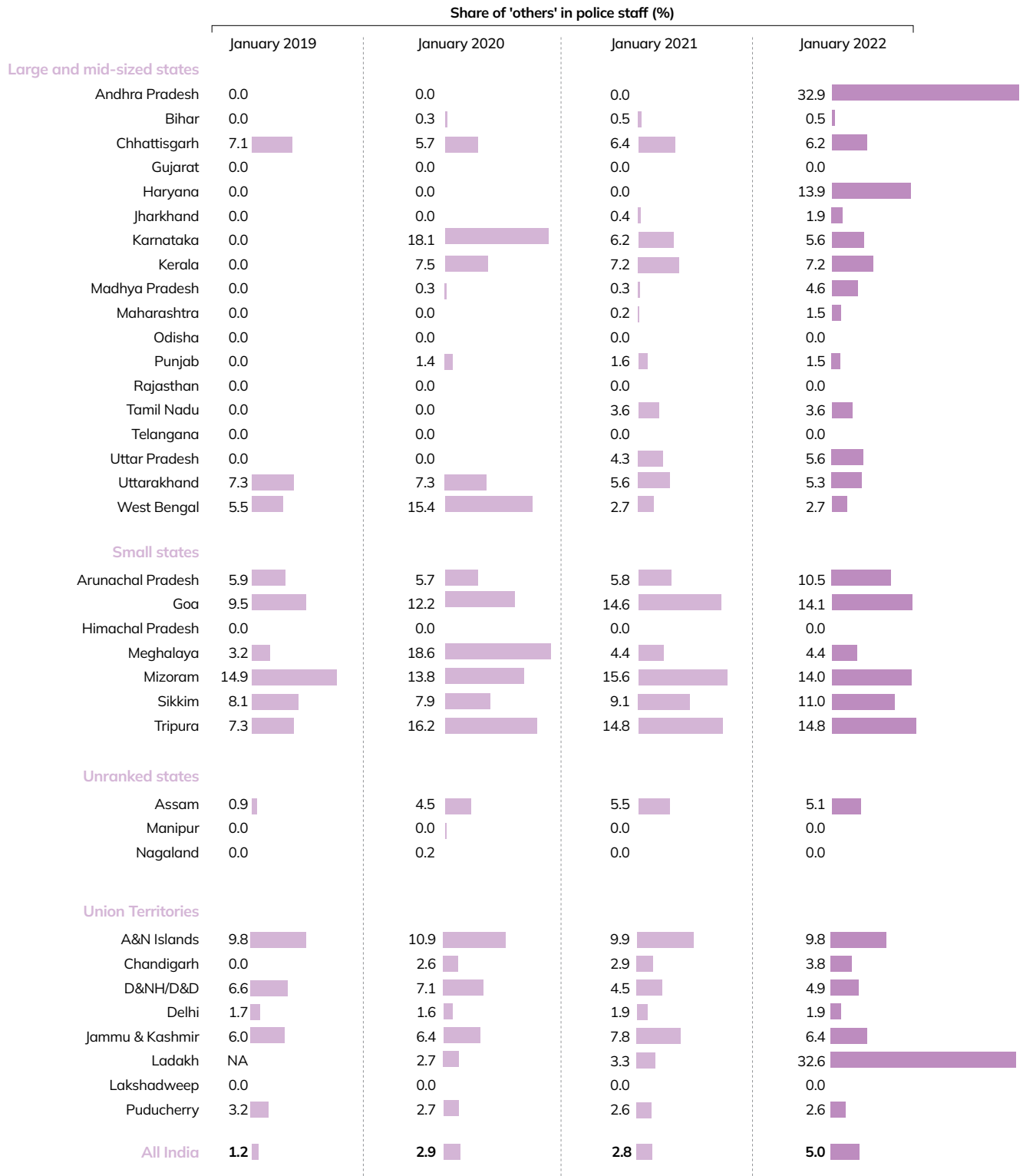
Note: 1. This calculation is based on the change in the share of women in police in the state/union territory during the five-year period from calendar year 2015 to 2019. The underlying assumption here is that the state will continue to increase the share of women in its workforce at the same rate. Where this 5-year value was negative for a state/UT, we took the best year-on-year change for that state/UT in that 5-year period.

2. Of the 34 states/UTs shown here, 14 have women's reservation of 33%. Among the rest, Assam, Chhattisgarh, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu have set it at 30%; Karnataka at 25%; Uttar Pradesh at 20%; and Arunachal Pradesh, Meghalaya and Tripura at 10%. Goa, Kerala and Mizoram don't have any reservation. Six states have additional reservation or riders: Bihar (35% reservation for women plus 3% for backward caste women), Himachal Pradesh (25% vacancies in constables), Punjab (33% in direct recruitment), Telangana (33.3% for Civil, 10% for District Armed Reserve and 0% for State Armed Reserve), Uttarakhand (30% horizontal) and West Bengal (nil, progressively will reach 33%). Data for Mizoram was not available.

Data sources: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D)

Figure 5: The curious case of 'others' in police

BPR&D provides details of data of personnel by rank and includes an undefined column of "others if any". Since 2019, the share of others has increased from 1.2% to 5% in 2022.



Note: 1. States ranked in alphabetical order within cluster.
Bureau of Police Research and Development, Data on Police Organisation

Ranking human resources*

Color guide

Best Middle Worst

Indicators
(in IJR 3)

17

Clusters

- I. 18 large and mid-sized states
(population above 10 million)
- II. 7 small-sized states
(population up to 10 million)

Map 5: Large and mid-sized states

Rank (out of 18)

NEW

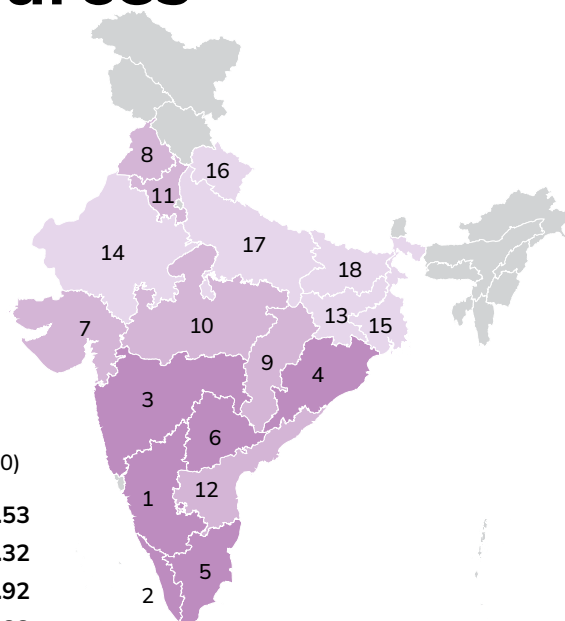
IJR 1
2019

IJR 2
2020

IJR 3
2022

6	11	1
1	3	2
2	1	3
3	4	4
4	2	5
12	5	6
10	8	7
7	6	8
14	14	9
5	9	10
9	12	11
13	16	12
16	10	13
8	7	14
11	17	15
15	13	16
18	18	17
17	15	18

State	Score (out of 10)
Karnataka	6.53
Kerala	6.32
Maharashtra	5.92
Odisha	5.88
Tamil Nadu	5.87
Telangana	5.66
Gujarat	5.43
Punjab	5.27
Chhattisgarh	4.77
Madhya Pradesh	4.71
Haryana	4.58
Andhra Pradesh	4.34
Jharkhand	4.33
Rajasthan	4.09
West Bengal	4.03
Uttarakhand	3.94
Uttar Pradesh	3.73
Bihar	3.50



Map 6: Small states

Rank (out of 7)

NEW

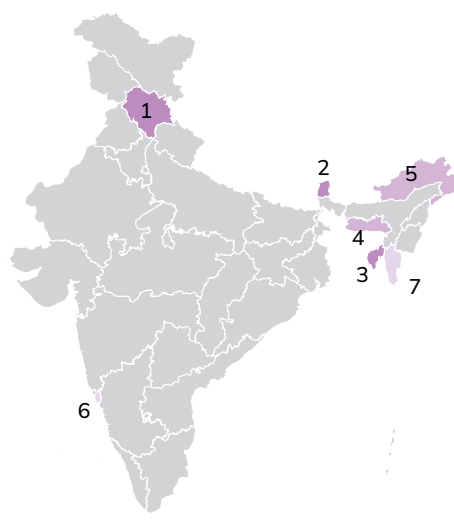
IJR 1
2019

IJR 2
2020

IJR 3
2022

1	1	1
4	3	2
5	4	3
6	2	4
3	5	5
2	7	6
7	6	7

State	Score (out of 10)
Himachal Pradesh	4.02
Sikkim	3.73
Tripura	3.46
Arunachal Pradesh	3.42
Meghalaya	3.32
Goa	3.32
Mizoram	2.87

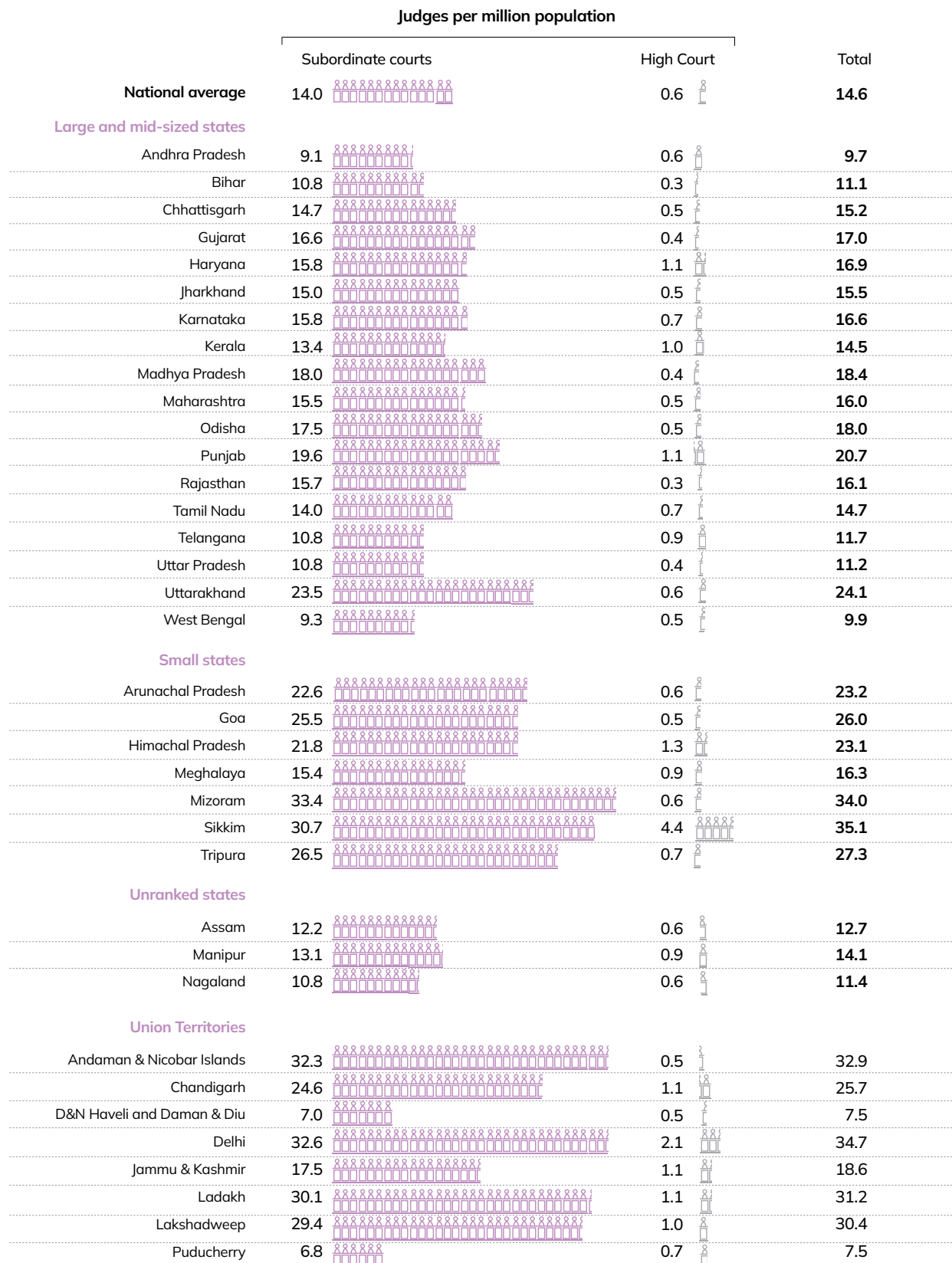


* How do states fare on 17 human resources indicators across police, prisons, judiciary and legal aid? Indicators listed on Page 28.

Note: Scores are shown up to 2 decimals. While they both show the same score, Meghalaya is ranked above Goa on the third decimal (3.324 versus 3.320).

Figure 6: Judge to population ratio

The benchmark laid out by the Law Commission in 1987 recommended 50 judges per million people. In reality, all states/UTs are far from meeting this number.



Note: 1. States arranged in respective cluster in alphabetical order.
Source: Department of Justice; Lok Sabha Unstarred Question No. 2116, dated 29 July 2022.

Figure 7: Vacancy across pillars

We looked at vacancies on 11 key personnel ranks across the 4 pillars. Many states, of all sizes, have vacancies that exceed 25% of the state's own sanctioned strength.

Up to 25% 25% to 50% Above 50%

	Police vacancy (%)		Judiciary vacancy (%)		
	Constables Jan 2022	Officers Jan 2022	High Court judges Dec 2022	Subordinate court judges Jul 2022	High Court staff 2021-22
Large and mid-sized states					
Andhra Pradesh	20.0	9.8	18.9	20.4	51.2
Bihar	30.0	53.8	35.8	30.7	52.8
Chhattisgarh	21.2	26.0	36.4	8.9	32.6
Gujarat	26.9	22.1	46.2	23.0	24.3
Haryana	32.0	25.3	22.4	39.0	23.1
Jharkhand	23.9	32.8	16.0	13.6	16.9
Karnataka	12.0	10.8	21.0	21.9	26.0
Kerala	4.6	23.9	21.3	16.0	17.3
Madhya Pradesh	13.9	20.8	41.5	23.8	14.6
Maharashtra	28.2	25.3	29.8	11.4	11.3
Odisha	13.3	28.4	33.3	20.7	28.5
Punjab	12.6	22.4	22.4	13.3	23.1
Rajasthan	8.3	45.6	48.0	20.1	37.0
Tamil Nadu	10.9	9.1	28.0	19.2	13.7
Telangana	26.1	7.1	21.4	19.7	33.8
Uttar Pradesh	26.0	42.5	37.5	31.0	21.1
Uttarakhand	6.4	7.2	36.4	9.4	21.1
West Bengal	44.1	25.2	25.0	9.5	31.5
Small states					
Arunachal Pradesh	27.8	34.7	0.0	14.6	7.9
Goa	17.2	23.6	29.8	20.0	11.3
Himachal Pradesh	5.1	16.0	41.2	7.4	15.0
Meghalaya	16.9	21.2	25.0	48.5	13.2
Mizoram	34.2	26.6	0.0	36.9	7.9
Sikkim	4.6	-4.2	0.0	25.0	11.5
Tripura	23.7	40.1	40.0	10.7	5.3

Note: 1. States ranked in alphabetical order within cluster.

Source: Bureau of Police Research and Development, Data on Police Organisation, January 2022; National Crime Records Bureau, Prison Statistics India, December 2021; Department of Justice; Lok Sabha Unstarred Question No. 2116, dated 29 July 2022 and National Legal Services Authority.

Figure 7: Vacancy across pillars

We looked at vacancies on 11 key personnel ranks across the 4 pillars. Many states, of all sizes, have vacancies that exceed 25% of the state's own sanctioned strength. Highest vacancies are seen among HC judges, correctional staff in prisons and least are seen among DLSA secretaries.

■ Up to 25% ■ 25 to 50% ■ Above 50%

	Prisons vacancy (%)					Legal Aid vacancy (%)
	Officers Dec 2021	Cadre staff Dec 2021	Correctional staff Dec 2021	Medical staff Dec 2021	Medical officers Dec 2021	DLSA secretary Mar 2022
Large and mid-sized states						
Andhra Pradesh	23.2	26.8	NA ²	26.7	13.6	0.0
Bihar	25.8	41.4	32.9	49.8	62.4	0.0
Chhattisgarh	64.7	27.7	49.5	51.7	56.5	0.0
Gujarat	30.0	34.0	44.4	14.7	12.5	12.5
Haryana	34.6	28.8	100.0	50.5	47.2	0.0
Jharkhand	67.6	60.3	66.7	59.7	83.7	0.0
Karnataka	14.5	21.3	20.7	61.3	66.7	0.0
Kerala	6.9	11.4	3.6	23.5	16.7	0.0
Madhya Pradesh	41.4	15.4	18.8	47.2	72.4	31.4
Maharashtra	22.0	11.2	46.0	27.0	20.5	0.0
Odisha	23.3	21.3	41.6	46.3	61.7	0.0
Punjab	29.3	47.3	100.0	37.4	33.3	0.0
Rajasthan	37.3	22.8	87.5	22.9	35.1	0.0
Tamil Nadu	11.0	9.8	15.0	7.8	11.6	9.4
Telangana	8.0	13.5	0.0	53.4	45.5	18.2
Uttar Pradesh	36.1	19.4	37.1	52.3	36.0	28.2
Uttarakhand	77.1	37.1	NA ²	56.3	90.0	0.0
West Bengal	24.3	19.2	31.3	66.8	77.3	0.0
Small states						
Arunachal Pradesh	43.8	3.1	NA ²	10.0	0.0	100.0
Goa	29.6	31.5	100.0	84.6	83.3	0.0
Himachal Pradesh	36.4	17.1	69.2	52.2	50.0	0.0
Meghalaya	31.6	25.5	NA ²	10.0	0.0	72.7
Mizoram	45.9	25.5	NA ²	40.0	100.0	100.0
Sikkim	40.7	56.2	NA ²	28.6	50.0	100.0
Tripura	65.6	38.4	0.0	29.4	0.0	60.0

Note: 1. States ranked in alphabetical order within cluster. 2. For states where correctional staff data is not available, it's because PSI shows 0 sanctioned and actual correctional staff.

Source: Bureau of Police Research and Development, Data on Police Organisation, January 2022; National Crime Records Bureau, Prison Statistics India, December 2021; Department of Justice; Lok Sabha Unstarred Question No. 2116, dated 29 July 2022 and National Legal Services Authority.

Ranking intention*

Color guide

Best Middle Worst

Indicators
(in IJR 3)

23

Clusters

- I. 18 large and mid-sized states
(population above 10 million)
- II. 7 small-sized states
(population up to 10 million)

Map 7: Large and mid-sized states

Rank (out of 18)

NEW

IJR 1
2019

IJR 2
2020

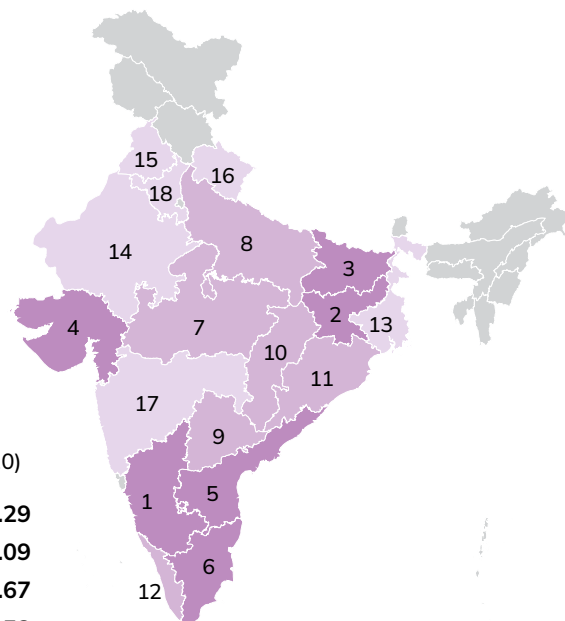
IJR 3
2022

14
15
13
3
NA
7
11
9
NA
6
8
12
1
10
5
16
2
4

16
7
4
3
6
1
17
12
18
2
11
15
10
5
13
9
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

State	Score (out of 10)
Karnataka	6.29
Jharkhand	6.09
Bihar	5.67
Gujarat	5.52
Andhra Pradesh	5.26
Tamil Nadu	5.14
Madhya Pradesh	5.13
Uttar Pradesh	5.08
Telangana	4.93
Chhattisgarh	4.68
Odisha	4.53
Kerala	4.48
West Bengal	4.26
Rajasthan	4.04
Punjab	3.97
Uttarakhand	3.96
Maharashtra	3.69
Haryana	3.34



Map 8: Small states

Rank (out of 7)

NEW

IJR 1
2019

IJR 2
2020

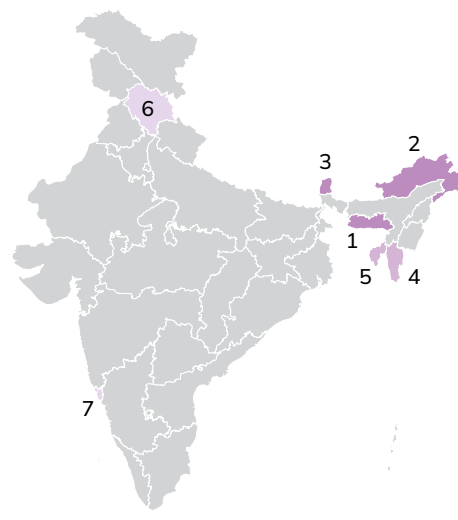
IJR 3
2022

2
7
4
6
5
3
1

7
4
5
6
3
1
2

1
2
3
4
5
6
7

State	Score (out of 10)
Meghalaya	5.05
Arunachal Pradesh	4.87
Sikkim	4.36
Mizoram	4.33
Tripura	3.95
Himachal Pradesh	3.93
Goa	3.02



* What the trends show based on 5-year data for 23 indicators across police, prisons and judiciary. Indicators listed on Page 28.

Note: Andhra Pradesh and Telangana were not included in 2019 as 5-year data for these states was not available separately.

Figure 8: Budgets for the justice system

The graphic below shows the 5-year average growth in budgetary allocations to police, prisons and judiciary, and whether they have kept pace with the increase in the total state spend. Among the 25 ranked states, the increase in police budgets trails the increase in total budget in 12 states, prisons in 17 states and judiciary in 10 states.

■ Pillar outpaces growth in state budget
■ Pillar trails growth in state budget

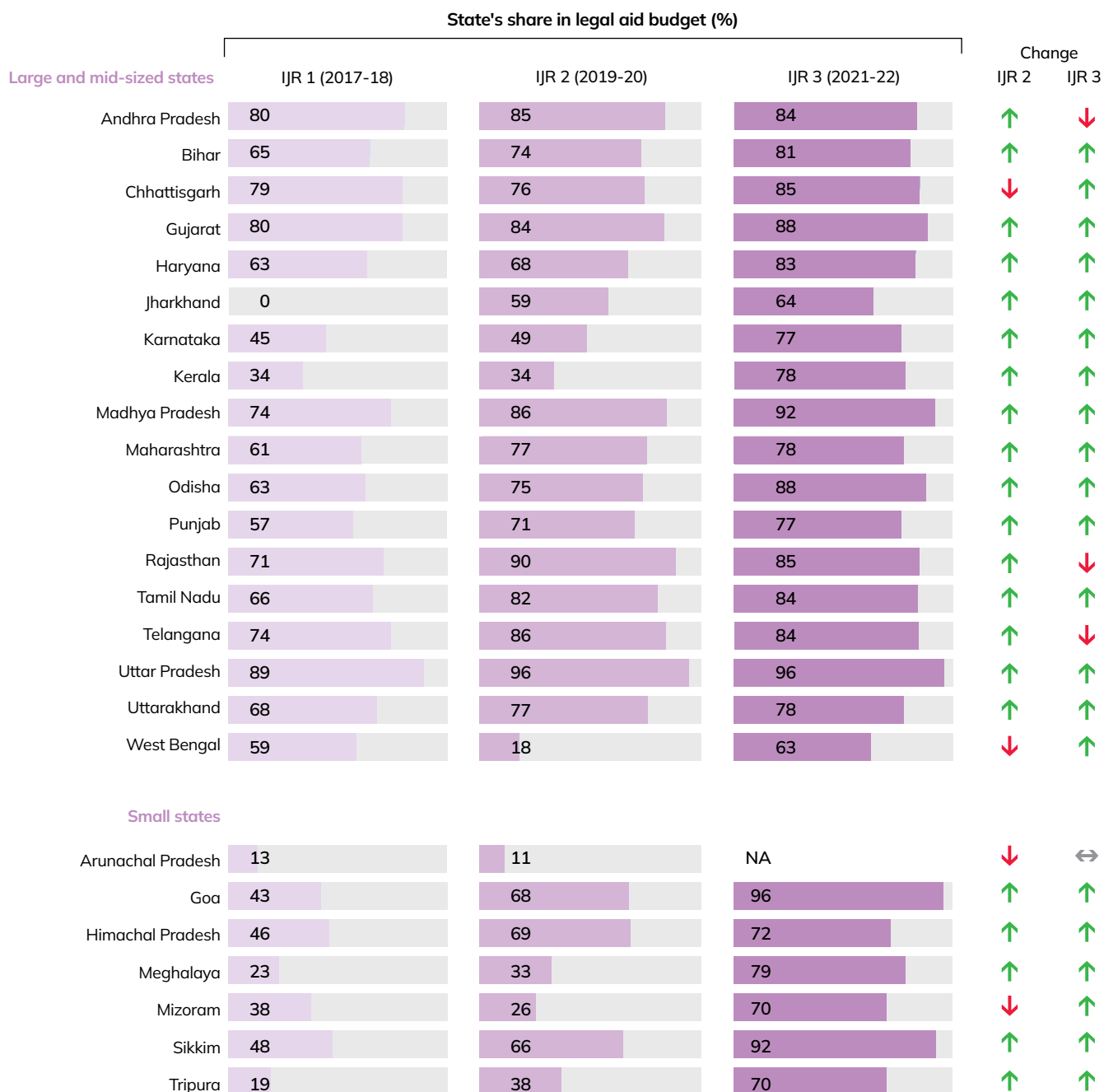


Note: States arranged in alphabetical order within cluster.

Source: Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India

Figure 9: State's share in legal aid budget

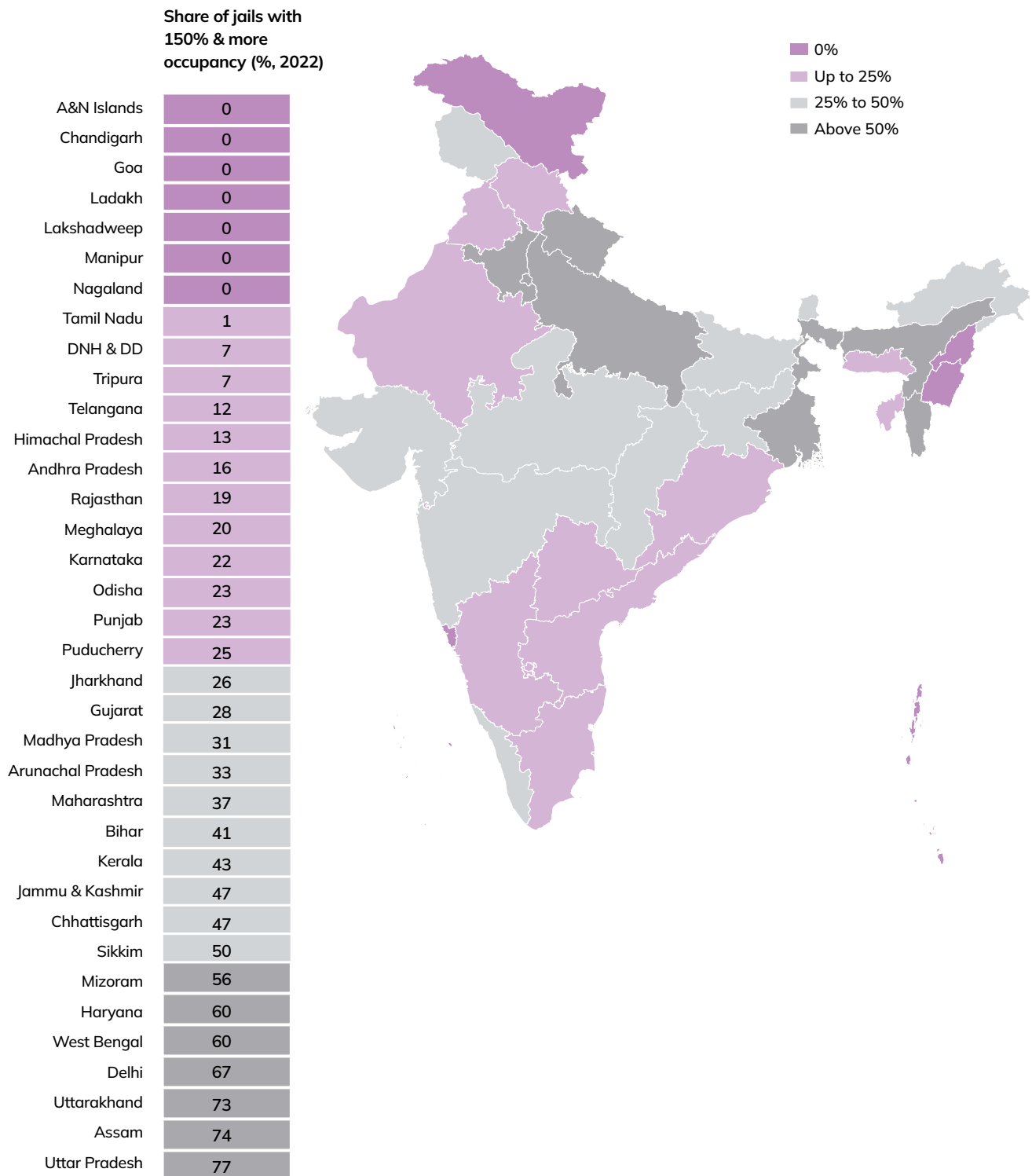
A state's legal aid budget comprises two sources: the National Legal Services Authority (NALSA) at the Centre and the state itself. Between 2017-18 and 2021-22, the contribution of states to their legal aid budget has progressively increased. In 13 of the 18 large and mid-sized states, and in 5 of the 7 small states, the state's share increased in both follow-up time periods.



Note: 1. States arranged in respective cluster in alphabetical order.
Source: State budget documents and National Legal Services Authority

Figure 10: Share of overcrowded jails in a state

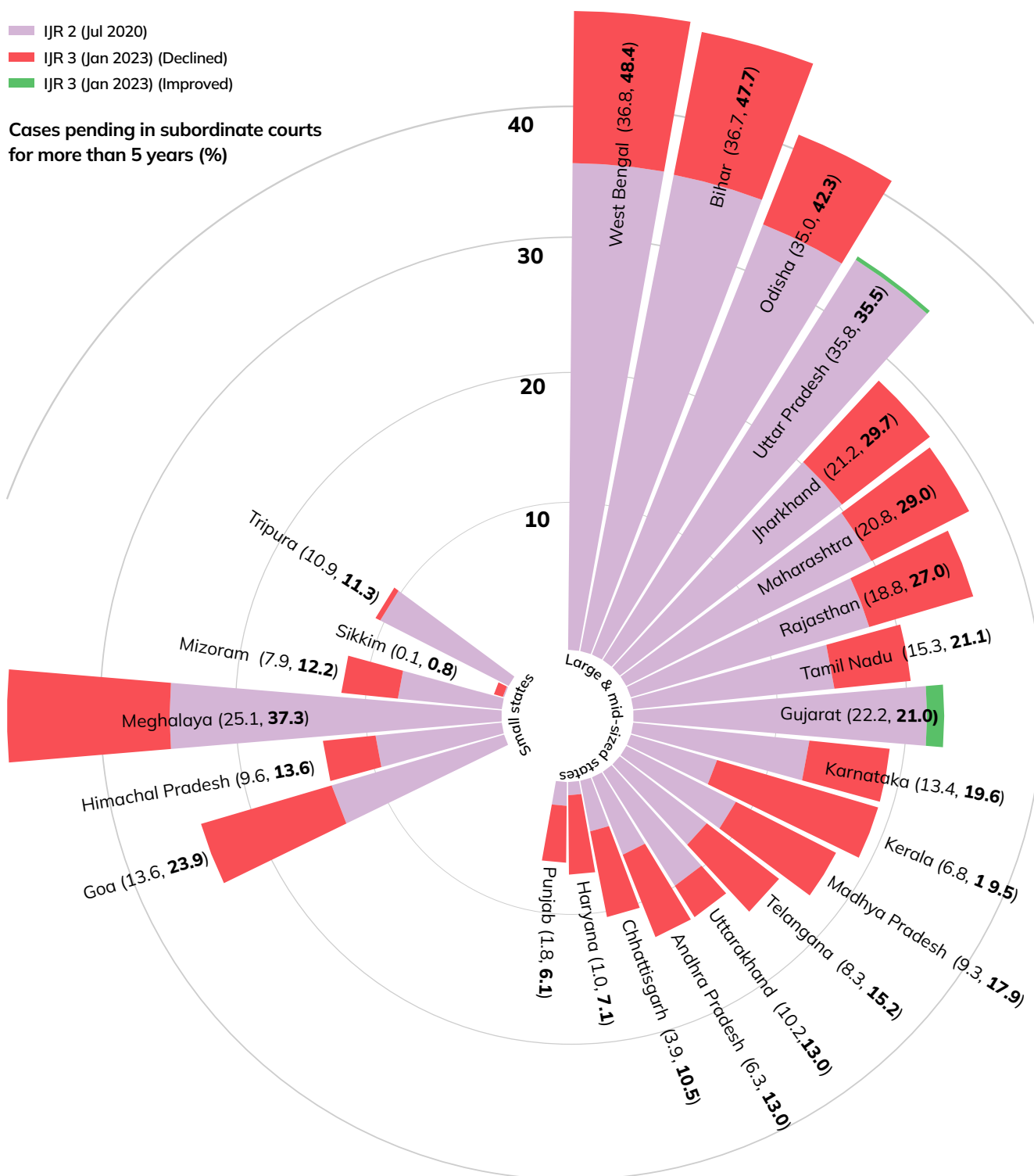
The United Nations Office on Drugs and Crime classifies 120% overcrowding as 'critical' and 150% as 'extreme.' At the end of 2021, the average occupancy rates in 13 states/UTs were critical. In six, it had crossed 150%. Averages, however, disguise the fact that in several prisons, overcrowding crosses 150%.



Source: e-Prisons portal

Figure 11: Cases pending for more than 5 years in subordinate courts

In 23 of the 25 ranked states, cases pending in subordinate courts for above 5 years have increased in the last 2 years. In 8 states, such cases amount to over 25% of pending cases. The green and red bars signify the extent to which the share of cases pending over 5 years in subordinate courts have either reduced or increased in states, compared to IJR 2020.



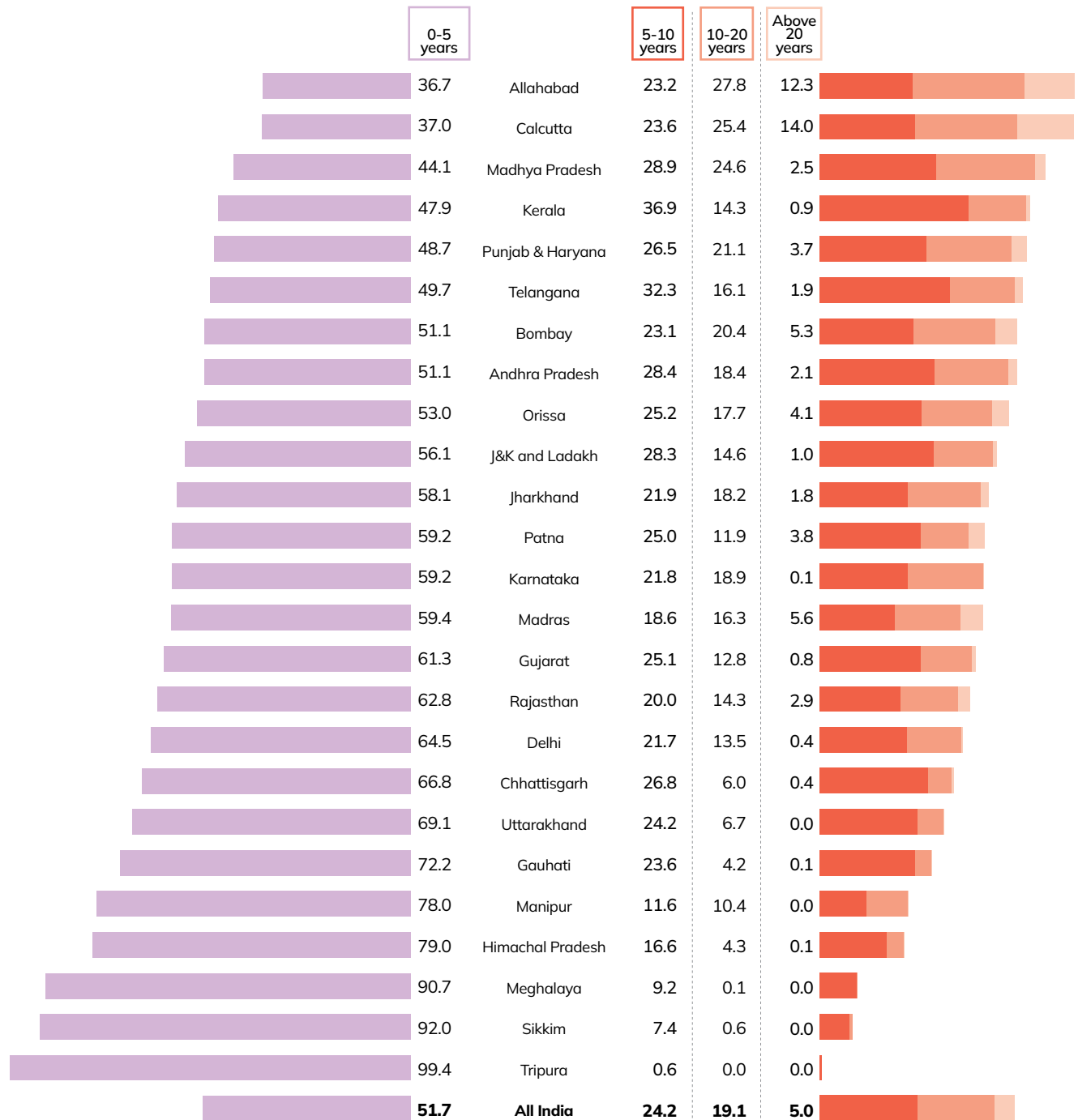
Note: 1. States arranged in respective cluster in descending order of IJR 3 value. 2. Data for Arunachal Pradesh (small state) not available.

Source: National Judicial Data Grid

Figure 12: Cases pending in High Courts

The pendency levels in High Courts is worse than in subordinate courts. Across all 25 High Courts, the share of cases pending for more than five years stands at 48.3%. While north-eastern states fare the best on this metric, the worse are Allahabad (Uttar Pradesh) and Calcutta (West Bengal and A&N Islands), where the share of cases pending for more than five years stands at 63%.

Cases pending in High Courts by duration (%), January 2, 2023



Note: 1. High Courts arranged in ascending order of value for 0-5 years.
Source: National Judicial Data Grid

List of indicators on preceding map pages

Ranking Intention

Police

Women in total police (pp, CY '17-'21)
 Women officers in total officers (pp, CY '17-'21)
 Constable vacancy (pp, CY '17-'21)
 Officer vacancy (pp, CY '17-'21)
 Difference in spend: police vs state (pp, FY '17-'21)

Prisons

Officer vacancy (pp, CY '17-'21)
 Cadre staff vacancy (pp, CY '17-'21)
 Share of women in prison staff (pp, CY '17-'21)
 Inmates per prison officer (% , CY '17-'21)
 Inmates per cadre staff (% , CY '17-'21)
 Share of undertrial prisoners (pp, CY '17-'21)
 Spend per inmate (% , FY '18-'22)
 Prison budget used (pp, FY '18-'22)
 Difference in spend: prisons vs state (pp, FY '17-'21)

Judiciary

Cases pending (per High Court judge) (%,'18-'22)
 Cases pending (per sub. court judge) (%,'18-'22)
 Total cases pending (High Court) (%,'18-'22)
 Total cases pending (sub. court) (%,'18-'22)
 Judge vacancy (High Court) (pp,'18-'22)
 Judge vacancy (sub. court) (pp,'18-'22)
 Case clearance rate (High Court) (pp,'18-'22)
 Case clearance rate (sub. court) (pp,'18-'22)
 Difference in spend: judiciary vs state (pp, FY '17-'21)

Ranking Human Resources

Police

Constables, vacancy (% , Jan 2022)
 Officers, vacancy (% , Jan 2022)
 Officers in civil police (% , Jan 2022)

Prisons

Officers, vacancy (% , Dec 2021)
 Cadre staff, vacancy (% , Dec 2021)
 Correctional staff, vacancy (% , Dec 2021)

Medical staff, vacancy (% , Dec 2021)
 Medical officers, vacancy (% , Dec 2021)
 Personnel trained (% , Dec 2021)

Judiciary

Population per High Court judge (Number, Dec 2022)
 Population per sub. court judge (Number, Jul 2022)
 High Court judge vacancy (% , Dec 2022)
 Sub. court judge vacancy (% , Jul 2022)
 High Court staff vacancy (% , 2021-22)

Legal aid

DLSA secretary vacancy (% , Mar 2022)
 PLVs per lakh population (Number, Jun 2022)
 Sanctioned secretaries as % of DLSAs (% , Mar 2022)

Ranking Diversity

Police

Share of women in police (% , Jan 2022)
 Share of women in officers (% , Jan 2022)
 SC officers, actual to reserved ratio (% , Jan 2022)
 SC constables, actual to reserved ratio (% , Jan 2022)
 ST officers, actual to reserved ratio (% , Jan 2022)
 ST constables, actual to reserved ratio (% , Jan 2022)
 OBC officers, actual to reserved ratio (% , Jan 2022)
 OBC constables, actual to reserved ratio (% , Jan 2022)

Prisons

Women in prison staff (% , Dec 2021)

Judiciary

Women judges (High Court) (% , Dec 2022)
 Women judges (sub. court) (% , Jul 2022)
 SC judges, actual to reserved (sub. court) (% , Jul 2022)
 ST judges, actual to reserved (sub. court) (% , Jul 2022)
 OBC judges, actual to reserved (sub. court) (% , Jul 2022)

Legal aid

Share of women in panel lawyers (% , Jun 2022)
 Women PLVs (% , Jun 2022)

List of indicators on preceding improvement pages

Improvement between IJR 2 and IJR 3 (Indicator, unit, latest IJR period)

Police

Budget

1. Modernisation fund used (% , 2020-21)
2. Spend on police per person (Rs, 2020-21)
3. Spend on training per personnel (Rs, 2020-21)

Human Resources

4. Constables, vacancy (% , Jan 2022)
5. Officers, vacancy (% , Jan 2022)
6. Officers in civil police (% , Jan 2022)

Diversity

7. Share of women in police (% , Jan 2022)
8. Share of women in officers (% , Jan 2022)
9. SC officers, actual to reserved ratio (% , Jan 2022)
10. SC constables, actual to reserved ratio (% , Jan 2022)
11. ST officers, actual to reserved ratio (% , Jan 2022)
12. ST constables, actual to reserved ratio (% , Jan 2022)
13. OBC officers, actual to reserved ratio (% , Jan 2022)
14. OBC constables, actual to reserved ratio (% , Jan 2022)

Infrastructure

15. Population per police station (rural) (Number, Jan 2022)
16. Population per police station (urban) (Number, Jan 2022)
17. Area per police station (rural) (Sq km, Jan 2022)
18. Area per police station (urban) (Sq km, Jan 2022)
19. Services provided by state's citizen portals (% , 2022)
20. Personnel per training institute (Number, Jan 2022)

Workload

21. Population per civil police (Number, Jan 2022)

Prisons

Budget

22. Spend per inmate (Rs, 2021-22)
23. Prison budget utilized (% , 2021-22)

Human Resources

24. Officers, vacancy (% , Dec 2021)
25. Cadre staff, vacancy (% , Dec 2021)
26. Correctional staff, vacancy (% , Dec 2021)
27. Medical staff, vacancy (% , Dec 2021)
28. Medical officers, vacancy (% , Dec 2021)
29. Personnel trained (% , Dec 2021)

Diversity

30. Women in prison staff (% , Dec 2021)

Infrastructure

31. Prison occupancy (% , Dec 2021)
32. Jails with V-C facility (% , Dec 2021)

Workload

33. Inmates per officer (Number, Dec 2021)

34. Inmates per cadre staff (Number, Dec 2021)
35. Inmates per correctional staff (Number, Dec 2021)

Judiciary

Budget

36. Per capita spend on judiciary (Rs, 2020-21)

Human Resources

37. Population per High Court judge (Number, Dec 2022)
38. Population per sub. court judge (Number, Jul 2022)
39. High Court judge vacancy (% , Dec 2022)
40. Sub. court judge vacancy (% , Jul 2022)
41. High Court staff vacancy (% , 2021-22)

Diversity

42. Women judges (High Court) (% , Dec 2022)
43. Women judges (sub. court) (% , Jul 2022)

Infrastructure

44. Courthall shortfall (% , Aug 2022)

Workload

45. Cases pending (5-10 years) (sub. court) (% , Jan 2023)
46. Cases pending (10+ years) (sub. court) (% , Jan 2023)
47. Case clearance rate (High Court) (% , 2022)
48. Case clearance rate (sub. court) (% , 2022)

Legal Aid

Budget

49. State's share in legal aid budget (% , 2021-22)

Human Resources

50. DLSA secretary vacancy (% , Mar 2022)
51. PLVs per lakh population (Number, Jun 2022)
52. Sanctioned secretaries as % of DLSAs (% , Mar 2022)

Diversity

53. Share of women in panel lawyers (% , Jun 2022)
54. Women PLVs (% , Jun 2022)

Infrastructure

55. DLSAs as % of state judicial districts (% , Mar 2022)
56. Legal services clinic per jail (Number, 2021-22)
57. Villages per legal services clinic (Number, 2021-22)

Workload

58. PLA cases: settled as % of received (% , 2021-22)
59. Total LAs: Pre-litigation cases disposed (% , 2021-22)
60. SLSA LAs: Pre-litigation in cases taken up (% , 2021-22)

Improvement across all 3 IJR

We considered 52 non-trend indicators present in all three IJR. For this exercise, from the list of 60 indicators given above, the following eight were excluded: 3, 10, 12, 14, 19, 20, 29 and 32.



Police

Police Ranking

Color guide

Best Middle Worst

Indicators
(in IJR 3)

30

Clusters

- I. 18 large and mid-sized states
(population above 10 million)
- II. 7 small-sized states
(population up to 10 million)

Map 9: Large and mid-sized states

Rank (out of 18)

NEW

IJR 1
2019

IJR 2
2020

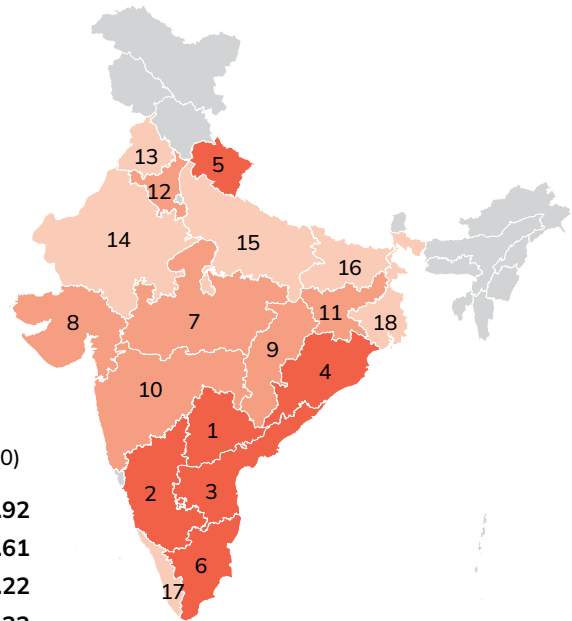
IJR 3
2022

11 6 5 7 2 1 15 12 10 4 9 8 3 17 18 14 13 16

10 1 4 3 7 5 18 8 2 13 6 9 12 16 15 11 14 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

State	Score (out of 10)
Telangana	6.92
Karnataka	6.61
Andhra Pradesh	6.22
Odisha	6.22
Uttarakhand	6.11
Tamil Nadu	6.04
Madhya Pradesh	5.88
Gujarat	5.88
Chhattisgarh	5.70
Maharashtra	5.53
Jharkhand	5.37
Haryana	5.19
Punjab	5.10
Rajasthan	4.38
Uttar Pradesh	4.37
Bihar	4.34
Kerala	4.22
West Bengal	3.59



Map 10: Small states

Rank (out of 7)

NEW

IJR 1
2019

IJR 2
2020

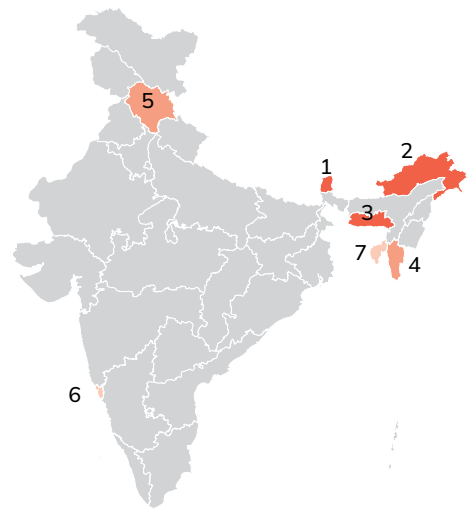
IJR 3
2022

1 2 5 7 6 3 4

1 4 3 6 2 7 5

1 2 3 4 5 6 7

State	Score (out of 10)
Sikkim	5.64
Arunachal Pradesh	4.84
Meghalaya	4.52
Mizoram	4.07
Himachal Pradesh	3.93
Goa	3.89
Tripura	3.47



Note: Scores are shown up to 2 decimals. While they both show the same score, Andhra Pradesh is ranked above Odisha on the third decimal (6.218 versus 6.217) and Madhya Pradesh above Gujarat on the fourth decimal (5.8762 versus 5.8758).

PUSHING EXPECTATIONS

Modernisation fund

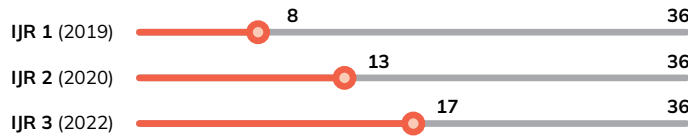
Number of states/UTs that fully utilized their modernization fund.

Total states*



Women staff

Number of states/UTs where women account for more than 10% of the police force.



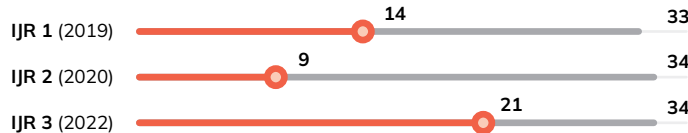
SC/ST/OBC quota

Number of states/UTs that have met at least 80% of their declared quotas.



Budgets

Number of states/UTs whose police expenditure grew more than their state expenditure, over 5 years.



Area coverage

The number of states/UTs that meet the 1981 benchmark of 150 sq. km. for one police station in rural areas.



* Number of states/UTs (out of 36) for which data was available.

Infrastructure

CCTVs



1 in 4

Police stations does not have a single CCTV camera.

Women help desks



3 in 10

Police stations do not have women help desks.

Training

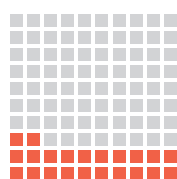
1.3%



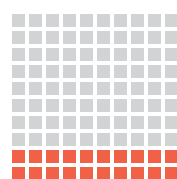
All-India share of training budget in total police budget. It is more than 2% in only 5 states.

Vacancy in police force

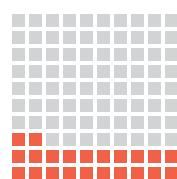
IJR 1: **22%**



IJR 2: **20%**



IJR 3: **22%**



'Others' in police

5%

Share of 'others if any' in total police.



In Andhra Pradesh, **33%** of police personnel are under 'others if any' category

Chapter 1

Police: Incapacity, a Continuing Challenge

Introduction

Over the past decade the total sanctioned strength of police across the country increased from 22.84 to 26.89 lakh (an increase of 18 per cent) while actual police numbers grew from 17.23 lakh to 20.94 lakh (an increase of 22 per cent). The per capita spend on police grew nearly threefold from Rs. 445 to Rs. 1,151. Despite considerable improvements in money and manpower, policing across the country continues to be impeded by long-term malaises.

Demonstrating improvements in capacity Telangana moved from tenth to first rank. Fewer vacancies, an increase in the share of women and per capita expenditure, as well as spend on training per personnel—all contributed to pushing it up nine places.

Bihar dropped six places from eleventh to seventeenth place, largely due to decreases in spend on training per personnel, share of women and SC and OBC officers, and increases in constable and officer vacancies. A decline in the services provided by the state citizens portal, too, contributed to the drop in rank. Uttar Pradesh dropped one place from fifteenth to sixteenth, due to an increase in constable and officer vacancy and poor performance on caste diversity.

Other states, however, registered steeper drops, notably Chhattisgarh (from second to ninth) and Bihar (from eleventh to seventeenth), largely due to increases in vacancies at both constable and officer level and decreases in the share of women in the total police force.

Among the 7 small states, Sikkim retained the top slot while Tripura slipped to the bottom from the fifth position.

Sikkim increased its per capita spend, ensured there were no vacancies at the officer level, and improved its gender diversity. In Tripura, vacancies at both the constable and officer level increased. The deficit between sanctioned and actual strength grew across SC and ST at both the constable and officer level and the population per police station increased in both rural and urban areas.

Human Resources¹

Constables Vacancy (% , Jan 2022)

Constable Vacancies (pp, CY'17-'21)

Officers Vacancy (% , Jan 2022)

Officer vacancies (pp, CY'17-'21)

Officers in civil police (% , Jan 2022)

Population per civil police (persons, Jan 2022) (workload)

The gulf between sanctioned and actual strength remains worryingly large. Between January 2020 and January 2022, the overall vacancies rose from 20.3 per cent to 22.1 per cent respectively; constabulary vacancies rose from 17.7 per cent to 21.6 per cent, while officer vacancies dropped slightly from 29.1 per cent to 28.6 per cent in the same period. While the sanctioned strength between 2020 and 2022 was increased by 2.5 per cent, the actual number of police personnel on the ground increased by only 0.1 per cent.²

Officer vacancies: Nationally, on average, officers³ make up 16.6 per cent of the combined working strength of the civil police and District Armed Reserve police (1,646,061).⁴ While eighteen states/UTs⁵ improved

1 Unless otherwise stated all annual statistics are as of January 2022. Five-year trends refer to 2017-22. For comparisons, DNH & DD, and Jammu & Kashmir are not taken into account.

2 Actual strength decreased by 21,926 (from 20,91,488 to 20,69,562) and sanctioned strength increased by 8,665 (from 26,23,225 to 26,31,890).

3 Officers comprise DGP/Spl DGP + Addl DGP + IGP + DIG + AIGP/SP/SP/COMN + Addl SP/Dy COMN + ASP/Dy SP + Inspector + SI + ASI.

4 Bureau of Police Research & Development, Data on Police Organisation, 2022. Available at: <https://bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/202301110504030641146DataonPoliceOrganizations.pdf>

5 Gujarat, Assam, Punjab, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Rajasthan, Odisha, Delhi, Tamil Nadu, Nagaland, Madhya Pradesh, Chandigarh, Maharashtra, Tripura, Puducherry, Karnataka, West Bengal, Goa.

their percentage of officers, in fourteen⁶ it decreased. Uttarakhand and Kerala police have around 10 per cent officers. West Bengal (31.5 per cent), Jharkhand (25.4 per cent) and Bihar (23.4 per cent) have the highest share of officers among 18 large and mid-sized states. Interestingly, this is despite Bihar having more than 50 per cent officer vacancy: against a sanctioned strength of 37,351 the state has only 17,274 officers.

Nationally, the average vacancy at officer level stands at 28.6 per cent (the largest shortfalls being among sub-inspectors 35 per cent), followed by IGPs at 30 per cent, Inspectors at 27 per cent and ASIs at 24 per cent.⁷ These numbers are concerning as they impinge on investigative capacity and the supervision of a large constabulary. Around 19 states/UTs,⁸ including 9 large states, had 25 per cent or more vacant officer posts. Bihar (with 53.8 per cent) had the most vacancies, followed by Rajasthan (45.6 per cent).

Between January 2020 and January 2022, 28 states/UTs,⁹ including Uttar Pradesh, West Bengal and Rajasthan increased their sanctioned strength while in 5 states/UTs it came down.¹⁰

Maharashtra and Chandigarh,¹¹ despite decreasing sanctioned strength, saw increases in vacancy levels—from 22 per cent to 25 per cent and 8 per cent to 12 per cent respectively in the same period. Madhya Pradesh (49 per cent to 21 per cent), Puducherry (47 per cent to 33 per cent), Karnataka (19 per cent to 11 per cent) and Telangana (14 per cent to 7 per cent) improved their situation considerably. Since 2014, Sikkim has been the only state to have more officers than sanctioned. Looked at over five years, from 2017 to 2021, vacancies in the officer ranks increased in 17 states/UTs.¹²

Teeth-to-tail ratio is considered an important determinant for the proper composition of a police force. It is the ratio between the strength of officers and constabulary.¹³ The Padmanabhaiah Committee on Police Reforms recommends a teeth-to-tail ratio¹⁴ of 1:4.

Constabulary Vacancies: Only 7 states/UTs, including Telangana, Madhya Pradesh and Karnataka, reduced their shortfall¹⁵ while 26 states/UTs could not.¹⁶ In West Bengal vacancies reached 44.1 per cent. Over the five-year period between 2017 and 2021, constable vacancies in 25 states/UTs increased;¹⁷ with the most, an increase of 4.81 percentage points, in Maharashtra. Nagaland—where the Armed Forces Special Powers Act, 1958 is in force—continues to be the only state which maintains 2 per cent more constabulary than sanctioned.

A typical recruitment cycle—from job notices being put out to the time when new recruits qualify for deployment—may take anything up to two years. Irregular recruitment cycles lead to drastic year-on-year fluctuations. Illustratively, in January 2017, Maharashtra had 8% officers' vacancy; by 2020 this had increased to 22%. In 2021, within just one year, the number had nearly doubled to 42%. In 2022 it has come down to 25%.

Uttar Pradesh was able to bring down its vacancies from 62% in 2017 to 40% in 2020 with a marginal increase to 42% in 2022. In Madhya Pradesh, vacancies jumped from 8% in 2017 to 48% in 2020 to 21% in 2022.

6 Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Mizoram, Uttar Pradesh, Kerala, Bihar, Telangana, Manipur, Sikkim, Meghalaya, Lakshadweep, Jharkhand, Haryana, Andhra Pradesh, A&N Islands.

7 As of January 2022, sub-inspector vacancies were at 38 per cent, while ASIs and SIs vacancies were at 28 per cent each.

8 Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh, Lakshadweep, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh, Puducherry, Jharkhand, Odisha, Assam, Mizoram, Chhattisgarh, Andaman & Nicobar Islands, Maharashtra, Haryana, West Bengal, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Jammu & Kashmir.

9 Uttar Pradesh, West Bengal, Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu, Jammu & Kashmir, Gujarat, Telangana, Haryana, Odisha, Andhra Pradesh, Bihar, Goa, Delhi, Tripura, Chhattisgarh, Sikkim, Meghalaya, Himachal Pradesh, Kerala, Assam, Punjab, Andaman & Nicobar Islands, Nagaland, Mizoram, Uttarakhand, Manipur, Jharkhand.

10 Madhya Pradesh, Maharashtra, Chandigarh, Ladakh, Puducherry.

11 Sanctioned strength of officers in Maharashtra decreased from 39,985 to 37,647 and in Chandigarh from 707 to 609.

12 Tripura, Maharashtra, Arunachal Pradesh, Bihar, Rajasthan, Meghalaya, Punjab, Mizoram, Manipur, Assam, Sikkim, Himachal Pradesh, Goa, Chandigarh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Odisha.

13 Bureau of Police Research & Development, Data on Police Organisation, 2022.

Available at: <https://bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/202301110504030641146DataonPoliceOrganizations.pdf>

14 Commonwealth Human Rights Initiative, Summary of Recommendations made by the Padmanabhaiah Committee on Police Reforms. Available at: https://www.humanrightsinitiative.org/programs/aj/police/india/initiatives/summary_padmanabhaiah.pdf

15 Telangana, Sikkim, Madhya Pradesh, Karnataka, Kerala, Rajasthan, Andaman & Nicobar Islands.

16 Manipur, Lakshadweep, Assam, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Jharkhand, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Tripura, Chhattisgarh, Puducherry, Uttarakhand, Haryana, Chandigarh, West Bengal, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Punjab, Gujarat, Odisha, Delhi, Goa, Nagaland, Maharashtra.

17 Maharashtra, Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry, Mizoram, West Bengal, Chhattisgarh, Goa, Nagaland, Kerala, Tripura, Odisha, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh, Punjab, Sikkim, Assam, Himachal Pradesh, Meghalaya, Telangana, Andhra Pradesh.

'Mahila Police' in Andhra Pradesh

When enumerating the number of police personnel, the Data on Police Organisation 2022-the Bureau of Police Research and Development tabulates categories of personnel by rank. In addition, there is an undefined column titled "Others if any". Together these make up the total police in a state. "Others if any" usually indicates the category of people employed in roles that aid police work in ancillary capacities. This can range from short-term typists and machine operators to messenger boys, informers, sweepers and other temporary or contractual ministerial and menial staff.

As of January 2022, the total sanctioned strength of the 'Others' category is around 1.3 lakh, while the actual strength is 1.1 lakh. The strength of this category ranges from none in Odisha, Telangana, Gujarat and Rajasthan to 29,179 in Andhra Pradesh and 17,295 in Uttar Pradesh. Nationally, the actual numbers amount to 5% of the total (20.9 lakh).

For Andhra Pradesh, there are 547 women officers, 3172 constables and the 'Others if any' category adds 15,580 women inducted as 'Mahila Police'.¹⁸ This has contributed significantly to the share of women in total police, increasing it to 21.8% in January 2022 from 5.8 per cent in January 2020. Yet whether the 'Mahila Police' contingent can be considered police personnel or are village-level workers at the mandal level remains uncertain and contested.

A government order dated 10.10.2019 created a class of personnel known as Grama Mahila Samrakshana Karyadarsi /Ward Mahila Samrakshana Karyadarsi with functions that included assisting SHOs with investigation of cases and protecting the scene of offence before the IOs arrival and the like. Later, an amendment notification G.O.Ms.No 59 dated 23.06.2021 substituted Grama Mahila Samrakshana Karyadarsi

/Ward Mahila Samrakshana Karyadarsi with 'Mahila Police.' This order provided for their training as 'in vogue', uniforms similar to those of women constables and similar authorities and power under different acts that have been given to constables. Head constables' posts and promotional avenues were also provided for.

A public interest litigation (PIL) challenged the constitutionality of this government order. Challenges to the description of 15,000 women being police personnel range from the way in which they were inducted (without adherence to the strict rules that govern entry into the force), to concerns about the freewheeling interventions which their functions, name as 'police' and presence in uniform imply.

Faced with questioning from the Andhra Pradesh High Court, in December 2021 the government of Andhra Pradesh withdrew the offending order and instead revised it with the Andhra Pradesh Mahila Police (Subordinate Service Rules, 2021) dated 12.01.2022. This time re-confirming the position that these were going to be a separate vertical within the police department. The name of the now auxiliary personnel was changed to Mahila Police. The GO detailed their distinct uniform and insignia; defined their powers and functions; laid down the appointing body and procedures; and outlined periods of training, probation, specifies ranks, avenues for promotion and supervision hierarchies.

The PIL had not, at the time of writing, come to any conclusion about whether the Mahila Police are or are not to be considered police personnel. However, the Andhra scheme and the growing numbers of 'Others' enumerated in other states indicates a growing national trend of augmenting policing functions through extraneous recruiting, which does not meet police recruitment discipline and accountability standards, yet seems to function under the mantle of 'policing' set out in the Police Act.

¹⁸ 'Govt notifies rules for AP Mahila police wing', The Hindu, 13 January 2022. Available at: <https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/govt-notifies-rules-for-ap-mahila-police-wing/article38261660.ece>

Population/civil police: As of January 2022, there was one police person available (with civil and district armed police taken together) to serve 831 people nationwide. This is a slight improvement from 858 in January 2020. In 11 states and UTs,¹⁹ including Andhra Pradesh and Uttar Pradesh, the police-to-population ratio decreased (see box on 'Other' to understand this reduction). Punjab with one for every 500 people has the best ratio while Bihar's ratio—worsening by 146—brought the ratio to one police personnel for every 1,695 people.

Diversity²⁵

SC officers, actual to reserved ratio
(%, Jan 2022)

SC constables, actual to reserved ratio
(%, Jan 2022)

ST officers, actual to reserved ratio
(%, Jan 2022)

ST constables, actual to reserved ratio
(%, Jan 2022)

OBC officers, actual to reserved ratio
(%, Jan 2022)

OBC constables, actual to reserved ratio
(%, Jan 2022)

Share of women in police (%, Jan 2022)

Share of women in officers (%, Jan 2022)

Women in total police (pp, CY'17-'21)

Women officers in total officers (pp, CY'17-'21)

Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservations²⁶: Constitutional equality mandates all states to reserve caste quotas. The aspiration behind the standard is to repair the gulf in representation of consistently underrepresented groups in all spheres—with governments leading the way. As of January 2022, Scheduled Castes make up 15.99 per cent²⁷ of the total working police strength (against 16 per cent share in population), Scheduled Tribes 11.77 per cent, Other Backward Classes 30.79 per cent

Sanctioned strength

The vexed question of vacancies dogs the justice system. A reduction in sanctioned strength can appear to reduce vacancy levels. Illustratively, over two years²⁰ Kerala reduced the sanctioned strength of civil police by 239 personnel. Consequently, vacancies appear to have reduced (from 10% to 8.8%) but 'workload' (population-to-police ratio) has increased (from 773 persons to 776 persons).

Administrations periodically revise the sanctioned strength, however the 'ideal' remains uncertain. The suggested international standard is 222 per lakh population.²¹ Official and civil society studies at the state and city level have attempted to set down criteria for determining optimum human resource requirements that suggest increases ranging from 457% to 621% over present strength.²² A 2014 Bureau of Police Research & Development study based on three shift policing calculated that 61% more personnel were required.²³ From 1982 Kerala has set a norm of 1SI:1 ASI: 5HC: 25 PC as the minimum strength of a police station, but an increase in police stations coupled with financial constraints pose a challenge to maintaining this norm make keeping to the norm a challenge. India—the second most populous nation in the world—has 152.8 police persons per lakh population.²⁴

and women 11.75 per cent. Data on representation of various religious groups remains unavailable since 2014. Following the Supreme Court's directions,²⁸ police departments have started recruiting transgender persons, but detailed state-wise data is not yet publicly available.

19 Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Karnataka, Haryana, Gujarat, Sikkim, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Chhattisgarh.

20 From January 2020 to January 2022.

21 PRS legislative research, Police Reforms in India. Available at: <https://prsindia.org/policy/analytical-reports/police-reforms-india>

22 Janaagraha centre for citizenship and democracy, Manpower Requirement Study, Bangalore City Police, 2014. Available at: <https://www.janaagraha.org/files/publications/Manpower-Requirements-Study-March-2014.pdf>

23 Bureau of Police Research & Development, Data on Police Organisation, National Requirement of Manpower for 8-hour Shifts in Police Stations; August 2014.

24 Police-per-lakh-of-population ratio (PPR) against the total actual police strength (Civil + DAR + Special Armed + IRB), Data on police organisation, 2022, p. 76.

25 Diversity covers Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and women.

26 The BPR&D data on reservations calculates data for six ranks: ASP/Dy. SP/Asst. Commandant, Inspector/Reserve Inspector, S.I./Reserve Sub-Inspector (RSI), ASI/ARSI, Head Constable, Constable.

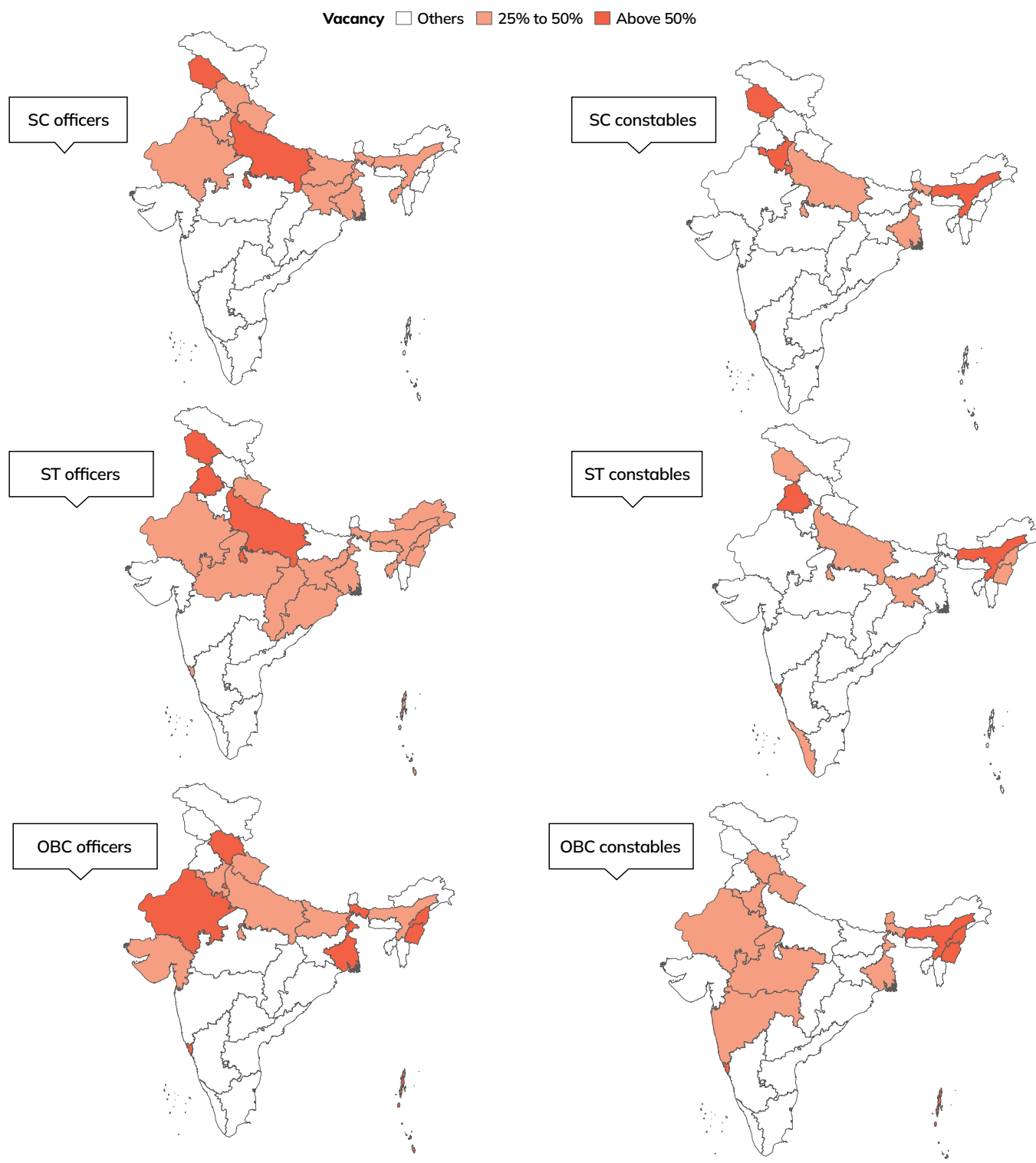
27 Office of the Registrar General and Census Commissioner of India, Ministry of Home Affairs, Census of India, 2011. Available at: <https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables>

28 NALSA v. Union of India, 2014, [T]he Supreme Court granted legal recognition to transgender and other gender non-conforming persons in. It directed union and state governments to allow transgender persons to access reservations in public education and employment. Available at: https://scobserver-production.s3.amazonaws.com/uploads/case_document/document_upload/1286/NALSA_v_UoI_WPC_400_2012.pdf

Karnataka remains the only state to consistently meet its quota for SC, ST and OBC, both among officers and the constabulary. All other states/UTs continue to fall

short of their targets in at least one or the other reserved category despite decades of reservations.

Figure 13: SC, ST, OBC vacancies in police



Notes: 1. Combined SC/ST/OBC reservation figures for Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu not available. 2. SC reservation data not available for Andaman & Nicobar Islands. 3. No specific reservation approved for SCs in Meghalaya. 4. BPR&D shows 0% SC reservation for Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Mizoram and Nagaland. 5. BPR&D shows 0 SC officer figures for Ladakh. 6. BPR&D shows 0% ST reservation for Mizoram, Chandigarh and Haryana. 7. BPR&D shows 0% OBC reservation for Arunachal Pradesh, Ladakh, Lakshadweep, Mizoram and Tripura. 8. OBC reservation data not available for Jammu & Kashmir. 9. No specific reservation approved for OBCs in Meghalaya.

Source: Data on Police Organizations, 2020, Bureau of Police Research and Development (BPR&D)

Gujarat and Manipur stand out for meeting their SC quotas at both the officer and constabulary levels whereas Bihar, Telangana and Himachal Pradesh for fulfilling their ST quotas. States fare relatively better when it comes to OBCs. At least 9 states (Karnataka, Chhattisgarh, Telangana, Andhra Pradesh, Punjab, Odisha, Jharkhand, Tamil Nadu and Kerala) met their OBC quotas.

In some states, the percentage share of reserved groups varies greatly between the officer and constabulary levels. In Uttarakhand, against the SC reservation of 19 per cent, at the constabulary level 98 per cent of posts reserved for SCs have been filled, while for officers it is just 54 per cent. In Uttarakhand, against the quota of 4 per cent for STs, 132 per cent of the constabulary posts were filled but only 55 per cent of officers. Conversely, Goa has a much higher SC share at the officer level (110 per cent) than in the constabulary (43 per cent).

Assam and Jammu & Kashmir fare the worst in meeting reservation targets.

Gender: Most states have their own specific quotas for how many women there should be in the police force. While 6 UTs³⁵ and 9 states³⁶ have a target of 33 per cent, elsewhere, targets range from Bihar's 35 per cent³⁷ to 10 per cent in Arunachal Pradesh, Meghalaya and Tripura. Five states/UTs,³⁸ including Kerala and Mizoram, have no reservations. Himachal Pradesh has recently notified 25 per cent vacancies reserved for women at the constabulary level.

As of January 2022, no state or Union Territory had reached their set target. Andhra Pradesh, with 21.8 per cent, has the highest share of women. This is mainly because it recently created a 15,000 women-strong auxiliary force called 'Mahila Police'. The actual number of

More states are able to meet quotas within the constabulary rather than at the officer level. While 6 states/UTs²⁹ met their SC constable quota, only 5 met the SC officers' quota.³⁰ Twelve states³¹ met the ST constable quota, while only 7 met their officer quota.³² OBC quotas were filled by 10 states/UTs³³ at the officer level and 13 at the constabulary level.³⁴

Enough women for women?

"The Ministry of Home Affairs has issued advisories dated 22.04.2013, 21.05.2014, 12.05.2015, 21.06.2019, 22.06.2021 and 13.04.2022 to all the state governments to increase the representation of women police to 33% of the total strength. All the state governments have been requested to create additional posts of women Constables/Sub-Inspectors by converting the vacant posts of Constables/Sub-Inspectors. The aim is that each police station should have at least 3 women Sub-Inspectors and 10 women police Constables, so that a women help desk is manned round the clock."³⁹

In January 2022, there were 17,535 police stations in the country and 13,146 women SIs. Fulfilling targets would require another 39,459 women SIs. Currently, only Delhi, with 225 police stations and 1,086 women SIs, and Mizoram, with 44 police stations and 119 SIs, have the capacity to meet the requirement.⁴⁰ As of January 2022 the country had 180,685 female constables on record. If these are evenly deployed in all states/UTs, 18 would have enough women constables⁴¹ to meet the advisory benchmark.

29 Sikkim, Karnataka, Manipur, Gujarat, Punjab, Tamil Nadu.

30 Gujarat, Manipur, Karnataka, Goa, Madhya Pradesh.

31 Bihar, Lakshadweep, Karnataka, Ladakh, Telangana, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Rajasthan, Chhattisgarh, Arunachal Pradesh.

32 Ladakh, Karnataka, Telangana, Bihar, Himachal Pradesh, Delhi, Lakshadweep.

33 Punjab, Karnataka, Telangana, Puducherry, Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Kerala.

34 Odisha, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Punjab, Karnataka, Puducherry, Jharkhand, Uttar Pradesh, Telangana, Bihar, Kerala, Tamil Nadu, Gujarat.

35 A&N Islands, Lakshadweep, DNH & DD, Puducherry, Delhi, Chandigarh.

36 Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Nagaland, Sikkim, Punjab.

37 According to the Bihar government rule there is 35 per cent reservation for women and 3 per cent reservation for Backward Caste women.

38 Jammu & Kashmir, Kerala, Mizoram, Goa, Ladakh.

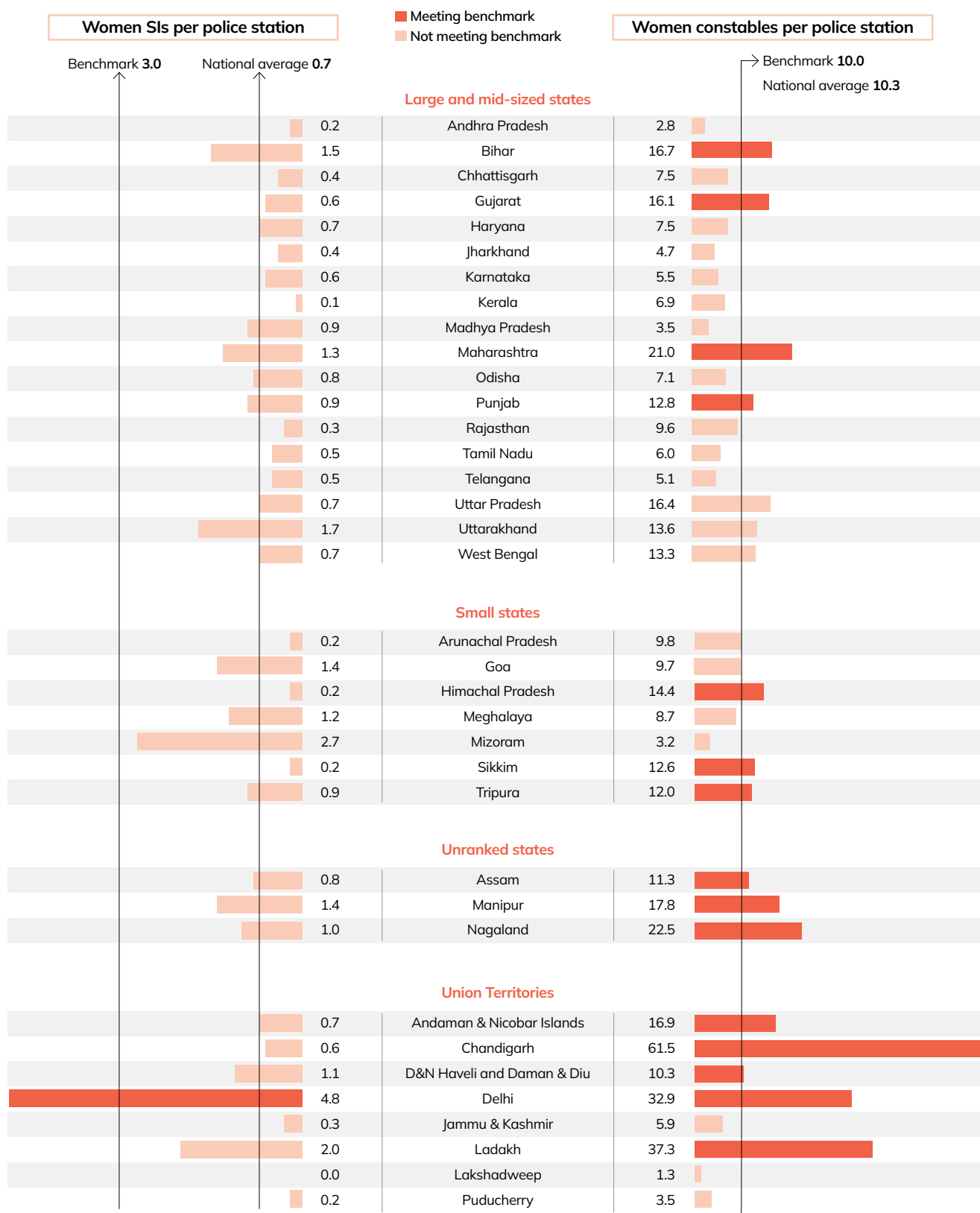
39 Rajya Sabha Unstarred Question No. 701 dated 8 February 2023. Available at: <https://pgars.nic.in/annex/259/AU701.pdf>

40 Presuming that all women who are in the force are stationed at police stations only, which is often not the case.

41 Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar, Delhi, Gujarat, West Bengal, Punjab, Nagaland, Chandigarh, Himachal Pradesh, Manipur, Uttarakhand, Assam, Ladakh, Tripura, Andaman & Nicobar Islands, Sikkim, DNH & DD.

Figure 14: Policewomen: Numbers growing but still too few

Multiple MHA advisories have recommended that there be women Sub-Inspectors (SI) and 10 women constables in each police station. Except Delhi, no state/UT meets this benchmark for SIs.



Note: States/Union Territories arranged in alphabetical order within category.

Source: Data on Police Organizations, 2022, Bureau of Police Research and Development (BPR&D)

women constables in the state is 3,172 (See box 'Other if any'). But AP is still unable to meet its reservation target of 33 per cent. Bihar (21.2 per cent) and Tamil Nadu (19.1 per cent), too, have a relatively high share of women but don't meet their stated targets of 35 per cent and 30 per cent respectively. Jharkhand has a 33 per cent quota, but, with 6.2 per cent, has the lowest share of women, closely followed by Chhattisgarh (7.1 per cent) and Madhya Pradesh (7.4 per cent). Women remain clustered in the lower rungs of police hierarchy. Women officers make up only 8 per cent of that cadre: Mizoram with 21.4 per cent, closely followed by Uttarakhand with 18.1 per cent, bring up the national average. Jammu and Kashmir have the least share with 1.4 per cent. Lakshadweep, which has 16 police officers, does not have any women officers in its police force.

Budget

Spend on police per person (₹, 2020-21)

Modernisation fund used
(%, 2020-21) (Revised)

Spend on training per personnel
(₹, 2020-21) (Revised)

Share of training budget in total police
budget (per cent, 2020-21) (Revised) **NEW**

Training budget utilisation
(%, ₹, 2020-21) (Revised) **NEW**

Difference in spend: Police vs State
(pp, FY '17-21)

Effective governance and optimal functioning capabilities rely to a large degree on adequate financial resources and planning. Both these factors have a significant impact on how change progresses. Between 2016-17 and 2020-21, the national expenditure on police increased by 35 per cent. For most states growth in police expenditure tends to outpace the growth in state expenditure. Between 2016-17 and 2020-21, for 20 states/UTs⁴² increase in police expenditure outpaced the overall increase in total state expenditure. Illustratively, the total state expenditure of Uttar Pradesh increased by

5.16 percentage points but expenditure on police went up by 11.16 percentage points. Delhi police, which is administered by the Ministry of Home Affairs, increased its budget by 37 per cent. The largest five-year budget expenditure increase on policing was seen in Jharkhand (with 70 per cent) and West Bengal with (67 per cent).

Spend on police per person: In 2020-21 all states/UTs⁴³ except Kerala registered an increase in spend per police person. The national average stood at Rs. 1,151—an increase from Rs. 911.5 last year. Eleven⁴⁴ of the 18 large and mid-sized states spend less than the national average. Interestingly, of the 10 states/UTs⁴⁵ that have the highest per capita spend, 5 are UTs, 2 are AFSPA-states and the remaining 3 are small states. The average spend per police person also varies dramatically; among the large and mid-sized states, while Punjab spends Rs. 2,055 per person, Bihar spends just Rs. 641. A small state like Sikkim (Rs. 6,559) spends significantly more on police than its populous neighbour West Bengal, which spends only Rs. 909.

Modernisation fund used: Since 1969–1970, states have been eligible for conditional financial aid from the central government to meet capital expenditures, mainly for the acquisition of cutting-edge weaponry and communication/forensic equipment, training aids, cyber policing, etc. States also make their own financial contributions. Ratios range from 90:10 (for North eastern states, Sikkim, J&K) to 60:40 for other geographies.⁴⁶

Between 2016-17 and 2020-21, the total central fund allocation to states reduced by 46 per cent from Rs. 2,066.27 crore to Rs. 1,123.05 crore, and utilisation decreased from 75 per cent⁴⁷ to 47 per cent.⁴⁸

Utilisation remains a challenge. As of 2020-2021, of 22 states/UTs for which data was available, only Gujarat, Arunachal Pradesh and Puducherry reported utilising their entire modernisation grant. Eight states/UTs⁴⁹ utilised less than 50 per cent. Amongst the states using the least were Manipur (1.5 per cent), Assam (11.5 per cent) and Uttar Pradesh (24.5 per cent).

42 Uttar Pradesh, Delhi, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Jharkhand, Tripura, Goa, Puducherry, Haryana, Chhattisgarh, Lakshadweep, Rajasthan, Gujarat, Himachal Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Chandigarh, Andhra Pradesh, Maharashtra.

43 DNH & DD, Jammu & Kashmir and Ladakh not compared.

44 Bihar, Gujarat, Odisha, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh.

45 Lakshadweep, Andaman & Nicobar Islands, Nagaland, Sikkim, Arunachal Pradesh, Ladakh, Manipur, Jammu & Kashmir, Mizoram, Chandigarh.

46 Ministry of Home Affairs, Modernisation of State Police Forces. Available at: https://www.mha.gov.in/division_of_mha/Police%20Modernisation%20Division/modernisation-of-state-police-forces-mpf-scheme

47 Bureau of Police Research and Development, Data on Police Organisation, 2017.

48 Bureau of Police Research and Development, Data on Police Organisation, 2022.

49 Telangana, West Bengal, Mizoram, Punjab, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Assam, Manipur

Training Budgets and Utilisation: Taken cumulatively, across the country, only 1.3 per cent (2020-21)⁵⁰ of the total police budgets (Rs. 1.78 lakh crore) was allocated to training. Of the training budget of Rs. 2,253.09 crore, only 84 per cent was utilised, bringing the actual spend to 1.1 per cent or in other words, just over Rs. 9,000 per police person per year.

Nineteen states/UTs⁵¹ spent less than the national average. Since 2016-17⁵² allocations for training have increased but haven't reached 2 per cent. States that have steadily increased their allocation on training include Uttar Pradesh—where it grew from Rs. 144.9 crore (2016-17) to Rs. 283.46 crore (2020-21)—a jump of 96 per cent, making this the largest increase over a period of four years. In the same period Tamil Nadu, Tripura and West Bengal have in fact decreased their budgets by 9.8 per cent, 35 per cent and 52.9 per cent respectively⁵³.

Fourteen states and UTs,⁵⁴ allocated less than 1 per cent of their overall police budget for training, of which only Gujarat was able to use the full amount. Arunachal Pradesh, with the highest allocation of 5.4 per cent, utilised 96 per cent of its training budget. West Bengal and Himachal Pradesh had the least training budget with 0.04 and 0.05 per cent respectively.

Infrastructure

Population per Police Station: Police station locations are dictated by population, crime profile, topography, and many other considerations including finance and human resource availability. Between 2012 and 2022, the number of police stations increased by 23 per cent. Nationwide, 17,535 police stations serve a population of 1.37 billion and an area of 3,287,469 sq km. This averages roughly to one police station for 78,344 people and coverage of 187 sq km.

Overall, even though 60 per cent of India's population continues to live in rural areas, area-wise policing machinery is far more concentrated in urban areas. On

Population per police station
(rural) (Jan 2022)

Population per police station (urban)
(Jan 2022)

Area per police station (rural)
(sq km, Jan 2022)

Area per police station (urban)
(sq km, Jan 2022)

Police personnel per training institute
(number, Jan 2022)

Services provided by states' citizen portal
(%, 2022)

Share of police stations with CCTVs
(%, Jan 2022) **NEW**

Share of police stations with Women help
desks (%, Jan 2022) **NEW**

average, a rural police station covers an area of 337.4 sq km—this translates as 16.7 times the area covered by the urban ones (20.2 sq km).

In all thirty states/UTs⁵⁵ for which data is available police stations in rural areas serve larger areas than urban. For example, rural police stations of Himachal Pradesh cover areas 118 times more than urban police stations. In Madhya Pradesh and Rajasthan it is 41 and 36 times respectively. Kerala and Puducherry are the only geographies where the difference is marginal.⁵⁶ Among the large and mid-sized states, Rajasthan serves the largest area per rural police station (684 sq km per PS) and Kerala the largest per urban police station (74 sq km per PS).

On average, rural police stations also serve slightly larger—and perhaps more scattered—populations (97,362) than urban ones (94,683). However, because of the concentrated nature of populations in cities and towns, in 19 states/UTs⁵⁷ urban police stations serve greater populations than their rural counterparts: Kerala's urban police stations serve ten times the population of a

50 Data on Police Organizations, 2022, Bureau of Police Research and Development (BPR&D)

51 Karnataka, Maharashtra, Odisha, Haryana, Sikkim, Tripura, Jharkhand, Andhra Pradesh, Gujarat, Nagaland, Uttarakhand, Chhattisgarh, Assam, Uttar Pradesh, Meghalaya, Goa, Chandigarh, Himachal Pradesh, West Bengal.

52 BPR&D started providing data on the police training budget from the DoPO 2018 report.

53 Tamil Nadu from Rs. 174.76 crore to 157.72 crore, Tripura from Rs. 23.08 crore to 15 crore and West Bengal from Rs. 10.15 crore to 4.78 crore

54 Kerala, West Bengal, Himachal Pradesh, Goa, Chandigarh, Meghalaya, Uttarakhand, Haryana, Assam, Tripura, Jharkhand, Maharashtra, Sikkim, Gujarat.

55 Data not available for Arunachal Pradesh, Delhi, Chandigarh, Ladakh, Jammu & Kashmir, Lakshadweep.

56 Kerala's urban and rural police stations serve almost similar areas, (74 sq km) in urban and (82 sq km) in rural. Similarly, Puducherry's urban police station also serves an area marginally smaller (11 sq km) than rural ones (21 sq km).

57 Telangana, Jammu & Kashmir, Punjab, Sikkim, Jharkhand, Manipur, Mizoram, Nagaland, Karnataka, Chhattisgarh, Andaman & Nicobar Islands, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Puducherry, DNH & DD, Goa, Maharashtra, Gujarat, Kerala.

Figure 15: India: Police training budget (2020-21)

The total spend on training amounts to Rs 2,253 crore for a force of nearly 21 lakh. This means that the national annual average spend per police personnel is a meagre Rs 9,000.

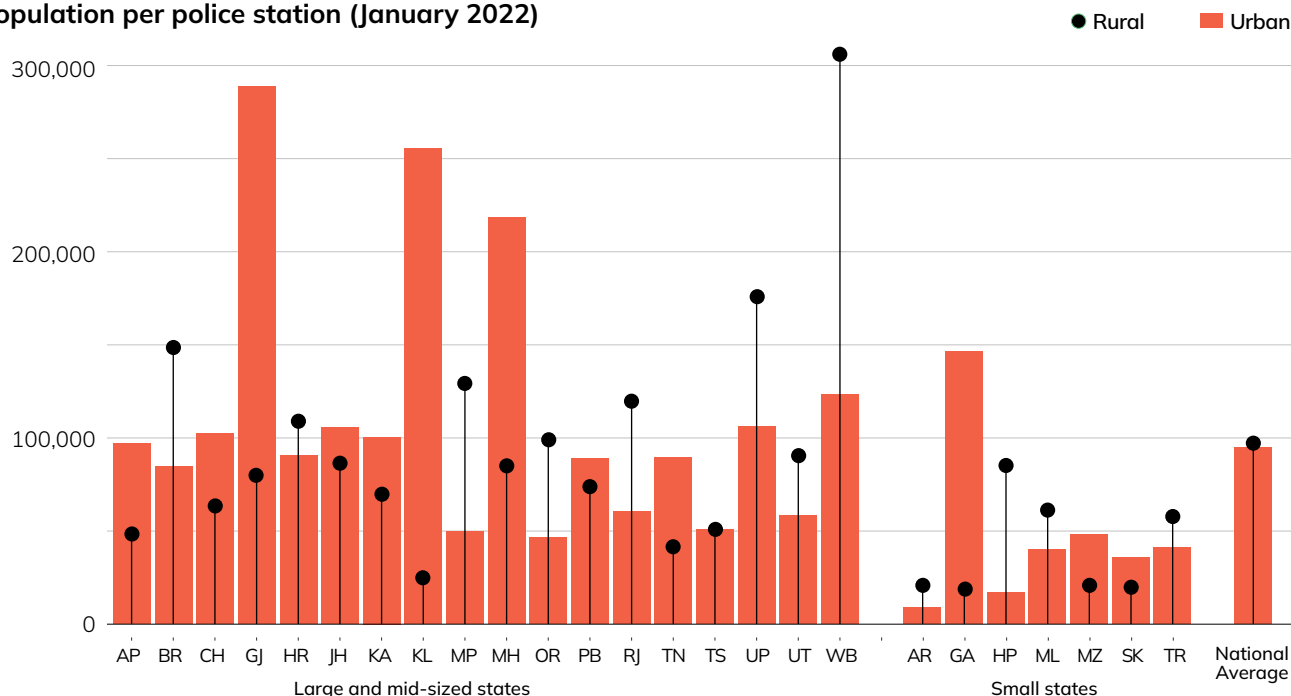
	Police budget (Rs crore)	Police training budget (Rs crore)	Total police (actual strength)	Share of training budget in total police budget (%)	Training budget utilisation (%)	Spend on training per personnel (Rs)
Large and mid-sized states						
Andhra Pradesh	5,490.62	57.21	88,689	1.04	99.5	6,417
Bihar	9,991.23	142.17	93,313	1.42	71.8	10,944
Chhattisgarh	4,897.61	62.46	64,573	1.28	53.5	5,179
Gujarat	5,379.80	52.53	89,846	0.98	100.0	5,847
Haryana	5,043.11	43.12	59,078	0.86	95.8	6,991
Jharkhand	5,003.19	46.00	63,077	0.92	89.2	6,506
Karnataka	6,934.31	85.05	95,516	1.23	90.2	8,031
Kerala	3,780.53	0.00	53,216	NA ²	NA ²	NA ²
Madhya Pradesh	7,451.94	184.18	103,642	2.47	87.9	15,629
Maharashtra	16,996.90	159.86	170,570	0.94	84.2	7,887
Odisha	4,130.66	49.46	56,227	1.20	85.7	7,541
Punjab	6,387.42	78.68	72,210	1.23	87.0	9,479
Rajasthan	6,621.30	126.95	96,058	1.92	100.0	13,216
Tamil Nadu	8,434.30	157.72	118,057	1.87	86.0	11,493
Telangana	7,260.52	193.48	62,731	2.66	91.2	28,126
Uttar Pradesh	27,285.74	283.46	310,955	1.04	55.6	5,070
Uttarakhand	2,038.13	16.78	20,359	0.82	63.9	5,270
West Bengal	11,403.54	4.78	96,104	0.04	61.3	305
Small states						
Arunachal Pradesh	1,021.73	55.10	12,100	5.39	96.4	43,901
Goa	653.17	2.27	7,903	0.35	94.3	2,708
Himachal Pradesh	1,414.74	0.65	17,133	0.05	89.2	339
Meghalaya	1,067.79	6.52	13,881	0.61	96.8	4,546
Mizoram	708.60	18.25	7,567	2.58	89.5	21,594
Sikkim	495.37	4.75	5,868	0.96	85.1	6,885
Tripura	1,634.27	15.00	21,990	0.92	99.5	6,785
Unranked states						
Assam	5,004.71	44.83	61,868	0.90	71.3	5,167
Manipur	2,119.49	34.54	28,631	1.63	79.6	9,608
Nagaland	1,457.71	14.86	26,201	1.02	100.0	5,672
Union Territories						
A&N Islands	398.90	3.99	4,331	1.00	100.0	9,213
Chandigarh	499.10	2.00	5,903	0.40	23.5	796
D&NH/D&D	69.08	-	1,179	NA ¹	NA ¹	NA ¹
Delhi	8,273.48	190.76	79,489	2.31	100.0	23,989
Jammu & Kashmir	8,419.26	117.67	79,464	1.40	88.9	13,171
Ladakh	279.58	-	2,452	NA ¹	NA ¹	NA ¹
Lakshadweep	32.00	-	262	NA ¹	NA ¹	NA ¹
Puducherry	258.65	-	3,390	NA ¹	NA ¹	NA ¹
All India	178,338.47	2,253.09	2,093,833	1.26	84.0	9,043

General notes: Budgets data for 2020-21, personnel figures for January 2022. For each of the metrics shown in the last three columns, different scales have been used.
 State notes: 1. BPR&D shows police training budget as blank. 2. BPR&D shows zero police training budget.
 Source: Data on Police Organizations, 2022, Bureau of Police Research and Development (BPR&D)

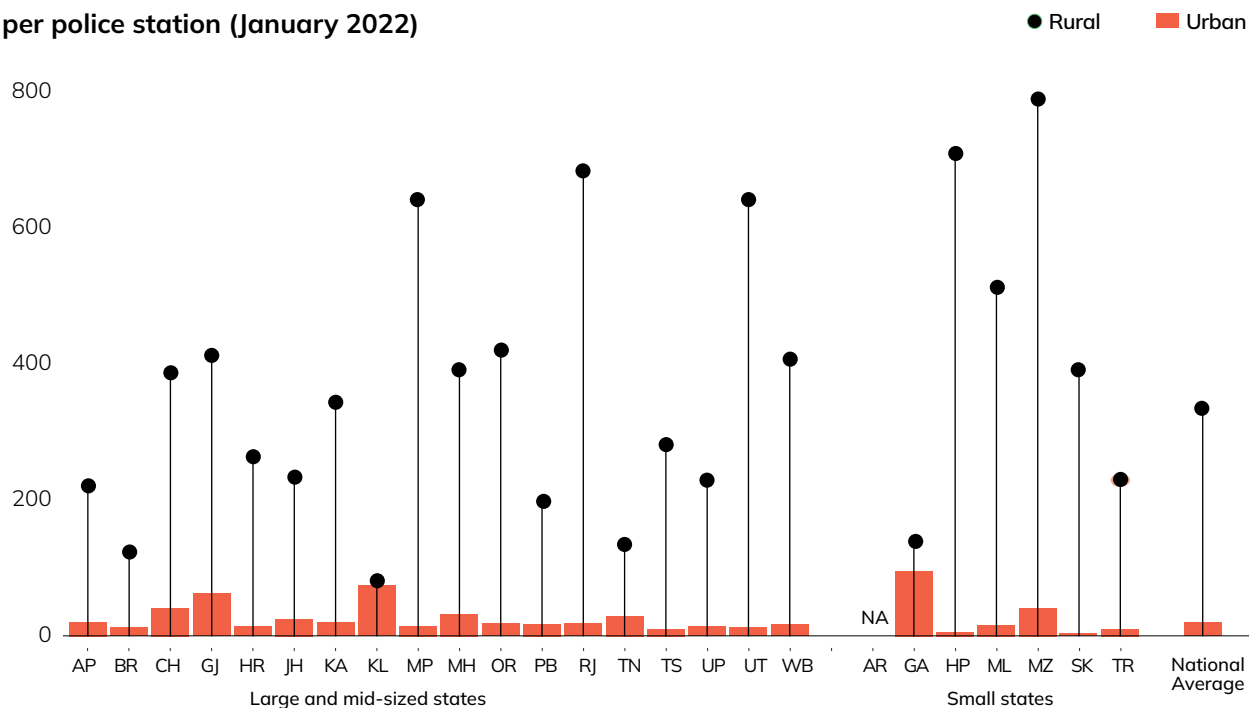
Figure 16: Police presence: Rural-urban divide

60% of India's population continues to live in rural areas. Policing machinery is far more concentrated in urban areas. The graph below shows population and areas covered by police stations in both settings.

Population per police station (January 2022)



Area per police station (January 2022)



Note: Census 2011 does not give rural/urban area break-up for Arunachal Pradesh.

Source: Data on Police Organizations, 2022, Bureau of Police Research and Development (BPR&D); Census 2011; National Commission on Population, 2019

rural one, Gujarat's four times. In Telangana, both rural and urban stations serve almost the same numbers. Among the large and mid-sized states, the largest population per rural police station is in West Bengal (321,677), while the largest for urban police stations is Gujarat (288,788).

Only 6 states/UTs—Goa (140), Tamil Nadu (137), Bihar (125), Kerala (82), Puducherry (21) and Lakshadweep (1)—meet the National Police Commission's 1981 recommended area coverage of 150 sq km for a rural police station.

Police personnel per training institutes⁵⁸: The world over organisational wisdom stresses that beyond induction or basic training a significant portion of institutional time should be spent on training and manpower development. BPRD suggests "for police the requirement would definitely be more than 5 per cent of the service period however for the moment let us benchmark it at 5 per cent only.⁵⁹"

This translates to having institutional capacities on hand for preparing personnel for new promotional responsibilities; refreshers on institutional norms, adherence to constitutional imperatives, mandated procedures and custodial supervision; courses for specialisation, keeping abreast of changes in law, new types of crime and technology; building psychological acuity and community trust; dealing with vulnerable groups and emergent situations; and upskilling in the many more aspects that day-to-day policing in a democracy demands of the institution.

The general state of training schools and academies is that they have meagre resources and an overload of work. As of January 2022, the average workload⁶⁰ per training institute stood at 12,744 persons. For 26.88 lakh sanctioned police personnel, India has a total of 211

training institutes, an increase of 8 from January 2020. Kerala increased from 2 to 3, Haryana 3 to 4, Tamil Nadu from 23 to 24, and West Bengal from 10 to 16. Uttar Pradesh's training workload for 11 training institutes averaged 38,382 per institution, which is around thrice the national average. Manipur's lone training institute continues to deal with a workload of around 35,000 police personnel. Tamil Nadu's 24 institutes train an average of 5,480 personnel each.

Share of police stations with CCTV cameras: In 2020, the Supreme Court in *Paramvir Singh Saini v Baljit Singh* (2020)⁶¹ passed a series of directions regarding the installation of CCTV cameras inside all police stations. As of January 2022, nationally, of the 17,535 police stations only 73.5 per cent (12,893) had installed at least one CCTV camera.⁶²

Eight states/UTs⁶³ including West Bengal, Telangana and Karnataka had at least one CCTV in all police stations. But it is unclear how many or whether they are located at the specific locations the apex court required they be installed.

Four states/UTs (Rajasthan, Manipur, Puducherry, Lakshadweep) reported that less than 1 per cent of their police stations have CCTVs. Rajasthan had managed only one in an urban police station; Manipur, Puducherry and Lakshadweep reported none.

Nine states/UTs⁶⁴ do not have CCTVs in half of their rural police stations. Only 7 states/UTs⁶⁵ have installed CCTVs in all special purpose police stations.⁶⁶

Women help desks: Given the degree of violence against women coupled with the socio-economic and cultural barriers to access to justice, there has been an ongoing effort to improve response systems in the police. Periodic advisories from the Ministry of Home Affairs have provided guidance for setting up women's help desks in every police station.⁶⁷

58 Present BPRD data does not disaggregate training into induction, mid-career or promotion training, nor the time spent on each.

59 Bureau of Police Research and Development, Training Master Plan, 2009. Available at: <https://bprd.nic.in/WriteReadData/CMS/File1336.pdf>

60 The workload is calculated by dividing the total sanctioned strength of police to the number of training institutes.

61 *Paramvir Singh Saini v Baljit Singh* (2020) https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/13346/13346_2020_33_1501_24909_Judgement_02-Dec-2020.pdf

62 Data on Police Organizations, 2022, Bureau of Police Research and Development (BPR&D)

63 Karnataka, Telangana, Ladakh, DNH & DD, Andaman & Nicobar Islands, Assam, Goa, West Bengal

64 Rajasthan, Lakshadweep, Manipur, Puducherry, Jharkhand, Jammu & Kashmir, Nagaland, Meghalaya, Sikkim.

65 Telangana, West Bengal, Assam, Goa, Andaman & Nicobar Islands, Ladakh, DNH & DD.

66 Special purpose police stations are the ones set up to deal with special crimes like crime against SCs/STs/ weaker sections, crime against children, anti-corruption/vigilance, coastal security, crime investigation department, economic offences, cyber-crime, narcotics, drug trafficking, etc.

67 Ministry of Home Affairs, Women Safety Division, 19 August 2021. Available at https://www.mha.gov.in/sites/default/files/advisory_21052021_0_1.pdf

As of January 2022, 72 per cent of all police stations across the country reported having these special facilities. Arunachal Pradesh, Tripura and West Bengal have women help desks in all their police stations. Bihar has women help desks in 47 per cent of all police stations. Meghalaya has no women help desk.

Jharkhand, Tamil Nadu and Nagaland, too, have women help desks in less than 50 per cent of their police stations. Twenty-one states and UTs⁶⁸ report having set up women help desks inside all police stations in urban areas; in rural areas only 17 have.⁶⁹ Twenty-six per cent of special purpose police stations include an assistance desk for women.

In addition, many states have set up all female police stations. Illustratively, out of a total of 745 women police stations, Tamil Nadu with 202 has the maximum while Uttarakhand has just 2.

Services provided by states' citizen portals: State-level citizen portals are required to provide nine basic online services for easy accessibility (See box in next column). The compliance of each state citizen portal⁷⁰ was assessed by checking these nine services twice—from September 2022 to November 2022—to evaluate improvements in the working of the portals.

Eight states/UTs⁷¹ did worse than last year in terms of compliance, while 12 states/UTs⁷² increased the percentage of services provided. Five states⁷³ had defunct citizen service portals: in 2020 there were 9.⁷⁴ No state provided all the services, in contrast to the Pragati Dashboard status which indicates that 97% of the states do. Gujarat with 91 per cent and Madhya Pradesh with 90 per cent show the maximum compliance while Mizoram and Manipur provide no service.⁷⁵

Some states like Himachal Pradesh, Sikkim and Tripura display most of the services, yet are inaccessible owing to technical errors like problems with logins and sign up. The portal for Jharkhand could only be accessed after multiple login attempts.

Services provided by states' citizen portals

1. Filing of complaints to the concerned police station.
2. Obtaining the status of the complaints.
3. Obtaining the copies of FIRs.
4. Details of arrested persons/wanted criminals.
5. Details of missing/kidnapped persons and their matching with arrested.
6. Details of stolen/recovered vehicles, arms and other properties.
7. Submission of requests for issue/renewal of various NOCs.
8. Verification requests for servants, employment, passport, senior citizen registrations etc.
9. Portal for sharing information and enabling citizens to download required forms.

Global tourist hub Goa listed 133 languages, including their state language (Konkani) which wasn't there last year.

While some states like Meghalaya have improved their portals by adding more services this year, others like Kerala have removed some features. Most sites were available in English or Hindi, but not necessarily in the state language; Odisha's site, for instance, is in English and not in Odia. Kerala has added Malayalam. Rajasthan's website is the only one that does not provide an option for English.

68 Nagaland, Manipur, Chhattisgarh, Mizoram, Kerala, Puducherry, Goa, Maharashtra, Punjab, Sikkim, Andaman & Nicobar Islands, Uttarakhand, Rajasthan, Arunachal Pradesh, West Bengal, Ladakh, DNH & DD, Tripura, Himachal Pradesh, Chandigarh, Odisha.

69 Assam, Puducherry, Goa, Maharashtra, Punjab, Sikkim, Andaman & Nicobar Islands, Uttarakhand, Rajasthan, Arunachal Pradesh, West Bengal, Ladakh, DNH & DD, Tripura, Lakshadweep, Himachal Pradesh, Odisha.

70 Under the SMART Policing initiative of the Ministry of Home Affairs advises states to provide services to citizens online through the state citizen portal: <https://digitalpolice.gov.in/>

71 Assam, Andaman & Nicobar Islands, Delhi, Punjab, Bihar, Kerala, Himachal Pradesh.

72 Haryana, Chandigarh, Odisha, Goa, Telangana, Madhya Pradesh, Gujarat, Meghalaya, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Rajasthan, Lakshadweep.

73 Manipur, Mizoram, Sikkim, Tripura, West Bengal.

74 Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Manipur, Mizoram Rajasthan, Sikkim, Tripura, Uttarakhand, West Bengal

75 Website for both states not loading: <https://mnpccitizenportal.gov.in/> and <http://www.cctns.mizoram.gov.in/>

Cybercrime: Kerala Model

Over the past 2 years cybercrime across India has grown by 6%.⁷⁶ Crimes range from defrauding folks of money (60%) to identity theft, child pornography, malicious system's disruptions, terrorist communications, illegal surveillance, industrial espionage, social media, and emerging threats from the marketplaces of the darknet and cyberwarfare.

In 2016, the ever-changing threat of cybercrime⁷⁷ prompted the Research and Development Division of the Kerala Police to set up Cyberdome,⁷⁸ an integrated ecosystem to prevent, shield against and detect cybercrime; foster the capabilities and expertise of Kerala Police; as well as develop strategies to deal with the dynamic, challenging environment of technology; and train the police and public to recognise, report and respond to it.

Moving beyond traditional self-contained law enforcement methods, it actively provides forensic support to police investigations and coordinates with other state agencies to help recognise and eliminate cyber threats. It seeks out public-private partnerships and encourages contributions from

outside academic research groups, non-profits, individual experts, and ethical hackers to ensure that the Kerala Police are equipped and abreast with latest technologies to respond to crimes unheard of a decade ago. Quite uniquely, its Cyberdome Volunteer Framework Document⁷⁹ makes plain that contributions and collaborations—even with for-profit enterprises—must be on a strictly voluntary basis. Learnings and jointly developed innovations can later be put to commercial use. This has brought the police varied expertise and a 'proud' cohort of law enforcement helpers. In recognition of the border traversing nature of cybercrime the Cyberdome has linked up with many national and international cyber security and law enforcement.

Now 6 years old, the Cyberdome's worth has been demonstrated through several interventions, it was notably able to warn the government of an impending ransomware attack before it happened⁸⁰ and, on another occasion, exposed the chinks in the security vulnerability of the state's integrated Financial Management System which handles substantial amounts of public funds including tax remittances.

Devika Prasad, Independent Researcher;
Devyani Srivastava, Commonwealth Human Rights Initiative;
Radhika Jha, Common Cause;
Dr. Rehana Manzoor, India Justice Report;
Lakhwinder Kaur, India Justice Report

⁷⁶ National Crime Records Bureau, Crime in India, 2021.

⁷⁷ Kerala Police Cybercrime statistics.

⁷⁸ Order by the Government of Kerala, dated 22 August 2014. Available at: <https://keralapolice.gov.in/storage/pages/custom/ckFiles/file/Cp8ecECJSmtRBaCj0aQQ47NSOZK01yc4tvEiFG.pdf>

⁷⁹ Kerala Police, Cyberdome Volunteer Framework. Available at: https://www.cyberdome.kerala.gov.in/assets/policy/cyberdome_volunteer_framework.pdf

⁸⁰ 'Kerala Police Cyberdome alerts against WannaCry ransomware attack', Indian Express, 15 May 2017. Available at: <https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/kerala-cyberdome-alerts-against-ransomware-attack-4656902/>

Table 3: Indicator-wise data, state scores and ranks

[illegible]

Data sources: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D); Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; Union Budget documents; Digital Police Portal, Ministry of Home Affairs; National Commission on Population; Open Budgets India.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NHD&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iii. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. iv. pp: percentage points (the difference between two percentages). v. NA: Not available. vi. CY: Calendar year; FY: Financial year. vii. SC: Scheduled castes; ST: Scheduled tribes; OBC: Other backward classes. viii. Civil police includes district armed reserve police. viii. For reasons of readability, scores are shown up to 2 decimals. While they both show the same score, Andhra Pradesh is ranked above Odisha on the third decimal (6.218 vs 6.217) and Madhya Pradesh above Gujarat on the fourth decimal (5.8762 vs 5.8758).

1. Count of indicators on which a state has improved over IJR 2. Only non-trend indicators present in both IJR 2 and IJR 3 have been considered. For indicators with benchmarks, if a state met the benchmark, it was marked as an improvement even if its value declined within the benchmark. If a state didn't meet the benchmark but its value improved, it was marked as an improvement. D&NH/D&D, J&K and Ladakh values are not comparable with IJR 2, and so have not been considered. 2. BPR&D shows police training budget as blank. 3. BPR&D shows zero police training budget.

Table 3: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Indicator	Budgets			Human Resources		
		NEW					
		Training budget utilization (%; 2020-21)	Spend on training per personnel (Rs; 2020-21)	Modernisation fund used (%; 2020-21)	Constables, vacancy (%; Jan 2022)	Officers, vacancy (%; Jan 2022)	Officers in civil police (%; Jan 2022)
Scoring guide		Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better	Lower, the better	Lower, the better	Higher, the better
National average		84.0	9,043	47	21.6	28.6	16.6
Large and mid-sized states							
Andhra Pradesh		99.5	6,417	NA ⁴	20.0	9.8	11.1
Bihar		71.8	10,944	NA ⁴	30.0	53.8 ●	23.4
Chhattisgarh		53.5 ●	5,179	58	21.2	26.0	12.7
Gujarat		100.0 ●	5,847	100 ●	26.9	22.1	18.2
Haryana		95.8	6,991	85	32.0	25.3	15.3
Jharkhand		89.2	6,506	NA ⁵	23.9	32.8	25.4
Karnataka		90.2	8,031	99	12.0	10.8	17.2
Kerala		NA ³	NA ³	76	4.6 ●	23.9	9.5 ●
Madhya Pradesh		87.9	15,629	NA ⁵	13.9	20.8	19.7
Maharashtra		84.2	7,887	96	28.2	25.3	18.2
Odisha		85.7	7,541	NA ⁵	13.3	28.4	21.8
Punjab		87.0	9,479	33	12.6	22.4	11.6
Rajasthan		100.0 ●	13,216	53	8.3	45.6	11.5
Tamil Nadu		86.0	11,493	NA ⁵	10.9	9.1	12.4
Telangana		91.2	28,126 ●	43	26.1	7.1 ●	17.0
Uttar Pradesh		55.6	5,070	24 ●	26.0	42.5	12.8
Uttarakhand		63.9	5,270	93	6.4	7.2	10.3
West Bengal		61.3	305 ●	42	44.1 ●	25.2	31.5 ●
Small states							
Arunachal Pradesh		96.4	43,901 ●	100 ●	27.8	34.7	13.6 ●
Goa		94.3	2,708	NA ⁴	17.2	23.6	17.7
Himachal Pradesh		89.2	339 ●	90	5.1	16.0	15.0
Meghalaya		96.8	4,546	91	16.9	21.2	15.3
Mizoram		89.5	21,594	42 ●	34.2 ●	26.6	27.4 ●
Sikkim		85.1 ●	6,885	88	4.6 ●	-4.2 ●	23.1
Tripura		99.5 ●	6,785	67	23.7	40.1 ●	15.0
Unranked states							
Assam		71.3	5,167	11	23.0	26.6	16.7
Manipur		79.6	9,608	2	9.5	36.5	15.4
Nagaland		100.0	5,672	NA ⁵	-2.0	6.0	17.4
Union Territories							
A&N Islands		100.0	9,213	NA ⁵	13.7	25.5	10.5
Chandigarh		23.5	796	NA ⁵	17.3	12.5	13.2
DNH & DD		NA ²	NA ²	NA ⁵	20.1	25.2	11.1
Delhi		100.0	23,989	NA ⁵	19.7	2.4	23.0
Jammu & Kashmir		88.9	13,171	25	3.6	28.6	17.3
Ladakh		NA ²	NA ²	NA ⁵	29.1	6.6	14.0
Lakshadweep		NA ²	NA ²	NA ⁵	16.3	40.7	6.1
Puducherry		NA ²	NA ²	200	24.4	32.9	15.2

Data sources: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D); Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; Union Budget documents; Digital Police Portal, Ministry of Home Affairs; National Commission on Population; Open Budgets India.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH&D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iv. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. iv. pp: percentage points (the difference between two percentages). v. NA: Not available. vi. CY: Calendar year; FY: Financial year. vii. SC: Scheduled castes; ST: Scheduled tribes; OBC: Other backward classes. viii. Civil police includes district armed reserve police.

1. Count of indicators on which a state has improved over IJR 2. Only non-trend indicators present in both IJR 2 and IJR 3 have been considered. For indicators with benchmarks, if a state met the benchmark, it was marked as an improvement even if its value declined within the benchmark. If a state didn't meet the benchmark but its value improved, it was marked as an improvement. Where an indicator value was not available for one or both years, that indicator was not considered. 2. BPR&D shows police training budget as blank. 4. Expenditure data not provided. 5. No modernisation grant received.

Table 3: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Indicator	Diversity					
		Share of women in police (% Jan 2022)	Share of women in officers (% Jan 2022)	SC officers, actual to reserved ratio (% Jan 2022)	SC constables, actual to reserved ratio (% Jan 2022)	ST officers, actual to reserved ratio (% Jan 2022)	ST constables, actual to reserved ratio (% Jan 2022)
		Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better
		Scoring guide	Scoring guide	Scoring guide	Scoring guide	Scoring guide	Scoring guide
	National average	11.8	8.0	NA	NA	NA	NA
Large and mid-sized states							
	Andhra Pradesh	21.8 ●	5.4	84	99	99	87
	Bihar	21.2	10.6	51	90	116	278 ●
	Chhattisgarh	7.1	9.3	94	95	70	109
	Gujarat	16.3	10.0	131 ●	109	95	86
	Haryana	8.2	12.2	63	63 ●	NA ¹⁰	NA ¹⁰
	Jharkhand	6.2 ●	4.3	71	93	59	70
	Karnataka	8.6	6.4	116	116 ●	176 ●	169
	Kerala	7.8	2.4 ●	78	96	81	73
	Madhya Pradesh	7.4	11.5	101	80	64	83
	Maharashtra	17.8	7.7	87	81	96	99.7
	Odisha	10.5	12.9	80	86	64	112
	Punjab	9.9	8.3	82	108	0 ●	0.01 ●
	Rajasthan	10.4	6.8	54	87	62	110
	Tamil Nadu	19.1	17.9	78	104	87	117
	Telangana	8.5	7.5	94	80	139	138
	Uttar Pradesh	10.7	5.1	43 ●	75	27	53
	Uttarakhand	12.8	18.1 ●	54	98	55	132
	West Bengal	9.9	4.0	65	72	52	82
Small states							
	Arunachal Pradesh	10.7	5.7	NA ⁹	NA ⁹	78	101
	Goa	10.6	15.6	110 ●	43 ●	74	47 ●
	Himachal Pradesh	14.0 ●	4.9 ●	72	91	115 ●	127 ●
	Meghalaya	6.0	8.5	NA ⁷	NA ⁷	79	89
	Mizoram	7.1	21.4 ●	NA ⁸	NA ⁸	NA ¹⁰	NA ¹⁰
	Sikkim	9.0	7.5	84	171 ●	83	81
	Tripura	5.3 ●	5.9	64 ●	78	57 ●	75
Unranked states							
	Assam	6.8	6.5	57	23	55	23
	Manipur	6.9	6.6	117	114	54	73
	Nagaland	9.9	8.5	NA ⁸	NA ⁸	67	73
Union Territories							
	A&N Islands	12.7	14.1	NA	NA	76	90
	Chandigarh	21.6	7.9	48	84	NA ¹⁰	NA ¹⁰
	DNH & DD	8.8	8.5	NA ⁶	NA ⁶	NA ⁶	NA ⁶
	Delhi	12.9	11.0	94	73	106	86
	Jammu & Kashmir	3.3	1.4	30	43	46	63
	Ladakh	28.3	6.4	NA ⁹	NA ⁹	214	153
	Lakshadweep	10.3	0.0	NA ⁸	NA ⁸	103	182
	Puducherry	7.6	4.5	75	68	0	3

Data sources: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D); Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; Union Budget documents; Digital Police Portal, Ministry of Home Affairs; National Commission on Population; Open Budgets India.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iv. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. v. pp: percentage points (the difference between two percentages). vi. NA: Not available. vii. SC: Scheduled castes; ST: Scheduled tribes; OBC: Other backward classes. viii. Civil police includes district armed reserve police.

6. Combined reservation data not available. 7. No specific reservation approved for SCs in Meghalaya. 8. BPR&D shows 0% SC reservation. 9. BPR&D shows SC figures as 0. 10. BPR&D shows 0% ST reservation.

Table 3: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Diversity		Infrastructure			
	Indicator	OBC officers, actual to reserved ratio (% , Jan 2022)	OBC constables, actual to reserved ratio (% , Jan 2022)	Population per police station (rural) (Number, Jan 2022)	Population per police station (urban) (Number, Jan 2022)	Area per police station (rural) (Sq km, Jan 2022)
		Higher, the better	Higher, the better	Lower, the better	Lower , the better	Lower, the better
		Scoring guide				
National average	NA	NA	97,362	94,683	337	
Large and mid-sized states						
Andhra Pradesh	135	167	48,393	96,939	222	
Bihar	58	120	149,020	84,667	125	
Chhattisgarh	117	156	64,047	102,513	387	
Gujarat	76	111	80,200	288,788 	414	
Haryana	77	72	109,113	90,423	264	
Jharkhand	122	131	86,855	105,552	233	
Karnataka	148	140	70,108	100,510	345	
Kerala	104	114	25,010 	255,676	82 	
Madhya Pradesh	85	82	129,721	49,517	641	
Maharashtra	98	81	85,159	218,484	392	
Odisha	120	200 	99,191	46,376 	421	
Punjab	154 	149	74,479	89,155	199	
Rajasthan	34 	76	120,031	60,450	684 	
Tamil Nadu	119	112	42,160	89,659	137	
Telangana	145	128	50,581	50,787	281	
Uttar Pradesh	74	129	175,995	106,332	231	
Uttarakhand	53	84	90,707	58,286	641	
West Bengal	37	55 	306,063 	123,234	408	
Small states						
Arunachal Pradesh	NA ¹¹	NA ¹¹	21,389	8,733 	NA ¹⁷	
Goa	33	27 	18,857 	146,375 	140 	
Himachal Pradesh	29 	73 	85,474 	16,978	710	
Meghalaya	NA ¹³	NA ¹³	61,256	40,235	515	
Mizoram	NA ¹¹	NA ¹¹	21,346	48,000	788 	
Sikkim	88 	67	20,111	35,667	392	
Tripura	NA ¹¹	NA ¹¹	57,818	41,184	229	
Unranked states						
Assam	65	23	321,677	25,055	830	
Manipur	14	26	40,130	60,412	410	
Nagaland	0.1	1	23,226	51,684	308	
Union Territories						
A&N Islands	29	30	12,611	58,333	456	
Chandigarh	55	93	NA ¹⁴	76,125	NA ¹⁴	
DNH & DD	NA ⁶	NA	233,000	312,333	508	
Delhi	24	96	NA ¹⁴	106,938	NA ¹⁴	
Jammu & Kashmir	NA ¹²	NA ¹²	64,048	75,741	NA ¹⁶	
Ladakh	NA ¹¹	NA ¹¹	52,250	45,000	NA ¹⁶	
Lakshadweep	NA ¹¹	NA ¹¹	111	NA ¹⁵	1	
Puducherry	142	134	30,063	80,500	21	

Data sources: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D); Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; Union Budget documents; Digital Police Portal, Ministry of Home Affairs; National Commission on Population; Open Budgets India.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH&DD: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iv. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. iv. pp: percentage points (the difference between two percentages). v. NA: Not available. vi. CY: Calendar year; FY: Financial year. vii. SC: Scheduled castes; ST: Scheduled tribes; OBC: Other backward classes. viii. Civil police includes district armed reserve police.

6. Combined reservation data not available. 11. BPR&D shows 0% OBC reservation. 12. OBC reservation data not available. 13. No specific reservation approved for SCs in Meghalaya. 14. BPR&D shows 0 rural police stations. 15. BPR&D shows 0 urban police stations. 16. Disaggregated data for rural and urban areas for Jammu & Kashmir and Ladakh not available. 17. Census 2011 does not give rural/urban area break-up.

Table 3: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Indicator	Infrastructure					Workload
		Area per police station (urban) (Sq km, Jan 2022)	Services provided by state's citizen portals (%; 2022) ¹⁸	Personnel per training institute (Number, Jan 2022)	NEW	NEW	Population per civil police (Number, Jan 2022)
					Police stations with CCTVs (%; Jan 2022)	Police stations with women help desks (%; Jan 2022)	
					Higher, the better	Higher, the better	
Scoring guide		Lower, the better	Higher, the better	Lower, the better	Higher, the better	Higher, the better	Lower, the better
● Best in cluster							
● Worst in cluster							
National average		20.2	NA	12,744	74	72.2	835
Large and mid-sized states							
Andhra Pradesh		21.0	85.6	26,519	58	83.3	661
Bihar		12.9	21.6 ●	35,718	91	47.0	1,695 ●
Chhattisgarh		41.7	87.6	6,558	97	80.5	756
Gujarat		62.8	91.0 ●	24,516	83	67.1	991
Haryana		14.4	79.6	20,848	96	61.0	565
Jharkhand		25.2	72.6	13,809	22	42.6	874
Karnataka		20.5	57.3	7,905	99.7	75.8	823
Kerala		74.5 ●	55.0	20,491	95	94.5	776
Madhya Pradesh		15.5	89.6	6,962	74	60.4	1,051
Maharashtra		32.8	87.6	19,414	57	89.0	813
Odisha		18.8	84.6	5,647	91	94.6	1,227
Punjab		17.7	79.6	14,222	99	90.7	500 ●
Rajasthan		18.9	79.6	10,141	0.1 ●	99.5	1,006
Tamil Nadu		30.0	66.0	5,484 ●	69	34.9 ●	739
Telangana		10.6 ●	70.7	13,770	99.9	77.1	712
Uttar Pradesh		14.4	85.1	38,382 ●	86	88.8	864
Uttarakhand		12.9	77.6	5,601	98	98.8	740
West Bengal		17.6	41.6	9,887	100 ●	100.0 ●	1,331
Small states							
Arunachal Pradesh		NA ¹⁷	82.6 ●	15,287	93	100.0 ●	264
Goa		95.6 ●	80.6	10,749	100 ●	72.7	274
Himachal Pradesh		6.0	22.0	19,300 ●	90	92.1	625 ●
Meghalaya		16.6	82.6 ●	5,508	33 ●	0.0 ●	422
Mizoram		41.9	0.0 ●	11,301	91	81.8	386
Sikkim		4.3 ●	5.0	3,532 ●	43	93.3	233 ●
Tripura		10.3	5.0	7,402	89	100.0 ●	448
Unranked states							
Assam		5.8	82.6	16,344	100	60.8	1,306
Manipur		10.6	0.0	35,099	0	66.7	211
Nagaland		12.8	82.6	8,903	33	32.6	268
Union Territories							
A&N Islands		12.6	87.6	5,078	100	95.8	118
Chandigarh		6.8	79.6	7,010	94	94.4	302
DNH & DD		31.4	79.6	1,396	100	100.0	1,688
Delhi		5.9	77.6	15,709	88	85.8	299
Jammu & Kashmir		NA ¹⁶	77.6	13,029	20	60.0	280
Ladakh		NA ¹⁶	77.6	NA ¹⁹	100	100.0	166
Lakshadweep		NA ¹⁵	87.6	NA ¹⁹	0	56.3	260
Puducherry		11.0	87.6	4,462	0	60.0	826

Data sources: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D); Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; Union Budget documents; Digital Police Portal, Ministry of Home Affairs; National Commission on Population; Open Budgets India.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iii. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. iv. pp: percentage points (the difference between two percentages). v. NA: Not available. vi. CY: Calendar year; FY: Financial year. vii. SC: Scheduled castes; ST: Scheduled tribes; OBC: Other backward classes. viii. Civil police includes district armed reserve police.

15. BPR&D shows 0 urban police stations. 16. Disaggregated data for rural and urban areas for Jammu & Kashmir and Ladakh not available. 17. Census 2011 does not give rural/urban area break-up. 18. Quantitative assessment of state police citizen portals on 10 counts: whether they include each of the 9 services listed by the Ministry of Home Affairs and whether the portal was available in a state language (other than English). 19. BPR&D shows 0 training institutes.

Table 3: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Indicator	Trends				
		Women in total police (pp, CY '17-'21)	Women officers in total officers (pp, CY '17-'21)	Constable vacancy (pp, CY '17-'21)	Officer vacancy (pp, CY '17-'21)	Difference in spend: police vs state (pp, FY '17-'21)
	Scoring guide	Higher, the better	Higher, the better	Lower, the better	Lower, the better	Higher, the better
National average		0.90	0.49	0.07	0.21	0.75
Large and mid-sized states						
Andhra Pradesh	3.52	●	0.35	0.17	0.25	0.40
Bihar	2.47		1.58	-0.04	3.06	0.87
Chhattisgarh	0.48		1.00	2.49	-1.21	1.71
Gujarat	1.82		0.90	-0.94	-0.92	1.33
Haryana	-0.19	●	0.53	1.06	-1.93	2.12
Jharkhand	0.13		0.26	-1.51	-2.34	3.94
Karnataka	0.65		0.48	-1.71	-0.68	-0.54
Kerala	0.29		0.07	1.57	-0.03	-4.20
Madhya Pradesh	0.59		1.02	0.75	0.39	-1.26
Maharashtra	1.24		0.45	4.81	3.42	0.06
Odisha	0.29		0.91	1.22	0.21	-0.76
Punjab	0.92		0.81	0.63	2.46	-5.47
Rajasthan	0.22		0.38	-1.09	3.06	1.46
Tamil Nadu	1.24		-0.35	3.55	-1.82	-2.84
Telangana	1.21		1.21	0.27	-1.28	-2.92
Uttar Pradesh	1.39		0.40	-5.40	-4.02	6.01
Uttarakhand	1.02		1.83	-0.16	-1.53	-0.02
West Bengal	0.46		0.18	2.56	-0.17	4.63
Small states						
Arunachal Pradesh	0.78	●	0.08	3.65	3.37	-4.61
Goa	-0.05		0.60	2.18	0.59	3.42
Himachal Pradesh	0.36		0.29	0.37	0.90	1.04
Meghalaya	0.32		0.58	0.27	2.46	-1.85
Mizoram	-0.12	●	0.25	2.75	2.32	-2.82
Sikkim	0.43		0.00	0.54	1.39	-1.73
Tripura	0.05		-0.03	1.41	3.71	3.51
Unranked states						
Assam	0.26		0.62	0.49	2.04	-3.58
Manipur	-0.25		-0.19	-5.72	2.16	0.50
Nagaland	0.72		0.16	2.11	-0.02	0.53
Union Territories						
A&N Islands	0.09		0.07	3.99	-6.18	4.01
Chandigarh	0.71		0.43	0.98	0.58	0.43
DNH & DD	-0.90		-1.68	1.20	0.00	7.38
Delhi	0.85		0.23	4.32	-1.23	5.28
Jammu & Kashmir	NA ²⁰		NA ²⁰	NA ²⁰	NA ²⁰	NA ²⁰
Ladakh	NA ²⁰		NA ²⁰	NA ²⁰	NA ²⁰	NA ²⁰
Lakshadweep	0.48		-0.63	-0.87	-4.97	1.68
Puducherry	0.08		0.03	3.17	-1.06	2.36

Data sources: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D); Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; Union Budget documents; Digital Police Portal, Ministry of Home Affairs; National Commission on Population; Open Budgets India.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. DNH&DD: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iv. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. iv. pp: percentage points (the difference between two percentages). v. NA: Not available. vi. CY: Calendar year; FY: Financial year. vii. SC: Scheduled castes; ST: Scheduled tribes; OBC: Other backward classes. viii. Civil police includes district armed reserve police.

20. For trend indicators, Jammu & Kashmir and Ladakh are excluded as their data was not available separately for 5 years.

Figure 17: Status of state citizen portals

IJR continues to track the status of State Citizen Portals. In 2022, only Gujarat and Maharashtra showed maximum compliance while Mizoram and Manipur provided none.

	Services provided by state's citizen portals (%)	Change over 2020	Availability of portal	1. Filing of Complaints to the concerned Police Station.	2. Obtaining the status of the complaints.	3. Obtaining the copies of FIRs.	4. Details of arrested persons/wanted criminals.	Whether complying with Section 41C of the CrPC, 1973? (Y/N)
A&N Islands	87.6	↓	✓	✓	✓	✓	✓	×
Andhra Pradesh	85.6	↔	✓	✓	✓	✓	✓	×
Arunachal Pradesh	82.6	↑	✓	✓	✓	✓	✗	NA
Assam	82.6	↓	✓	✓	✓	✓	✗	NA
Bihar	21.6	↓	✗ ¹	✗	✗	✗	✗	NA
Chandigarh	79.6	↑	✓	✓	✓	✓	✓	×
Chhattisgarh	87.6	↔	✓	✓	✓	✓	✓	×
D&D and D&N Haveli	79.6	NA	✓	✓	✓	✓	✗	NA
Delhi	77.6	↓	✓	✓	✓	✓	✗	×
Goa	80.6	↑	✓	✓	✓	✓	✗	NA
Gujarat	91.0	↑	✓	✓	✓	✓	✓	×
Haryana	79.6	↑	✓	✓	✓	✓	✗	NA
Himachal Pradesh	22.0	↓	✓ ²	✗	✗	✗	✗	NA
Jammu & Kashmir	77.6	NA	✓	✓	✓	✓	✓	—
Jharkhand	72.6	↔	✓	✓	✓	✓	✗	NA
Karnataka	57.3	↔	✓	✓	✓	✓	✓	×
Kerala	55.0	↓	✓	✓	✓	✓	✗	NA
Ladakh	77.6	NA	✓	✓	✓	✓	✗	NA
Lakshadweep	87.6	↑	✓	✓	✓	✓	✓	×
Madhya Pradesh	89.6	↑	✓	✓	✓	✓	✓	×
Maharashtra	87.6	↔	✓	✓	✓	✓	✓	×
Manipur	0.0	↓	Not loading	✗	✗	✗	✗	NA
Meghalaya	82.6	↑	✓	✓	✓	✓	✗	NA
Mizoram	0.0	↔	Unable to access portal	✗	✗	✗	✗	NA
Nagaland	82.6	↔	✓	✓	✓	✓	✗	NA
Odisha	84.6	↑	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puducherry	87.6	↔	✓	✓	✓	✓	✓	×
Punjab	79.6	↓	✓	✗	✓	✓	✓	—
Rajasthan	79.6	↑	✓	✓	✓	✓	✗	NA
Sikkim	5.0	↔	Unable to sign up	✗	✗	✗	✗	NA
Tamil Nadu	66.0	↔	✓	✓	✓	✓	✗	×
Telangana	70.7	↑	✓	✓	✓	✓	✗	×
Tripura	5.0	↔	Unable to sign up	✗	✗	✗	✗	NA
Uttar Pradesh	85.1	↔	✓	✓	✓	✓	✗	×
Uttarakhand	77.6	↑	✓	✓	✓	✓	✗	NA
West Bengal	41.6	↔	Unable to sign up	✓	✗	✓	✗	×

NOTE:

1. Bihar doesn't have citizen police portal. 2. Services available in Himachal Pradesh portal, but it is redirecting to login page.

Except Odisha no state/UT provides the details of Arrested persons as mentioned in Section 41C of the IPC.

— Unable to check J&K and Punjab's compliance with Section 41C.

Section 41C encourages public oversight of arrest practices by requiring that certain information be made available to the people in general. Specifically, Section 41C of the CrPC sets out the following three mandatory requirements: 1) State governments must establish Police Control Rooms (PCRs) at the state level and in each district; 2) State governments must ensure that notice boards outside each district PCR display: a) names and addresses of arrested persons and b) the name(s) and designation(s) of the officers who made the arrests; and 3) the Police Control Room at the State Police Headquarters must regularly collect the details of arrested persons and the nature of the offence with which they are charged, and maintain a database for the information of the general public.

Figure 17: Status of state citizen portals

IJR continues to track the status of State Citizen Portals. In 2022, only Gujarat and Maharashtra showed maximum compliance while Mizoram and Manipur provided none.

	5. Details of missing/ kidnapped persons and their matching with arrested, unidentified persons and dead bodies.	6. Details of stolen/ recovered vehicles, arms and other properties.	7. Submission of requests for issue/ renewal of various NOCs.	8. Verification requests for servants, employment, passport, senior citizen registrations etc.	9. Portal for sharing information and enabling citizens to download required forms.
A&N Islands	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Andhra Pradesh	Available	Partially available	Available	Partially available	Available
Arunachal Pradesh	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Assam	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Bihar	Partially available	Partially available	Not available	Not available	Available
Chandigarh	Partially available	Partially available	Not available	Partially available	Available
Chhattisgarh	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
D&D and D&N Haveli	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Delhi	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Goa	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Gujarat	Partially available	Available	Available	Partially available	Available
Haryana	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Partially available
Himachal Pradesh	Partially available	Not available	Not available	Partially available	Partially available
J&K	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Partially available
Jharkhand	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Partially available
Karnataka	Not available	Partially available	Not available	Partially available	Not available
Kerala	Not available	Not available	Available	Not available	Partially available
Ladakh	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Lakshadweep	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Madhya Pradesh	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Maharashtra	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Manipur	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
Meghalaya	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Mizoram	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
Nagaland	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Odisha	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Puducherry	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Punjab	Available	Partially available	Available	Partially available	Available
Rajasthan	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Sikkim	Not available	Not available	Not available	Not available	Partially available
Tamil Nadu	Partially available	Not available	Not available	Partially available	Available
Telangana	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Tripura	Not available	Not available	Not available	Not available	Partially available
Uttar Pradesh	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
Uttarakhand	Partially available	Partially available	Available	Partially available	Available
West Bengal	Partially available	Partially available	Not available	Not available	Available

NOTE:

1. Bihar doesn't have citizen police portal. 2. Services available in Himachal Pradesh portal, but it is redirecting to login page.

Except Odisha no state/UT provides the details of Arrested persons as mentioned in Section 41C of the IPC.

— Unable to check J&K and Punjab's compliance with Section 41C.

Section 41C encourages public oversight of arrest practices by requiring that certain information be made available to the people in general. Specifically, Section 41C of the CrPC sets out the following three mandatory requirements: 1) State governments must establish Police Control Rooms (PCRs) at the state level and in each district; 2) State governments must ensure that notice boards outside each district PCR display: a) names and addresses of arrested persons and b) the name(s) and designation(s) of the officers who made the arrests; and 3) the Police Control Room at the State Police Headquarters must regularly collect the details of arrested persons and the nature of the offence with which they are charged, and maintain a database for the information of the general public.

CCTVs in police stations

Timeline

3 April 2018

The Supreme Court in *Shafhi Mohammad vs State of Himachal Pradesh* orders the Ministry of Home Affairs to create a Central Oversight Body to oversee plan of action for crime scene videography.

9 May 2018

MHA constitutes COB and directs states/UTs to implement effective use of photography and videography at the crime scene and to furnish action taken report.

16 July 2020

SC issues notice to MHA on the question of audio-video recordings by police at the crime scene and installation of CCTVs in police stations.

16 September 2020

SC impleads all states/UTs to find out exact position of CCTV cameras qua each police station and for the constitution of oversight committees.

2 December 2020

In *Paramvir Singh Saini vs. Baljit Singh and Others* the SC orders all states/UTs to file complete and detailed compliance affidavits within 6 weeks (i.e. by 13 January 2021) and orders the constitution of a state and district level oversight committee (SLOC) and (DLOC).

By 24 November 2020

14 states filed incomplete compliance affidavits and action taken reports as per SC's *Shafhi Mohammad vs State of Himachal Pradesh* directions.



Supreme Court: “Install CCTVs in all Police Stations”

Findings of RTI study on compliance of Supreme Court's directions on installation of CCTVs in all police stations in the country

Key findings

Only Arunachal Pradesh and Andaman & Nicobar Islands reported having a storage capacity of 18 months in all installed CCTVs.

→ 7 states/UTs¹ reported having audio and video capacity in all installed CCTVs

→ 8 states/UTs² reported having night vision facility in all installed CCTVs

→ 17 states/UTs³: Number of states/UTs that made budget allocation towards CCTVs

→ 20 states/UTs⁴: Number of states/UTs that formed District Level Oversight Committees (DLOCs)

→ 23 states/UTs⁵: Number of states/UTs that formed State Level Oversight Committees (SLOCs)

Following on earlier judgements⁶ and the 239th Law Commission's recommendation⁷ the Supreme Court, in *Paramvir Singh Saini vs Baljit Singh*,⁸ ordered the installation of CCTV cameras in all police stations.

1 Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Ladakh, Madhya Pradesh, Tripura, Karnataka, Goa.

2 Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Kerala, Ladakh, Tripura, Karnataka, Delhi, Goa.

3 Tamil Nadu, Rajasthan, Bihar, Jammu & Kashmir, Tripura, Sikkim, Delhi, Mizoram, Assam, Maharashtra, Kerala, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Puducherry, Karnataka.

4 Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Jammu & Kashmir, Kerala, Ladakh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Telangana, Uttarakhand, Chandigarh, Karnataka, Jharkhand, West Bengal.

5 Karnataka, Jharkhand, West Bengal, Puducherry, Chhattisgarh, DNH & DD, Uttar Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Jammu & Kashmir, Kerala, Ladakh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Telangana, Uttarakhand.

6 *Shafhi Mohammad vs State of Himachal Pradesh* (2018). Available at: https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/6212/6212_2017_Judgement_30-Jan-2018.pdf

7 239th Law Commission of India, 2012. Available at: <https://indiankanoon.org/doc/39463074/>

8 *Paramvir Singh Saini v Baljit Singh* (2020). https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/13346/13346_2020_33_1501_24909_Judgement_02-Dec-2020.pdf

The Court required audio-visual and night-vision cameras with 12 to 18 months' storage capacity to be installed in fourteen places, including entry points, lock-ups, corridors, inside inspector and sub-inspector rooms, and the backs of all police stations: all jurisdictions to report status in six weeks from the date of order (i.e, by 13 January 2021). The judgement further laid down specific norms to be complied with like setting up of:

1. State Level Oversight Committee comprising:

- (i) Secretary/Additional Secretary, Finance Department
- (ii) The Director General/Inspector General of Police; and
- (iii) The Chairperson/member of the State Women's Commission.

2. District Level Oversight Committee comprising:

- (i) The Divisional Commissioner/ Commissioner of Divisions/ Regional Commissioner/ Revenue Commissioner Division of the District (by whatever name called)
- (ii) The District Magistrate of the District
- (iii) A Superintendent of Police of that District
- (iv) A mayor of a municipality within the District/ a Head of the Zilla Panchayat in rural areas.

On 2 December 2020, in the *Paramvir Singh Saini vs Baljit Singh* judgement the Supreme Court again asked for detailed information on cameras and their placement in police stations. It also inquired whether oversight committees—state level oversight committee (SLOC) and district level oversight committee (DLOC)—were set up.

In April 2022, in order to monitor the compliance of the Supreme Court's directions, the India Justice Report team filed applications seeking pertinent information under the **Right to Information Act, 2005** to all 36 states and UTs. Information about the number, placement and technical capacity of CCTVs inside police stations and the constitution of SLOCs and DLOCs was requested. Until 31 August 2022, a total of 426 responses had been received. All 36 jurisdictions barring Manipur responded, but with varying degrees of incompleteness. Certain states like Haryana, Odisha and Punjab responded, but provided no information. In states like Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Telangana RTIs were forwarded by the DGP's office to PIOs in various district police headquarters. Illustratively, in Himachal Pradesh the RTIs were sent further down the administrative chain to sub-divisions and police stations. The responses from such states correspond to only those districts, sub-divisions and police stations that responded to the RTIs. Responses from 58 police stations have been included from across the country. Only Arunachal Pradesh provided all information at the state headquarters.



Figure 18: CCTV in police stations: a compliance report

The grid attempts to show compliance of specific norms laid out by the Supreme Court in the *Paramvir Singh Saini vs Baljit Singh* and others in 2020. It is based on RTIs responses from DGPs and Chief Secretaries of 36 states and Union Territories. In several cases RTI replies were received from districts and those have been indicated as well.

Yes Information not provided

	State Level Oversight Committee	District Level Oversight Committee Constituted	Budget allocated for 2021-22	Responses received from
A&N Islands	Yes	Yes	Yes	Police HQ: 1; Districts: 3/3
Andhra Pradesh	Yes	Yes	NP	Home dept: 1; Districts: 26/26
Arunachal Pradesh	Yes	Yes	Yes	Police HQ: 1; Districts: 27/27
Assam	Yes	Yes	Yes	Police HQ: 1; Districts: 14/31
Bihar	NP	NP	Yes	DIGP; Districts: 38/38
Chandigarh	NR	Yes	NP	SP Chandigarh; 1/1
Chhattisgarh	Yes	NP	NP	HQ: 1
Delhi	NP	NP	Yes ²	PIO logistics and provisional; Districts: 14/15
DNH & DD	Yes	NP	NP	PIO home dept
Goa	NP	NP	NP	Sub Divisions: 6/8; Districts: 2/2
Gujarat	NP	NP	NP	Home Dept: 1; Districts:33/33
Haryana	NP	NP	NP	HQ: 1; Districts: 22/22
Himachal Pradesh	Yes	Yes	NP	HQ: 1; Districts: 12/12
Jammu and Kashmir	Yes	Yes	Yes	HQ: 1; Districts: 19/20
Jharkhand	Yes ¹	Yes ¹	NP	Districts: 5/24
Karnataka	Yes ¹	Yes ¹	Yes	Home dept: 1; Districts: 31/31
Kerala	Yes	Yes	Yes	Home dept: 1; Districts: 14/14
Ladakh	Yes	Yes	Yes	Home dept: 1; Districts: 2/2
Lakshadweep	NP	NP	NP	0
Madhya Pradesh	Yes	Yes	Yes	PHQ: 1; Districts: 50/50
Maharashtra	Yes	Yes	Yes	HQ: 1; Districts: 35/35
Manipur	NP	NP	NP	0
Meghalaya	NP	NP	NP	Addl.DGP: 1; Home dept: 1; Districts: 1/12
Mizoram	Yes	Yes	Yes	Home dept: 1; Districts: 11/11
Nagaland	NP	NP	NP	DGP Police: 1; Districts: 12/16
Odisha	NP	NP	NP	DSP: 1; Districts: 30/30
Puducherry	Yes	NP	Yes	PHQ: 1
Punjab	NP	NP	NP	0
Rajasthan	Yes	Yes	Yes	Police SCRB: 2; Asst commissioner Jaipur: 1; Districts: 1/33
Sikkim	NP	NP	Yes	PHQ-1; Secretariat finance dept: 1; Districts:6/6
Tamil Nadu	Yes	Yes	Yes	Police HQ planning: 1; Districts: 38/38
Telangana	Yes	Yes	NP	Home dept: 1; Districts: 24/33
Tripura	Yes	Yes	Yes	Home dept: 1; District Magistrate: 1; Districts: 8/8
Uttar Pradesh	Yes	NP	NP	Home dept: 1; Districts: 75/75
Uttarakhand	Yes	Yes	NP	Home dept: 1; DGP office: 1; Districts: 13/13
West Bengal	Yes ¹	Yes ¹	NP	Police directorate: 1; Asst. IGP: 1; Districts: 23/23

Abbreviations: NP: Not provided. NR: Not required.

Notes: 1. Information not from RTI, but from compliance affidavits procured by IJR team. 2. Expenditure of Rs 9.68 crore incurred. 3. Under process. 4. In East Khasi Hills. 5. As per responses from districts (2,959 on 21.1.2021). 6. Will be ensured.

Figure 18: CCTV in police stations: a compliance report

The grid attempts to show compliance of specific norms laid out by the Supreme Court in the *Paramvir Singh Saini vs Baljit Singh* and others in 2020. It is based on RTIs responses from DGPs and Chief Secretaries of 36 states and Union Territories. In several cases RTI replies were received from districts and those have been indicated as well.

	CCTV information, as per RTI responses				Police stations with at least one CCTV	DoPO 2022 data	
	Total CCTV cameras	CCTV cameras with audio and video	CCTV cameras with night vision	Storage capacity by number of cameras		Total police stations	Police stations with at least one CCTV
A&N Islands	527	527	527	527: 18 months	24	24	24
Andhra Pradesh	NP	NP	NP	NP	NP	1,027	599
Arunachal Pradesh	1,485	1,485	1,485	1,485: 18 months	99	107	99
Assam	299	63	112	103: below 12 months	125	329	329
Bihar	11,081	NP	NP	NP	952	1,056	957
Chandigarh	510 ¹	115 (video only)	0	66: 40-45 days; 16: 15-20, 33: about 30 days	17	18	17
Chhattisgarh	1,772	NP ³	NP ³	NP ³	443	456	443
Delhi	1,941	NP	1,941	1,941: 12 months	197	225	197
DNH & DD	18	NA ⁶	NA ⁶	DNH: 25 days; Daman: 30 days; Diu: Nil	7	8	8
Goa	259	259	259	236: 18 months; 23: below 12 months	17	44	44
Gujarat	7,354	NP	NP	NP	NP	745	622
Haryana	NP ³	NP	NP	NP	NP	397	381
Himachal Pradesh	1,530	711	838	525: 18 months; 298: 12 months; 223: below 12 months	NP	151	136
Jammu and Kashmir	306	NP	55	112: below 12 months	112	250	51
Jharkhand	169	4 (video only), 8 (audio only)	69	8: 12 months; 62: below 12 months	113	564	126
Karnataka	4,176 ¹	4,176 ¹	4,176 ¹	4,176: one year ¹	1049*	1,055	1,052
Kerala	1,936	1,936 (video only)	1,936	15-20 days to 45 days	523	564	538
Ladakh	56	56	56	56: 12-18 months	7	7	7
Lakshadweep	NP	NP	NP	NP	NP	16	0
Madhya Pradesh	3,436	3,436	3,436	3,436: below 12 months	NP	1,159	859
Maharashtra	6,363	NP	NP	NP	1113	1,168	663
Manipur	0	NP	NP	NP	NP	84	0
Meghalaya	44 ⁴	6	27	27: 12 months; 4: below 12 months; 6: 1 month	14	76	25
Mizoram	465	430	430	430: 12 months; 35: below 12 months	40	44	40
Nagaland	70	36 (video only)	58	41: below 12 months; 1: 2 months	66 replied, 43 have CCTVs	86	28
Odisha	NP	NP	NP	NP	NP	643	584
Puducherry	0	NP	NP	NP	0	55	0
Punjab	NP	NP	NP	NP	NP	431	425
Rajasthan	33	NP	NP	NP	NP	917	1
Sikkim	317	23	325	145: 18 months; 75: 12 months; 41: below 12 months; 64: NP	29	30	13
Tamil Nadu	8,748	All cameras in 1,327 PS	All cameras in 1,578 PS	1,578 PS: below 12 months	1,578	2,292	1,578
Telangana	3,849 ⁵	NP	NP	NP	567	843	842
Tripura	308	308	308	308: above 1 month	72	82	73
Uttar Pradesh	NP	NP	NP	NP	NP	1,783	1,533
Uttarakhand	960	632	632	632: 12 months	160	162	159
West Bengal	2,623	NP	No night vision	12 months	NP	637	637

Abbreviations: NP: Not provided. NR: Not required.

Notes: 1. Information not from RTI, but from compliance affidavits procured by IJR team. 2. Expenditure of Rs 9.68 crore incurred. 3. Under process. 4. In East Khasi Hills. 5. As per responses from districts (2,959 on 21.1.2021). 6. Will be ensured.



Prisons

Prisons Ranking

Color guide

Best Middle Worst

Indicators
(in IJR 3)

29

Clusters

- I. 18 large and mid-sized states
(population above 10 million)
- II. 7 small-sized states
(population up to 10 million)

Map 11: Large and mid-sized states

Rank (out of 18)

NEW

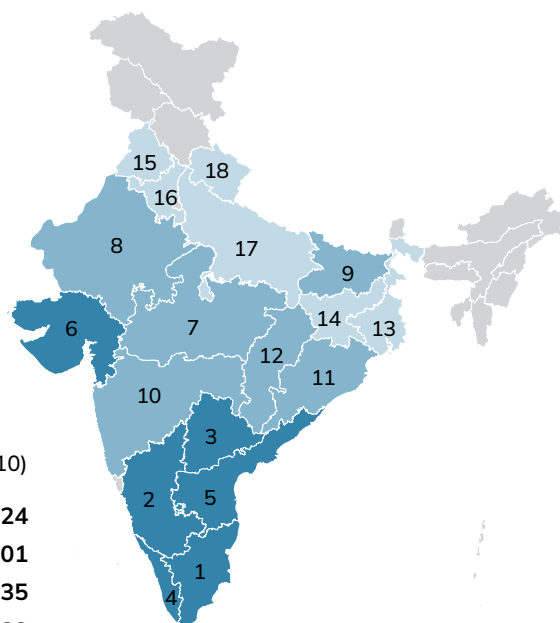
IJR 1
2019

IJR 2
2020

IJR 3
2022

10	6	1
3	14	2
13	2	3
1	5	4
15	7	5
9	10	6
7	8	7
12	1	8
6	3	9
2	4	10
5	9	11
8	11	12
4	12	13
18	15	14
16	13	15
11	16	16
14	17	17
17	18	18

State	Score (out of 10)
Tamil Nadu	6.24
Karnataka	6.01
Telangana	5.35
Kerala	5.23
Andhra Pradesh	5.02
Gujarat	4.93
Madhya Pradesh	4.78
Rajasthan	4.71
Bihar	4.53
Maharashtra	4.32
Odisha	4.13
Chhattisgarh	3.91
West Bengal	3.75
Jharkhand	3.69
Punjab	3.61
Haryana	3.57
Uttar Pradesh	3.55
Uttarakhand	2.05



Map 12: Small states

Rank (out of 7)

NEW

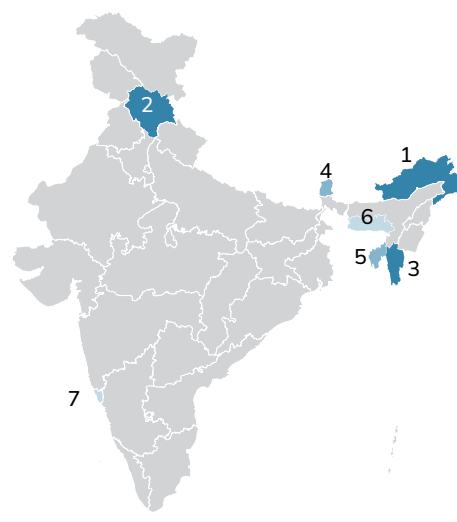
IJR 1
2019

IJR 2
2020

IJR 3
2022

3	3	1
6	1	2
4	7	3
7	6	4
5	2	5
1	4	6
2	5	7

State	Score (out of 10)
Arunachal Pradesh	5.32
Himachal Pradesh	4.23
Mizoram	3.76
Sikkim	3.73
Tripura	3.67
Meghalaya	3.49
Goa	2.62

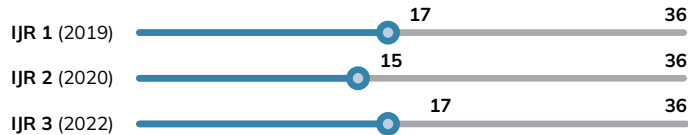


PUSHING EXPECTATIONS

Overcrowding

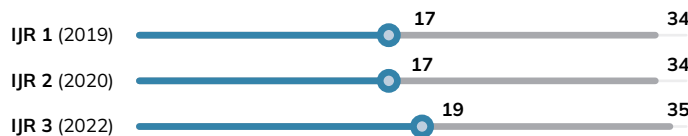
Number of states/UTs where prison occupancy was below 100%.

Total states*



Women staff

Number of states/UTs where the share of women in prison staff was above 10%.



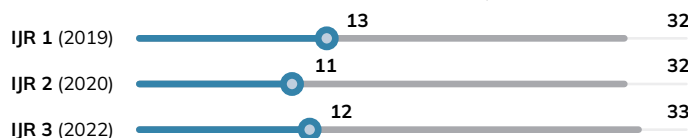
Correctional staff

Number of states/UTs where the correctional staff vacancy was below 20%.



Medical officer

Number of states/UTs where the medical officer vacancy was below 20%.



Spending on inmates

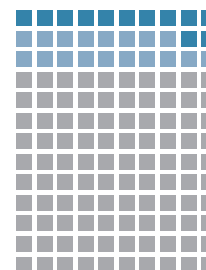
Number of states/UTs that spent, on average, more than ₹30,000 a year—₹2,500 a month—per inmate on food, clothing, medical, vocational and welfare activities.



* Number of states/UTs (out of 36) for which data was available.

Infrastructure

National prisons occupancy



130%

December 2021



118%

December 2020

Uttarakhand prisons have capacity for 3,741 inmates. As of December 2021, there were 6,921 inmates, or, 185% occupancy.



54%

Jails in India are overcrowded.

Video-conferencing in jails

Nationally, the share of jails with a video-conferencing facility has increased from 60% in December 2019 to 84% in December 2021.



Medical Officers

Uttarakhand, with 6,921 inmates across 11 jails, records only 1 doctor against 10 sanctioned posts.



11 states/UTs have not sanctioned any post for correctional staff

Chapter 2

Prisons: Dire Straits to Breaking Point

Introduction

In 2021, more than 11.5 million (1.15 crore) people worldwide were estimated to be in prisons—the highest ever and a 24 per cent increase since 2000.¹ India reflects this trend. Between 2010 and 2021, the prison population in India nearly doubled, from 3.7 lakh to 5.5 lakh. National occupancy rates touched 130 per cent in 2021—a 12 percentage point² increase from the year before.

Assessing the capacity of prison³ administrations against various benchmarks, the IJR adds 5 new parameters and finds considerable movement in rankings. Critical levels of overcrowding, stagnant or increasing vacancies, and worsening budget utilisations have contributed to the drop in rankings.

Tamil Nadu ranks first, a consistent rise from the tenth place in 2019, to the sixth in 2020. Karnataka records the highest jump, moving from the fourteenth to second place by performing best in 5 indicators. Rajasthan, which was number one in 2020, fell seven positions down to eighth, while Haryana, Uttar Pradesh and Uttarakhand continued to remain in the bottom three. Maharashtra too fell from the fourth to tenth position owing to its decline in budget utilisation and increased levels of vacancy.

Amongst the seven small states, Goa continued its decline from first in 2019, fourth in 2020, to now seventh place. Mizoram, however, moved from the seventh to third and Arunachal Pradesh from the third to first position in 2019 and 2020.

Infrastructure

Prison occupancy (% , December 2021)

Share of jails with 100% & more occupancy (% , 2022) **NEW**

Share of jails with 150% & more occupancy (% , 2022) **NEW**

Undertrial Prisoners detained for 1-3 years (% , December 2021) **NEW**

Jails with V-C facility (% , December 2021)

Inmates benefitted by educational facilities (% , December 2021) **NEW**

Inmates Imparted Training under Vocational Course (% , December 2021) **NEW**

Share of undertrial prisoners (pp, CY '17-'21)

Occupancy: Across the country, overcrowding is a universal and persistent condition. The latest data from Prison Statistics India (as of 31 December 2021) pegs the average national occupancy rate at 130 per cent. This increase goes against the trend of earlier years which saw occupancy decline, even if marginally, from 120 per cent in 2019 to 118 per cent in 2020. Increased levels of occupancy are a natural follow-on from increases in prison population. Prison populations have risen steadily from 4.81 lakh (2019) to 4.89 lakh (2020), and 5.54 lakh in 2021: while the number of people admitted to 1,319 prisons during 2021 increased by 10.8 per cent to 18.1 lakh from 16.3 lakh the year before.

1 Penal Reform International's Global Prison Trends, 2022. Available at: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2022/05/GPT2022.pdf>

2 The difference between two percentages that highlights an increase or decrease.

3 The terms prison and jail constitute two different concepts. In the US, the fundamental difference between jail and prison is in terms of the length of stay, where jail is a short-term facility and prisons are for longer sentences. IJR uses the term prison and jail interchangeably.

Sixteen states and 3 Union Territories housed more prisoners than their overall capacity.⁷ Fifteen states/UTs posted increases over the year before⁸ with Bihar recording the highest increase from 113 per cent in 2020 to 140 per cent in 2021. At 185 per cent Uttarakhand had the highest average occupancy rates.

Even taking account of the distortions of the COVID period (2020–2021), the 5-year data from 2017 to 2021 shows a consistent worsening of overcrowding across states. The increase in prison populations, despite the release of prisoners on temporary bail or emergency parole, may be attributed to two factors—an increase in arrests and the courts not functioning (except for urgent bail hearings).

Overcrowding in prisons: Examined against the United Nations Office on Drugs and Crime's (UNODC) definition of 'critical' and 'extreme' overcrowding, this report assesses the share of prisons with more than 150 per cent occupancy rates in each state/UT through data available on the e-Prison portal over a three-month period of July to October 2022.

Nationally, roughly 30 per cent (391 prisons) record occupancy rates of 150 per cent and above, and 54 per cent (709 prisons) run above 100 per cent capacity.¹⁵ More than half of the prisons in 23 states/UTs are overcrowded.¹⁶ Illustratively, among the 18 large and mid-sized states, Haryana has the highest share of overcrowded prisons. Eighteen of its 20 prisons run at over 100 per cent capacity: twelve or 60 per cent record an occupancy rate of more than 150 per cent. In Tamil Nadu, 15 of the total 139 prisons show overcrowding beyond 100 per cent—and 2 show an occupancy beyond 150 per cent.

Among the small states, 4 of Meghalaya's 5 prisons are overcrowded, followed by Himachal Pradesh with 14 of 23 of all its prisons running beyond 100 per cent capacity. Goa's single prison, too, was 33 per cent above capacity.

The Pandemic and Prisons

In March 2020, the Supreme Court directed states/UTs to set up special High-Powered Committees⁴ to recommend the release of various categories of prisoners on interim bail and parole. Subsequently, the Supreme Court and various high courts passed further orders aimed at pushing Under Trial Review Committees to undertake measures to decongest prisons.

In the four months between April and June 2020, the overall prison occupancy rate in 20 states and 2 UTs came down to 93.3%.⁵ The largest reductions occurred in Punjab, which reduced its average occupancy rate from 91.5% to 74%, and Maharashtra where occupancy came down to 118% from 150%.⁶

Chronic Overcrowding

The United Nations Office on Drugs and Crime classifies 120% overcrowding as 'critical' and 150% as 'extreme'.⁹ At the end of 2021, the average occupancy rates in thirteen¹⁰ states/UTs were critical. In six¹¹ it had crossed 150%.¹² Averages, however, disguise the fact that in several prisons, overcrowding crosses 150%. Twenty-two prisons recorded occupancy rates of more than 500%.¹³ Individual prisons reflect more dire prison conditions: the district jail in Dantewada, Chhattisgarh has an average of 4,963% occupancy—nearly 50 times more than its capacity. Similarly, the district jail in Nalbari, Assam holds 4,500 inmates on average against the available capacity of 155.¹⁴

4 In Re: Contagion of COVID 19 Virus in Prisons (Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 1/2020) vide order dated 23 March 2020.

5 Commonwealth Human Rights Initiative's Responding to the Pandemic: Prisons and Overcrowding, 2020; States' Decongestion Efforts. Available at: <https://humanrightsinitiative.org/download/Responding%20to%20the%20Pandemic%20Prisons%20&%20Overcrowding%20Vol%201.pdf>

6 Ibid.

7 Assam, Bihar, Chhattisgarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (DNH & DD), Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Rajasthan, Sikkim, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.

8 Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand.

9 E/Cn.15/2016/10, United Nations Office on Drugs and Crime, Twenty-fifth Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, 2016. Available at: https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/25_Session_2016/session-25-of-the-ccpcj.html

10 Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Haryana, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Sikkim, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.

11 Delhi, Madhya Pradesh, Meghalaya, Sikkim, Uttar Pradesh and Uttarakhand.

12 Prison Statistics India, 2021.

13 The report analysed data on prison capacity and populations across 1,314 prisons recorded on the e-Prison portal over a three-month period (July–October 2022). Available at: <https://eprisons.nic.in/public/ePrisonsLiveStatus>

14 Ibid.

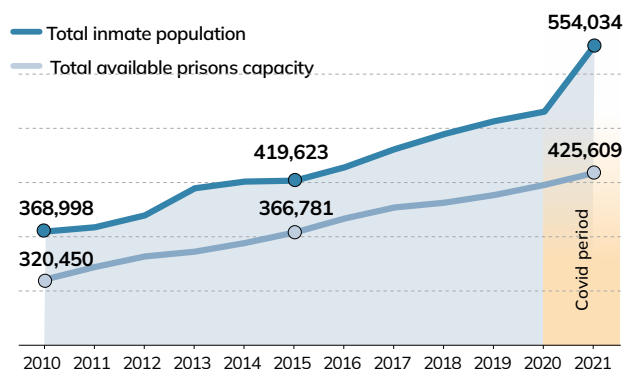
15 For the indicators on overcrowded prisons, the report analysed a total of 1,314 prisons recorded on the e-Prison portal. The portal lists 1,367 prisons out of which 53 prisons were not considered in the total number, as they are not functional or had no information regarding the prisons available with the respective prison departments, or are covered under the Revenue Department.

16 Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, DNH & Daman & Diu, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Uttarakhand and West Bengal.

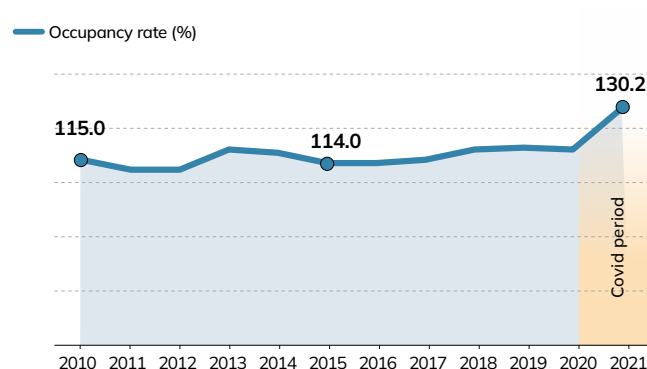
Figure 19: Occupancy rate in Indian prisons

The following graphs shows the rising prison populations across states and the inevitably rising national occupancy rates over the decade.

19a. India: Prisons capacity and population

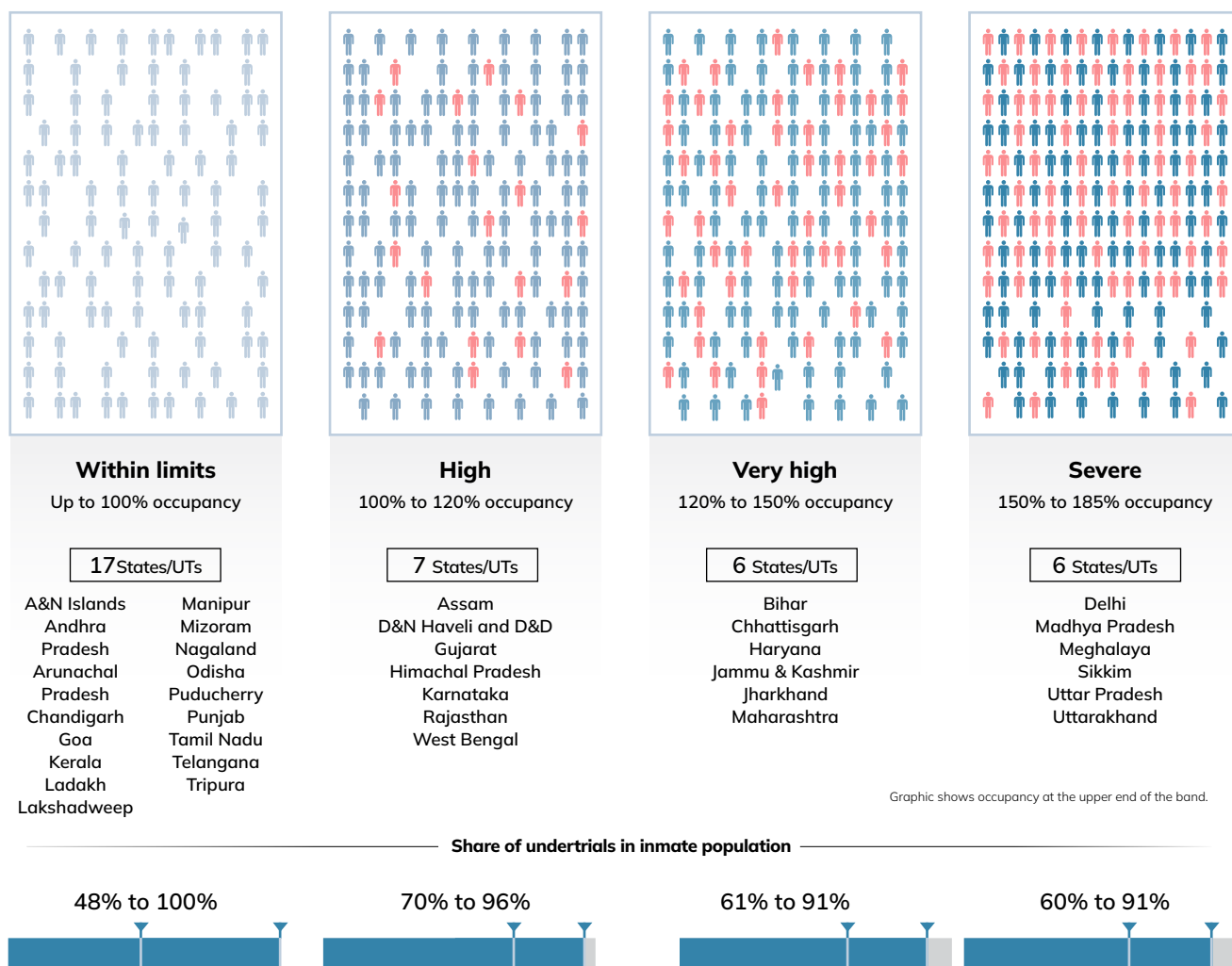


19b. National prison occupancy



19c. Prison occupancy and undertrials as of December 2021

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) classifies 120% overcrowding as 'critical' and 150% as 'extreme.' This table maps the occupancy across prisons in the country. The bars below reflect the high share of undertrials in the the different ranges of occupancy across states.

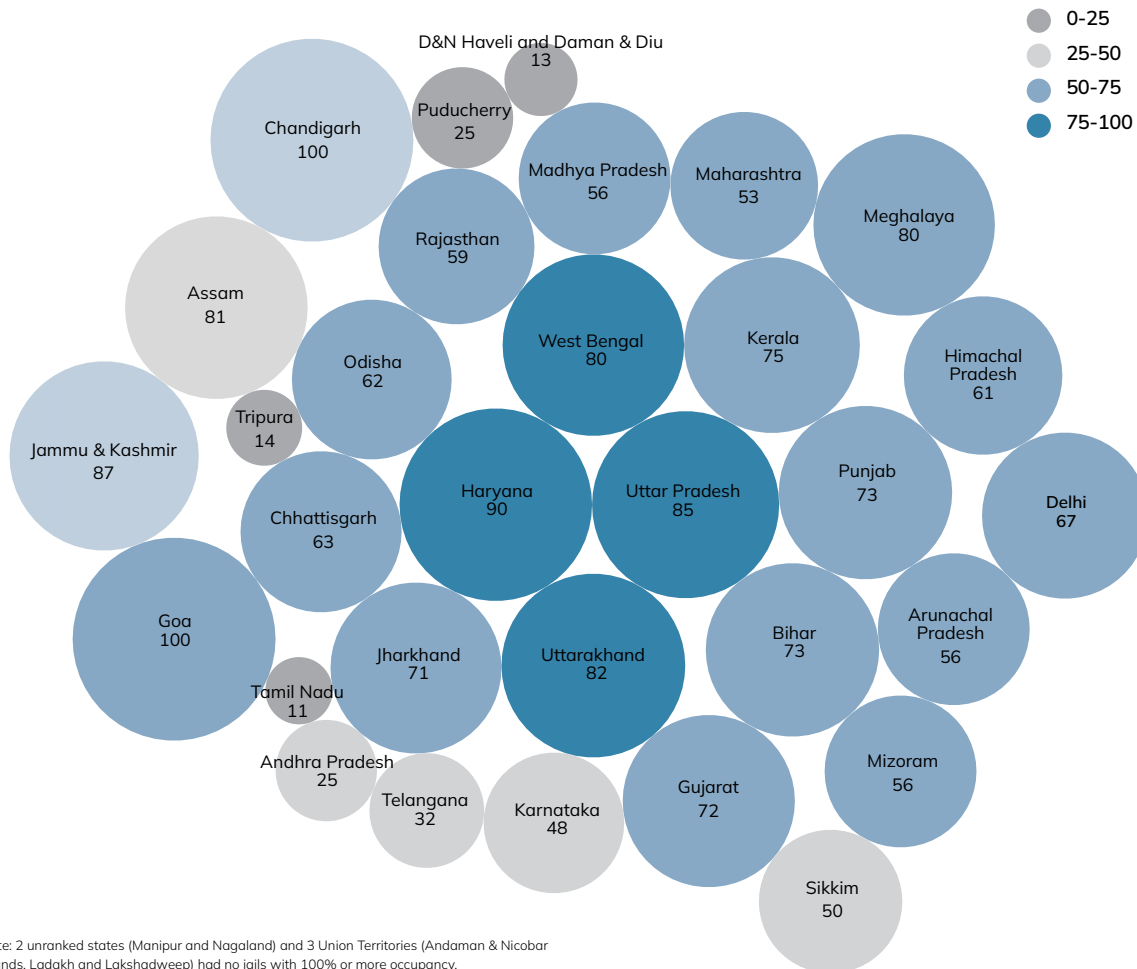


Note: States/Union Territories arranged in alphabetical order within category.
Source: Prison Statistics India

Figure 20: Overcrowding in jails

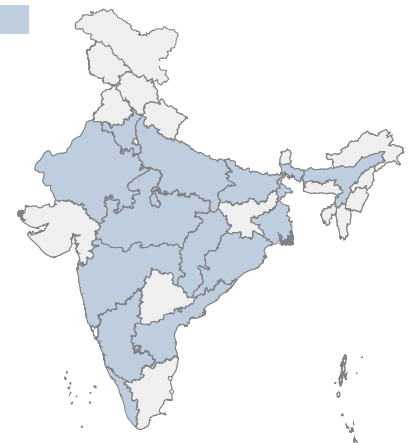
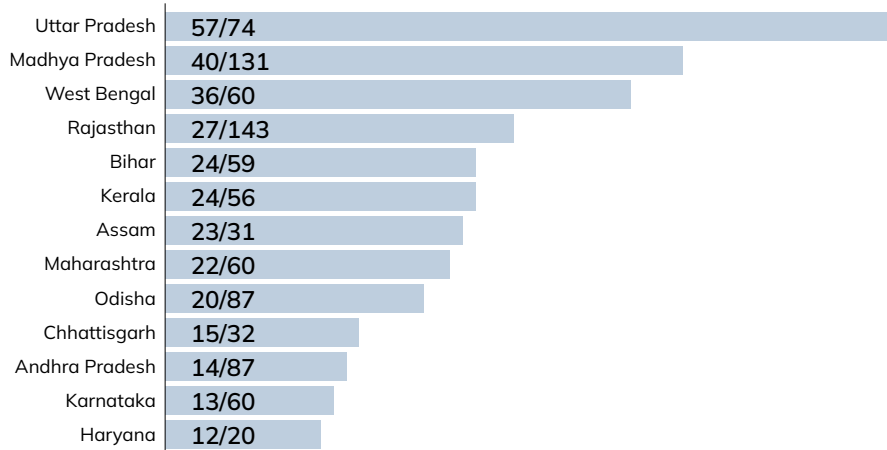
More than half jails in the country are overcrowded. The figure below shows the percentage of overcrowded jails across states.

20a. Share of jails in state/UT with 100% or more occupancy (% , 2022)



20b. Number of prisons with occupancy above 150% in 2022

Of the 1,314 prisons in India, as many as 391 prisons had an occupancy above 150% in 2022. There were 13 states where this number was in double digits. The graph below shows the number of prisons with occupancy above 150% against the total number of jails in the state.



Source: e-prisons portal

Undertrials across the world

Globally, approximately 1 in 3 incarcerated people are being held in pre-trial detention. Since 2000, Asia and Africa continue to have the highest share of people in pre-trial detention.¹⁷ India ranks fourth after China, USA and Brazil.¹⁸ Among its South Asian neighbours, only Bangladesh, with 80% inmates awaiting trial, has more undertrials than India, followed by Pakistan (70%), Sri Lanka (60%) and Nepal (54%). India also houses the highest percentage amongst its BRICS partners—South Africa (32.9%), Brazil (27.2%), Russia (24.6%) and China (12.7%).¹⁹

Undertrial population: Only 22 per cent of the prison population are convicts while 77 per cent are 'undertrials' or people awaiting the completion of investigation or trial. The number of undertrials is the highest it's been since 2010, having nearly doubled from 2.4 lakh in 2010 to 4.3 lakh in 2021: an increase of 78 per cent. With the exception of Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, and Madhya Pradesh, the undertrial population of all states and Union Territories exceeds 60 per cent.

Between 2017 and 2021, all states/UTs, with the exception of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland

and Puducherry, showed an increase in undertrial population. Among the 18 large and mid-sized states, Punjab recorded the highest increase, at 3.75 percentage points, while among the seven small states, Goa showed the highest increase of 5.23 percentage points.

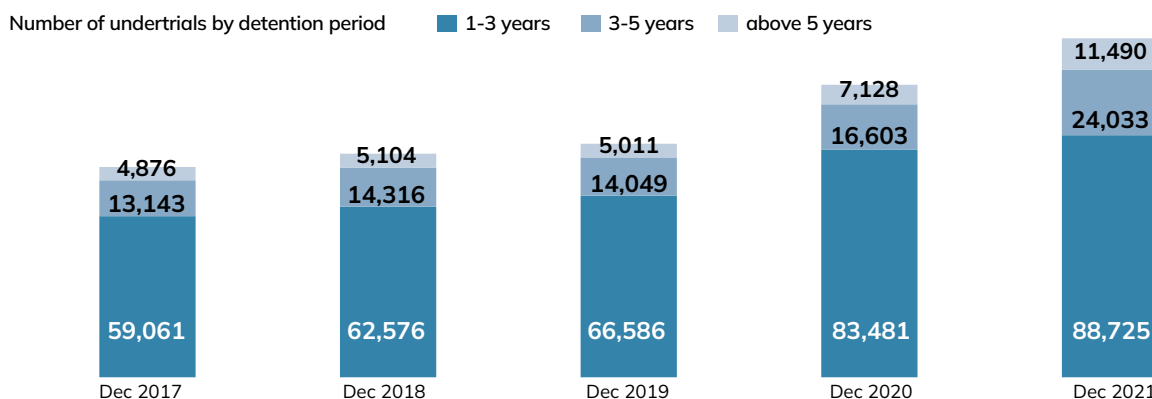
Period of Detention: Prolonged detention of undertrials is an indication that trials are taking a longer time to complete. This increases administrative workload, puts further strain on meagre budgets and impinges on spend per prisoner. IJR's new indicator records the period undertrials are detained for between 1 to 3 years.

PSI, 2021 shows that nationally, 88,725 (20.8 per cent) undertrials spent 1 to 3 years in prison. In ten states/UTs more than 25 per cent had been detained²⁰ for 1 to 3 years. Among the 18 large and mid-sized states, Rajasthan—with 28 per cent—had the highest share whereas in the small states, Goa at 47 per cent had the highest share. Going by absolute numbers, Uttar Pradesh (21,244 inmates) recorded the highest number, followed by Bihar (8,365), Maharashtra (7,599) and Madhya Pradesh (6,778).

At the end of 2021, a large number (11,490) of prisoners across the country had been incarcerated for more than 5 years, considerably higher than 7,128 in 2020 and 5,011 in 2019. However, of the total undertrials released during the year, 96.7 per cent left prison within one year, either on bail or on acquittal/ discharge, or got converted into convicts on completion of trial.²¹

Figure 21: Undertrials by detention period

Number of undertrial prisoners has consistently increased over the years. In 2021, undertrials accounted for 77% of the entire prison population. The figure below shows the different durations undertrials spent in jails over five years.



Source: Prison Statistics India

17 Penal Reform International's Global Prison Trends, 2022. Available at: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2022/05/GPT2022.pdf>

18 World Prison Brief's database on prison systems across the world. Available at: https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/pre-trial-detainees?field_region_taxonomy_tid=16

19 Ibid.

20 Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Chhattisgarh, DNH & DD, Goa, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Meghalaya, Rajasthan and Sikkim.

21 Prison Statistics India, 2021. Available at: https://ncrb.gov.in/sites/default/files/PSI-2021/PSI_2021_as_on_31-12-2021.pdf

Video-conferencing: The use of video-conferencing (VC) has long been championed as a tool to reduce the cost and human resources expended on escorting prisoners back and forth from court during remand and trial. Its effective utilisation has resulted in reducing delays, particularly at the remand stage, where otherwise courts prefer physical production once trial begins. Despite the considerable increase in this facility, there is little data on the number of hearings held using video-conferencing, or on the production costs saved. Just prior to the onset of the pandemic, in 2019, only 60 per cent of prisons had video-conferencing facilities. Between 2019 and 2021, video-conference facilities increased from 808 prisons to 1,102, or 84 per cent.²² Thirteen states/UTs recorded 100 per cent coverage,²³ but only 4 states/UTs could cover less than half.²⁴ None of Lakshadweep's 4 prisons are equipped with this facility. Punjab, Jharkhand, Telangana and Himachal Pradesh recorded a drop in video-conferencing coverage.²⁵

Educational Facilities provided to inmates: In 2011, in an effort to promote literacy among prisoners, the Ministry of Home Affairs advised states to establish special study centres in prisons and organise workshops to popularise educational programmes offered by the National Open School, Distance Education Board and Indira Gandhi National Open University (IGNOU).²⁶ The Model Prison Manual, 2016 makes education for illiterate young offenders and adult prisoners compulsory and requires every prison to have adequately trained educational staff and basic facilities like classrooms and libraries. It also makes provisions for educational classes for undertrials.²⁷ The IJR measures the number of prisoners admitted during the year who were provided educational and vocational training.

Given that 65 per cent of the prison population is poorly educated,²⁸ literacy and up-skilling facilities are an invaluable reformatory and rehabilitative measure. There remains a lack of granular data about education facilities offered by various state prison departments in the annual Prison Statistics India report, as well as what gets categorized as education facilities. The range

Video-conferencing is justified on grounds of administrative efficiency and cost reduction. However, critics point out that, used mainly to extend remand, it has been at the cost of fair trial rights.

Although there are provisions in the prison manuals to facilitate meetings between prisoners and their families, as well as their lawyers, in practice, security concerns and restrictive environments mean that such opportunities are very limited. Lawyers seldom visit prisons to take instructions from clients and the right to effective legal representation suffers. As a result, often undertrials—a majority of whom are socio-economically disadvantaged—are faced with a court whose proceedings are opaque to them and/or are unable to brief their lawyers when they are produced through video-conferencing.

of educational facilities spans literacy campaigns run with the help of educated prisoners or a skeletal literacy staff, ad-hoc classes run by NGOs, and access to open schooling and open universities through study centres established in some of the central prisons. Similarly, vocational training facilities can include 'learning by doing' in the kitchen, carpentry, textiles, carpet making and other such industries, as well as short-term courses like wiring, plumbing, basic computer skills, etc. which are run with the help of NGOs or government agencies. The absence of clear standards about what constitutes education or vocational training programmes does not allow assessment of their efficacy in equipping inmates to do better in the outside world.

Vocational Training: The Model Prison Manual, 2016 mentions vocational training programmes as an essential feature of correctional programmes that must be imparted in every central and district prison for employable convicts and undertrials who volunteer.²⁹ The primary aim of vocational training for inmates is to "strengthen their will to work and their sense of economic security."³⁰

22 Prison Statistics India, 2021.

23 Arunachal Pradesh, Assam, Chandigarh, DNH & DD, Delhi, Goa, Haryana, Meghalaya, Puducherry, Sikkim, Tripura, Uttarakhand and West Bengal.

24 Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Manipur and Nagaland.

25 With the exception of Telangana, Jharkhand, Punjab and Himachal Pradesh recorded a drop in VC coverage due to the increase in number of prisons in these states.

26 Government of India, Ministry of Home Affairs, Advisory No. V-17013/01/2011-PR. Available at: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AdvEducationProg15062011.pdf>

27 Ministry of Home Affairs, Government of India, Model Prison Manual, 2016, Chapter XIV. Available at: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf>

28 Prison Statistics India captures the educational profiles of inmates under Illiterate, Below Class 10th, Class 10th and above but below graduation, Graduates, Postgraduates, Holding tech degrees/diplomas, and Others.

29 *Ibid.*

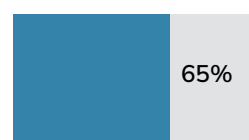
30 Ministry of Home Affairs, Government of India, Model Prison Manual, 2016, Chapter XV. Available at: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf>

Figure 22: Educational Profile of Inmates and facilities provided

As of December 2021, about 65% of the 5.5 lakh prisoners were either illiterate or had studied up to Class X. Yet, calculated against the 18 lakh inmates admitted across prisons during 2021, only 89,761 or 5% received some form of education.

Educational profile of inmates

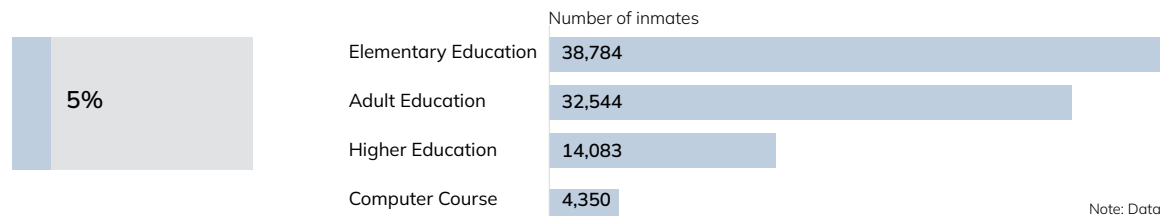
Illiterate or studied up to Class X on 31 December 2021



	Breakup by educational level (%)					
	Illiterate	Below Class X	Class X & above but below Graduation	Graduate	Holding Tech. Degree/ Diploma	Post Graduate
Convicts	25.1	42.8	22.0	6.8	1.3	1.9
Undertrials	25.3	39.4	24.6	7.7	1.2	1.8
Detenues	19.2	39.2	28.8	6.6	3.5	2.7
Other Prisoners	33.6	34.9	24.3	5.7	0.2	1.3

Educational facilities received in prison

Number of inmates who received education against 18 lakh inmates admitted during the year



Note: Data for 2021.
Source: Prison Statistics India

Vocational training is classified into agriculture, carpentry, tailoring, making soap and phenyl, handloom and 'others', and is available to convicts and undertrials who volunteer. No state/UT with the exception of Sikkim (29 per cent) could provide training to more than 20 per cent of inmates during 2021. A majority could not skill up more than 10 per cent. West Bengal could not reach even one per cent (0.14 per cent) while Goa, Arunachal Pradesh, Ladakh, Lakshadweep and Daman & Diu provided no training.

Human Resources & Workload

Prison staff are documented as: officers, cadre staff, correctional staff, medical and ministerial staff. Staff vacancies are measured against sanctioned strength. Historically, sanctioned strength remains static or changes very little over the years and may often lag behind present needs. Looked at across the last decade, overall vacancies hover around 30 per cent. In this situation convicted prisoners earning wages are routinely appointed as convict warders, watchmen, etc. and paid to manage everyday chores. At the end of 2021, the national average vacancies stood at 28 per cent. Half the states/UTs were functioning with one-fourth of their staff

Medical staff vacancy (%
December 2021)

Medical officer vacancy (%
December 2021)

Cadre staff vacancy (%
December 2021)

Correctional staff vacancy (%
December 2021)

Officers vacancy (%
December 2021)

Personnel trained (%
December 2021)

Inmates per officer (persons,
December 2021)

Inmates per cadre staff (persons,
December 2021)

Inmates per correctional staff (persons,
December 2021)

Inmates per medical officer (persons,
December 2021) **NEW**

Officer vacancy (pp, CY '17-'21)

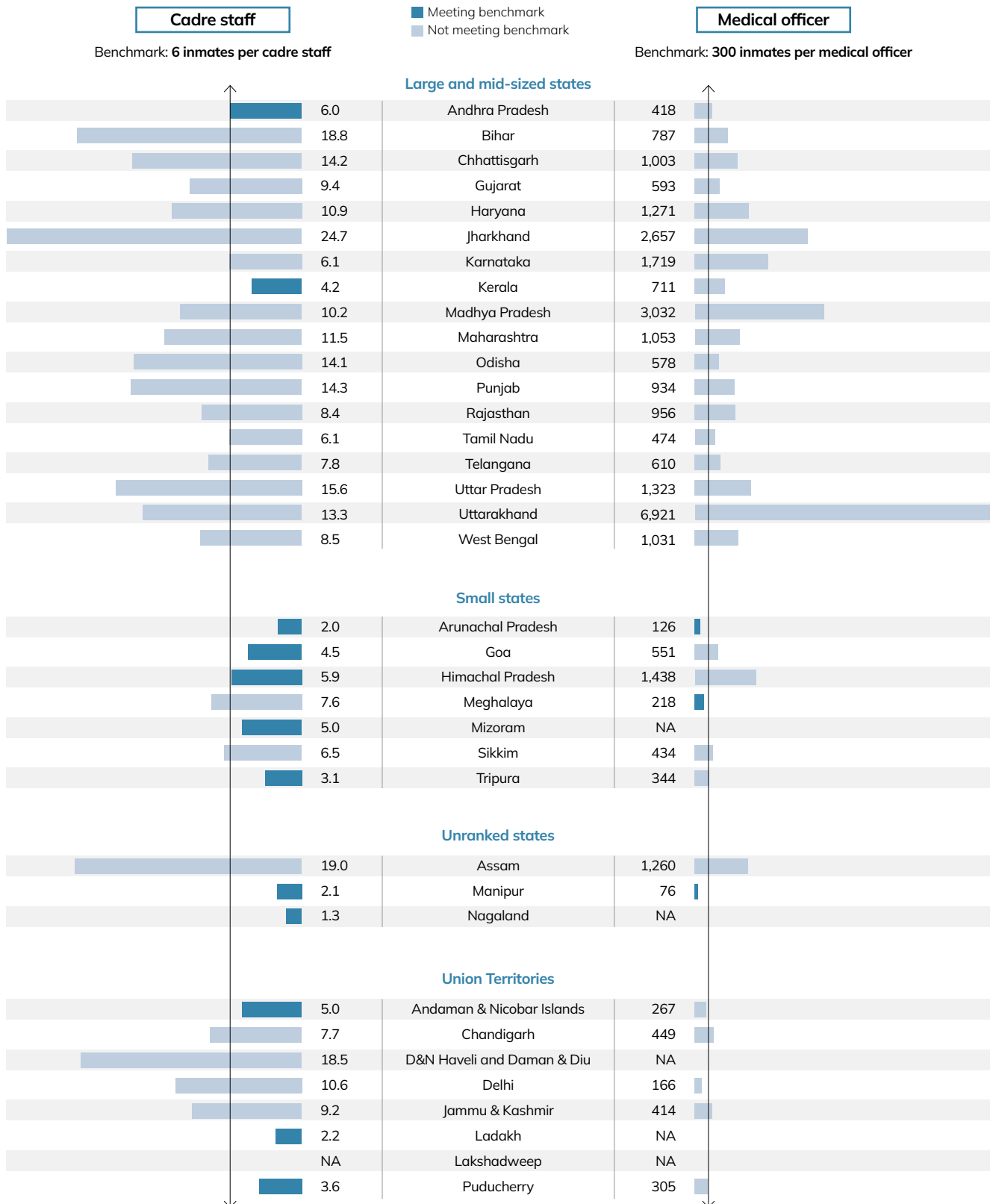
Cadre staff vacancy (pp, CY '17-'21)

Inmates per prison officer (%
CY '17-'21)

Inmates per cadre staff (%
CY '17-'21)

Figure 23: Meeting benchmarks

The Model Prison Manual, 2016 aims to bring uniformity in the administration of prisons and the management of prisoners. Most states have fallen short of meeting the benchmarks as mandated.



Note: States/Union Territories arranged in alphabetical order within category.
Source: Prison Statistics India

positions lying vacant. Among large states, Jharkhand recorded the highest vacancy level (59.3 per cent) and among small states and UTs, it was Ladakh (83.1 per cent) and Sikkim (52.3 per cent).

Medical Staff: Prison health personnel are categorised as medical officers, meaning qualified doctors, as well as medical staff which includes lab technicians, pharmacists and compounders. The Model Prison Manual, 2016 requires one doctor for every 300 prisoners. Over the years, the chronic unaddressed shortage of qualified doctors has only become more acute. Nationally, vacancies increased sharply from 34 per cent in 2020 to 48.2 per cent in 2021. Against a sanctioned strength of 1,270, the already low number of 797 in service in 2020 decreased further to 658. Against a population of 554,034 inmates this averages to one qualified doctor for 842 inmates, indicating that not every prison has a doctor and must rely on any available district health professional for medical emergencies and general healthcare.

The shortage of medical staff other than doctors is even more acute. With only 2,080 actual medical staff against 3,497 sanctioned nationally, vacancies increased to 40.5 per cent in 2021 from 32.7 per cent in 2020. Fifteen states/UTs show more than 40 per cent vacancies,³¹ with Goa (84.6 per cent), West Bengal (66.8 per cent) and Karnataka (61.3 per cent) recording the highest levels. Thirteen states³² showed an increase in vacancies over the last year and only 3 states/UTs (Nagaland, A&N Islands, Puducherry) showed no vacancy.

Cadre Staff: The Model Prison Manual, 2016 provides that there be 1 guarding/cadre staff for every 6 prisoners.³³

The everyday management of prisons rests with cadre staff: warders, matrons and security personnel, working directly with inmates in three shifts. Their tasks include guarding and sentry duties, roll calls three times a day, purchasing, accounting and distributing the commissariat, preparing inmates to leave for court, maintaining registers of those who come in or go out, supervising cleanliness,

Simple Division

At the end of 2021, 658 doctors across 1,319 prisons indicates half a doctor per prison. Taken against the incarcerated prison population of 554,034 at the end of the year there was 1 doctor for every 842 inmates and 1 woman doctor for 266 women prisoners.

distributing work and household activities.³⁴

Nineteen states/UTs have 1 in 4 cadre staff missing.³⁵ There is a marginal decrease in vacancies from 29 per cent in 2020 to 26 per cent in 2021. Nationally, Ladakh (80 per cent) records the highest vacancies while Nagaland (0.3 per cent) the lowest. Among the 18 large and mid-sized states, Jharkhand (60 per cent) records the highest while Tamil Nadu (9.8 per cent) the lowest vacancies.

Over a three-year period (2019–2021), Jharkhand and Sikkim continued to work with less than 40 per cent and 44 per cent staff respectively. Punjab (47.3 per cent), Bihar (41.4 per cent) and Gujarat (34 per cent) have shown a substantial increase in vacancies since 2019. Only four states—Arunachal Pradesh (3.1 per cent), Manipur (4.8 per cent), Nagaland (0.3 per cent) and Tamil Nadu (9.8 per cent)—record vacancies less than 10 per cent.

Only twelve³⁶ out of 36 states/UTs have met the benchmark of one cadre staff for every six inmates nationally. Jharkhand—with an inmate population of over 21,000 inmates—has the workload of 25 inmates per cadre staff, which is the highest nationally.

Correctional Staff: The Manual lays down a benchmark of 1 correctional officer for every 200 prisoners and 1 psychologist/counsellor for every 500.

Given that the guiding philosophy of incarceration is being directed into rehabilitation rather than retribution,³⁷ the absence of correctional staff—a cohort of probation

31 Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Ladakh, Madhya Pradesh, Odisha, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.

32 Assam, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal.

33 Ministry of Home Affairs, Government of India, Model Prison Manual, 2016. Available at: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf>

34 Model Prison Manual, 2016, Chapter IV, op. cit., p. 42.

35 Andaman & Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, DNH & DD, Goa, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Ladakh, Meghalaya, Mizoram, Punjab, Sikkim, Tripura and Uttarakhand.

36 Andaman & Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Goa, Himachal Pradesh, Kerala, Ladakh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Puducherry and Tripura.

37 "Not all convicts lodged in jail are criminals by nature, and there should be a way to rehabilitate them back into society" in "Centre to bring Model Prisons Act: Amit Shah", Hindustan Times, 5 September 2022. Available at: <https://www.hindustantimes.com/india-news/centre-to-bring-model-prisons-act-amit-shah-101662315982981.html>

or welfare officers, psychologists and social workers primarily concerned with the mental and physical well-being of prisoners and their integration into society—is particularly stark. Over the years, vacancies remain severe, the workload excessive and institutional capacities remain nugatory.

To meet the benchmark of 1 correctional officer for every 200 prisoners, there need to be at least 2,770 sanctioned posts of correctional staff across the country. In reality, in 2021, there were only 886 correctional staff against 1,391 sanctioned posts. Nationally, on average, 1 correctional staff member serves 625 inmates; and vacancies stood at 36 per cent, a slight decrease from 40 per cent in 2020 and 42 per cent in 2019.

With the exception of Tamil Nadu and Chandigarh, no other state/UT meets the benchmark of 1 correctional officer for 200 inmates.³⁸ Rajasthan with 1 staff member for 22,938 inmates and Jharkhand with 1 for 21,257, record the highest workloads. Telangana and Tripura, with inmate populations of 7,316 and 1,033 respectively, have sanctioned only 1 correctional officer across their prisons. Punjab, Haryana and Goa continue to have 100 per cent vacancies since 2017.

Diversity

Women in prison staff (%
December 2021)

Share of women in prison staff
(pp, CY 2017-2021)

Although the Model Prison Manual doesn't provide a benchmark, policy documents suggest 33 per cent reservation for women. As of 2021, no state fulfilled this quota. Nationally, women accounted for only 13.8 per cent of the total staff, a marginal increase from 13.7 per cent in 2020 and 12.8 per cent in 2019. The glass ceiling remains in place and the gender disparity increases as

ranks rise. Nationally, women accounted for only 9.6 per cent among officers.

Karnataka was the only state where women constituted 32 per cent of total prison staff. In seventeen states/UTs the share of women does not cross 10 per cent.³⁹ Looked at over five years (2017–2021), twenty-one states/UTs⁴⁰ made slow but steady changes with Bihar recording the biggest improvement with 3.26 percentage points among the 18 large and mid-sized states while Uttarakhand showed a negative growth.

The Model Prison Manual provides for lady medical officers for the care of women inmates who constitute 4 per cent (22,918) of the total inmate population. Although there is no specific provision for the recruitment of women medical officers, the Manual mandates prison administrations to engage part-time women medical officers from the concerned district government hospitals.⁴¹ Seventeen states/UTs⁴² do not record any female medical officers. Uttar Pradesh with the most women prisoners (4,995), for instance, records just 3 female medical officers across all the state's prisons.⁴³

Budget

Budgets and Expenditure

Difference in spend: prisons vs state
(pp, FY '17-'21)

Prison budget utilised (% , 2021-22)

Budget used (pp, FY '18-'22)

Spend per inmate (Rs, 2021-22)

Spend per inmate (% , FY '18-'22)

Budgets & spend per prisoner: In 2020–21, the overall sanctioned budget for prisons across the country rose from 6740.6 crore (₹67.4 billion) to 7619.2 crore (₹76.19 billion), a 13.03 per cent increase from the year before.⁴⁴ All states/UTs with the exception of seven⁴⁵ recorded an

38 The Model Prison Manual, 2016 states that there should be one correctional officer for every 200 prisoners. However, the PSI disaggregates data on correctional staff to include probation officers/welfare officers, psychologists/psychiatrists and social workers. This report has measured inmates per total correctional staff as recorded in PSI against the benchmark laid down in the Model Prison Manual.

39 Andaman & Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Chandigarh, DNH & DD, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Kerala, Ladakh, Puducherry, Punjab, Tripura, Uttar Pradesh and Uttarakhand.

40 Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Odisha, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal.

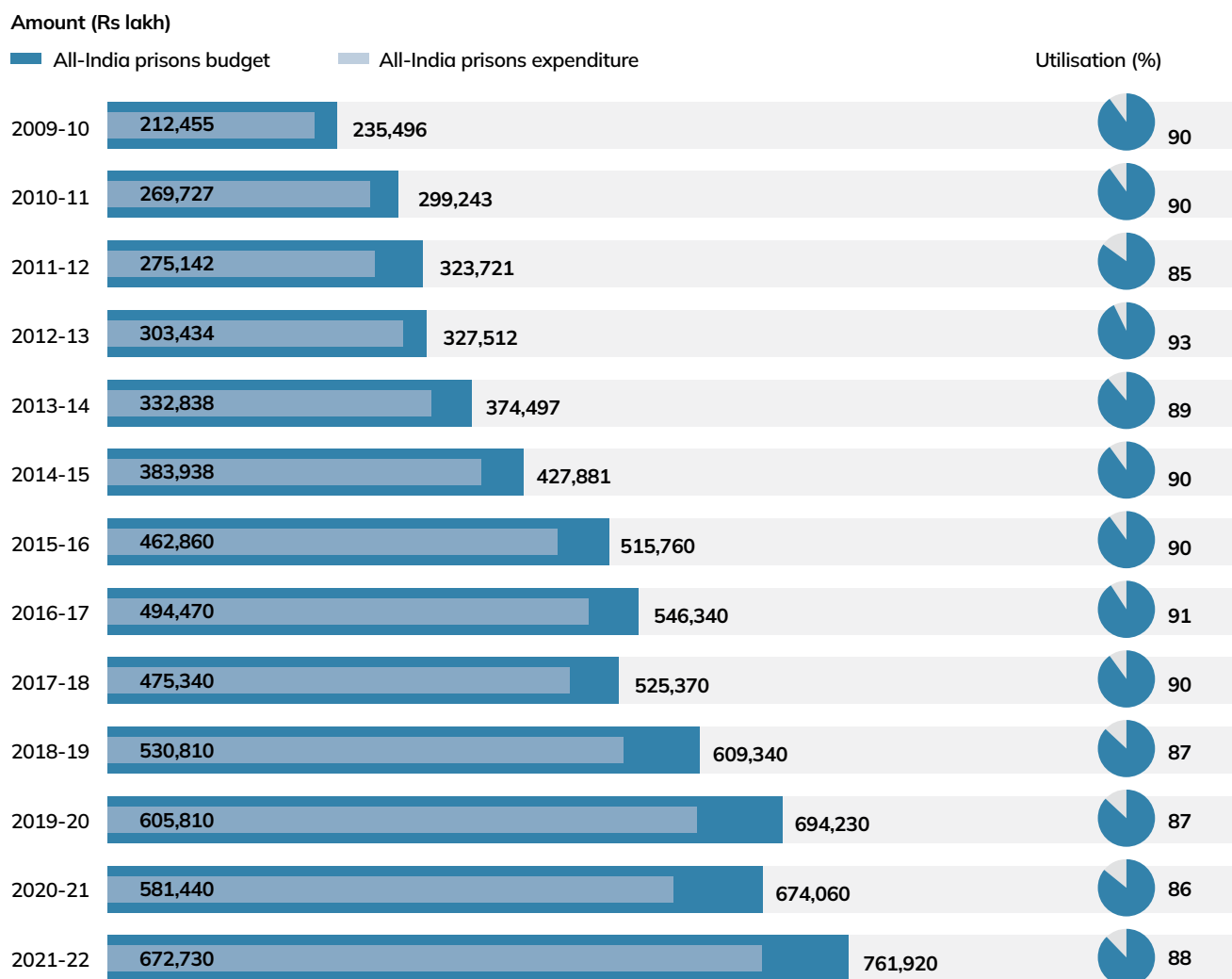
41 Ministry of Home Affairs, Government of India, Model Prison Manual, 2016; Chapter 26, Rule 26.25, p.243. Available at: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf>

42 Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, DNH & DD, Goa, Haryana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Ladakh, Lakshadweep, Nagaland, Puducherry, Sikkim, Tripura and Uttarakhand.

43 Prison Statistics India, *op. cit.*, p. 261.

44 Prison India Statistics, 2021; Table 12.2, p. 274.

45 Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Puducherry, Telangana, Uttarakhand and West Bengal

Figure 24: National trend of prison budget utilisation over the last decade

Source: Prison Statistics India

increase in their sanctioned budgets. Tripura's sanctioned budget grew by 162 per cent, increasing from 13.7 crore in 2020–21 to 35.9 crore while Uttarakhand plummeted to 4.6 crore from 31.2 crore or by 85 per cent.

Of their overall sanctioned budgets, nationally, on average, states utilized 88 per cent—a marginal increase from 86 per cent in 2020. A majority of states utilised more than 90 per cent. Ladakh (61 per cent), Jammu and Kashmir (71 per cent) and Bihar (74 per cent) record the least utilisation while Lakshadweep reports no utilisation.⁴⁶ Only five states/UTs—Andaman & Nicobar

Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Mizoram and Tamil Nadu—utilised their entire budget. Telangana utilised 14 per cent over and above its allocated sum.

Between 2020 and 2021, twenty states/UTs, including ten large and mid-sized states, showed an increase in budget utilisation.⁴⁷ Over the five-year period of 2018 to 2022, Telangana (4.43 percentage points), Andhra Pradesh (3.96 percentage points) and Jharkhand (2.33 percentage points) recorded an increase, while Uttar Pradesh (-3.42 percentage points), Bihar (-2.16

⁴⁶ Prison Statistics India, 2021 records budgets to state prison departments in crores and while Lakshadweep records a sanctioned budget of 0.1 crores, it records no expenditure. This may be due to the expenditure amounting in lakhs.

⁴⁷ Andaman & Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, DNH & DD, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Ladakh, Maharashtra, Meghalaya, Nagaland, Odisha, Puducherry, Sikkim, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal.

percentage points) and Chhattisgarh (-1.16 percentage points) showed a decline in budget utilisation.

Spend per Inmate: Of the 7,619.2 crore budget allocated for prisons in 2021–22, states could utilise 6,727.3 crore (67.27 billion) or 88 per cent. The India Justice Report defines ‘spend per inmate’ as the expenditure made per inmate on meeting the expenses of food, clothing, medical needs, vocational training, education and welfare activities.

Of this, 31 per cent or 2,106.86 crore was spent on food, clothing, medical needs, vocational training, education and other welfare activities, nationally.

Nationally, 16 states/UTs⁴⁸ spent less than Rs. 35,000 on inmates annually or less than Rs. 100 per day. Among the large and mid-sized states, Andhra Pradesh—with 106 prisons and 7,950 inmates—spent the most (nearly Rs. 580 per day), while Uttarakhand (Rs. 6,112), with 11 prisons housing 6,921 inmates, spent the least at Rs. 17 per day. Over five years (2018–22) twenty states/UTs⁴⁹ show increased spend per inmate. Haryana with 20 prisons increased its spend per inmate by 117 percentage points between 2018–22, the highest rate, followed by Andhra Pradesh with a 75 percentage points increase. Assam (-7.2 pp), Himachal Pradesh (-7.6 pp), Maharashtra (-5.8 pp), Puducherry (-7.4 pp), Uttarakhand (-10.6 pp) and Goa (-20.6 pp) decreased their average spend per inmate.

The average five-year change in expenditure on prisons indicates the priority each state extends to this subsystem.

In nineteen states/UTs prison expenditure trailed the overall state budget expenditure,⁵⁰ over a five-year period between 2015–16 and 2020–21. For instance, Goa’s overall state budget grew at 7.33 percentage points on average, while its prison budget recorded a negative growth at 11.87 percentage points; implying that the prison budgets did not grow at the same pace as the overall state budget. Similarly, Telangana’s overall state budget showed an average growth rate of 9.74 percentage points, whereas the prison budget recorded a negative growth rate at 2.25 percentage points in the same period.

In 14 states/UTs,⁵¹ including Bihar (1.57 pp), West Bengal (2.12 pp), Gujarat (16.66 pp), Karnataka (6.26 pp), Chhattisgarh (6.08 pp) and Jharkhand (5.79 pp), prison budget utilisation has kept pace with the overall state budget expenditure. Goa (-19.20 percentage points) and Telangana (-11.99 percentage points) record the highest decreases in prison budget utilisation when compared to overall utilisation of state budgets over five years.

Prof. Vijay Raghavan, TISS-Prayas;
Madhurima Dhanuka, Commonwealth
Human Rights Initiative;
Sugandha Mathur, Commonwealth
Human Rights Initiative;
Nayanika Singhal, India Justice Report;
Lakhwinder Kaur, India Justice Report

⁴⁸ Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Odisha, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.

⁴⁹ Andaman & Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, DNH & DD, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana and Tripura.

⁵⁰ Arunachal Pradesh, Andhra Pradesh, DNH & DD, Goa, Haryana, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh and Uttarakhand.

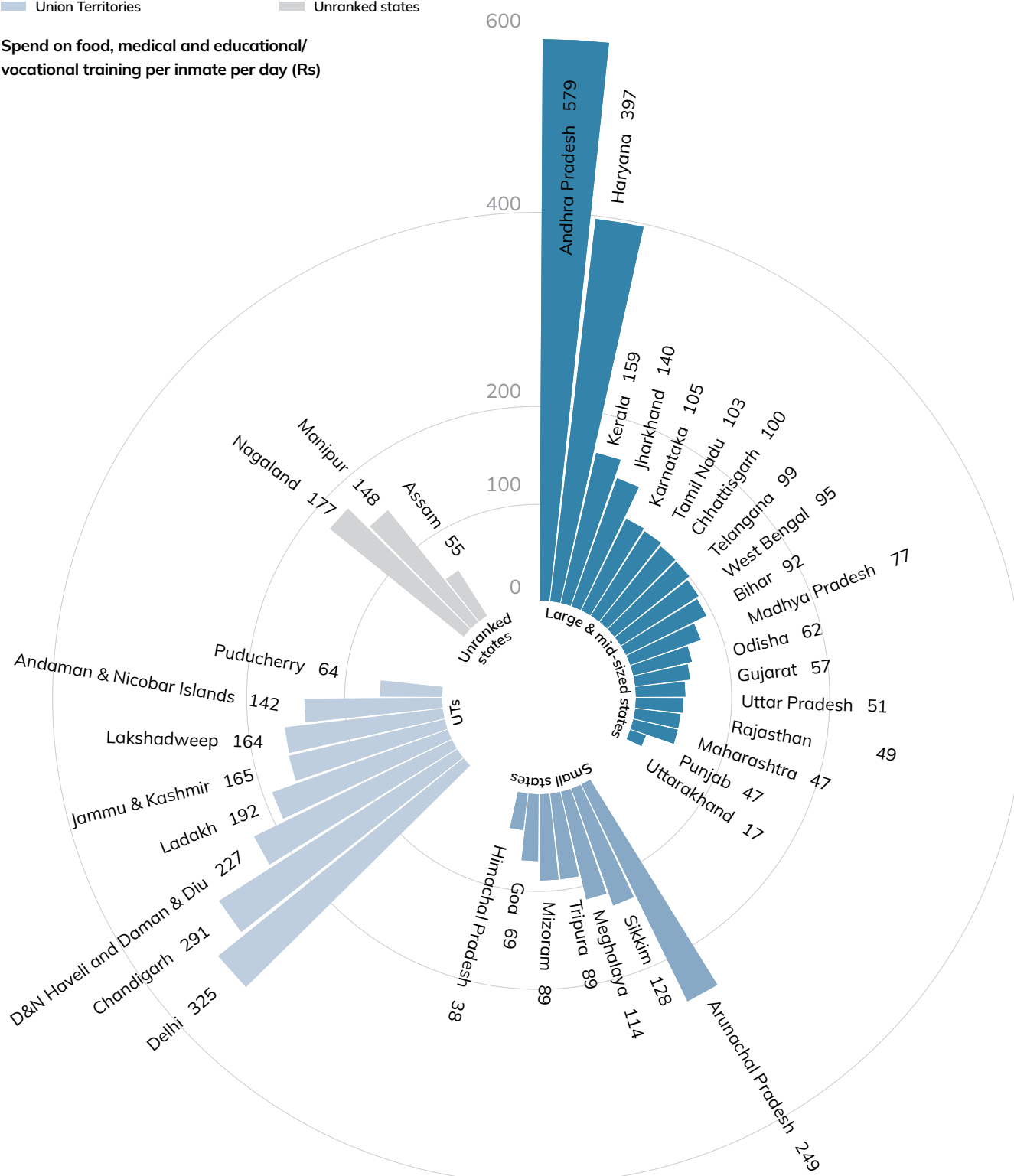
⁵¹ Andaman & Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Nagaland, Puducherry, Sikkim and West Bengal.

Figure 25: Daily spend per inmate

Over five years (2018-2022) fifteen states show an increase in the expenditure on food, medical needs, and vocational and educational facilities of inmates. The following figure shows the daily spend per inmate state-wise.

■ Large and mid-sized states ■ Small states
■ Union Territories ■ Unranked states

Spend on food, medical and educational/
vocational training per inmate per day (Rs)



Note: States/Union Territories arranged in descending order of spend within cluster.
Source: Prison Statistics India

Reforming Prisons in Karnataka

CHRI's 2019 study⁵² on 51 operational prisons in Karnataka demonstrates that a coordinated effort by the state mechanisms—in this case the prison department, State Legal Services Authority and the Karnataka High Court—can indeed catalyse reform.

Finding

1. The Karnataka Prison Manual and Rules does not govern revenue prisons. Conditions here are extremely poor and prisoners' rights neglected.
2. After 2000 only 18 of 51 prisons were constructed. Buildings need upgrading and designs that accommodate new requirements, like legal-aid clinics, video-conferencing systems, CCTV cameras and western toilets.
3. Non-compliance of the Model Prison Manual 2016 standards limiting access to adequate sanitation facilities. The toilet-prisoner ratio was 1:200 in two sub-prisons.
4. A dearth of regular doctors, specialists, nurses and lab technicians resulting in one medical personnel, including visiting medical officers, for every 250-300 inmates.
5. Training for vocations such as weaving and carpentry without any survey of their usefulness limits opportunities for prisoners once released. Further, securing wages was difficult for prisoners with no documents to open bank accounts.

Impact

1. Inmates in revenue prisons were shifted to nearby facilities. A proposal to transfer all revenue prisons to the Department of Prisons and Correctional Services is pending.
2. Karnataka's prison department has undertaken the creation of additional prisoner capacity of 5,500 at a cost of Rs. 450 crore with plans to construct new prisons and renovate the older ones.
3. By April 2022, Rs. 5.55 crore was sanctioned by the state government to construct 60 additional toilets and 322 bathrooms, at par with the Model Prison Manual, 2016 standards.
4. A proposal to transfer healthcare facilities to the Department of Health and Family is under consideration by the state government.
5. Karnataka is among the few states in the country to have enacted the Prison Development Board Act in October 2021. Jan Dhan accounts have been opened for all convicts in all prisons and a proposal to increase the wages of prisoners is currently pending with the state government.

⁵² Commonwealth Human Rights Initiative, Inside Karnataka's Prisons, 2019. Available at: <https://kslsa.kar.nic.in/library.html>

Table 4: Indicator-wise data, state scores and ranks

	Rank in cluster			IJR 3 Score (out of 10)	Indicators improved on (out of 14) ¹	Indicator	Budgets	
	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022				Spend per inmate (Rs, 2021-22)	Prison budget utilized (%, 2021-22)
							Higher, the better	Higher, the better
National average							38,028	88.3
Large and mid-sized states								
Andhra Pradesh	15	7	5	5.02		9	211,157	97.2
Bihar	6	3	9	4.53		5	33,460	74.0
Chhattisgarh	8	11	12	3.91		4	36,519	80.7
Gujarat	9	10	6	4.93		10	20,962	91.8
Haryana	11	16	16	3.57		7	145,008	89.3
Jharkhand	18	15	14	3.69		4	51,211	95.5
Karnataka	3	14	2	6.01		12	38,454	98.9
Kerala	1	5	4	5.23		11	58,192	98.8
Madhya Pradesh	7	8	7	4.78		4	28,036	90.0
Maharashtra	2	4	10	4.32		6	17,187	89.0
Odisha	5	9	11	4.13		6	22,779	88.9
Punjab	16	13	15	3.91		7	17,115	93.1
Rajasthan	12	1	8	4.71		2	17,735	86.0
Tamil Nadu	10	6	1	6.24		9	37,474	100.0
Telangana	13	2	3	5.35		6	36,249	114.0
Uttar Pradesh	14	17	17	3.55		7	18,550	77.1
Uttarakhand	17	18	18	2.05		5	6,112	95.7
West Bengal	4	12	13	3.75		7	34,813	96.7
Small states								
Arunachal Pradesh	3	3	1	5.32		7	90,837	99.7
Goa	1	4	7	2.62		6	25,045	84.5
Himachal Pradesh	6	1	2	4.23		3	13,978	93.8
Meghalaya	2	5	6	3.49		5	41,690	93.4
Mizoram	4	7	3	3.76		7	32,348	100.0
Sikkim	7	6	4	3.73		3	46,544	94.3
Tripura	5	2	5	3.67		7	32,430	94.4
Unranked states								
Assam		Not ranked				3	20,121	81.0
Manipur		Not ranked				8	54,173	80.0
Nagaland		Not ranked				8	64,600	99.8
Union Territories								
A&N Islands		Not ranked				8	51,685	100.0
Chandigarh		Not ranked				13	106,243	100.0
DNH & DD		Not ranked				NA	82,703	100.0
Delhi		Not ranked				9	118,737	95.8
Jammu & Kashmir		Not ranked				NA	60,201	71.0
Ladakh		Not ranked				NA	70,000	60.9
Lakshadweep		Not ranked				1	60,000	0.0
Puducherry		Not ranked				8	23,279	93.2

Data sources: Prison Statistics India (PSI), National Crime Records Bureau (NCRB); Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; Union Budget documents; Open Budgets India; e-prisons website.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iv. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. v. pp: percentage points (the difference between two percentages). vi. NA: Not available. vii. CY: Calendar year; FY: Financial year.

1. Count of indicators on which a state has improved over IJR 2. Only non-trend indicators present in both IJR 2 and IJR 3 have been considered. For indicators with benchmarks, if a state met the benchmark, it was marked as an improvement even if its value declined within the benchmark. If a state didn't meet the benchmark but its value improved, it was marked as an improvement. D&NH/D&D, J&K and Ladakh values are not comparable with IJR 2, and so have not been considered.

Table 4: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Indicator	Human Resources					
		Officers, vacancy (% Dec 2021)	Cadre staff, vacancy (% Dec 2021)	Correctional staff, vacancy (% Dec 2021)	Medical staff, vacancy (% Dec 2021)	Medical officers, vacancy (% Dec 2021)	Personnel trained (% Dec 2021)
		Lower, the better	Lower, the better	Lower, the better	Lower, the better	Lower, the better	Higher, the better
	National average	27.9	25.3	36.3	40.5	48.2	20.0
Large and mid-sized states							
	Andhra Pradesh	23.2	26.8	NA ³	26.7	13.6	12.5
	Bihar	25.8	41.4	32.9	49.8	62.4	9.0
	Chhattisgarh	64.7	27.7	49.5	51.7	56.5	3.5
	Gujarat	30.0	34.0	44.4	14.7	12.5	28.1
	Haryana	34.6	28.8	100.0 ●	50.5	47.2	18.5
	Jharkhand	67.6 ●	60.3	66.7	59.7	83.7	2.8
	Karnataka	14.5	21.3	20.7	61.3	66.7	155.1 ●
	Kerala	6.9 ●	11.4	3.6	23.5	16.7	6.7
	Madhya Pradesh	41.4	15.4	18.8	47.2	72.4	28.0
	Maharashtra	22.0	11.2	46.0	27.0	20.5	4.8
	Odisha	23.3	21.3	41.6	46.3	61.7	15.2
	Punjab	29.3	47.3	100.0 ●	37.4	33.3	20.2
	Rajasthan	37.3	22.8	87.5	22.9	35.1	15.0
	Tamil Nadu	11.0 ●	9.8	15.0	7.8 ●	11.6 ●	6.4
	Telangana	8.0	13.5	0.0 ●	53.4	45.5	11.1
	Uttar Pradesh	36.1	19.4	37.1	52.3	36.0	8.0
	Uttarakhand	77.1 ●	37.1	NA ³	56.3	90.0 ●	0.2 ●
	West Bengal	24.3	19.2	31.3	66.8 ●	77.3	14.4
Small states							
	Arunachal Pradesh	43.8 ●	3.1	NA ³	10.0 ●	0.0 ●	0.6
	Goa	29.6 ●	31.5	100.0 ●	84.6 ●	83.3	10.5
	Himachal Pradesh	36.4	17.1	69.2	52.2	50.0	3.4
	Meghalaya	31.6	25.5	NA ³	10.0 ●	0.0 ●	4.8
	Mizoram	45.9	25.5	NA ³	40.0	100.0 ●	14.9 ●
	Sikkim	40.7 ●	56.2	NA ³	28.6	50.0	0.0 ●
	Tripura	65.6 ●	38.4	0.0 ●	29.4	0.0 ●	0.7
Unranked states							
	Assam	27.3	39.9	10.5	45.9	74.2	8.1
	Manipur	38.8	4.8	NA ³	22.5	11.1	2.8
	Nagaland	0.0	0.3	33.3	0.0	NA ⁵	6.4
Union Territories							
	A&N Islands	33.3	38.4	0.0	0.0	0.0	9.9
	Chandigarh	0.0	25.0	0.0	14.3	0.0	21.0
	DNH & DD	-200.0	37.5	NA ³	NA ⁴	NA ⁵	0.0
	Delhi	29.5	16.6	47.6	12.3	15.4	29.0
	Jammu & Kashmir	43.3	41.3	63.5	30.3	40.0	11.1
	Ladakh	80.0	80.4	NA ³	85.7	100.0	0.0
	Lakshadweep	NA ²	NA ²	NA ³	NA ⁴	NA ⁵	NA ⁶
	Puducherry	16.7	12.5	NA ³	0.0	0.0	0.0

Data sources: Prison Statistics India (PSI), National Crime Records Bureau (NCRB); Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; Union Budget documents; Open Budgets India; e-prisons website.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NHD&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iv. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. v. pp: percentage points (the difference between two percentages). vi. NA: Not available. vii. CY: Calendar year; FY: Financial year.

2. PSI shows 0 sanctioned and actual officers and cadre staff. 3. PSI shows 0 sanctioned and actual correctional staff. 4. PSI shows 0 sanctioned and actual medical staff. 5. PSI shows 0 sanctioned and actual medical officers. 6. PSI shows 0 sanctioned and actual total staff.

Table 4: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Diversity		Infrastructure				
	Indicator	Women in prison staff (%, Dec 2021)	Prison occupancy (%, Dec 2021)	NEW Share of jails with 100% and more occupancy (%, 2022)	NEW Share of jails with 150% and more occupancy (%, 2022)	NEW Undertrials detained for 1-3 years (%, Dec 2021)	NEW Inmates (admitted) availed educational course (%, Dec 2021)
		Higher, the better	Lower, the better	Lower, the better	Lower, the better	Lower, the better	Higher, the better
		Scoring guide					
	National average	13.8	130.2	54	30	20.8	4.97
Large and mid-sized states							
	Andhra Pradesh	8.4	90.7	25	16	5.2 	2.21
	Bihar	21.5	140.1	73	41	14.0	6.40
	Chhattisgarh	10.4	148.6	63	47	26.9	5.86
	Gujarat	7.2	118.6	72	28	23.5	3.84
	Haryana	6.2	120.8	90 	60	23.4	7.46
	Jharkhand	9.3	121.5	71	26	21.9	5.97
	Karnataka	32.0 	100.6	48	22	20.4	8.07
	Kerala	10.0	89.8	75	43	7.2	1.83
	Madhya Pradesh	18.6	164.1	56	31	23.3	4.76
	Maharashtra	14.8	148.8	53	37	23.9	2.34
	Odisha	12.5	99.1	62	23	22.1	2.49
	Punjab	9.4	98.5	73	23	20.5	0.48
	Rajasthan	19.4	100.2	59	19	27.5 	2.08
	Tamil Nadu	14.1	76.4 	11 	1 	6.8	7.88
	Telangana	10.5	91.5	32	12	6.7	21.52
	Uttar Pradesh	9.9	184.8	85	77 	23.4	5.18
	Uttarakhand	3.6 	185.0 	82	73	22.9	0.52
	West Bengal	10.9	120.0	80	60	24.6	1.46
Small states							
	Arunachal Pradesh	18.2	75.4	56	33	19.0	0.00
	Goa	1.8 	88.3	100 	0 	47.2 	0.78
	Himachal Pradesh	8.4	119.0	61	13	30.2	0.11
	Meghalaya	14.8	160.1	80	20	27.5	0.00
	Mizoram	25.0 	78.6	56	56 	11.4 	0.10
	Sikkim	23.2	166.9 	50	50	37.1	0.25
	Tripura	5.4	46.9 	14 	7	11.5	0.00
Unranked states							
	Assam	12.8	112.8	81	74	4.0	10.04
	Manipur	10.7	48.0	0 ⁷	0 ⁷	16.8	0.00
	Nagaland	22.5	34.5	0	0	14.7	0.00
Union Territories							
	A&N Islands	6.9	83.7	0	0	41.8	0.90
	Chandigarh	6.4	80.1	100	0	26.6	6.81
	DNH & DD	0.0	108.8	67	67	35.0	0.00
	Delhi	12.5	182.5	13	7	22.7	6.17
	Jammu & Kashmir	8.1	138.6	87	47	27.2	8.68
	Ladakh	8.3	12.9	0	0	25.0	0.00
	Lakshadweep	NA ⁶	7.8	0 ⁸	0 ⁸	0.0	0.00
	Puducherry	9.5	73.3	25	25	8.6	0.00

Data sources: Prison Statistics India (PSI), National Crime Records Bureau (NCRB); Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; Union Budget documents; Open Budgets India; e-prisons website.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iv. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. v. pp: percentage points (the difference between two percentages). vi. NA: Not available. vii. CY: Calendar year; FY: Financial year.

6. PSI shows 0 sanctioned and actual total staff. 7. The e-prisons website does not provide capacity of the 5 prisons in Manipur. But as per PSI, these 5 prisons are not overcrowded, and hence we have assumed no jail is overcrowded. 8. The e-prisons website does not provide capacity of the 4 prisons in Lakshadweep. But as per PSI, these have an occupancy of 8%, and hence we have assumed no jail is overcrowded.

Table 4: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Infrastructure		Workload		
	Indicator	Inmates (admitted) availed vocational training (% Dec 2021)	Jails with V-C facility (% Dec 2021)	Inmates per officer (Number, Dec 2021)	Inmates per cadre staff (Number, Dec 2021)
Scoring guide	Higher, the better	Higher, the better	Lower, the better	Lower, the better	Lower, the better
National average	2.18	84	105	11.2	625
Large and mid-sized states					
Andhra Pradesh	0.83	74	33	6.0	NA ¹⁰
Bihar	1.09	97	253	18.8	256
Chhattisgarh	2.57	94	264	14.2	436
Gujarat	1.78	94	55	9.4	3,319
Haryana	5.14	100	163	10.9	NA ¹¹
Jharkhand	7.67	91	443	24.7	21,257
Karnataka	2.88	68	49	6.1	673
Kerala	4.01	96	31	4.2	263
Madhya Pradesh	1.63	94	199	10.2	746
Maharashtra	0.55	75	72	11.5	365
Odisha	1.19	83	83	14.1	221
Punjab	1.42	92	168	14.3	NA ¹¹
Rajasthan	4.53	64	112	8.4	22,938
Tamil Nadu	1.05	82	21	6.1	198
Telangana	2.26	57	46	7.8	7,316
Uttar Pradesh	2.65	96	287	15.6	2,677
Uttarakhand	2.00	100	532	13.3	NA ¹⁰
West Bengal	0.14	100	134	8.5	560
Small states					
Arunachal Pradesh	0.00	100	28	2.0	NA ¹⁰
Goa	0.00	100	32	4.5	NA ¹¹
Himachal Pradesh	5.05	94	115	5.9	719
Meghalaya	3.99	100	99	7.6	NA ¹⁰
Mizoram	0.62	70	62	5.0	NA ¹⁰
Sikkim	28.78	100	31	6.5	NA ¹⁰
Tripura	1.13	100	103	3.1	1,033
Unranked states					
Assam	1.53	100	88	19.0	593
Manipur	1.94	40	15	2.1	NA ¹⁰
Nagaland	5.69	45	14	1.3	250
Union Territories					
A&N Islands	13.85	25	53	5.0	267
Chandigarh	19.74	100	90	7.7	64
DNH & DD	0.00	100	46	18.5	NA ¹⁰
Delhi	5.10	100	58	10.6	832
Jammu & Kashmir	5.23	93	155	9.2	262
Ladakh	0.00	50	20	2.2	NA ¹⁰
Lakshadweep	0.00	0	NA ⁹	NA ⁹	NA ¹⁰
Puducherry	1.14	100	34	3.6	NA ¹⁰

Data sources: Prison Statistics India (PSI), National Crime Records Bureau (NCRB); Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; Union Budget documents; Open Budgets India; e-prisons website.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iv. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. v. pp: percentage points (the difference between two percentages). vi. NA: Not available. vii. CY: Calendar year; FY: Financial year.

9. PSI shows 0 sanctioned and actual officers and cadre staff. 10. PSI shows 0 sanctioned and actual correctional staff. 11. PSI shows 0 correctional staff

Table 4: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Workload		Trends		
	Indicator	Inmates per medical officer (Number, Dec 2021)	Officer vacancy (pp, CY '17-'21)	Cadre staff vacancy (pp, CY '17-'21)	Share of women in prison staff (pp, CY '17-'21)
Scoring guide		Lower, the better	Lower, the better	Lower, the better	Higher, the better
National average		842	-2.13	-1.55	0.83
Large and mid-sized states					
Andhra Pradesh	418	●	-0.84	0.53	0.53
Bihar	787		-5.38	-4.91	3.26 ●
Chhattisgarh	1,003		0.53	1.86	0.06
Gujarat	593		-1.65	0.36	0.34
Haryana	1,271		2.30 ●	2.40 ●	0.11
Jharkhand	2,657		-0.50	-1.72	0.39
Karnataka	1,719		-2.24	1.35	2.65
Kerala	711		1.48	2.05	-0.19
Madhya Pradesh	3,032		1.27	-2.91	1.70
Maharashtra	1,053		0.63	0.39	0.56
Odisha	578		-2.72	1.87	0.06
Punjab	934		-2.02	0.74	0.46
Rajasthan	956		-4.45	-4.37	1.77
Tamil Nadu	474		-7.95 ●	-3.82	-0.16
Telangana	610		-1.49	-1.14	1.64
Uttar Pradesh	1,323		-2.75	-3.82	0.80
Uttarakhand	6,921	●	1.82	-6.91 ●	-0.61 ●
West Bengal	1,031		1.24	-0.18	0.15
Small states					
Arunachal Pradesh	126	●	-1.25 ●	-2.00 ●	0.01
Goa	551		3.70	3.56	-0.09
Himachal Pradesh	1,438	●	-0.73	-1.95	0.09
Meghalaya	218		3.16	3.35	-0.45 ●
Mizoram	NA ¹³		1.62	-0.10	2.14 ●
Sikkim	434		1.01	6.08 ●	0.87
Tripura	344		3.71 ●	2.02	-0.37
Unranked states					
Assam	1,260		0.88	4.19	0.00
Manipur	76		-2.88	-4.97	-0.68
Nagaland	NA ¹²		-1.00	0.003	-0.06
Union Territories					
A&N Islands	267		6.67	3.07	-0.42
Chandigarh	449		0.00	5.00	-0.29
DNH & DD	NA ¹²		-100.00	5.96	-1.18
Delhi	166		-5.20	-6.33	-0.54
Jammu & Kashmir	414		NA ¹⁴	NA ¹⁴	NA ¹⁴
Ladakh	NA ¹³		NA	NA	NA
Lakshadweep	NA ¹²		NA ¹⁵	NA ¹⁵	NA ¹⁵
Puducherry	305		-5.00	-3.21	0.77

Data sources: Prison Statistics India (PSI), National Crime Records Bureau (NCRB); Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; Union Budget documents; Open Budgets India; e-prisons website.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iv. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. v. pp: percentage points (the difference between two percentages). vi. NA: Not available. vii. CY: Calendar year; FY: Financial year.

12. PSI shows 0 sanctioned and actual medical officer. 13. PSI shows 0 actual medical officer. 14. For trend indicators, Jammu & Kashmir and Ladakh are excluded as their data was not available separately for 5 years. 15. PSI shows 0 sanctioned and actual total staff for all 5 years considered for trend indicators.

Table 4: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Indicator	Trends				
		Inmates per cadre staff (%; CY '17-'21)	Share of undertrial prisoners (pp; CY '17-'21)	Spend per inmate (%; FY '18-'22)	Prison budget used (pp; FY '18-'22)	Difference in spend: prisons vs state (pp; FY '17-'21)
		Lower, the better	Lower, the better	Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better
	National average	1.3	1.88	5.7	-0.44	-3.82
Large and mid-sized states						
	Andhra Pradesh	3.9	1.89	75.0	3.96	-5.48
	Bihar	6.1	1.05	-0.3	-2.16	1.57
	Chhattisgarh	3.7	1.13	4.1	-1.16	6.08
	Gujarat	4.4	1.25	-2.9	-0.56	16.66 ●
	Haryana	8.8 ●	3.28	116.9 ●	-0.85	-0.64
	Jharkhand	-0.5	0.43 ●	12.0	2.33	5.79
	Karnataka	-9.2 ●	0.96	6.8	0.34	6.26
	Kerala	0.4	1.74	9.9	0.13	-0.75
	Madhya Pradesh	0.7	1.04	-3.2	0.26	-1.97
	Maharashtra	3.8	2.80	-5.8	-0.16	-1.59
	Odisha	8.8	2.08	-4.6	-0.15	-7.86
	Punjab	3.6	3.75 ●	0.8	0.95	-8.61
	Rajasthan	-3.5	1.10	4.8	1.80	-4.49
	Tamil Nadu	2.4	2.06	6.2	1.00	-3.03
	Telangana	4.5	0.49	16.9	4.43 ●	-11.99 ●
	Uttar Pradesh	-0.3	1.03	-3.2	-3.42 ●	-11.39
	Uttarakhand	-0.9	2.92	-10.6 ●	1.65	-8.43
	West Bengal	2.6	3.71	-0.04	-0.39	2.12
Small states						
	Arunachal Pradesh	1.1	-3.26 ●	30.9	-0.07	-4.65
	Goa	7.3	5.23 ●	-20.6 ●	5.85 ●	-19.20 ●
	Himachal Pradesh	-2.3 ●	2.10	-7.6	-1.24 ●	2.04
	Meghalaya	7.6	-1.93	37.4 ●	1.15	-10.31
	Mizoram	2.6	1.53	4.3	0.26	-7.65
	Sikkim	7.8 ●	1.82	3.4	-1.14	12.68 ●
	Tripura	6.7	3.74	4.6	3.83	-9.26
Unranked states						
	Assam	8.8	3.02	-7.2	-1.08	8,061.98
	Manipur	4.1	0.03	9.1	-3.47	-3.01
	Nagaland	6.1	-1.29	-0.5	0.07	1.00
Union Territories						
	A&N Islands	25.4	3.42	17.0	0.00	30.57
	Chandigarh	-0.3	5.88	15.6	0.00	3.76
	DNH & DD	19.2	1.15	22.0	11.43	-4.79
	Delhi	-2.3	2.65	30.1	0.00	11.81
	Jammu & Kashmir	NA ¹⁴	NA ¹⁴	NA ¹⁴	NA ¹⁴	NA ¹⁴
	Ladakh	NA	NA	NA	NA	NA
	Lakshadweep	NA ¹⁵	NA ¹⁵	NA ¹⁵	0.00	NA ¹⁶
	Puducherry	2.8	-0.84	-7.4	0.52	51.25

Data sources: Prison Statistics India (PSI), National Crime Records Bureau (NCRB); Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; Union Budget documents; Open Budgets India; e-prisons website.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iv. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. v. pp: percentage points (the difference between two percentages). vi. NA: Not available. vii. CY: Calendar year; FY: Financial year.

14. For trend indicators, Jammu & Kashmir and Ladakh are excluded as their data was not available separately for 5 years. 15. PSI shows 0 sanctioned and actual total staff for all 5 years considered for trend indicators. 16. Prison expenditure was shown as 0 for 2 of the 5 years considered.



Judiciary

Judiciary Ranking

Color guide

Best Middle Worst

Indicators
(in IJR 3)

28

Clusters

- I. 18 large and mid-sized states
(population above 10 million)
- II. 7 small-sized states
(population up to 10 million)

Map 13: Large and mid-sized states

Rank (out of 18)

NEW

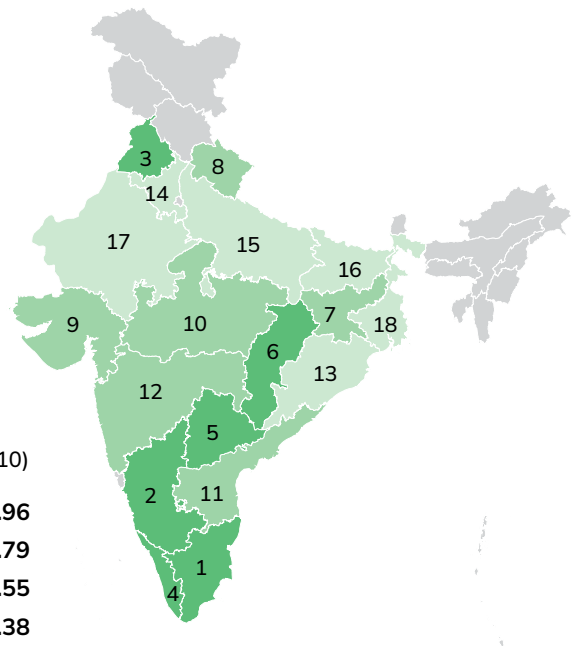
IJR 1
2019

IJR 2
2020

IJR 3
2022

1	1	1
16	12	2
2	2	3
5	3	4
11	6	5
12	4	6
14	9	7
15	13	8
7	8	9
6	11	10
13	14	11
4	5	12
9	15	13
3	7	14
17	17	15
18	18	16
8	10	17
10	16	18

State	Score (out of 10)
Tamil Nadu	6.96
Karnataka	6.79
Punjab	6.55
Kerala	6.38
Telangana	6.34
Chhattisgarh	6.16
Jharkhand	6.14
Uttarakhand	5.63
Gujarat	5.54
Madhya Pradesh	5.40
Andhra Pradesh	5.21
Maharashtra	5.16
Odisha	5.06
Haryana	4.72
Uttar Pradesh	4.05
Bihar	4.03
Rajasthan	4.01
West Bengal	3.46



Map 14: Small states

Rank (out of 7)

NEW

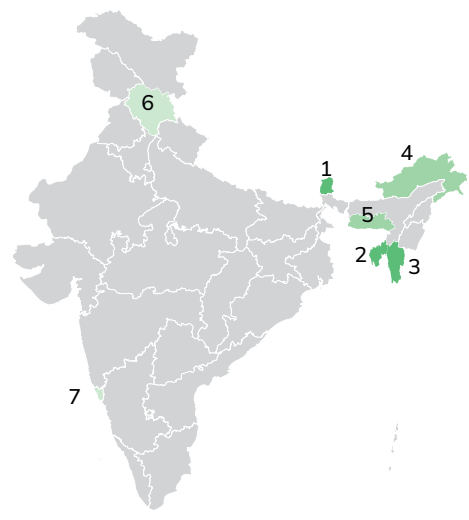
IJR 1
2019

IJR 2
2020

IJR 3
2022

1	1	1
6	6	2
5	3	3
7	5	4
4	7	5
3	2	6
2	4	7

State	Score (out of 10)
Sikkim	6.06
Tripura	5.54
Mizoram	4.29
Arunachal Pradesh	4.21
Meghalaya	3.79
Himachal Pradesh	3.17
Goa	3.03



PUSHING EXPECTATIONS

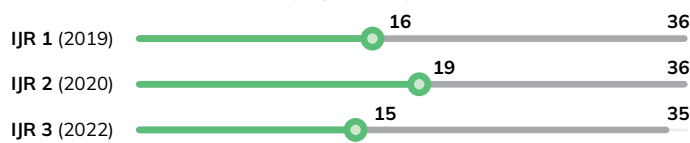
Judge vacancy: High Courts

Number of High Courts where judge vacancy is below 20%.



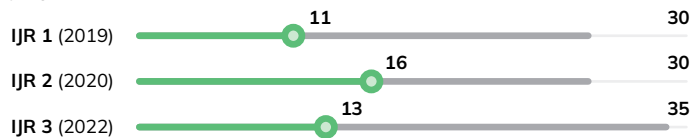
Judge vacancy: Subordinate courts

Number of states and UTs where judge vacancy in subordinate courts is below 20%.



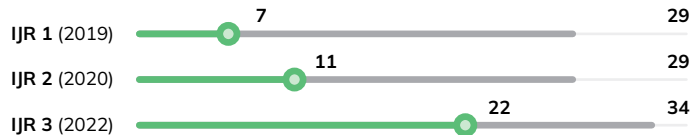
Courthalls

Number of states and UTs where shortage in courthalls against sanctioned judges is below 10%.



Budgets

Number of states and UTs where the increase in spending by the judiciary exceeded the increase in the overall state expenditure.



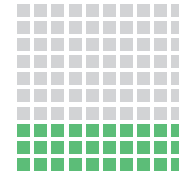
Case clearance rate

Number of states/UTs with case clearance rate above 100% in both High Court and subordinate court levels.



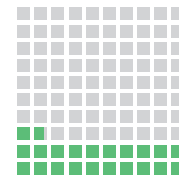
* Number of states/UTs (out of 36) for which data was available.

Vacancy: National Averages



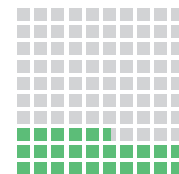
High Court judges
(1st December 2022)

29.8%



Subordinate court judges
(25th July 2022)

21.7%



High Court staff
(2021-22)

25.6%

Caste Diversity

No state/UT has met all three SC, ST and OBC quotas.

Subordinate courts 3/10



High Courts 5/10



About **3 in 10 cases in subordinate courts** and **5 in 10 cases in High Courts** have been pending for over 5 years.

Women

Share of women judges in high courts (December 2022)

13.1%



Five states (Bihar, Tripura, Uttarakhand, Manipur, Meghalaya) have no women judge in their High Courts.

Chapter 3

Judiciary: Judging the Numbers

At the end of 2022, the overall ability of courts to deliver justice remained impeded for want of capacity. On average, across states, judicial vacancies at the high court level stood at 29.8 per cent and high court staff vacancies at 25.6 per cent. In the district courts, 21.7 per cent of judicial positions were not filled. Between 2020 and 2022, the number of pending cases rose from 4.1 to 4.9 crore, of which 69 per cent were criminal cases. In district courts, on average, the case clearance rate¹ slowed by 3.6 percentage points²—and measured against the sanctioned number of judges, court halls were short by 14.7 per cent.³ On the upside, the per capita expenditure on the judiciary improved slightly, high courts improved average case clearance rates by 6.1 percentage points⁴ and diversity and inclusiveness showed a welcome if slow uptick.

Rankings

For the third time in a row, Tamil Nadu retained its top position among the large and mid-sized states. Karnataka improved the most, ascending from the twelfth to the second rank. Improvements in the state included reducing high court judge vacancies from 50 per cent to 21 per cent, raising the share of women judges in subordinate courts and improving per capita spend. Rajasthan, on the other hand, went down seven ranks from the tenth to seventeenth place, owing to persisting judge vacancies at the high court and district court levels, compounded by a court hall shortage; while Punjab slipped one place, from the second to third rank, because of an increase in high court staff vacancies.

Among the seven small states, Sikkim too retained its top position. Tripura climbed from sixth to second due to the state's efforts in filling up judge vacancies in

district courts and staff vacancies in high courts, a rise in the number of women judges in district courts, and an increasing high court case clearance rate. Meghalaya too improved its rank from seventh to fifth by improving its per capita spend, filling up judge vacancies, and increasing the share of women in district courts.

Contrariwise, increased judge and staff vacancies in the high court along with decreased clearance rates and a shortage of court halls pushed Himachal Pradesh from second to sixth place, while Goa slipped from fourth to seventh place due to an increase in judge vacancies at both the high court and district court level, a decrease in the share of women judges and a decrease in case clearance rate at the high court level.

Budget

Per capita spend on judiciary
(Rs. 2020-21)

Difference in spend: judiciary vs state
(pp, FY '17-'21)

Ameliorating shortfalls requires money. The lion's share of this financial obligation rests with the states while the Centre contributes just about 10 per cent to state judiciary budgets.⁵ Except for two union territories, Delhi and Chandigarh, no state spends more than 1 per cent of its total annual expenditure on the judiciary. The share of expenditure on the judiciary as a percentage of total state expenditure varies considerably across states. For instance, Punjab (0.8 per cent), Uttar Pradesh (0.6 per cent) and Jharkhand (0.6 per cent) spend two or three times what Chhattisgarh spends (0.37 per cent).⁶

1 Case clearance rate is the number of cases disposed in a year, measured against the number filed in that year.

2 93.0 per cent to 89.4 per cent.

3 Nyaya Vikas Portal, *Statement of State-wise availability of Court Halls* as on 31.08.2022, 2022. Available at: https://bhuvan-nyayavikas.nrsr.gov.in/assets/files/ch_info.pdf.

4 94.76 from 88.5 per cent.

5 Centre for Budget and Governance Accountability and DAKSH, *Memorandum to the Fifteenth Finance Commission on Budgeting for the Judiciary in India*, 2019. Available at: <https://www.dakshindia.org/wp-content/uploads/2019/06/Memorandum-on-Budgeting-for-Judiciary-in-India-from-CBGA-Website.pdf>

6 Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; *Expenditure of Administration of Justice to the Total State Expenditure*, 2020-2021.

COVID-19 Impact

"I am deeply distressed by this attitude... All the money which we have spent, they are just disbanding the infrastructure we have created for virtual hearing... You as Chief Justice of a High Court may or may not take interest in technology, you may understand nothing about it, but you are duty bound to spend the public funds made available by the Government of India to foster the mission to access justice... Sorry, technology is not something for the pandemic. Technology is here to stay for the future, forever."

—D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India,
February 2023

The COVID-19 pandemic and lockdown of 2020 and 2021 caused major disruptions to court systems throughout India. In mid-March 2020, the Supreme Court⁷ directed that courts take up only urgent matters. Restricted access to justice at every level resulted in reduced filings, as well as a sharp rise

in existing backlogs. Illustratively, the institution of cases in district courts dropped by 32 per cent and disposal by 42 per cent compared to earlier years.⁸ Of the 642 district courts analysed only 40 courts did not see a reduction in the number of cases disposed of during the pandemic years.⁹ On the upside, the pandemic pushed the judiciary to use technology: model e-filing rules were drafted by the e-courts committee in May 2020 and communicated to High Courts for adoption in June 2020.¹⁰ From 1 March 2020 to 21 May 2021, the number of cases e-filed through district court and high court e-filing applications was 90,190 and 11,810 cases respectively.¹¹ E-payments, electronic summons and tracking apps like National Service and Tracking of Electronic Processes (NSTEP) show potentially new efficiencies, and urgent hearings were enabled through video conferencing. As with all sudden innovation though, the uptake was uneven. The bar and bench were unfamiliar with new modes of process and representation, and their access relied on internet penetration, connectivity, and regular power supply.

Difference in spend: judiciary vs state: Between FY 2017-2021, in 22 states and UTs¹², the increase in expenditure on the judiciary kept up with the increase in overall state expenditure. Arunachal Pradesh and Tripura show the biggest improvements with increases of 10.57 and 8.8 percentage points respectively. But in 12 states/UTs,¹³ the expenditure on the judiciary was found lagging. In newly formed states like Telangana and Andhra Pradesh, the growth in judiciary expenditure lagged by 5.2 and 0.97 percentage points respectively.

In 2022, the overall national spend on judiciary averages Rs. 146 in per capita terms, an increase of Rs. 42 since 2015-16. Eleven states/UTs¹⁴ spent less than the national average. Sikkim, which already had a high per capita spend last year—(Rs. 496)—increased it further (by Rs. 139) to Rs. 635. This is more than eight times what West Bengal spends (Rs. 75). Andhra Pradesh (Rs. 145) and Bihar (Rs. 83) only increased their spend by Rs. 24 and Rs. 16 respectively.

Human Resources

Population per High Court judge
(1 Dec 2022)

Population per Subordinate Court judge
(25 Jul 2022)

High Court judge vacancy
(%, 1 Dec 2022)

Subordinate Court judge vacancy
(%, 25 Jul 2022)

High Court staff vacancy (%, 2021-22)

Judge vacancy (High Court) (pp, FY '18-'22)

Judge vacancy (Sub. Court) (pp, FY '18-'22)

Judge vacancies remain endemic. Looked at over five years, vacancies in 6 high courts¹⁵ and in the district courts of 14 states/UTs¹⁶ have increased. From 2018-2019 to 2022, nationally, high court vacancies decreased 8 percentage points from 37.8 per cent to 29.8 per

7 Supreme Court of India, Notification dated 13.03.2020, 2020. Available at: https://main.sci.gov.in/pdf/Notification/13032020_120544.pdf

8 Vidhi Centre for Legal Policy, Data Speak: A Look at District Courts' Performance During the Pandemic, 2022. Available at: <https://vidhilegalpolicy.in/research/data-speak/>

9 Ibid.

10 Supreme Court of India, E-committee Newsletter, June 2020. Available at: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81ab/uploads/2020/08/2020081415.pdf>

11 Supreme Court of India, Annual Report 2020-21. Available at: https://main.sci.gov.in/pdf/AnnualReports/12012022_114003.pdf

12 Manipur, Gujarat, Chhattisgarh, Odisha, Lakshadweep, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Haryana, West Bengal, Bihar, Goa, Nagaland, Puducherry, Rajasthan, Uttar Pradesh, Meghalaya, Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Karnataka, Tripura, Arunachal Pradesh, DNH&DD

13 Telangana, Kerala, Punjab, Sikkim, Assam, Chandigarh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Maharashtra, Jharkhand, Mizoram.

14 Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Odisha, Jharkhand, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Assam, Bihar, West Bengal, DNH & DD.

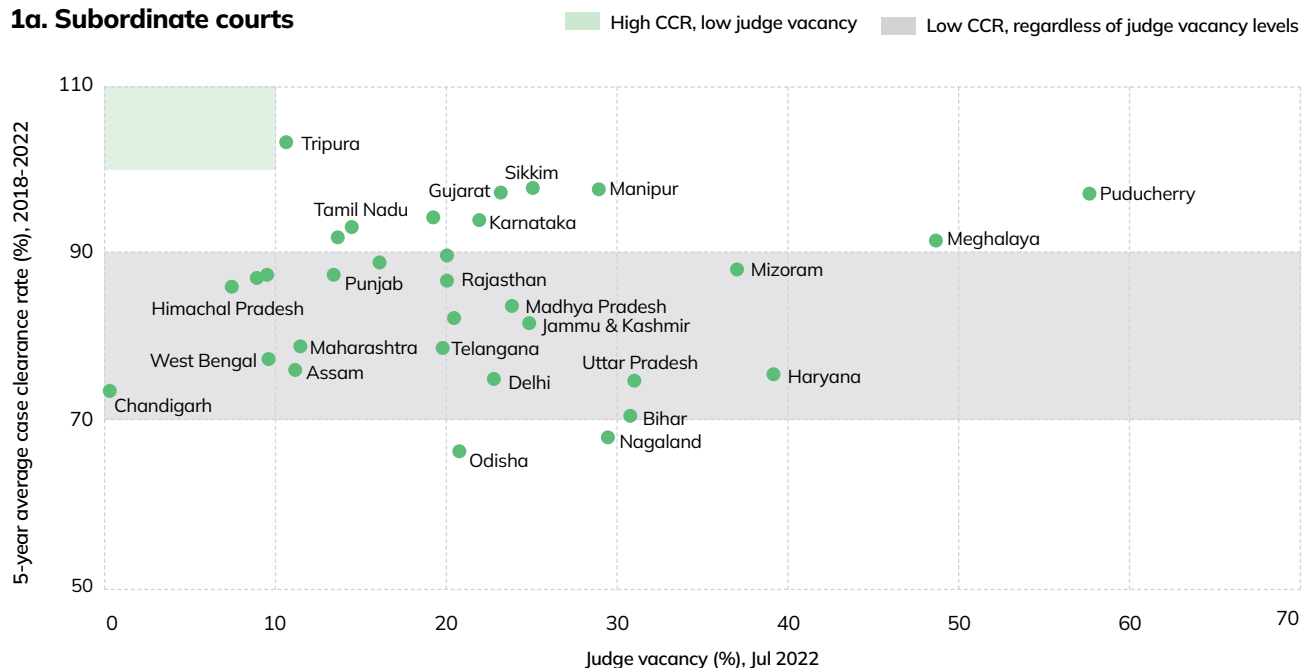
15 Patna, Gujarat, Madhya Pradesh, Bombay, Uttarakhand, Rajasthan.

16 Kerala, Himachal Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Goa, Sikkim, Puducherry, Maharashtra, Mizoram, Manipur, Rajasthan, Haryana, Andhra Pradesh (3-year trend), DNH & DD

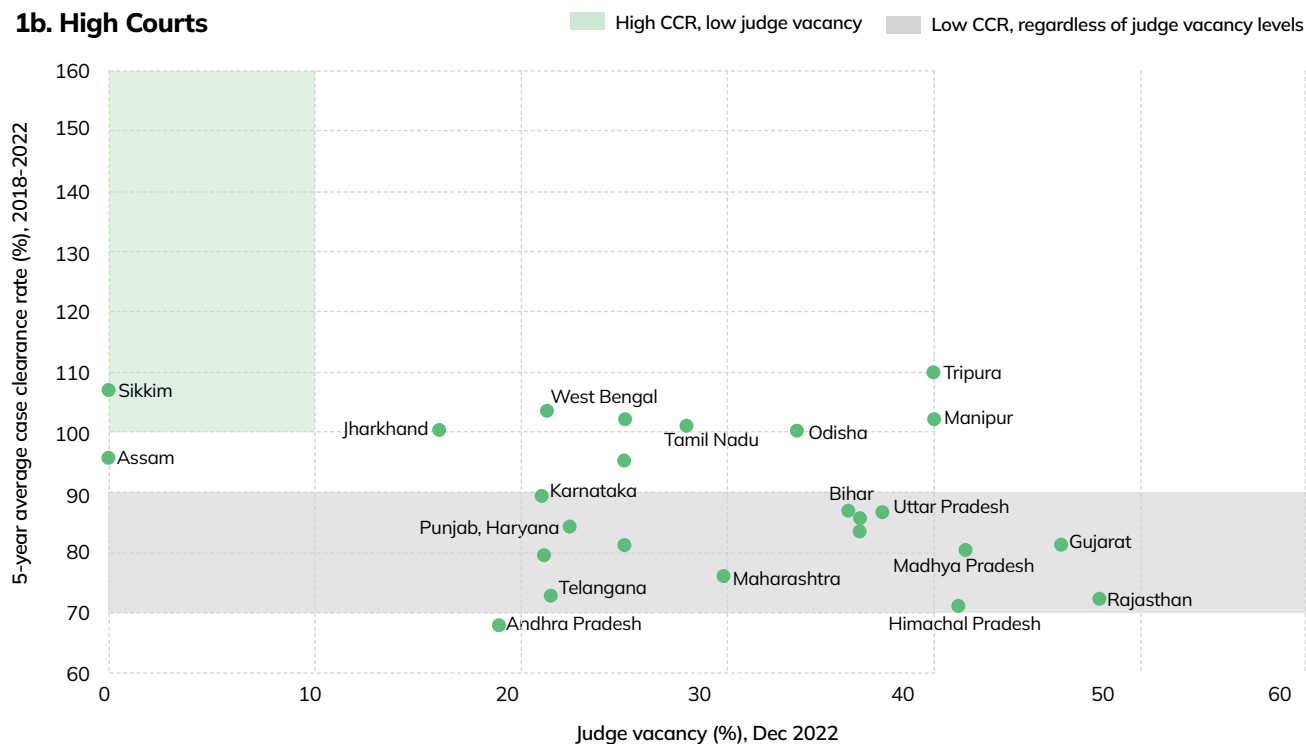
Figure 26: Judge vacancies and case clearance rates

Indian courts are jammed with cases—and are seeing pendency increase by the day. At the same time, they are also functioning with fewer judges than the sanctioned number. Across both subordinate courts and High Courts, courts that are recording increasing pendency are doing so regardless of their vacancy levels.

1a. Subordinate courts



1b. High Courts



States and Union Territories that share a High Court will have the same value. In the graphic, only the principal state is shown. Thus, Assam is shown (but not Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland), Kerala (Lakshadweep), Maharashtra (Goa, D&N Haveli & Daman & Diu); Punjab and Haryana (Chandigarh); Tamil Nadu (Puducherry); West Bengal (Andaman & Nicobar Islands); Jammu & Kashmir (Ladakh). Source: Department of Justice and Lok Sabha Unstarred Question No. 2116, dated 29th July, 2022

cent, but still hovered around 30 per cent. District court vacancies reduced only marginally—from 22.3 to 21.7 per cent. State wise, the trend was not uniform. At the high court level Sikkim could fill up all its vacancies while Andhra Pradesh brought down its vacancies from 70.3 per cent to 18.9 per cent. The vacancies in Tripura and Uttarakhand, however, increased by 15 and 11.4 percentage points respectively. In 19 states/UTs¹⁷ high courts were functioning without one-fourth of their

sanctioned bench strength, while both Rajasthan and Gujarat—with a shortfall of 48 per cent and 46.2 per cent respectively—functioned with just over half.

Vacancies in district courts, too, remain chronic. In 10 states/UTs, 25 per cent of the sanctioned strength of judges had not been appointed,¹⁸ the highest vacancies being in Puducherry (57.7 per cent), Meghalaya (48.5 per cent) and Haryana (39 per cent).

The Judge Dilemma

The question of how many judges are needed has been extensively debated for decades.

- 1987:** 120th Law Commission Report¹⁹ proposes judge-to-population ratio as a method to calculate judge strength.
- 2002:** 85th Report of the Parliamentary Standing Committee²⁰ recommends an increase of judges based on the judge-to-population ratio.
- 2012:** In *Imtiyaz Ahmad v. State of UP*,²¹ the Supreme Court asks the Law Commission to give recommendations about the basis on which judge strength should be increased to tackle accumulating backlog.
- 2014:** The 245th Report of the Law Commission²² proposes the rate of disposal method.
- 2016:** National Court Management Systems (NCMS)²³ proposes an interim model based

on the unit system as a method to calculate judge strength.

- 2017:** Supreme Court rejects the 245th Report of the Law Commission and directs the interim implementation of the NCMS unit system-based model.

Since 1987, when the Law Commission of India first proposed²⁴ population as an essential metric to arrive at adequate judge strength, the 'judge-to-population ratio' has generally been accepted as the norm in determining the number of judges required.

In 1987, the Commission recommended that the 10.5 judges per 10 lakh (1 million) population be increased to 50 judges per 10 lakh population in the next five to ten years.²⁵ As of December 2022, based on population projections for March 2022²⁶ India has 15 judges per 10 lakh population against a sanctioned strength of 19 judges per 10 lakh population and a backlog of 4.8 crore cases.

Total Judges, Sanctioned and Actual

		District Court (July 2022)	High Court (December 2022)	Supreme Court (December 2022)
Number of judges	Sanctioned	24,631	1,108	34
	Actual	19,288	778	27
Number of judges per 10 lakh population	Sanctioned	17.93	0.81	0.02
	Actual	14.04	0.57	0.02

Note: Different scales have been used for each court type and metric.
Source: Department of Justice and Lok Sabha Unstarred Question No. 2116, dated 29th July, 2022

17 West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Meghalaya, Delhi, Tamil Nadu, Puducherry, Maharashtra, Goa, Odisha, Bihar, Uttarakhand, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Tripura, Manipur, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan.

18 Puducherry, Meghalaya, Haryana, Mizoram, Lakshadweep, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Sikkim

19 Law Commission of India, *One Hundred Twentieth Report on Manpower Planning in Judiciary: A Blueprint*, 1987. Available at: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022080852.pdf>

20 Department-Related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, *85th Report on Law's Delays: Arrears in Courts*, 2002. Available at: <http://164.100.47.5/rs/book2/reports/home-aff/85threport%20.htm>

21 *Imtiyaz Ahmad vs State of UP & Ors.*, Criminal Appeal Nos. 254-262 of 2012 (43, 36).

22 Law Commission of India, *Arrears and Backlog: Creating Additional Judicial (wo)manpower*, 2014, Report Number 245, p. 20. Available at: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022081643.pdf>

23 National Court Management Systems Committee, *Note for Calculating Required Judge Strength for Subordinate Courts*, 2016. Available at: https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/NCMS_1.pdf

24 Law Commission of India, *120th Report: Manpower Planning in India: A Judicial Blueprint*, 1987. Available at: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022080852.pdf>

25 *Ibid.*

26 Ministry of Health and Family Welfare, Population projection for India and states (2011 to 2036) for July 2020 in *Report of the technical group on population projections*, November 2019. Available at: https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Population%20Projection%20Report%202011-2036%20-%20upload_compressed_0.pdf

Court staff are indispensable for smooth judicial functioning and vacancies impede judicial capacity significantly. The national average vacancy among court staff across high courts ran at 25.6 per cent—a steady rise from 23.8 per cent in 2018-19 and 22.9 per cent in 2016-17. Andhra Pradesh, which got a new high court in 2019, has a 51.2 per cent vacancy. Bihar's high court staff vacancies have doubled from 26.3 per cent to 52.8 per cent between 2018-19 and 2021-2022.

Infrastructure

Court Hall shortfall (% , 25 Jul 2022, 31 Aug 2022)

Ideally, for each judge there must be a court hall. In August 2022, there were 21,014 court halls for the 24,631 judges' posts sanctioned at the time—a shortfall of 14.7 per cent, albeit an improvement from 2016-17's 18.2 per cent. If every state appointed each of its sanctioned judges, only 4 states²⁷ and 4 UTs²⁸ would have enough court halls. In 11 states/UTs²⁹ there would be a shortfall of more than 25 per cent. In Arunachal Pradesh (21 per cent to 37 per cent), Haryana (16 per cent to 28 per cent) and Tamil Nadu (2 per cent to 9 per cent), the shortages rose mainly due to an increase in the number of sanctioned judges. At 46.5 per cent Meghalaya had the highest shortfall.

Nationally, the number of court halls appears sufficient for the number of actual judges. However, space will

Mismatches

In January 2020³⁰ Sikkim had 25 court halls against 23 sanctioned lower court judges but in August 2022 there were 28 sanctioned judges, but the number of court halls reduced to 20.³¹ Similarly, in 2020 Himachal Pradesh had 160 court halls for 162 judges. By mid-2022, the number of sanctioned judges rose to 175 but the number of court halls went down to 151.

No court works with a full complement of judges, except the high court of Sikkim and Gauhati and the district courts in Chandigarh. On average, there is one high court judge for 17.7 lakh (1.77 million) people and one subordinate court judge for 71,000 people. While the Punjab and Haryana High Court has one judge for 9.3 lakh population, the Patna High Court has one for 36.7 lakh.

become a problem if all the sanctioned posts are filled. In Delhi, West Bengal, and Uttarakhand there were no court halls for the 86, 82, and 35 serving judges respectively.

Diversity

SC Judges, actual to reserved (Subordinate Court; 25 Jul 2022) **NEW**

ST Judges, actual to reserved (Subordinate Court; 25 Jul 2022) **NEW**

OBC Judges, actual to reserved (Subordinate Court; 25 Jul 2022) **NEW**

Women judges (High Court) (% , 1 Dec 2022)

Women judges (Subordinate Court) (% , 25 Jul 2022)

Laws and policies across states prescribe reservations in public institutions based on gender and caste and, more recently, for persons with disabilities. Caste-based reservations vary from state to state, and policy prescriptions suggest an incremental inclusion of women to an aspirational minimum of 33 per cent.

State-wise data on caste diversity in high courts remains unavailable. However, a Department of Justice Report to the Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice³² is reported to have stated that, "from 2018 to December 2022, a total of 537 judges were appointed to the high courts, of whom 1.3 per cent were Scheduled Tribes, 2.8 per cent Scheduled

27 Telangana, Andhra Pradesh, Goa, Maharashtra.

28 Chandigarh, DNH & DD, Lakshadweep, Puducherry.

29 Uttar Pradesh, Haryana, Sikkim, Delhi, Tripura, Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Jammu & Kashmir, Ladakh

30 Lok Sabha Replies, *Budget Session –Third Session of 17th Lok Sabha*, 2020. Available at: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s35d6646aad9bcc0be55b2c82f69750387/uploads/2022/09/2022090116.pdf>

31 Nyaya Vikas Portal, Statement of State-wise Availability of Court Halls as on 31.08.2022, 2022. Available at: https://bhuvan-nyayavikas.nrcs.gov.in/assets/files/ch_info.pdf

32 Press Trust of India, 'Only 15 pc judges appointed to HCs in last 5 years from backward communities: Dept of Justice to Par Panel', *Economic Times*, 2023. Available at: https://economictimes.indiatimes.com/news/india/only-15-pc-judges-appointed-to-hcs-in-last-5-yrs-from-backward-communities-dept-of-justice-to-par-panel/articleshow/96661214.cms?utm_source

Figure 27: SC, ST and OBC judges vacancy in subordinate courts

Vacancy (%) 0% and below (meets standard) Up to 25% 25% to 50% 50% to 100%

	Vacancy (%)			No. of sanctioned judges			Reservation in subordinate courts (%)		
	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC
Large and mid-sized states									
Andhra Pradesh	9	31	-19	91	36	152	15	6	25
Bihar	32	23	49	313	20	645	16	1	33
Chhattisgarh	-28	21	-23	58	154	67	12	32	14
Gujarat	-8	98	45	107	228	411	7	15	27
Haryana	44	NA	67	154	0	208	20	0	27
Jharkhand	61	65	64	68	182	95	10	27	14
Karnataka	15	34	25	205	41	436	15	3	32
Kerala	21	91	-6	46	11	228	8	2	40
Madhya Pradesh	27	44	10	323	404	283	16	20	14
Maharashtra	20	95	-20	285	153	416	13	7	19
Odisha	89	100	52	156	225	107	16	23	11
Punjab	17	100	0	173	173	83	25	25	12
Rajasthan	37	42	6	253	189	332	16	12	21
Tamil Nadu	7	32	-22	239	13	665	18	1	50
Telangana	18	-17	-25	77	31	148	15	6	29
Uttar Pradesh	36	55	17	763	73	981	21	2	27
Uttarakhand	17	-25	4	57	12	42	19	4	14
West Bengal	100	100	100	223	61	172	22	6	17
Small states									
Arunachal Pradesh	NA	-4	NA	0	33	0	0	80	0
Goa	100	67	85	1	6	14	2	12	27
Himachal Pradesh	43	9	62	39	9	32	22	5	18
Meghalaya	NA	43	NA	NA	84	NA	NA	85	NA
Mizoram	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0
Sikkim	100	34	-16	1	11	12	4	38	43
Tripura	37	39	NA	21	38	0	17	31	0
Unranked states									
Assam	35	48	100	34	73	131	7	15	27
Manipur	-154	29	30	1	18	10	2	31	17
Nagaland	NA	24	100	0	34	34	0	100	100
Union Territories									
A&N Islands	NA	NA	NA	NA	0	0	NA	8	38
Chandigarh	26	NA	75	5	0	8	18	0	27
DNH and DD	100	100	-144	0	2	1	NA	NA	NA
Delhi	46	88	100	133	66	239	15	7.5	27
Jammu & Kashmir	33	40	NA	31	25	NA	10	8	NA
Ladakh	-488	22	NA	0	8	0	1	45	0
Lakshadweep	NA	26	NA	0	1	0	0	45	0
Puducherry	100	100	7	4	0	9	16	1	33

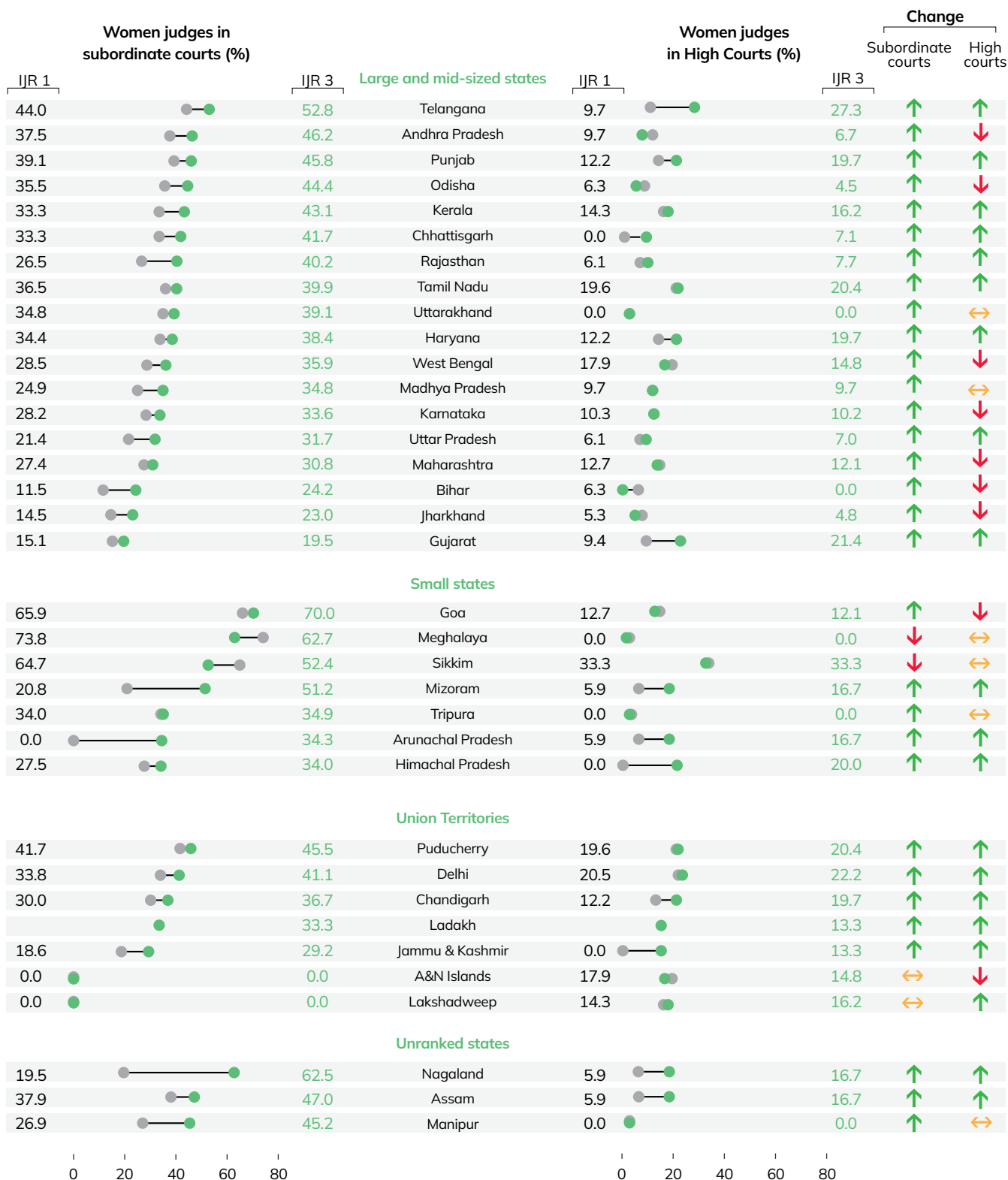
Notes:

SC judges: 1. Reservation data not available for A&N Islands. 2. No reservation and no SC judges in Arunachal Pradesh, Nagaland, Lakshadweep and Mizoram. 3. No specific reservation approved for SCs in Meghalaya. ST judges: 1. No ST Judges in A&N Islands. 2. No ST reservation in Mizoram. 3. No reservation and no ST Judges in Chandigarh and Haryana. 4. ST judges data taken from Department of Justice website for Nagaland. OBC judges: 1. No OBC reservation in Arunachal Pradesh. 2. No reservation and no OBC judges in Mizoram, Ladakh, Lakshadweep and Tripura. 3. No OBC judges in A&N Islands. 4. In Jammu & Kashmir, no such category is available. 4. No specific reservation approved for OBCs in Meghalaya. DNH and DD: Reservation for SC, ST, OBC in Dadra and Nagar Haveli is 2%, 43% and 5%, respectively. Reservation for SC, ST, OBC in Daman and Diu is 3%, 9% and 27%, respectively.

Source: Lok Sabha Unstarred Question No. 2116, dated 29th July, 2022

Figure 28: Women judges

Representation of women judges is steadily rising in subordinate courts. In High Courts, the share of women judges remains low. The highest is in Sikkim at 33.3%.



Notes: 1. Data for IJR 1 for June 2018 for High Court judges and July 2017 for subordinate court judges. Data for IJR 3 for December 2022 for High Court judges and July 2022 for subordinate court judges. 2. States arranged within respective cluster in descending value of share in subordinate courts. 3. Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu not shown. Source: Department of Justice and Lok Sabha Unstarred Question No. 2116, dated 29th July, 2022

Castes, 11 per cent were from the Other Backward Classes category and 2.6 per cent were from minority communities.”³³

At the district-court level no state/UT could fully meet all its Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes quotas. Nine states/UTs³⁴ met their Other Backward Classes quotas. At 50 per cent, Tamil Nadu has the second highest percentage of reservation in this category, fulfilling its quota completely. Chhattisgarh fulfilled its quotas for Scheduled Castes and Other Backward Classes and Telangana fully met its quota for Scheduled Tribes and Other Backward Classes. Ladakh, Manipur, Chhattisgarh and Gujarat exceeded their Scheduled Castes quota.

Uttarakhand, Telangana and Arunachal Pradesh filled their Scheduled Tribes quotas. Himachal Pradesh (91 per cent) is closest to fulfilling its Scheduled Tribes quota requirements, while Gujarat could only fill 2 per cent of its Scheduled Tribes quota. Eight states/UTs³⁵ have less than 10 per cent Scheduled Tribe judges and 3 states/UTs³⁶ have no reservations for Scheduled Tribes.

Between 2020 and 2022 the high courts’ saw a little less than 2 percentage points increase in women’s representation, with Telangana increasing from 7.1 to 27.3 per cent. However, in some states, the percentage of women in the high courts dropped: Andhra Pradesh went from 19 to 6.7 per cent followed by Chhattisgarh that slumped from 14.3 to 7.1 per cent). Bihar, Tripura, Manipur, Meghalaya and Uttarakhand continued to have no women judges in their high courts.

Emblematic of the glass ceiling, there are more women judges at the district court level than at the high court level. Nationally, women account for 35 per cent of the total number of judges at this level. But distribution across states is uneven. Among the small states Goa, with 70 per cent, has the highest percentage, followed by Meghalaya (63 per cent) and Nagaland (63 per cent). Among 18 large and mid-sized states, Gujarat (19.5 per cent) has the least and Telangana (52.8 per cent) the

largest share of women judges. In other large states like Jharkhand and Bihar, women judges accounted for 23 per cent and 24 per cent of all judges respectively.

Workload

Cases pending (5-10 years, High Court, %, Jan 2023) **NEW**

Cases pending (10+ years, High Court, %, Jan 2023) **NEW**

Cases pending (5-10 years, Sub. court, %, Jan 2023)

Cases pending (10+ years, Sub. court, %, Jan 2023)

Cases pending (per High Court judge) (% , FY '18-'22)

Cases pending (per Sub. Court judge) (% , FY '18-'22)

Total cases pending (High Court) (% , FY '18-'22)

Total cases pending (Sub. Court) (% , FY '18-'22)

Case clearance rate (High Court) (% , 2022)

Case clearance rate (Sub. Court) (% , 2022)

Average High Court pendency (February 2022)

Case clearance rate (High Court) (pp, FY '18-'22)

Case clearance rate (Sub. Court) (pp, FY '18-'22)

For decades, numerous attempts have been made to tackle issues of pendency which the Law Commission’s 245th Report defines as “all cases instituted but not disposed of, regardless of when the case was instituted.”³⁷ In 2018, the Supreme Court-led conference on ‘National initiative to reduce pendency and delay in judicial system’³⁸ deliberated solutions like better case and court management systems, alternative dispute resolution mechanisms and the use of technology. Half a decade later, some efforts such as e-filing³⁹ and schemes like Nyaya Bandhu,⁴⁰ tele-law⁴¹ have been initiated, yet positive outcomes remain elusive.

33 The six communities notified as minority communities under Section 2(c) of the National Commission for Minorities (NCM) Act, 1992 are Christians, Sikhs, Muslims, Buddhists, Parsis and Jains.

34 DNH & DD, Telangana, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh, Sikkim, Kerala, Punjab.

35 Nagaland, Odisha, Punjab, West Bengal, Gujarat, Maharashtra, Kerala, D&NH & DD

36 Chandigarh, Haryana, Mizoram.

37 Law Commission of India, *245th Law Commission Report*, 2014. Available at: <https://satyamevjayate.info/wp-content/uploads/2017/08/Law-Commission-report-245.pdf>

38 Supreme Court of India, *Conference Proceedings of National Initiative to Reduce Pendency and Delay in Judicial System*, 2018. Available at: https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/Proceeding_Book_SupremeCourt1.pdf

39 An e-filing system rolled out by the Department of Justice is for the electronic filing of legal papers. This allows the lawyers to access and upload documents related to the cases from any location 24x7.

40 Under Nyaya Bandhu, practising advocates interested in volunteering their time and services are connected (via mobile technology) with eligible marginalised beneficiaries.

41 Tele-Law is an e-interface system for seeking legal advice and consultation at the pre-litigation stage. It connects needy and marginalised people with panel lawyers for legal aid through video conferencing / telephonic facilities.

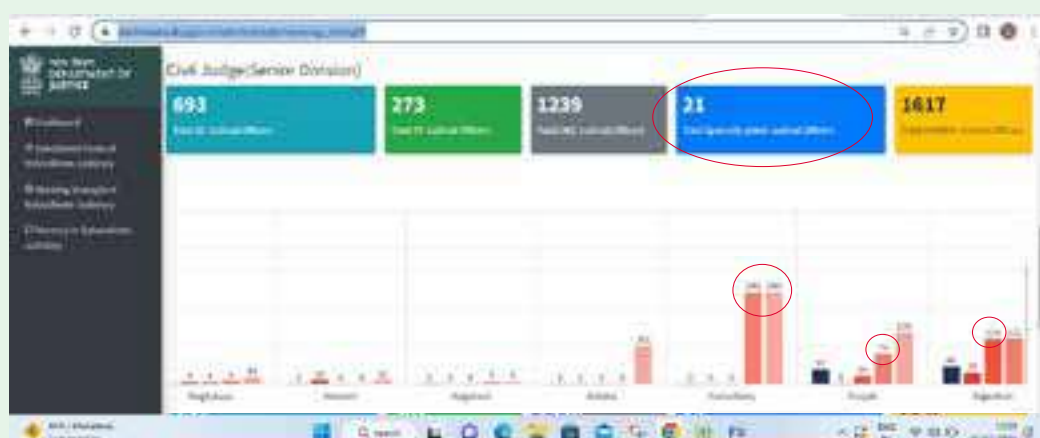
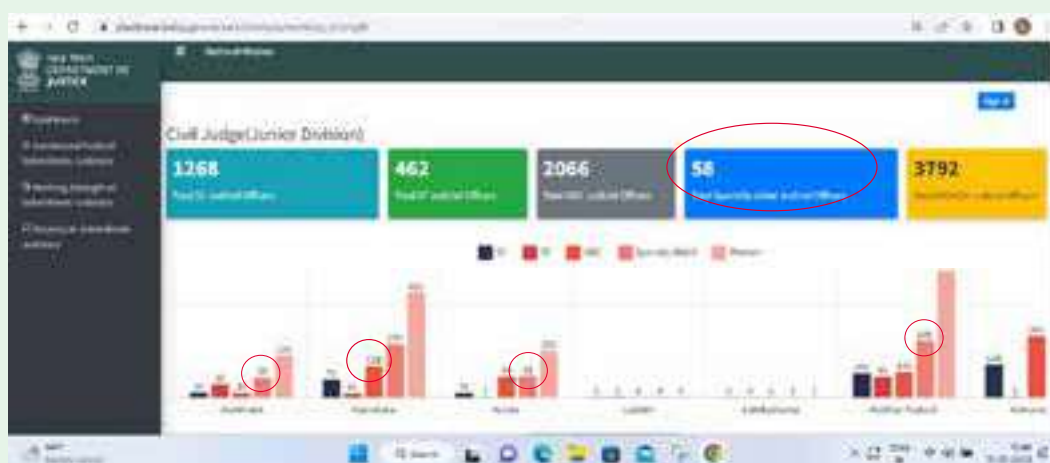
Data Disabled

The Right of Persons with Disabilities Act 2016 creates a new 4 per cent reservation⁴² in government jobs. The statute covers specific disabilities, including physical (like locomotive, visual, or hearing impairment, speech and language disabilities), intellectual disability and mental behaviour. The Department of Justice has made state-wise data in district courts available.⁴³ The accuracy of this data, however, remains debatable. Two data sets collected between August and December 2022 show significant discrepancies.

Curiously, the number of specially abled judges increased more than a hundred times within five months from 60 in August 2022 to 6,690 in December 2022. In August 2022, no state/UT

except Assam met the benchmark of 4 per cent, and 31 states/UTs⁴⁴ had less than 1 per cent of specially abled judges and 20 states⁴⁵ had not appointed any. In contrast, as per the data in December 2022, 30 states/UTs⁴⁶ fulfil the 4 per cent quota, only 6 states/UTs⁴⁷ have less than 1 per cent and Arunachal Pradesh, Sikkim, Ladakh and Mizoram have none.

The data also brings forth several inconsistencies—perhaps due to wrong data entry. Illustratively, Puducherry has a total sanctioned strength of 26 judges and a working strength of 11, but reports 244 specially abled judges. In August 2022, no state had more than 10 specially abled judges while in December 2022, Maharashtra and West Bengal reported as many as 848 and 678. Gujarat which had zero in August increased the number to 599.



42 Ministry of Social Justice and Empowerment, *The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016*. Available at: <https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/acts.php>.

43 https://dashboard.doj.gov.in/sanctiondata/working_strength.

44 Andaman & Nicobar Islands, Ladakh, Meghalaya, Jammu & Kashmir, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Sikkim, Uttarakhand, West Bengal, Nagaland, Tamil Nadu, Kerala, Gujarat, Lakshadweep, Chandigarh, Goa, Maharashtra, DNH & DD, Puducherry, Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Haryana, Odisha, Telangana, Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Rajasthan.

45 Andaman & Nicobar Islands, Ladakh, Meghalaya, Jammu & Kashmir, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Sikkim, Uttarakhand, West Bengal, Nagaland, Tamil Nadu, Kerala, Gujarat, Lakshadweep, Chandigarh, Goa, Maharashtra, DNH & DD, Puducherry.

46 Puducherry, DNH & DD, West Bengal, Lakshadweep, Assam, Chandigarh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Tripura, Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand, Punjab, Goa, Delhi, Karnataka, Telangana, Odisha, Andhra Pradesh, Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Kerala, Uttar Pradesh, Meghalaya, Manipur.

47 Arunachal Pradesh, Sikkim, Ladakh, Mizoram, Tamil Nadu, Manipur.

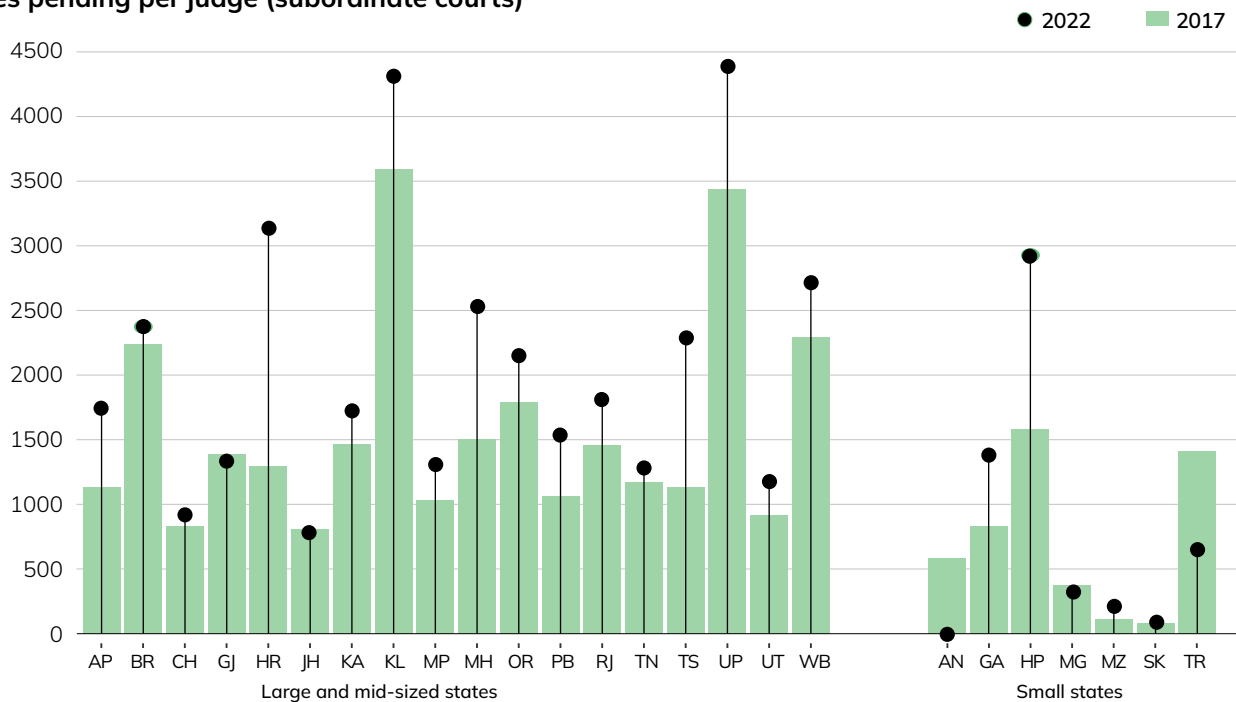
As of December 2022, a total of 4.9 crore cases remained pending across high courts and district courts in the country. As many as 1.9 lakh cases have been pending for over 30 years and 56 lakh cases for more than 10

years. On average, 49 per cent and 29 per cent of these cases are pending for more than 5 years⁴⁸ in the high courts and lower courts respectively. In addition, there are around 70,000 cases pending in the Supreme Court.

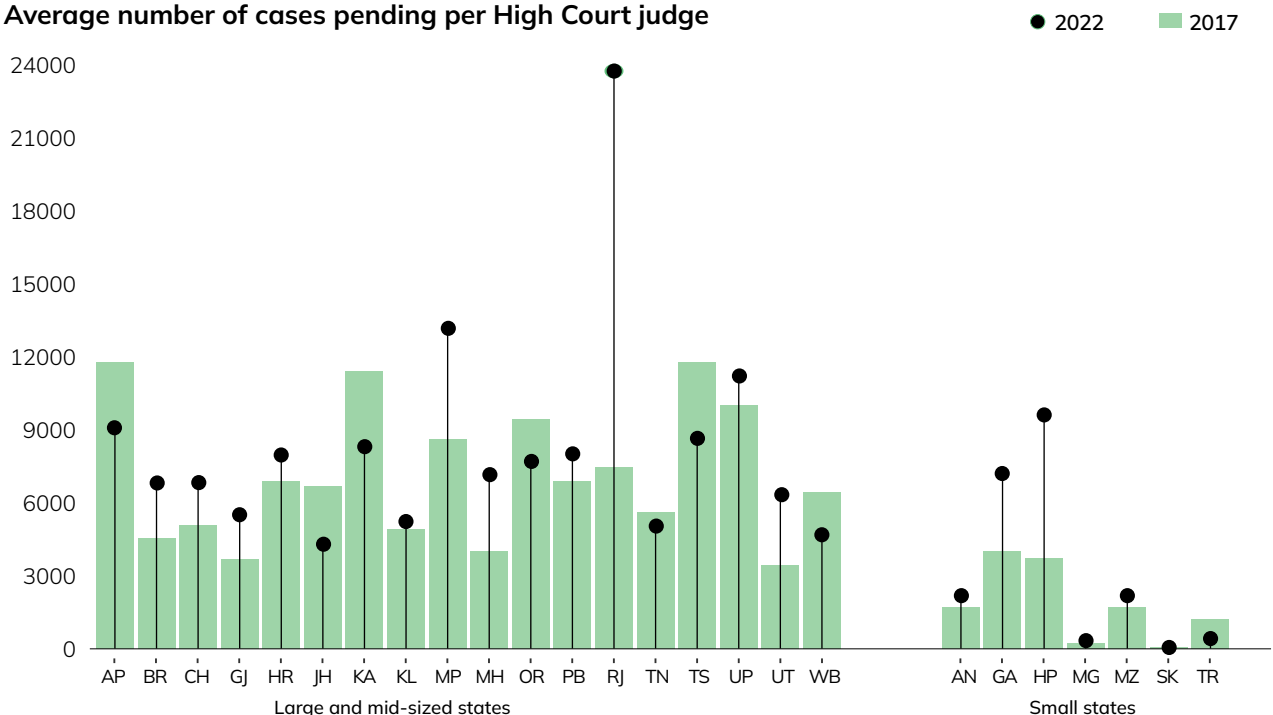
Figure 29: Cases pending per judge

Number of cases pending per judge is rising in most states over last 5 years while the sanctioned strength has remained more or less the same.

Cases pending per judge (subordinate courts)



5b. Average number of cases pending per High Court judge



Note: States that share a High Court have been assigned the same value.
Source: National Judicial Data Grid

At high court level, Uttar Pradesh has the highest average pendency; cases remain pending for an average of 11.34 years, and in West Bengal for 9.9 years. The lowest average high court pendency is in Tripura (1 years), Sikkim (1.9 years) and Meghalaya (2.1 years).

In 30 states/UTs⁴⁹ one in every four high court cases is pending for more than 5 years: Allahabad High Court being the highest (with 63.3 per cent) and Tripura (0.6 per cent) the lowest in this category. The number of cases a judge has to deal with has also steadily increased. Between 2018 and 2022, the caseload per judge increased in 22 states/UTs.⁵⁰

In the district courts of 11 states/UTs⁵¹ one in every four cases is pending for more than 5 years. The highest share of such cases in the country is in remote Andaman & Nicobar Islands (53 per cent), and the lowest in Sikkim (0.8 per cent). Among the large and mid-sized states, West Bengal has 48.4 per cent of such cases and Bihar 47.7 per cent.⁵² Over five years (2018-2022), barring a very few jurisdictions,⁵³ judge caseloads have increased in all subordinate courts.⁵⁴

The case clearance rate (CCR), or the number of cases disposed of in a year, measured against the number filed in that year is a common metric used to determine the rate at which cases are disposed of.⁵⁵ A CCR of more than 100% indicates that the number of pending cases is reducing. Between 2018-19 and 2022, the national average improved by six percentage points (88.5 per cent to 94.6 per cent) in high courts, but declined by 3.6 points in lower courts (93 per cent to 89.4 per cent).

Between 2018 and 2022, Tripura is the only state where the CCR in district courts remained above 100 per cent; with the exception of 2020, the year of the pandemic,

when it dropped to 40 per cent. In Tripura High Court too, CCRs remained above 100 since 2019.

High courts increasingly appear to clear more cases annually than subordinate courts. In 2018-19 only 4 high courts⁵⁶ had a CCR of 100 per cent or more. In 2022 this more than doubled to 12 high courts.⁵⁷ The high courts of Kerala and Odisha have higher case clearance rates—156 per cent and 131 per cent respectively—while the high courts of Rajasthan (65 per cent) and Bombay (72 per cent) have the lowest case clearance rates. Over five years, the case clearance rate increased in 16 high courts⁵⁸ and decreased in 9.⁵⁹

In 2022, only 9 states/UTs⁶⁰ could achieve a CCR rate of 100 per cent or more in their subordinate courts, compared to 10 states/UTs in 2018-19.⁶¹ Uttar Pradesh has the lowest CCR, at 72 per cent, and Gujarat the highest at 117 per cent, among the large and mid-sized states. Over five years, 9 states/UTs⁶² improved their case clearance rates, with the highest increase in Kerala which saw a jump of 5.12 percentage points. The case clearance rate decreased in 23 states/UTs,⁶³ with the highest decrease being in West Bengal at 13.67 percentage points.

Among the large and mid-sized states, Kerala & Punjab are the only states where courts at both levels could achieve case clearance rates of 100 per cent and more.

Over five years 9 high courts⁶⁴ showed an increase in clearance rates as well as pendency of cases. A similar trend was also seen in the subordinate courts of 9 states/UTs⁶⁵ where, irrespective of an increase in CCR, the number of cases pending have also increased.

49 Uttar Pradesh, West Bengal, A&N Islands, Madhya Pradesh, Kerala, Lakshadweep, Chandigarh, Punjab, Haryana, Telangana, Goa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Odisha, Jharkhand, Bihar, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Gujarat, Rajasthan, Delhi, Chhattisgarh, Uttarakhand, Mizoram, Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, DNH & DD, Jammu & Kashmir, Ladakh.

50 Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Goa, Maharashtra, Bihar, Madhya Pradesh, Gujarat, Delhi, Meghalaya, Chhattisgarh, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Assam, Chandigarh, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Kerala, Lakshadweep, DNH & DD.

51 Andaman & Nicobar Islands, West Bengal, Bihar, Odisha, Meghalaya, Uttar Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Rajasthan, Puducherry, Nagaland.

52 The total pending cases in these states is 24 lakh and 32 lakh cases respectively.

53 Tripura, Meghalaya, Andaman & Nicobar Island and Jharkhand.

54 No data available for Lakshadweep and Arunachal Pradesh' subordinate courts.

55 DAKSH, *Deconstructing delay: Analysis of Delays in High courts and Subordinate Courts*. Available at: https://www.dakshindia.org/Daksh_Justice_in_India/19_chapter_01.xhtml

56 Jharkhand, Madras, Orissa, Manipur.

57 Sikkim, Madras, Jharkhand, Patna, Calcutta, Tripura, Orissa, Meghalaya, Jammu & Kashmir and Ladakh, Kerala, Punjab & Haryana, Telangana.

58 Gujarat, Madras, Tripura, Karnataka, Andhra Pradesh, Calcutta, Sikkim, Patna, Jharkhand, Manipur, Orissa, Meghalaya, Jammu & Kashmir and Ladakh, Telangana, Kerala, Punjab & Haryana.

59 Rajasthan, Uttarakhand, Bombay, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Allahabad, Gauhati, Delhi, Madhya Pradesh.

60 Punjab, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram, Goa, Kerala, Puducherry, Gujarat.

61 Chhattisgarh, Jharkhand, Lakshadweep, Meghalaya, Sikkim, Gujarat, Manipur, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura.

62 Karnataka, Goa, Puducherry, Punjab, Odisha, Mizoram, Bihar, Telangana (3-year trend), Kerala.

63 West Bengal, Tripura, Nagaland, Assam, Chandigarh, Andaman & Nicobar Islands, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Delhi, Gujarat, Uttarakhand, Jharkhand, Himachal Pradesh, Maharashtra, Sikkim, Haryana, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Meghalaya, Andhra Pradesh (3-year trend), Manipur, Rajasthan, DNH&DD

64 Kerala, Telangana, Odisha, Andhra Pradesh, Meghalaya, Punjab & Haryana, Patna, Karnataka and Gujarat

65 Karnataka, Goa, Puducherry, Punjab, Odisha, Mizoram, Bihar, Telangana, Kerala

Figure 30: Case Clearance Rate

Of every 100 cases the courts receive in India in a year, how many do they dispose of? That, simply put, is the case clearance rate (CCR). If the courts clear less than 100 of every 100 cases received, the shortfall gets added to the backlog—and correspondingly adds to their pendency. In the last five years, most courts at the level of both subordinate courts and High Courts, have registered a CCR of less than 100%, especially during the Covid-19 pandemic, and thus added to their pendency.

Case clearance rate (%) ■ Below 70% ■ 70% to 100% ■ Above 100%

States/Union Territories	Case clearance rate (High Court)					Case clearance rate (Subordinate courts)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1 A&N Islands	85	110	83	111	121	88	91	117	317	76
2 Andhra Pradesh	69	54	74	69	73	96	90	68	66	90
3 Arunachal Pradesh	142	83	79	84	90	108	NA	NA	NA	NA
4 Assam	142	83	79	84	90	95	96	48	68	72
5 Bihar	90	86	88	57	113	73	73	47	67	93
6 Chandigarh	85	87	73	73	103	90	91	50	60	76
7 Chhattisgarh	90	87	78	86	77	105	95	66	81	89
8 D&N Haveli and Daman & Diu	87	83	69	69	72	96	106	69	96	97
9 Delhi	91	87	66	73	88	90	77	68	70	71
10 Goa	87	83	69	69	72	91	86	59	99	113
11 Gujarat	75	82	75	82	92	114	105	55	96	117
12 Haryana	85	87	73	73	103	88	83	52	72	82
13 Himachal Pradesh	83	61	53	79	80	94	92	58	90	95
14 Jammu & Kashmir and	88	76	287	194	127	NA	NA	NA	NA	NA
15 Ladakh	NA	NA	NA	NA	NA	99	87	64	85	74
16 Jammu & Kashmir	102	110	88	100	101	106	100	78	77	96
17 Jharkhand	75	94	89	107	82	95	98	84	96	95
18 Karnataka	85	94	76	107	156	97	95	39	100	113
19 Kerala	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85	77	90	81
20 Ladakh	85	94	76	107	156	96	NA	NA	NA	NA
21 Lakshadweep	82	81	75	80	84	98	89	62	78	91
22 Madhya Pradesh	87	83	69	69	72	92	84	48	79	92
23 Maharashtra	132	130	66	83	99	115	98	89	82	103
24 Manipur	90	100	69	90	128	116	85	62	92	103
25 Meghalaya	142	83	79	84	90	93	74	76	88	111
26 Mizoram	142	83	79	84	90	96	97	28	56	63
27 Nagaland	101	114	73	82	131	64	69	42	67	90
28 Odisha	106	99	93	98	107	98	91	80	102	114
29 Puducherry	85	87	73	73	103	96	94	60	87	100
30 Rajasthan	82	86	59	71	65	94	93	70	81	96
31 Sikkim	78	111	96	138	111	109	99	92	92	97
32 Tamil Nadu	106	99	93	98	107	98	96	84	94	98
33 Telangana	69	64	58	70	103	96	81	49	71	95
34 Tripura	92	113	111	127	107	163	101	40	107	104
35 Uttar Pradesh	91	94	72	82	96	85	81	66	69	72
36 Uttarakhand	83	93	88	83	81	93	120	60	80	86
37 West Bengal	85	110	83	111	121	87	89	66	63	80
38 All India	88	108	77	83	95	93	89	62	80	89

Note: States that share a High Court have been assigned the same value.
Source: National Judicial Data Grid

Gram Nyayalayas: An Unrealised Vision

As early as 1986,⁶⁶ Gram Nyayalayas were envisaged to make justice delivery more accessible and affordable for communities where they lived. The Gram Nyayalaya Act came into effect in 2009. However, after more than a decade, Gram Nyayalayas are yet to take off as a useful localised forum for dispute resolution. Only 15 states have notified them. As of 24 January 2023, there are 476 notified Gram Nyayalayas, of which only 264 are operational.⁶⁷ Reviewing the causes for the slow growth of these institutions, the Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice⁶⁸ mentioned the main challenges as being: the non-obligatory nature of setting them up by state governments, lack of basic infrastructure, vacancies of independent 'nyayadhikaris' or adjudicators, a lack of mobile courts, and the general reluctance of police and other functionaries to appear before them.

Setting up a Gram Nyayalaya is the primary responsibility of a state government in consultation

with the state's high court. As a hand holding exercise, the central government provides Rs. 27.60 lakh⁶⁹ per Gram Nyayalaya and up to Rs. 3.2 lakh per year for three years after its operationalisation, after which state governments must bear the cost of provisioning these institutions. A total of Rs 8,340 lakh has been released by the Department of Justice for Gram Nyayalayas since the inception of the scheme, of which Madhya Pradesh has received the maximum amount of Rs. 2,456 lakh, and Karnataka, Goa, Punjab and Haryana have only received Rs. 25 lakh each. In 2021-22, Odisha, with 19 operational Gram Nyayalayas received Rs. 107 lakh and Telangana with zero operational Gram Nyayalayas (55 notified) received Rs. 693 lakh.

As of 24 January 2023, of the total 2.16 lakh cases received (civil and criminal), just 6289 had been disposed of. A natural progression of this trend suggests that without much more manpower, finances, and regular functioning, these institutions will soon be overwhelmed and unable to fulfil their purpose as a means of doorstep justice to reduce the burden on subordinate and high courts.

Leah Verghese, DAKSH

Sandhya R, DAKSH

Smita Mutt, DAKSH;

Dr. Rehana Manzoor, India Justice Report;

Lakhwinder Kaur, India Justice Report;

Apoorva, Vidhi Centre for Legal Policy;

Deepika Kinhal, Vidhi Centre for Legal Policy

⁶⁶ Law Commission of India, *One hundred and fourteenth report, 1986*. Available at: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022080883.pdf>

⁶⁷ Department of Justice, Dashboard. Available at: https://dashboard.doj.gov.in/gn/operational_gram_nyayalaya

⁶⁸ Ministry of Law and Justice, *123rd Report by Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, 2022*. Available at: https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/18/171/123_2022_12_14.pdf

⁶⁹ Rs. 18 lakh (Rs. 10 lakh for office building + Rs. 5 lakh for vehicle + Rs. 3 lakh for furnishing the office).

Table 5: Indicator-wise data, state scores and ranks

		Best in cluster			Middle			Worst			Theme >		Budgets		Human Resources	
		Rank in cluster			IJR 3 Score (out of 10)	Indicators improved on (out of 13) ¹	Indicator >	Scoring guide >	Per capita spend on judiciary (Rs, 2020-21)	Population per High Court judge (Number, Dec 2022) ²						
		IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022												
National average										146	1,765,760					
Large and mid-sized states																
Andhra Pradesh	13	14	11	5.21		7	145	1,765,733								
Bihar	18	18	16	4.03		8	83	3,674,088	●							
Chhattisgarh	12	4	6	6.16		5	99	2,131,143								
Gujarat	7	8	9	5.54		8	139	2,523,143								
Haryana	3	7	14	4.72		6	270	933,333	●							
Jharkhand	14	9	7	6.14		9	115	1,855,667								
Karnataka	16	12	2	6.79		5	193	1,372,816								
Kerala	5	3	4	6.38		8	233	964,892								
Madhya Pradesh	6	11	10	5.40		6	129	2,759,613								
Maharashtra	4	5	12	5.16		4	172	1,941,636								
Odisha	9	15	13	5.06		9	118	2,007,364								
Punjab	2	2	3	6.55		10	251	933,333	●							
Rajasthan	8	10	17	4.01		4	147	3,082,808								
Tamil Nadu	1	1	1	6.96		8	165	1,448,870								
Telangana	11	6	5	6.34		9	157	1,148,697								
Uttar Pradesh	17	17	15	4.05		9	104	2,332,970								
Uttarakhand	15	13	8	5.63		6	193	1,645,429								
West Bengal	10	16	18	3.46		6	75	1,833,444	●							
Small states																
Arunachal Pradesh	7	5	4	4.21		6	199	1,681,917								
Goa	2	4	7	3.03		4	498	1,941,636	●							
Himachal Pradesh	3	2	6	3.17		7	278	743,100								
Meghalaya	4	7	5	3.79		9	192	1,106,000	●							
Mizoram	5	3	3	4.29		6	298	1,681,917								
Sikkim	1	1	1	6.06		5	635	227,667	●							
Tripura	6	6	2	5.54		7	238	1,369,667								
Unranked states																
Assam		Not ranked				8	99	1,681,917								
Manipur		Not ranked				4	150	1,064,667								
Nagaland		Not ranked				4	187	1,681,917								
Union Territories																
A&N Islands		Not ranked				7	337	1,833,444								
Chandigarh		Not ranked				7	517	933,333								
DNH & DD		Not ranked				NA	50	1,941,636								
Delhi		Not ranked				7	581	465,889								
Jammu & Kashmir		Not ranked				NA	190	920,267								
Ladakh		Not ranked				NA	313	920,267								
Lakshadweep		Not ranked				6	302	964,892								
Puducherry		Not ranked				6	152	1,448,870								

Data sources: Court News, Supreme Court of India; National Judicial Data Grid; eCourts Services; Websites of High Courts; Approaches to Justice in India: A Report by DAKSH; Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; National Commission on Population, 2019; Open Budgets India; Department of Justice.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iii. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. iv. Sub. court: subordinate court. v. pp: percentage points (the difference between two percentages). vi. NA: Not available. vii. CY: Calendar year; FY: Financial year. viii. SC: Scheduled castes; ST: Scheduled tribes; OBC: Other backward classes. ix. States and UTs that share a High Court have been assigned identical values for High Court indicators. These are Assam, Arunachal Pradesh Mizoram and Nagaland; Kerala and Lakshadweep; Maharashtra, Goa, D&N Haveli & Daman & Diu; Punjab, Haryana and Chandigarh; Tamil Nadu and Puducherry; West Bengal and Andaman & Nicobar Islands; Jammu & Kashmir and Ladakh.

1. Count of indicators on which a state has improved over IJR 2. Only non-trend indicators present in both IJR 2 and IJR 3 have been considered. For indicators with benchmarks, if a state met the benchmark, it was marked as an improvement even if its value declined within the benchmark. If a state didn't meet the benchmark but its value improved, it was marked as an improvement. D&NH/D&D, J&K and Ladakh values are not comparable with IJR 2, and so have not been considered. 2. Population of states and UTs that share a High Court has been combined. Hence, they show an identical value.

Table 5: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Human Resources				Diversity		
	Indicator	Population per sub. court judge (Number, Jul 2022)	High Court judge vacancy (% Dec 2022)	Sub. court judge vacancy (% Jul 2022)	High Court staff vacancy (% 2021-22)	Women judges (High Court) (% Dec 2022)	Women judges (sub. court) (% Jul 2022)
		Lower, the better	Lower, the better	Lower, the better	Lower, the better	Higher, the better	Higher, the better
		Scoring guide					
National average	71,224	29.8	21.7	25.6	13.1	35.1	
Large and mid-sized states							
Andhra Pradesh	109,673	●	18.9	20.4	51.2	6.7	46.2
Bihar	92,259		35.8	30.7	52.8 ●	0.0 ●	24.2
Chhattisgarh	67,964		36.4	8.9 ●	32.6	7.1	41.7
Gujarat	60,280		46.2	23.0	24.3	21.4	19.5 ●
Haryana	63,367		22.4	39.0 ●	23.1	19.7	38.4
Jharkhand	66,842		16.0 ●	13.6	16.9	4.8	23.0
Karnataka	63,162		21.0	21.9	26.0	10.2	33.6
Kerala	74,546		21.3	16.0	17.3	16.2	43.1
Madhya Pradesh	55,587		41.5	23.8	14.6	9.7	34.8
Maharashtra	64,645		29.8	11.4	11.3 ●	12.1	30.8
Odisha	56,983		33.3	20.7	28.5	4.5	44.4
Punjab	50,892		22.4	13.3	23.1	19.7	45.8
Rajasthan	63,513		48.0 ●	20.1	37.0	7.7	40.2
Tamil Nadu	71,351		28.0	19.2	13.7	20.4	39.9
Telangana	92,231		21.4	19.7	33.8	27.3 ●	52.8 ●
Uttar Pradesh	93,021		37.5	31.0	21.1	7.0	31.7
Uttarakhand	42,502	●	36.4	9.4	21.1	0.0 ●	39.1
West Bengal	107,412		25.0	9.5	31.5	14.8	35.9
Small states							
Arunachal Pradesh	44,229		0.0 ●	14.6	7.9	16.7	34.3
Goa	39,175		29.8	20.0	11.3	12.1	70.0 ●
Himachal Pradesh	45,870		41.2 ●	7.4 ●	15.0 ●	20.0	34.0 ●
Meghalaya	65,059	●	25.0	48.5 ●	13.2	0.0 ●	62.7
Mizoram	29,927	●	0.0 ●	36.9	7.9	16.7	51.2
Sikkim	32,524		0.0 ●	25.0	11.5	33.3 ●	52.4 ⁴
Tripura	37,697		40.0	10.7	5.3 ●	0.0 ●	34.9
Unranked states							
Assam	82,274		0.0	11.2	7.0	16.7	47.0
Manipur	76,048		40.0	28.8	20.2	0.0	45.2
Nagaland	92,208		0.0	29.4	7.0	16.7	62.5
Union Territories							
A&N Islands	30,923		25.0	NA ³	31.5	14.8	0.0
Chandigarh	40,633		22.4	0.0	23.1	19.7	36.7
DNH & DD	195,000		29.8	14.3	11.3	12.1	0.0
Delhi	30,695		25.0	22.7	37.1	22.2	41.1
Jammu & Kashmir	57,225		11.8	24.8	17.4	13.3	29.2
Ladakh	33,222		11.8	47.1	17.4	13.3	33.3
Lakshadweep	34,000		21.3	33.3	17.3	16.2	0.0
Puducherry	146,182		28.0	57.7	13.7	20.4	45.5

Data sources: Court News, Supreme Court of India; National Judicial Data Grid; eCourts Services; Websites of High Courts; Approaches to Justice in India: A Report by DAKSH; Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; National Commission on Population, 2019; Open Budgets India; Department of Justice.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iv. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. v. Sub. court: subordinate court. vi. pp: percentage points (the difference between two percentages). vii. NA: Not available. viii. CY: Calendar year; FY: Financial year. ix. SC: Scheduled castes; ST: Scheduled tribes; OBC: Other backward classes. x. States and UTs that share a High Court have been assigned identical values for High Court indicators. These are Assam, Arunachal Pradesh Mizoram and Nagaland; Kerala and Lakshadweep; Maharashtra, Goa, D&N Haveli & Daman & Diu; Punjab, Haryana and Chandigarh; Tamil Nadu and Puducherry; West Bengal and Andaman & Nicobar Islands; Jammu & Kashmir and Ladakh.

3. Parliament question shows 0 sanctioned and 13 actual subordinate court judges. 4. Data taken from Department of Justice website.

Table 5: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Indicator	Diversity			Infrastructure	Workload
		NEW SC judges, actual to reserved (sub. court) (% Jul 2022)	NEW ST judges, actual to reserved (sub. court) (% Jul 2022)	NEW OBC judges, actual to reserved (sub. court) (% Jul 2022)	Courthall shortfall (% Aug 2022)	NEW Cases pending (5-10 years) (High Court) (% Jan 2023)
Scoring guide		Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better	Lower, the better	Lower, the better
National average		NA	NA	NA	14.7	24.18
Large and mid-sized states						
Andhra Pradesh		91	69	119	-4.0	28.40
Bihar		68	77	51	20.2	25.04
Chhattisgarh		128 ●	79	123	2.7	26.79
Gujarat		108	2	55	1.1	25.09
Haryana		56	NA ⁸	33	27.7 ●	26.48
Jharkhand		39	35	36	4.6	21.90
Karnataka		85	66	75	14.3	21.81
Kerala		79	9	106	5.8	36.90 ●
Madhya Pradesh		73	56	90	24.0	28.87
Maharashtra		80	5	120	-7.3 ●	23.14
Odisha		11	0 ●	48	16.9	25.25
Punjab		83	0 ●	99.95	14.9	26.48
Rajasthan		63	58	94	15.9	19.97
Tamil Nadu		93	68	122	9.3	18.62 ●
Telangana		82	117	125 ●	-3.1	32.28
Uttar Pradesh		64	45	83	25.4	23.20
Uttarakhand		83	125 ●	96	21.1	24.18
West Bengal		0 ●	0 ●	0 ●	17.6	23.59
Small states						
Arunachal Pradesh		NA ⁵	104 ●	NA ¹²	36.6	23.55 ●
Goa		0 ●	33 ●	15 ●	-6.0 ●	23.14
Himachal Pradesh		57	91	38	13.7	16.60
Meghalaya		NA ⁶	57	NA ¹³	46.5 ●	9.23
Mizoram		NA ⁵	NA ⁹	NA ¹⁴	35.4	23.55 ●
Sikkim		0 ●	66	116 ●	28.6	7.36
Tripura		63 ●	61	NA ¹⁴	32.8	0.56 ●
Unranked states						
Assam		65	52	0	13.4	23.55
Manipur		254	71	70	33.9	11.59
Nagaland		NA ⁵	76 ¹⁰	0	11.8	23.55
Union Territories						
A&N Islands		NA ⁷	NA ¹¹	NA ¹⁵	NA ³	23.59
Chandigarh		74	NA ⁸	25	-3.3	26.48
DNH & DD		0	0	244	-14.3	23.14
Delhi		54	12	0	32.5	21.66
Jammu & Kashmir		67	60	NA ¹⁶	38.2	28.34
Ladakh		588	78	NA ¹⁴	47.1	28.34
Lakshadweep		NA ⁵	74	NA ¹⁴	0.0	36.90
Puducherry		0	0	93	-38.5	18.62

Data sources: Court News; Supreme Court of India; National Judicial Data Grid; eCourts Services; Websites of High Courts; Approaches to Justice in India: A Report by DAKSH; Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India; Comptroller and Auditor General of India; National Commission on Population, 2019; Open Budgets India; Department of Justice.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iii. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. iv. Sub. court: subordinate court. v. pp: percentage points (the difference between two percentages). vi. NA: Not available. vii. CY: Calendar year; FY: Financial year. viii. SC: Scheduled castes; ST: Scheduled tribes; OBC: Other backward classes. ix. States and UTs that share a High Court have been assigned identical values for High Court indicators. These are Assam, Arunachal Pradesh Mizoram and Nagaland; Kerala and Lakshadweep; Maharashtra, Goa, D&N Haveli & Daman & Diu; Punjab, Haryana and Chandigarh; Tamil Nadu and Puducherry; West Bengal and Andaman & Nicobar Islands; Jammu & Kashmir and Ladakh.

3. Parliament question shows 0 sanctioned and 13 actual subordinate court judges. 5. No SC reservation and no SC Judges. 6. No specific reservation approved for SCs. 7. SC reservation data not available.

8. No ST reservation and no ST Judges. 9. No ST reservation. 10. ST judges data from Department of Justice website. 11. No ST judges. 12. No OBC reservation. 13. No specific reservation approved for OBCs. 14. No OBC reservation and no OBC Judges. 15. No OBC judges. 16. No OBC category given.

Table 5: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Indicator	Workload				
		NEW				
		Cases pending (10+ years) (High Court) (% Jan 2023)	Cases pending (5-10 years) (sub. court) (% Jan 2023)	Cases pending (10+ years) (sub. court) (% Jan 2023)	Average High Court pendency (Years, Feb 2022)	Case clearance rate (High Court) (% 2022)
Scoring guide		Lower, the better	Lower, the better	Lower, the better	Lower, the better	Higher, the better
National average		24.07	19.09	9.73	NA	95
Large and mid-sized states						
Andhra Pradesh		20.47	11.65	1.33	7.48	73
Bihar		15.77	28.45	19.29	4.96	113
Chhattisgarh	●	6.46	10.12	0.36	4.08	77
Gujarat		13.60	13.43	7.54	4.90	92
Haryana	●	24.80	6.84	0.24	6.75	103
Jharkhand		20.00	23.66	6.02	6.60	101
Karnataka		18.95	16.51	3.09	5.23	82
Kerala	●	15.21	18.47	1.03	6.50	156
Madhya Pradesh		27.08	16.84	1.01	NA ¹⁸	84
Maharashtra		25.76	20.64	8.41	NA ¹⁸	72
Odisha		21.75	25.83	16.51	6.05	131
Punjab	●	24.80	5.78	0.31	6.75	103
Rajasthan		17.22	22.10	4.87	5.46	65
Tamil Nadu		21.95	16.80	4.32	6.38	107
Telangana		18.01	13.72	1.48	6.85	103
Uttar Pradesh	●	40.07	19.16	16.35	11.34	96
Uttarakhand	●	6.72	11.07	1.97	3.58	81
West Bengal	●	39.46	28.64	19.73	9.89	121
Small states						
Arunachal Pradesh		4.27	NA ¹⁷	NA ¹⁷	3.61	90
Goa	●	25.76	18.54	5.38	NA ¹⁸	72
Himachal Pradesh		4.37	12.44	1.16	3.10	80
Meghalaya	●	0.09	26.85	10.49	2.09	128
Mizoram		4.27	9.94	2.24	3.61	90
Sikkim	●	0.61	0.65	0.16	1.85	111
Tripura	●	0.00	7.52	3.73	0.99	107
Unranked states						
Assam		4.27	12.69	1.61	3.61	90
Manipur		10.40	16.90	2.75	3.38	99
Nagaland		4.27	20.97	5.70	3.61	90
Union Territories						
A&N Islands		39.46	39.69	13.23	9.89	121
Chandigarh		24.80	5.72	0.26	6.75	103
DNH & DD		25.76	18.03	3.91	NA ¹⁸	72
Delhi		13.83	14.17	1.35	NA ¹⁸	88
Jammu & Kashmir		15.52	18.14	4.31	5.71	127
Ladakh		15.52	6.76	0.35	5.71	127
Lakshadweep		15.21	NA ¹⁷	NA ¹⁷	6.50	156
Puducherry		21.95	20.54	6.34	6.38	107

Data sources: Court News, Supreme Court of India; National Judicial Data Grid; eCourts Services; Websites of High Courts; Approaches to Justice in India: A Report by DAKSH; Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; National Commission on Population, 2019; Open Budgets India; Department of Justice.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iii. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. iv. Sub. court: subordinate court. v. pp: percentage points (the difference between two percentages). vi. NA: Not available. vii. CY: Calendar year; FY: Financial year. viii. SC: Scheduled castes; ST: Scheduled tribes; OBC: Other backward classes. ix. States and UTs that share a High Court have been assigned identical values for High Court indicators. These are Assam, Arunachal Pradesh Mizoram and Nagaland; Kerala and Lakshadweep; Maharashtra, Goa, D&N Haveli & Daman & Diu; Punjab, Haryana and Chandigarh; Tamil Nadu and Puducherry; West Bengal and Andaman & Nicobar Islands; Jammu & Kashmir and Ladakh.

17. Data not available on National Judicial Data Grid. 18. Data could not be computed.

Table 5: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Indicator	Workload		Trends		
		Case clearance rate (sub. court) (%; 2022)	Cases pending (per High Court judge) (%; CY '18-'22)	Cases pending (per sub. court judge) (%; CY '18-'22) ²⁰	Total cases pending (High Court) (%; CY '18-'22)	Total cases pending (sub. court) (%; CY '18-'22) ²⁰
		Higher, the better	Lower, the better	Lower, the better	Lower, the better	Lower, the better
	National average	89	1.7	5.8	3.6	8.4
Large and mid-sized states						
	Andhra Pradesh ¹⁹	90	-14.0	17.5	7.2	14.0
	Bihar	93	12.2	1.6	8.4	7.7
	Chhattisgarh	89	6.6	2.9	8.9	8.1
	Gujarat	117 ●	8.6	0.4	7.6	0.9 ●
	Haryana	82	3.6	19.4 ●	4.4	18.3 ●
	Jharkhand	96	-7.3	-0.01 ●	-0.6	6.5
	Karnataka	95	-5.4	3.6	3.3	5.2
	Kerala	113	1.4	4.3	2.3	5.6
	Madhya Pradesh	91	9.4	5.5	6.9	8.8
	Maharashtra	92	12.6	11.2	9.4	8.2
	Odisha	90	-1.1	3.8	0.2	7.2
	Punjab	100	3.6	8.2	4.4	10.6
	Rajasthan	96	31.3 ●	4.6	20.8 ●	7.1
	Tamil Nadu	98	-1.5	2.4	-0.7	5.5
	Telangana ¹⁹	95	-15.5 ●	9.0	5.0	16.1
	Uttar Pradesh	72 ●	2.5	5.7	3.2	11.5
	Uttarakhand	86	14.4	5.8	7.8	9.7
	West Bengal	80	-4.7	7.4	-1.0 ●	3.3
Small states						
	Arunachal Pradesh	NA ¹⁷	4.8	NA ¹⁷	10.0	NA ¹⁷
	Goa	113 ●	12.6	11.5	9.4	7.5
	Himachal Pradesh	95 ●	21.3 ●	13.5 ●	24.7 ●	15.8 ●
	Meghalaya	103	7.5	-2.4	6.7	2.7
	Mizoram	111	4.8	12.8	10.0	10.3
	Sikkim	97	-7.2	3.4	-4.2	6.4
	Tripura	104	-21.4 ●	-10.5 ●	-10.2 ●	-4.6 ●
Unranked states						
	Assam	72	4.8	8.5	10.0	12.4
	Manipur	103	-3.0	5.6	-0.1	6.7
	Nagaland	63	4.8	4.2	10.0	5.8
Union Territories						
	A&N Islands	76	-4.7	-1.3	-1.0	2.4
	Chandigarh	76	3.6	17.7	4.4	17.4
	DNH & DD	97	12.6	7.7	9.4	4.3
	Delhi	71	8.3	6.2	8.6	13.4
	Jammu & Kashmir	74	-13.2	NA ²¹	-8.8	NA ²¹
	Ladakh	81	-13.2	NA ²¹	-8.8	NA ²¹
	Lakshadweep	NA ¹⁷	1.4	NA ¹⁷	2.3	NA ¹⁷
	Puducherry	114	-1.5	3.8	-0.7	1.8

Data sources: Court News, Supreme Court of India; National Judicial Data Grid; eCourts Services; Websites of High Courts; Approaches to Justice in India: A Report by DAKSH; Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; National Commission on Population, 2019; Open Budgets India; Department of Justice.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iii. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. iv. Sub. court: subordinate court. v. pp: percentage points (the difference between two percentages). vi. NA: Not available. vii. CY: Calendar year; FY: Financial year. viii. SC: Scheduled castes; ST: Scheduled tribes; OBC: Other backward classes. ix. States and UTs that share a High Court have been assigned identical values for High Court indicators. These are Assam, Arunachal Pradesh Mizoram and Nagaland; Kerala and Lakshadweep; Maharashtra, Goa, D&N Haveli & Daman & Diu; Punjab, Haryana and Chandigarh; Tamil Nadu and Puducherry; West Bengal and Andaman & Nicobar Islands; Jammu & Kashmir and Ladakh.

17. Data not available on National Judicial Data Grid. 19. Separate data for Andhra Pradesh and Telangana was not available for all 5 years considered for trend indicators. Hence, a 3-year trend has been computed for them. 20. Separate data for judges not available for Andaman & Nicobar Islands and West Bengal for all 5 years considered. Hence, a 3-year trend has been computed. 21. Jammu & Kashmir and Ladakh are not included in this indicator as their 5-year data was not available separately.

Table 5: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Indicator	Trends				
		Judge vacancy (High Court) (pp, CY '18-'22)	Judge vacancy (sub. court) (pp, CY '18-'22) ²⁰	Case clearance rate (High Court) (pp, CY '18-'22)	Case clearance rate (sub. court) (pp, CY '18-'22)	Difference in spend: judiciary vs state (pp, FY '17-'21)
		Lower, the better	Lower, the better	Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better
	National average	-0.99	-0.66	1.03	-1.65	0.94
Large and mid-sized states						
	Andhra Pradesh	-12.01 ●	3.01	6.23	-0.23	-0.97
	Bihar	0.35	-2.99	4.48	2.98	1.83
	Chhattisgarh	-1.44	-1.38	-2.53	-3.46	0.30
	Gujarat	0.51	-0.40	1.08	-1.43	0.16
	Haryana	-0.75	3.18 ●	4.93	-0.68	1.40
	Jharkhand	-5.47	-4.80 ●	3.02	-1.12	-0.55
	Karnataka	-5.65	-0.64	2.72	0.18	8.24 ●
	Kerala	-0.71	0.10	13.56 ●	5.12 ●	-3.59
	Madhya Pradesh	1.19	-2.43	-0.52	-0.61	1.25
	Maharashtra	1.83	1.72	-3.20	-0.85	-0.57
	Odisha	-0.22	-0.60	6.34	2.35	0.65
	Punjab	-0.75	-1.38	4.93	1.79	-3.32
	Rajasthan	3.37 ●	2.33	-5.78 ●	-0.07	4.19
	Tamil Nadu	-0.82	0.23	1.67	-0.62	-1.08
	Telangana	-4.53	0.20	13.03	4.85	-5.20 ●
	Uttar Pradesh	-0.53	-2.22	-1.38	-3.30	4.96
	Uttarakhand	3.33	-2.32	-5.69	-1.39	1.20
	West Bengal	-2.92	0.00	5.20	-13.67 ●	1.40
Small states						
	Arunachal Pradesh	-4.24	-4.93 ●	-1.37	NA ¹⁷	10.57 ●
	Goa	1.83 ●	0.49	-3.20 ●	0.76	1.97
	Himachal Pradesh	-0.15	0.10	-2.71	-1.06	-0.79
	Meghalaya	-0.42	-2.26	5.53	-0.26	5.30
	Mizoram	-4.24	1.99 ●	-1.37	2.87 ●	-0.36
	Sikkim	-2.78	0.65	5.73 ●	-0.77	-2.83 ●
	Tripura	-6.42 ●	-3.66	0.25	-5.53 ●	8.81
Unranked states						
	Assam	-4.24	-1.32	-1.37	-4.41	-1.69
	Manipur	-4.00	2.09	4.32	-0.17	0.13
	Nagaland	-4.24	-1.18	-1.37	-5.39	2.01
Union Territories						
	A&N Islands	-2.92	NA ²²	5.20	-3.61	8.17
	Chandigarh	-0.75	0.00	4.93	-4.32	-1.15
	DNH & DD	1.83	6.67	-3.20	-1.89	12.62
	Delhi	-1.06	-3.39	-1.34	-3.11	6.32
	Jammu & Kashmir	-5.20	NA ²¹	8.11	NA ²¹	NA ²¹
	Ladakh	-5.20	NA ²¹	8.11	NA ²¹	NA ²¹
	Lakshadweep	-0.71	NA ¹⁷	13.56	NA ¹⁷	0.91
	Puducherry	-0.82	0.77	1.67	1.15	3.58

Data sources: Court News, Supreme Court of India; National Judicial Data Grid; eCourts Services; Websites of High Courts; Approaches to Justice in India: A Report by DAKSH; Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; National Commission on Population, 2019; Open Budgets India; Department of Justice.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iv. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. iv. Sub. court: subordinate court. v. pp: percentage points (the difference between two percentages). vi. NA: Not available. vii. CY: Calendar year; FY: Financial year. viii. SC: Scheduled castes; ST: Scheduled tribes; OBC: Other backward classes. ix. States and UTs that share a High Court have been assigned identical values for High Court indicators. These are Assam, Arunachal Pradesh Mizoram and Nagaland; Kerala and Lakshadweep; Maharashtra, Goa, D&N Haveli & Daman & Diu; Punjab, Haryana and Chandigarh; Tamil Nadu and Puducherry; West Bengal and Andaman & Nicobar Islands; Jammu & Kashmir and Ladakh.

17. Data not available on National Judicial Data Grid. 20. Separate data for judges not available for Andaman & Nicobar Islands and West Bengal for all 5 years considered. Hence, a 3-year trend has been computed. 21. Jammu & Kashmir and Ladakh are not included in this indicator as their 5-year data was not available separately. 22. Data shows 0 sanctioned subordinate court judges for last 4 years.



Legal Aid

Legal Aid Ranking

Color guide

Best Middle Worst

Indicators
(in IJR 3)

15

Clusters

- I. 18 large and mid-sized states
(population above 10 million)
- II. 7 small-sized states
(population up to 10 million)

Map 15: Large and mid-sized states

Rank (out of 18)

NEW

IJR 1
2019

IJR 2
2020

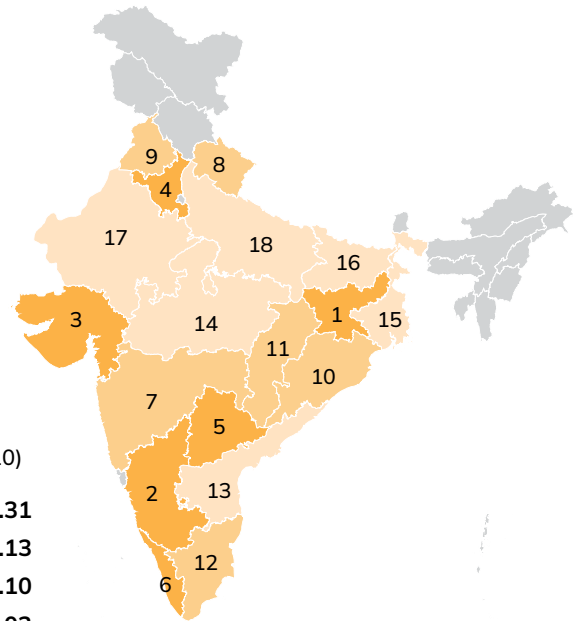
IJR 3
2022

14	4	1
7	16	2
6	9	3
2	5	4
4	6	5
1	7	6
5	1	7
17	10	8
3	3	9
15	8	10
8	15	11
12	11	12
10	14	13
9	12	14
13	17	15
16	2	16
11	13	17
18	18	18

State

Score (out of 10)

Jharkhand	6.31
Karnataka	6.13
Gujarat	6.10
Haryana	6.02
Telangana	5.92
Kerala	5.85
Maharashtra	5.73
Uttarakhand	5.63
Punjab	5.59
Odisha	5.44
Chhattisgarh	5.33
Tamil Nadu	5.32
Andhra Pradesh	5.27
Madhya Pradesh	5.01
West Bengal	4.88
Bihar	4.41
Rajasthan	4.36
Uttar Pradesh	3.24



Map 16: Small states

Rank (out of 7)

NEW

IJR 1
2019

IJR 2
2020

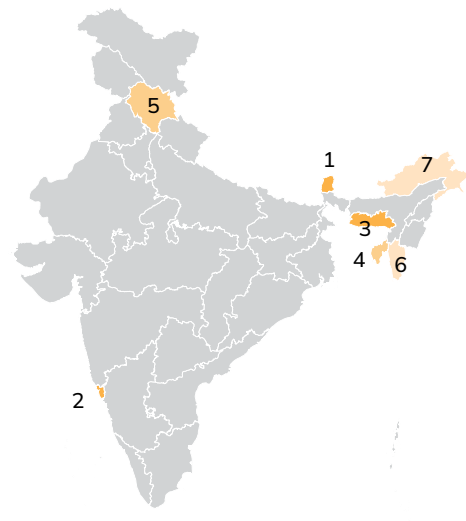
IJR 3
2022

1	1	1
6	6	2
5	3	3
7	5	4
4	7	5
3	2	6
2	4	7

State

Score (out of 10)

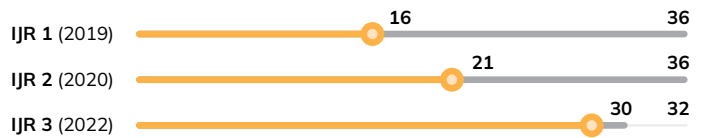
Sikkim	4.96
Goa	4.41
Meghalaya	4.15
Tripura	3.70
Himachal Pradesh	3.62
Mizoram	3.33
Arunachal Pradesh	3.10



PUSHING EXPECTATIONS

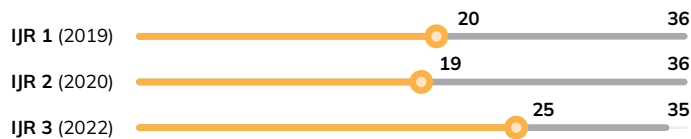
State budgets

Number of states/UTs contributing above 50% to their legal aid budget.



Women

Number of states/UTs where the share of women among panel lawyers is above 20%.



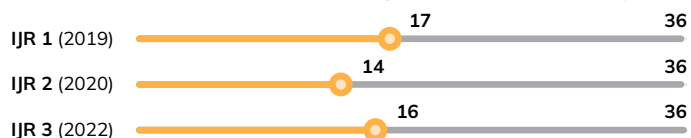
Rural coverage

Number of states/UTs where the average number of villages covered by a legal aid clinic is less than 150.



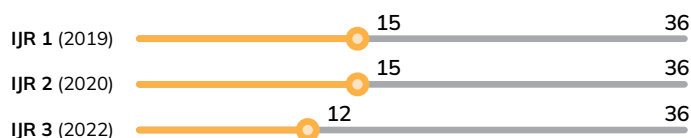
Infrastructure

Number of states/UTs where at least one legal service clinic serves one jail.



Dispute resolution

Number of states/UTs where Lok Adalats settled more than 50% of the pre-litigation cases they took up.



* Number of states/UTs (out of 36) for which data was available.

Per capita spend on legal aid

₹0.73
NALSA

₹3.84
States/UTs

₹4.57
States/UTs + NALSA

Budget data for 2020-21, population data for March 2021

Rural coverage

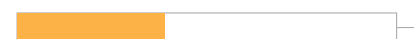
The average number of villages serviced by a legal service clinic increased from 42 to 127.



Undertrial review committee



Of the **42,486 inmates** recommended by UTRCs for bail in 2021, **only 39% were released.**



Budgets

No state/UT

used up its entire state budget allocation for legal aid.



Chapter 4

Legal Aid: Justice for All, a Distant Dream

 Nearly 5.1 billion people across the world lack meaningful access to justice.¹

Introduction

It is widely acknowledged that free legal aid is an essential element of a functioning criminal justice system based on the rule of law.² Free and easily accessed legal aid—whether it is representation, counselling, mediation, raising awareness or referrals—enables the ideal of equal access to justice for all to become a reality.

The third IJR adds two new indicators on budgets and the presence of front offices in District Legal Services Authorities (DLSAs) and finds major shifts in positions in both large and small states since 2020, due mainly to improvements in budget utilisation, case disposals by Lok Adalats, and gender diversity.

Jharkhand, demonstrated consistent improvements, from fourteenth in 2019 and fourth in 2020, ranks first this year. Improving on allocation of budgets by the state and representation of women among panel lawyers and paralegal volunteers, Karnataka climbed 14 places, the highest jump among the large and mid-sized states, to rank second. Gujarat ranked sixth in 2019 and ninth in 2020, and came in third this year. Elsewhere, Maharashtra fell six spots from first in 2020 to seventh, primarily due to a decline in the number of legal aid clinics and poor utilisation of funds. Bihar that had ranked second fell to the sixteenth position and Uttar Pradesh remained at eighteenth between 2019 and 2022.

Among small states, Sikkim rose from third in 2020 to first

Helping Hand

At a time of acute disarray (March to June 2020), legal aid institutions augmented their traditional canvas of work beyond the legal to play a crucial role in providing both legal and humanitarian assistance, impacting more than 71 lakh beneficiaries, in this four-month period.³ DLSAs also coordinated with prisons and the judiciary to release 42,772 undertrials and 16,391 convicts on interim bail and parole. They also facilitated food, medicine and the transit of the flood of migrants travelling homewards.⁴

COVID-19 and Undertrial Review Committees (UTRCs)

The Commonwealth Human Rights Initiative's study on the functioning of UTRCs in 18 State Legal Aid Authorities between April and June 2020 shows that UTRCs were formed in only 231 of 284 districts. Only 78% of them met weekly. Four states—Manipur, Meghalaya, Mizoram and Nagaland—held less than half of the mandated meetings.⁵

1 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, Justice for All - The Report of the Task Force on Justice; April 2019. Available at: <https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2019/06/Justice-for-All-report-1.pdf>
 2 Principle 1, UN Principles and Guidelines for Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, 2012.
 3 Commonwealth Human Rights Initiative, Responding to the Pandemic: Documenting Services by Legal Services Institutions, 2021. Available at: <https://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI%20Responding%20to%20the%20Pandemic%20Vol%201.pdf>
 4 NALSA's Statistical Snapshot, 2020. Available at: <https://nalsa.gov.in/library/statistical-snapshot/statistical-snapshot-2020>
 5 Commonwealth Human Rights Initiative, Study on Functioning of Undertrial Review Committees (from April to June 2020). Available at: <https://www.humanrightsinitiative.org/publication/study-on-functioning-of-undertrial-review-committees>

in 2022 while Goa came in second after being in top spot in 2019 and 2020. Showing consistent improvements, Meghalaya moved from sixth in 2019, fifth in 2020 to third place this year, while Mizoram fell from second in 2019, fourth in 2020 to come in sixth this year. Arunachal Pradesh remained at the seventh position.

Human Resources

DLSA secretary vacancy
(%, 31 Mar, 2022)

PLVs per lakh population
(number, 30 Jun, 2022)

Sanctioned secretaries as % of DLSAs
(%, 31 Mar, 2022)

'Legal aid providers' include lawyers (panel, retainer, remand), jail-visiting lawyers and, more recently, full-time offices of legal aid defence counsels. Paralegal volunteers deployed across the country act as a bridge between the community and legal service institutions. Their functions include spreading legal literacy, giving legal advice, and facilitating basic dispute resolution at the source itself.⁶

Vacancies among full-time secretaries: The availability of a full complement of staff remains a continuing challenge to the optimal delivery of legal aid and assistance. Each District Legal Aid Authority is required to be chaired by the district and sessions judge, with a judicial officer assigned as secretary, in addition to a cohort of support staff. In addition to administrative officers, each DLSA is also required to have empanelled lawyers and paralegal volunteers.

To ensure its smooth functioning, the need for the secretary to be full-time has been emphasised since 2012.⁷ Sanctioning posts and deputing legal officers

to legal aid authorities is the prerogative of the state government. By March 2022, the number of DLSAs increased from 669 in 2020 to 676.⁸ But the number of sanctioned posts for full-time secretaries stood at 603—a deficit of 73. Against this sanctioned strength, only 533 full-time secretaries were appointed—a vacancy of 143 against the number of existing DLSAs.

Vacancies in 6 states/UTs saw an increase.⁹ Eighteen states/UTs, including Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Maharashtra and Odisha, could boast full-time secretaries in all their districts.¹⁰ But others fell short. Meghalaya (73 per cent), Tripura (60 per cent), Jammu & Kashmir (41 per cent), Madhya Pradesh (31 per cent), Uttar Pradesh (28 per cent) and Telangana (18 per cent) recorded the highest vacancies. Nine states/UTs had not sanctioned or appointed even a single full-time secretary.¹¹ Uttar Pradesh (71/74) sanctioned fewer DLSAs than its judicial districts, while Telangana (11/10), Arunachal Pradesh (25/7) and Mizoram (8/2) had more DLSAs than there are judicial districts.¹²

Lawyers and Paralegal Volunteers: Legal aid and assistance is delivered mainly through empanelled lawyers who may be asked to represent clients, render legal advice, visit prisons, or assist with Lok Adalats. As of June 2022, there are 50,316 lawyers across 36 states/UTs to provide free legal aid to those who might need it. This is a reduction from 59,591 in 2020¹³ which is a drop of 16 per cent.

Although NALSA regulations¹⁴ outline the process of empanelment, there exists no uniform policy that stipulates the number of lawyers to be appointed. However, some states/UTs have very large cohorts while others much fewer. Illustratively, Tamil Nadu with 32 districts had 4,438 lawyers empanelled across all legal service institutions, while Bihar with 37 districts and a larger population had only 2,129. Maharashtra has 5,461 empanelled lawyers, the highest in the country, while Uttar Pradesh, a much larger jurisdiction has only

6 NALSA (Free and Competent Legal Services) Regulations 2010, NALSA SOP on Representation of Persons in Custody 2011 and NALSA's Scheme for Paralegal Volunteers, 2009 which provide guidance on the appointment and functioning of these legal-aid providers.

7 Guidelines issued by the National Legal Services Authority for the State Legal Services Authorities, District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees and High Court Legal Services Committees. (In light of the working groups' discussions held at the National Judicial Academy on 17–19 December 2011).

8 Data on the number of District Legal Services Authority is from NALSA's State Profiles: Detailed representation of Data (up to 31 March 2022). Available at: <https://nalsa.gov.in/library/state-profiles-2021-22>

9 Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Tamil Nadu, Tripura and Uttar Pradesh.

10 Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand and West Bengal.

11 Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, DNH & DD, Lakshadweep, Mizoram, Nagaland, Puducherry and Sikkim.

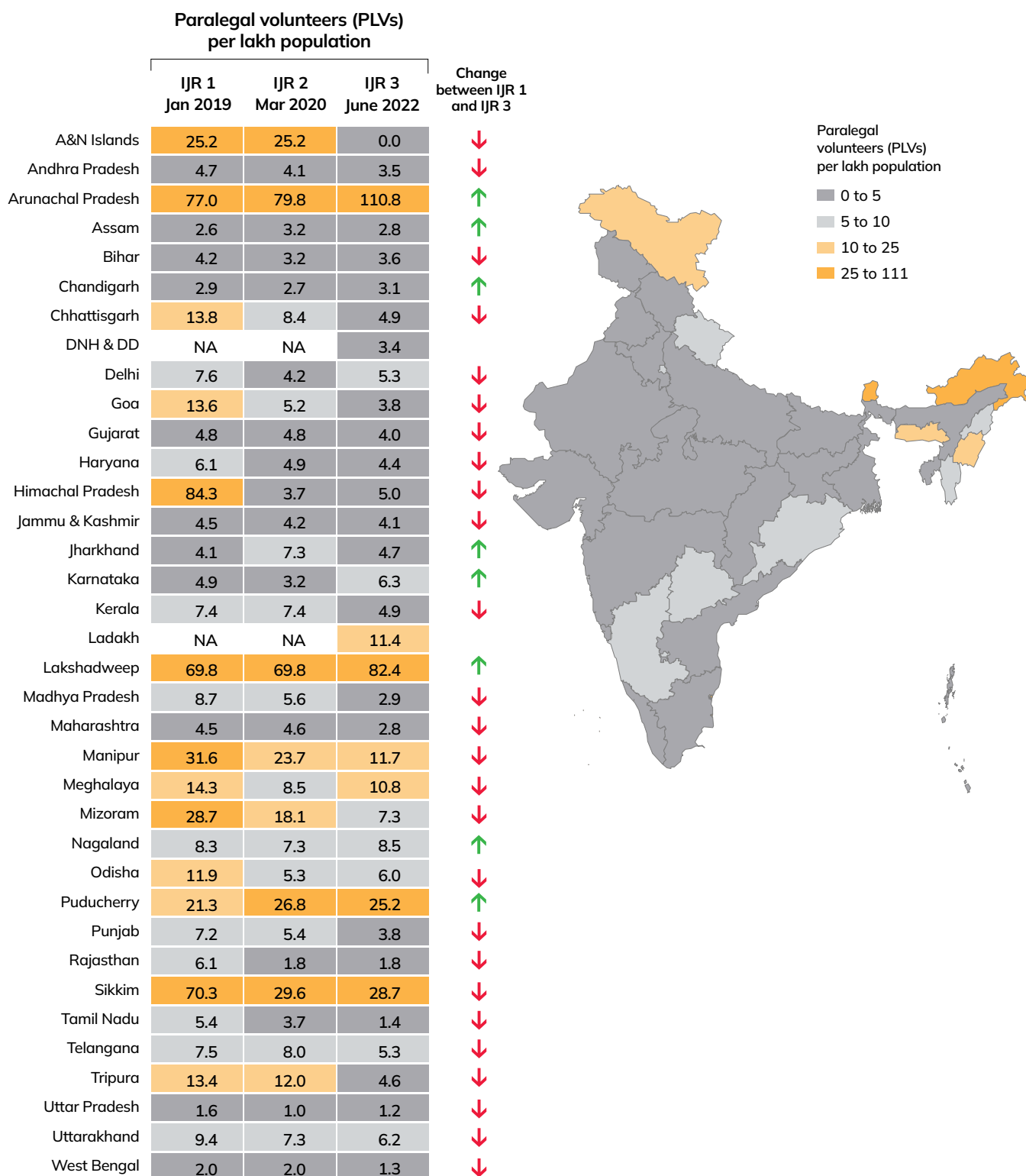
12 Data on the number of judicial districts in each state is from NALSA's State Profiles: Detailed representation of Data (up to 31 March 2022). Available at: <https://nalsa.gov.in/library/state-profiles-2021-22>

13 Figures for Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep are as of January 2019.

14 NALSA (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010.

Figure 31: Paralegal volunteers: mapping the numbers

Paralegal volunteers (PLVs) serve as the bridge between people and the legal aid system. Despite the NALSA benchmark of 50 active PLVs per DLSA, the distribution remains scattered. 26 of 36 states and Union Territories reduced the number of PLVs between 2020 and 2022.



Source: National Legal Services Authority (NALSA)

2,405. Fourteen states/UTs¹⁵ record a fall in the numbers of lawyers.

The issue of appropriate numbers is also reflected in the paralegal volunteer scheme. NALSA suggests 50 active paralegals in each DLSA.¹⁶ However, in 2022 states/UTs like Bihar (4,446/1,850), Delhi (1,104/550), Gujarat (2,812/1,600) appointed more PLVs than required, while others like Goa (59/100), Himachal Pradesh (368/550), Rajasthan (1,449/1,800) and Uttar Pradesh (2,863/3,550) appointed fewer than the required numbers. Paralegals are intended to be embedded community legal resources responsible for spreading awareness, counselling, and bridging the distance between community and the formal legal system. Thirteen years into the PLV scheme, their potential as agents of legal empowerment remains only partially realised. Twenty states/UTs reduced their numbers.¹⁷ Nationally, the number of PLVs has dropped 15 per cent,¹⁸ from 53,679 in 2020 to 45,636 in 2022.

Diversity

Share of women in panel lawyers
(%, 30 Jun 2022)

Women PLVs (%, 30 Jun 2022)

Women panel lawyers: Government services at all tiers are required to be representative of the population they serve. Though there continues to be a dearth of publicly available data in terms of caste composition of stakeholders across the legal aid system, gender diversity is captured. Between 2020 and 2022, a majority of states/UTs increased the share of women panel lawyers. Nationally, their share increased by 6 percentage points from 18 per cent¹⁹ to 25 per cent. Meghalaya had the highest share at 60.4 per cent followed by Nagaland (51.4 per cent), Goa (45.3 per cent), Sikkim (44.7 per cent) and Kerala (42.4 per cent). Rajasthan (8.6 per cent) followed by Uttar Pradesh (10.5 per cent) had the lowest share of women among panel lawyers.

Women Paralegal Volunteers: Nationally, the share of women paralegals increased from 35 per cent²⁰ in March 2020 to 40 per cent as of June 2022. Four states/UTs including Karnataka, Goa, Kerala, and Delhi, among others, recorded more than 50 per cent women PLVs. Ladakh at 82 per cent had the highest share, followed by Sikkim at 76 per cent. Nagaland (23 per cent), Tripura (25 per cent), Uttar Pradesh (25 per cent) and Bihar (27 per cent) recorded the lowest.

Transgenders: A long way to go

In 2014, the Supreme Court recognised transgenders as a legal identity.²¹ As of 2022, only 587 paralegals are transgender. Maharashtra employs the most at 183 followed by Karnataka (137) while seventeen states/UTs²² employ none. Data on their presence among legal aid lawyers and secretaries is not publicly available.

Budgets

NALSA Fund utilised (%, 2021-22)

State's share in legal aid budget
(%, 2021-22)

State legal-aid budget utilised
(%, 2020-21) **NEW**

Both NALSA (a central body) and states contribute finances towards providing free legal aid. NALSA's funds are typically for activities that include conducting Lok Adalats, mediation, training programs and honorariums to lawyers, paralegals, mediators and judges presiding over Lok Adalats, while state contributions primarily go towards infrastructure, personnel and administrative expenses. States also contribute to the Victim Compensation Fund as mandated under Section 357-A CrPC.

15 Arunachal Pradesh, Bihar, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, West Bengal.

16 NALSA's Paralegal Volunteer Scheme. Available at: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/preventive-strategic-legal-services-schemes/scheme-for-para-legal-volunteers>

17 Andaman & Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand and West Bengal.

18 Figures for Andaman & Nicobar Islands, Kerala and Lakshadweep as of January 2019.

19 This figure is from the India Justice Report, 2020 and does not include data from Kerala, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands (not ranked), Lakshadweep (not ranked) as the report repeated figures from March 2017 due to unavailability of data from these states.

20 Ibid.

21 National Legal Services Authority v. Union of India [Writ Petition (Civil) No. 400 of 2012].

22 Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, DNH & DD, Delhi, Goa, Haryana, Jharkhand, Lakshadweep, Ladakh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Rajasthan, Sikkim, Tripura and Uttarakhand.

Over the last two years, the overall allocation for legal services has increased substantially. NALSA's disbursement to states increased by 46 per cent to 144.3 crore in 2021–22²³ (from Rs. 99 crore in 2020–21).²⁴ For the most part, state contributions to the legal aid budgets also increased. For example, in 2019–20, the Haryana government contributed 68 per cent to the total legal aid budget and the remaining 32 per cent came from NALSA. In 2021–22, Haryana's state share shot up to 83 per cent, with only Rs. 6.5 crore (65 million) being provided by NALSA to the total legal aid budget of Rs. 38.6 crore (386 million).

Historically, state spend on legal aid has been uneven and low. In 2017–18, 6 states/UTs²⁵ had not contributed towards legal services at all.²⁶ As of 2021–22²⁷ all states/UTs contributed towards their legal aid budgets. The increased willingness to contribute suggests two things: growing awareness of and demand for legal aid, which must be met, and an increasing recognition of the value of providing better and more widely spread legal services. With the exception of Nagaland and Chandigarh, all states/UTs contributed more than 60 per cent to their legal aid budgets. Four states—Goa, Madhya Pradesh, Sikkim and Uttar Pradesh—contributed more than 90 per cent. Allocations by Assam, Andhra Pradesh, Rajasthan and Telangana reduced marginally.

Curiously, the overall utilisation of NALSA funds reduced in 2021–22, and of the Rs. 183 crore (1.83 billion) allotted to states, Rs. 138 crore (1.38 billion) remained unutilised.²⁸ Only Jharkhand and Manipur utilised 100 per cent, followed by Arunachal Pradesh and Mizoram (97 per cent each), while Odisha and Andhra Pradesh could manage only 50 per cent. Goa with 49 per cent utilised the least.²⁹

State Legal Aid Budget Utilisation (2020–21): Of their respective allocated budgets, a majority utilised more than 50 per cent,³⁰ although others like Chandigarh (38.5 per cent), Meghalaya (49 per cent) and Uttar Pradesh (35 per cent) fell short. For UP this meant that of its allocation of Rs. 133 crore (1.33 billion) the state

Figure 32: Budget utilisation

A state's legal aid spend comprises what it gets from the Centre (via NALSA) and what it provides. The following figure depicts how well states are utilising the two respective funds.

Utilisation (%)

Below 60 60 to 75 75 to 90 Above 90

Large & mid-sized states	NALSA fund utilised (% 2021-22)	State legal aid budget utilised (% 2020-21)
Andhra Pradesh	50	100
Bihar	61	70
Chhattisgarh	75	54
Gujarat	77	93
Haryana	82	78
Jharkhand	100	51
Karnataka	69	100
Kerala	70	69
Madhya Pradesh	65	94
Maharashtra	87	83
Odisha	50	81
Punjab	74	96
Rajasthan	76	99
Tamil Nadu	81	57
Telangana	68	86
Uttar Pradesh	57	35
Uttarakhand	73	72
West Bengal	67	89

Small states	NALSA fund utilised (% 2021-22)	State legal aid budget utilised (% 2020-21)
Arunachal Pradesh	97	NA
Goa	49	81
Himachal Pradesh	77	99
Meghalaya	63	49
Mizoram	97	92
Sikkim	125	75
Tripura	59	96

National Legal Services Authority (NALSA), States' budget documents

23 Grants to State Legal Services Authorities in 2021–22. Available at: <https://nalsa.gov.in/grants-and-accounts/grands/grants-2021-2022>

24 Grants to State Legal Services Authorities in 2020–21. Available at: <https://nalsa.gov.in/grants-and-accounts/grands/grants-2020-2021>

25 Jharkhand, Assam, Andaman & Nicobar Islands, DNH & DD and Lakshadweep.

26 India Justice Report, 2019, p. 85. Available at: <https://www.tatatrusts.org/upload/pdf/overall-report-single.pdf>

27 Data for Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, DNH & DD, Lakshadweep was unavailable.

28 This report includes the pending balance from the previous year in the total allocation of NALSA funds to states/UTs. Data on allocation by NALSA to states/UTs is from NALSA's state profile document. Available at: <https://nalsa.gov.in/library/state-profiles-2021-22>

29 This indicator excludes Sikkim from the ranking as it recorded more utilisation than was allotted to the state in 2021–22. Among unranked states, Delhi and Nagaland recorded more utilisation than allotted.

30 Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat.

could not utilise Rs. 87 crore (0.87 billion). Karnataka and Andhra Pradesh used their entire amounts while only twelve states utilised more than 80 per cent.³¹

Infrastructure

DLSAs as % of state judicial districts
(%, 31 Mar 2022)

Villages per legal services clinic (number, 2021-22)

Legal services clinic per jail (number, 2021-22)

Presence of front offices in DLSAs
(%, 30 Jun 2022) **NEW**

Set up in 1995 under the Legal Services Authorities Act, 1987, the National Legal Services Authority (NALSA) helms a network of legal service institutions at state (37), district (676) and sub-divisional or taluk (2,361) levels, as well as in appellate courts i.e., the Supreme Court and high courts.

Between March 2020 and 2022, a time encompassing the disruptions of the pandemic, the network of legal services institutions (LSIs) grew considerably; adding 7 new District Legal Services Authorities (DLSAs) and 82 more Taluka Legal Service Committees (TLCs), bringing the total to 676 and 2,361 respectively.

Front Offices: To enable easy access, every legal service institution including DLSAs is required to have a “front office.”³² Manned by a retainer lawyer and/ or paralegal volunteers,³³ front offices render services that include not only legal assistance and advice but also liaise between lawyers and clients about case status.³⁴

For the third edition of this report, the authors requested NALSA for information on the number of front offices set up with LSIs in states. NALSA could provide data only for front offices at DLSAs and hence the report captures the front offices at the district level only. A majority of states/UTs had front offices set up in all the DLSAs. Chhattisgarh had 25 front offices across 23 DLSAs; Delhi had 12 across 11 DLSAs; Sikkim had 8 across 4 DLSAs and Puducherry had 2 front offices at 1 DLSA. All states

recorded a presence of front offices at all DLSAs with the exception of Meghalaya, which had 9 front offices across 11 DLSAs, and Arunachal Pradesh, with 15 front offices across 25 DLSAs.

Legal aid clinics: Access to justice for all requires legal services to be present within the communities they serve. Legal aid clinics are supposed to provide legal counselling, referral, and representational and awareness services in areas where people face “geographical, social and other barriers”.³⁵ While the number and location of clinics is not stipulated, NALSA regulations require a legal aid clinic to “serve a village or a cluster of villages.”³⁶

Between March 2020 and March 2022, legal aid clinics across India’s nearly 6 lakh villages reduced by 66.6 per cent—from 14,159 to 4,723. This means that the national average for villages per legal aid clinic went up from 42 to 127. Most states and Union Territories recorded a decline in the number of legal service clinics across villages. According to legal aid functionaries the dramatic drop in numbers of legal aid clinics is part of optimization efforts.

However, in the absence of thorough performance audits it is difficult to assess the usefulness of legal aid clinics. According to NALSA, between April 2021 and March 2022, the number of persons who visited such clinics was 11.9 lakh, of which 7.3 lakh were provided some form of assistance. This has been the highest number of visits by people to these clinics since 2017–18, when only 6.9 lakh people visited and 5.6 lakh were provided with some sort of assistance.³⁷

Only Kerala and Tripura have 1 clinic covering less than 10 villages and among Union Territories—Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, and Puducherry have 1 clinic, on average, covering less than 10 villages. Among the rest of the large and mid-sized states, the coverage is poor. Jharkhand had 1 clinic for 2,107 villages followed by Uttar Pradesh with 1 clinic for 1,019 villages; Bihar had 1 for 814 villages and Rajasthan 1 for 475 villages. Chhattisgarh’s sole legal service clinic covered all villages (19,567) in the state.

31 Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana, Tripura and West Bengal.

32 NALSA (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010

33 NALSA Competent Legal Services Regulations, 2010

34 NALSA Guidelines on Front Offices.

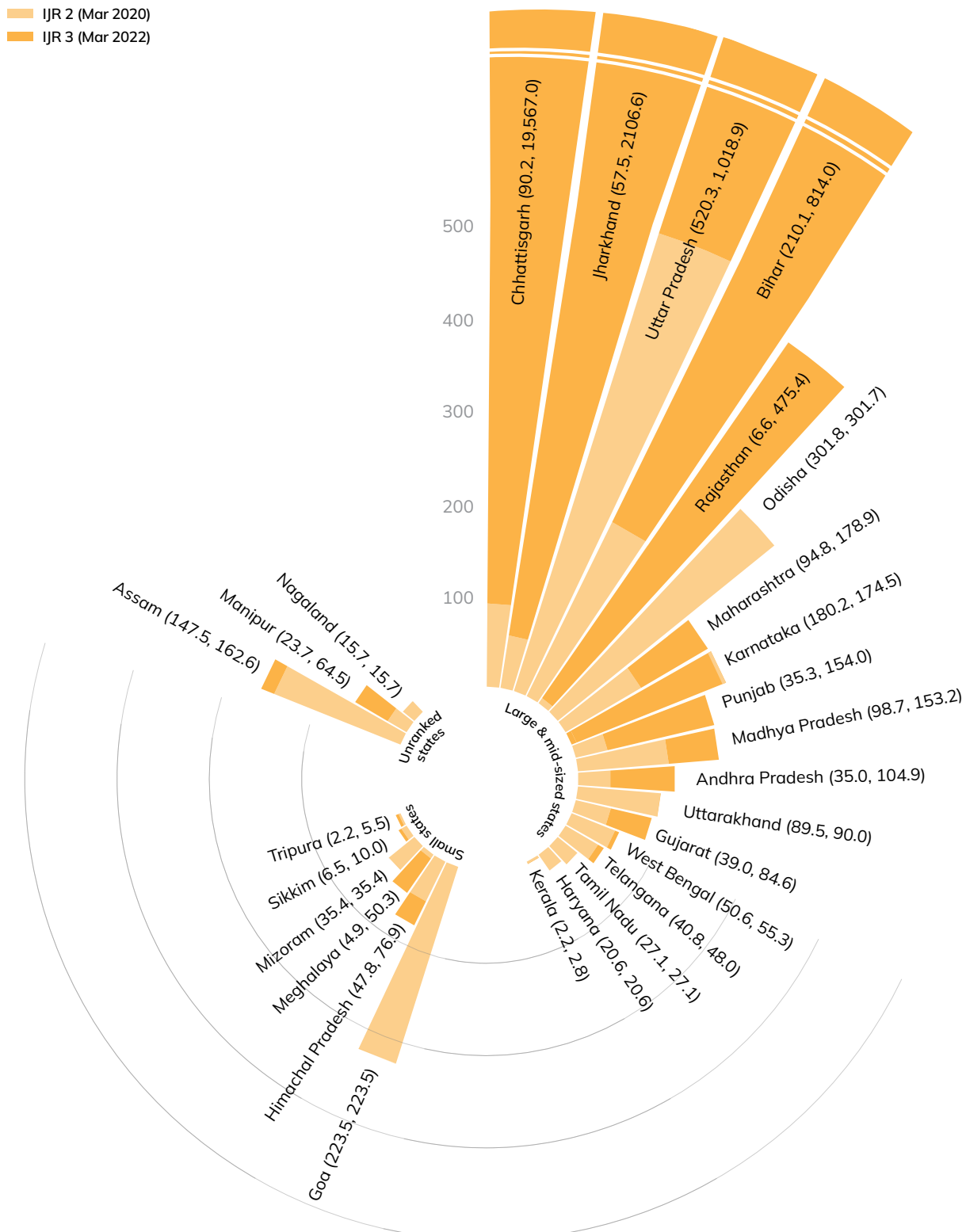
35 NALSA (Legal Services Clinics) Regulations, 2011.

36 Ibid.

37 NALSA’s Statistical Information with respect to Legal Service Clinics between April 2017 and March 2018. Available at: <https://nalsa.gov.in/statistics/legal-service-clinics-april-2017-to-march-2018>

Figure 33: Villages per legal aid clinic

NALSA regulations require a clinic to "serve a village or a cluster of villages". However, the national average of villages per legal service clinic has increased from 42 in 2020 to 127 in 2022 due to the drastic fall in the number of legal service clinics across the country.



Note: 1. States arranged within cluster in descending order of number of villages in IJR 3. 2. Arunachal Pradesh (small state) has villages but no legal service clinics in villages.
Source: National Legal Services Authority (NALSA)

Legal aid clinics in jails: NALSA (Legal Services Clinics) Regulations, 2011 mandate legal aid clinics in jails. The guidelines for representation for persons in custody³⁸ state that some of the empanelled lawyers must be designated 'jail-visiting lawyers' and must visit at least twice a week.³⁹ Ideally, every jail should have a legal aid clinic of its own. However, 20 states/UTs⁴⁰ are yet to meet this criterion.⁴¹ Six states/UTs,⁴² including Gujarat and West Bengal, have more clinics than the number of jails.⁴³ Gujarat, with 58 clinics in 32 jails, has the most jail legal services clinics, followed by West Bengal with 72 clinics in 60 jails; Punjab with 27 clinics in 26 jails; and Chhattisgarh with 34 clinics in 33 jails. Among the small states, Arunachal Pradesh has more clinics than prisons—5 clinics for 2 prisons while Meghalaya, Goa and Sikkim have clinics in every jail. Tripura, Himachal Pradesh and Mizoram are yet to have clinics in all jails.

Workload

PLA cases: settled as % of received
(%, 2021-22)

SLSA LAs: Pre-litigation cases disposed as
% of total cases taken up (%, 2021-22)

Total LAs NLAs + SLSA LAs: Share of pre-
litigation cases in disposed cases (%, 2021-22)

Lok Adalats: Alternative dispute resolution mechanisms have their fair share of critics, however, with increasing pendency in courts, they have the potential to ameliorate an overburdened judicial system and provide a low cost and time efficient way of resolving disputes amicably. Lok Adalats, or 'Peoples' Courts', are the principal mode of alternative dispute resolution. They are held both under the aegis of state legal service institutions and by NALSA and deal with two kinds of cases:

- Any case pending before any court.
- Any dispute which has not been brought before any court and is likely to be filed before the court, or a case at the pre-litigative stage.⁴⁴

Permanent Lok Adalats⁴⁵ have also been established to provide compulsory pre-litigation conciliation and settlement to disputes with public utility services like transport services, postal services, telephone services etc. The Legal Services Authority Act, 1987 mandates every state authority to establish Permanent Lok Adalats exercising jurisdiction over one or more public utility services and in other areas as deemed necessary.⁴⁶ As of March 2022, 12 states/UTs did not have a functioning permanent Lok Adalat.⁴⁷ In 2021–22, they disposed of 118,136 cases across 29,153 sittings, with the total value of settlement being about 466 crore (4.66 billion).⁴⁸ This is an increase from 2018-19, when the Lok Adalats disposed of 102,625 cases across 26,615 sittings.⁴⁹ Only 7 states/UTs cleared more than 50 per cent cases as received.⁵⁰ Gujarat cleared all the cases it received. Maharashtra's clearances dropped from 83 per cent in 2019–20 to 36 per cent in 2021–22. Kerala cleared just 4 per cent, followed by Uttar Pradesh (8 per cent) and Bihar (11 per cent).

Pre-litigation cases

Pre-litigation cases disposed of by National Lok Adalats: The efficiency with which Lok Adalats dispose of pre-litigation cases assumes importance in the larger canvas of judicial functioning. While the process itself is not free from criticism, it does offer some relief to an overburdened judicial system and litigants. In this context, the percentage of pre-litigation cases disposed of, and the total cases disposed of and taken up is an important measure.⁵¹

38 NALSA's Standard Operating Procedure (SOP) for Representation of Persons in Custody, 2016. Available at: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/guidelines/standard-operating-procedure-for-representation-of-persons-in-custody>. NALSA has revised this scheme in 2022 mandating DLSAs in every district to establish a Prison Legal Aid Clinic (PLAC) within the premises of every prison in furtherance of the NALSA (Legal Services Clinics) Regulations, 2011 and SOP for Representation of Persons in Custody, 2016.

39 NALSA's Standard Operating Procedure (SOP) for Representation of Persons in Custody, 2016.

40 Andaman & Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Ladakh, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh and Uttarakhand.

41 Andaman & Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Ladakh, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh and Uttarakhand.

42 Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Punjab and West Bengal.

43 In some cases, prisons serve more than one judicial district. In such cases, each DLSA sets up a clinic in the same jail.

44 Section 10, NALSA Lok Adalat Regulations, 2009. Available at: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/regulations/national-legal-services-authority-lok-adalat-regulations-2009>

45 Section 22B–22E of the Legal Services Authorities Act, 1987: 'State Authority shall, by notification, establish Permanent Lok Adalats at such places and for exercising such jurisdiction in respect of one or more public utility services and for such areas as may be specified in the notification'.

46 Section 22-B of the Legal Services Authority Act, 1987. Available at: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/the-legal-services-authorities-act-1987>

47 Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, DNH & DD, Jammu & Kashmir, Ladakh, Lakshadweep, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Puducherry, Sikkim and West Bengal.

48 NALSA Statistics on Permanent Lok Adalats from April 2021 to March 2022. Available at: <https://nalsa.gov.in/statistics/permanent-lok-adalat-april-2021-to-march-2022>

49 NALSA Statistics on Permanent Lok Adalats from April 2018 to March 2019. Available at: <https://nalsa.gov.in/statistics/permanent-lok-adalat-april-2018-to-march-2019>

50 Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand and Punjab.

51 India Justice Report, 2019, op. cit., p. 86.

Figure 34: Performance of lok adalats

The following table shows the state-wise number of pre-litigation cases disposed by National Lok Adalats and those organised by State Legal Service Authorities.

	National Lok Adalats (2021-22)		SLSA Lok Adalats (2021-22)			Total LAs: Pre-litigation cases disposed (%) ¹	SLSA LAs: Pre-litigation in cases taken up (%) ²
	Pre-litigation cases taken up	Pre-litigation cases disposed	Pre-litigation cases taken up	Pre-litigation cases disposed	Total Case: Taken Up		
Large and mid-sized states							
Andhra Pradesh	100,828	63,271	7,395	1,657	19,558	25.1	8.5
Bihar	1,619,511	173,734	1,241	6	1,260	74.0	0.5
Chhattisgarh	481,462	256,225	10	10	1,511	70.7	0.7
Gujarat	684,495	92,563	19,456	255	50,840	9.1	0.5
Haryana	115,349	45,945	0	0	183,542	13.1	0.0
Jharkhand	540,222	366,866	20,741	19,289	25,336	78.9	76.1
Karnataka	286,268	108,199	175	23	5,221	6.6	0.4
Kerala	120,363	25,422	27,738	4,858	184,575	16.8	2.6
Madhya Pradesh	1,970,848	343,195	3,925	47	17,282	71.7	0.3
Maharashtra	18,072,798	3,908,090	15	1	45	93.2	2.2
Odisha	257,100	10,733	0	0	1,770	22.0	0.0
Punjab	219,112	25,264	374	18	6,294	11.4	0.3
Rajasthan	654,802	146,809	985	84	17,182	29.7	0.5
Tamil Nadu	127,932	31,159	57,398	7,517	76,747	11.9	9.8
Telangana	102,418	95,270	2,803	1,605	9,043	14.0	17.7
Uttar Pradesh	11,842,568	6,571,895	46,978	24,010	65,708	74.6	36.5
Uttarakhand	27,511	5,927	12	12	19,190	15.8	0.1
West Bengal	164,907	33,245	58,340	42,179	93,743	20.6	45.0
Small states							
Arunachal Pradesh	6,775	531	211	91	211	44.8	43.1
Goa	4,506	264	312	47	1,857	5.4	2.5
Himachal Pradesh	63,405	22,047	0	0	73,822	29.3	0.0
Meghalaya	3,445	628	316	34	619	57.0	5.5
Mizoram	6,976	1,589	464	169	551	88.4	30.7
Sikkim	172	109	1,157	492	1,590	75.4	30.9
Tripura	11,367	1,690	7,908	1,280	29,317	21.7	4.4
Union Territories							
A&N Islands	1,490	404	0	0	35,117	8.8	0.0
Chandigarh	25,846	145	681	37	0	1.0	4.5
DNH & DD	1,784	82	0	0	0	20.4	0.0
Delhi	104,453	87,776	9,127	8,769	0	22.8	5.9
Jammu & Kashmir	147,288	109,019	999	547	822	45.2	10.5
Ladakh	674	478	1	0	0	25.8	0.0
Lakshadweep	106	59	0	0	149,500	92.2	0.0
Puducherry	4,200	184	4,512	190	5,191	5.6	4.0
Unranked states							
Assam	391,148	34,920	2,033	1,051	43	47.9	3.0
Manipur	1,280	940	0	0	0	88.3	0.0
Nagaland	3,144	1,098	0	0	4,728	92.3	0.0
All India	38,166,553	12,565,775	275,307	114,278	1,082,215	60.0	10.6

Notes: 1. NLAs + SLSA LAs: Share of pre-litigation cases in disposed cases. 2. SLSA LAs: Pre-litigation cases disposed as % of total cases taken up
Source: National Legal Services Authority (NALSA)

The five National Lok Adalats that were organised between April 2021 and March 2022, disposed of 2.06 crore (20,583,396) cases of which 1.26 crore (12,565,775) were pre-litigation cases with the total value of settlement amounting to 7,322 crore. This is an increase from 2018-19 where the same number of national Lok Adalats were held and disposed of total 0.59 crore (5,908,612) cases of which 0.33 crore (3,294,463) were pre-litigation cases. Uttar Pradesh (65.7 lakh cases) disposed of the most pre-litigation cases, followed by Maharashtra (39.1 lakh) and Jharkhand (3.7 lakh). When compared with the number of pre-litigation cases taken up, 11 states/UTs cleared more than 50 per cent of the cases it received.⁵² Telangana (93 per cent) cleared the most cases against the number taken up while Odisha (4 per cent) and Goa (6 per cent) cleared the least. Seven states/UTs cleared less than 10 per cent cases it received at the pre-litigation stage.⁵³

Pre-litigation cases taken up by Lok Adalats organised by States: Of the 74,480 Lok Adalats held by SLSAs over 2021–22, Haryana (54,762) conducted the most followed by Gujarat (5,157). Nationally, these Lok Adalats took up a total of 10 lakh cases, of which they disposed of only 11 per cent at the pre-litigation stage. Jharkhand is the notable exception as the only state that cleared more than 50 per cent pre-litigation cases that it received. A majority of states cleared less than 10 per cent cases received at the pre-litigation stage and 4 states/UTs—Himachal Pradesh, Haryana, Ladakh and Odisha cleared no cases.

Pre-litigation cases taken up by National and State Lok Adalats: Taken together, the National Lok Adalats and those by SLSAs, disposed of 1.27 crore cases at the pre litigation stage. Nationally, 12 states/UTs⁵⁴ disposed of more than 50 per cent cases at the pre-litigation stage while 6 states/UTs cleared less than 10 per cent cases.⁵⁵ Among large and mid-sized states, the highest number of cases disposed of at pre-litigation stages was in Maharashtra (93 per cent) followed by Jharkhand at 79 per cent. The lowest disposal was seen in Karnataka at 6.6 per cent, followed by Gujarat (9.1 per cent). Among the small states, Mizoram (88 per cent) cleared the most pre-litigation cases while Goa (5 per cent) cleared the least.

Victim Compensation Schemes: One of the core priorities of the legal aid system is victim compensation schemes that provide financial support to victims or dependents who have suffered loss or injury as a result of a crime and who require rehabilitation. Despite comprehensive guidelines, the implementation of various victim compensation schemes remains sub-par. Between 2016–17 and 2021–22, State Legal Aid Service Authorities altogether received 97,037 applications seeking compensation. Of these, they disposed of only 64,333 (66 per cent) applications across all states.

In 2021–22, Delhi (2,421), Chhattisgarh (2,195), Odisha (1,898), Rajasthan (1,517) and Gujarat (1,188) received the most number of applications. With Rs. 123 crore (1.23 billion) disbursed over a total of 8,363 applications that were decided, these states accounted for 55 per cent of all awarded compensation. Nationally, all states and UTs awarded approximately Rs. 222 crore (2.22 billion) over 15,173 applications that were decided. Among the large and mid-sized states, Andhra Pradesh, Telangana and Uttarakhand awarded the least compensation. Andhra Pradesh awarded Rs 86.4 lakh with 62 cases decided, Telangana Rs. 87.7 lakh over 69 cases and Uttarakhand Rs 1.05 crore to 46 applications decided. Compensation amounts are decided by the court taking into account multiple factors such as the gravity of crime, and the socio-economic background of the victim.

Nationally, Goa awarded the least amount of compensation, only Rs. 2,50,000 against 34 applications that were decided.

Across the country, 89 per cent of cases received were disposed of by legal service institutions. Twelve states/UTs⁵⁶ disposed of less than 60 per cent of the cases they received. Arunachal Pradesh and Kerala disposed of only 10 per cent and 25 per cent of cases received. Among the small states, Mizoram disposed of the least—only 5 per cent of the cases it received; and Sikkim resolved all the cases they received.

Additionally, the lack of awareness surrounding compensation as a mode of restitution is evident from data. In its 2018 order, the Supreme Court had directed all states to adhere to NALSA's guidelines on victim

52 Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Ladakh, Lakshadweep, Manipur, Sikkim, Telangana and Uttar Pradesh.

53 Assam, Arunachal Pradesh, DNH & DD, Chandigarh, Goa, Puducherry and Odisha.

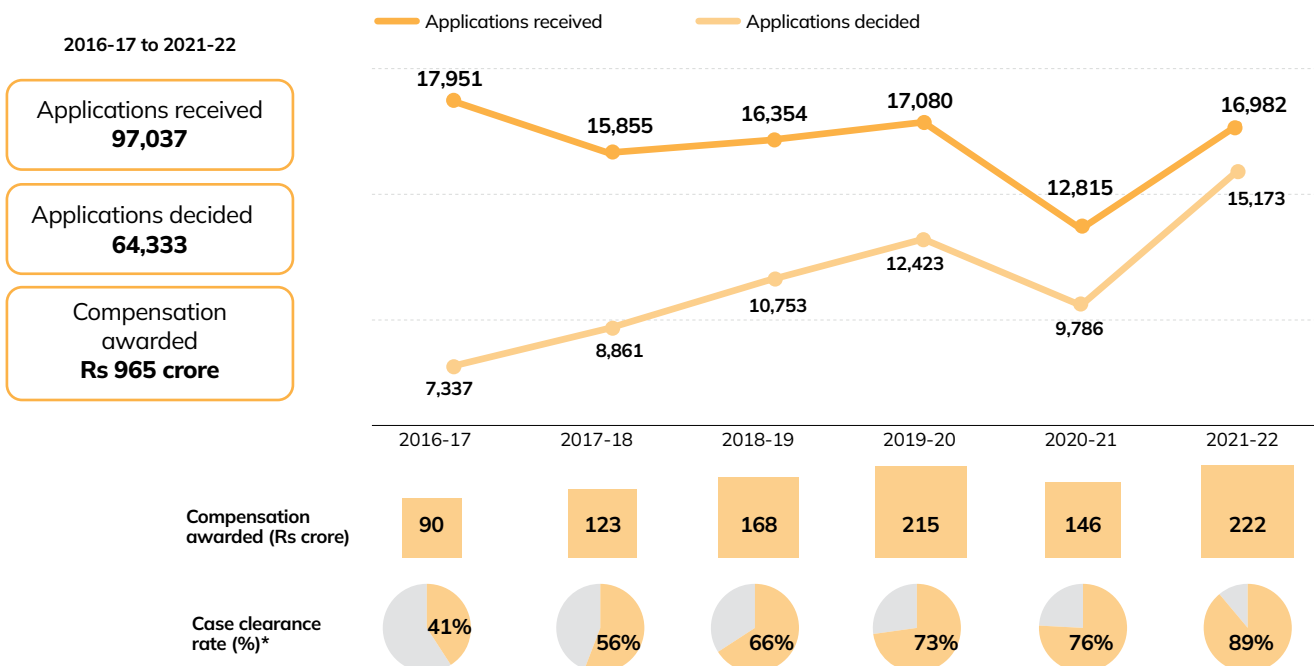
54 Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Uttar Pradesh.

55 Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Goa, Gujarat, Karnataka and Puducherry.

56 Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Goa, Jammu & Kashmir, Kerala, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Puducherry, Tamil Nadu and Uttarakhand.

Figure 35: Victim Compensation

Despite comprehensive guidelines, nationally, the implementation of various victim compensation schemes remains subpar.



* Applications decided of every 100 applications received.
Source: National Legal Services Authority (NALSA)

compensation⁵⁷ specifically for victims of sexual assault. However, compared with 121,161 sexual assault cases⁵⁸ registered across the country in 2021; the number of applications received (12,815) for compensation in 2020–21 accounted for only 10.5 per cent.

Looked at over five years (2016-17 to 2021-22), the

number of cases received by the courts and directly by the legal services authority was yet to touch 20,000 nationally. Since 2016, nationally, a total of 97,037 applications have been received, of which only 66 per cent (64,333) were decided. Not all applications that are 'decided' are necessarily awarded compensation.

Legal Aid Defence Counsel System

The need to improve and expand the reach of free and quality representation for 80% of the population who are entitled to it has spurred the system to innovate to find new and more accountable efficient legal representation in criminal cases.

In 2019, NALSA piloted the Legal Aid Defence Counsel Scheme in 13 districts.⁵⁹ It hires full-time lawyers dedicated to providing legal representation advice and referral in criminal cases from pre-arrest

to appellate stages in all Sessions, Special and Magistrate Courts. NALSA recommends that each such unit should have a maximum of 14 lawyers and 5 support staff. The unit would operate from DLSA premises and is to be selected by a committee under the chairmanship of the Principal District and Sessions Judge based on merit, knowledge and experience of the criminal law and procedure.

In July 2022 the project was extended to 350 districts. Presently nascent, its value will only be discerned when its clientele expands and satisfaction of both counsel and client is assessed.

⁵⁷ Order dated 11 May 2018 in Nipun Saxena v. Union of India (W.P. (C) No. 565/2012). Available at: <https://indiankanoon.org/doc/134824430/>

⁵⁸ Sexual assault cases include cases registered under Sections 376A-E (rape) and Sections 354A-D (assault with intent to outrage modesty) of the Indian Penal Code, 1860. Data taken from Crime in India, 2021. Available at: <https://ncrb.gov.in/en/Crime-in-India-2021>

⁵⁹ LADC adopted at the 17th All India Meet, 2019. NALSA Legal Aid Defence Counsel Scheme, 2022. Available at: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/guidelines/legal-aid-defence-counsel-system-2>

Checking Unnecessary Pre-trial Detention

Concerned with the unabated growth of prison populations, in 2013, the Supreme Court 'In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons',⁶⁰ directed the National Legal Services Authority (NALSA), along with the Ministry of Home Affairs and State Legal Services Authorities (SLSAs), to constitute Undertrial Review Committees (UTRCs). The district-level committee was tasked with periodically reviewing cases of all prisoners and recommending eligible ones for release.

The District and Sessions Judge heads and convenes the UTRC. The District Magistrate, Superintendent of Police, Officer-in-Charge of Prisons and Secretary, District Legal Services Authority are members. The Secretary, DLSA draws up the list of eligible prisoners for consideration, as shared by jail authorities.⁶¹

Earlier, UTRCs were to meet every quarter⁶² and limited to reviewing eligible cases under Section 436-A CrPC⁶³ and those unable to furnish surety for bail. Later, this expanded to include 14 categories of prisoners.⁶⁴ At the outset of the pandemic in March 2020, to hasten decongestion, the Supreme Court directed that UTRCs meet once a week.⁶⁵

NALSA's data shows that between January and December 2021, 665 DLSAs across the country convened 10,028 UTRC meetings. In 26 states/UTs⁶⁶ they met at least once in a quarter. Only Sikkim, with 13 meetings in a quarter, met once a week, closely followed by Himachal Pradesh (12 meetings). Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep

and Mizoram, though, did not convene a single meeting throughout the year.

Sikkim, with 452 inmates,⁶⁷ conducted the most meetings; it recommended only 2 undertrials for release against which only one was released. Nationally, 42,486 prisoners were recommended for release, but only 16,743 or 39% were actually released. Goa and Jammu & Kashmir released all those recommended for release. Thirteen states/UTs⁶⁸ released more than 50% while five⁶⁹ released less than 20%.

NALSA's nationwide campaign⁷⁰ to identify undertrial prisoners eligible for release by UTRCs between July and August 2022 saw 47,618 undertrial prisoners recommended for release⁷¹ nationally; of which 24,789 prisoners were released. Overall, 5.8% of the total undertrial population was released during the campaign which resulted in the reduction of the overall occupancy rates by 5.7 percentage points⁷² (from 130% to 124.3%) in the country. Uttar Pradesh (8,409) released the highest number of prisoners followed by West Bengal (2,107), Maharashtra (1,717) and Punjab (1,531).

Given that 77% of the prison population are undertrial prisoners, the UTRCs remain a valuable mechanism toward reducing prison populations. In addition, the 2016 Supreme Court mandate directs them to deal with "issues raised in the Model Prison Manual, 2016 including regular jail visits." This makes it a powerful district-level oversight body that can improve prison management, conditions, and inmate access to justice.

Prof. Vijay Raghavan, TISS-Prayas;
Nupur, Centre for Social Justice;

Madhurima Dhanuka, Commonwealth Human Rights Initiative;
Nayanika Singhal, India Justice Report;
Lakhwinder Kaur, India Justice Report

60 In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons (W.P. (Civil) No. 406/2013).

61 NALSA's Standard Operating Procedure for Undertrial Review Committees.

Available at: <https://nalsa.gov.in/acts-rules-guidelines/standard-operating-procedure-sop-guidelines-for-utrcs>

62 The Supreme Court vide order dated 5 February 2016 in Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons (W.P. (Civil) No. 406/2013) directed UTRCs to meet at least once every quarter.

63 Section 436-A, Code of Criminal Procedure, 1973 provides the maximum period for which an undertrial can be detained. It provides that where a person has undergone detention for a period extending up to one-half of the maximum period of imprisonment specified for that offence, he shall be released by the Court on his personal bond with or without sureties.

64 The Supreme Court vide order dated 6 May 2016 in In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons (W.P. (Civil) No. 406/2013) enhanced the purview of UTRCs to include 14 categories of inmates to be considered for early release.

65 On 23 March 2020, the Supreme Court in In Re: Contagion of COVID 19 Virus in Prisons (Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 1/2020) all UTRCs were directed to meet weekly in tandem with the newly set up High Powered Committees and the local legal service institutions to enable decongestion.

66 Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Chandigarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Ladakh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal.

67 Prison Statistics India, 2020, p. 45. Available at: https://ncrb.gov.in/sites/default/files/PSI_2020_as_on_27-12-2021_0.pdf

68 Assam, Bihar, Goa, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Nagaland, Odisha, Punjab, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and Uttarakhand.

69 Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh and Maharashtra.

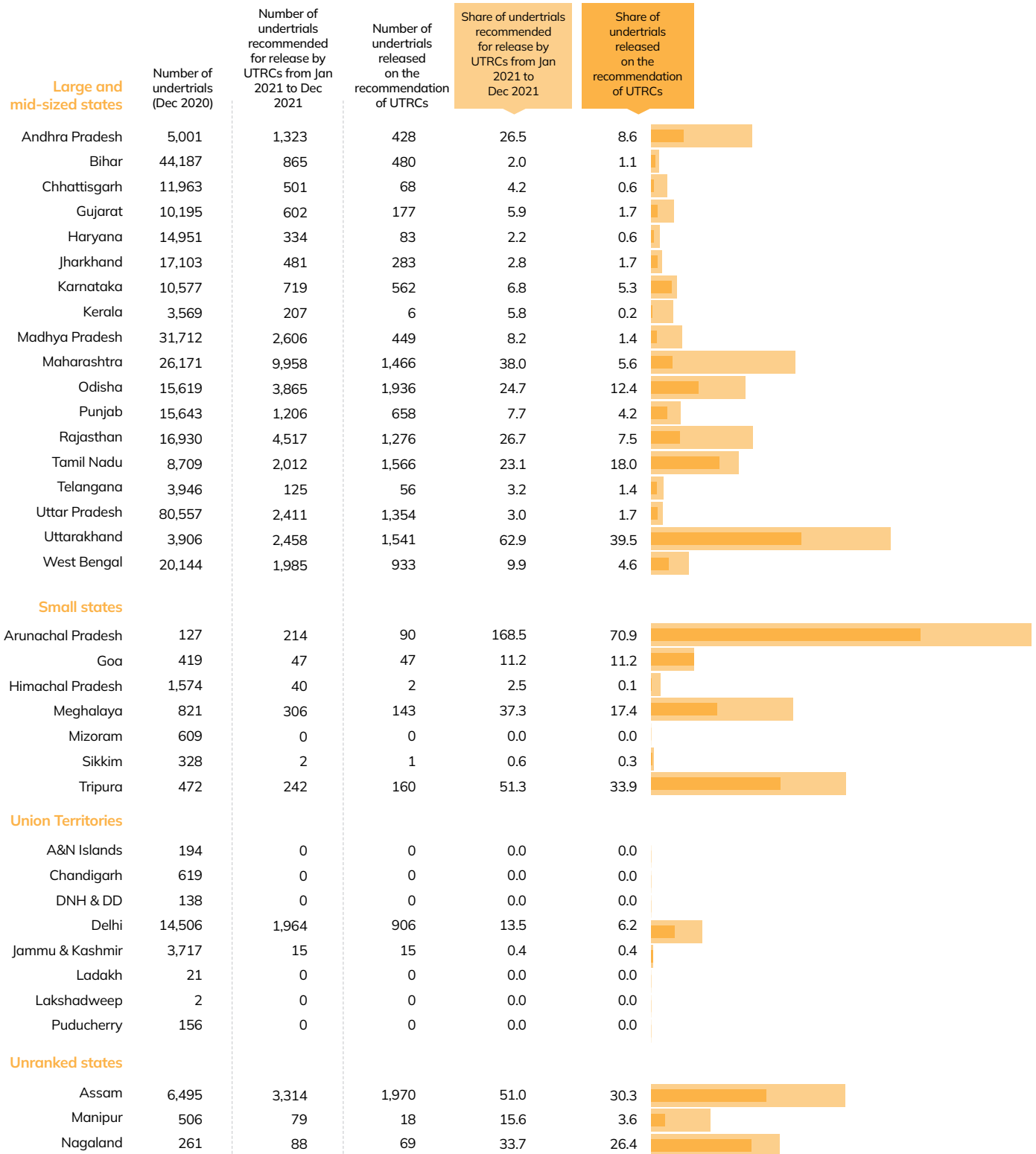
70 NALSA's Release-UTRC@75, a campaign for the release of prisoners by UTRCs to commemorate the 75th Independence Day of India. Available at: <https://nalsa.gov.in/library/report-2/a-campaign-for-the-release-of-prisoners-by-the-under-trial-review-committees-to-commemorate-the-75th-independence-day-of-india-release-utrc-75>

71 NALSA's report records 14,162 undertrial prisoners were released during the period of the campaign (16 July–13 August 2022) and 24,789 undertrial prisoners were released between 16 July till the release of the report in September 2022.

72 This figure is calculated based on prison occupancy rates recorded by Prison Statistics India as on 31 December 2021.

Figure 36: Performance of Undertrial Review Committees

UTRCs are district-level committees mandated to periodically review cases of all prisoners and recommend those eligible for release. The following figure charts the performance of UTRCs between January and December 2021.



NALSA's SOP on Undertrial Review Committees includes both undertrials and convicts in its eligibility criteria for recommendation for release. Some states may include convicts in the numbers recommended for release and those released. Available at: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/guidelines/standard-operating-procedure-sop-guidelines-for-utrcs>
Source: National Legal Services Authority (NALSA)

Table 6: Indicator-wise data, state scores and ranks

	Rank in cluster			IJR 3 Score (out of 10)	Indicators improved on (out of 12) ¹	Theme > Indicator > Scoring guide >	Budgets	
	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022				State's share in legal aid budget (%, 2021-22)	State legal aid budget utilized (%, 2020-21)
National average							83.6	72
Large and mid-sized states								
Andhra Pradesh	10	14	13	5.27		5	83.6	99.93
Bihar	16	2	16	4.41		6	80.6	70
Chhattisgarh	8	15	11	5.33		10	85.0	54
Gujarat	6	9	3	6.10		8	88.5	93
Haryana	2	5	4	6.02		6	83.1	78
Jharkhand	14	4	1	6.31		9	63.8	51
Karnataka	7	16	2	6.13		10	76.7	99.97
Kerala	1	7	6	5.85		6	78.3	69
Madhya Pradesh	9	12	14	5.01		7	91.9	94
Maharashtra	5	1	7	5.73		7	77.6	83
Odisha	15	8	10	5.44		9	87.8	81
Punjab	3	3	9	5.59		7	76.5	96
Rajasthan	11	13	17	4.36		7	85.0	99
Tamil Nadu	12	11	12	5.32		9	84.0	57
Telangana	4	6	5	5.92		4	84.3	86
Uttar Pradesh	18	18	18	3.24		9	96.1	35
Uttarakhand	17	10	8	5.63		8	77.9	72
West Bengal	13	17	15	4.88		7	62.6	89
Small states								
Arunachal Pradesh	7	7	7	3.10		6	NA ²	NA ²
Goa	1	1	2	4.41		5	95.7	81
Himachal Pradesh	3	6	5	3.62		9	71.8	99
Meghalaya	6	5	3	4.15		8	78.7	49
Mizoram	2	4	6	3.33		3	69.7	92
Sikkim	4	3	1	4.96		7	92.3	75
Tripura	5	2	4	3.70		3	69.9	96
Unranked states								
Assam		Not ranked				7	73.8	65
Manipur		Not ranked				3	80.2	57
Nagaland		Not ranked				6	35.6	76
Union Territories								
A&N Islands		Not ranked				2	NA ²	NA ²
Chandigarh		Not ranked				6	49.5	38
DNH & DD		Not ranked				NA	NA ²	NA ²
Delhi		Not ranked				9	77.0	80
Jammu & Kashmir		Not ranked				NA	77.0	71
Ladakh		Not ranked				NA	69.8	0
Lakshadweep		Not ranked				4	100.0	0
Puducherry		Not ranked				4	89.5	93

Data sources: National Legal Services Authority (NALSA); Primary Census Abstract, Census 2011; Prison Statistics India (PSI), National Crime Records Bureau (NCRB); National Commission on Population.

Abbreviations: DLSA: District Legal Services Authority; LA: Lok Adalat; PLA: Permanent Lok Adalat; PLV: Para-Legal Volunteer; SLSA: State Legal Services Authority.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iii. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. iv. pp: percentage points (the difference between two percentages). v. NA: Not available. vi. CY: Calendar year; FY: Financial year.

1. Count of indicators on which a state has improved over IJR 2. Only non-trend indicators present in both IJR 2 and IJR 3 have been considered. For indicators with benchmarks, if a state met the benchmark, it was marked as an improvement even if its value declined within the benchmark. If a state didn't meet the benchmark but its value improved, it was marked as an improvement. D&NH/D&D, J&K and Ladakh values are not comparable with IJR 2, and so have not been considered. 2. Data for state legal aid budget not available.

Table 6: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Budgets		Human Resources		Diversity		Infrastructure	
	Indicator	NALSA fund utilized (% 2021-22) ^{3,4}	DLSA secretary vacancy (% Mar 2022)	PLVs per lakh population (Number, Jun 2022)	Sanctioned secretaries as % of DLSAs (% Mar 2022)	Share of women in panel lawyers (% Jun 2022)	Women PLVs (% Jun 2022)	DLSAs as % of state judicial districts (% Mar 2022)
		Higher, the better	Lower, the better	Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better
		Scoring guide	Higher, the better	Lower, the better	Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better
National average		75.8	11.6	3.3	89	24.7	40.3	104
Large and mid-sized states								
Andhra Pradesh		50.2	0.0	3.5	100	16.1	38.0	100
Bihar		61.3	0.0	3.6	100	18.6	26.6	100
Chhattisgarh		75.1	0.0	4.9	100	14.9	40.6	100
Gujarat		77.2	12.5	4.0	100	24.4	43.5	100
Haryana		81.7	0.0	4.4	100	21.5	41.4	100
Jharkhand		99.9	0.0	4.7	100	15.6	32.9	100
Karnataka		68.5	0.0	6.3	100	38.8	58.4	100
Kerala		70.0	0.0	4.9	100	42.4	62.6	100
Madhya Pradesh		64.5	31.4	2.9	102	15.1	35.6	100
Maharashtra		86.7	0.0	2.8	100	28.2	40.8	100
Odisha		50.0	0.0	6.0	100	26.1	37.6	100
Punjab		73.9	0.0	3.8	100	18.6	37.1	100
Rajasthan		75.9	0.0	1.8	97	8.6	27.1	100
Tamil Nadu		81.0	9.4	1.4	100	24.4	48.7	100
Telangana		67.6	18.2	5.3	100	18.2	41.9	110
Uttar Pradesh		57.8	28.2	1.2	100	10.5	24.9	96
Uttarakhand		73.2	0.0	6.2	100	21.8	44.2	100
West Bengal		79.2	0.0	1.3	86	26.2	40.0	100
Small states								
Arunachal Pradesh		97.2	100.0	110.8	0	22.1	46.3	357
Goa		49.0	0.0	3.8	100	45.3	59.3	100
Himachal Pradesh		77.2	0.0	5.0	100	24.9	27.2	100
Meghalaya		63.4	72.7	10.8	100	60.4	41.7	100
Mizoram		96.7	100.0	7.3	0	37.8	32.6	400
Sikkim		102.5	100.0	28.7	0	44.7	76.0	100
Tripura		59.2	60.0	4.6	63	28.7	24.7	100
Unranked states								
Assam		80.0	0.0	2.8	67	38.0	32.9	100
Manipur		100.0	100.0	11.7	56	42.4	44.9	100
Nagaland		105.9	100.0	8.5	0	51.4	22.9	100
Union Territories								
A&N Islands		17.5	100.0	0.0	0	28.9	NA	NA ⁸
Chandigarh		90.0	0.0	3.1	100	26.1	47.4	NA ⁸
DNH & DD		12.9	100.0	3.4	0	37.9	75.0	NA ⁸
Delhi		130.2	0.0	5.3	100	35.6	54.2	100
Jammu & Kashmir		81.7	40.9	4.1	110	19.1	37.9	100
Ladakh		14.4	100.0	11.4	NA ⁵	33.3	NA	NA ⁸
Lakshadweep		81.6	100.0	82.4	NA ⁶	NA ⁷	75.0	NA ⁸
Puducherry		37.7	100.0	25.2	0	27.9	42.6	NA ⁸

Data sources: National Legal Services Authority (NALSA); Primary Census Abstract, Census 2011; Prison Statistics India (PSI); National Crime Records Bureau (NCRB); National Commission on Population.

Abbreviations: DLSA: District Legal Services Authority; LA: Lok Adalat; PLA: Permanent Lok Adalat; PLV: Para-Legal Volunteer; SLA: State Legal Services Authority.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iii. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. iv. pp: percentage points (the difference between two percentages). v. NA: Not available. vi. CY: Calendar year; FY: Financial year.

3. Total funds allocated includes pending balance of the previous year. 4. Even after including the previous year's pending balance, the figure for Delhi, Nagaland and Sikkim exceeds 100%. 5. Data not available for both DLSAs and sanctioned secretaries. 6. Data shows 0 DLSAs and 0 sanctioned secretaries. 7. Data shows no panel lawyers. 8. Data for judicial districts not available.

Table 6: Indicator-wise data, state scores and ranks

Theme	Indicator	Infrastructure			Workload		
		NEW					
		Presence of front offices in DLSAs (%; Jun 2022) ⁹	Legal services clinic per jail (Number, 2021-22)	Villages per legal services clinic (Number, 2021-22)	PLA cases: settled as % of received (%; 2021-22)	Total LAs: Pre-litigation cases disposed (%; 2021-22)	SLSA LAs: Pre-litigation in cases taken up (%; 2021-22)
Scoring guide		Higher, the better	Higher, the better	Lower, the better	Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better
National average		99.4	0.90	126.5	54.7	60.0	10.6
Large and mid-sized states							
Andhra Pradesh		100	0.78	104.9	48.1	25.1	8.5
Bihar		100	0.61 ●	814.0	11.5	74.0	0.5
Chhattisgarh		109 ●	1.03	19,567.0 ●	68.4	70.7	0.7
Gujarat		100	1.81 ●	84.6	99.7 ●	9.1	0.5
Haryana		100	1.00	20.6	63.7	13.1	0.0 ●
Jharkhand		100	0.91	2,106.6	60.2	78.9	76.1 ●
Karnataka		100	0.91	174.5	39.9	6.6 ●	0.4
Kerala		100	0.93	2.8 ●	4.1	16.8	2.6
Madhya Pradesh		100	0.93	153.2	35.3	71.7	0.3
Maharashtra		100	0.63	178.9	36.0	93.2 ●	2.2
Odisha		100	0.95	301.7	33.1	22.0	0.0 ●
Punjab		100	1.04	154.0	49.9	11.4	0.3
Rajasthan		100	0.69	475.4	23.6	29.7	0.5
Tamil Nadu		100	0.88	27.1	44.9	11.9	9.8
Telangana		100	0.95	48.0	42.7	14.0	17.7
Uttar Pradesh		100	0.96	1,018.9	7.9	74.6	36.5
Uttarakhand		100	0.91	90.0	21.1	15.8	0.1
West Bengal		100	1.20	55.3	0.0 ●	20.6	45.0
Small states							
Arunachal Pradesh		60 ●	2.50 ●	NA ¹²	0.0 ●	44.8	43.1 ●
Goa		100	1.00	10.0	0.0 ●	5.4 ●	2.5
Himachal Pradesh		100	0.75	223.5 ●	100.0 ●	29.3	0.0 ●
Meghalaya		82	1.00	76.9	0.0 ●	57.0	5.5
Mizoram		100	0.70 ●	50.3	0.0 ●	88.4 ●	30.7
Sikkim		200 ●	1.00	35.4	0.0 ●	75.4	30.9
Tripura		100	0.92	5.5 ●	28.4	21.7	4.4
Unranked states							
Assam		100	1.00	162.6	25.3	47.9	3.0
Manipur		100	0.40	64.5	0.0	88.3	0.0
Nagaland		100	1.00	15.7	0.0	92.3	0.0
Union Territories							
A&N Islands		100	0.00	NA ¹²	0.0	8.8	0.0
Chandigarh		100	1.00	0.4	42.0	1.0	4.5
DNH & DD		100	1.00	4.4	0.0	20.4	0.0
Delhi		109	1.13	12.9	94.7	22.8	5.9
Jammu & Kashmir		100	1.00	NA ¹³	0.0	45.2	10.5
Ladakh		NA ¹⁰	0.50	NA ¹³	0.0	25.8	0.0
Lakshadweep		NA ¹¹	0.00	NA ¹²	0.0	92.2	0.0
Puducherry		200	1.00	1.6	0.0	5.6	4.0

Data sources: National Legal Services Authority (NALSA); Primary Census Abstract, Census 2011; Prison Statistics India (PSI); National Crime Records Bureau (NCRB); National Commission on Population.

Abbreviations: DLSA: District Legal Services Authority; LA: Lok Adalat; PLA: Permanent Lok Adalat; PLV: Para-Legal Volunteer; SLSA: State Legal Services Authority.

Common notes: i. States arranged by clusters in alphabetical order. ii. A&N Islands: Andaman & Nicobar Islands. iii. D&NH/D&D: Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. iii. New indicators in IJR 3 highlighted in yellow. iv. pp: percentage points (the difference between two percentages). v. NA: Not available. vi. CY: Calendar year; FY: Financial year.

9. Excludes Ladakh. 10. Data not available. 11. Data shows 0 DLSAs and 0 front offices. 12. States/UTs have villages but no legal service clinics in villages. 13. Data for villages not available.



**State
Human Rights
Commissions
(SHRC)**

Map 17: SHRC Ranking

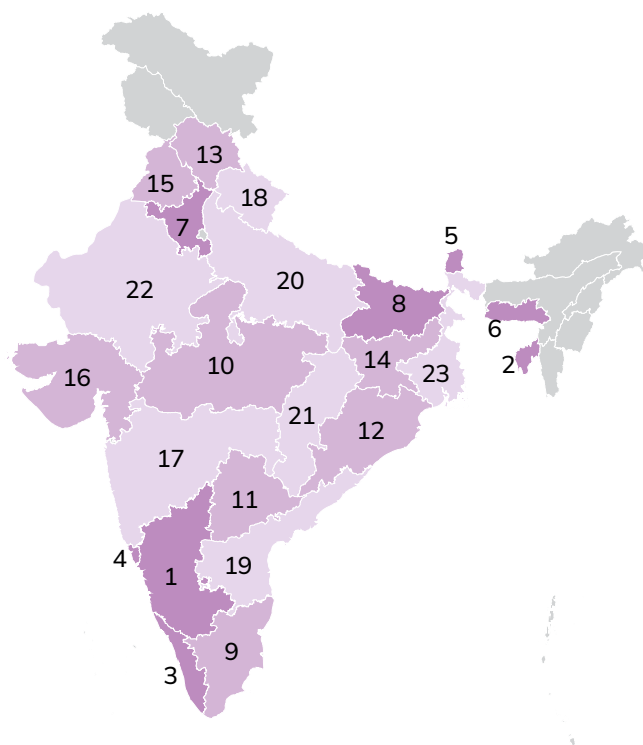
Indicators

7

Color guide

- Best (Ranks 1 to 8)
- Middle (Ranks 9 to 16)
- Worst (Ranks 17 to 23)

Rank	State	Score (out of 10)
1	Karnataka	5.99
2	Tripura	5.83
3	Kerala	5.75
4	Goa	5.70
5	Sikkim	5.52
6	Meghalaya	5.51
7	Haryana	5.35
8	Bihar	5.33
9	Tamil Nadu	5.31
10	Madhya Pradesh	5.23
11	Telangana	4.89
12	Odisha	4.44
13	Himachal Pradesh	4.40
14	Jharkhand	3.79
15	Punjab	3.64
16	Gujarat	3.43
17	Maharashtra	3.39
18	Uttarakhand	3.28
19	Andhra Pradesh	3.16
20	Uttar Pradesh	2.94
21	Chhattisgarh	2.46
22	Rajasthan	2.45
23	West Bengal	2.10



9 states working with 50% and more vacancies among members.



Only 6 states have women in their executive staff.



In 2020-21, budget for protection of human rights was Rs 105 crore.



50% SHRCs have only 1-5 maximum as investigative staff.



Table 7: Indicator-wise data, state scores and ranks

	Rank	Score	Theme >	Human Resources		Diversity		Workload	Budget	
			Indicator >	SHRC total staff vacancy (% 2020-21)	SHRC executive staff vacancy (% Mar 2022)	SHRC women staff (% 2020-21)	Share of women in executive staff (% March 2022)	Average CCR rate (% 2018-19, 2019-20, 2020-21)	Budget utilised (% 2020-21)	Budget utilised (pp, FY '16-'20)
			Scoring guide >	Lower, the better	Lower, the better	Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better	Higher, the better
Andhra Pradesh ¹	19	3.16	NA	0	NA	0	NA	NA	NA	
Bihar	8	5.33	29.0	0.0	8.5	0.0	100	119	3.84	
Chhattisgarh	21	2.46	NA ²	50.0	NA ³	0.0	98	106	2.21	
Goa	4	5.70	23.5	0.0	3.8	25.0	73	85	2.69	
Gujarat	16	3.43	71.3	0.0	13.0	0.0	NA ³	95	0.97	
Haryana	7	5.35	33.0	0.0	18.5	0.0	99	94	-1.28	
Himachal Pradesh	13	4.40	66.7	0.0	8.3	0.0	NA ⁵	81	14.42	
Jharkhand	14	3.79	36.4	50.0	14.3	0.0	89	88	4.37	
Karnataka	1	5.99	21.6	0.0	43.7	0.0	118	86	-1.33	
Kerala	3	5.75	4.8	0.0	NA ⁴	25.0	80	109	3.06	
Madhya Pradesh	10	5.23	12.4	0.0	7.6	0.0	105	100	0.00	
Maharashtra	17	3.39	40.0	25.0	16.7	0.0	61	50	-5.70	
Meghalaya	6	5.51	6.5	0.0	34.5	25.0	61	65	-7.79	
Odisha	12	4.44	31.9	25.0	14.9	0.0	86	76	-1.44	
Punjab	15	3.64	94.0	50.0	9.1	50.0	79	99	-0.29	
Rajasthan	22	2.45	59.4	25.0	10.7	0.0	52	48	-10.21	
Sikkim	5	5.52	-61.5	25.0	33.3	0.0	90	75	4.73	
Tamil Nadu	9	5.31	13.6	0.0	21.4	0.0	71	100	-0.01	
Telangana	11	4.89	15.3	25.0	24.1	0.0	NA ⁶	101	NA ⁶	
Tripura	2	5.83	31.3	0.0	18.2	0.0	86	95	13.41	
Uttar Pradesh	20	2.94	62.4	50.0	NA ³	50.0	45	100	0.00	
Uttarakhand	18	3.28	91.5	0.0	0.0	0.0	82	100	0.00	
West Bengal	23	2.10	17.0	50.0	12.8	0.0	74	32	-10.20	

Notes: 1. AP SHRC, Kurnool constituted w.e.f. 21.03.2021. 2. Data not provided (RTI + website). 3. No response from state. 4. SHRC does not maintain separate consolidated data on women staff. 5. Started functioning w.e.f. July 2020. 6. T SHRC started functioning w.e.f. 19.12.2019.

Source: RTI applications filed by the India Justice Report team

Chapter 5

NEW

SHRCs: Struggling with Capacity Deficits

Governments across the country, whether at the Centre or in the states, are bound to promote and protect human rights. The compulsion for this is written into the basic structure of our Constitution. It aligns with India's commitment to realising the rights and freedoms enshrined in the United Nations Declaration of Human Rights and accords with the obligations in the international treaty agreements that the country has undertaken as a member of the comity of nations. At home, all agencies of state are required to function within these boundaries.

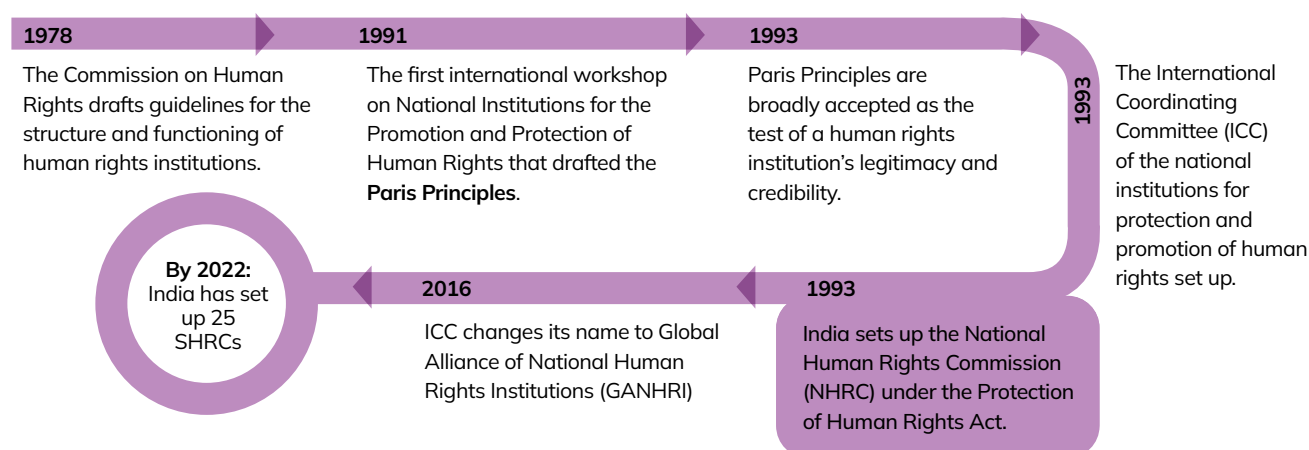
To ensure the effective realisation of human rights, in 1993 India set up its first dedicated human rights institution, the National Human Rights Commission (NHRC) under the Protection of Human Rights Act (PHRA), 1993. Since then, 25 State Human Rights Commissions (SHRCs) have been established along the lines of the NHRC.

As quasi-judicial bodies, human rights commissions are tasked with scrutinising complaints they receive from

individuals, their representatives, third parties, non-governmental organisations or any other representative body. They also have the power to initiate inquiries into suspected human rights violations on their own volition and are mandated to visit any jail, hospital, juvenile or welfare home run by the government and make recommendations for improvement in living conditions; review safeguards provided under the Constitution for the protection of human rights and recommend measures for their implementation. As part of their function to promote a culture and understanding of human rights, they are required to undertake research and awareness activities. As they are provided with all the powers of a civil court, they can summon and examine witnesses under oath, receive evidence on affidavits, order discovery and production of any document and requisition any public record from any court or office.

On receipt of a complaint, the SHRC must evaluate whether it falls under its terms of reference and makes a reasonable case of rights violation and after consideration,

Timeline of development of international standards



GANHRI and the Paris Principles

Representing more than 110 National Human Rights Institutions (NHRIs), their members and staff across all regions, the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)¹ is one of the largest human rights networks worldwide—of which India is also a member.² In 1991, the first International Workshop on National Institutions

for the Promotion and Protection of Human Rights drafted and adopted the Paris Principles that set out the minimum standards for NHRIs to function effectively.³ Endorsed by the Vienna World Conference on Human Rights in 1993, these principles are accepted as the test of an institution's legitimacy and credibility.⁴ India has committed to upholding the Paris Principles.⁵

either dismiss the complaint or make recommendations on the action to be taken under Section 18 of the PHRA. However, despite being set up as a quasi-judicial body, commission recommendations are predominantly not binding on parties and this remains, arguably, one of the primary flaws in the design of these bodies.

As recently as 2021, the Madras High Court⁶ observed that the perception that “the recommendations of the Commissions lack legal sanctity, and hence can be trifled with, does not augur well towards addressing the complaints of human rights violation in the country where the written Constitution reigns supreme” and adjudged that the SHRC's recommendations under Section 18 of the PHRA are binding and legally enforceable on government authorities.

Composition of a SHRC

State commissions may be chaired by a former Chief Justice or a judge of a high court. Two members—a former high court or district court judge and the other an expert “with knowledge and practical experience in matters related to human rights”—along with a secretary make up the executive staff.⁷ The chair and members form the adjudicating body able to issue directions/recommendations for compliance. The secretary, who

is also the chief executive officer (CEO), not below the rank of a secretary to the state government, exercises all administrative and financial functions.

Human resources

SHRC, total staff vacancy (% , 2020-21)

SHRC executive staff vacancy (% , 2022)

In 2020-21,⁸ 13 states worked with more than 25 per cent vacancies in their overall staff.⁹ Only Assam and Sikkim SHRCs had more staff than sanctioned.¹⁰ Nationally, vacancies across 25 commissions stood at 43.5 per cent.

An SHRC is required to have two members—judicial and non-judicial—in addition to the chairperson. As of 2022, all SHRCs except Punjab had chairpersons in place; Chhattisgarh, Jharkhand and Manipur were carrying on under acting chairs and in 6 states one out of two members was missing.¹¹ Uttar Pradesh, Manipur and Jharkhand functioned without any members. Set up in 2010 Jharkhand's Commission has, since 2018, functioned with only an acting chairperson and secretary, and the Chhattisgarh Commission, set up in

1 The Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) is the member-based global alliance that represents the largest human rights network worldwide. It works in accordance with the Paris Principles to support NHRIs and conducts a peer-review based accreditation process to ensure NHRIs' compliance with the Paris Principles. See: <https://ganhri.org/>

2 GANHRI brings together and supports national human rights institutions to promote and protect human rights. See: <https://ganhri.org/>

3 Paris Principles, Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI). Available at: <https://ganhri.org/paris-principles/>

4 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, National Human Rights Institutions—History, Principles, Roles and Responsibilities, 2010. Available at https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_en.pdf

5 GANHRI's accreditation process is a peer review to accredit NHRIs in relation to their compliance to the Paris Principles. India has been granted 'A' status for being fully compliant with the Paris Principles. See: <https://ganhri.org/membership/>

6 Order dated 5 February 2021 in the case *Abdul Sathar vs The Principal Secretary to Government and 5 others*, W.P. No. 41791 of 2006. Available at: <https://www.mhc.tn.gov.in/judis/index.php/casestatus/viewpdf/590370>

7 Section 21 of the Protection of the Human Rights Act. Available at: https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAAct_2021_0.pdf

8 Data is based on RTI responses received from the state commissions.

9 Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Manipur, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh and Uttarakhand.

10 Data for Bihar, Haryana, Kerala, Odisha and Uttar Pradesh is as of 2022. Chhattisgarh and Gujarat SHRCs provided partial information with regard to staff strengths. Consequently, they have been scored 0.

11 Chhattisgarh, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim and West Bengal.

2001, has been functioning with an acting chairperson and one member since 2020. Chhattisgarh, Maharashtra, Telangana and West Bengal commissions worked without secretaries/CEOs.

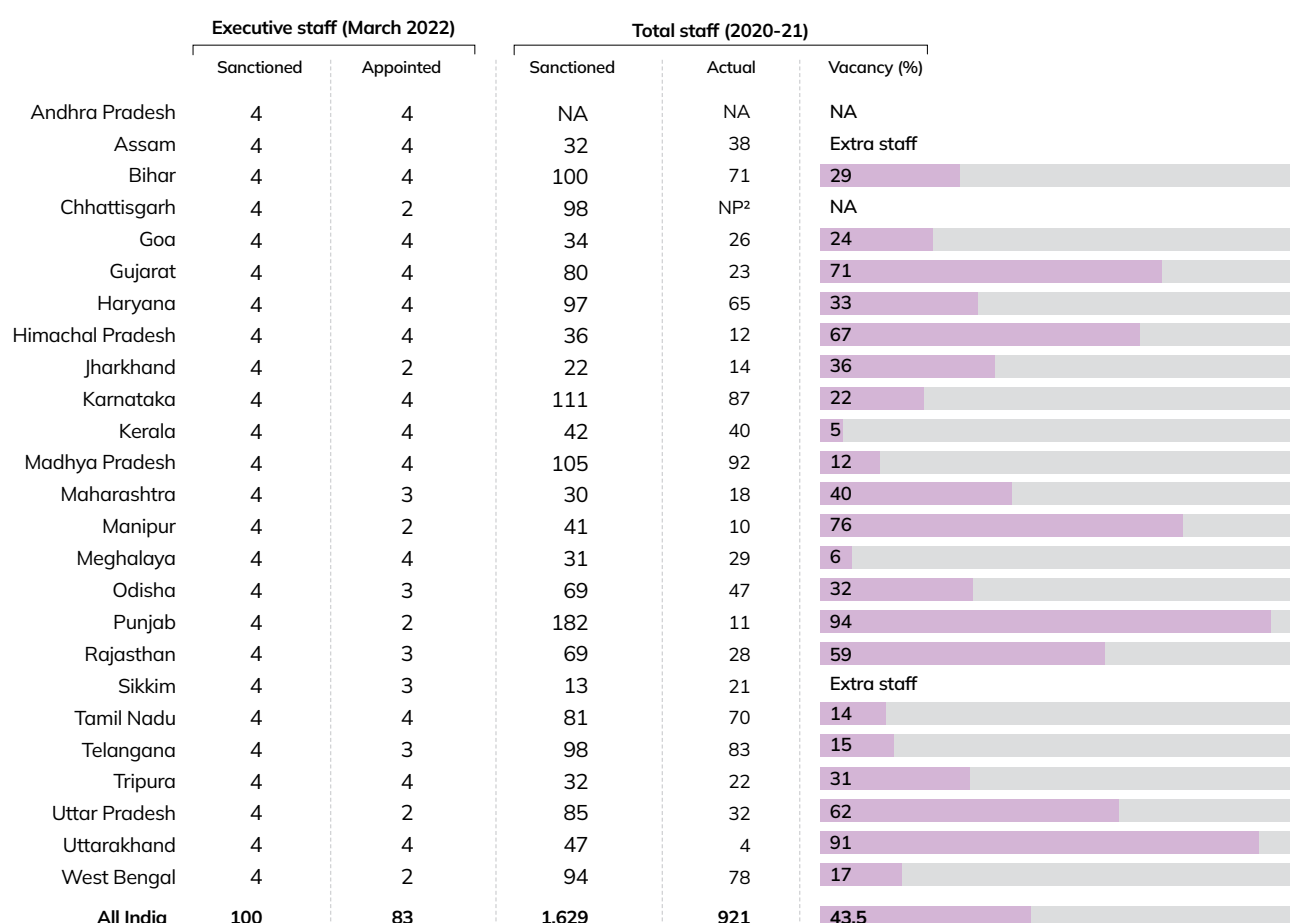
Independent investigation into rights violations is central to any commission's effectiveness. The capacity for this rests on the presence of investigative staff. The statute provides for "such police and investigative staff under an officer not below the rank of an Inspector General of Police and such other officers and staff as may be necessary."¹² In the absence of a cadre of their own, commissions must rely on staff drawn from within the government and from amongst people with experience

of administration or the courts.¹³ In practice, along with a senior police officer of the rank of an Inspector General or Deputy Inspector General, two officers of the rank of Superintendent of Police (SP), Additional Superintendent (ASP) or Deputy Superintendent (Dy. SP) and one inspector on deputation to the commission make up the investigative arm of state commissions.

Sanctioned investigative staff varied from state to state, some included the number of constables in their response,¹⁴ while others like Maharashtra, Odisha, Sikkim and Tamil Nadu did not. All except Himachal Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand, reported a shortfall. Eleven Commissions functioned with an investigative staff

Figure 37: Vacancies in the Commissions

Across India's 25 SHRCs, vacancy is a serious issue. Nationally on average, nearly 1 in 2 positions are vacant, the highest in Punjab with 94%



Note: 1. States arranged in alphabetical order. 2. Data on actual staff not provided either through RTIs or on its website.

NA: Not available.

Source: RTI applications filed by the IJR team

¹² Section 27(1)(b) of the Protection of Human Rights Act, 1993. Available at: https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAAct_2021_0.pdf

¹³ Commonwealth Human Rights Initiative, *Human Rights Commissions: A Citizen's Handbook*, 2004.

¹⁴ Bihar, Madhya Pradesh, Telangana, West Bengal.

strength ranging from one to five in 2022.¹⁵ The Assam, Jharkhand, Manipur and Sikkim commissions reported no investigative staff.

Workload

Average case clearance rate
(%, 2018-19, 2019-20, 2020-21)

In the absence of a full cohort to investigate and decide on whether there have been human rights violations delays and year-on-year pile ups become inevitable. Each year, thousands of victims approach human rights commissions. In 2020-21 alone complaints across all SHRCs stood at 1,02,608. Eight SHRCs disposed of less than 60 per cent of complaints received,¹⁶ with Meghalaya (28 per cent) clearing the least, followed by Maharashtra (29 per cent), Rajasthan (30 per cent) and Odisha (48 per cent). Bihar (99 per cent) and Chhattisgarh (94 per cent) cleared almost all the cases they received. Cumulative arrears at the end of 2020-21 stood at 33,312.

Between 2018-19 and 2020-21, 3 commissions—Manipur (28 per cent), Rajasthan (52 per cent) and Uttar Pradesh (45 per cent)—recorded an average case clearance rate lower than 60 per cent. Assam (122 per cent), Karnataka (118 per cent) and Madhya Pradesh (105 per cent) cleared more than they received during this period, while Bihar recorded a 100 per cent case clearance rate.

It is unclear how many complaints were rejected outright because they were not within a commission's mandate or went on to being finally investigated, adjudicated and recommended for corrective measures.

Diversity

Share of women in total staff
(%, 2020-21)

Share of women in executive staff (%, 2022)

The Paris Principles provide for the composition of NHRIs and appointment of its members in accordance

with procedure “that guarantees to ensure the pluralist representation of civil society.”¹⁷ Consequently, to align with the Principles, the Protection of Human Rights Act, 1993 was amended in 2019 to statutorily include one woman among five members of the National Human Rights Commission. However, in the two and a half decades of its existence, the NHRC has never had a female chairperson, has only ever had three women members, and never two women members serving at the same time.

Despite the emphasis on pluralism, the PHRA amendment, however, does not extend to the state commissions. Nationally, the share of women in overall staff across commissions, as of 2020-21, stood at 17.1 per cent. Neither available annual reports nor websites of SHRCs document diversity nor make mention of caste, religion, or gender compositions. As of 2022, only 6 commissions had women as members or as secretaries.¹⁸ There were no women chairpersons and only Kerala, Meghalaya and Punjab had one woman member each. Only Assam, Goa and Uttar Pradesh had women at the secretary level.

Budgets and Expenditure

Budget utilised (%, 2020-21)

Budget utilised
(pp, FY 2016-17 - 2020-21)

Budget Utilised between 2016-17 and 2020-21:

Human rights commissions depend on funding from the state governments, which in turn depend on the states' own priorities and resources available to them. A five-year (2016-2020) assessment of sanctioned and utilised funds signals the low priority afforded to these institutions. Between 2016 and 2020, nine commissions¹⁹ recorded an increase in utilisation, with Himachal Pradesh (14.42 percentage points) recording the highest increase in utilisation followed by Sikkim (4.73 percentage points) and Jharkhand (4.37 percentage points). But nine²⁰ recorded a decrease: Rajasthan (-10.21 percentage points) recorded the biggest fall, followed by West Bengal (-10.20 percentage points) and Maharashtra (-5.70 percentage points). Four states—Assam, Madhya

¹⁵ Data on sanctioned and working strength of investigative staff is based on RTI replies received from state commissions. This has not been ranked as an indicator for this report.

¹⁶ Goa, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Odisha, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh.

¹⁷ Paris Principles, 'Composition and guarantees of independence and pluralism'. Available at: <https://ganhi.org/paris-principles/>

¹⁸ Assam, Goa, Kerala, Meghalaya, Punjab and Uttar Pradesh.

¹⁹ Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Kerala, Sikkim and Tripura.

²⁰ Haryana, Karnataka, Maharashtra, Meghalaya, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and West Bengal.

Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand—utilised their entire sanctioned budgets between 2016-17 and 2020-21.

Budget Utilised in 2020-21: In 2020-21, sanctioned budgets ranged from Rs. 64 lakh to 8 crore. Haryana's Commission, which received 2,500 complaints in 2020-

21, was sanctioned the most (Rs. 8 crore), followed by Telangana which received 4,319 complaints and was sanctioned Rs. 7.6 crore. Himachal Pradesh with 1,381 complaints, was sanctioned the least—Rs. 64 lakh.

The total allocation across 25 SHRCs stood at Rs. 105 crore in 2020-21. Eleven commissions,²¹ recorded an

Figure 38: Cases received and disposed by SHRC over three years

Information provided by states was patchy. The average national case clearance rate over three years (2018-2021) stands at 75% while in 2020-21 it stands at 68%.

	Cases received			Cases disposed			Case clearance rate ⁴		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
Andhra Pradesh ¹	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Assam	302	310	304	476	370	270	158	119	89
Bihar	8,062	6,105	6,828	7,676	6,475	6,777	95	106	99
Chhattisgarh	1,326	1,120	1,294	1,425	1,046	1,219	107	93	94
Goa	289	159	279	286	97	163	99	61	58
Gujarat	3,210	3,087	NR	3,201	3,031	NR	100	98	NA
Haryana	2,405	2,823	2,501	1,939	3,707	2,109	81	131	84
Himachal Pradesh ²	NA	NA	1,381	NA	NA	1,300	NA	NA	94
Jharkhand	944	639	719	838	608	594	89	95	83
Karnataka	5,570	4,545	4,704	6,527	6,547	4,429	117	144	94
Kerala	10,847	9,689	8,803	10,379	7,536	5,868	96	78	67
Madhya Pradesh	9,422	9,651	8,677	10,291	9,842	9,014	109	102	104
Maharashtra	6,770	4,659	3,763	5,368	3,559	1,083	79	76	29
Manipur	89	126	216	31	21	67	35	17	31
Meghalaya	21	23	32	16	18	9	76	78	28
Odisha	4,246	3,540	4,442	2,633	5,191	2,137	62	147	48
Punjab	12,046	11,100	11,121	10,987	10,193	5,884	91	92	53
Rajasthan	5,647	5,544	2,154	3,846	3,199	652	68	58	30
Sikkim	11	7	6	11	6	5	100	86	83
Tamil Nadu	13,701	13,408	11,999	10,429	10,311	7,253	76	77	60
Telangana ³	NA	NA	4,319	NA	NA	2,873	NA	NA	67
Tripura	65	66	55	64	53	43	98	80	78
Uttar Pradesh	29,375	22,635	22,989	13,995	7,672	12,023	48	34	52
Uttarakhand	2,201	1,921	1,893	2,068	1,594	1,290	94	83	68
West Bengal	4,013	3,896	4,129	1,877	2,858	4,234	47	73	103
All India	120,562	105,053	102,608	94,363	83,934	69,296	78	80	68

Notes: 1. AP SHRC, Kurmool constituted w.e.f. 21.03.2021. 2. SHRC constituted w.e.f. 01.07.2020. 3. T 3. SHRC was constituted and started functioning w.e.f. 19.12.2019. 4. Cases disposed for every 100 cases received.

NA: Not available. NR: No response.

Source: RTI applications filed by the IJR team

increase in budget allocation between 2019-20 and 2020-21 while 10 recorded a decrease.²² Manipur's budget grew by 66 per cent, increasing from Rs. 83 lakh in 2019-20 to 1.3 crore in 2020-21; while Uttarakhand plummeted 67 per cent from Rs. 3 crore to 1 crore.

A majority of SHRCs utilised more than 60 per cent in 2020-21.²³ West Bengal (32.2 per cent), Manipur (45.1 per cent) and Rajasthan (48.3 per cent) recorded the least utilisation. Only 5 commissions—Assam, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Uttarakhand—utilised their entire budget. The commissions of Bihar (119 per cent), Kerala (109 per cent) Chhattisgarh (106 per cent) and Telangana (101 per cent) record utilising more than their allocated budgets.

Between 2019-20 and 2020-21, 10 commissions showed an increase in budget utilisation.²⁴ Nationally, on average, states utilised 86 per cent—an increase from 80 per cent in 2019-20.

Status of Websites of State Human Rights Commissions

Considering the NHRC's website as a representation of the services provided and how accessible these services should be, the India Justice Report assessed (but did not rank) the user-friendliness of the websites of the commissions in ensuring the availability of guidelines for filing complaints, the status of complaints and judgments, as well as the availability of information in local languages. The websites were checked thrice between April and November 2022.

Only 4 of the 25 currently functioning commissions—namely Andhra Pradesh, Manipur, Meghalaya and Telangana—did not have a functioning website. With the exception of Uttarakhand, no state offered a complete bouquet of services to its citizens. Only 11 commissions provided guidelines to citizens on filing complaints, while only 6 commissions uploaded judgments of complaints regularly on their websites.

Most websites were available only in English and not necessarily in state languages. For instance, Madhya Pradesh's website was available only in English while

Uttar Pradesh, with a projected population of 23.48 crore in 2021, had the highest number of cases—22,989 in 2020-21—and received ₹5.7 crore during the same year.

in Karnataka, Maharashtra, Bihar and Uttar Pradesh, information was available in Kannada, Marathi and Hindi respectively. For Kerala, there was an option to view the website in Malayalam, however, this feature was not active.

Methodology

This study captures the capacity of 25 human rights commissions on seven indicators across four themes—human resources, diversity, workload and budgets. Each theme represents a precondition necessary for the commissions to function effectively and the seven indicators represent information available evenly across all states. This allows for a fair comparison against the benchmarks the states have set for themselves. The performance of an SHRC on each indicator is added up to derive the total score which allows comparative ranking.

Excluded states: The IJR omits Assam and Manipur where the long-term presence of the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) has significantly affected the administration of justice and hence does not allow for comparisons with states that do not have these laws. After the enactment of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 the SHRC in the state was closed.

Benchmarks: The Protection of Human Rights Act, 1993 outlines the establishment, powers and functions of the state human rights commissions, and has been used as the benchmark to assess their performance. International standards set up under the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) and the Paris Principles have also been referred to.

Scoring and ranking: For states whose values were missing for certain indicators, we did the following. If

21 Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Sikkim and Tamil Nadu.

22 Assam, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Kerala, Odisha, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.

23 Data on utilisation of budgets does not include utilisation by Andhra Pradesh as the commission was constituted in 2021.

24 Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Meghalaya, Punjab and Tripura.

Figure 39: Accessing SHRCs

Using the NHRC website as a model, India Justice Report assessed (but did not rank) the user-friendliness SHRCs' websites. The websites were checked thrice between April and November 2022. Except Uttarakhand, no state offered a complete bouquet of services to its citizens.

		Yes/Available	Partly available	Not available				
		Complaint Facilities						Proactive Disclosures under Section 4, Right to Information Act
	SHRC established on	Local Languages on websites	Link to HRCNet	Local Languages on websites	Guidelines/ FAQs on filing offline cases	Status of cases (online and offline)	Availability of orders and judgements	
Andhra Pradesh ¹	2021	No Website						
Assam	1996	NA	NA	NA	Yes	NA	NA	NA
Bihar	2008	Hindi	Yes	Available ²	Yes	NA	Yes ³	NA
Chhattisgarh	2001	NA	Yes	NA	Yes	Yes	NA	NA
Goa	2011	NA	NA	NA	NA	NA	Yes ⁴	Yes
Gujarat	2006	NA	NA	NA	Yes	Yes	NA	Yes
Haryana	2012	NA	Yes	NA	NA	NA	Available	NA
Himachal Pradesh	2020	NA	Yes	Available	NA	Available	NA	NA
Jharkhand	2010	NA	NA	NA	NA	NA	Available	NA
Karnataka	2007	Kannada	Yes	Available	NA	Available	Available	NA
Kerala	1998	NA	Yes	NA	FAQs	NA	Available	NA
Madhya Pradesh	1995	NA	Yes	NA	Guidelines	NA	NA	NA
Maharashtra	2001	Marathi	Yes	NA	Available ⁵	Yes	NA	NA
Manipur	2018	No Website						
Meghalaya	2016	No Website						
Odisha	2000	NA	Yes	Available	Available	Yes	NA	NA
Punjab	1997	Yes	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rajasthan	1999	Hindi	NA	Available	Available	Yes	Yes ⁶	NA
Sikkim	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tamil Nadu	1997	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Telangana	2019	No Website						
Tripura	2016	NA	Available	NA	Available	Available	NA	NA
Uttar Pradesh	1996	Yes	Available	NA	NA	Available	Yes ⁶	NA
Uttarakhand	2013	Yes	Available	Available	Available	Available	Available	NA
West Bengal	1995	No	NA	NA	NA	NA	Available	NA

1. Reconstituted after bifurcation. 2. Not readily available, can be found after going through all notices published by the SHRC at the bottom of the page. 3. Important decisions available on website; arranged year-wise; orders and judgements available in Hindi. 4. 39 important decisions available. 5. FAQs listed but not accessible; guidelines available. 6. Important decisions only. Source: Websites of the SHRCs

the value was missing because there was an objective circumstance for the data to be missing, such as commissions set up less than five years ago, we reduced the number of parameters while working out its pillar score. However, if the value was missing because the state did not provide data or provided partial data, the scoring continued to take account of parameters common to all states.

Sources of data: Departmental websites and annual reports were the first choice for accessing data. However, as websites were frequently out of date, incomplete and did not proactively disclose information under Section 4, RTI Act; detailed information about human resources,

gender diversity, workload and budgets pertaining to periods between 2016 to 2022 was sought through 145 Right to Information applications. We also used data published by Transparency International India in its report.²⁵ All data sought was within the statutory definition of what is to be proactively disclosed without any request from the public under Section 4 of the RTI Act, 2005. State budget documents were relied on for data related to budgets.

Maja Daruwala, India Justice Report;
Nayanika Singhal, India Justice Report



²⁵ Transparency International India, 2019, Protection of Human Rights in India: Working of NHRC/SHRC (1993-2018). Available at: <https://transparencyindia.org/wp-content/uploads/2019/12/Protection-of-Human-R%E2%81%ACights-in-India-as-on-9th-Dec-2019.pdf>

Other Sections

RTI

Data challenges

Methodology

Conclusion

Chapter 6

The Experience of Using RTI for Data Collection for IJR 2022: A Note¹

The 3rd IJR records here our experience of using India's primary transparency law, namely, the *Right to Information Act, 2005* (RTI Act) to gather information and data from across the states and Union Territories (UTs).

We sought only numerical or statistical information—none of which, in our view, is exempt from disclosure under sections 8, 9, 11 and 24 of the RTI Act, which specify the grounds on which access to information may be legitimately denied. While several public authorities were forthcoming with the information, others used the transfer clause to shunt the information requests from office to office or simply rejected our requests, thereby avoiding the statutory obligation of transparency. Some did not bother to respond to our RTI applications despite receiving reminders and appeals. A numerical overview of our RTI interventions is given below, followed by specific examples of good and bad practices adopted by public authorities while responding to information requests.

Numerical Overview

Between March and December 2022, the IJR Team submitted a total of **313 RTI applications** across all states and UTs.

- 1) Police Department (72 requests)²
- 2) Office of the Chief Secretary (36 requests)³

3) Forensics Department (32 requests)⁴

4) State Legal Services Authority (37 requests)⁵ and

5) State Human Rights Commission (136 requests, wherever established)⁶

We received a total of **839 replies**—some providing the information fully or partially, some seeking additional fees and a handful refusing the information on various grounds, such as information is not held in police headquarters (Uttarakhand) or seeking exemption on the basis of internal security and investigation under Sec 24(4) of the RTI Act 2005 (Tripura). The information on CCTV installation does not impinge on the internal security or investigation of the state.

Transfers

More than 100 replies from police departments in Telangana, Himachal Pradesh, Assam, Delhi, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha indicated the applications about the installation of CCTV cameras in police stations and staffing and working of police training institutions had been transferred to various other offices. In almost all states, the RTIs were transferred to other government authorities like district level police administration, sub-divisional officers and further to police stations to send us the information directly. Many State Legal Services Authorities transferred our RTI applications to the District Legal Services Authorities. In some cases, those who

¹ Note prepared for IJR by Venkatesh Nayak, Director, Commonwealth Human Rights Initiative, March 2023.

² On CCTV installation in all police stations; number of CCTVs in all police stations, their positioning and functioning and budgetary allocations as per *Paramvir Singh Saini vs Baljit Singh* judgement.

³ Filing of compliance affidavits and setting up of state and district level oversight committees, composition of SLOCs and DLOCs, and number of meetings held.

⁴ On state forensic labs; annual reports, human resource available (vacancies of scientific staff and other staff), budgets (sanctioned and utilised), workload (cases received, disposed and pending), (number of divisions in each lab and their infrastructure and equipment).

⁵ Capacity of state legal services authority and district legal services authority in terms of human resource (staff, secretaries, chairperson, panel lawyers), budget and expenditure, diversity in paralegal volunteers (women, SCs, STs, OBCs), legal aid beneficiaries, victim compensation and undertrial review committees.

⁶ Capacity of human rights commissions in terms of human resources (sanctioned and actual staff), budget (sanctioned and actual expenditure), workload (cases pending and disposed of), diversity (women staff), *suo moto* cases and annual reports.

received the transferred applications did not respond at all. For example, the RTI application submitted to the office of the Chief Secretary, Government of Punjab on CCTVs (as the Hon. Supreme Court had issued these directions to the Chief Secretaries of all states and UTs) was transferred to the Chief Minister's Office as the incumbent also holds the Home Affairs and Justice portfolios.

Lack of any response

The statutory time limit for responding to RTI applications in ordinary cases is 30 calendar days. However, a handful of the public authorities did not respond at all. For example, the Uttar Pradesh State Human Rights Commission (SHRC) did not respond, despite repeated phone enquiries and a specific letter addressed to the chairperson drawing his attention to the lack of a response. The police departments of Manipur and Lakshadweep also did not provide any response regarding the installation of CCTV cameras at police stations. The forensics departments of West Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan and Himachal Pradesh made no response at all to queries on their structure, organisation, finances, annual reports and other related matters.

Expenditure on fees

Put together we spent a total of **Rs. 17,202** on fee payments. This includes both application fee and additional fees also known as copying or reproduction charges. Some of the Public Information Officers (PIOs) required us to pay postal charges also. The category-wise breakup of fees paid is given below:

Public Authorities	Fees Paid
Police Departments (DGP and Chief Secretaries)	₹ 8,260
Forensics Departments	₹ 1,517
Legal Services Authorities	₹ 380
State Human Rights Commissions	₹ 7,045

The payment of application fee is a statutory requirement unless the applicant can legitimately claim to belong

to below the poverty line category in which case the applicant is entitled to seek and receive information free of cost. However, the information IJR sought from all categories of public authorities ought to have been disclosed voluntarily as part of the statutory obligation under Section 4(1) of the RTI Act (please see <https://indiajusticereport.org/> for the text of RTI applications submitted to various public authorities). A great deal of the information sought is so fundamental that it ought to have been published on the website of the concerned agencies as per the Government of India Guidelines for Websites even if one were to keep the RTI Act out of the picture.⁷ According to Section 4(2) of the RTI Act, the purpose of voluntary disclosures under Section 4(1) of the RTI Act is to reduce people's need to seek information through formal RTI applications.

Exorbitant fee demands and unreasonable expectations

Despite the elementary nature of the information sought, some public authorities resorted to charging exorbitant fees for supplying information they ought to have published voluntarily on their websites. For example, the Kerala SHRC sent a bill of Rs. 3,000 for furnishing copies of its Annual Reports. The IJR Team decided against making this fee payment. Similarly, the Madhya Pradesh SHRC demanded additional fees of Rs. 1,010 to supply its annual reports.

The most unique fee-related responses came from Goa and Tamil Nadu. The office of the Director General of Police of Goa demanded payment of the princely sum of Rs. 2 for obtaining information about budgetary allocation for installing CCTV cameras in police stations! The PIO of the office of the Sub-Divisional Police Officer at Pernem, Goa wanted Rs. 4 to be paid while the Mapusa office demanded Rs. 6. The Mapusa PIO also demanded identity proof of being Indian citizens. All three PIOs insisted that we pay in person without advising us about the alternative methods of fee payment permissible under Goa's RTI Rules. The amount of public funds spent on preparing the reply and sending it to us by post would far exceed the demands the PIOs were making. Instead, the information could have been furnished forthwith, avoiding wasteful expenditure of public resources and time.

⁷ See Guidelines for Government Websites 3.0 on the dedicated website of the Government of India at: Exorbitant fee demands <https://guidelines.india.gov.in/introduction/>, accessed on 03/03/2023.

Despite attaching a bank draft towards payment of the Rs. 10 application fee, the PIO of Tamil Nadu's Forensic Sciences Department returned our application stating that he could not find it in the envelope. These experiences indicate a clear intention of public authorities not wanting to part with requested information and their attempts to escape the duty of transparency when exemptions could not be invoked to reject the RTI application outrightly.

Gateway problems

A few state governments have launched convenient online facilities to submit RTI applications from anywhere in the country. Citizens sitting in any corner of the country may use this facility and payments can be made immediately by credit or debit card. The RTI application is delivered to the PIO instantaneously, avoiding delays caused by postal transit which was the preferred mode of submission in the initial years.

Haryana is one such state that has adopted this convenience. However, our online RTI application to the Haryana SHRC never received a response. Even the first appeal submitted through this facility against the PIO's lack of response remained pending beyond the statutory deadline of 45 days. This, despite the website's claim that SHRC is one of only 12 public authorities to which RTI applications may be submitted through its portal. Calls and letters to its chairperson yielded no response either. The Team then submitted the same queries afresh by post, attaching an IPO (Indian Postal Order) for fees. The PIO returned the application stating that the IPO was not attached. A third RTI application was filed in December 2022 and a reply was awaited at the time of publication.

Missing PIOs

The forensic science laboratory of Puducherry returned our RTI application explaining that PIOs has not been appointed. Not appointing a PIO even after 17 years of the enforcement of the RTI Act is a clear violation of the statutory obligation placed on the heads of these bodies. A combined reading of various provisions of the RTI Act makes clear that it is the obligation of the public authority to receive and decide upon information requests. The PIO is the point person of the public authority who performs

these duties. Non-appointment of a PIO does not absolve public authorities like forensic science laboratories—that are 100-per cent government-controlled and funded—from their duty to furnish access to information from their records.

One question per RTI query rule

The SHRCs of Himachal Pradesh (HP) and Chhattisgarh returned the initial RTI applications raising technical issues. The HP SHRC cited the 2006 RTI Rules notified by the state government which restrict every RTI application to one subject and for one year only. The IJR team perforce then filed 37 more RTI applications seeking information about their vacancies, staffing, budgets, annual reports and caseload, etc. Again, all this information ought to have been disclosed voluntarily on their website under various clauses of Section 4(1) of the RTI Act. The absence of such disclosure is what compelled us to seek information formally. By rejecting one RTI application and insisting upon splitting up the RTI applications subject and year-wise, the SHRC not only expanded its workload 37 times, but also violated the express provision contained in Section 7(1) of the RTI Act that all information requests be disposed of as expeditiously as possible.

Similarly, the Chhattisgarh and Bihar SHRCs also cited the one subject matter and 150-word limit imposed in the RTI Rules notified by their respective state governments to reject initial applications for basic information about their organisation. We then submitted 9 separate RTI applications to each of them seeking information that could easily have been disclosed at first go. Despite abiding by their insistence on the word limit and subject matter restriction, the Bihar SHRC is yet to disclose information about their staff composition, gender diversity in staffing, budgets allocated, as well as expenditure incurred over the years. The Maharashtra State Legal Services Authority rejected the RTI application for exceeding the 150-word limit. However the PIO could have responded to the questions constituted in the first 150-words.

An RTI application may be rejected only for reasons mentioned in sections 8 or 9 which contain the exemption clauses,⁸ and none other. While some states impose

⁸ An exemption clause can be invoked in cases where (i) information sought affects the sovereignty and integrity of India (ii) if disclosure is expressly forbidden by court of law, (iii) causes a breach of privilege of parliament or state legislature (iv) information including commercial confidence, trade secrets, or intellectual property (v) information available to a person is his fiduciary relationship (vi) information received in confidence from foreign government (vii) disclosure would endanger the life or physical safety of any person, (viii) could impede process of investigation (ix) cabinet papers including records of deliberations of council ministers, secretaries and other officers (x) personal information which has no relationship to any public activity.

word limits and subject matter restrictions, these cannot be used as a pretext for rejecting an RTI application or simply ignoring it.

It must be pointed out that an RTI application to a public authority is an exercise of the fundamental right to speech and expression which includes expression of views in writing. This right is guaranteed under Article 19(1) of the Constitution. Nothing in Article 19(2) of the Constitution—which lists reasonable restrictions that may be imposed on this important fundamental right—indicates that citizens may be legitimately restricted to word limits and subject matter boundaries when they express themselves. If this principle is applied to the RTI Rules of these states, they might not successfully pass judicial scrutiny.

Questionable rejection of requests and related anecdotes

In order to escape the duty of disclosure, a handful of other PIOs took cover under the exemptions listed in Section 8(1) of the RTI Act or the notifications issued by their respective governments exempting entire organisations from the purview of the RTI Act. For example, the PIO of the Arunachal Pradesh Forensic Science Laboratory cited a 2005 notification of the state government placing it under the list of security and intelligence organisations that are excluded from the ordinary obligations of transparency under the RTI Act. Similar exclusions were pleaded by the forensic science laboratories of Odisha, Punjab, Telangana and Gujarat. The PIO of Tripura's Police Department and the PIO of the office of the Superintendent of Police, Dhubri district, Assam also refused to disclose information about CCTV cameras citing exclusion under Section 24 of the Act. While their replies cannot be faulted because of the existence of such exclusion notifications, the actions of the respective state governments in keeping them out of the purview of the RTI Act are problematic.

Section 24 of the RTI Act permits both union and state governments to exclude "security and intelligence" organisations under their jurisdictions from the ordinary obligations of transparency under the RTI Act. They are obligated to disclose only such information as may be related to allegations of corruption or human rights violations which they may hold in their files.

Pursuit of information on CCTVs in police stations as per SC order

Some PIOs invoked statutory exemptions listed under Section 8(1) of the RTI Act to refuse access to information about CCTV camera installations and/or police training institutions. In Gujarat, this included information about the training provided to police personnel in the use of CCTV cameras and extraction of video footage for forensic investigation purposes by citing instructions issued by the state's Home Department. Unlike Arunachal Pradesh's FSL which furnished a copy of the government notification exempting it under Section 24 of the RTI Act, the Gujarat CPIO did not provide any document to substantiate his claim.

The PIO of the Hyderabad City Police Commissioner also rejected the RTI application with regard to CCTV camera installation citing Section 8(1)(g) of the RTI Act. The section permits information to be treated as being confidential if its disclosure would endanger the life or safety of a person or reveal the source of information provided secretly to law enforcement agencies. A cursory reading of the contents of the sample RTI application regarding CCTV camera installation pursuant to the Hon. Supreme Court's directions will indicate that it does not fall under any ground for exemption mentioned under Section 8(1)(g) as explained above.

Nevertheless, the PIO appears to have rejected the application by mechanically invoking the exemption without adequately applying his mind to the fact that the RTI application only seeks to ascertain the steps taken to implement the Hon. Supreme Court's directions. Even if one were to momentarily agree with the PIO, there is immense public interest in disclosing even such supposedly 'exempt' information under Section 8(2) of the RTI Act, because the larger public interest outweighs any harm to the interests protected under Section 8(1)(g). After all, the Hon. Supreme Court directed the installation of CCTV cameras to protect life and limb from custodial violence.

Interestingly, the PIO of the office of the Chief Secretary of Bihar replied that information about the installation of CCTV cameras did not fall under their jurisdiction—this, despite the fact that the primary responsibility of implementing the Hon. Supreme Court's directions falls on them. The Police Directorate of West Bengal

replied that budgetary allocation and fund utilisation with regard to CCTV cameras installation are matters pertaining to the state government. The PIO of the Uttarakhand Police advised us to approach the PIOs in each district individually for information about the number of police stations that have installed CCTV cameras, the number of police personnel trained in their use, and details regarding the number and working of district oversight committees set up for the purpose of ensuring compliance with the directives of the Hon. Supreme Court.

Conclusion

Even among the public authorities that furnished information either free of cost or upon payment of additional fees, none supplied complete information in response to every question. In some cases, it was not possible to make much sense of the data provided. For example, Delhi Police supplied budgetary information about the installation of CCTV cameras as a whole,

over a five-year period, instead of providing a year-wise breakup. Budgetary figures supplied by Jammu & Kashmir Police did not indicate whether the figures were in thousands, lakhs or crores. Bihar Police Department provided budgetary figures for only two years—from the beginning and the ending of the period for which we had sought information. While Meghalaya Police went out of its way to furnish more information than we requested. However, it did not provide the information that was asked for. The PIO sent us the entire correspondence between the police department and the vendor selected to install the CCTV cameras. The purchase order along with item-wise quotes submitted to the police were also shared with us. Moreover, Meghalaya's response indicates that all the information was available with the authorities and none of that required to be sequestered or held away from the public domain.

Venkatesh Nayak,
Commonwealth Human Rights Initiative, India



Chapter 7

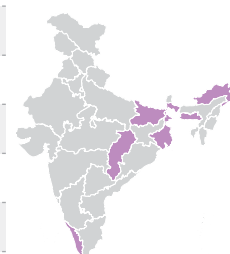
Challenges in Data

The India Justice Report's rankings—whether pillar wise or overall—rely entirely on quantitative data maintained by states, UTs and the central government: numbers and statistics. The more accurate the data, the fairer are its conclusions. Inaccurate, imprecise, and outdated data not only paints a false and often unfair picture, but also impedes pathways to repair and reform. To address this, it is important to approach data with a critical lens and work to mitigate pitfalls.

In the main, the IJR has used the Bureau of Police Research and Development's (BPR&D) Data on Police Organisation (DoPO), National Crime Record Bureau's (NCRB) Prison Statistics India (PSI) report, the National Judicial Data Grid (NJDG) and National Legal Services Authority's (NALSA) website and dashboard. These are national aggregations of state provided data. In addition, the IJR has relied on parliamentary questions, state budget documents and, finally, responses to RTI queries. Data sets show up many hard to reconcile discrepancies that relate to the same subject in the records of different agencies and publications. Some challenges are illustrated below.

- In July 2022, an answer to a parliamentary question in the Lok Sabha¹ gave the number of women judges in Tamil Nadu's subordinate courts as 428. A month later, the Department of Justice (DoJ) portal on human resources and diversity in district courts² showed the figure at nil.
- For the same period (2021-22), three official publications—the PSI, the E-prisons portal³ and the state's own prison website—recorded that Mizoram has 1 women jail and no open jails; no women's jail and 1 prison HQ classified as an open jail; and 1 women's jail but no open jail respectively.
- Similarly, NALSA website's section on victim compensation schemes⁴ records several anomalies. For instance, the number of applications pending from the previous year (Column B), applications received in the current year (Column C), and those disposed during the current year (Column E) do not add up with the applications pending at the end of the current year (Column F). As illustrated in the table below:

State	Applications pending at the end of 2020-21	Applications received in 2021-22	Total applications (B+C)	Applications disposed in 2021-22	Applications pending at the end of 2021-22	Actual pendency at the end of 2021-22 [(B+C)-E]
A	B	C	D	E	F	G
Arunachal Pradesh	0	42	42	4	7	38
Bihar	654	1,002	1,656	785	348	871
Chhattisgarh	617	2,195	2,812	1,253	1,267	1,559
Kerala	81	560	641	139	123	502
Meghalaya	79	158	237	75	23	162
West Bengal	33	356	389	246	38	143



¹ Lok Sabha Unstarred Question No. 2116, dated 29 July 2022. Available at: <http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/179/AU2116.pdf>

² Department of Justice portal on strength of judges. Available at <https://dashboard.doj.gov.in/sanctiondata/index.php>

³ E-prisons portal developed by the National Informatics Centre. Available at: <https://eprisons.nic.in/public/DashBoard>

⁴ NALSA's website records statistics related to legal service clinics, cases settled through mediation, permanent Lok Adalats, national Lok Adalats and applications received under victim compensation schemes. Available at: <https://nalsa.gov.in/statistics>

Dashboards

Open government data not only allows citizens to track the efficiency of government data but also facilitates data sharing between government departments to break silos and ensure increased collaborations. With data emerging as a key resource in an increasingly digitised economy, there has been a proliferation of a wide range of government initiatives creating IT platforms and dashboards to provide citizen-centric services.

One of the primary e-governance initiatives in improving justice delivery is the e-Courts Integrated Mission Mode Project by the Department of Justice (DoJ), Ministry of Law and Justice. Currently in its third phase, this initiative has made available the data of 3,256 court complexes, established individual websites of 688 district courts, and created a robust court management system through e-filings and e-payment infrastructures.⁵ This project has also implemented the National Judicial Data Grid (NJDG), national repository of data relating to cases pending and disposed of in all courts.⁶

In addition to the NJDG, the India Justice Report made use of other portals introduced by the Department of Justice, including portals that capture human resources and diversity at the district judiciary level,⁷ as well as the distribution of Gram Nyayalayas.⁸ Further, the report captured data from the e-prisons portal developed by the National Informatics Centre (NIC) as well as the NALSA Dashboard.

While the push for digitisation is a welcome move, the government is yet to maximise the potential of data collected. Problems like missing data points, discrepancies in different datasets as well as limited access to archival data restrict the full use of such portals. In analysing data captured from these portals, the India Justice Report also faced challenges as illustrated below:

- The E-prisons portal is a positive move towards integrating all activities related to prisons and prisoner management. However, the interface provides real time data at the moment and archival data is not yet accessible. There is also a significant

lack of granular and disaggregated information. For instance, it provides no classification of prison populations as undertrials and convicts nor does it provide a breakdown of inmates by the nature of offences.

- The DoJ portal on Gram Nyayalayas, capturing data on the distribution of these bodies across the country as well as case disposal, does not store data for more than a month.
- Similarly, the DoJ portal shows discrepancies in numbers in its data that captures human resources and diversity at the district judiciary level. For instance, for Chhattisgarh, the dashboard shows the sanctioned strength for judges as 482 in one place but 526 in another.⁹

Lack of Standardisation

The absence of a specific time period for capturing and publishing data diminishes the ability to present a holistic picture. To illustrate, the BPR&D publishes the 'Data on Police Organisation' with data as of January of every year. The latest report available is as of 1 January 2022. Similarly, the NCRB's 'Prison Statistics India' brings out data as of December of every year on prisons across the country, and the latest available report is as of 31st December, 2021. Both these organisations are under the Ministry of Home Affairs.

Judiciary data is maintained at different tiers, beginning at the district courts, data for which is collected and published on multiple platforms and reports such as e-courts, NJDG as well as individual high courts' annual reports. Data, however, is collected and made available to the public at different times. For instance, the latest available annual report on the Gujarat High Court website is as of 2019 while on the Delhi High Court website has the annual report from 2006.

Some agencies capture statistics for the financial year while others use the calendar year. The Supreme Court's 2020-21 annual report uses the financial year format

⁵ E-Committee of the Supreme Court of India showcasing the Information and Communication Technology (ICT) initiatives adopted by the judicial system. Available at: <https://ecommitteesci.gov.in/significant-achievements/>

⁶ The National Judicial Data Grid. Available at: <https://njdg.ecourts.gov.in/njdgnew/index.php>

⁷ Department of Justice Portal on strength of judges. Available at <https://dashboard.doj.gov.in/sanctiondata/index.php>

⁸ Gram Nyayalayas Portal of the Department of Justice. Available at: https://dashboard.doj.gov.in/gn/notified_gram_nyayalaya

⁹ For ranking, the IJR uses the data provided in the Lok Sabha Unstarred Question No. 2116, dated 29 July 2022. Available at: <http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/179/AU2116.pdf>

while the National Judicial Data Grid (NJDG) records in calendar year format.¹⁰ Some high courts provide data monthly, others quarterly and others annually. Some use the financial year format while others use the calendar year. The Rajasthan State Human Rights Commission's annual reports have come in both calendar and financial year formats. NALSA's dashboard is yet to be updated after March 2019. Annual reports by State Human Rights Commissions—17 of 25 states have not uploaded annual reports. Other Commissions publish irregularly or not at all.

Changes in category and collection

Improving its formats to add more detail, in 2018, the BPR&D's DoPO aggregated traffic/specialised police stations with the total number of police stations. Next year the same police stations were clubbed with railway police stations also and in 2020 the categorisation was completely changed to rural, urban and special purpose police stations and traffic police stations were given their own chapter. Additionally, till 2016, BPR&D provided caste data for 6 out of 12 ranks. For CY 2017 and 2018, this was reduced to 4 ranks and reverted to 6 ranks again in 2019 and 2020. While data on women is disaggregated for each rank the same disaggregation is not available for SC/ST/OBC.

Data on Police Organisation (DoPO) reported in-service training provided to police personnel in 2017. This has not been continued after 2017. Similarly, while data on caste and gender is provided for district court judges and state police, there is no such breakdown provided for high court judges or IPS officer posts. Religious data available for police till 2013 is no longer available.

The 'Other' data

Too often the implications of an otherwise detailed data set are foregone by the presence of an indeterminate category "Other or Others if any". These columns

that often hold residuary and undefined information are present in NCRB and BPRD's national data sets. Frequently they are unaccompanied by explanatory notes to indicate what they capture and obscure an otherwise detailed and clear picture. To illustrate, after listing sanctioned, actual and vacant police posts the BPRD lists 'other if any' police personnel. Often these are a considerable number.

PSI details expenditure on inmates under food, clothing, medical facilities, education, vocational training and 'others'. The 'others' category often shows high expenditure. For example, Haryana's 'other' category shows expenditures of Rs. 306.5 crore or 87.5 per cent of their total expenditure. The explanatory note points out that the spend on this category 'may include expenses incurred on sanitation, hygiene, transport facilities for movement of prisoners during remand, trials, transfers, hospitals etc.'¹¹

PSI also classifies types of prisoners as convicts, undertrials, detenues and 'others'. The number of 'other' inmates across the country is 547. Another unexplained category relates to deaths in prison. PSI records inmates' deaths as being due to 'natural' and 'unnatural' causes and 'others'. Natural causes include deaths due to ageing and illness. While natural causes are classified with considerable detail into ailments like types of organ failure or diseases like HIV or Cancer and unnatural deaths include suicide, deaths due to negligence, accidents and 'others'. This category of deaths, whatever their number, remain unexplained.

Undoubtedly more and more data is being put out, digitised and being integrated to present a more holistic picture of the criminal justice system. This is a work in progress that will benefit from standard operating protocols, consistency and ever-increasing granularity.

¹⁰ National Judicial Data Grid Dashboard. Available at: https://njdg.ecourts.gov.in/njdgnew/?p=main/pend_dashboard

¹¹ Prison Statistics India, 2021, Table 12.4, p. 276. Available at: <https://ncrb.gov.in/en/prison-statistics-india-2021>

Chapter 8

Methodology

Measurements—by allowing us to study, compare, assess, and draw conclusions about growth—assist us in making policy decisions. The assessment of attributes through assignment of numbers is at the core of all scientific inferences. With the 2022 edition of India Justice Report, we continue to map the scope of improvements as well as stagnancies in justice capacity across states through four core pillars of the justice system, namely the police, judiciary, prisons and legal aid and a standalone pillar state human rights commission. As with the previous two editions, new indicators have been added with an aim to deepen and broaden our assessments. Seventeen new indicators across the four core pillars have been added, bringing the total number of indicators to 102.

This IJR assesses the capacity and performance of State Human Rights Commissions (SHRCs) separately and not as part of the overall ranking of a state.

All pillars are measured on the basis of six themes: budget, infrastructure, human resource, workload, diversity and trends (or intention to improve).

Step 1: Outline

Data indicators of four pillars:

	Pillars	Total Indicators	New Indicators
1.	Police	30	4
2.	Prisons	29	6
3.	Judiciary	28	5
4.	Legal Aid	15	2
	Total	102	17

The indicators across the pillars cover the following themes:

1. Infrastructure
2. Human Resources
3. Diversity (Gender, SC/ST/OBC)
4. Budgets
5. Workload
6. Trends (Change over last five years)

Each theme represents a precondition necessary for the functioning of a pillar. Budgets measure the funds received, utilised, and spent per functionary or per capita; infrastructure, the basic physical resources available; human resources looks into personnel sanctioned and available on the ground; workload is the weight of service delivery upon a functionary within a particular subsystem; and diversity assesses how representative these systems are of the populations they are set up to serve. A sixth theme, 'trends', is used where possible to assess whether there has been improvement or deterioration over five years in a particular theme. This too is taken account of when arriving at the overall ranking.

Step 2: Clustering

The vast variations across India in terms of both demography and geography make comparisons difficult. For example, the police capacity in a state like Rajasthan or Madhya Pradesh is incomparable to that of Goa or Sikkim. To undertake fair comparisons between states, the report divides states and UTs into four clusters:

Cluster I (ranked)

Eighteen large and mid-sized states or states with a population of 10 million and above.

Cluster II (ranked)

Seven small-sized states with a population of up to 10 million, namely Arunachal Pradesh, Goa, Himachal

Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, and Tripura.

Cluster III (not ranked)

Data for 8 UTs is provided but they are not ranked. These include Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (DNH & DD), Jammu & Kashmir¹, Ladakh, Lakshadweep, and Puducherry.

Cluster IV (not ranked)

Three states where the Armed Forces Special Powers Act, 1958 (AFSPA) is in force, namely Manipur, Assam and Nagaland. The report provides data on these but does not rank them.

Step 3: Filtering

All indicators are chosen based on government data availability and comparability across states. Benchmarks are taken from hard laws, policy pronouncements and Supreme Court judgements, wherever available. Government recommendations are also used. There are seventeen new indicators across pillars, some of which are indicators measuring diversity in subordinate courts in case of judiciary, presence of CCTV cameras in police stations, women help desks in police stations and share of overcrowded jails in a state.

Baseline

The IJR 2022 uses the latest official data available at the time of going to press. These are:

Comptroller and Auditor General of Accounts (CAG) documents were preferred over state budget documents due to the uneven availability of budget documents and variations in the way each records budget heads. However, for legal aid, state budget documents were used because the budgetary data was not available in CAG documents.

E-prisons portal

For the two indicators on overcrowded prisons—the share of overcrowded jails in a state and the share of jails with more than 150 per cent occupancy—the report used data available on the e-prisons portal. The portal lists 1,367 prisons, of which 53 prisons were not considered in the total number, as they are not functional or there was no information regarding the prisons available with the respective prison departments, or are covered under the Revenue Department. This report analysed e-prisons' data over a three-month period—July to October 2022.

Cases pending at the end of the year

For the 'cases pending at the end of the year' indicator under the judiciary pillar, data from the National Judicial Data Grid (NJDG) has been used. The data for cases pending at the beginning/end of the year is not available with NJDG, hence, the older data from court news has been carried forward for certain calculations. This might result in slight variations if compared with figures from various high court websites. For an illustration see example of Madhya Pradesh High Court below:

Pillar/theme	Date/Period	Source	Pillar/theme	Date/Period	Source
Police	1 January 2022	Data on Police Organizations 2022	Legal Aid	2020-21, 2021-22, March 2022, June 2022	National Legal Service Authority
Prisons	31 December 2021	Prisons Statistics India 2021	Population Figures	March 2020, March 2021	National Commission on Population 2019
Judiciary	2022, December 2022, July 2022, August 2022, January 2023	National Judicial Data Grid, Supreme Court, Court News, Department of Justice, Parliamentary Questions	Budget Figures	2020-21	Comptroller and Auditor General, States' budget documents

¹ In the earlier report, Jammu & Kashmir was included in Cluster IV. Since August 2019, it has become a Union Territory, hence shifted to Cluster III. Either way, as a UT or AFSPA state it is not ranked. Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu were two different UTs. The merger of these two UTs took place in 2020. The data for these two UTs is merged wherever used.

Source	Calendar Year	Cases pending at the beginning of the year (A)	Cases instituted during the year (B)	Cases disposed during the year (C)	Cases pending at the end of the year (D=A+B-C)
Court News	2017	2,89,445	1,38,285	1,20,310	3,07,420
Court News	2018	3,07,420	1,33,734	1,09,766	3,31,388
NJDG	2019	3,31,388	1,33,704	1,07,918	3,57,174
NJDG	2020	3,57,174	98,566	74,206	3,81,534
NJDG	2021	3,81,534	1,23,289	98,161	4,06,662
NJDG	2022	4,06,662	1,37,741	1,16,249	4,28,154

State Citizen Portals

These state-wise portals are expected to offer nine basic services. They were assessed for accessibility, language and completeness of services. The compliance of the state citizen portal² was assessed by checking these nine services twice from September 2022 to November 2022 to evaluate improvements in the working of the portals. One mark was given for the portal being available in more than one language; and one mark was given per service for completeness of content. Where a service was disaggregated into various sub-parts that mark was also subdivided. Illustratively, if the service sought to provide details on stolen/ recovered vehicles, arms and other properties, each of the three sub-categories was allocated a maximum score of 0.3. Partial marks were therefore still accorded to 'incomplete' services.

State Human Rights Commissions

In order to collect data related to the existing 25 SHRCs, 136 RTI applications were filed, as the complete data for SHRCs has neither been collected nor published, or proactively disclosed to the public. The performance on each of the seven indicators was calculated using the same methods as in Step 4 and 5. Assam and Manipur are excluded from ranking due to the presence of Armed Forces Special Powers Act (AFSPA). Jammu & Kashmir is excluded since after the enactment of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 the SHRC was disbanded. The Protection of Human Rights Act, 1993 provides for the establishment, powers and functions of the SHRCs, and has been used as the benchmark to assess their performance. International standards set

up under the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) and the Paris Principles have also been referred to.

Step 4: Scoring Method

As with IJR 2019 and 2020, raw data was rebased on a common scale so that every indicator could be scored on a scale of 1 to 10, with 1 being the lowest or least desirable status, and 10 indicating the highest or best score. The scores in-between were calibrated to show where a state stood in relation to the best and the lowest. Where a state met or exceeded the benchmark it had set for itself it received a score of 10. In cases where there were no benchmarks available, a state received a 'top' score of 10. This does not mean that the state has reached an ideal capacity, merely that it is best in class. The scores of every indicator were aggregated and averaged to arrive at a pillar score, also scored on a scale of 1 to 10. Averages were arrived at using geometric mean because the method is less prone to distortion by extreme outlying figures. Thus, for each pillar every state got a score out of 10, and a rank in its cluster. The pillar scores were then averaged to arrive at the overall score, also out of 10.

Step 5: Scoring and Ranking

For each cluster, the report applied the methodology outlined in Step 4 to every indicator in the pillar. For states whose values were missing for certain indicators due to an unavoidable reason—for example, in Haryana where there is no reservation for Scheduled Tribes—the number

² The SMART Policing initiative of the Ministry of Home Affairs advises states to provide services to citizens online through the state citizen portal. <https://digitalpolice.gov.in/>

of indicators was reduced. Certain states have not received the grant for modernisation funds, the number of indicators in such states has also been accordingly reduced while working out their scores. In assessing judiciary for Andhra Pradesh and Telangana only three-year trends have been used due to unavailability of separate data prior to their bifurcation.

Step 6: Uniformity in Indicator Counts Across Themes and Weights

Each indicator, theme, and pillar has been assigned equal weightage so as not to privilege any one aspect over another. The study avoids subjectivity by giving any one element higher or lower weightage, since every data point influences the whole outcome.

Step 7: Data Checks

The data was checked down to source data at two points in time: after the preliminary set of rankings was generated, and after the final set of rankings was generated (in other words, before web and print outputs). A third round of checking was carried out on the final outputs.

Other Points

Rounding off decimals

The report looked at decimals through the ease of reading the data. Where the numbers were large, it did not include decimals and where they were small and the variance was in fractions, decimals were included—one or two places as needed.

Use of percentage points

The report uses percentage points as a unit of measurement for the trend or change indicators. This is calculated as the difference between two percentages to highlight an increase or decrease.

Union Territories and states

UTs and AFSPA states are not ranked as already mentioned in Step 2. As of August 2019, the state of Jammu & Kashmir was reorganized into two Union

Territories: Jammu & Kashmir, and Ladakh. Separate data for these two UTs is not available for trend indicators, hence these two are not included in trend indicators. Similarly, the UTs of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu were merged on 26 January 2020. Separate data for these two is combined.

Geometric mean over arithmetic mean

In a scenario where a state scores high or low in a pillar because it is doing extremely well or extremely poorly in a handful of variables, the geometric mean tends to normalize outliers i.e. extreme variables, better.

Shared court jurisdictions

For states that share court jurisdictions, the report used the same data where justifiable. For example, population per high court judge was calculated by combining the population of Punjab, Haryana and Chandigarh since the two states and the UT are serviced by the same high court.

Strengths and limitations

Ranking of states on the basis of justice capacity is an unprecedented exercise in the context of our country with an aim to bring together disparate and hitherto siloed information. The capacity of 7 small states and 18 large states to deliver justice is once again ranked in this year's India Justice Report. We examine the systems more thoroughly with each report and, as usual, only use the most accurate official data. The processing of so much data enables the precise location of potential intervention and remediation sites. Not only that, but even internal gaps caused by unequal data availability indicate how urgent it is to establish reliable, consistent, timely, and publicly accessible data systems across the country that facilitate collaborative internal planning for success in the future.

The report benefits from ongoing assessments and recommendations from government organisations, judges, retired DGPs, police, and other experts in various sub-systems because it is a partnership between numerous specialised civil society groups. The inclusion of thus many different viewpoints confirms the selection of indicators and rating.

The report is a purely quantitative exercise on selected aspects of the justice system. Its assessment is often limited by the unavailability and paucity of data and its inconsistencies. It does not aspire to capture the views of the duty holder or functionary and stakeholder that relate to the qualitative performance and functioning of each sub-system as perception studies and surveys do. Nevertheless, the assessment of the structures

involved in the administration of justice point to levels of service and response. The data delineation here is also a necessary supplement to other qualitative studies and helps indicate possible solutions to many entrenched problems. We hope that the report will encourage others to strive to go deeper in evaluating the structure of the justice delivery system holistically and in ever more detail.



Recommendations

1

Ensure **24*7 legal guidance and representation** at police stations and courts at first instance.

6

Give training pride of place and prioritise human and financial **resources in all training facilities.**

Fully implement the Supreme Court's Paramvir Singh Saini judgement, mandating every police station to be **equipped with CCTV cameras** to check abuse.

Ensure **UTRCs guidelines of 14 categories of prisoners** to be considered for release.

3

Fill **vacancies** on an urgent footing.

8

UTRCs and all those officially mandated to visit jails, including judges, must be made accountable and their visits must be **linked to their own performance review.**

Prioritise increased **resources for first responders.**

4

SHRCs must be full-resourced and reach out to the community proactively.

5

Increase **diversity of caste, gender and the specially abled** across subsystems.

10

Designate the justice delivery system as an essential service and enhance, enlarge and equip it as a **first responder able to provide effective justice delivery** at all times.



Glossary

POLICE

BUDGETS

1. Spend on police per person (Rs)

Formula:

Police expenditure

State population

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: March 2021 (State population), 2020-21 (Police expenditure)

Data source: Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; National Commission on Population, 2019; Finance Division of Ministry of Home Affairs

2. Share of training budget in police budget (%)

Formula:

Training budget

Police budget

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 2020-21

Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022

3. Training budget utilization (%)

Formula:

Training budget utilized

Training budget

Benchmark: 100%

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 2020-21

Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022

4. Spend on training per personnel (Rs)

Formula:

Training expenditure

Total police

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 2020-21

Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022

5. Modernisation fund used (%)

Formula:

Central + state expenditure on modernisation

Central + state allocation on modernisation

Benchmark: 100%

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 2020-21

Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022

HUMAN RESOURCES

6. Constables, vacancy (%)

Formula:

Actual Head Constables + Constables

100 - () * 100

Sanctioned Head Constables + Constables

Benchmark: 0%

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 1 January 2022

Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022
Notes: Includes civil police and district armed reserve police.

7. Officers, vacancy (%)

Formula:

Actual officer strength

100 - () * 100

Sanctioned officer strength

Benchmark: 0%

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 1 January 2022

Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022
Notes: Includes civil police and district armed reserve police. Officers comprise DGP/Spl DGP + Addl. DGP + IGP + DIG + AIGP/SSP/SP/COMN + Addl.SP/Dy. COMN + ASP/DY.SP./Asstt. COMN + Inspector/RI + SI/RSI + ASI/ARSI.

8. Officers in civil police (%)

Formula:

Officers in civil police

Total civil police

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 1 January 2022

Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022
Notes: Civil police includes district armed reserve police. Officers comprise DGP/Spl DGP + Addl. DGP + IGP + DIG + AIGP/SSP/SP/COMN + Addl.SP/Dy. COMN + ASP/DY.SP./Asstt. COMN + Inspector/RI + SI/RSI + ASI/ARSI.

DIVERSITY

9. Share of women in police (%)

Formula:

Women in police

Total police

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 1 January 2022

Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022

10. Share of women in officers (%)

Formula:

Women police officers

Total police officers

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 1 January 2022
Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022
Notes: Officers comprise DGP/Spl DGP + Addl. DGP + IGP + DIG + AIGP/SSP/SP/COMN + Addl.SP/Dy. COMN + ASP/DY.SP./Asstt. COMN + Inspector/RI + SI/RSI + ASI/ARSI.

11. SC officers, actual to reserved ratio (%)

Formula:

$$\frac{\text{Actual Scheduled Caste (SC) officers}}{(\text{Sanctioned officer posts} * \text{SC reservation})} * 100$$

Benchmark: 100%
Scoring guide: Higher, the better
Period/Date: 1 January 2022
Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022
Notes: Officers comprise ASP/DY.SP./Asstt. COMN + Inspector/RI + SI/RSI + ASI/ARSI.

12. SC constables, actual to reserved ratio (%)

Formula:

$$\frac{\text{Actual Scheduled Caste (SC) constables}}{(\text{Sanctioned constable posts} * \text{SC reservation})} * 100$$

Benchmark: 100%
Scoring guide: Higher, the better
Period/Date: 1 January 2022
Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022
Notes: Constables include head constables.

13. ST officers, actual to reserved ratio (%)

Formula:

$$\frac{\text{Actual Scheduled Tribe (ST) officers}}{(\text{Sanctioned officer posts} * \text{ST reservation})} * 100$$

Benchmark: 100%
Scoring guide: Higher, the better
Period/Date: 1 January 2022
Data source: Data on Police

Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022
Notes: Officers comprise ASP/DY.SP./Asstt. COMN + Inspector/RI + SI/RSI + ASI/ARSI.

14. ST constables, actual to reserved ratio (%)

Formula:

$$\frac{\text{Actual Scheduled Tribe (ST) constables}}{(\text{Sanctioned constable posts} * \text{ST reservation})} * 100$$

Benchmark: 100%
Scoring guide: Higher, the better
Period/Date: 1 January 2022
Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022
Notes: Constables include head constables.

15. OBC officers, actual to reserved ratio (%)

Formula:

$$\frac{\text{Actual Other Backward Classes (OBC) officers}}{(\text{Sanctioned officer posts} * \text{OBC reservation})} * 100$$

Benchmark: 100%
Scoring guide: Higher, the better
Period/Date: 1 January 2022
Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022
Notes: Officers comprise ASP/DY.SP./Asstt. COMN + Inspector/RI + SI/RSI + ASI/ARSI.

16. OBC constables, actual to reserved ratio (%)

Formula:

$$\frac{\text{Actual Other Backward Classes (OBC) constables}}{(\text{Sanctioned constable posts} * \text{OBC reservation})} * 100$$

Benchmark: 100%
Scoring guide: Higher, the better
Period/Date: 1 January 2022
Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022
Notes: Constables include head constables.

INFRASTRUCTURE

17. Population per police station (rural) (persons)

Formula:

Rural population

Rural police stations

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: March 2022 (rural population), January 2022 (rural police stations)
Data source: National Commission on Population, 2019; Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022

18. Population per police station (urban) (persons)

Formula:

Urban population

Urban police stations

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: March 2022 (urban population), January 2022 (urban police stations)
Data source: National Commission on Population, 2019; Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022

19. Area per police station (rural) (sq km)

Formula:

Rural area (sq km)

Rural police stations

Benchmark: 150 sq km or less (National Police Commission report 1981)
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: 2011 (rural area), January 2022 (rural police stations)
Data source: Census 2011; Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022

20. Area per police station (urban) (sq km)

Formula

Urban area (sq km)

Urban police stations

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: 2011 (urban area), January 2022 (urban police stations)
Data source: Census 2011; Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022

21. Services provided by state police citizen portals (%)

Formula:

$$\frac{\text{Services provided (out of 10)}}{10} \times 100$$

Benchmark: 100%
Scoring guide: Higher, the better
Period/Date: 2022
Data source: <https://digitalpolice.gov.in/>
Notes: Quantitative assessment of state police citizen portals on 10 counts: whether they include each of the 9 services listed by the Ministry of Home Affairs and whether the portal was available in a state language (other than English).

22. Personnel per training institute (number)

Formula:

$$\frac{\text{Sanctioned total police}}{\text{Number of training institutes}}$$

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: January 2022
Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022

23. Share of police stations with CCTVs (%)

Formula:

$$\frac{\text{Police stations with CCTVs}}{\text{Total police stations}} \times 100$$

Benchmark: 100%
Scoring guide: Higher, the better
Period/Date: January 2022
Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022

24. Share of Police Stations with women help desks (%)

Formula:

$$\frac{\text{Police stations with women help desks}}{\text{Total police stations}} \times 100$$

Benchmark: 100%
Scoring guide: Higher, the better
Period/Date: January 2022
Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022

WORKLOAD

25. Population per civil police (persons)

Formula:

$$\frac{\text{State population}}{\text{Total civil police}}$$

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: March 2022 (state population), January 2022 (civil police)
Data source: National Commission on Population, 2019; Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), January 2022
Notes: Civil police includes district armed reserve police.

TRENDS

26. Women in total police (percentage points)

Formula:

$$\text{Women in total police} - X$$

2016	X1
2017	X2 $((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3 $((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4 $((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5 $((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6 $((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)	

Benchmark: Not available
Scoring guide: Higher, the better
Period/Date: Calendar year 2017 to 2021
Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D)

27. Women officers in total officers (percentage points)

Formula:

$$\text{Women officers in total officers} - X$$

2016	X1
2017	X2 $((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3 $((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4 $((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5 $((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6 $((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)	

Benchmark: Not available
Scoring guide: Higher, the better
Period/Date: Calendar year 2017 to 2021
Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D)
Notes: Calculation for 2016 is repeated for 2017 as BPR&D did not provide rank-wise data for women district armed reserve police for 2017.

28. Constable vacancy (percentage points)

Formula:

$$\text{Constable vacancy} - X$$

2016	X1
2017	X2 $((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3 $((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4 $((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5 $((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6 $((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)	

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: Calendar year 2017 to 2021
Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D)

29. Officer vacancy (percentage points)

Formula:

$$\text{Officer vacancy} - X$$

2016	X1
2017	X2 $((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3 $((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4 $((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5 $((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6 $((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)	

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: Calendar year 2017 to 2021
Data source: Data on Police Organizations, Bureau of Police Research and Development (BPR&D)

30. Difference in spend: police vs state (percentage points)

Formula:

$$[\text{5-year annual average of police expenditure (PE)} - \text{5-year annual average of state expenditure (SE)}]$$

2015-16	PE = X1
2016-17	X2 $((X2/X1)-1)*100 = a$
2017-18	X3 $((X3/X2)-1)*100 = b$
2018-19	X4 $((X4/X3)-1)*100 = c$
2019-20	X5 $((X5/X4)-1)*100 = d$
2020-21	X6 $((X6/X5)-1)*100 = e$

PE = Average (a,b,c,d,e)

2015-16 SE = X1

2016-17 X2 $((X2/X1)-1)*100 = a$

2017-18 X3 $((X3/X2)-1)*100 = b$

2018-19 X4 $((X4/X3)-1)*100 = c$

2019-20 X5 $((X5/X4)-1)*100 = d$

2020-21 X6 $((X6/X5)-1)*100 = e$

SE = Average (a,b,c,d,e)

Benchmark: Greater than zero

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: Financial year 2016-27 to 2020-21

Data source: Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; Open Budgets India; Finance Division of Ministry of Home Affairs

PRISONS

BUDGETS

1. Spend per inmate (Rs)

Formula:

Prison expenditure

Total inmates

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 2021-22

Data source: Prison Statistics India, 2021

2. Prison budget utilised (%)

Formula:

Prison expenditure

_____ * 100

Prison budget

Benchmark: 100%

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 2021-22

Data source: Prison Statistics India, 2021

HUMAN RESOURCES

3. Officers, vacancy (%)

Formula:

Actual prison officers

100 - (_____ * 100)

Sanctioned prison officers

Benchmark: 0%

Scoring guide: Lower, the better

Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

Notes: Officers comprise the following

ranks: DG/ADDL.DG/IG + DIG + AIG + Superintendent + Deputy Superintendent + Assistant Superintendent + Jailor + Deputy Jailor + Assistant Jailor + Others.

4. Cadre staff, vacancy (%)

Formula:

Actual cadre staff

100 - (_____ * 100)

Sanctioned cadre staff

Benchmark: 0%

Scoring guide: Lower, the better

Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

Notes: Cadre comprise the following ranks: Head Warders + Head Matrons + Warders + Matrons + Others.

5. Correctional staff, vacancy (%)

Formula:

Actual correctional staff

100 - (_____ * 100)

Sanctioned correctional staff

Benchmark: 0%

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

Notes: Correctional staff comprise the following: Probation Officer/Welfare Officer + Psychologists/Psychiatrists + Social Worker/Others.

6. Medical staff, vacancy (%)

Formula:

Actual medical staff

100 - (_____ * 100)

Sanctioned medical staff

Benchmark: 0%

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

Notes: Medical staff comprises Resident Medical Officer/Medical Officer + Pharmacists + Lab Technician/Lab Attendant + Others.

7. Medical officers, vacancy (%)

Formula:

Actual resident medical

100 - (_____ * 100)

Sanctioned resident medical

officer and medical officer

Benchmark: 0%

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

8. Personnel trained (%)

Formula:

Prison staff trained

_____ * 100

Actual prison staff

Benchmark: 100%

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

DIVERSITY

9. Women in prison staff (%)

Formula:

Women prison staff

_____ * 100

Total prison staff

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

INFRASTRUCTURE

10. Prison occupancy (%)

Formula:

Inmate population

_____ * 100

Total Available prison capacity

Benchmark: Below 100%

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

11. Share of jails with 100% and more occupancy (%)

Formula:

Number of jails with 100% & more occupancy

_____ * 100

Total jails

Benchmark: 0%

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 2022

Data source: e-Prisons portal

12. Share of jails with 150% and more occupancy (%)

Formula:

Number of jails with 150% & more occupancy

_____ * 100

Total jails

Benchmark: 0%

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 2022

Data source: e-Prisons portal

13. Undertrials detained for 1-3 years (%)

Formula:

$$\frac{\text{Undertrials detained for 1-3 years}}{\text{Total undertrials}} * 100$$

Benchmark: Not available

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

14. Inmates (admitted) availed educational course (%)

Formula:

$$\frac{\text{Inmates availed educational facilities}}{\text{Inmates admitted during the year}} * 100$$

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

15. Inmates (admitted) availed vocational training (%)

Formula:

$$\frac{\text{Inmates availed vocational training}}{\text{Inmates admitted during the year}} * 100$$

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

16. Jails with video-conferencing facilities (%)

Formula:

$$\frac{\text{Jails with V-C facility}}{\text{Total jails}} * 100$$

Benchmark: 100%

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

WORKLOAD

17. Inmates per officer (persons)

Formula:

$$\frac{\text{Inmate population}}{\text{Officer}}$$

Benchmark: Not available

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

Notes: Officer comprises Superintendent + Deputy Superintendent + Assistant Superintendent + Jailor + Deputy Jailor + Assistant Jailor + Other Officers.

18. Inmates per cadre staff (persons)

Formula:

$$\frac{\text{Inmate population}}{\text{Cadre staff}}$$

Benchmark: Up to 6

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

Notes: Cadre staff comprises Head Warder/Head Matron + Warder/Matron + Others.

19. Inmates per correctional staff (persons)

Formula:

$$\frac{\text{Inmate population}}{\text{Correctional staff}}$$

Benchmark: Not available

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

Notes: Correctional staff comprises Probation officer/Welfare Officer + Psychologists/Psychiatrists + Social Worker/Others).

20. Inmates per medical officer (persons)

Formula:

$$\frac{\text{Inmate population}}{\text{Medical officer}}$$

Benchmark: 300 inmates per medical officer

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 31 December 2021

Data source: Prison Statistics India, 2021

TRENDS

21. Officer vacancy (percentage points)

Formula:

$$\frac{\text{Officer vacancy (\%)} - X}{\text{5-year average (a,b,c,d,e)}}$$

Benchmark: Not available

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: Calendar year 2017 to 2021

Data source: Prison Statistics India

22. Cadre staff vacancy (percentage points)

Formula:

$$\frac{\text{Cadre staff vacancy (\%)} - X}{\text{5-year average (a,b,c,d,e)}}$$

Benchmark: Not available

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: Calendar year 2017 to 2021

Data source: Prison Statistics India

23. Share of women in prison staff (percentage points)

Formula:

$$\frac{\text{Share of women in prison staff (\%)} - X}{\text{5-year average (a,b,c,d,e)}}$$

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: Calendar year 2017 to 2021

Data source: Prison Statistics India

24. Inmates per prison officer (%)

Formula:

$$\frac{\text{Inmates per prison officer} - X}{\text{5-year average (a,b,c,d,e)}}$$

Benchmark: Not available

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: Calendar year 2017 to 2021

Data source: Prison Statistics India

Notes: Officer comprises Superintendent + Deputy Superintendent + Assistant Superintendent + Jailor + Deputy Jailor + Assistant Jailor + Other Officers.

25. Inmates per cadre staff (%)

Formula:

Inmates per cadre staff = X

2016	X1	
2017	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)		

Benchmark: Not available

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: Calendar year 2017 to 2021

Data source: Prison Statistics India

26. Share of undertrial prisoners (percentage points)

Formula:

Share of UTPs (%) (X) = (UTPs/total inmates*100)

2016	X1	
2017	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)		

Benchmark: Not available

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: Calendar year 2017 to 2021

Data source: Prison Statistics India

27. Spend per inmate (%)

Formula:

Spend per inmate = X

2016-17	X1	
2017-18	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018-19	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019-20	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020-21	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021-22	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)		

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: Financial year 2017-18 to 2021-22

Data source: Prison Statistics India

28. Prison budget used (percentage points)

Formula:

Budget used = X

2016-17	X1	
2017-18	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018-19	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019-20	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$

2020-21	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021-22	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)		

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: Financial year 2017-18 to 2021-22

Data source: Prison Statistics India

29. Difference in spend: prisons vs state (percentage points)

Formula: [5-year annual average of prisons expenditure (PE) – 5-year annual average of state expenditure (SE)]

2015-16	PE = X1	
2016-17	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2017-18	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2018-19	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2019-20	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2020-21	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
PE = Average (a,b,c,d,e)		

2015-16	SE = X1	
2016-17	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2017-18	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2018-19	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2019-20	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2020-21	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
SE = Average (a,b,c,d,e)		

Benchmark: Greater than zero

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: Financial year 2016-17 to 2020-21

Data source: Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India; Open Budgets India; Finance Division of Ministry of Home Affairs; Prison Statistics India

JUDICIARY

BUDGETS

1. Per capita spend on judiciary (Rs)

Formula:

Judiciary expenditure (Rs)

State Population

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: March 2021 (population), 2020-21 (judiciary expenditure)

Data source: National Commission on Population, 2019; Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India for 2020-21, Comptroller and Auditor General of India; Finance Division of Ministry of Home Affairs

HUMAN RESOURCES

2. Population per High Court judge (Persons)

Formula:

State population

High Court judges

Benchmark: Not available

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: March 2022 (population); December 2022 (High Court judges)

Data source: National Commission on Population, 2019; Department of Justice
Notes: Population of states and UTs that share a High Court have been combined, and hence they share the same value.

These are Kerala and Lakshadweep; West Bengal and Andaman & Nicobar Islands; Punjab, Haryana and Chandigarh; Assam, Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh; Maharashtra, Goa, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu; Tamil Nadu and Puducherry.

3. Population per subordinate court judge (Persons)

Formula:

State population

Subordinate court judges

Benchmark: Not available

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: March 2022 (State population); July 2022 (Subordinate court judges)

Data source: National Commission on Population, 2019; Parliamentary Question-Lok Sabha, Unstarred Question No. 2116

4. High Court judge vacancy (%)

Formula:

$$100 - \left(\frac{\text{Working High Court Judges}}{\text{Sanctioned High Court judges}} * 100 \right)$$

Benchmark: 0%

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: December 2022

Data source: Department of Justice

5. Subordinate court judge vacancy (%)

Formula:

$$100 - \left(\frac{\text{Working subordinate court judges}}{\text{Sanctioned subordinate court judges}} \right) * 100$$

Benchmark: 0%

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: July 2022

Data source: Parliamentary Question-Lok Sabha, Unstarred Question No. 2116

6. High Court staff vacancy (%)

Formula:

$$100 - \left(\frac{\text{Working High Court staff}}{\text{Sanctioned High Court staff}} \right) * 100$$

Benchmark: 0%

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 2021-22

Data source: Annual report 2021-22, Supreme Court of India

DIVERSITY

7. Women judges (High Court) (%)

Formula:

$$\frac{\text{Women High Court judges}}{\text{Total High Court judges}} * 100$$

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Date: December 2022

Data source: Department of Justice

8. Women judges (subordinate court) (%)

Formula:

$$\frac{\text{Women subordinate court judges}}{\text{Total subordinate court judges}} * 100$$

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: July 2022

Data source: Parliamentary Question-Lok Sabha, Unstarred Question No. 2116

9. SC judges, actual to reserved (subordinate courts) (%)

Formula:

$$\frac{\text{Actual Scheduled Caste (SC) judges}}{\text{(Sanctioned subordinate court judges * SC reservation)}} * 100$$

Benchmark: 100%

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 25 July 2022

Data source: Parliamentary Question-Lok Sabha, Unstarred Question No. 2116

10. ST judges, actual to reserved (subordinate courts) (%)

Formula:

$$\frac{\text{Actual Scheduled Tribe (ST) judges}}{\text{(Sanctioned subordinate court judges * ST reservation)}} * 100$$

Benchmark: 100%

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 25 July 2022

Data source: Parliamentary Question-Lok Sabha, Unstarred Question No. 2116

11. OBC judges, actual to reserved (subordinate courts) (%)

Formula:

$$\frac{\text{Actual Other Backward Classes (OBC) judges}}{\text{(Sanctioned subordinate court judges * OBC reservation)}} * 100$$

Benchmark: 100%

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 25 July 2022

Data source: Parliamentary Question-Lok Sabha, Unstarred Question No. 2116

INFRASTRUCTURE

12. Courthall shortfall (%)

Formula:

$$100 - \left(\frac{\text{Number of courthalls}}{\text{Sanctioned subordinate court judges}} \right) * 100$$

Benchmark: 0%

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: July-August 2022

Data source: Department of Justice (courthalls); Parliamentary Question-Lok Sabha, Unstarred Question No. 2116

WORKLOAD

13. Cases pending (5-10 years) (High Court) (%)

Formula:

$$\frac{\text{Cases pending for 5-10 years in High Courts}}{\text{Total cases pending in High Courts}} * 100$$

Benchmark: Not available

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: January 2023

Data source: National Judicial Data Grid

14. Cases pending (10+ years) (High Court) (%)

Formula:

$$\frac{\text{Cases pending for 10+ years in High Courts}}{\text{Total cases pending in High Courts}} * 100$$

Benchmark: Not available

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: January 2023

Data source: National Judicial Data Grid

15. Cases pending (5-10 years) (subordinate court) (%)

Formula:

$$\frac{\text{Cases pending for 5-10 years in subordinate courts}}{\text{Total cases pending in subordinate courts}} * 100$$

Benchmark: Not available

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: January 2023

Data source: National Judicial Data Grid

16. Cases pending (10+ years) (subordinate court) (%)

Formula:

$$\frac{\text{Subordinate court cases pending for above 10 years}}{\text{Total cases pending in subordinate courts}} * 100$$

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: January 2023
Data source: National Judicial Data Grid

17. Average High Court pendency (years)

Formula:

For each pending case in High Courts
(Date on which data was scraped – Date of case filed) = Case pending for X days

Xn = Sum of X days for each case pending in a state

n = total pending cases

Average pendency in High Courts

(years) =

$$\frac{(X1+X2+X3+.....+Xn)}{n} * 365$$

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: February 2022
Data source: DAKSH High Court database

18. Case clearance rate (High Court) (%)

Formula:

High Court cases disposed
(civil + criminal)

$$\frac{\text{High Court cases disposed (civil + criminal)}}{\text{High Court cases filed (civil + criminal)}} * 100$$

High Court cases filed
(civil + criminal)

Benchmark: 100%
Scoring guide: Higher, the better
Period/Date: 2022
Data source: National Judicial Data Grid

19. Case clearance rate (subordinate court) (%)

Formula:

Subordinate court cases disposed
(civil + criminal)

$$\frac{\text{Subordinate court cases disposed (civil + criminal)}}{\text{Subordinate court cases filed (civil + criminal)}} * 100$$

Subordinate court cases filed
(civil + criminal)

Benchmark: 100%
Scoring guide: Higher, the better
Period/Date: 2022
Data source: National Judicial Data Grid

TRENDS

20. Cases pending (per High Court judge) (%)

Formula:

Cases pending (High Court judge) – X

2017	X1	
2018	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$

2019	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2020	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)		

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: 2018 to 2022
Data source: National Judicial Data Grid; Court News, Supreme Court; Department of Justice

21. Cases pending (per subordinate court judge) (%)

Formula:

Cases pending (subordinate court judge) – X

2017	X1	
2018	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2020	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)		

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: 2018 to 2022
Data source: National Judicial Data Grid; Court News, Supreme Court; Lok Sabha, Unstarred Question No. 2116

22. Total cases pending (High Court) (%)

Formula:

Average High Court pending cases (civil + criminal) – X

2017	X1	
2018	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2020	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)		

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: 2018 to 2022
Data source: National Judicial Data Grid; Court News, Supreme Court

23. Total cases pending (subordinate court) (%)

Formula:

Average subordinate court pending cases (civil + criminal) – X

2017	X1	
2018	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$

2020	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)		

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: 2018 to 2022
Data source: National Judicial Data Grid; Court News, Supreme Court;

24 Judge vacancy (High Court) (percentage points)

Formula:

Judge vacancy =
Working High Court Judges
 $100 - \left(\frac{\text{Sanctioned High Court judges}}{\text{Working High Court Judges}} * 100 \right)$

Judge vacancy (High Court) – X

2017	X1	
2018	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2020	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)		

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: 2018 to 2022
Data source: Department of Justice

25. Judge vacancy (subordinate court) (percentage points)

Formula:

Judge vacancy (X) =
Working Subordinate Court Judges
 $100 - \left(\frac{\text{Sanctioned Subordinate Court judges}}{\text{Working Subordinate Court Judges}} * 100 \right)$

2017	X1	
2018	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2020	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)		

Benchmark: Not available
Scoring guide: Lower, the better
Period/Date: 2018 to 2022
Data source: Parliamentary Questions; Court News, Supreme Court

26. Case clearance rate (High Court) (percentage points)

Formula:

Case clearance rate (X) =
High Court cases disposed
(civil + criminal)
_____ * 100

High Court cases filed
(civil + criminal)

2017	X1	
2018	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2020	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)		

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 2018 to 2022

Data source: National Judicial Data Grid;
Court News, Supreme Court

27. Case clearance rate (subordinate court) (percentage points)

Formula:

Case clearance rate (X) =
Subordinate court cases disposed
(civil + criminal)
_____ * 100

Subordinate court cases filed
(civil + criminal)

2017	X1	
2018	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2020	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-year average (a,b,c,d,e)		

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 2018 to 2022

Data source: National Judicial Data Grid;
Court News, Supreme Court

28. Difference in spend: judiciary vs state (percentage points)

Formula: [5-year annual average of
judiciary expenditure (JE)] – [(5-year
annual average of state expenditure (SE))

2015-16	JE = X1	
2016-17	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2017-18	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2018-19	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2019-20	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2020-21	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$

PE = Average (a,b,c,d,e)

2015-16 JE = X1

2016-17 X2 $((X2/X1)-1)*100 = a$

2017-18 X3 $((X3/X2)-1)*100 = b$

2018-19 X4 $((X4/X3)-1)*100 = c$

2019-20 X5 $((X5/X4)-1)*100 = d$

2020-21 X6 $((X6/X5)-1)*100 = e$

SE = Average (a,b,c,d,e)

Benchmark: Greater than zero

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: Financial year 2015-16 to
2020-21

Data source: Combined Finance and
Revenue Accounts of the Union and State
Governments in India, Comptroller and
Auditor General of India; Open Budgets
India; Finance Division of Ministry of
Home Affairs

LEGAL AID

BUDGETS

1. State's share in legal aid budget (%)

Formula:

Allocation by state for legal aid
_____ * 100

Allocation by state for legal aid +
Allocation by NALSA

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 2021-22

Data source: National Legal Services
Authority (NALSA); State budget
documents

2. State legal aid budget utilised (%)

Formula:

Allocation by state for legal aid
_____ * 100

Allocation by state for legal aid +
Allocation by NALSA

Benchmark: 100%

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 2020-21

Data source: State budget documents

3. NALSA fund utilised (%)

Formula:

NALSA funds utilised
_____ * 100

NALSA funds carried forward from
previous year + received this year

Benchmark: 100%

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 2021-22

Data source: National Legal Services
Authority (NALSA)

HUMAN RESOURCES

4. DLSA secretary vacancy (%)

Formula:

Actual DLSA secretaries
100 - _____ * 100)

Sanctioned DLSA secretaries

Benchmark: 0%

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: March 2022

Data source: National Legal Services
Authority (NALSA)

Note: DLSA is District Legal Services
Authority

5. PLVs per lakh population (persons)

Formula:

Para legal volunteers (PLVs)

State population

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: March 2022 (Population);
June 2022 (PLVs)

Data source: National Commission on
Population, 2019; National Legal Services
Authority (NALSA)

6. Sanctioned secretaries as % of DLSAs (%)

Formula:

Sanctioned DLSA secretaries
_____ * 100

Total sanctioned DLSAs

Benchmark: 100%

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: March 2022

Data source: National Legal Services
Authority (NALSA)

Note: DLSA is District Legal Services
Authority

DIVERSITY

7. Women panel lawyers (%)

Formula:

Women panel lawyers
_____ * 100

Total panel lawyers

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: June 2022

Data source: National Legal Services
Authority (NALSA)

8. Women PLVs (%)

Formula:

Women para legal volunteers (PLVs)
_____ * 100

Total para legal volunteers

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: June 2022

Data source: National Legal Services
Authority (NALSA)

INFRASTRUCTURE

9. DLSAs as % of state judicial districts (%)

Formula:

Total DLSAs
_____ * 100

Judicial districts

Benchmark: 100%

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: March 2022

Data source: National Legal Services
Authority (NALSA)

Note: DLSA is District Legal Services
Authority

10. Presence of front offices in DLSAs (%)

Formula:

Total front offices in DLSAs
_____ * 100

Total DLSAs

Benchmark: 100%

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: June 2022

Data source: National Legal Services
Authority (NALSA)

Note: DLSA is District Legal Services
Authority

11. Legal services clinic per jail (number)

Formula:

Legal service clinics in jails

Total jails

Benchmark: 1 per jail

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: December 2021 (total jails),
2021-22 (legal service clinics)

Data source: Prison Statistics India,
2021; National Legal Services Authority
(NALSA)

12. Villages per legal services clinic (number)

Formula:

Inhabited villages

Legal service clinics in villages

Benchmark: Not available

Scoring guide: Lower, the better

Period/Date: 2011 (villages), 2021-22
(legal service clinics)

Data source: Primary Census Abstract,
Census 2011; National Legal Services
Authority (NALSA)

WORKLOAD

13. PLA cases: settled as % of received (%)

Formula:

Cases settled by Permanent
Lok Adalats (PLAs)
_____ *

100

Cases received by Permanent
Lok Adalats

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 2021-22

Data source: National Legal Services
Authority (NALSA)

14. Total Lok Adalats: Share of pre-litigation cases in disposed cases (%)

Formula:

Pre-litigation cases disposed
by Lok Adalats
_____ * 100

Total cases disposed by Lok Adalats

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 2021-22

Data source: National Legal Services
Authority (NALSA)

Notes: Lok Adalats comprise National
Lok Adalats and those run by State Legal
Services Authorities (SLSAs)

15. SLSA Lok Adalats: Pre-litigation cases disposed as % of total cases taken up (%)

Formula:

Pre-litigation cases disposed by State
Legal Services Authority (SLSA)
_____ * 100

Total cases taken up by State Legal
Services Authority (SLSA)

Benchmark: Not available

Scoring guide: Higher, the better

Period/Date: 2021-22

Data source: National Legal Services
Authority (NALSA)

References

Articles – author, title “, newspaper, date study

1. Responding to the Pandemic: Prisons and Overcrowding, (States' Decongestion Efforts), Commonwealth Human Rights Initiative, 2020.
2. Department related parliamentary standing committee report on Personnel, Public Grievances, Law and Justice.
3. Renuka Sane, Neha Sane, 'Budgeting for the police', Live Mint, 11 April 2017.

Police

1. Padmanabhaiah Committee for Police Reforms, 2000.
2. Data on Police Organisation, 2022, Bureau of Police Research & Development.
3. 'Govt notifies rules for AP Mahila police wing', The Hindu, 13 January 2022
4. Manpower Requirement Study, Bangalore City Police, Janaagraha centre for citizenship and democracy, 2014
5. Data on Police Organisation, National Requirement of Manpower for 8-hour Shifts in Police Stations; Bureau of Police Research & Development, August 2014
6. Census of India, 2011
7. *NALSA v. Union of India*, [Writ Petition Civil] Number 400 of 2012]
8. Rajya Sabha, Unstarred Question No. 701, 8 February 2023
9. Modernisation of State Police Forces; Ministry of Home Affairs, Government of India,
10. Training Master Plan, Bureau of Police Research and Development, 2009
11. *Paramvir Singh Saini vs Baljit Singh* [Special Leave Petition (Criminal) No. 3543 of 2020].
12. Crime in India, 2021, National Crime Records Bureau
13. Order G.O(Ms.) No. 167/2014/Home, 2014, Home Department, Government of Kerala,

14. 'Kerala Police Cyberdome alerts against WannaCry ransomware attack', Indian Express, 15 May 2017
15. *Shafi Mohammad vs State of Himachal Pradesh* [Special Leave Petition (Crl.) No. 2302 of 2017]

Prisons

1. Global Prison Trends, 2022, Penal Reform International
2. *Re: Contagion of COVID 19 Virus in Prisons* [Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 1/2020]
3. E/Cn.15/2016/10, United Nations Office on Drugs and Crime, Twenty-fifth Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, 2016
4. Prison Statistics India, 2021, National Crime Records Bureau
5. Government of India, Ministry of Home Affairs, Advisory No. V-17013/01/2011-PR
6. Model Prison Manual, 2016, Ministry of Home Affairs, Government of India
7. 'Not all convicts lodged in jail are criminals by nature, and there should be a way to rehabilitate them back into society' in 'Centre to bring Model Prisons Act: Amit Shah', Hindustan Times, 5 September 2022.
8. Inside Karnataka's Prisons, 2019, Commonwealth Human Rights Initiative,

Judiciary

1. Nyaya Vikas Portal, Statement of State-wise availability of Court Halls as on 31.08.2022,
2. Centre for Budget and Governance Accountability and DAKSH, Memorandum to the Fifteenth Finance Commission on Budgeting for the Judiciary in India, 2019
3. Combined Finance and Revenue Accounts of the Union and State Governments in India, Comptroller and Auditor General of India, 2020-21
4. Data Speak: A Look at District Courts' Performance During the Pandemic, 2022; Vidhi Centre for Legal Policy

5. E-committee Newsletter, June 2020; Supreme Court of India,
6. Annual Report 2020-21; Supreme Court of India
7. One Hundred Twentieth Report on Manpower Planning in Judiciary: A Blueprint, 1987; Law Commission of India
8. 85th Report on Law's Delays: Arrears in Courts, 2002; Department-Related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs
9. *Imtiyaz Ahmad vs State of UP & Ors.* [Criminal Appeal Nos. 254-262 of 2012]
10. Arrears and Backlog: Creating Additional Judicial (wo)manpower, 2014; Law Commission of India,
11. Note for Calculating Required Judge Strength for Subordinate Courts, 2016; National Court Management Systems Committee,
12. Lok Sabha Replies, Budget Session –Third Session of 17th Lok Sabha, 2020.
13. Press Trust of India, 'Only 15 pc judges appointed to HCs in last 5 years from backward communities: Dept of Justice to Par Panel', Economic Times, 2023.
14. Law Commission of India, 245th Law Commission Report, 2014
15. Supreme Court of India, Conference Proceedings of National Initiative to Reduce Pendency and Delay in Judicial System, 2018
16. Ministry of Social Justice and Empowerment, The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
17. Deconstructing delay: Analysis of Delays in High courts and Subordinate Courts; DAKSH,
18. Ministry of Law and Justice, 123rd Report by Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, 2022
3. Study on Functioning of Undertrial Review Committees (from April to June 2020);
4. Commonwealth Human Rights Initiative,
5. NALSA (Free and Competent Legal Services) Regulations 2010
6. NALSA (Legal Services Clinics) Regulations, 2011
7. NALSA SOP on Representation of Persons in Custody 2011
8. NALSA's Scheme for Paralegal Volunteers, 2009
9. *National Legal Services Authority v. Union of India* [Writ Petition (Civil) No. 400 of 2012].
10. NALSA Guidelines on Front Offices
11. Section 10, NALSA Lok Adalat Regulations, 2009
12. Section 22B–22E of the Legal Services Authorities Act, 1987:
13. *Nipun Saxena v. Union of India* [W.P. (C) No. 565/2012]
14. Crime in India, 2021.
15. NALSA Legal Aid Defence Counsel Scheme, 2022
16. NALSA's Standard Operating Procedure for Undertrial Review Committees
17. *Re Inhuman Conditions in 1382 Prisons* [W.P. (Civil) No. 406/2013]
18. NALSA's Release_UTRC@75 Campaign

Legal Aid

1. Justice for All - The Report of the Task Force on Justice; Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, April 2019
2. NALSA's Statistical Snapshot, 2020

State Human Rights Commissions

1. *Abdul Sathar vs The Principal Secretary to Government and 5 others* [W.P. No. 41791 of 2006]
2. Section 21, Protection of the Human Rights Act, 1993
3. Human Rights Commissions: A Citizen's Handbook, 2004; Commonwealth Human Rights Initiative,
4. Paris Principles, 'Composition and guarantees of independence and pluralism
5. Protection of Human Rights in India: Working of NHRC/SHRC (1993-2018); Transparency International India, 2019,

List of Tables, Figures, Maps

List of Tables	Pg. No
National Findings	
Table 1: Rank and score for large and mid-sized states	11
Table 2: Rank and score for small states	11
Police	
Table 3: Indicator wise data, state scores and ranks	48
Prisons	
Table 4: Indicator wise data, state scores and ranks	78
Judiciary	
Table 5: Indicator wise data, state scores and ranks	102
Legal Aid	
Table 6: Indicator wise data, state scores and ranks	125
SHRC	
Table 7: Indicator wise data, state scores and ranks	131

List of Figures	
National Findings	
Figure 1: The improvement scorecard between IJR 2020 and IJR 2022	12
Figure 2: Performance over IJR 2019, IJR 2020 and IJR 2022	13
Figure 3: Share of women across pillars	15
Figure 4: How long will it take for women's share in police staff to reach 33%?	16
Figure 5: The curious case of 'others' in police	17
Figure 6: Judge to population ratio	19
Figure 7: Vacancy across pillars	20
Figure 8: Budgets for the justice system	23
Figure 9: State's share in legal aid budget	24
Figure 10: Share of overcrowded jails in a state	25
Figure 11: Cases pending for more than 5 years in subordinate courts	26
Figure 12: Cases pending in High Courts	27
Police	
Figure 13: SC, ST, OBC vacancies in police	38
Figure 14: Policewomen: Numbers growing but still too few	40
Figure 15: India: Police training budget (2020-21)	43
Figure 16: Police presence: Rural-urban divide	44
Figure 17: Status of state citizen portals	54
Figure 18: CCTV in police stations: a compliance report	58
Prisons	
Figure 19: Occupancy rate in Indian prisons	66
Figure 20: Overcrowding in jails	67
Figure 21: Undertrials by detention period	68
Figure 22: Educational Profile of Inmates and facilities provided	70
Figure 23: Meeting benchmarks	71
Figure 24: National trend of prison budget utilisation over the last decade	74
Figure 25: Daily spend per inmate	76

Judiciary	Figure 26: Judge vacancies and case clearance rates	90
	Figure 27: SC, ST and OBC judges vacancy in Subordinate Courts	93
	Figure 28: Women judges	94
	Figure 29: Cases pending per judge	97
	Figure 30: Case Clearance Rate	99
Legal Aid	Figure 31: Paralegal volunteers: mapping the numbers	114
	Figure 32: Budget utilisation	116
	Figure 33: Villages per legal aid clinic	118
	Figure 34: A performance of lok adalats by numbers	120
	Figure 35: Victim Compensation	122
	Figure 36: Performance of Undertrial Review Committees	124
SHRC	Figure 37: Vacancies in the Commissions	134
	Figure 38: Cases received and disposed by SHRC over three years	136
	Figure 39: Accessing SHRCs	138

List of Maps

National Findings	Map 1: Overall ranking; Large and mid-sized states	10
	Map 2: Overall ranking; Small states	10
	Map 3: Ranking Diversity; Large and mid-sized states	14
	Map 4: Ranking Diversity; Small states	14
	Map 5: Ranking Human Resources: Large and mid-sized states	18
	Map 6: Ranking Human Resources: Small states	18
	Map 7: Ranking Intention: Large and mid-sized states	22
	Map 8: Ranking Intention: Small states	22
Police	Map 9: Police Ranking: Large and mid-sized states	32
	Map 10: Police Ranking: Small states	32
Prisons	Map 11: Prisons Ranking: Large and mid-sized states	62
	Map 12: Prisons Ranking: Small states	62
Judiciary	Map 13: Judiciary Ranking: Large and mid-sized states	86
	Map 14: Judiciary Ranking: Small states	86
Legal Aid	Map 15: Legal Aid Ranking: Large and mid-sized states	110
	Map 16: Legal Aid Ranking: Small states	110
SHRC	Map 17: SHRC Ranking	130

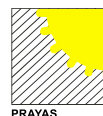
About India Justice Report 2022

The India Justice Report (IJR) 2022 remains the only comprehensive quantitative index using government's own statistics to rank the capacity of the formal justice system operating in various states. This IJR is a collaborative effort undertaken in partnership with DAKSH, Commonwealth Human Rights Initiative, Common Cause, Centre for Social Justice, Vidhi Centre for Legal Policy and TISS-Prayas. First published in 2019, the third edition of the IJR adds an assessment of the capacity of State Human Rights Commissions. It continues to track improvements and persisting deficits in each state's structural and financial capacity to deliver justice based on quantitative measurements of budgets, human resources, infrastructure, workload, and diversity across police, judiciary, prisons and legal aid for all 36 states and UTs.

Visit <https://indiajusticereport.org>
for the main report, data explorer and more.

Email ID: indiajusticereport@gmail.com

Phone No.: 9717676026 / 7837144403



Data/design
partner

How
INDIA
Lives

Supported by:



TATA TRUSTS

Frappe

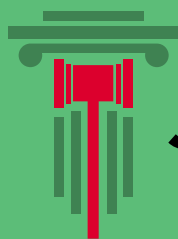
Cyrus
Guzder

Fiona & Louis
Miranda

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट



पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी
सहायता पर राज्यों की रैंकिंग



**India
Justice**
Report | 2022

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर या IJR) : पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता (Legal Aid) पर राज्यों की रैंकिंग

अप्रैल 2023 में प्रकाशित

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो राज्यों की न्याय देने की क्षमता को रैंक करती है।

मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे, बजट, कार्यभार और विविधता के फिल्टर के माध्यम से यह जनादेश को पूरा करने के लिए न्याय प्रणाली के 4 मुख्य स्तंभों की क्षमता का आकलन करता है जिसमें पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता शामिल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पांच साल की अवधि के आंकड़ों की तुलना करके, आईजेआर न्याय प्रशासन में सुधार के लिए सरकारों द्वारा साल-दर-साल किए गए प्रयासों का आकलन करता है। यह 'रूझान' विश्लेषण न्याय की पहुँच में सुधार करने और इसे जमीनी स्तर पर जरूरतों के साथ मिलाने के प्रत्येक राज्य के इरादे को समझने में मदद करता है।

अलग अलग स्रोतों के द्वारा पहले से मौजूदा डेटा को एक ही स्थान पर लाकर आईजेआर नीति निर्माताओं को एक आसान लेकिन व्यापक उपकरण प्रदान करता है। एक ओर सभी डेटा को एक ही स्थान पर रखना, समग्र नीति ढांचे को आधार बनाने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है। जबकि दूसरी ओर, बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे, कार्यभार और विविधता में डेटा का विभाजन हमें न्याय व्यवस्था में कमजोरी और विकास को चिन्हित करने में मदद करता है। इस रिपोर्ट के माध्यम हम ये भी कोशिश करते हैं कि इस व्यवस्था की कमजोर कड़ियों को पहले समझकर यदि शीघ्र ही निपट लिया जाए तो देश भर में इन क्षेत्रों में सुधारात्मक प्रतिक्रिया की श्रृंखला स्थापित हो सकती है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष सरकारों, नागरिक समाज और व्यापारिक समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण हितधारकों को वस्तुनिष्ठ डेटा (Objective Data) प्रदान करता है, जिसके आधार पर वे अपनी सिफारिशें तैयार कर सकते हैं। यह सरकारों और अलग-अलग विचारधाराओं के सक्रिय नागरिकों के बीच एक ऐसा संवाद शुरू करने की कोशिश करता है जहां भागीदारी एक दूसरे की व्यक्तिगत राय के बजाय वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित रहती है। हमारा मानना है कि इस प्रकार सर्व सहमति के माध्यम से सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। आखिरकार, न्याय हम सभी का हक है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया <https://indiajusticereport.org> पर जाएं

कवर डिज़ाइन : नियति सिंह

रिपोर्ट डिज़ाइन: हाउ इंडिया लिक्स

अनुवाद: आवाज़ पहल, यूथ की आवाज़

प्रिंटवर्ल्ड द्वारा मुद्रित

पता: 1743 उदयचंद मार्ग, प्रथम और यूजीएफ, कोटला मुबारकपुर साउथ एक्स के पास। भाग I, नई दिल्ली-110003

रिपोर्ट को ऑनलाइन देखने और वेब इंटरैक्टिव एक्सप्लोर करने के लिए इस कोड को स्कैन करें

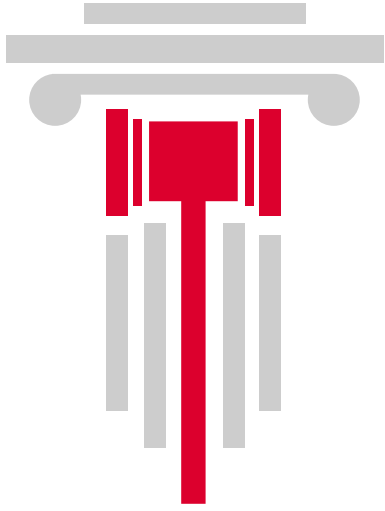


© सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, 2023

यह रिपोर्ट विभिन्न सरकारी संस्थाओं और न्यायपालिका के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। यह सत्यापित करने के लिए सभी प्रयास किए गए कि यहां प्रस्तुत जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है। टाटा ट्रस्ट और लेखक इस रिपोर्ट में आमतौर पर और/या रैंकिंग के समर्थन में उपयोग किए गए संदर्भों, सूचना, डेटा या उनके स्रोतों की शुद्धता या सटीकता के लिए किसी भी जिम्मेदारी से इनकार करते हैं।

सर्वाधिकार सुरक्षित। डिज़ाइन सहित इस रिपोर्ट के किसी भी हिस्से को नीचे दिए गए उदाहरण या अध्याय का उपयोग करके किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, फोटो कॉपी, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य सूचना भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली द्वारा पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके लिए दृष्टांत प्रारूप निम्नलिखित है :

‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता पर राज्यों की रैंकिंग (2022)’



India Justice

Report | 2022

पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी
सहायता पर राज्यों की रैंकिंग

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) 2022 विभिन्न राज्यों में संचालित औपचारिक न्याय प्रणाली की क्षमता को रैंक करने के लिए सरकार के अपने आंकड़ों का उपयोग करने वाला एकमात्र व्यापक परिमाणात्मक सूचकांक (Quantitative Index) है। यह DAKSH, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS-प्रयास के साथ साझेदारी में किया गया एक सहयोगात्मक प्रयास है।

पहली बार 2019 में प्रकाशित, आईजेआर का तीसरा संस्करण राज्य मानवाधिकार आयोगों की क्षमता का आकलन जोड़ता है। यह सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता में बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे, कार्यभार और विविधता के मात्रात्मक माप के आधार पर न्याय प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य की संरचनात्मक और वित्तीय क्षमता में सुधार और निरंतर घाटे को ट्रैक करना जारी रखता है।

संचालन समिति

- डॉ. अर्घ्य सेनगुप्ता, संस्थापक, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
- गगन सेठी, सह-संस्थापक और उपाध्यक्ष, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस
- हरीश नरसम्पा, सह-संस्थापक, दक्ष
- माया दारूवाला, मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
- वलय सिंह, प्रोजेक्ट लीड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
- वेंकटेश नायक, निदेशक, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, भारत
- प्रोफेसर विजय राघवन, टीआईएसएस-प्रयास
- विपुल मुद्गल, निदेशक, कॉमन कॉज

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टीम

- माया दारूवाला, मुख्य संपादक
- वलय सिंह, प्रोजेक्ट लीड
- डॉ. रेहाना मंजूर, वरिष्ठ शोधकर्ता
- नयनिका सिंघल, अनुसंधान सहयोगी
- लखविंदर कौर, सांख्यिकी अधिकारी

लेखक

- नूपुर, सामाजिक न्याय केंद्र
- राधिका झा, कॉमन कॉज
- वेंकटेश नायक, निदेशक, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, भारत
- देवयानी श्रीवास्तव, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
- देविका प्रसाद, स्वतंत्र शोधकर्ता
- मधुरिमा धानुका, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल
- सुगंधा माथुर, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
- संध्या आर, दक्ष
- लिआ वर्गीस, दक्ष
- स्मिता मठ, दक्ष
- प्रोफेसर विजय राघवन, टीआईएसएस-प्रयास
- अपूर्वा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
- दीपिका किन्हल, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
- वलय सिंह, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
- डॉ. रेहाना मंजूर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
- नयनिका सिंघल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

साझेदारों के बारे में

- **सेंटर फॉर सोशल जस्टिस (आइडियल)** एक संगठन है जो मुख्य रूप से न्याय तक पहुंच के क्षेत्र में हाशिये पर पड़े और कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। फ्रीरियन विचार से प्रेरित होकर, सीएसजे भारत भर के आठ से अधिक राज्यों में सक्रिय रहा है, मानवाधिकार हस्तक्षेप कर रहा है, जमीनी स्तर की वास्तविकताओं के साथ घनिष्ठ जुड़ाव के माध्यम से कानून को एक प्रमुख रणनीति के रूप में उपयोग कर रहा है। सीएसजे के प्रयासों के केंद्र में कानूनी सुधार और अनुसंधान में इसके संस्थागत हस्तक्षेप हैं, जो महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और अन्य सामाजिक रूप से कमजोर समूहों के अधिकारों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर जमीनी स्तर की सक्रियता, कानून और नीति निर्माण को जोड़ते हैं।
- **काॅमन काॅज** सार्वजनिक मुद्दों की वकालत करने, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संस्थानों की अखंडता के लिए अभियान चलाने के लिए समर्पित है। यह वकालत और लोकतांत्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से लोकतंत्र, सुशासन और सार्वजनिक नीति सुधारों को बढ़ावा देना चाहता है। काॅमन काॅज को विशेष रूप से बड़ी संख्या में जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के माध्यम से किए गए अंतर के लिए जाना जाता है, जैसे कि हाल ही में संपूर्ण दूरसंचार स्पेक्ट्रम को रद्द करने पर; मनमाने ढंग से आवंटित कोयला ब्लॉकों को रद्द करना; और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता देना।
- **राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (सीएचआरआई)** एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है जो राष्ट्रमंडल के भीतर अनुसंधान, रणनीतिक वकालत और क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव अधिकारों की व्यावहारिक प्राप्ति के लिए काम कर रहा है। सीएचआरआई न्याय तक पहुंच (पुलिस और जेल सुधार) और सूचना तक पहुंच के क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया अधिकारों और गुलामी के समकालीन रूपों के उन्मूलन को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करता है। सीएचआरआई एक राष्ट्रमंडल मान्यता प्राप्त संगठन है और इसे संयुक्त राष्ट्र ईसीओएसओसी के साथ विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त है।
- **DAKSH** एक बेंगलुरु स्थित नागरिक समाज संगठन है जो डेटा विज्ञान, सार्वजनिक नीति और संचालन अनुसंधान के चौराहे पर न्यायिक सुधारों पर काम कर रहा है। 2014 में शुरू की गई रूल ऑफ लॉ परियोजना के तहत वे भारत में जवाबदेही और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और गतिविधियां चलाते हैं।
- **TISS-प्रयास** 1990 में स्थापित सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक सामाजिक कार्य प्रदर्शन परियोजना है। प्रयास का ध्यान सेवा वितरण, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण और हिरासत के संबंध में नीति परिवर्तन पर है। सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और समूहों के संस्थागत अधिकार और पुनर्वास। उनका मिशन सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर और बहिष्कृत समुदायों, समूहों और व्यक्तियों के विशिष्ट संदर्भ में आपराधिक न्याय प्रणाली नीति और प्रक्रिया के पहलुओं की वर्तमान समझ में ज्ञान और अंतर्दृष्टि का योगदान करना है, जिनके अपराधी होने या तस्करी के संपर्क में आने का अधिक खतरा है। यौन शोषण के उद्देश्य से।
- **विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी** एक स्वतंत्र थिंक-टैंक है जो बेहतर कानून बनाने और जनता की भलाई के लिए शासन में सुधार करने के लिए कानूनी शोध कर रहा है। विधि भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ भी जुड़ती है, और प्रभावी कानूनों और नीतियों को बेहतर ढंग से सूचित करने और सहायता करने के लिए सार्वजनिक संस्थानों और नागरिक समाज के सदस्यों के भीतर अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ भी सहयोग करती है। केंद्र कानूनी सुधार के क्षेत्रों में स्वतंत्र अनुसंधान भी करता है और स्वतंत्र रूप से इसका प्रसार करता है, जिसे वह भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानता है।

प्रस्तावना

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के तीसरे संस्करण की प्रस्तावना लिखना मेरे लिए सम्मान की बात है। आईजेआर, जैसा कि ज्ञात हो चुका है, एक उत्सुकता से प्रतीक्षित मूल्यांकन है

भारतीय राज्यों की न्याय प्रदान करने की क्षमता। यह न्याय वितरण प्रणाली में सुधार के लिए प्रतिबद्ध समर्पित शोधकर्ताओं, अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा हमारे पास लाया गया है। यह सक्रिय नागरिकों, मीडिया और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उन सरकारी एजेंसियों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है जिन्हें सभी को प्रभावी ढंग से न्याय प्रदान करने की महती जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बजट, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, कार्यभार पर डेटा को विखंडित करके और प्रत्येक राज्य में प्रत्येक उप-प्रणाली में समय के साथ परिवर्तनों को मापकर और सभी को एक ही स्थान पर लाकर, आईजेआर हमें न्याय के वितरण का समग्र रूप से मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है।

हाल के दिनों में, प्रौद्योगिकी ने सार्वजनिक डोमेन में अधिक डेटा डालने में मदद की है और राज्यों के प्रदर्शन और प्रगति की रिपोर्ट की आवधिक रैंकिंग पूरी तरह से सरकार के अपने डेटा पर निर्भर करती है। यह स्व-लगाया गया प्रतिबंध रिपोर्ट को प्रामाणिकता प्रदान करता है, साथ ही यह न्याय वितरण तंत्र का दर्पण भी है। फिर भी, भले ही यह विश्लेषण के लिए वस्तुनिष्ठ आधार के रूप में डेटा के मूल्य का प्रमाण देता है, यह

अनजाने में कई खामियों को सामने लाता है जो अकेले सरकारी डेटा के आधार पर विश्लेषण को प्रभावित करते हैं।

रिपोर्ट की एक विशेषता यह है कि यह जानबूझकर प्रदर्शन के बारे में निर्णय लेने से बचती है या यहां तक कि पुरानी कमजोरियों और मरम्मत में आसान तत्वों पर दशकों से ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। यह समय श्रृंखला डेटा को - जैसे कि महिलाओं को शामिल करने की धीमी गति और समाज के पारंपरिक रूप से भेदभाव वाले वर्गों को सिस्टम के भीतर जगह खोजने की अनुमति देता है - खुद के लिए बोलने देता है। लेकिन इसकी खोज की सच्चाई मरम्मत के लिए शीघ्र कदम उठाने पर मजबूर करती है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) का यह तीसरा संस्करण ऐसे समय में आया है जब न्याय की आवश्यकता - सुलभ विवाद समाधान और समाज में समानता और समानता को बढ़ावा देने के अर्थ में - हमारे लोगों की संतुष्टि तक इसे पहुंचाने की क्षमता से आगे निकल रही है।

मैं न्याय प्रणाली में शामिल सभी एजेंसियों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे आईजेआर के निष्कर्षों और अंतर्दृष्टि पर ध्यान दें। इस तरह की रिपोर्ट सहभागी कामकाज के हमारे लोकतांत्रिक तरीकों का एक प्रमाण है और सक्रिय नागरिकों के अपने शासन में योगदान के रूप में इसका स्वागत किया जाना चाहिए।



उदय उमेश ललित

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश

[27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022]

14 फरवरी 2023

अभिस्वीकृति (एकनॉलेजमेंट)

तीसरी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सामूहिक सदस्यों और टाटा ट्रस्ट की संस्थापक टीम के बीच निरंतर और निरंतर सहयोग का परिणाम है। एक संस्थापक सदस्य के रूप में यह बहुत गर्व और खुशी की बात है कि यह समूह महामारी के कठिन दौर में भी एकजुट रहा। समूह के प्रत्येक सदस्य के दृढ़ समर्थन के बिना यह रिपोर्ट संभव नहीं होती। गगन सेठी, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, डॉ. अर्घ्य सेनगुप्ता, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, विपुल मुद्रल, कॉमन कॉज, हरीश नरसम्पा, दक्ष, डॉ. विजय राघवन, प्रयास-टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, और वेंकटेश नायक को हार्दिक धन्यवाद। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव में उनके पूर्ववर्ती संजय हजारेका। हमारे विधि सहयोगियों को, जो सबसे उदार और मददगार रहे हैं, विशेष धन्यवाद।

हमारे सहयोगी संगठनों के सहकर्मियों-राधिका झा, देवयानी श्रीवास्तव, देविका प्रसाद, मधुरिमा धानुका, सुगंधा शंकर, नूपुर, अपूर्वा, दीपिका किन्हल, संध्या पी.आर., स्मिता मट, लीह वर्गीस और बी.एस. सूर्यप्रकाश का उदार योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है।

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा इस रिपोर्ट के लिए एंकरिंग लेख लिखना सम्मान की बात है।

आईजेआर को हमारे विषय सलाहकारों- ईश कुमार (पूर्व डीजी, एनसीआरबी), जयंत चौधरी (डीजी, एनएसजी), सुश्री मीरान बोरवकर, (पूर्व डीजी, बीपीआरएंडडी), सुनील चौहान, के लंबे वर्षों के अनुभव और अंतर्दृष्टि से काफी फायदा हुआ है। एनएलएसए के पूर्व निदेशक, अविनाश राजवंशी, एन. रामचंद्रन (आईपीएफ), डॉ. विनीत कपूर, शिवा पोचा, प्रोफेसर मुरली कर्णम, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के रामनाथ झा और प्रोफेसर मधु भल्ला।

हम न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर के आभारी हैं - हर कदम पर एक निरंतर मार्गदर्शक, रिपोर्ट के एक दुर्लभ संरक्षक संत, जिनकी सलाह और ज्ञान के बिना आईजेआर बहुत खराब होता।

राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरणों से प्रतिक्रियाएं एकत्र करने और साझा करने के लिए श्री प्रदीप शर्मा (एनएलएसए) के साथ-साथ आरटीआई उत्तरों को एकत्रित करने में हमारी मदद करने के लिए संगीता मुखर्जी, सीएचआरआई को हमारा आभारी धन्यवाद।

हम अपने डेटा और डिजाइन पार्टनर हाउ इंडिया लिक्स को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट वेबसाइट निःशुल्क बनाने के लिए रुषभ मेहता, फारिस अंसारी और फ्रेपे टीम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे।

शुरुआत से ही हमारे साथी यात्रियों को हार्दिक धन्यवाद: देबासिस रे, नयनतारा दत्ता, अनिरुद्ध मेनन, साथ ही नियति सिंह, उनके रचनात्मक इनपुट और सलाह के लिए।

हमें जयंत बांठिया, आलोक प्रसन्ना कुमार, ऋषभ लालानी, स्मिता गुप्ता, निकुंज, उदिता सिंह, प्रोफेसर वेद कुमारी, प्रोफेसर जीएस बाजपेयी, अंकित कौशिक, इवनीत वालिया और गौतम मिश्रा के समर्थन और परामर्श से लाभ हुआ है।

हमारे प्रतिभाशाली प्रशिक्षु- रितिका गोयल, अनन्या गिरी उपाध्याय, निवेदिता प्रसाद, अविरल मिश्रा, स्नेहा भांभरी, कार्तिक भारद्वाज, वैष्णवी गौड़, कौशिक चन्द्रशेखर, अलेख श्रेयस राव- विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

हम अपने दानदाताओं- रोहिणी नीलेकणि फिलैंथ्रोपीज, ट्री ऑफ लाइफ फाउंडेशन, लाल फैमिली फाउंडेशन, फियोना और लुईस मिरांडा, साइरस गुजडर, स्वयं चैरिटेबल ट्रस्ट और फ्रेपे के समर्थन के लिए बेहद आभारी हैं।

अंत में, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उस कोर टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अथक परिश्रम किया और चौबीसों घंटे काम किया। हमारे वरिष्ठ सलाहकार और मुख्य संपादक, माजा दारुवाला, जो हमें गुणवत्ता और कठोरता के उच्चतम मानकों पर रखते हैं। लखविंदर कौर, हमारी आंतरिक सांख्यिकी विशेषज्ञ, जिनकी दृढ़ता और विस्तार पर नजर यह सुनिश्चित करती है कि रिपोर्ट न केवल त्रुटियों से मुक्त रहे बल्कि प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ इसमें सुधार भी हो। नयनिका सिंघल और रेहाना मंजूर को शोध की एंकरिंग और रिपोर्ट लिखने के लिए धन्यवाद।

वलर्य सिंह

प्रोजेक्ट लीड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स

अभिस्वीकृति

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का अनुवाद “आवाज़” टीम के सहयोग से किया गया है। “आवाज़” के संस्थापक, रोहित शर्मा इस परियोजना के मुख्य संयोजक थे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का अनुवाद तीन भाषाओं - हिंदी, मराठी और तमिल में किया गया है।

हम हर भाषा के समन्वयक को धन्यवाद कहना चाहते हैं:

1. **हिन्दी** - प्रवीण कुमार, फाउंडर, लॉ फाउंडेशन, पटना और उनकी पूरी टीम
2. **मराठी** - सई प्रकाश भाटे, गोवा विश्वविद्यालय
3. **तमिल** - कीर्थना एम, तमिलनाडु डा. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन लॉ, चेन्नई

हम उन इंटरनेट्स का भी आभार जताना चाहते हैं, जिन्होंने **इंडिया जस्टिस रिपोर्ट** का तीन भाषाओं में अनुवाद करने में मदद की है:

हिंदी

1. अनुपम वर्मा, एसवीकेएम प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ
2. शुभया पालीवाल, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म. प्र.)
3. काजोल नेवातिया, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी
4. सोनम कुमारी, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी

मराठी

1. रोनी रघुनाथ हेडाऊ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई
2. गरिमा, आई. आई. टी. मद्रास, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग
3. सारा उन्हेलकर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर
4. सई प्रकाश भाटे, गोवा विश्वविद्यालय

तमिल

1. एस. हेमलता, तमिलनाडु डा. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन लॉ, चेन्नई
2. सुरुति लेनिन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास
3. एम. देवेंद्रन, लॉयड लॉ कॉलेज
4. निरंजनी एस, चेन्नई डॉ. अम्बेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, पुडुपक्कम
5. रेवती कुमार, एसआरएमआईएसटी स्कूल ऑफ लॉ, कट्टनकुलथुर, तमिलनाडु

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को मराठी और तमिल में प्राप्त करने के लिए IJR की टीम से ई-मेल आईडी- indiajusticereport@gmail.com पर संपर्क करें।

संक्षिप्तिकरण (एब्रीविएशंस)

एडीडीएल. डीजीपी	एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस	एमपीएफ	मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस स्कीम
एडीडीएल. एसपी	एडिशनल सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस	एमएसएमई	मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल, एंड मीडियम एंटरप्राइजेज
एएफएसपीए	आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट	नालसा	नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी
एआईजीपी	असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस	एनसीआरबी	नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो
एआईएमओ	ऑल इण्डिया मैनुफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन	एनजेडीजी	नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रीड
एसएसआइ	असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस	एनपीसी	नेशनल पुलिस कमीशन
एसपी	असिस्टेंट सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस	एनआरसी	नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन
ए एंड एन आईलैंड्स	अंडमान एंड निकोबार आइलैंड	ओबीसी	अदर बैकवर्ड क्लासेज
बीपीआर एंड डी	ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट	पीएचआरए 1993	प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट
ब्रिक्स	ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, एंड साउथ अफ्रीका	पीएलए	परमानेंट लोक अदालत
सीएजी	कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया	पीएलवी	पेरालीगल वॉलंटियर
सीसीआर	केस क्लीयरेंस रेट	पीपी	पर्सेंटिज पॉइंट्स
सीसीटीएनएस	क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स	पीएसआई	प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया
सीसीटीवी कैमरा	क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा	आरटीआई	राइट टू इन्फॉर्मेशन
सीआरपीसी	कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर	एससी	शेड्यूल्ड कास्ट
डीजीपी	डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस	एचएचआरसी	स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन
डीआईजी	डेप्युटी इंस्पेक्टर जनरल	एसआई	सब इंस्पेक्टर
डीएलएसए	डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑथोरिटी	एसएलएसए	स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी
डीएनएच एंड डीडी	दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दियू	एसपी	सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस
डीवाई. एसपी	डेप्युटी सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस	एसपीएल. डीजीपी	स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस
एफवाई	फाइनेंशियल ईयर	एसएसपी	सीनियर सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस
एचपीसी	हाई पावर्ड कमिटी	एसटी	शेड्यूल्ड ट्राइब
आईजीपी	इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस	यूएनओडीसी	यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम
आईएलओ	इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन	यूटी	यूनियन टेरिटरी
एलएसआई	लीगल सर्विसेज इंस्टिट्यूशन	यूटीपी	अंडर ट्रायल प्रिजनर्स
एमएचए	मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स	यूटीआरसी	अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी

राष्ट्रीय निष्कर्ष

सर्वाधिकार (कॉपीराइट) और उद्धरण (साइटेशन)	ii
शीर्षक पृष्ठ	iii
रिपोर्ट और टीम के सदस्यों के बारे में	iv
साझेदारों के बारे में	v
पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित द्वारा प्रस्तावना	vi
अभिस्वीकृति (एक्नोलेजमेंट)	vii
संक्षिप्तिकरण (एब्रीविएशंस)	ix
विश्व में भारत	1
राष्ट्रीय कमियां	2
माया दारुवाला द्वारा परिचय	4

कुल रैंकिंग	10
न्याय के 4 स्तंभों में प्रत्येक श्रेणीबद्ध राज्य	11
आईजेआर 2020 और आईजेआर 2022 के बीच सुधारकाई	12
आईजेआर 2019, आईजेआर 2020, आईजेआर 2022 में प्रदर्शन	13
रैंकिंग विविधता	14
स्तंभों में महिलाओं का हिस्सा	15
महिला पुलिस कर्मियों में हिस्सा 33% तक पहुंचने में कितना समय लगेगा	16
पुलिस में 'अन्य' की रोचक स्थिति	17
मानव संसाधन की रैंकिंग	18
न्यायधीश और जनसंख्या अनुपात	19
स्तंभों में रिक्तियां	20
रैंकिंग का इरादा	22
न्याय प्रणाली के बजट	23
राज्य का कानूनी सहायता का बजट में हिस्सा	24
राज्य में भीड़भाड़ वाली जेलों का हिस्सा	25
अधीनस्थ अदालतों में 5 साल से अधिक समय से लम्बित मामले	26
उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले	27

पुलिस

पुलिस रैंकिंग	32
उम्मीदें बढ़ाना	33
पुलिस : अक्षमता, एक सतत चुनौती	34
पुलिस में एससी, एसटी, ओबीसी रिक्तियां	38
महिला पुलिसकर्मी: संख्या बढ़ रही है लेकिन अभी भी बहुत कम है	40
भारत: पुलिस प्रशिक्षण बजट (2020-21)	43
पुलिस की उपस्थिति: ग्रामीण शहरी विभाजन	44
संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर, और रैंक	48
राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति	54
पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी	58

जेल

जेलों की रैंकिंग	62
उम्मीदें बढ़ाना	63
निराशाजनक परिस्थितियों से उबरने की सीमा तक	64
भारतीय जेलों में अधिभोग दर	66

जेल

जेलों में अत्यधिक भीड़	67
हिरासत अवधि के अनुसार विचाराधीन कैदी	68
कैदियों की शिक्षक प्रोफाइल और प्रदान की जाने वाली सुविधाएं	70
मानकों को पूरा करना	71
पिछले दशक में जेल बजट उपयोग की राष्ट्रीय प्रवृत्ति राशि	74
प्रति कैदी दैनिक व्यय	76
कर्नाटक में जेलों का सुधार	77
संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर, और रैंक	78

न्यायपालिका

न्यायपालिका की रैंकिंग	86
उम्मीदें बढ़ाना	87
न्यायपालिका : संख्याओं को आंकना	88
न्यायाधीशों की रिक्ति एवं केस क्लीयरेंस दर	90
न्यायाधीश की दुविधा	91
अधीनस्थ न्यायालय में एससी, एसटी, और ओबीसी न्यायाधीशों की रिक्ति	93
महिला न्यायाधीश	94
प्रति न्यायाधीश लम्बित मामले	97
केस क्लीयरेंस दर	99
ग्राम न्यायालय: एक अवास्तविक दृष्टिकोण	100
संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर, और रैंक	102

कानूनी सहायता

कानूनी सहायता रैंकिंग	110
उम्मीदें बढ़ाना	111
निशुल्क कानूनी सहायता: सभी के लिए न्याय एक दूर के सपने समान	112
पेरालीगल वॉलंटियर्स: संख्याओं का मानचित्रण	114
बजट का उपयोग	116
एक कानूनी सहायता क्लीनिक पर कितने प्रति गांव	118
लोक अदालतों का प्रदर्शन	120
पीड़ित मुआवजा	122
अनावश्यक पूर्व न्यायिक निर्वासन	123
विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियों का प्रदर्शन	124
संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर, और रैंक	125

राज्य मानव अधिकार आयोग (एचएचआरसी)

एसएचआरसी रैंकिंग	130
संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर, और रैंक	131
एचएचआरसी: क्षमता की कमी से जूझ रहे हैं	132
आयोगों में रिक्तियां	134
तीन वर्षों में एसएचआरसी द्वारा प्राप्त और निपटाए गए मामले	136
राज्य मानवाधिकार आयोगों की वेबसाइटों की स्थिति	138

आइजेआर 2022 के लिए आंकड़ों का संग्रह के लिए आरटीआई का उपयोग करने का अनुभव : एक टिप्पणी	142
आंकड़ों में चुनौतियां	147
कार्यप्रणाली	150
सुझाव	155
शब्दावली (ग्लोसरी)	156
संदर्भ (रेफरेंस)	166
तालिकाओं, मानचित्रों और आंकड़ों की सूची	168

विश्व में भारत (India in the world)

■ आईजेआर 2 ■ आईजेआर 3

कानून का नियम
सूचकांक, 2022

समग्र रैंक

आदेश और सुरक्षा

सिविल न्याय

आपराधिक न्याय

वैश्विक शांति

सूचकांक, 2022

मानव विकास

सूचकांक, 2021-22

वैश्विक लिंग अंतर
रिपोर्ट, 2022

लोकतंत्र सूचकांक,
2022

सतत विकास लक्ष्य
रिपोर्ट, 2022

विश्व प्रेस स्वतंत्रता,
2022

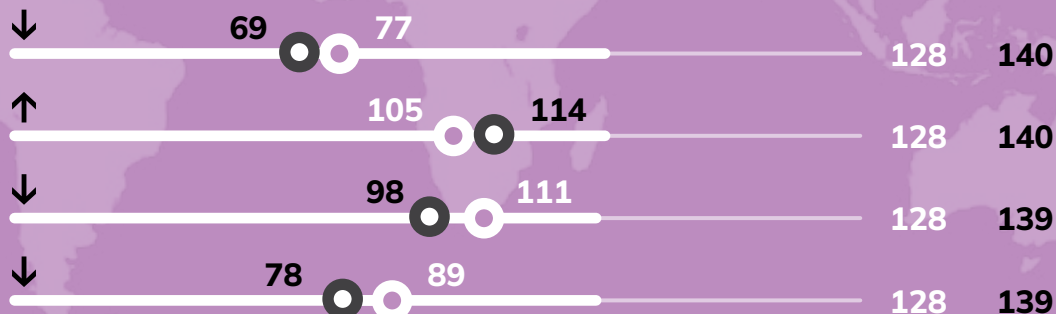
एसडीजी लिंग
सूचकांक, 2022

भारत की रैंकिंग

कुल देश

आईजेआर 2

आईजेआर 3



सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कमी



पुलिस

एससी/एसटी/ओबीसी

हर राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य कोटा है। पुलिस में **केवल कर्नाटक** ही इन आरक्षणों को पूरा कर पाया है।

महिलाये

एक भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस में महिलाओं के लिए **अपने स्वयं के आरक्षित कोटे को पूरा नहीं** करता है।

ग्रामीण-शहरी विभाजन

19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में **शहरी पुलिस स्टेशन अपने ग्रामीण समकक्षों की तुलना में अधिक आबादी की सेवा करते हैं।**

केरल के शहरी पुलिस स्टेशन ग्रामीण की तुलना में दस गुना और गुजरात के चार गुना आबादी की सेवा करते हैं।



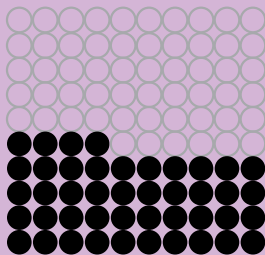
राज्य
मानवाधिकार
आयोग

मार्च 2021 में सभी 25 राज्य मानवाधिकार आयोगों में लंबित मामलों की कुल संख्या

33,312

25 राज्य मानवाधिकार आयोगों में राष्ट्रीय औसत रक्ति

44%



सीसीटीवी कैमरे

सीसीटीवी लगाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन

केवल अरुणाचल प्रदेश के सभी 24 पुलिस स्टेशनों के सभी 14 स्थानों (जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित है) में सीसीटीवी कैमरे होने की सूचना है। केवल 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, त्रिपुरा, कर्नाटक, दिल्ली, गोवा) ने नाइट विजन से सज्जित सीसीटीवी होने की सूचना दी।

सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कमी



न्यायपालिका

न्यायाधीश रक्ति

सिक्किम के उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ में जिला अदालतों को छोड़कर **कोई भी न्यायालय पूर्ण न्यायाधीशों के साथ काम नहीं करती है।**

एससी/एसटी/ओबीसी

जिला न्यायालय स्तर पर कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सका। उच्च न्यायालयों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के न्यायाधीशों पर डेटा उपलब्ध नहीं है।

प्रकरण निपटान दर

18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, **केवल केरल और पंजाब उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय दोनों स्तरों पर 100 प्रतिशत और उससे अधिक की प्रकरण निपटान दर प्राप्त कर सके।**



कानूनी सहायता

9,417

कानूनी सेवा क्लिनिकों की संख्या
14,159 (2020) से घटकर 4,742 (2022) हो गई है।

₹7,322 करोड़

2021-2022 के बीच राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा कुल बंदोबस्त राशि



कारागार



32 राज्य जहां **विचाराधीन कैदियों** की हिस्सेदारी 60% से अधिक है



24 2021 के दौरान 5% से कम कैदियों को **शिक्षा प्रदान करने वाले** राज्य/केंद्र शासित प्रदेश



5 जिन राज्यों ने 2021 में **कैदियों को कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया**

परिचय

प्रत्येक प्रणाली को पूरी तरह से परिणाम प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

डब्ल्यू. एडवर्ड्स डेमिंग

2022 की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सभी को न्याय देने के लिए अपने प्रमुख न्याय वितरण तंत्र-न्यायपालिका, पुलिस, जेल (जिसे कारागार भी कहते हैं) और कानूनी सहायता-को सक्षम बनाने में प्रत्येक राज्य की प्रगति का आकलन और श्रेणीकरण करना जारी रखती है। रिपोर्ट में एक नया खंड राज्य मानवाधिकार आयोगों की क्षमता को मापता है, जो न्याय तक पहुँचने का एक विशेष साधन है और 25 राज्यों में मौजूद है। हर दिन हजारों लोग उन तक पहुँचते हैं। वे अपने जनादेश को पूरा करने के लिए कितने सुसज्जित हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट 17 नए संकेतकों को जोड़ने के साथ अपने 4 स्तंभ मूल्यांकन को भी गहरा करती है¹।

यह तीसरा संस्करण 24 महीनों के बाद आया है जिसमें पूरी न्याय प्रणाली को कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन द्वारा बनाई गई असाधारण और अभूतपूर्व परिस्थितियों से जूझना पड़ा है। महामारी और लॉकडाउन ने मिलकर गंभीर व्यवधान पैदा किए जहाँ न्याय की पहुँच और वितरण दोनों को नुकसान हुआ।

प्रत्येक भूगोल (Every Geography) में प्रत्येक उप-प्रणाली ने इस अप्रत्याशित समय में पुरानी दुर्बलताओं के साथ प्रवेश किया: लंबे समय से कम धन, मानव संसाधन और बुनियादी ढाँचे की कमी, और काम का बोझ जो सार्वजनिक सेवा के उचित मानकों को पूरा करने की चुनौती का प्रमाण है।

फिर भी, प्रतिकूलता, खराब स्वास्थ्य, पारिवारिक चिंताओं और मौतों के इस पैमाने से निपटने में अपने स्वयं के अनुभव की कमी के बावजूद, एक बहुत ही कमजोर बल ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस अवधि के दौरान, 23.5 करोड़ मामलों की सुनवाई ऑनलाइन की गई।²

भीड़भाड़ कम करने के प्रयासों से अधिकांश राज्यों में जेलों में कैदियों की संख्या कम हो सकती है।³ एक लड़खड़ाती शुरुआत के बावजूद, पुलिस कर्मियों ने अपनी सहायता के लिए सार्वजनिक प्रशंसा प्राप्त की और कानूनी सहायता अधिकारियों ने हजारों लोगों को मानवीय

सहायता प्रदान करने के लिए अपने पारंपरिक जनादेश से परे चले गए।

रैंकिंग

इस असाधारण समय से बाहर निकलते हुए, कई राज्यों ने रैंक में नाटकीय बदलाव देखे हैं। कुछ अच्छे के लिए और कुछ बुरे के लिए। कर्नाटक, 2020 में 14वें स्थान पर, तेरह स्थानों की छलांग लगाकर शीर्ष पर पहुँच गया। मध्य प्रदेश 16वें से 8वें और आंध्र प्रदेश 12वें से 5वें स्थान पर रहा। छोटे राज्यों में सिक्किम दूसरे से पहले और अरुणाचल प्रदेश पाँचवें से दूसरे स्थान पर आ गया है।

इसके विपरीत, महाराष्ट्र आई. जे. आर. 2019 और आई. जे. आर. 2020 दोनों में शीर्ष स्थान से 11वें स्थान पर पहुँचकर हार गया। पंजाब आठ पायदान नीचे गिरकर चौथे से 12वें स्थान पर आ गया है। छोटे राज्यों में राजस्थान पाँच स्थान गिरकर 15वें और गोवा तीसरे स्थान से गिरकर अंतिम स्थान पर आ गया है। तमिलनाडु और तेलंगाना ने बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में दूसरा और तीसरा स्थान बनाए रखा, जबकि उत्तर प्रदेश लगातार तीसरी बार तालिका में सबसे नीचे रहा।

स्थान परिवर्तन की एक बारीकी से जाँच एक बार फिर दर्शाती है कि छोटे लेकिन लगातार सुधार भी काफी नाटकीय वृद्धि का कारण बन सकते हैं। एक संकेतक में सुधार, जैसे कि एक रक्ति को भरना या एक प्रणाली में अधिक विविधता का निर्माण करना, अन्य संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और समग्र रूप से समग्र रैंकिंग को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जेल स्तंभ में गुजरात का उदय रक्तियों को कम करने और जाति और लिंग विविधता में सुधार के प्रयासों के कारण है। इससे काम का बोझ कम हुआ और आवंटित बजट के उपयोग में वृद्धि हुई, इन सभी ने राज्य के रैंक में वृद्धि में योगदान दिया।

हालाँकि, नीचे की ओर बदलाव आवश्यक रूप से राज्य में गिरावट के कारण नहीं हैं, लेकिन ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अन्य राज्यों में सुधार हुआ है और स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष स्थानांतरित हो गई है। समान रूप से, एक सकारात्मक रैंक बनाए रखने का कभी-कभी न केवल एक राज्य के अपने सुधारों से बल्कि अन्य राज्यों में क्षमता सुधार की धीमी गति से भी लेना पड़ता है।

कुल मिलाकर, 1 से 10 के पैमाने पर, बोर्ड भर में अंकों में सुधार हुआ। आई. जे. आर. 2020 में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला राज्य

1 अधिक जानकारी के लिए कार्यप्रणाली पर निबंध देखें।

2 समाचार पत्र, ई-समिति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दिसंबर 2020 और नवंबर 2021:

3 राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, महामारी का जवाब देना: जेल और भीड़भाड़, (राज्यों के भीड़भाड़ कम करने के प्रयास), 2020। <https://humanrightsinitiative.org/download/Responding%20to%20the%20Pandemic%20Prisons%20&%20Overcrowding%20Vol%201.pdf> पर उपलब्ध है।

महाराष्ट्र 5,77 अंक के साथ आया, जबकि आई. जे. आर. 2022 में तालिका में शीर्ष पर रहने वाले कर्नाटक ने 6,38 अंक प्राप्त किए हैं। यहां तक कि सबसे खराब स्कोर करने वालों ने भी 3.15 से 3.78 तक सुधार दिखाया।

फिर भी, दशकों से जारी अव्यवस्था समय पर न्याय देने में न्याय वितरण प्रणाली की असमर्थता को तेज कर रही है-जिसमें सबसे अधिक नुकसान न्याय उपयोगकर्ता पर पड़ रहा है।

बजट

पुलिस और न्यायपालिका पर राज्यों के खर्च ने राज्य के समग्र खर्च के साथ तालमेल बनाए रखा है। जेल, पड़ोस का गरीब बच्चा, जिसने पहले आवंटन में गिरावट देखी थी, ने 2020 और 2021 के बीच धन में सुधार देखा। कानूनी सहायता में भी हाल ही में केंद्र और राज्य के खजाने से निवेश में वृद्धि देखी गई है।

यदि धन की कमी है, तो जो उपलब्ध है उसे अक्सर कम उपयोग में छोड़ दिया जाता है। 2020-2021 में केंद्र के आधुनिकीकरण अनुदान का केवल 47 प्रतिशत उपयोग किया जा सका। अक्सर प्रक्रिया, शर्त, समय, योजना में अति-केंद्रीकरण और आवश्यकता और अनुदान के बीच बेमेल होने के कारण यह सुनिश्चित होता है कि जो कुछ भी है, उसे तर्कसंगत रूप से खर्च या पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय आवंटन के संदर्भ में कम उपयोग को देखते हुए कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभागीय स्थायी समिति की 123वीं रिपोर्ट में बाधाओं की पहचान करने और उन उपायों को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है जिनकी लंबे समय से "उन प्रणालियों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है जो उनकी उपयोगिता को खत्म कर चुके हैं।"⁴ केरल में प्रचलित स्थानीय स्वशासन के स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना इनमें से कुछ मुद्दों से निपटने के लिए एक उपयोगी उदाहरण के रूप में काम कर सकती है।⁵

मानव संसाधन

रक्तियों न्याय प्रणाली के सभी क्षेत्रों को परेशान कर रही हैं और लक्षांश में जेल कर्मचारियों की तरह 83 प्रतिशत तक पहुंच सकती हैं। उच्च न्यायालय और जिला दोनों न्यायालयों में पूर्ण न्यायाधीशों के साथ काम करने का लाभ किसी भी क्षेत्राधिकार को नहीं मिलता है। न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या अब प्रति दस लाख (दस लाख) आबादी पर 15 है।⁶

"स्वीकृत संख्या" और वास्तविक कर्मियों की उपलब्धता के बीच की

खाई एक बारहमासी समस्या बनी हुई है। हालांकि स्वीकृत बल को हर साल जमीनी जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए फिर से समायोजित किया जाना चाहिए, लेकिन यह साल-दर-साल बहुत कम बदलता है और अक्सर वास्तविकता से पीछे रहता है। उदाहरण के लिए, हालांकि जनवरी 2021 और जनवरी 2022 के बीच स्वीकृत पुलिस बल 26.3 लाख से बढ़कर 26.9 लाख हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पर 20.9 लाख कर्मी थे।⁷

बिना संबोधित किए, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुरानी कमी खतरनाक रूप से तीव्र हो जाती है और आदर्श से बहुत दूर हो जाती है। 2020 और 2021 के बीच जेल डॉक्टरों की वास्तविक संख्या में भारी गिरावट आई, जिससे रक्तियों को 300 कैदियों के बेंचमार्क के बजाय लगभग 50 प्रतिशत या 842 कैदियों के लिए एक डॉक्टर तक ले जाया गया। इन रक्तियों को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आँकड़े यह इंगित नहीं करते हैं कि क्या चिकित्सा अधिकारी स्थायी, निवासी, पूर्णकालिक या केवल एक जेल के लिए अनन्य हैं, या क्या वे केवल अनुबंध पर उपलब्ध हैं या आवधिक या अंशकालिक आधार पर उपलब्ध हैं, या केवल बुलाए जाने पर उपस्थिति में हैं।

बिना संबोधित किए, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुरानी कमी खतरनाक रूप से तीव्र हो जाती है और आदर्श से बहुत दूर हो जाती है। 2020 और 2021 के बीच जेल डॉक्टरों की वास्तविक संख्या में भारी गिरावट आई, जिससे रक्तियों को 300 कैदियों के बेंचमार्क के बजाय लगभग 50 प्रतिशत या 842 कैदियों के लिए एक डॉक्टर तक ले जाया गया। इन रक्तियों को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आँकड़े यह इंगित नहीं करते हैं कि क्या चिकित्सा अधिकारी स्थायी, निवासी, पूर्णकालिक या केवल एक जेल के लिए अनन्य हैं, या क्या वे केवल अनुबंध पर उपलब्ध हैं या आवधिक या अंशकालिक आधार पर उपलब्ध हैं, या केवल बुलाए जाने पर उपस्थिति में हैं।

रक्तियों को भरने के प्रयास मिश्रित हैं। डी. एल. एस. ए. ने सचिव रक्तियों को भरने में काफी प्रगति की और बिहार जैसे कुछ ने जेल अधिकारियों की रक्तियों को 66 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया। लेकिन पंजाब जैसे अन्य राज्यों में, जहां 2019 में स्वीकृत की तुलना में अधिक चिकित्सा कर्मचारी थे, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में रक्तियों को बढ़ाकर 37 प्रतिशत कर दिया गया।

4 कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट। यहाँ उपलब्ध है: https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/रिपोर्ट/फाइल/18/171/123_2022_12.पी.डी.एफ.,पृष्ठ15,पैरा24

5 'पुलिस के लिए बजट', लाइव मिंट, 11 अप्रैल 2017। यहाँ उपलब्ध है: <https://www.livemint.com/Opinion/DR8kPY8VKUDyMkR2OHUfM/Budgeting-for-the-police.html>

6 न्यायपालिका पर निबंध का संदर्भ लें।

7 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, पुलिस संगठन पर डेटा, 2021 और 2022।

विविधता

राज्य के प्रयासों के सभी क्षेत्रों में विविधता और प्रतिनिधित्व हमारे बहुलवादी लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है। विशेष रूप से न्याय क्षेत्र का इस सिद्धांत को प्रदर्शित करने का नैतिक कर्तव्य है।

उपलब्ध आँकड़े इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्धता के स्तर को इंगित करते हैं। परंपरागत रूप से, आंकड़े केवल जाति और लिंग विविधताओं को ध्यान में रखते हैं। सक्रिय नागरिकों द्वारा वर्षों की वकालत में विकलांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की एक स्वागत योग्य गणना देखी गई है। लेकिन विविधता सूची अभी भी धार्मिक, भाषा या क्षेत्रीय विविधताओं की गणना को छोड़ती है। आधिकारिक आँकड़े पदानुक्रम के सभी स्तरों पर विश्लेषण करने के बजाय निचले स्तरों पर जाति और लिंग का अधिक आसानी से आकलन करने तक ही सीमित रहते हैं।

प्रत्येक राज्य के अपने मानक और वास्तविकताएँ होती हैं-आई. जे. आर. जो डेटा अनुमति देता है उसे पकड़ता है। चाहे वह जाति हो या लिंग, हर जगह समावेश में कमी है और मरम्मत की गति हिमनदीय बनी हुई है। दशकों की गरमागरम बहस के बावजूद, जबकि अलग-अलग राज्य एक या दूसरी श्रेणी को पूरा कर सकते हैं, कोई भी राज्य सभी उप-प्रणालियों में तीनों कोटा को पूरा नहीं करता है। न ही महिलाएँ कहीं भी समानता के करीब हैं। जनवरी 2007 से जनवरी 2022 तक पुलिस में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी को 3.3 प्रतिशत⁸ से बढ़कर 11.8 प्रतिशत होने में पंद्रह साल लग गए हैं।

जाति और लिंग दोनों कांच की छत के खिलाफ आए। उदाहरण के लिए, अधीनस्थ न्यायालयों में 35 प्रतिशत महिलाएँ हैं जबकि उच्च न्यायालयों में केवल 13 प्रतिशत हैं। इसी तरह, अधिकारी स्तर पर पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है, जबकि सिपाही स्तर पर यह 12 प्रतिशत है। अधिकारी स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पुलिस की हिस्सेदारी क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 27 प्रतिशत है, जो कांस्टेबुलरी के भीतर 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 32 प्रतिशत से बहुत कम है।

जाति और लिंग दोनों कांच की छत के खिलाफ आए। उदाहरण के लिए, अधीनस्थ न्यायालयों में 35 प्रतिशत महिलाएँ हैं जबकि उच्च न्यायालयों में केवल 13 प्रतिशत हैं। इसी तरह, अधिकारी स्तर पर पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है, जबकि सिपाही स्तर पर यह 12 प्रतिशत है। अधिकारी स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पुलिस की हिस्सेदारी क्रमशः 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 27 प्रतिशत है, जो कांस्टेबुलरी के भीतर 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 32 प्रतिशत से बहुत कम है।

प्रतिनिधित्व और समानता के सिद्धांतों से दूरी का सबसे अच्छा उदाहरण शायद राज्यों के मानवाधिकार आयोगों की संरचना से मिलता है। पूरे एस. एच. आर. सी. समूह में महिलाएँ केवल 17 प्रतिशत हैं। 25 आयोगों में से केवल 3 में एक-एक महिला सदस्य है। बाकियों के पास कोई नहीं है।

बुनियादी ढांचा

पिछले दशक में और यहां तक कि रिपोर्टों के बीच भी, न्याय वितरण का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे में धीरे-धीरे लेकिन लगातार सुधार हुआ है, विशेष रूप से न्यायपालिका और पुलिस के लिए और शायद पहले-उत्तरदाता स्तर की तुलना में उच्च स्तर पर। भले ही स्थानीय कमी बनी हुई है⁹, वर्तमान में देश भर में न्यायाधीशों के लिए पर्याप्त अदालत कक्ष हैं। इस दशक में देश भर में लगभग एक चौथाई और पुलिस स्टेशन जोड़े गए हैं, हालांकि औसतन 1 187 वर्ग किलोमीटर के कवरेज के साथ 78,000 से अधिक लोगों की सेवा करता है। सभी पुलिस थानों में से 72 प्रतिशत में अब महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क हैं।

जेल का बुनियादी ढांचा हालांकि पूरी तरह से अपर्याप्त है। 1, 314 जेलों में से 391 में 50 प्रतिशत से अधिक भीड़ है। अनिवार्य शैक्षिक सुधार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास में सहायता के लिए सुविधाएं प्राथमिक बनी हुई हैं। महामारी के दौरान तेजी से भीड़भाड़ कम करने के प्रयासों के एक छोटे अंतराल के बाद, जेलों को फिर से भरने की अनुमति दी गई है-ज्यादातर विचाराधीन कैदियों के साथ।

भौतिक बुनियादी ढांचे और कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी, संपर्क, कम्प्यूटरीकरण, डिजिटलीकरण के माध्यम से न्याय प्राप्त करने और प्रदान करने के तरीकों पर दृढ़ता से भरोसा किया जा रहा है और इन प्रयासों ने पहले की तरह गति प्राप्त की है। ई-भुगतान और ई-सेवा केंद्रों सहित विभिन्न नागरिक केंद्रित पोर्टलों के माध्यम से सूचना और सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच में भी लगातार वृद्धि हो रही है।

अदालतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं, इलेक्ट्रॉनिक समन और राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एन. एस. टी. ई. पी.) जैसे ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से नई तकनीकों को अपनाया है। अधिक जेलों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं में वृद्धि की है और परमवीर फैसले के बाद, पुलिस थानों के अंदर गतिविधियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी सामने आ रहे हैं।

8 जनवरी 2007 के आंकड़ों में आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल नहीं हैं। चूंकि वास्तविक पुलिस कर्मियों का डेटा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान नहीं किया गया था।

9 न्यायपालिका पर निबंध का संदर्भ ले।

उद्देश्य, सुरक्षा, निजीकरण, स्थानीयकरण, एकीकरण, अप-स्किलिंग, पुराने वातावरण, प्रारूपों और रूपों के तर्कसंगतकरण, प्रतिरोध और परिवर्तनों की स्वीकृति के मुद्दे बने हुए हैं। कम से कम पहुंच का सवाल नहीं है-क्या प्रौद्योगिकी न्याय की उपलब्धता के अंतर को बढ़ाएगी या विशेषाधिकार और बहिष्करण के अधिक अंतःक्षेत्र बनाएगी।

निष्कर्ष में

उप-प्रणालियों के पांच साल के आकलन ने रुझानों और प्रतिमानों को आगे बढ़ाया है। बहुत अधिक, जैसे रक्तियां और अदालती मामलों का संचय, लगातार नीचे की ओर इशारा करते हैं, लेकिन अन्य जैसे बेहतर मामले निकासी दर और लिंग अनुपात और प्रतिक्रिया में धीमी लेकिन निरंतर सुधार, सभी बाधाओं के खिलाफ सुधार के लिए संकेत निर्धारण। कुल मिलाकर, वित्तपोषण में मामूली वृद्धि हुई है। कानूनी सहायता में महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश और प्रयोग जरूरतमंदों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व में वृद्धि का वादा करते हैं।

महामारी के दौरान, न्याय वितरण प्रणाली के सामने चुनौती एक अभूतपूर्व स्थिति के माध्यम से काम करने के तरीके खोजना और नवीन प्रतिक्रियाओं को विकसित करना था, भले ही हर उप-प्रणाली जबरदस्त दबाव में थी। महामारी के बाद, यह चुनौती बढ़े हुए रूप में जारी है।

महामारी के दौरान, न्याय वितरण प्रणाली के सामने चुनौती एक अभूतपूर्व स्थिति के माध्यम से काम करने के तरीके खोजना और नवीन प्रतिक्रियाओं को विकसित करना था, भले ही हर उप-प्रणाली जबरदस्त दबाव में थी। महामारी के बाद, यह चुनौती बढ़े हुए रूप में जारी है।

भीड़भाड़ 120 प्रतिशत से बढ़कर 130 प्रतिशत हो गई। 77 प्रतिशत पर, पहले से कहीं अधिक विचाराधीन कैदी कैदी आबादी बनाते हैं-औसतन पहले से कहीं अधिक समय जेल में बिताते हैं। कानूनी सहायता संस्थान,

सर्वोत्तम प्रयासों के साथ भी, अपने संभावित ग्राहकों के केवल एक अंश तक ही पहुँच सके। लगभग 5 करोड़ (5 मिलियन) कुल लंबित मामलों के आंखों में पानी लाने वाले आंकड़े के नीचे निराशाजनक स्थिति है जो समाधान तक पहुंचने में लगने वाले समय की लगातार बढ़ती अवधि को दर्ज करती है।

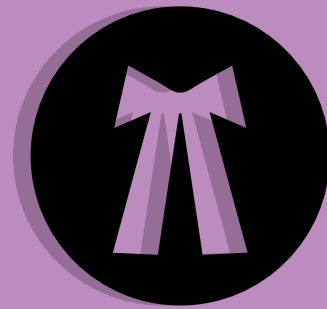
स्पष्ट रूप से संकट की यह स्थिति, जहां अधिकारियों से असंभव स्तरों पर काम करने की उम्मीद की जाती है और जिससे न्याय चाहने वालों को बहुत कम उम्मीद होती है, तत्काल मरम्मत के लिए चिल्लाती है।

अपनी तुलनाओं और प्रवृत्ति विश्लेषणों के साथ रिपोर्ट का उद्देश्य उन लोगों से आग्रह करना है जो टिलर पर अपना हाथ रखते हैं कि वे तत्काल मरम्मत के लिए इसके निर्देशों को समझें, प्राथमिकताएं निर्धारित करें, रणनीतिक पुनर्निवेश और संसाधनों की पुनः तैनाती की संभावना की जांच करें, और तेजी से और सस्ते में न्याय देने में अपने स्वयं के प्रयासों का आकलन करें, विशेष रूप से सबसे दूरदराज और कमजोर समुदायों में। हर महीने की देरी समाधान को कठिन बनाती है।

सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 16 के तहत अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में, भारत "शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करने और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों के निर्माण" के लिए प्रतिबद्ध है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में लोकतंत्र का पालन करने का वादा इस आश्वासन पर आधारित है कि गुणवत्तापूर्ण न्याय-निष्पक्ष और सुलभ-हर किसी के लिए प्रदान किया जाएगा। बर्बाद करने के लिए बहुत कम समय है।

माया दारुवाला

संपादक और संयोजक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट



राष्ट्रीय निष्कर्ष

कुल रैंकिंग (Overall Ranking)

रंग गाइड

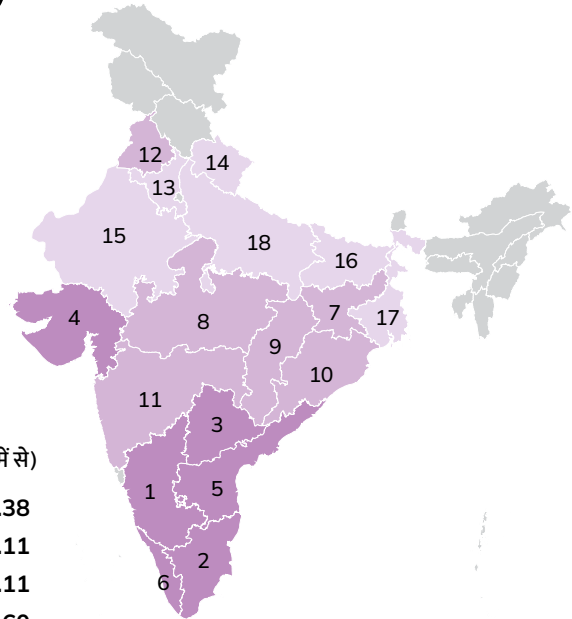
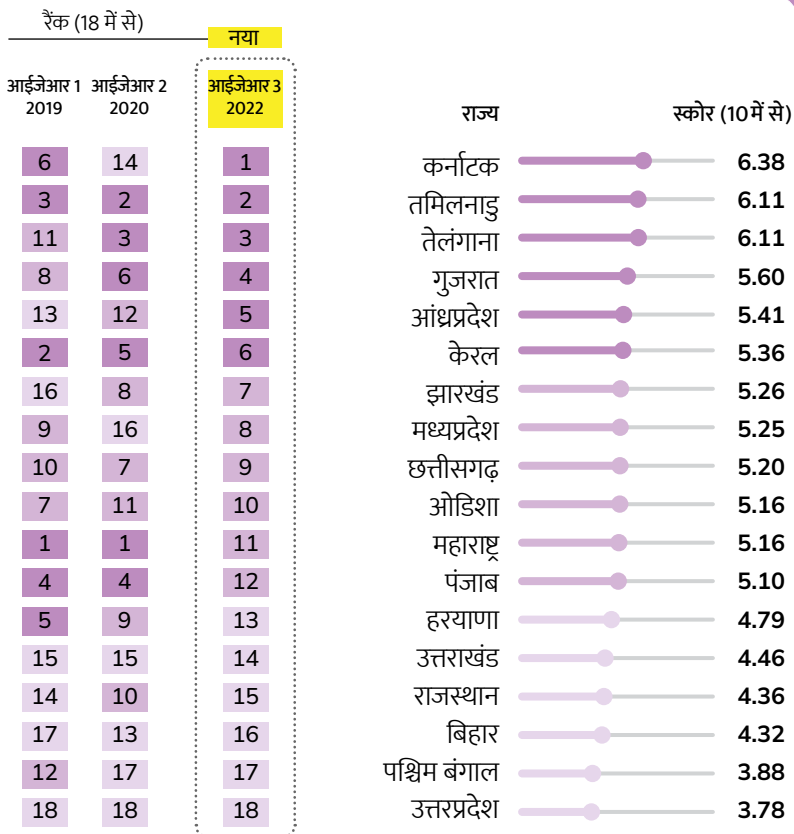
■ श्रेष्ठ ■ मध्य ■ खराब
संकेतक
(IJR 3)

102

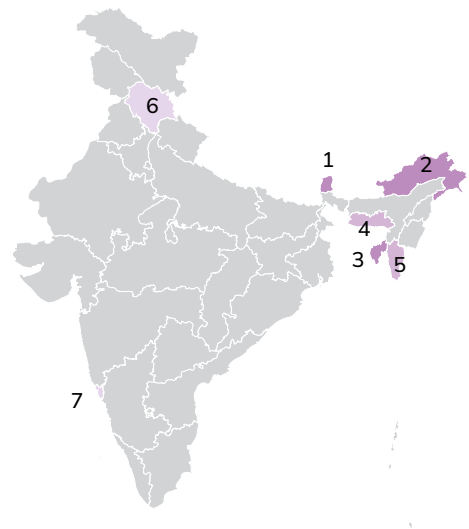
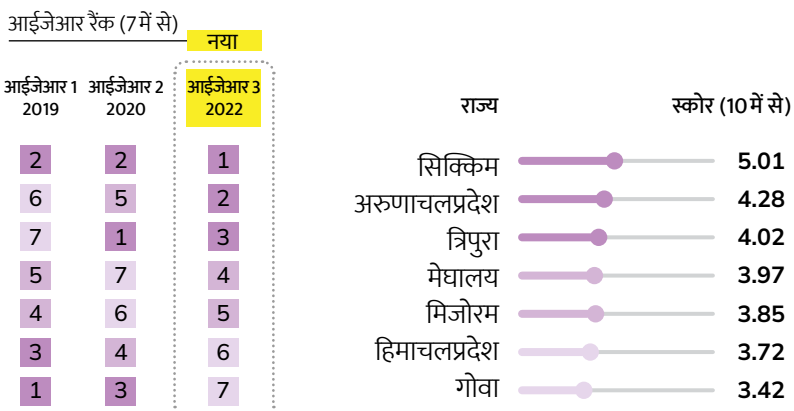
समूह (क्लस्टर)

- I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य
(जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर)
- II. 7 छोटे आकार के राज्य
(जनसंख्या 1 करोड़ तक)

मानचित्र 1: 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य



मानचित्र 2: छोटे राज्य



*पुलिस, कारागार, न्यायिक प्रणाली और कानूनी सहायता में योग्यता का संयुक्त रैंकिंग

नोट: अंक 2 दशमलव तक दिखाए जाते हैं। जबकि वे दोनों समान अंक दिखाते हैं, तमिलनाडु तीसरे दशमलव (6.112 बनाम 6.105) पर तेलंगाना से ऊपर है और ओडिशा महाराष्ट्र (5.159 बनाम 5.157) से ऊपर है।

न्याय के 4 स्तंभों में प्रत्येक श्रेणीबद्ध राज्य ने अपने समूह में कैसे प्रदर्शन किया

तालिका 1: बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के लिए श्रेणी और अंक

■ रैंक 1 से 6 ■ रैंक 7 से 12 ■ रैंक 13 से 18

	समग्र रैंक IJR 3 2022	पुलिस			जेल			न्यायपालिका			कानूनी सहायता		
		IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022
कर्नाटक	1	6	1	2	3	14	2	16	12	2	7	16	2
तमिलनाडु	2	1	5	6	10	6	1	1	1	1	12	11	12
तेलंगाना	3	11	10	1	13	2	3	11	6	5	4	6	5
गुजरात	4	12	8	8	9	10	6	7	8	9	6	9	3
आंध्रप्रदेश	5	5	4	3	15	7	5	13	14	11	10	14	13
केरल	6	13	14	17	1	5	4	5	3	4	1	7	6
झारखंड	7	9	6	11	18	15	14	14	9	7	14	4	1
मध्यप्रदेश	8	15	18	7	7	8	7	6	11	10	9	12	14
छत्तीसगढ़	9	10	2	9	8	11	12	12	4	6	8	15	11
ओडिशा	10	7	3	4	5	9	11	9	15	13	15	8	10
महाराष्ट्र	11	4	13	10	2	4	10	4	5	12	5	1	7
पंजाब	12	3	12	13	16	13	15	2	2	3	3	3	9
हरयाणा	13	8	9	12	11	16	16	3	7	14	2	5	4
उत्तराखंड	14	2	7	5	17	18	18	15	13	8	17	10	8
राजस्थान	15	17	16	14	12	1	8	8	10	17	11	13	17
बिहार	16	14	11	16	6	3	9	18	18	16	16	2	16
पश्चिमबंगाल	17	16	17	18	4	12	13	10	16	18	13	17	15
उत्तरप्रदेश	18	18	15	15	14	17	17	17	17	15	18	18	18

राज्यों को IJR 3 में समग्र रैंक के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया।

तालिका 2: छोटे राज्यों के लिए श्रेणी और अंक

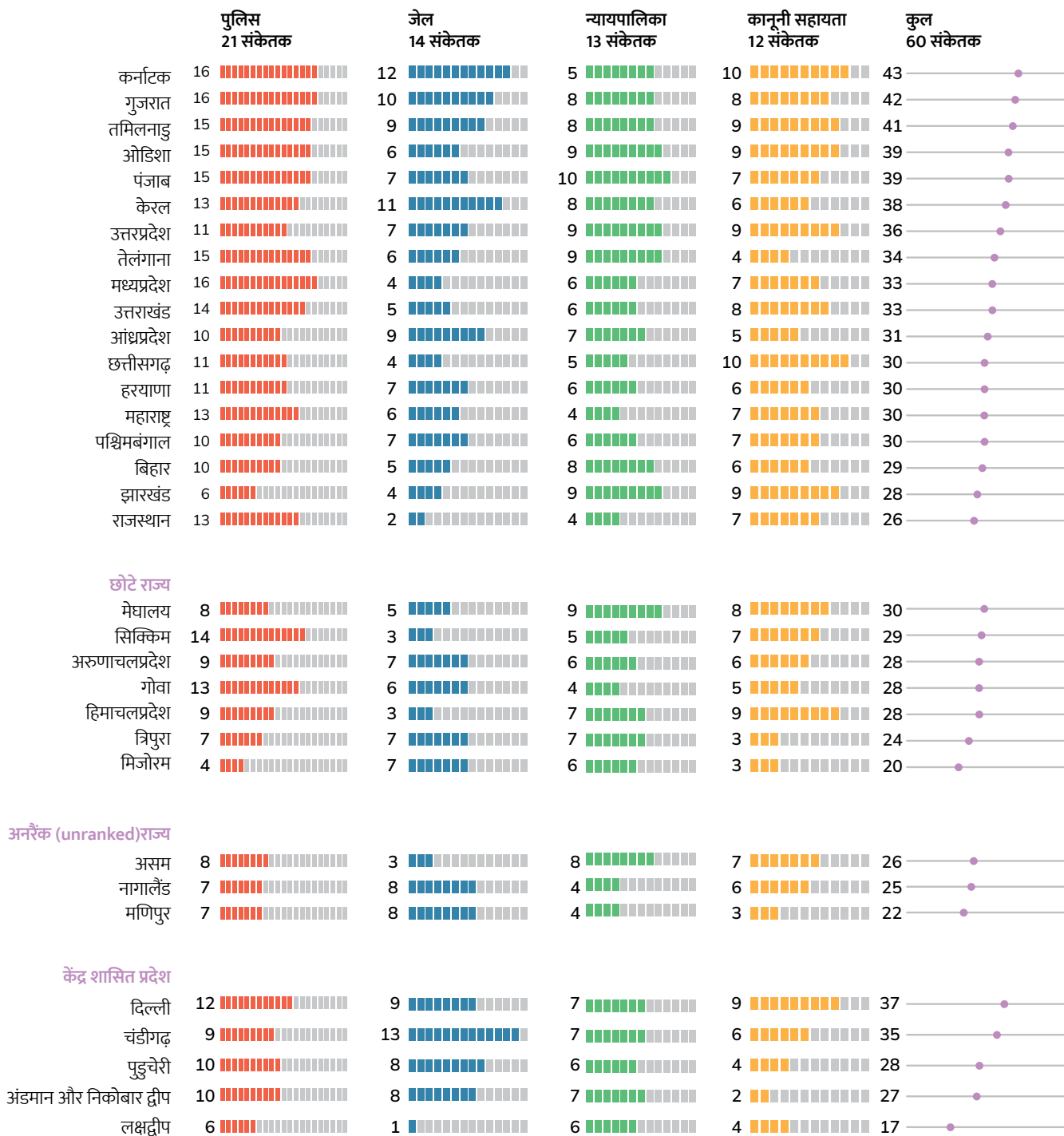
■ रैंक 1 से 6 ■ रैंक 7 से 12 ■ रैंक 13 से 18

	समग्र रैंक IJR 3 2022	पुलिस			जेल			न्यायपालिका			कानूनी सहायता		
		IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022	IJR 1 2019	IJR 2 2020	IJR 3 2022
सिक्किम	1	1	1	1	7	6	4	1	1	1	4	3	1
अरुणाचलप्रदेश	2	2	4	2	3	3	1	7	5	4	7	7	7
त्रिपुरा	3	4	5	7	5	2	5	6	6	2	5	2	4
मेघालय	4	5	3	3	2	5	6	4	7	5	6	5	3
मिजोरम	5	7	6	4	4	7	3	5	3	3	2	4	6
हिमाचलप्रदेश	6	6	2	5	6	1	2	3	2	6	3	6	5
गोवा	7	3	7	6	1	4	7	2	4	7	1	1	2

राज्यों को IJR 3 में समग्र रैंक के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया।

चित्र 1: IJR 2020 और IJR 2022 के बीच सुधार स्कोरकार्ड

इसके और आई. जे. आर. 2020 के लिए सामान्य 60 स्थिर संकेतकों में से कितने में एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में सुधार हुआ?



मेट्रोलॉजी: कार्यप्रणाली: उन संकेतकों की गिनती जिन पर किसी राज्य ने आई. जे. आर. 2 की तुलना में सुधार किया है। आई. जे. आर. 2 और आई. जे. आर. 3 दोनों में मौजूद केवल गैर-प्रवृत्ति और तुलनीय संकेतकों पर विचार किया गया है। बेंचमार्क वाले संकेतकों के लिए, यदि कोई राज्य बेंचमार्क को पूरा करता है, तो इसे सुधार के रूप में चिह्नित किया जाता है, भले ही बेंचमार्क के भीतर इसके मूल्य में गिरावट आई हो। यदि कोई राज्य बेंचमार्क को पूरा नहीं करता है, लेकिन इसके मूल्य में सुधार होता है, तो इसे सुधार के रूप में चिह्नित किया जाता है। जहां एक या दोनों वर्षों के लिए एक संकेतक मूल्य उपलब्ध नहीं था, उस संकेतक पर विचार नहीं किया गया था। उनकी प्रशासनिक स्थिति में बदलाव को देखते हुए, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के मूल्यों की तुलना आईजेआर 2 के मूल्यों से नहीं की जा सकती है, और इसलिए उन पर यहां विचार नहीं किया गया है।

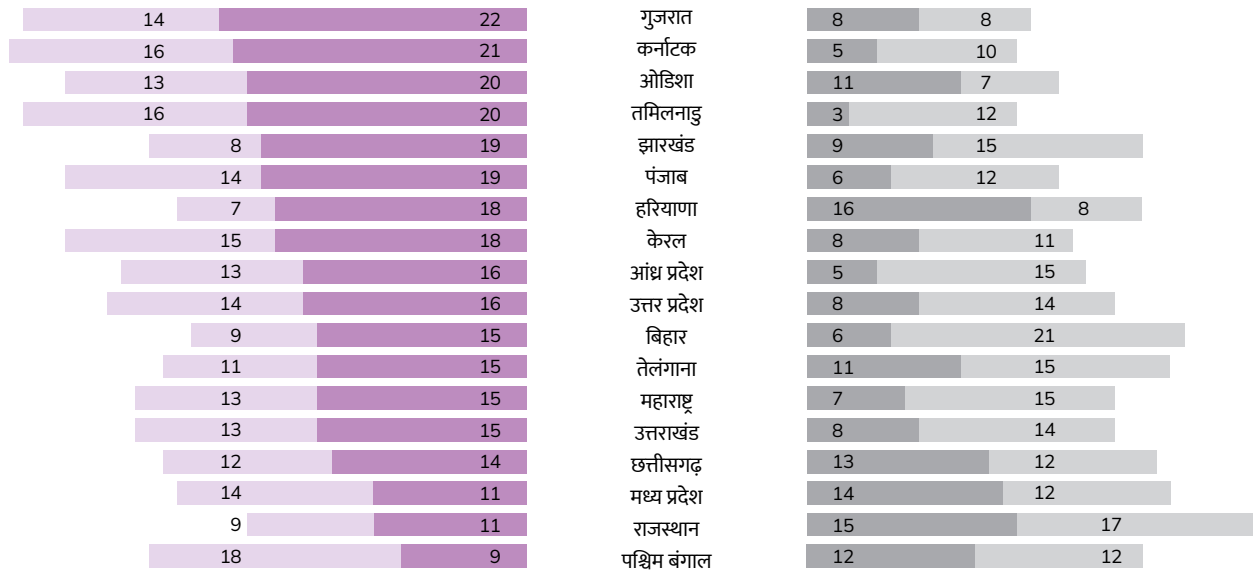
चित्र 2: आईजेआर 2019, आईजेआर 2020 और आईजेआर 2022 में प्रदर्शन

आई. जे. आर. 2019 को आधार रेखा के रूप में लेते हुए, नीचे दिए गए आंकड़े से पता चलता है कि कैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने तीनों आई. जे. आर. के लिए 52 से अधिक संकेतकों का प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु केवल 3 संकेतकों में सुधार नहीं कर सका, जबकि हरियाणा के लिए यह संख्या 16 थी। इसी तरह, गुजरात ने आई. जे. आर. 3 में 22 संकेतकों में सुधार किया, जबकि पश्चिम बंगाल केवल 9 में सुधार कर सका।

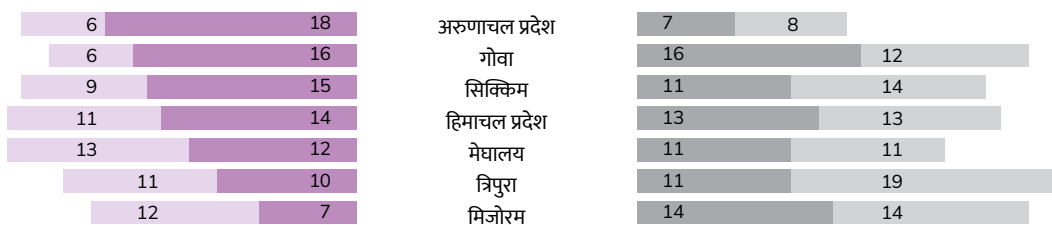
संकेतकों की संख्या में सुधार (अधिकतम: 52) *

- आईजेआर 2 और आईजेआर 3 दोनों में सुधार
- आईजेआर 2 में गिरावट आई, आईजेआर 3 में सुधार हुआ
- आईजेआर 2 और आईजेआर 3 दोनों में गिरावट आई
- आईजेआर 2 में सुधार, आईजेआर 3 में गिरावट

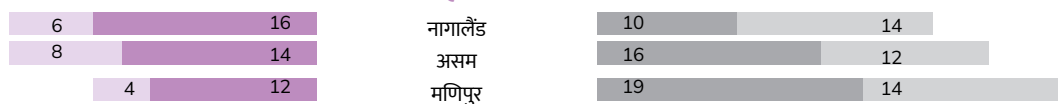
बड़े और मध्यम आकार के राज्य



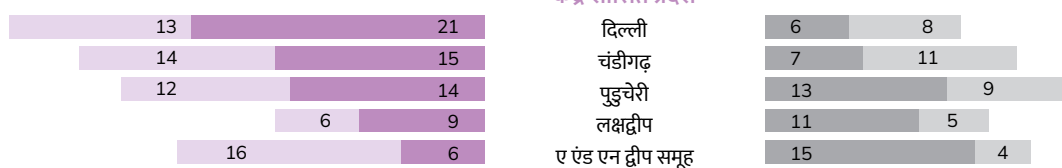
छोटे राज्य



रैंक रहित राज्य



केंद्र शासित प्रदेश



*4 स्तंभों में 52 गैर-प्रवृत्ति संकेतकों के लिए डेटा, जो तीनों आईजेआर में मौजूद थे।

नोट: 1. दोनों आई. जे. आर. में संकेतकों के अवरोही क्रम में समूह के भीतर व्यवस्थित राज्यों में सुधार हुआ है। 2. प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के आंकड़ों की तुलना आईजेआर में नहीं की जा सकती है, और इसलिए उन्हें इस गणना से बाहर रखा गया है।

रैंकिंग विविधता*

रंग गाइड

श्रेष्ठ मध्य खराब

संकेतक
(IJR 3)

16

समूह

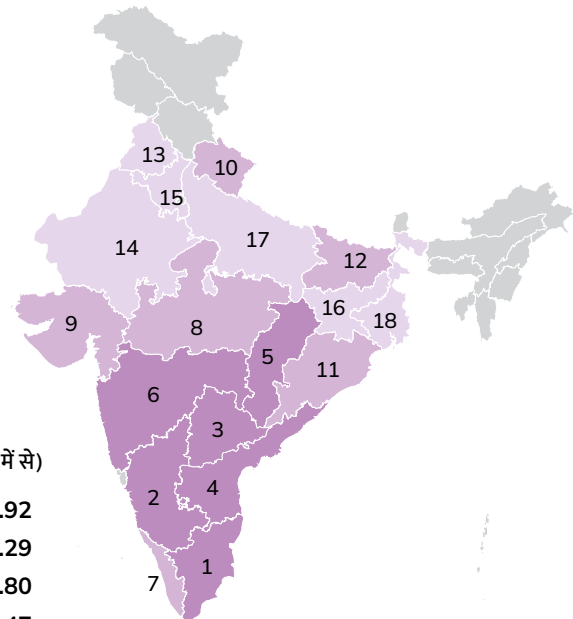
- 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य
(जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर)
- 7 छोटे आकार के राज्य
(जनसंख्या 1 करोड़ तक)

मानचित्र 3: 18 बड़े और मध्यम राज्य

रैंक (18 में से)

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022
1	7	1
2	1	2
11	9	3
6	4	4
13	5	5
4	8	6
3	2	7
12	17	8
8	6	9
7	14	10
5	3	11
17	10	12
10	12	13
16	15	14
14	11	15
15	13	16
18	18	17
9	16	18

राज्य	स्कोर (10 में से)
तमिलनाडु	7.92
कर्नाटक	7.29
तेलंगाना	6.80
आंध्रप्रदेश	6.47
छत्तीसगढ़	6.07
महाराष्ट्र	5.96
केरल	5.76
मध्यप्रदेश	5.54
गुजरात	5.51
उत्तराखंड	5.13
ओडिशा	4.96
बिहार	4.87
पंजाब	4.42
राजस्थान	4.10
हरयाणा	4.05
झारखंड	3.98
उत्तरप्रदेश	3.63
पश्चिमबंगाल	2.83

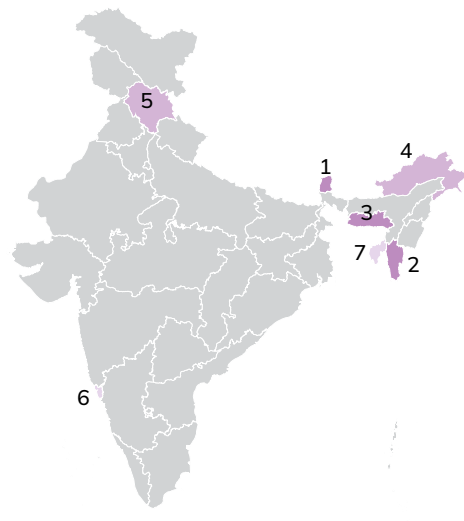


मानचित्र 4: छोटे राज्य

आईजेआररैंक (7 में से)

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022
1	2	1
2	1	2
4	6	3
5	5	4
6	3	5
3	4	6
7	7	7

राज्य	स्कोर (10 में से)
सिक्किम	5.98
मिजोरम	5.14
मेघालय	4.25
अरुणाचलप्रदेश	4.01
हिमाचलप्रदेश	3.77
गोवा	2.64
त्रिपुरा	2.08



*पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता के 16 विविधता संकेतकों पर राज्यों की स्थिति क्या है? पृष्ठ 28 पर सूचीबद्ध संकेतक।

चित्र 3: स्तंभों में महिलाओं का हिस्सा

महिलाओं की हिस्सेदारी असमान बनी हुई है और उनका प्रतिनिधित्व निचले स्तर पर केंद्रित है।

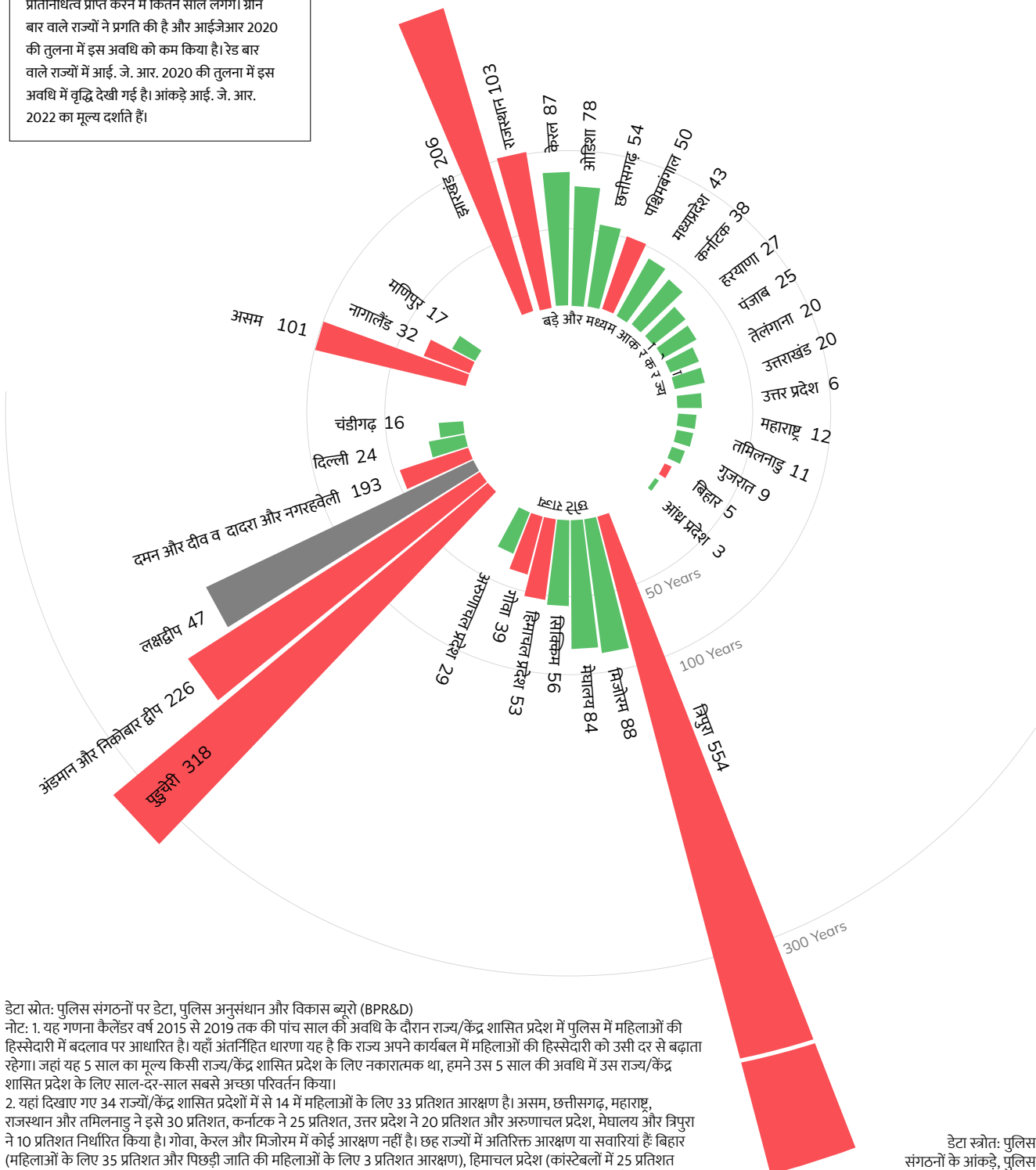
	पुलिस		कारागार	न्यायपालिका		कानूनी सहायता	
	पुलिस में महिलाओं का हिस्सेदारी (%)	अधिकारियों में महिलाओं का हिस्सेदारी (%)		जेल स्टाफ में महिलाएं (%), दिसंबर 2016)	महिला न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) (%)	महिला न्यायाधीश (अधीनस्थ न्यायालय) (%)	महिला पैनल अधिवक्ता (%)
राष्ट्रीय औसत	11.8	8	13.8	13.1	35.1	24.7	40.3
बड़े और मध्यम आकार के राज्य							
आंध्रप्रदेश	21.8	5.4	8.4	6.7	46.2	16.1	38.0
बिहार	21.2	10.6	21.5	0.0	24.2	18.6	26.6
छत्तीसगढ़	7.1	9.3	10.4	7.1	41.7	14.9	40.6
गुजरात	16.3	10.0	7.2	21.4	19.5	24.4	43.5
हरयाणा	8.2	12.2	6.2	19.7	38.4	21.5	41.4
झारखंड	6.2	4.3	9.3	4.8	23.0	15.6	32.9
कर्नाटक	8.6	6.4	32.0	10.2	33.6	38.8	58.4
केरल	7.8	2.4	10.0	16.2	43.1	42.4	62.6
मध्यप्रदेश	7.4	11.5	18.6	9.7	34.8	15.1	35.6
महाराष्ट्र	17.8	7.7	14.8	12.1	30.8	28.2	40.8
ओडिशा	10.5	12.9	12.5	4.5	44.4	26.1	37.6
पंजाब	9.9	8.3	9.4	19.7	45.8	18.6	37.1
राजस्थान	10.4	6.8	19.4	7.7	40.2	8.6	27.1
तमिलनाडु	19.1	17.9	14.1	20.4	39.9	24.4	48.7
तेलंगाना	8.5	7.5	10.5	27.3	52.8	18.2	41.9
उत्तरप्रदेश	10.7	5.1	9.9	7.0	31.7	10.5	24.9
उत्तराखंड	12.8	18.1	3.6	0.0	39.1	21.8	44.2
पश्चिमबंगाल	9.9	4.0	10.9	14.8	35.9	26.2	40.0
छोटे राज्य							
अरुणाचलप्रदेश	10.7	5.7	18.2	16.7	34.3	22.1	46.3
गोवा	10.6	15.6	1.8	12.1	70.0	45.3	59.3
हिमाचलप्रदेश	14.0	4.9	8.4	20.0	34.0	24.9	27.2
मेघालय	6.0	8.5	14.8	0.0	62.7	60.4	41.7
मिजोरम	7.1	21.4	25.0	16.7	51.2	37.8	32.6
सिक्किम	9.0	7.5	23.2	33.3	52.4	44.7	76.0
त्रिपुरा	5.3	5.9	5.4	0.0	34.9	28.7	24.7

नोट: 1. समूह के अंदर राज्यों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 2. पुलिस सूचकों के लिए 2022 जनवरी तक का डेटा; कारागार सूचकों के लिए 2021 दिसम्बर तक का डेटा; उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के लिए 2022 दिसम्बर 1; उपन्यायाधीशों के लिए 2022 जुलाई 25; कानूनी सहायता सूचकों के लिए 2022 जून का डेटा। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, पुलिस संगठन पर डेटा, जनवरी 2022; राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, कारागार सांख्यिकी भारत, दिसम्बर 2021; न्याय विभाग; लोक सभा के अस्तित्व प्रश्न संख्या 2116, दिनांक 29 जुलाई 2022 और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण।

चित्र 4: महिला पुलिस कर्मियों में हिस्सा 33% तक पहुँचने में कितना समय लगेगा?

आई. जे. आर. 2020 की तुलना में, 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आई. जे. आर. 2022 में अपने पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार किया है। 5 साल के औसत के आधार पर भी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत तक पहुँचने में सुधार हुआ है।

बार से पता चलता है कि किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को अपने पुलिस बल में 33 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में कितने साल लगेंगे। ग्रीन बार वाले राज्यों ने प्रगति की है और आईजेआर 2020 की तुलना में इस अवधि को कम किया है। रेड बार वाले राज्यों में आई. जे. आर. 2020 की तुलना में इस अवधि में वृद्धि देखी गई है। आंकड़े आई. जे. आर. 2022 का मूल्य दर्शाते हैं।

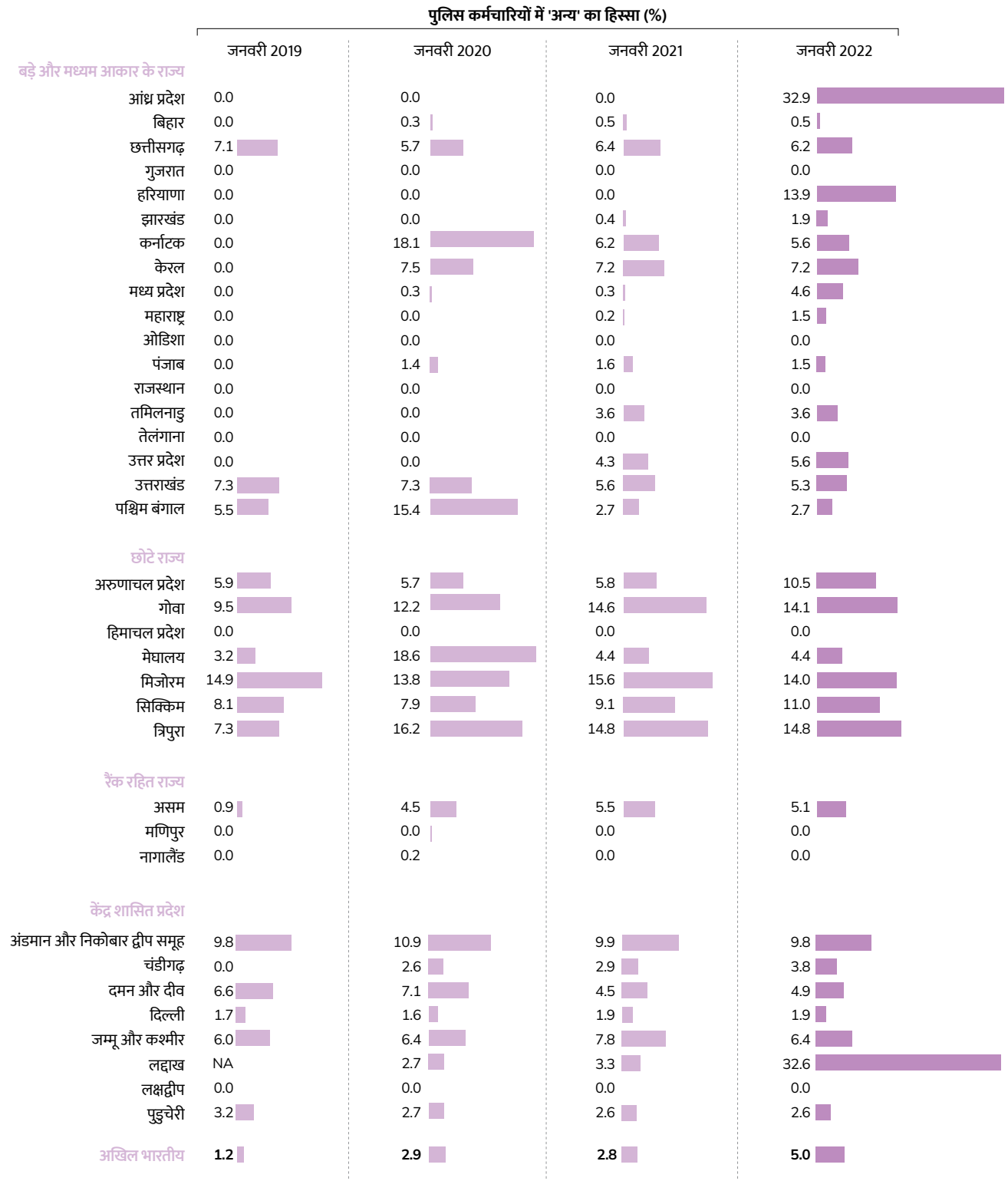


डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D)
नोट: 1. यह गणना कैलेंडर वर्ष 2015 से 2019 तक की पांच साल की अवधि के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी में बदलाव पर आधारित है। यहाँ अंतर्निहित धारणा यह है कि राज्य अपने कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी को उसी दर से बढ़ाता रहेगा। जहाँ यह 5 साल का मूल्य किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए नकारात्मक था, हमने उस 5 साल की अवधि में उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए साल-दर-साल सबसे अच्छा परिवर्तन किया।
2. यहाँ दिखाए गए 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण है। असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु ने इसे 30 प्रतिशत, कर्नाटक ने 25 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश ने 20 प्रतिशत और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा ने 10 प्रतिशत निर्धारित किया है। गोवा, केरल और मिजोरम में कोई आरक्षण नहीं है। छह राज्यों में अतिरिक्त आरक्षण या सवारियाँ हैं: बिहार (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत और पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण), हिमाचल प्रदेश (कांस्टेबलों में 25 प्रतिशत रिक्तियाँ), पंजाब (प्रत्यक्ष भर्ती में 33 प्रतिशत), तेलंगाना (सिविल के लिए 33.3%, जिला सशस्त्र रिजर्व के लिए 10 प्रतिशत और राज्य सशस्त्र रिजर्व के लिए 0 प्रतिशत), उत्तराखंड (30 प्रतिशत क्षेत्रीय) और पश्चिम बंगाल (शून्य, उत्तरोत्तर 33 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा)। मिजोरम के लिए डेटा उपलब्ध नहीं था।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एंड डी.)

चित्र 5: पुलिस में 'अन्य' की रोचक स्थिति

बी. पी. आर. एंड डी. रैंक के आधार पर कर्मियों के डेटा का विवरण प्रदान करता है और इसमें "अन्य यदि कोई हो" का एक अनिर्धारित कॉलम शामिल होता है। 2019 से, 2022 में अन्य लोगों की हिस्सेदारी 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत हो गई है।



नोट: 1. समूह के अंदर राज्यों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है।
पुलिस संगठन पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

रैंकिंग मानव संसाधन*

रंग गाइड

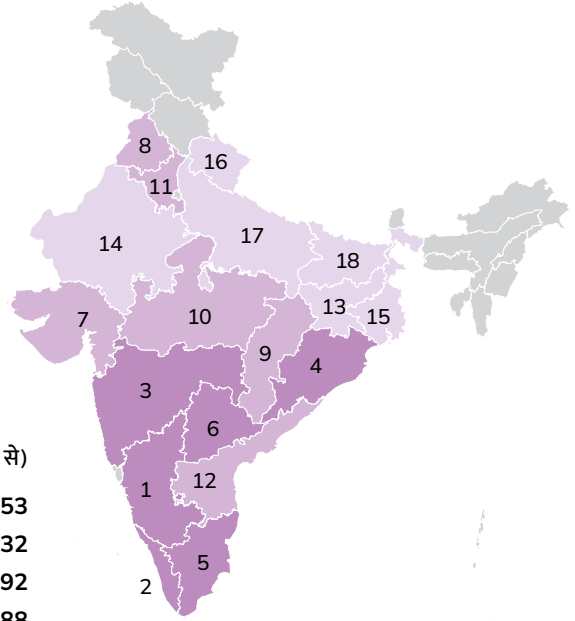
श्रेष्ठ मध्य खराब

संकेतक
(IJR 3)

17

समूह

- I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (10 लाख से ऊपर की आबादी)
- II. 7 छोटे आकार के राज्य (10 लाख तक की आबादी)



मानचित्र 5: 18 बड़े और मध्यम राज्य

रैंक (18 में से)

नया

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022
6	11	1
1	3	2
2	1	3
3	4	4
4	2	5
12	5	6
10	8	7
7	6	8
14	14	9
5	9	10
9	12	11
13	16	12
16	10	13
8	7	14
11	17	15
15	13	16
18	18	17
17	15	18

राज्य	स्कोर (10 में से)
कर्नाटक	6.53
केरल	6.32
महाराष्ट्र	5.92
ओडिशा	5.88
तमिलनाडु	5.87
तेलंगाना	5.66
गुजरात	5.43
पंजाब	5.27
छत्तीसगढ़	4.77
मध्यप्रदेश	4.71
हरयाणा	4.58
आंध्रप्रदेश	4.34
झारखंड	4.33
राजस्थान	4.09
पश्चिमबंगाल	4.03
उत्तराखंड	3.94
उत्तरप्रदेश	3.73
बिहार	3.50

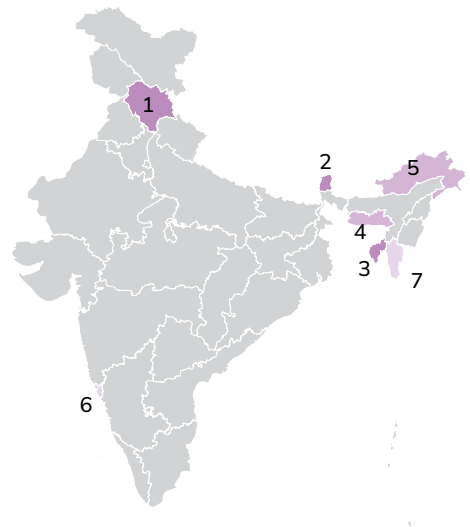
मानचित्र 6: छोटे राज्य

आईजेआर रैंक (7 में से)

नया

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022
1	1	1
4	3	2
5	4	3
6	2	4
3	5	5
2	7	6
7	6	7

राज्य	स्कोर (10 में से)
हिमाचलप्रदेश	4.02
सिक्किम	3.73
त्रिपुरा	3.46
अरुणाचलप्रदेश	3.42
मेघालय	3.32
गोवा	3.32
मिजोरम	2.87



पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता के 17 मानव संसाधन संकेतकों पर राज्यों की स्थिति कैसी है? पृष्ठ 28 पर सूचीबद्ध संकेतक।
नोट: अंक 2 दशमलव तक दिखाए जाते हैं। जबकि वे दोनों समान अंक दिखाते हैं, मेघालय तीसरे दशमलव (3.324 बनाम 3.320) पर गोवा से ऊपर है।

चित्र 6: न्यायाधीश और जनसंख्या अनुपात

1987 में विधि आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड ने प्रति दस लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की थी। वास्तव में, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस संख्या को पूरा करने से बहुत दूर हैं।

प्रति दस लाख जनसंख्या पर न्यायाधीश

	अधीनस्थ न्यायालय	उच्च न्यायालय	कुल
राष्ट्रीय औसत	14.0 	0.6 	14.6
बड़े और मध्यम आकार के राज्य			
आंध्र प्रदेश	9.1 	0.6 	9.7
बिहार	10.8 	0.3 	11.1
छत्तीसगढ़	14.7 	0.5 	15.2
गुजरात	16.6 	0.4 	17.0
हरियाणा	15.8 	1.1 	16.9
झारखंड	15.0 	0.5 	15.5
कर्नाटक	15.8 	0.7 	16.6
केरल	13.4 	1.0 	14.5
मध्य प्रदेश	18.0 	0.4 	18.4
महाराष्ट्र	15.5 	0.5 	16.0
ओडिशा	17.5 	0.5 	18.0
पंजाब	19.6 	1.1 	20.7
राजस्थान	15.7 	0.3 	16.1
तमिलनाडु	14.0 	0.7 	14.7
तेलंगाना	10.8 	0.9 	11.7
उत्तर प्रदेश	10.8 	0.4 	11.2
उत्तराखंड	23.5 	0.6 	24.1
पश्चिम बंगाल	9.3 	0.5 	9.9
छोटे राज्य			
अरुणाचल प्रदेश	22.6 	0.6 	23.2
गोवा	25.5 	0.5 	26.0
हिमाचल प्रदेश	21.8 	1.3 	23.1
मेघालय	15.4 	0.9 	16.3
मिजोरम	33.4 	0.6 	34.0
सिक्किम	30.7 	4.4 	35.1
त्रिपुरा	26.5 	0.7 	27.3
रैंक रहित राज्य			
असम	12.2 	0.6 	12.7
मणिपुर	13.1 	0.9 	14.1
नागालैंड	10.8 	0.6 	11.4
केंद्र शासित प्रदेश			
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32.3 	0.5 	32.9
चंडीगढ़	24.6 	1.1 	25.7
दमन और दीव	7.0 	0.5 	7.5
दिल्ली	32.6 	2.1 	34.7
जम्मू और कश्मीर	17.5 	1.1 	18.6
लद्दाख	30.1 	1.1 	31.2
लक्षद्वीप	29.4 	1.0 	30.4
पुडुचेरी	6.8 	0.7 	7.5

नोट: 1. राज्यों को उनके संबंधित समूह में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

स्रोत: न्याय विभाग; लोक सभा के अस्तित्वित प्रश्न संख्या 2116, दिनांक 29 जुलाई 2022।

चित्र 7: स्तंभों में रक्तियाँ

हमने 4 स्तंभों में 11 प्रमुख कार्मिक रैंक पर रक्तियों को देखा। कई राज्यों में सभी आकारों की रक्तियाँ हैं जो राज्य की अपनी स्वीकृत संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक हैं।

25% तक

25% से 50%

50% से ऊपर

	पुलिस रक्ति (%)		न्यायपालिका रक्ति (%)		
	कांस्टेबल जनवरी 2022	अधिकारी जनवरी 2022	उच्च न्यायालय न्यायाधीश दिसंबर 2022	अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीश जुलाई 2022	उच्च न्यायालय कर्मचारी 2021-22
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्रप्रदेश	20.0	9.8	18.9	20.4	51.2
बिहार	30.0	53.8	35.8	30.7	52.8
छत्तीसगढ़	21.2	26.0	36.4	8.9	32.6
गुजरात	26.9	22.1	46.2	23.0	24.3
हरयाणा	32.0	25.3	22.4	39.0	23.1
झारखंड	23.9	32.8	16.0	13.6	16.9
कर्नाटक	12.0	10.8	21.0	21.9	26.0
केरल	4.6	23.9	21.3	16.0	17.3
मध्यप्रदेश	13.9	20.8	41.5	23.8	14.6
महाराष्ट्र	28.2	25.3	29.8	11.4	11.3
ओडिशा	13.3	28.4	33.3	20.7	28.5
पंजाब	12.6	22.4	22.4	13.3	23.1
राजस्थान	8.3	45.6	48.0	20.1	37.0
तमिलनाडु	10.9	9.1	28.0	19.2	13.7
तेलंगाना	26.1	7.1	21.4	19.7	33.8
उत्तरप्रदेश	26.0	42.5	37.5	31.0	21.1
उत्तराखंड	6.4	7.2	36.4	9.4	21.1
पश्चिमबंगाल	44.1	25.2	25.0	9.5	31.5
छोटे राज्य					
अरुणाचलप्रदेश	27.8	34.7	0.0	14.6	7.9
गोवा	17.2	23.6	29.8	20.0	11.3
हिमाचलप्रदेश	5.1	16.0	41.2	7.4	15.0
मेघालय	16.9	21.2	25.0	48.5	13.2
मिजोरम	34.2	26.6	0.0	36.9	7.9
सिक्किम	4.6	-4.2	0.0	25.0	11.5
त्रिपुरा	23.7	40.1	40.0	10.7	5.3

नोट: 1. समूह के भीतर राज्यों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है।

स्रोत: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एंड डी.), पुलिस संगठनों के आंकड़े (डी.ओ.पी.ओ.), जनवरी 2022; राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.), कारागार सांख्यिकी (पी.एस.आई.), दिसंबर 2021; न्याय विभाग; लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2116, दिनांक 29 जुलाई 2022 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण।

चित्र 7: स्तंभों में रक्तियाँ

हमने 4 स्तंभों के मुख्य कर्मचारीगण 11 कर्मियों की पद रक्तियों की जांच की। बहुत सारे राज्य, सभी आकारों के, उनके अपने स्वीकृत संख्या के 25% से अधिक रक्तियों के साथ हैं। सबसे अधिक रक्तियाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, कारागारों में सुधारी कर्मचारियों में हैं और सबसे कम न्याय सेवा प्राधिकरण के सचिवों में दिखाई देती हैं।

■ 25% तक ■ 25% से 50% ■ 50% से ऊपर

	कारागार रक्ति (%)					कानूनी सहायता रक्ति (%)
	अधिकारी दिसंबर 2021	काडर कर्मचारी दिसंबर 2021	सुधारक कर्मचारी, दिसंबर 2021	चिकित्सा कर्मचारी, दिसंबर 2021	चिकित्सा अधिकारी, दिसंबर 2021	डी .एल. एस.ए. सचिव मार्च 2022
बड़े और मध्यम आकार के राज्य						
आंध्र प्रदेश	23.2	26.8	NA ²	26.7	13.6	0.0
बिहार	25.8	41.4	32.9	49.8	62.4	0.0
छत्तीसगढ़	64.7	27.7	49.5	51.7	56.5	0.0
गुजरात	30.0	34.0	44.4	14.7	12.5	12.5
हरयाणा	34.6	28.8	100.0	50.5	47.2	0.0
झारखंड	67.6	60.3	66.7	59.7	83.7	0.0
कर्नाटक	14.5	21.3	20.7	61.3	66.7	0.0
केरल	6.9	11.4	3.6	23.5	16.7	0.0
मध्यप्रदेश	41.4	15.4	18.8	47.2	72.4	31.4
महाराष्ट्र	22.0	11.2	46.0	27.0	20.5	0.0
ओडिशा	23.3	21.3	41.6	46.3	61.7	0.0
पंजाब	29.3	47.3	100.0	37.4	33.3	0.0
राजस्थान	37.3	22.8	87.5	22.9	35.1	0.0
तमिलनाडु	11.0	9.8	15.0	7.8	11.6	9.4
तेलंगाना	8.0	13.5	0.0	53.4	45.5	18.2
उत्तरप्रदेश	36.1	19.4	37.1	52.3	36.0	28.2
उत्तराखंड	77.1	37.1	NA ²	56.3	90.0	0.0
पश्चिमबंगाल	24.3	19.2	31.3	66.8	77.3	0.0
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	43.8	3.1	NA ²	10.0	0.0	100.0
गोवा	29.6	31.5	100.0	84.6	83.3	0.0
हिमाचल प्रदेश	36.4	17.1	69.2	52.2	50.0	0.0
मेघालय	31.6	25.5	NA ²	10.0	0.0	72.7
मिजोरम	45.9	25.5	NA ²	40.0	100.0	100.0
सिक्किम	40.7	56.2	NA ²	28.6	50.0	100.0
त्रिपुरा	65.6	38.4	0.0	29.4	0.0	60.0

नोट: 1. समूह के अंदर राज्यों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 2. उन राज्यों के लिए जहाँ सुधारी गई कर्मचारी डेटा उपलब्ध नहीं है, वह इसलिए है क्योंकि PSI में 0 स्वीकृत और वास्तविक सुधारी कर्मचारी दिखाता है।

स्रोत: पुलिस संगठन पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D); राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, कारागार सांख्यिकी भारत, दिसम्बर 2021; न्याय विभाग; लोक सभा के अस्तित्व प्रश्न संख्या 2116, दिनांक 29 जुलाई 2022 और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण।

रैंकिंग का इरादा*

रंग गाइड

श्रेष्ठ मध्य खराब

संकेतक
(IJR 3)

23

समूह

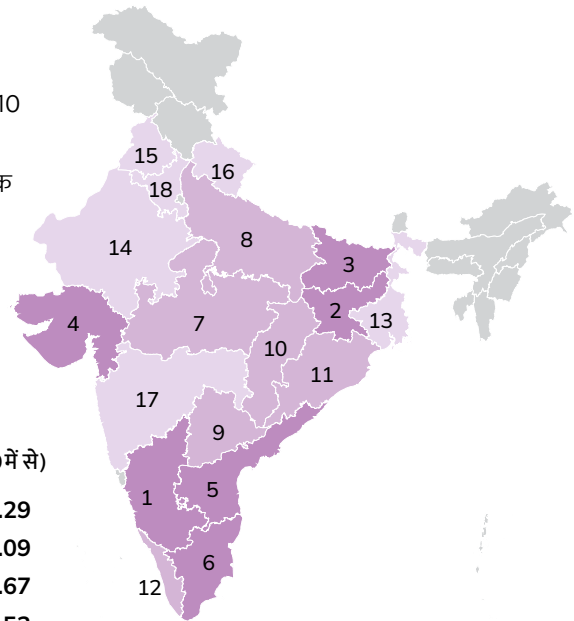
- 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (10 लाख से ऊपर की आबादी)
- 7 छोटे आकार के राज्य (10 लाख तक की आबादी)

मानचित्र 7: 18 बड़े और मध्यम राज्य

रैंक (18 में से)

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	नया आईजेआर 3 2022
14	16	1
15	7	2
13	4	3
3	3	4
NA	6	5
7	1	6
11	17	7
9	12	8
NA	18	9
6	2	10
8	11	11
12	15	12
1	10	13
10	5	14
5	8	15
16	13	16
2	9	17
4	14	18

राज्य	स्कोर (10 में से)
कर्नाटक	6.29
झारखंड	6.09
बिहार	5.67
गुजरात	5.52
आंध्रप्रदेश	5.26
तमिलनाडु	5.14
मध्यप्रदेश	5.13
उत्तरप्रदेश	5.08
तेलंगाना	4.93
छत्तीसगढ़	4.68
ओडिशा	4.53
केरल	4.48
पश्चिमबंगाल	4.26
राजस्थान	4.04
पंजाब	3.97
उत्तराखंड	3.96
महाराष्ट्र	3.69
हरियाणा	3.34

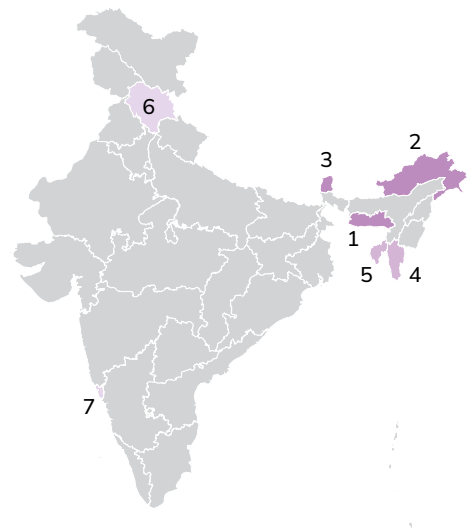


मानचित्र 8: छोटे राज्य

आईजेआर रैंक (7 में से)

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	नया आईजेआर 3 2022
2	7	1
7	4	2
4	5	3
6	6	4
5	3	5
3	1	6
1	2	7

राज्य	स्कोर (10 में से)
मेघालय	5.05
अरुणाचलप्रदेश	4.87
सिक्किम	4.36
मिजोरम	4.33
त्रिपुरा	3.95
हिमाचलप्रदेश	3.93
गोवा	3.02



वे प्रवृत्तियाँ जो 23 सूचकों पर पुलिस, कारागार और न्यायिक प्रणाली में 5 वर्ष के डेटा पर आधारित हैं। सूचकों की सूची पृष्ठ 28 पर दी गई है।
नोट: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 2019 में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि इन राज्यों के लिए 5 वर्ष का डेटा अलग से उपलब्ध नहीं था।

चित्र 8: न्याय प्रणाली के बजट

नीचे दिया गया चित्र पुलिस, जेलों और न्यायपालिका के लिए बजटीय आवंटन में 5 साल की औसत वृद्धि को दर्शाता है, और क्या उन्होंने राज्य के कुल खर्च में वृद्धि के साथ तालमेल रखा है। 25 रैंक वाले राज्यों में, पुलिस बजट में वृद्धि 12 राज्यों में कुल बजट में वृद्धि, 17 राज्यों में जेलों और 10 राज्यों में न्यायपालिका में वृद्धि से पीछे है।

■ स्तंभों के व्यय में वृद्धि कुल राज्य व्यय में वृद्धि की तुलना में अधिक

■ स्तंभों के व्यय में वृद्धि कुल राज्य व्यय में वृद्धि की तुलना में कम

2015-16 और 2020-21 के बीच
व्यय में औसत परिवर्तन (%)

खर्च में अंतर: पिलर बनाम
राज्य (प्रतिशत अंक)

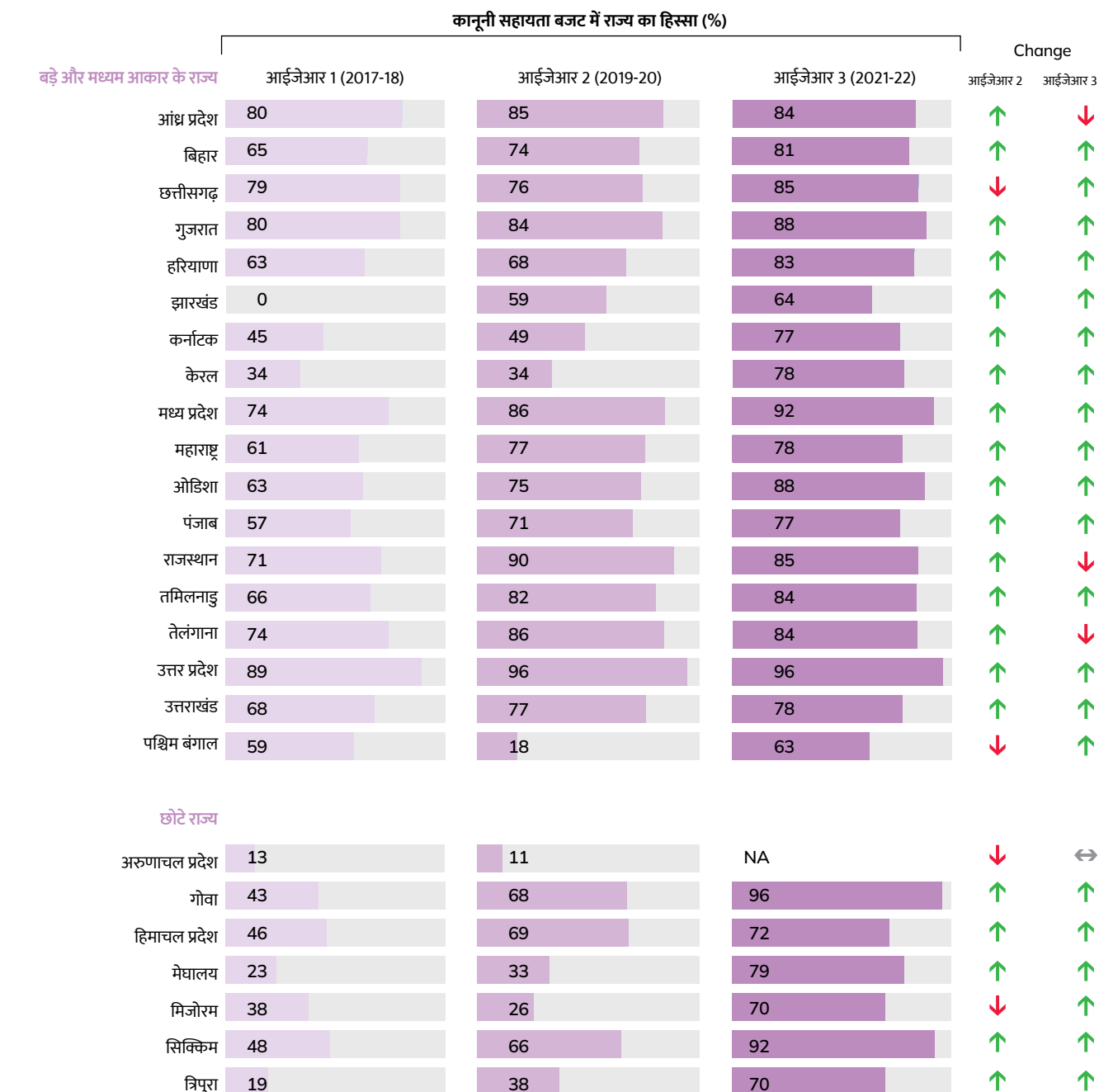
बड़े और मध्यम आकार के राज्य	राज्य	पुलिस	कारागार	न्यायपालिका	पुलिस	कारागार	न्यायपालिका
आंध्रप्रदेश	12.6	9.9	4.0	8.5	-2.7	-8.6	-4.1
बिहार	8.2	9.1	9.8	10.0	0.9	1.6	1.8
छत्तीसगढ़	9.1	10.8	15.2	9.4	1.7	6.1	0.3
गुजरात	8.2	9.6	24.9	8.4	1.3	16.7	0.2
हरयाणा	8.0	10.1	7.4	9.4	2.1	-0.6	1.4
झारखंड	9.1	13.0	14.9	8.5	3.9	5.8	-0.6
कर्नाटक	10.1	9.5	16.3	18.3	-0.5	6.3	8.2
केरल	9.9	5.7	9.2	6.4	-4.2	-0.8	-3.6
मध्यप्रदेश	11.1	9.8	9.1	12.3	-1.3	-2.0	1.3
महाराष्ट्र	9.9	10.0	8.3	9.3	0.1	-1.6	-0.6
ओडिशा	8.6	7.8	0.7	9.3	-0.8	-7.9	0.7
पंजाब	11.6	6.2	3.0	8.3	-5.5	-8.6	-3.3
राजस्थान	8.7	10.2	4.3	12.9	1.5	-4.5	4.2
तमिलनाडु	11.1	8.2	8.0	10.0	-2.8	-3.0	-1.1
तेलंगाना	10.9	6.8	-2.3	4.5	-4.1	-13.2	-6.4
उत्तरप्रदेश	5.2	11.2	-6.2	10.1	6.0	-11.4	5.0
उत्तराखंड	9.8	10.0	1.5	11.2	0.2	-8.3	1.4
पश्चिमबंगाल	7.9	12.5	10.0	9.3	4.6	2.1	1.4
छोटे राज्य							
अरुणाचलप्रदेश	13.1	8.5	8.4	23.6	-4.6	-4.6	10.6
गोवा	7.3	10.8	-11.9	9.3	3.4	-19.2	2.0
हिमाचलप्रदेश	9.1	10.2	11.2	8.3	1.0	2.0	-0.8
मेघालय	13.4	11.5	3.1	18.7	-1.9	-10.3	5.3
मिजोरम	9.6	6.8	2.0	9.3	-2.8	-7.6	-0.4
सिक्किम	13.2	11.5	25.9	10.4	-1.7	12.7	-2.8
त्रिपुरा	6.7	10.2	-2.6	15.5	3.5	-9.3	8.8

नोट: समूह के अंदर राज्यों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

स्रोत: भारतीय संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखा, भारतीय लेखा और महालेखा नियंत्रक।

चित्र 9: राज्य का कानूनी सहायता बजट में हिस्सा

एक राज्य के कानूनी सहायता बजट में दो स्रोत होते हैं: केंद्र में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) और स्वयं राज्य। 2017-18 और 2021-22 के बीच, अपने कानूनी सहायता बजट में राज्यों का योगदान उत्तरोत्तर बढ़ा है। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से 13 में और 7 छोटे राज्यों में से 5 में, दोनों अनुवर्ती समय अवधि में राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।

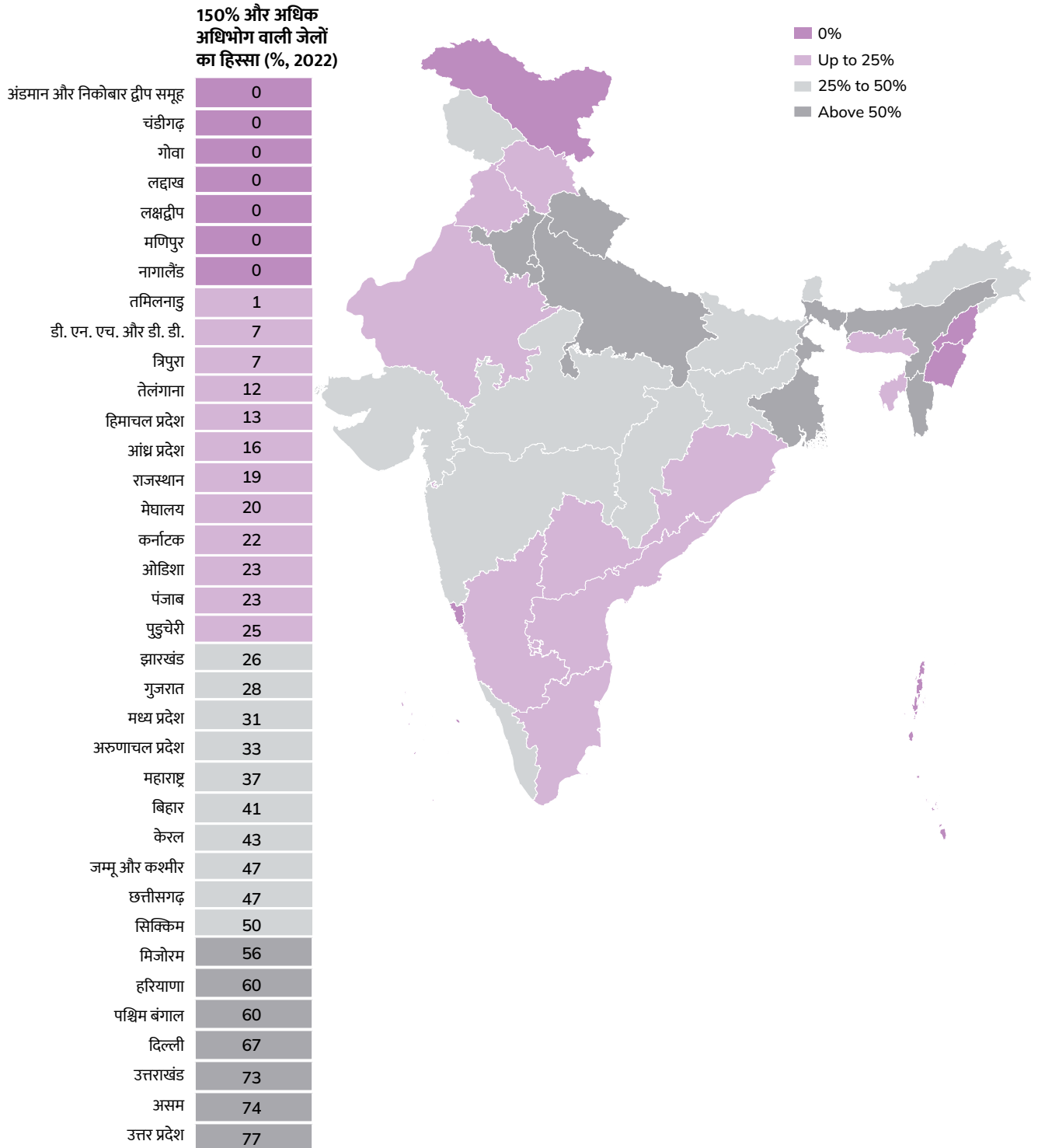


नोट: 1. राज्यों को उनके संबंधित समूह में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज़ और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण

चित्र 10: राज्य में भीड़भाड़ वाली जेलों का हिस्सा

ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय 120% भीड़भाड़ को 'गंभीर' और 150% को 'चरम' के रूप में वर्गीकृत करता है। 2021 के अंत में, 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में औसत अधिभोग दर महत्वपूर्ण थी। छह में, यह 150% को पार कर गया था। औसत, हालांकि, इस तथ्य को छिपाते हैं कि कई जेलों में, भीड़ 150% को पार कर जाती है।



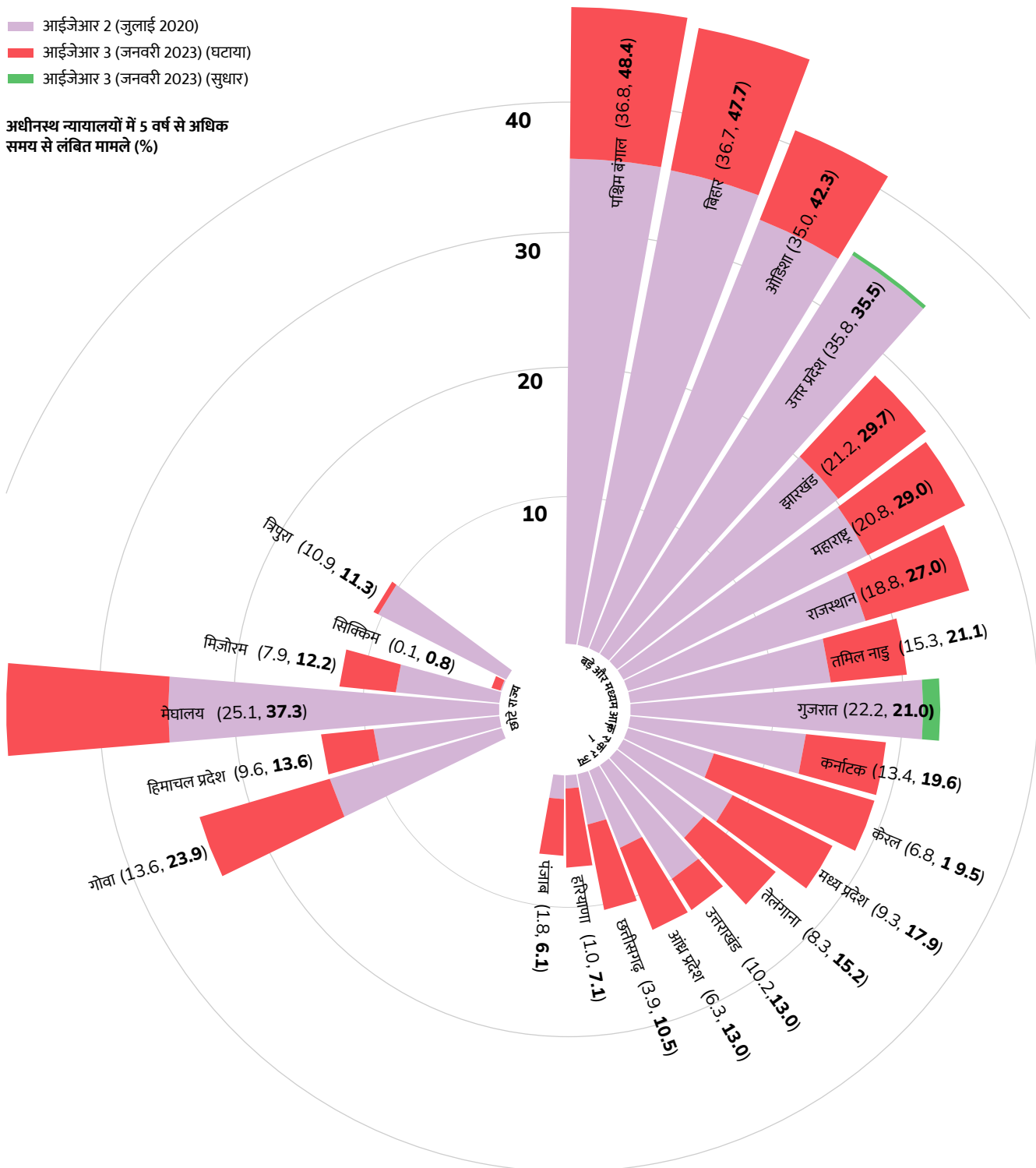
स्रोत: ई-कैदी पोर्टल

चित्र 11: अधीनस्थ अदालतों में 5 साल से अधिक समय से लंबित मामले

25 में से 23 राज्यों में, अधीनस्थ अदालतों में 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों में पिछले 2 वर्षों में वृद्धि हुई है। 8 राज्यों में ऐसे मामले 25 प्रतिशत से अधिक लंबित हैं। ग्रीन और रेड बार इस बात को दर्शाते हैं कि आईजेआर 2020 की तुलना में राज्यों में अधीनस्थ अदालतों में 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों की हिस्सेदारी या तो कम हुई है या बढ़ी है।

- आईजेआर 2 (जुलाई 2020)
- आईजेआर 3 (जनवरी 2023) (घटाया)
- आईजेआर 3 (जनवरी 2023) (सुधार)

अधीनस्थ न्यायालयों में 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले (%)

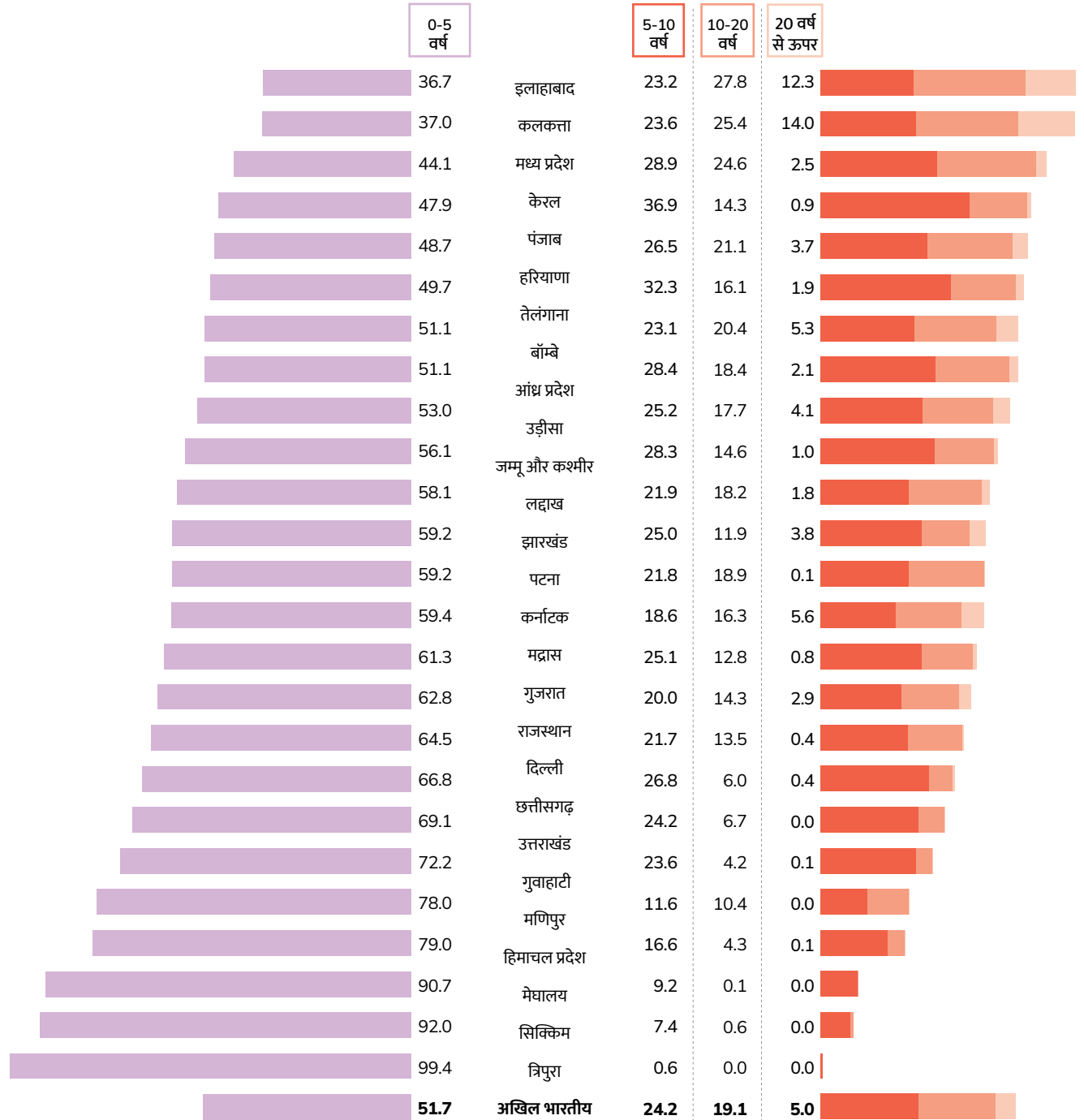


नोट: 1. आई. जे. आर. 3 मूल्य के अवरोही क्रम में संबंधित समूह में व्यवस्थित राज्य। 2. अरुणाचल प्रदेश (छोटे राज्य) के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है।
 स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

चित्र 12: उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

उच्च न्यायालयों में विचाराधीनता का स्तर अधीनस्थ न्यायालयों की तुलना में बदतर है। सभी 25 उच्च न्यायालयों में, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों की हिस्सेदारी 48.3% है। जबकि उत्तर-पूर्वी राज्य इस मीट्रिक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) और कलकत्ता (पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) सबसे खराब हैं, जहां पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है।

अवधि के अनुसार उच्च न्यायालयों में लंबित मामले (% , 2 जनवरी, 2023)



नोट: 1. उच्च न्यायालयों को 0-5 वर्षों के मूल्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीड

पूर्ववर्ती मानचित्र पृष्ठों पर संकेतकों की सूची

रैंकिंग का इरादा

पुलिस

कुल पुलिस में महिलाएँ (पीपी, सीवाई '17-'21)
कुल अधिकारियों में महिला अधिकारी (पीपी, सीवाई '17-'21)
कांस्टेबल रक्ति (पीपी, CY '17-'21)
अधिकारी रक्ति (पीपी, CY '17-'21)
खर्च में अंतर: पुलिस बनाम राज्य (पीपी, वित्तीय वर्ष '17-'21)

जेल

अधिकारी रक्ति (पीपी, CY '17-'21)
कैडर स्टाफ रक्ति (पीपी, CY '17-'21)
जेल स्टाफ में महिलाओं की हिस्सेदारी (पीपी, CY '17-'21)
प्रति जेल अधिकारी कैदी (% , CY '17-'21)
प्रति कैडर स्टाफ कैदी (% , CY '17-'21)
विचाराधीन कैदियों का हिस्सा (पीपी, CY '17-'21)
प्रति कैदी व्यय (% , वित्तीय वर्ष '18-'22)
प्रयुक्त जेल बजट (पीपी, वित्तीय वर्ष '18-'22)
खर्च में अंतर: जेल बनाम राज्य (पीपी, वित्तीय वर्ष '17-'21)

न्यायपालिका

लंबित मामले (प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश) (% , '18-'22)
लंबित मामले (प्रति उप न्यायालय न्यायाधीश) (% , '18-'22)
कुल लंबित मामले (उच्च न्यायालय) (% , '18-'22)
कुल लंबित मामले (उप न्यायालय) (% , '18-'22)
न्यायाधीश रक्ति (उच्च न्यायालय) (पीपी, '18-'22)
न्यायाधीश रक्ति (उप न्यायालय) (पीपी, '18-'22)
केस क्लीयरेंस दर (उच्च न्यायालय) (पीपी, '18-'22)
केस क्लीयरेंस दर (उप न्यायालय) (पीपी, '18-'22)
खर्च में अंतर: न्यायपालिका बनाम राज्य (पीपी, वित्तीय वर्ष '17-'21)

मानव संसाधन रैंकिंग

पुलिस

कांस्टेबल, रक्ति (% , जनवरी 2022)
अधिकारी, रक्ति (% , जनवरी 2022)
सिविल पुलिस में अधिकारी (% , जनवरी 2022)

जेल

अधिकारी, रक्ति (% , दिसंबर 2021)
कैडर स्टाफ, रक्ति (% , दिसंबर 2021)
सुधार कर्मचारी, रक्ति (% , दिसंबर 2021)
मेडिकल स्टाफ, रक्ति (% , दिसंबर 2021)
चिकित्सा अधिकारी, रक्ति (% , दिसंबर 2021)
कार्मिक प्रशिक्षित (% , दिसंबर 2021)

न्यायपालिका

प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश जनसंख्या (संख्या, दिसंबर 2022)
प्रति उप जनसंख्या. न्यायालय न्यायाधीश (संख्या, जुलाई 2022)
उच्च न्यायालय न्यायाधीश रक्ति (% , दिसंबर 2022)
विषय न्यायालय न्यायाधीश रक्ति (% , जुलाई 2022)
उच्च न्यायालय स्टाफ रक्ति (% , 2021-22)

कानूनी सहायता

डीएलएसए सचिव रक्ति (% , मार्च 2022)
प्रति लाख जनसंख्या पर पीएलवी (संख्या, जून 2022)
डीएलएसए के % के रूप में स्वीकृत सचिव (% , मार्च 2022)

रैंकिंग विविधता

पुलिस

पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी (% , जनवरी 2022)
अधिकारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी (% , जनवरी 2022)
एससी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)
एससी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)
एसटी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)
एसटी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)
ओबीसी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)
ओबीसी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)

जेल

जेल स्टाफ में महिलाएँ (% , दिसंबर 2021)

न्यायपालिका

महिला न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) (% , दिसंबर 2022)
महिला न्यायाधीश (उप न्यायालय) (% , जुलाई 2022)
एससी न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (उप न्यायालय) (% , जुलाई 2022)
एसटी न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (उप न्यायालय) (% , जुलाई 2022)
ओबीसी न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (उप न्यायालय) (% , जुलाई 2022)

कानूनी सहायता

पैनल वकीलों में महिलाओं की हिस्सेदारी (% , जून 2022)
महिला पीएलवी (% , जून 2022)

पूर्ववर्ती सुधार पृष्ठों पर संकेतकों की सूची

आईजेआर 2 और आईजेआर 3 के बीच सुधार (संकेतक, इकाई, नवीनतम आईजेआर अवधि)

पुलिस

बजट

1. आधुनिकीकरण निधि का उपयोग (% , 2020-21)
2. प्रति व्यक्ति पुलिस पर खर्च (रुपये, 2020-21)
3. प्रति कार्मिक प्रशिक्षण पर व्यय (रुपये, 2020-21)

मानव संसाधन

4. कांस्टेबल, रिक्ति (% , जनवरी 2022)
5. अधिकारी, रिक्ति (% , जनवरी 2022)
6. सिविल पुलिस में अधिकारी (% , जनवरी 2022)

विविधता

7. पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी (% , जनवरी 2022)
8. अधिकारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी (% , जनवरी 2022)
9. एससी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)
10. एससी कांस्टेबल, वास्तविक से आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)
11. एसटी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)
12. एसटी कांस्टेबल, वास्तविक से आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)
13. ओबीसी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)
14. ओबीसी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% , जनवरी 2022)

आधारभूत संरचना

15. प्रति पुलिस स्टेशन जनसंख्या (ग्रामीण) (संख्या, जनवरी 2022)
16. प्रति पुलिस स्टेशन जनसंख्या (शहरी) (संख्या, जनवरी 2022)
17. प्रति पुलिस स्टेशन क्षेत्र (ग्रामीण) (वर्ग किमी, जनवरी 2022)
18. प्रति पुलिस स्टेशन क्षेत्र (शहरी) (वर्ग किमी, जनवरी 2022)
19. राज्य के नागरिक पोर्टल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ (% , 2022)
20. प्रति प्रशिक्षण संस्थान कार्मिक (संख्या, जनवरी 2022)

कार्यभार

21. प्रति सिविल पुलिस जनसंख्या (संख्या, जनवरी 2022)

जेल

बजट

22. प्रति कैदी व्यय (2021-22 रुपये)
23. जेल बजट का उपयोग (%), 2021-22)

मानव संसाधन

24. अधिकारी, रिक्ति (% , दिसंबर 2021)
25. कैडर स्टाफ, रिक्ति (% , दिसंबर 2021)
26. सुधार कर्मचारी, रिक्ति (% , दिसंबर 2021)
27. मेडिकल स्टाफ, रिक्ति (% , दिसंबर 2021)
28. चिकित्सा अधिकारी, रिक्ति (% , दिसंबर 2021)
29. प्रशिक्षित कार्मिक (% , दिसंबर 2021)

विविधता

30. जेल स्टाफ में महिलाएं (% , दिसंबर 2021)

आधारभूत संरचना

31. जेल अधिभोग (% , दिसंबर 2021)
32. वी-सी सुविधा वाली जेलें (% , दिसंबर 2021)

कार्यभार

33. प्रति अधिकारी कैदी (संख्या, दिसंबर 2021)
34. प्रति कैडर स्टाफ कैदी (संख्या, दिसंबर 2021)
35. प्रति सुधारात्मक स्टाफ कैदी (संख्या, दिसंबर 2021)

न्यायपालिका

बजट

36. न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति खर्च (रुपये, 2020-21)
37. प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश जनसंख्या (संख्या, दिसंबर 2022)
38. जनसंख्या प्रति उप. न्यायालय न्यायाधीश (संख्या, जुलाई 2022)
39. उच्च न्यायालय न्यायाधीश रिक्ति (% , दिसंबर 2022)
40. उप. न्यायालय न्यायाधीश रिक्ति (% , जुलाई 2022)
41. उच्च न्यायालय स्टाफ रिक्ति (% , 2021-22)

विविधता

42. महिला न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) (% , दिसंबर 2022)
43. महिला न्यायाधीश (उप न्यायालय) (% , जुलाई 2022)

आधारभूत संरचना

44. कोर्टहॉल की कमी (% , अगस्त 2022)

कार्यभार

45. लंबित मामले (5-10 वर्ष) (उप न्यायालय) (% , जनवरी 2023)
46. लंबित मामले (10+ वर्ष) (उप न्यायालय) (% , जनवरी 2023)
47. केस क्लीयरेंस दर (उच्च न्यायालय) (% , 2022)
48. केस क्लीयरेंस दर (उप न्यायालय) (% , 2022)

कानूनी सहायता

बजट

49. कानूनी सहायता बजट में राज्य का हिस्सा (% , 2021-22)

मानव संसाधन

50. डीएलएसए सचिव रिक्ति (% , मार्च 2022)
51. प्रति लाख जनसंख्या पर पीएलवी (संख्या, जून 2022)
52. डीएलएसए के % के रूप में स्वीकृत सचिव (% , मार्च 2022)

विविधता

53. पैनल वकीलों में महिलाओं की हिस्सेदारी (% , जून 2022)
54. महिला पीएलवी (% , जून 2022)

आधारभूत संरचना

55. राज्य न्यायिक जिलों के % के रूप में डीएलएसए (% , मार्च 2022)
56. प्रति जेल कानूनी सेवा क्लिनिक (संख्या, 2021-22)
57. प्रति कानूनी सेवा क्लिनिक गाँव (संख्या, 2021-22)

कार्यभार

58. पीएलए मामले: प्राप्त के % के रूप में निपटाए गए (% , 2021-22)
59. कुल एलए: पूर्व-मुकदमेबाजी मामले निपटाए गए (% , 2021-22)
60. एसएलएसए एलएसए: उठाए गए मामलों में प्री-लिटिगेशन (% , 2021-22)

तीनों आईजेआर में सुधार

हमने तीनों आईजेआर में मौजूद 52 गैर-प्रवृत्ति संकेतकों पर विचार किया। इस अभ्यास के लिए, ऊपर दिए गए 60 संकेतकों की सूची से, निम्नलिखित आठ को बाहर रखा गया था: 3,10,12,14,19,20,29 और 32।



पुलिस

रैंकिंग

कलर गाइड

■ सर्वश्रेष्ठ ■ बीच का ■ सबसे खराब

संकेतक
(आईजेआर 3 में)

30

समूह

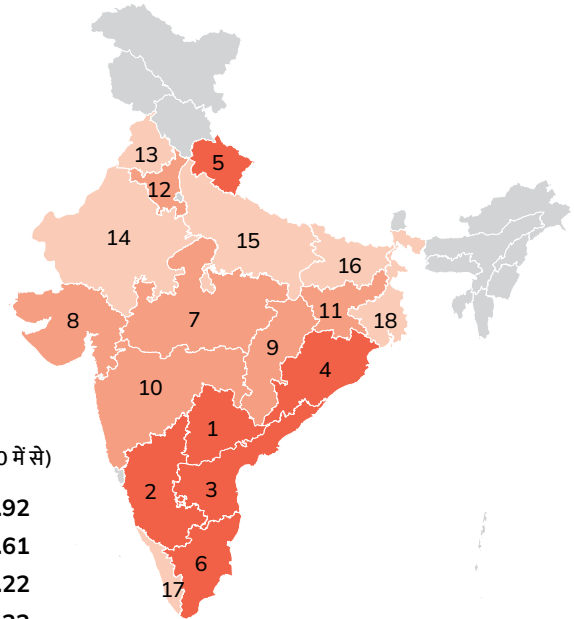
- 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य
(जनसंख्या 10 लाख से अधिक)
- 7 छोटे आकार के राज्य
(जनसंख्या 1 करोड़ तक)

मानचित्र 9: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	नया आईजेआर 3 2022
11	10	1
6	1	2
5	4	3
7	3	4
2	7	5
1	5	6
15	18	7
12	8	8
10	2	9
4	13	10
9	6	11
8	9	12
3	12	13
17	16	14
18	15	15
14	11	16
13	14	17
16	17	18

राज्य	स्कोर (10 में से)
तेलंगाना	6.92
कर्नाटक	6.61
आंध्र प्रदेश	6.22
ओडिशा	6.22
उत्तराखंड	6.11
तमिलनाडु	6.04
मध्य प्रदेश	5.88
छत्तीसगढ़	5.88
गुजरात	5.70
महाराष्ट्र	5.53
झारखंड	5.37
हरियाणा	5.19
पंजाब	5.10
राजस्थान	4.38
उत्तर प्रदेश	4.37
बिहार	4.34
केरल	4.22
पश्चिम बंगाल	3.59

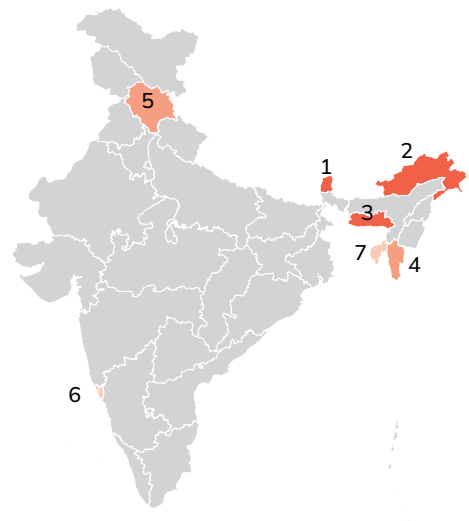


मानचित्र 10: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	नया आईजेआर 3 2022
1	1	1
2	4	2
5	3	3
7	6	4
6	2	5
3	7	6
4	5	7

राज्य	स्कोर (10 में से)
सिक्किम	5.64
अरुणाचल प्रदेश	4.84
मेघालय	4.52
मिजोरम	4.07
हिमाचल प्रदेश	3.93
गोवा	3.89
त्रिपुरा	3.47



नोट: अंक 2 दशमलव तक दिखाए जाते हैं। जबकि वे दोनों समान अंक दिखाते हैं, आंध्र प्रदेश तीसरे दशमलव (6.218 बनाम 6.217) पर ओडिशा से ऊपर है और मध्य प्रदेश चौथे दशमलव (5.8762 बनाम 5.8758) पर गुजरात से ऊपर है।

उम्मीदें बढ़ाना

आधुनिकीकरण कोष

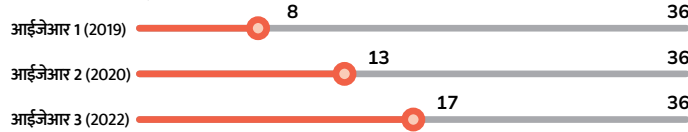
उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जिन्होंने अपने आधुनिकीकरण कोष का पूरी तरह से उपयोग किया।

कुल राज्य *



महिला कर्मचारी

ऐसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से अधिक है।



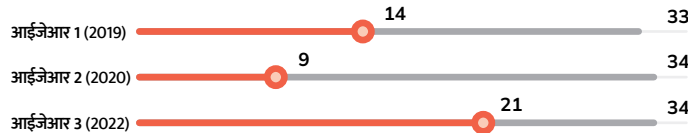
एससी/एसटी/ओ. बी. सी. कोटा

उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जिन्होंने अपने घोषित कोटे का कम से कम 80 प्रतिशत पूरा किया है।



बजट

5 वर्षों में ऐसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, जिनके पुलिस खर्च में उनके राज्य के खर्च से अधिक वृद्धि हुई है।



क्षेत्र का दायरा

1981 के 150 वर्ग किलोमीटर के मानक को पूरा करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। ग्रामीण क्षेत्रों में एक पुलिस स्टेशन के लिए।



*राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या (36 में से) जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध थे।

बुनियादी ढांचा

सीसीटीवी



1 in 4

पुलिस थानों में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है।

महिला सहायता डेस्क



3 in 10

पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क नहीं है।

प्रशिक्षण

कुल पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट का अखिल भारतीय हिस्सा

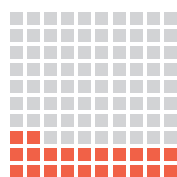
1.3%

है, केवल 5 राज्यों में यह 2 प्रतिशत से अधिक है।

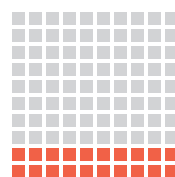


पुलिस बल में रक्तियां

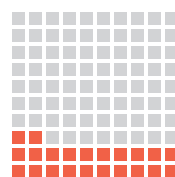
IJR 1: 22%



IJR 2: 20%



IJR 3: 22%



पुलिस में 'अन्य'

कुल पुलिस में 'अन्य यदि कोई हो' का

5% हिस्सा



आंध्र प्रदेश में

33%

पुलिस कर्मों 'अन्य यदि कोई हो' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

अध्याय 1

पुलिस: अक्षमता, एक सतत चुनौती

परिचय

पिछले दशक में देश भर में पुलिस की कुल स्वीकृत संख्या 22.84 से बढ़कर 26.89 लाख (18 प्रतिशत की वृद्धि) हो गई, जबकि वास्तविक पुलिस संख्या 17.23 लाख से बढ़कर 20.94 लाख (22 प्रतिशत की वृद्धि) हो गई। पुलिस पर प्रति व्यक्ति खर्च रुपये से लगभग तीन गुना बढ़ गया। 445 से रु. 1,151. धन और जनशक्ति में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद, देश भर में पुलिस व्यवस्था दीर्घकालिक समस्याओं के कारण बाधित हो रही है।

क्षमता में सुधार प्रदर्शित करते हुए तेलंगाना दसवें से पहले स्थान पर आ गया है। कम रक्तियां, महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि और प्रति व्यक्ति व्यय, साथ ही प्रति कार्मिक प्रशिक्षण पर खर्च - सभी ने इसे नौ पायदान ऊपर पहुंचाने में योगदान दिया।

बिहार छह स्थान गिरकर ग्यारहवें से सत्रहवें स्थान पर आ गया, जिसका मुख्य कारण प्रति कर्मी प्रशिक्षण पर खर्च में कमी, महिलाओं और एससी और ओबीसी अधिकारियों की हिस्सेदारी, और कांस्टेबल और अधिकारी रक्तियों में वृद्धि है। राज्य नागरिक पोर्टल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गिरावट ने भी रैंक में गिरावट में योगदान दिया। कांस्टेबल और अधिकारी की रक्तियों में वृद्धि और जातिगत विविधता पर खराब प्रदर्शन के कारण उत्तर प्रदेश एक स्थान गिरकर पंद्रहवें से सोलहवें स्थान पर आ गया।

हालाँकि, अन्य राज्यों में, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ (दूसरे से नौवें तक) और बिहार (ग्यारहवें से सत्रहवें) में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण कांस्टेबल और अधिकारी दोनों स्तरों पर रक्तियों में वृद्धि और कुल पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में कमी है।

7 छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष स्थान पर बरकरार है जबकि त्रिपुरा पांचवें स्थान से नीचे खिसक गया है।

सिक्किम ने अपने प्रति व्यक्ति खर्च में वृद्धि की, यह सुनिश्चित किया कि अधिकारी स्तर पर कोई रक्तियां न हों, और अपनी लैंगिक विविधता में सुधार किया। त्रिपुरा में कांस्टेबल और अधिकारी दोनों स्तरों पर रक्तियां बढ़ीं। एससी और एसटी में कांस्टेबल और अधिकारी दोनों स्तरों पर स्वीकृत और वास्तविक संख्या के बीच कमी बढ़ी और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रति पुलिस स्टेशन की जनसंख्या में वृद्धि हुई।

मानव संसाधन¹

कांस्टेबल रक्तियां (% , जनवरी 2022)

कांस्टेबल रक्तियां (पीपी, CY'17-'21)

अधिकारी रक्तियां (% , जनवरी 2022)

अधिकारी रक्तियां (पीपी, CY'17-'21)

सिविल पुलिस में अधिकारी (% , जनवरी 2022)

प्रति नागरिक पुलिस जनसंख्या (व्यक्ति, जनवरी 2022)
(कार्यभार)

स्वीकृत और वास्तविक ताकत के बीच की खाई चिंताजनक रूप से बड़ी बनी हुई है। जनवरी 2020 और जनवरी 2022 के बीच, कुल रक्तियाँ क्रमशः 20.3 प्रतिशत से बढ़कर 22.1 प्रतिशत हो गईं; इसी अवधि में कांस्टेबल रक्तियां 17.7 प्रतिशत से बढ़कर 21.6 प्रतिशत हो गईं, जबकि अधिकारियों की रक्तियां 29.1 प्रतिशत से थोड़ी कम होकर 28.6 प्रतिशत हो गईं। जबकि 2020 और 2022 के बीच स्वीकृत संख्या में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जमीन पर पुलिस कर्मियों की वास्तविक संख्या में केवल 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।²

अधिकारी रक्तियां: राष्ट्रीय स्तर पर, औसतन, अधिकारी³ नागरिक पुलिस और जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस (1,646,061)⁴ की संयुक्त कार्य शक्ति का 16.6 प्रतिशत बनाते हैं।

जबकि अठारह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁵ ने अपने अधिकारियों के

1 जब तक अन्यथा न कहा जाए, सभी वार्षिक आँकड़े जनवरी 2022 तक के हैं। पाँच-वर्षीय रुझान 2017-22 को संदर्भित करते हैं। तुलना के लिए, डीएनएच और डीडी, और जम्मू और कश्मीर को ध्यान में नहीं रखा गया है।

2 वास्तविक संख्या में 21,926 की कमी हुई (20,91,488 से 20,69,562) और स्वीकृत शक्ति में 8,665 की वृद्धि हुई (26,23,225 से 26,31,890 तक)।

3 अधिकारियों में डीजीपी/एसपीएल डीजीपी + अपर डीजीपी + आईजीपी + डीआईजी + एआईजीपी/एसएसपी/एसपी/सीओएमएन + अपर एसपी/डिटी सीओएमएन + एसएसपी/डिटी एसपी + इंस्पेक्टर + एसआई + एसआई शामिल हैं।

4 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, पुलिस संगठन पर डेटा, 2022। यहां उपलब्ध है: <https://bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/202301110504030641146DataonPoliceOrganizations.pdf>

5 गुजरात, असम, पंजाब, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, दिल्ली, तमिलनाडु, नागालैंड, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पुडुचेरी, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल,

प्रतिशत में सुधार किया, चौदह⁶ में यह कम हो गया। उत्तराखंड और केरल पुलिस में करीब 10 फीसदी अधिकारी हैं। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में पश्चिम बंगाल (31.5 प्रतिशत), झारखंड (25.4 प्रतिशत) और बिहार (23.4 प्रतिशत) में अधिकारियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि बिहार में 50 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों की रिक्तियां होने के बावजूद राज्य में 37,351 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले केवल 17,274 अधिकारी हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर, अधिकारी स्तर पर औसत रिक्ति 28.6 प्रतिशत है (सबसे बड़ी कमी उप-निरीक्षकों में 35 प्रतिशत है), इसके बाद आईजीपी में 30 प्रतिशत, निरीक्षकों में 27 प्रतिशत और एसआई में 24 प्रतिशत है।⁷ ये संख्याएँ चिंताजनक हैं क्योंकि वे जांच क्षमता और एक बड़े पुलिस बल की निगरानी में बाधा डाल रहे हैं। 9 बड़े राज्यों सहित लगभग 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁸ में 25 प्रतिशत या उससे अधिक रिक्त अधिकारी पद थे। बिहार (53.8 प्रतिशत के साथ) में सबसे अधिक रिक्तियां थीं, उसके बाद राजस्थान (45.6 प्रतिशत) का स्थान था।

जनवरी 2020 और जनवरी 2022 के बीच, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान सहित 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों⁹ ने अपनी स्वीकृत शक्ति में वृद्धि की, जबकि 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में यह कम हो गई।¹⁰

महाराष्ट्र और चंडीगढ़¹¹, में स्वीकृत संख्या कम होने के बावजूद, रिक्ति स्तर में वृद्धि देखी गई - इसी अवधि में क्रमशः 22 प्रतिशत से 25 प्रतिशत और 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक। मध्य प्रदेश (49 प्रतिशत से 21 प्रतिशत), पुडुचेरी (47 प्रतिशत से 33 प्रतिशत), कर्नाटक (19 प्रतिशत से 11 प्रतिशत) और तेलंगाना (14 प्रतिशत से 7 प्रतिशत) ने अपनी स्थिति में काफी सुधार किया। 2014 के बाद से, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य रहा है जिसके पास स्वीकृत सीमा से अधिक अधिकारी हैं। 2017 से 2021 तक पांच वर्षों में देखा जाए तो 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों¹² में अधिकारी रैंक में रिक्तियां बढ़ी हैं।

कांस्टेबलरी रिक्तियां: तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित

पुलिस बल की उचित संरचना के लिए दांत-से-पूंछ अनुपात को एक महत्वपूर्ण निर्धारक माना जाता है।¹³ यह अधिकारियों और कांस्टेबलों की ताकत के बीच का अनुपात है।¹³ पुलिस सुधार पर पद्मनाभैया समिति 1:4 के दांत-से-पूंछ¹⁴ अनुपात¹⁴ की सिफारिश करती है।

केवल 7 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी कमी कम¹⁵ की जबकि 26 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नहीं कर सके।¹⁶ पश्चिम बंगाल में रिक्तियां 44.1 प्रतिशत तक पहुंच गईं। 2017 और 2021 के बीच पांच साल की अवधि में, 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों¹⁷ में कांस्टेबल रिक्तियों में वृद्धि हुई; सबसे अधिक 4.81 प्रतिशत अंक की वृद्धि के साथ, महाराष्ट्र में। नागालैंड- जहां सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 लागू है- एकमात्र राज्य बना हुआ है जो स्वीकृत से 2 प्रतिशत अधिक कांस्टेबलरी रखता है।

एक सामान्य भर्ती चक्र - नौकरी के नोटिस जारी होने से लेकर उस समय तक जब नई भर्तियाँ तैनाती के लिए अर्हता प्राप्त करती हैं - इसमें दो साल तक का समय लग सकता है। अनियमित भर्ती चक्रों के कारण साल-दर-साल भारी उतार-चढ़ाव होता है। उदाहरण के तौर पर, जनवरी 2017 में, महाराष्ट्र में 8% अधिकारियों की रिक्तियां थीं; 2020 तक यह बढ़कर 22% हो गया। 2021 में सिर्फ एक साल के भीतर यह संख्या लगभग दोगुनी होकर 42% हो गई। 2022 में यह घटकर 25% रह गई है।

उत्तर प्रदेश अपनी रिक्तियों को 2017 में 62% से घटाकर 2020 में 40% करने में सक्षम रहा, जिसमें 2022 में 42% की मामूली वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में, रिक्तियां 2017 में 8% से बढ़कर 2020 में 48% और 2022 में 21% हो गईं।

6 हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, तेलंगाना, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, लक्षद्वीप, झारखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

7 जनवरी 2022 तक, सब-इंस्पेक्टर की रिक्तियां 38 प्रतिशत थीं, जबकि एसआई और एसआई की रिक्तियां 28 प्रतिशत थीं।

8 बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, झारखंड, ओडिशा, असम, मिजोरम, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू & कश्मीर।

9 उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, दिल्ली, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, केरल, असम, पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड।

10 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी।

11 महाराष्ट्र में अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 39,985 से घटकर 37,647 और चंडीगढ़ में 707 से घटकर 609 हो गई।

12 त्रिपुरा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मेघालय, पंजाब, मिजोरम, मणिपुर, असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा

13 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, पुलिस संगठन पर डेटा, 2022।

यहां उपलब्ध है: <https://bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/202301110504030641146DataonPoliceOrganizations.pdf>

14 राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, द्वारा की गई सिफारिशों का सारांश पुलिस सुधार पर पद्मनाभैया समिति। यहां उपलब्ध है: https://www.humanrightsinitiative.org/programs/aj/police/india/initiatives/summary_padmanabaiiah.pdf

15 तेलंगाना, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

16 मणिपुर, लक्षद्वीप, असम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, ओडिशा, दिल्ली, गोवा, नागालैंड, महाराष्ट्र।

17 महाराष्ट्र, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, नागालैंड, केरल, त्रिपुरा, ओडिशा, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।

आंध्र प्रदेश में 'महिला पुलिस'

पुलिस कर्मियों की संख्या की गणना करते समय, पुलिस संगठन 2022-पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का डेटा रैंक के आधार पर कर्मियों की श्रेणियों को सारणीबद्ध करता है। इसके अलावा, "अन्य यदि कोई हो" शीर्षक वाला एक अपरिभाषित कॉलम भी है। ये सब मिलकर एक राज्य की कुल पुलिस बनाते हैं। "अन्य यदि कोई है" आम तौर पर उन भूमिकाओं में कार्यरत लोगों की श्रेणी को इंगित करता है जो सहायक क्षमताओं में पुलिस के काम में सहायता करते हैं। इसमें अल्पकालिक टाइपिस्ट और मशीन ऑपरेटर से लेकर मैसेंजर बॉय, मुखबिर, सफाई कर्मचारी और अन्य अस्थायी या संविदात्मक मंत्रालयिक (contractual ministerial) और नौकर कर्मचारी (menial staff) शामिल हो सकते हैं।

जनवरी 2022 तक, 'अन्य' श्रेणी की कुल स्वीकृत ताकत लगभग 1.3 लाख है, जबकि वास्तविक ताकत 1.1 लाख है। इस श्रेणी की संख्या ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान में शून्य से लेकर आंध्र प्रदेश में 29,179 और उत्तर प्रदेश में 17,295 तक है। राष्ट्रीय स्तर पर, वास्तविक संख्या कुल (20.9 लाख) का 5% है।

आंध्र प्रदेश के लिए, 547 महिला अधिकारी, 3172 कांस्टेबल हैं और 'अन्य यदि कोई' श्रेणी में 15,580 महिलाओं को 'महिला पुलिस' के रूप में शामिल किया गया है।¹⁸ इसने कुल पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो इसे 21.8% तक बढ़ा देती है। जनवरी 2020 में 5.8 प्रतिशत से जनवरी 2022। फिर भी क्या 'महिला पुलिस'¹⁸ दल को पुलिस कर्मी माना जा सकता है या मंडल स्तर पर ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता हैं, यह अनिश्चित और विवादास्पद बना हुआ है।

दिनांक 10.10.2019 के एक सरकारी आदेश ने कर्मियों का एक वर्ग बनाया, जिसे ग्राम महिला संरक्षण कार्यदर्शी / वार्ड महिला संरक्षण कार्यदर्शी के रूप में जाना जाता है, जिसमें मामलों की जांच में SHO की सहायता करना और आईओ के आगमन से पहले अपराध स्थल की सुरक्षा करना आदि शामिल थे। बाद में, एक संशोधन अधिसूचना G.O.Ms.No 59 दिनांक 23.06.2021 ने ग्राम महिला संरक्षण कार्यदर्शी/वार्ड

महिला संरक्षण कार्यदर्शी को 'महिला पुलिस' से प्रतिस्थापित कर दिया। इस आदेश में उनके प्रशिक्षण को 'प्रचलन' के रूप में प्रदान किया गया, महिला कांस्टेबलों के समान वर्दी और विभिन्न अधिनियमों के तहत समान अधिकार और शक्तियाँ जो कांस्टेबलों को दी गई हैं। हेड कांस्टेबलों के पद और पदोन्नति के रास्ते भी उपलब्ध कराए गए।

एक जनहित याचिका (पीआईएल) ने इस सरकारी आदेश की संवैधानिकता को चुनौती दी। 15,000 महिलाओं के पुलिस कर्मी होने के विवरण में चुनौतियाँ उन्हें शामिल करने के तरीके (बल में प्रवेश को नियंत्रित करने वाले सख्त नियमों का पालन किए बिना) से लेकर, उनके कार्यों में स्वतंत्र हस्तक्षेपों के बारे में चिंताएं, जिन्हें 'पुलिस' कहा जाता है और शामिल हैं। वर्दी में उपस्थिति का मतलब।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सवालियों का सामना करते हुए, दिसंबर 2021 में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपमानजनक आदेश वापस ले लिया और इसके बजाय इसे आंध्र प्रदेश महिला पुलिस (अधीनस्थ सेवा नियम, 2021) दिनांक 12.01.2022 के साथ संशोधित किया। इस बार इस स्थिति की फिर से पुष्टि हुई कि ये पुलिस विभाग के भीतर एक अलग कार्यक्षेत्र बनने जा रहे थे। अब सहायक कर्मियों का नाम बदलकर महिला पुलिस कर दिया गया। जीओ ने उनकी विशिष्ट वर्दी और प्रतीक चिन्ह का विवरण दिया; उनकी शक्तियों और कार्यों को परिभाषित किया; नियुक्ति निकाय और प्रक्रियाएं निर्धारित कीं; और प्रशिक्षण, परिवीक्षा की अवधि की रूपरेखा, रैंक, पदोन्नति के रास्ते और पर्यवेक्षण पदानुक्रम निर्दिष्ट करता है।

जनहित याचिका लिखे जाने तक, इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकला था कि महिला पुलिस को पुलिस कर्मी माना जाएगा या नहीं। हालाँकि, आंध्र योजना और अन्य राज्यों में 'अन्य' की बढ़ती संख्या बाहरी भर्ती के माध्यम से पुलिसिंग कार्यों को बढ़ाने की बढ़ती राष्ट्रीय प्रवृत्ति को इंगित करती है, जो पुलिस भर्ती अनुशासन और जवाबदेही मानकों को पूरा नहीं करती है, फिर भी 'के तहत कार्य करती प्रतीत होती है। 'पुलिसिंग' पुलिस अधिनियम में निर्धारित है।

18 'सरकार ने एपी महिला पुलिस विंग के लिए नियमों को अधिसूचित किया', द हिंदू, 13 जनवरी 2022। यहां उपलब्ध है: <https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/govt-notify-rules-for-ap-mahila-pulis-ving/article38261660.ece>

जनसंख्या/सिविल पुलिस: जनवरी 2022 तक, देश भर में 831 लोगों की सेवा के लिए एक पुलिस व्यक्ति उपलब्ध था (सिविल और जिला सशस्त्र पुलिस को मिलाकर)। यह जनवरी 2020 में 858 से थोड़ा सुधार है। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों¹⁹ में, पुलिस-से-जनसंख्या अनुपात में कमी आई है (इस कमी को समझने के लिए 'अन्य' पर बॉक्स देखें)। पंजाब में प्रत्येक 500 लोगों पर एक पुलिसकर्मी का अनुपात सबसे अच्छा है, जबकि बिहार का अनुपात 146 तक खराब होकर प्रति 1,695 लोगों पर एक पुलिसकर्मी पर पहुंच गया है।

विविधता²⁵

एससी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (%), जनवरी 2022)

एससी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (%), जनवरी 2022)

एसटी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (%), जनवरी 2022)

एसटी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (%), जनवरी 2022)

ओबीसी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (%), जनवरी 2022)

ओबीसी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (%), जनवरी 2022)

पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी (%), जनवरी 2022)

अधिकारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी (%), जनवरी 2022) कुल पुलिस में महिलाएं (पीपी, CY'17-'21)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण²⁶: संवैधानिक समानता सभी राज्यों को जाति कोटा आरक्षित करने का आदेश देती है। इस मानक के पीछे की आकांक्षा सभी क्षेत्रों में लगातार कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रतिनिधित्व में अंतर को दूर करना है - जिसका नेतृत्व सरकारें कर रही हैं। जनवरी 2022 तक, अनुसूचित जाति कुल कार्यरत पुलिस बल का 15.99 प्रतिशत²⁷ (जनसंख्या में 16 प्रतिशत हिस्सेदारी के मुकाबले), अनुसूचित जनजाति

संस्वीकृत कार्मिक संख्या

रक्तियों का जटिल प्रश्न न्याय प्रणाली पर कुठाराघात करता है। स्वीकृत संख्या में कमी से रक्ति के स्तर में कमी आ सकती है। उदाहरण के तौर पर, दो वर्षों²⁰ में केरल ने नागरिक पुलिस की स्वीकृत संख्या में 239 कर्मियों की कमी कर दी। नतीजतन, रक्तियां कम हो गई हैं (10% से 8.8%) लेकिन 'कार्यभार' (जनसंख्या-से-पुलिस अनुपात) बढ़ गया है (773 व्यक्तियों से 776 व्यक्तियों तक)।

प्रशासन समय-समय पर स्वीकृत शक्ति को संशोधित करता है, हालांकि 'आदर्श' अनिश्चित रहता है। सुझाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानक 222 प्रति लाख जनसंख्या है।²¹ राज्य और शहर स्तर पर आधिकारिक और नागरिक समाज के अध्ययनों ने इष्टतम मानव संसाधन आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए मानदंड निर्धारित करने का प्रयास किया है जो वर्तमान ताकत से 457% से 621% तक की वृद्धि का सुझाव देता है।²² 2014 ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अध्ययन ने तीन शिफ्ट पुलिसिंग के आधार पर गणना की कि 61% अधिक कर्मियों की आवश्यकता थी।²³ 1982 से केरल ने एक पुलिस स्टेशन की न्यूनतम शक्ति के रूप में 1SI:1 ASI: 5HC: 25 PC का मानदंड निर्धारित किया है, लेकिन पुलिस स्टेशनों में वृद्धि के साथ-साथ वित्तीय बाधाएं इस मानदंड को बनाए रखने में एक चुनौती पैदा करती हैं, जिससे इस मानदंड को बनाए रखना एक चुनौती बन जाता है। भारत - दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश - प्रति लाख जनसंख्या पर 152.8 पुलिसकर्मी हैं।²⁴

11.77 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 30.79 प्रतिशत और महिलाएं 11.75 प्रतिशत हैं। विभिन्न धार्मिक समूहों के प्रतिनिधित्व पर डेटा 2014 से अनुपलब्ध है।²⁸ उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद, पुलिस विभागों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भर्ती शुरू कर दी है, लेकिन विस्तृत राज्य-वार डेटा अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

19 आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, सिक्किम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़।

20 जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तक

21 पीआरएस विधायी अनुसंधान, भारत में पुलिस सुधार। यहां उपलब्ध है: <https://prsindia.org/policy/analytical-reports/police-reforms-india>

22 नागरिकता और लोकतंत्र के लिए जनाग्रह केंद्र, जनशक्ति आवश्यकता अध्ययन, बैंगलोर सिटी पुलिस, 2014। यहां उपलब्ध है: <https://www.janaagraha.org/files/publications/Manpower-Requirements-Study-March-2014.pdf>

23 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, पुलिस संगठन पर डेटा, पुलिस स्टेशनों में 8 घंटे की शिफ्ट के लिए जनशक्ति की राष्ट्रीय आवश्यकता; अगस्त 2014

24 कुल वास्तविक पुलिस संख्या (सिविल + डीएआर + विशेष सशस्त्र + आईआरबी) के मुकाबले पुलिस-प्रति-लाख-जनसंख्या अनुपात (पीपीआर), पुलिस संगठन पर डेटा, 2022, पी। 76.

25 विविधता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाएं शामिल हैं।

26 आरक्षण पर बीपीआरडी डेटा छह रैकों के लिए डेटा की गणना करता है: एसपी/उप. एसपी/सहायक. कमांडेंट, इंस्पेक्टर/रिजर्व इंस्पेक्टर, एस.आई/रिजर्व सब-इंस्पेक्टर (एसआई), एसआई/एसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल।

27 भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत की जनगणना, 2011। यहां उपलब्ध है: <https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables>

28 एनएलएसए बनाम भारत संघ, 2014, '[टी] उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर और अन्य लिंग गैर-अनुरूप व्यक्तियों को कानूनी मान्यता दी। इसने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्राप्त करने की अनुमति दें।

गुजरात और मणिपुर अधिकारी और कांस्टेबल दोनों स्तरों पर अपने एससी कोटा को पूरा करने के लिए अग्रणी हैं, जबकि बिहार, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश अपने एसटी कोटा को पूरा करने के लिए हैं। जब ओबीसी की बात आती है तो राज्यों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर होता

है। कम से कम 9 राज्यों (कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु और केरल) ने अपना ओबीसी कोटा पूरा कर लिया है।

चित्र 13 पुलिस में एससी, एसटी, ओबीसी रिक्तियां



टिप्पणी: 1. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए संयुक्त एससी/एसटी/ओ. बी. सी. आरक्षण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण डेटा उपलब्ध नहीं है। 3. मेघालय में अनुसूचित जातियों के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण स्वीकृत नहीं है। 4. बी. पी. आर. एंड डी. अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड के लिए 0 प्रतिशत अनुसूचित जाति आरक्षण दिखाता है। 5. बी. पी. आर. एंड डी. लद्दाख के लिए 0 अनुसूचित जाति अधिकारी के आंकड़े दिखाता है। 6. बी. पी. आर. एंड डी. ने मिजोरम, चंडीगढ़ और हरियाणा के लिए 0 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति आरक्षण दिखाया है। 7. बी. पी. आर. एंड डी. ने अरुणाचल प्रदेश, एल. के लिए 0 प्रतिशत ओ. बी. सी. आरक्षण दिखाया।

कुछ राज्यों में, आरक्षित समूहों का प्रतिशत हिस्सा अधिकारी और कांस्टेबल स्तर के बीच काफी भिन्न होता है। उत्तराखंड में एससी के लिए 19 फीसदी आरक्षण के मुकाबले कांस्टेबल स्तर पर एससी के लिए आरक्षित 98 फीसदी पद भरे जा चुके हैं, जबकि अधिकारियों के लिए यह सिर्फ 54 फीसदी है। उत्तराखंड में, एसटी के लिए 4 प्रतिशत कोटा के मुकाबले, 132 प्रतिशत कांस्टेबल पद भरे गए, लेकिन केवल 55 प्रतिशत अधिकारी ही भरे गए। इसके विपरीत, गोवा में अधिकारी स्तर पर एससी की हिस्सेदारी कांस्टेबलरी (43 प्रतिशत) की तुलना में बहुत अधिक है (110 प्रतिशत)।

आरक्षण लक्ष्य पूरा करने में असम और जम्मू-कश्मीर का प्रदर्शन सबसे खराब है।

अधिक राज्य अधिकारी स्तर के बजाय कांस्टेबलरी के भीतर कोटा पूरा करने में सक्षम हैं। जबकि 6 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने एससी कांस्टेबल कोटा को पूरा किया, केवल 5 ने एससी अधिकारियों के कोटा को पूरा किया। बारह राज्यों ने एसटी कांस्टेबल कोटा को पूरा किया, जबकि केवल 7 ने अपने अधिकारी कोटा को पूरा किया। ओबीसी कोटा 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिकारी कोटा में भरे गए। स्तर पर और 13 कांस्टेबलरी स्तर पर।

लिंग: पुलिस बल में कितनी महिलाएँ होनी चाहिए, इसके लिए अधिकांश राज्यों का अपना विशिष्ट कोटा है। जबकि 6 केंद्रशासित प्रदेशों³⁵ और 9 राज्यों³⁶ का लक्ष्य 33 प्रतिशत है, अन्यत्र, लक्ष्य बिहार के 35 प्रतिशत से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में 10 प्रतिशत तक है। केरल और मिजोरम सहित³⁸ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोई आरक्षण नहीं है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में कांस्टेबल स्तर पर महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत रिक्तियाँ आरक्षित की हैं।

जनवरी 2022 तक, कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया था। 21.8 प्रतिशत के साथ आंध्र प्रदेश में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसने हाल ही में 'महिला पुलिस' नामक 15,000 महिला-सशक्त सहायक बल बनाया है।

अधिक राज्य अधिकारी स्तर के बजाय कांस्टेबलरी के भीतर कोटा पूरा करने में सक्षम हैं। जबकि 6 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों²⁹ ने अपने एससी कांस्टेबल कोटा को पूरा किया, केवल 5 ने एससी अधिकारियों के कोटा को पूरा किया।³⁰ बारह राज्यों³¹ ने एसटी कांस्टेबल कोटा को पूरा किया, जबकि केवल 7 ने अपने अधिकारी कोटा को पूरा किया। ओबीसी कोटा³² 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों³³ द्वारा अधिकारी कोटा में भरे गए। स्तर पर और 13 कांस्टेबलरी स्तर पर।³⁴

महिलाओं के लिए पर्याप्त महिलाएं?

“गृह मंत्रालय ने महिला पुलिस का प्रतिनिधित्व 33% तक बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों को दिनांक 22.04.2013, 21.05.2014, 12.05.2015, 21.06.2019, 22.06.2021 और 13.04.2022 को सलाह जारी की है। कुल ताकत. सभी राज्य सरकारों से कांस्टेबल/उप-निरीक्षकों के रिक्त पदों को परिवर्तित करके महिला कांस्टेबल/उप-निरीक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित करने का अनुरोध किया गया है। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम 3 महिला सब-इंस्पेक्टर और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल हों, ताकि एक महिला हेल्प डेस्क चौबीसों घंटे तैनात रहे।³⁹”

जनवरी 2022 में देश में 17,535 पुलिस स्टेशन और 13,146 महिला एसआई थीं। लक्ष्य पूरा करने के लिए अन्य 39,459 महिला एसआई की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, केवल दिल्ली, 225 पुलिस स्टेशनों और 1,086 महिला एसआई के साथ, और मिजोरम, 44 पुलिस स्टेशनों और 119 एसआई के साथ, आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखते हैं।⁴⁰ जनवरी 2022 तक देश में रिकॉर्ड पर 180,685 महिला कांस्टेबल थीं। यदि इन्हें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में समान रूप से तैनात किया जाता है, तो 18 में सलाहकार बेंचमार्क को पूरा करने के लिए पर्याप्त महिला कांस्टेबल⁴¹ होंगी।

29 सिक्किम, कर्नाटक, मणिपुर, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु

30 गुजरात, मणिपुर, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश।

31 बिहार, लक्षद्वीप, कर्नाटक, लद्दाख, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश।

32 लद्दाख, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, लक्षद्वीप

33 पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल

34 ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, पुडुचेरी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, केरल, तमिलनाडु, गुजरात।

35 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, डीएनएच एवं डीडी, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़।

36 आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड, सिक्किम, पंजाब।

37 बिहार सरकार के नियम के मुताबिक महिलाओं के लिए 35 फीसदी और पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए 3 फीसदी आरक्षण है।

38 जम्मू और कश्मीर, केरल, मिजोरम, गोवा, लद्दाख।

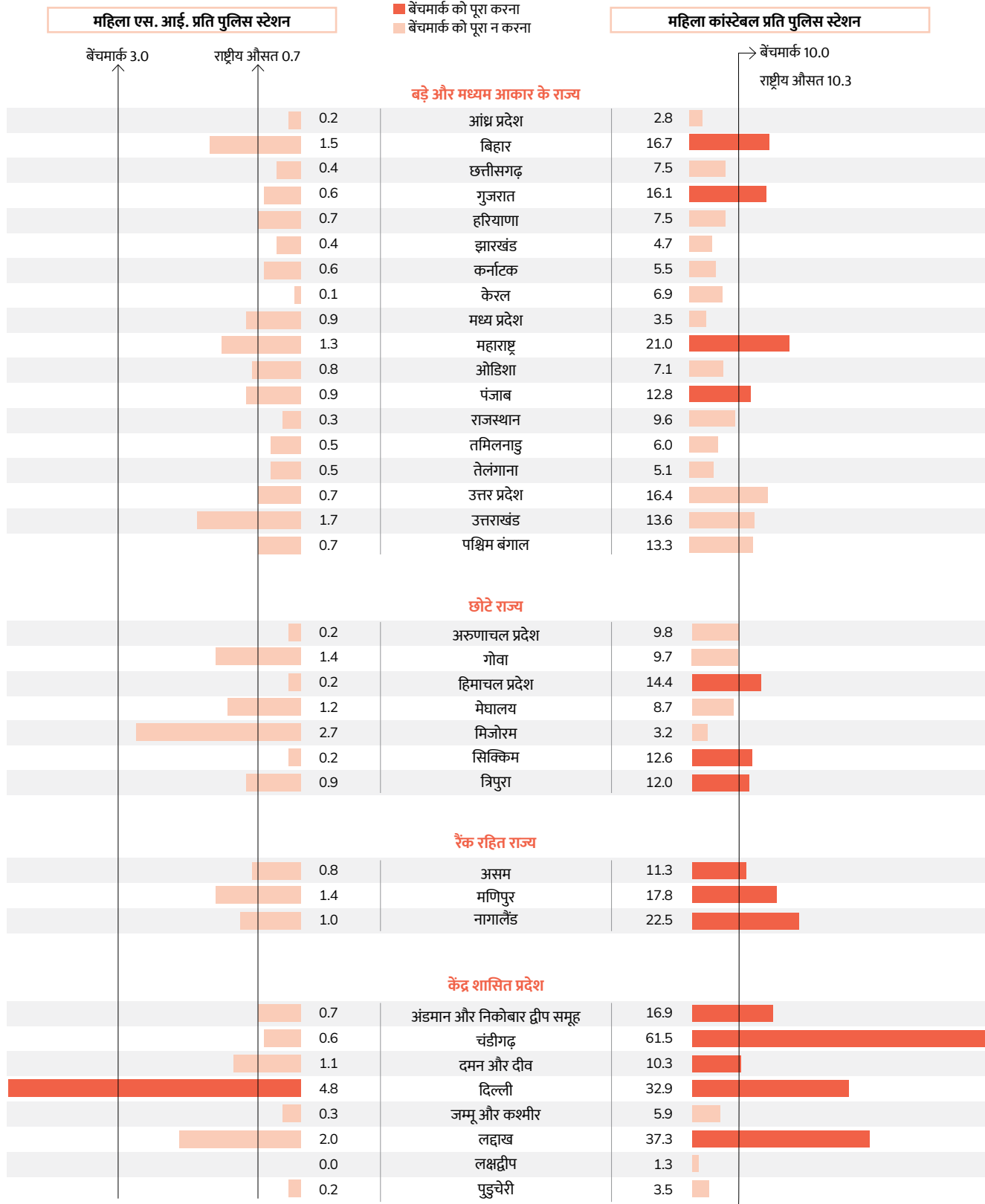
39 राज्यसभा अतारंकित प्रश्न संख्या 701 दिनांक 8 फरवरी 2023। यहां उपलब्ध है: <https://pqars.nic.in/annex/259/AU701.pdf>

40 यह मानते हुए कि बल में शामिल सभी महिलाएं केवल पुलिस स्टेशनों पर तैनात हैं, जो अक्सर मामला नहीं होता है

41 महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, नागालैंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, असम, लद्दाख, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, डीएनएच और डीडी

चित्र 14 महिला पुलिसकर्मी: संख्या बढ़ रही है लेकिन अभी भी बहुत कम है

गृह मंत्रालय के कई सलाहकारों ने सिफारिश की है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला सब-इंस्पेक्टर (एस. आई.) और 10 महिला कांस्टेबल हों। दिल्ली को छोड़कर, कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एस. आई. के लिए इस मानदंड को पूरा नहीं करता है।



नोट: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को श्रेणी के भीतर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है।
स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, 2022, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.)

राज्य में महिला कांस्टेबलों की वास्तविक संख्या 3,172 है ('अन्य यदि कोई हो' बॉक्स देखें)। लेकिन एपी अभी भी 33 प्रतिशत के अपने आरक्षण लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ है। बिहार (21.2 प्रतिशत) और तमिलनाडु (19.1 प्रतिशत) में भी महिलाओं की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन वे क्रमशः 35 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के अपने घोषित लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं। झारखंड में 33 प्रतिशत कोटा है, लेकिन 6.2 प्रतिशत के साथ, महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे कम है, इसके बाद छत्तीसगढ़ (7.1 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (7.4 प्रतिशत) का स्थान है। महिलाएं पुलिस पदानुक्रम में निचले पायदान पर हैं। महिला अधिकारी उस कैडर में केवल 8 प्रतिशत हैं: 21.4 प्रतिशत के साथ मिजोरम, 18.1 प्रतिशत के साथ उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है, जो राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। जम्मू-कश्मीर की हिस्सेदारी 1.4 प्रतिशत के साथ सबसे कम है। लक्षद्वीप, जिसमें 16 पुलिस अधिकारी हैं, के पुलिस बल में कोई महिला अधिकारी नहीं है।

बजट

प्रति व्यक्ति पुलिस पर खर्च (₹, 2020-21)

आधुनिकीकरण निधि का उपयोग (% , 2020-21)
(संशोधित)

प्रति कार्मिक प्रशिक्षण पर व्यय (₹, 2020-21) (संशोधित)

कुल पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट का हिस्सा
(प्रतिशत, 2020-21) (संशोधित) **नया**

प्रशिक्षण बजट उपयोग

(%, ₹, 2020-21) (संशोधित) **नया**

खर्च में अंतर: पुलिस बनाम राज्य (पीपी, वित्तीय वर्ष '17-21)

प्रभावी प्रशासन और इष्टतम कार्य क्षमताएं काफी हद तक पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और योजना पर निर्भर करती हैं। परिवर्तन कैसे आगे बढ़ता है, इस पर इन दोनों कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 2016-17 और 2020-21 के बीच पुलिस पर राष्ट्रीय खर्च 35 फीसदी बढ़ गया। अधिकांश राज्यों में पुलिस व्यय में वृद्धि राज्य व्यय में वृद्धि से अधिक है। 2016-17 और 2020-21 के बीच, 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁴² के लिए पुलिस व्यय में वृद्धि कुल राज्य व्यय में समग्र वृद्धि से अधिक है। उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश के कुल राज्य व्यय में 5.16 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई, लेकिन पुलिस पर व्यय 11.16 प्रतिशत अंक तक बढ़ गया। गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित दिल्ली पुलिस ने अपने बजट में 37 प्रतिशत की वृद्धि की। पुलिसिंग पर पांच साल की सबसे बड़ी

बजट व्यय वृद्धि झारखंड (70 प्रतिशत के साथ) और पश्चिम बंगाल (67 प्रतिशत) में देखी गई।

प्रति व्यक्ति पुलिस खर्च: 2020-21 में केरल⁴³ को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रति पुलिस व्यक्ति खर्च में वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय औसत रु. 1,151- रुपये से वृद्धि। पिछले साल 911.5. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से ग्यारह⁴⁴ राज्य राष्ट्रीय औसत से कम खर्च करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁴⁵ में प्रति व्यक्ति खर्च सबसे अधिक है, उनमें से 5 केंद्रशासित प्रदेश हैं, 2 एफएसपीए-राज्य हैं और शेष 3 छोटे राज्य हैं। प्रति पुलिस व्यक्ति का औसत खर्च भी नाटकीय रूप से भिन्न होता है; बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से, जबकि पंजाब रुपये खर्च करता है। प्रति व्यक्ति 2,055 रुपये खर्च करता है बिहार 641. सिक्किम जैसा छोटा राज्य (6,559 रुपये) अपने घनी आबादी वाले पड़ोसी पश्चिम बंगाल की तुलना में पुलिस पर काफी अधिक खर्च करता है, जो केवल रुपये खर्च करता है। 909.

आधुनिकीकरण निधि का उपयोग: 1969-1970 के बाद से, राज्य पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से सशर्त वित्तीय सहायता के पात्र रहे हैं, मुख्य रूप से अत्याधुनिक हथियार और संचार/फोरेसिक उपकरण, प्रशिक्षण सहायता, साइबर पुलिसिंग आदि के अधिग्रहण के लिए। अपना वित्तीय योगदान भी देते हैं। अनुपात 90:10 (उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर के लिए) से लेकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के लिए 60:40 तक है।⁴⁶

2016-17 और 2020-21 के बीच, राज्यों को कुल केंद्रीय निधि आवंटन रुपये से 46 प्रतिशत कम हो गया। 2,066.27 करोड़ रु. 1,123.05 करोड़, और उपयोग 75 प्रतिशत⁴⁷ से घटकर 47 प्रतिशत⁴⁸ हो गया।

उपयोग एक चुनौती बनी हुई है। 2020-2021 तक, 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से, जिनके लिए डेटा उपलब्ध था, केवल गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी ने अपने संपूर्ण आधुनिकीकरण अनुदान का उपयोग करने की सूचना दी। आठ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 50 प्रतिशत से कम उपयोग किया। सबसे कम उपयोग करने वाले राज्यों में मणिपुर (1.5 प्रतिशत), असम (11.5 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (24.5 प्रतिशत) थे।

प्रशिक्षण बजट और उपयोग: देश भर में संचयी रूप से देखा जाए तो, कुल पुलिस बजट (1.78 लाख करोड़ रुपये) का केवल 1.3 प्रतिशत

42 उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, त्रिपुरा, गोवा, पुदुचेरी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र

43 डीएनएच और डीडी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की तुलना नहीं की गई।

44 बिहार, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश।

45 लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, चंडीगढ़

46 गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण। यहां उपलब्ध है: https://www.mha.gov.in/vision_of_mha/Police%20Modernisation%20Division/modernisation-of-state-police-forces-mpf-sch

47 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, पुलिस संगठन पर डेटा, 2017।

48 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, पुलिस संगठन पर डेटा, 2022।

49 तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर

(2020-21)⁵⁰ प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया गया था। प्रशिक्षण बजट में से रु. 2,253.09 करोड़ में से केवल 84 प्रतिशत का उपयोग किया गया, जिससे वास्तविक खर्च 1.1 प्रतिशत या दूसरे शब्दों में, रुपये से थोड़ा अधिक हो गया। 9,000 प्रति पुलिस व्यक्ति प्रति वर्ष।

उत्तीस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁵¹ ने राष्ट्रीय औसत से कम खर्च किया। 2016-17⁵² से प्रशिक्षण के लिए आवंटन में वृद्धि हुई है लेकिन 2 प्रतिशत तक नहीं पहुंची है। जिन राज्यों ने प्रशिक्षण पर अपना आवंटन लगातार बढ़ाया है उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है - जहां यह रुपये से बढ़ा है। 144.9 करोड़ (2016-17) से रु. 283.46 करोड़ (2020-21)—96 प्रतिशत की छलांग, जिससे यह चार वर्षों की अवधि में सबसे बड़ी वृद्धि है। इसी अवधि में तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ने वास्तव में अपने बजट में क्रमशः 9.8 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 52.9 प्रतिशत की कमी की है।⁵³

चौदह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों,⁵⁴ ने प्रशिक्षण के लिए अपने कुल पुलिस बजट का 1 प्रतिशत से भी कम आवंटित किया, जिसमें से केवल गुजरात ही पूरी राशि का उपयोग करने में सक्षम था। सर्वाधिक 5.4 प्रतिशत आवंटन के साथ अरुणाचल प्रदेश ने अपने प्रशिक्षण बजट का 96 प्रतिशत उपयोग किया। पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में क्रमशः 0.04 और 0.05 प्रतिशत के साथ सबसे कम प्रशिक्षण बजट था।

आधारभूत संरचना

प्रति पुलिस स्टेशन जनसंख्या: पुलिस स्टेशन के स्थान जनसंख्या, अपराध प्रोफाइल, स्थलाकृति और वित्त और मानव संसाधन उपलब्धता सहित कई अन्य विचारों से तय होते हैं। 2012 से 2022 के बीच पुलिस स्टेशनों की संख्या में 23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रव्यापी, 17,535 पुलिस स्टेशन 1.37 अरब की आबादी और 3,287,469 वर्ग किमी क्षेत्र की सेवा करते हैं। इसका औसत लगभग 78,344 लोगों के लिए एक पुलिस स्टेशन और 187 वर्ग किमी का कवरेज है।

कुल मिलाकर, भले ही भारत की 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, क्षेत्र-वार पुलिसिंग मशीनरी शहरी क्षेत्रों में कहीं अधिक केंद्रित है।

औसतन, एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन 337.4 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करता है - इसका मतलब शहरी पुलिस स्टेशन (20.2 वर्ग किमी) द्वारा कवर किए गए क्षेत्र का 16.7 गुना है।

प्रति पुलिस स्टेशन जनसंख्या (ग्रामीण) (जनवरी 2022)

प्रति पुलिस स्टेशन जनसंख्या (शहरी) (जनवरी 2022)

प्रति पुलिस स्टेशन क्षेत्र (ग्रामीण) (वर्ग किमी, जनवरी 2022)

प्रति पुलिस स्टेशन क्षेत्र (शहरी) (वर्ग किमी, जनवरी 2022)

प्रति प्रशिक्षण संस्थान पुलिस कर्मी (संख्या, जनवरी 2022)

राज्यों के नागरिक पोर्टल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ (%), 2022)

सीसीटीवी वाले पुलिस स्टेशनों की हिस्सेदारी (%), जनवरी 2022) **नया**

महिला हेल्प डेस्क वाले पुलिस स्टेशनों की हिस्सेदारी (%), जनवरी 2022) **नया**

सभी तीस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में, जिनके लिए डेटा उपलब्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस स्टेशन शहरी क्षेत्रों की तुलना में बड़े क्षेत्रों में सेवा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण पुलिस स्टेशन शहरी पुलिस स्टेशनों की तुलना में 118 गुना अधिक क्षेत्र कवर करते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह क्रमशः 41 और 36 गुना है। केरल और पुदुचेरी एकमात्र ऐसे भूगोल हैं जहां अंतर मामूली है।⁵⁶ बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, राजस्थान प्रति ग्रामीण पुलिस स्टेशन के लिए सबसे बड़े क्षेत्र (684 वर्ग किमी प्रति पीएस) और केरल में प्रति शहरी पुलिस स्टेशन के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र (74 वर्ग किमी) है। किमी प्रति पीएस)।

औसतन, ग्रामीण पुलिस स्टेशन शहरी पुलिस स्टेशनों (94,683) की तुलना में थोड़ी बड़ी और शायद अधिक बिखरी हुई आबादी (97,362) की सेवा करते हैं। हालाँकि, शहरों और कस्बों में आबादी की संकेंद्रित प्रकृति के कारण, 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁵⁷ में शहरी पुलिस स्टेशन अपने ग्रामीण समकक्षों की तुलना में अधिक आबादी को सेवा प्रदान करते हैं: केरल के शहरी पुलिस स्टेशन ग्रामीण की तुलना में दस गुना अधिक आबादी को सेवा प्रदान करते हैं, जबकि गुजरात में चार गुना। तेलंगाना में, ग्रामीण और शहरी दोनों स्टेशन लगभग समान संख्या में सेवा प्रदान करते हैं। बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, प्रति

50 पुलिस संगठनों पर डेटा, 2022, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी)

51 कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मेघालय, गोवा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल।

52 BPR&D ने DoPO 2018 रिपोर्ट से पुलिस प्रशिक्षण बजट पर डेटा प्रदान करना शुरू किया।

53 तमिलनाडु से रु. 174.76 करोड़ से 157.72 करोड़, त्रिपुरा रु. 23.08 करोड़ से 15 करोड़ और पश्चिम बंगाल रु. 10.15 करोड़ से 4.78 करोड़

54 केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गोवा, चंडीगढ़, मेघालय, उत्तराखंड, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, गुजरात।

55 अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है

56 केरल के शहरी और ग्रामीण पुलिस स्टेशन लगभग समान क्षेत्रों में सेवा प्रदान करते हैं, शहरी में (74 वर्ग किमी) और ग्रामीण में (82 वर्ग किमी)। इसी तरह, पुदुचेरी का शहरी पुलिस स्टेशन भी ग्रामीण (21 वर्ग किमी) की तुलना में थोड़ा छोटा (11 वर्ग किमी) क्षेत्र में कार्य करता है।

57 तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, सिक्किम, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, दीएनएच और डीडी, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल।

चित्र 15: भारत: पुलिस प्रशिक्षण बजट (2020-21)

लगभग 21 लाख की संख्या वाले बल के लिए प्रशिक्षण पर कुल खर्च 2,253 करोड़ रुपये है। इसका मतलब है कि प्रति पुलिस कर्मी का राष्ट्रीय वार्षिक औसत खर्च मात्र 9,000 रुपये है।

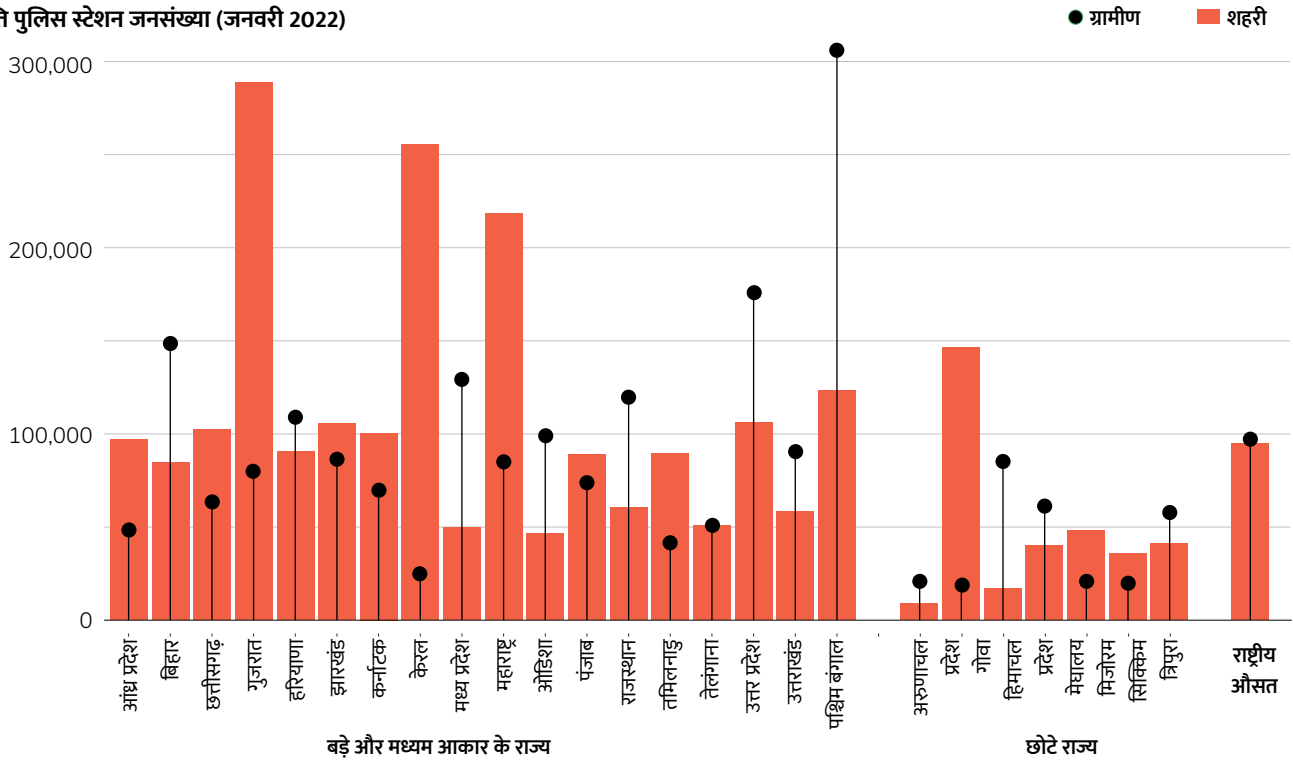
	पुलिस बजट (करोड़ रुपये)	पुलिस प्रशिक्षण बजट (करोड़ रुपये)	कुल पुलिस (वास्तविक संख्या)	कुल पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट का हिस्सा (%)	प्रशिक्षण बजट उपयोग (%)	प्रति कार्मिक प्रशिक्षण पर खर्च (रु.)
बड़े और मध्यम आकार के राज्य						
आंध्र प्रदेश	5,490.62	57.21	88,689	1.04	99.5	6,417
बिहार	9,991.23	142.17	93,313	1.42	71.8	10,944
छत्तीसगढ़	4,897.61	62.46	64,573	1.28	53.5	5,179
गुजरात	5,379.80	52.53	89,846	0.98	100.0	5,847
हरियाणा	5,043.11	43.12	59,078	0.86	95.8	6,991
झारखंड	5,003.19	46.00	63,077	0.92	89.2	6,506
कर्नाटक	6,934.31	85.05	95,516	1.23	90.2	8,031
केरल	3,780.53	0.00	53,216	NA ²	NA ²	NA ²
मध्य प्रदेश	7,451.94	184.18	103,642	2.47	87.9	15,629
महाराष्ट्र	16,996.90	159.86	170,570	0.94	84.2	7,887
ओडिशा	4,130.66	49.46	56,227	1.20	85.7	7,541
पंजाब	6,387.42	78.68	72,210	1.23	87.0	9,479
राजस्थान	6,621.30	126.95	96,058	1.92	100.0	13,216
तमिलनाडु	8,434.30	157.72	118,057	1.87	86.0	11,493
तेलंगाना	7,260.52	193.48	62,731	2.66	91.2	28,126
उत्तर प्रदेश	27,285.74	283.46	310,955	1.04	55.6	5,070
उत्तराखंड	2,038.13	16.78	20,359	0.82	63.9	5,270
पश्चिम बंगाल	11,403.54	4.78	96,104	0.04	61.3	305
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	1,021.73	55.10	12,100	5.39	96.4	43,901
गोवा	653.17	2.27	7,903	0.35	94.3	2,708
हिमाचल प्रदेश	1,414.74	0.65	17,133	0.05	89.2	339
मेघालय	1,067.79	6.52	13,881	0.61	96.8	4,546
मिजोरम	708.60	18.25	7,567	2.58	89.5	21,594
सिक्किम	495.37	4.75	5,868	0.96	85.1	6,885
त्रिपुरा	1,634.27	15.00	21,990	0.92	99.5	6,785
रैंक रहित राज्य						
असम	5,004.71	44.83	61,868	0.90	71.3	5,167
मणिपुर	2,119.49	34.54	28,631	1.63	79.6	9,608
नागालैंड	1,457.71	14.86	26,201	1.02	100.0	5,672
केंद्र शासित प्रदेश						
अंडमान और निकोबार	398.90	3.99	4,331	1.00	100.0	9,213
द्वीप समूह	499.10	2.00	5,903	0.40	23.5	796
चंडीगढ़	69.08	-	1,179	NA ¹	NA ¹	NA ¹
दमन और दीव	8,273.48	190.76	79,489	2.31	100.0	23,989
दिल्ली	8,419.26	117.67	79,464	1.40	88.9	13,171
जम्मू और कश्मीर	279.58	-	2,452	NA ¹	NA ¹	NA ¹
लद्दाख	32.00	-	262	NA ¹	NA ¹	NA ¹
लक्षद्वीप	258.65	-	3,390	NA ¹	NA ¹	NA ¹
पुडुचेरी						
	178,338.47	2,253.09	2,093,833	1.26	84.0	9,043

सामान्य टिप्पणियाँ: 2020-21 के लिए बजट डेटा, जनवरी 2022 के लिए कार्मिक आंकड़े। अंतिम तीन कॉलम में दिखाए गए प्रत्येक मेट्रिक्स के लिए, अलग-अलग तराजू का उपयोग किया गया है। राज्य टिप्पणियाँ: 1. बी. पी. आर. एंड डी. पुलिस प्रशिक्षण बजट को खाली बताता है। 2. बी. पी. आर. एंड डी. शून्य पुलिस प्रशिक्षण बजट दिखाता है। स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, 2022, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.)

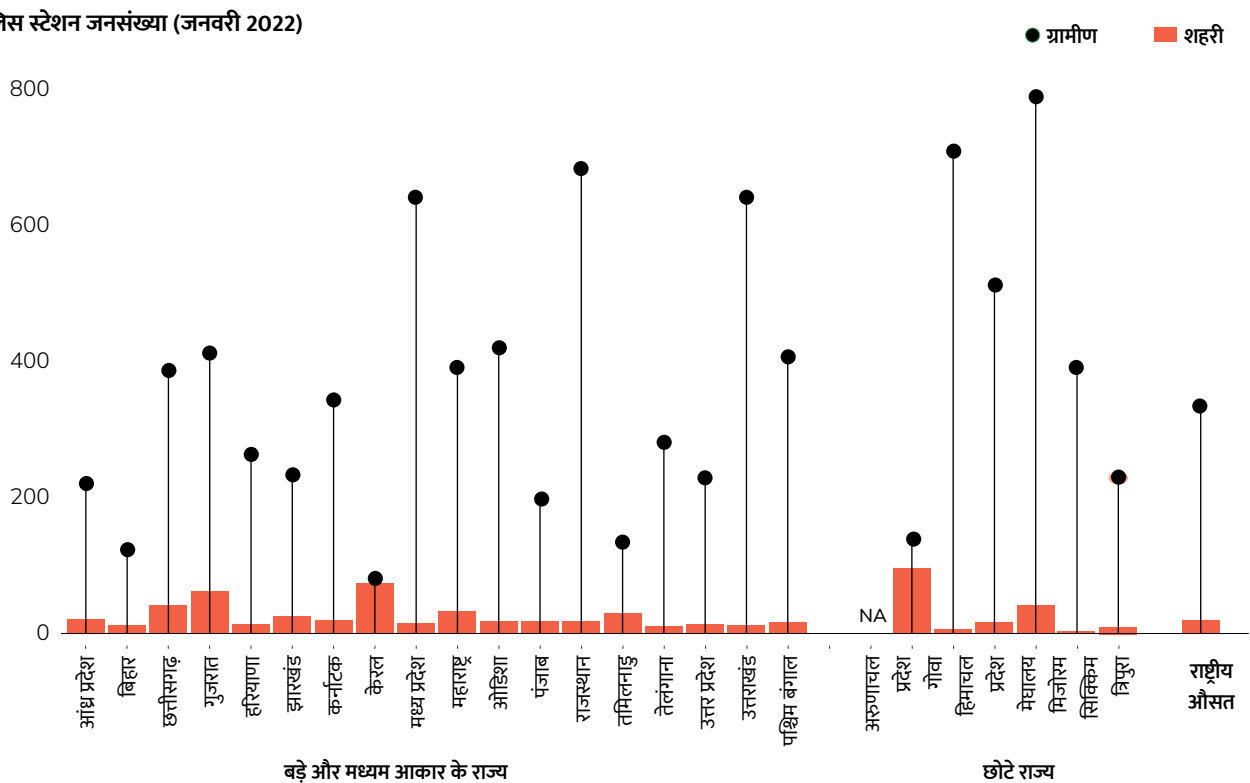
चित्र 16: पुलिस की उपस्थिति: ग्रामीण-शहरी विभाजन

भारत की 60% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। पुलिस तंत्र शहरी क्षेत्रों में कहीं अधिक केंद्रित है। नीचे दिया गया ग्राफ़ दोनों सेटिंग्स में जनसंख्या और पुलिस स्टेशनों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों को दर्शाता है।

प्रति पुलिस स्टेशन जनसंख्या (जनवरी 2022)



प्रति पुलिस स्टेशन जनसंख्या (जनवरी 2022)



नोट: 2011 की जनगणना अरुणाचल प्रदेश के लिए ग्रामीण/शहरी क्षेत्र का विभाजन नहीं देती है। स्रोत: पुलिस संगठनों पर आँकड़े, 2022, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.); जनगणना 2011; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019

ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सबसे बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल (321,677) में है, जबकि शहरी पुलिस स्टेशनों में सबसे बड़ी आबादी गुजरात (288,788) में है।

केवल 6 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-गोवा (140), तमिलनाडु (137), बिहार (125), केरल (82), पुदुचेरी (21) और लक्षद्वीप (1)-राष्ट्रीय पुलिस आयोग के 1981 के 150 वर्ग किमी के अनुशासित क्षेत्र कवरेज को पूरा करते हैं। एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन के लिए।

प्रति प्रशिक्षण संस्थान पुलिसकर्मियों⁵⁸: दुनिया भर में संगठनात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि प्रेरण या बुनियादी प्रशिक्षण से परे संस्थागत समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास (Manpower Development) पर खर्च किया जाना चाहिए। बीपीआरडी का सुझाव है, "पुलिस के लिए आवश्यकता निश्चित रूप से सेवा अवधि के 5 प्रतिशत से अधिक होगी, हालांकि फिलहाल हम इसे केवल 5 प्रतिशत पर बेंचमार्क करते हैं।⁵⁹

इसका अर्थ है नई पदोन्नति जिम्मेदारियों के लिए कर्मियों को तैयार करने के लिए संस्थागत क्षमताएं उपलब्ध होना; संस्थागत मानदंडों पर पुनश्चर्या, संवैधानिक अनिवार्यताओं का पालन, अनिवार्य प्रक्रियाएं और संरक्षक पर्यवेक्षण; विशेषज्ञता के लिए पाठ्यक्रम, कानून में बदलाव, नए प्रकार के अपराध और प्रौद्योगिकी से अवगत रहना; मनोवैज्ञानिक तीक्ष्णता (Psychological acuity) और सामुदायिक विश्वास का निर्माण; कमजोर समूहों और आकस्मिक स्थितियों से निपटना; और कई अन्य पहलुओं में कौशल बढ़ाना जो लोकतंत्र में दिन-प्रतिदिन की पुलिसिंग संस्था की मांग है।

प्रशिक्षण स्कूलों और अकादमियों की सामान्य स्थिति यह है कि उनके पास अल्प संसाधन और काम की अधिकता है। जनवरी 2022 तक, प्रति प्रशिक्षण संस्थान का औसत कार्यभार⁶⁰ 12,744 व्यक्ति था। 26.88 लाख स्वीकृत पुलिस कर्मियों के लिए, भारत में कुल 211 प्रशिक्षण संस्थान हैं, जनवरी 2020 से 8 की वृद्धि हुई है। केरल में 2 से 3, हरियाणा में 3 से 4, तमिलनाडु में 23 से 24 और पश्चिम बंगाल में 10 से 16 हो गए हैं। 11 प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षण कार्यभार औसतन 38,382 प्रति संस्थान है, जो राष्ट्रीय औसत

से लगभग तीन गुना है। मणिपुर का एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान लगभग 35,000 पुलिस कर्मियों के कार्यभार से निपट रहा है। तमिलनाडु के 24 संस्थान औसतन 5,480 कर्मियों को प्रशिक्षित करते हैं।

सीसीटीवी कैमरों वाले पुलिस स्टेशनों का हिस्सा: 2020 में, परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2020)⁶¹ में उच्चतम न्यायालय ने सभी पुलिस स्टेशनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे की स्थापना के संबंध में कई निर्देश पारित किए। जनवरी 2022 तक, राष्ट्रीय स्तर पर, 17,535 पुलिस स्टेशनों में से केवल 73.5 प्रतिशत (12,893) ने कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया था।⁶²

पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और कर्नाटक सहित आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों⁶³ के सभी पुलिस स्टेशनों में कम से कम एक सीसीटीवी था। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कितने या वे उन विशिष्ट स्थानों पर स्थित हैं या नहीं, जहां शीर्ष अदालत ने उन्हें स्थापित करने की मांग की थी।

चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (राजस्थान, मणिपुर, पुदुचेरी, लक्षद्वीप) ने बताया कि उनके 1 प्रतिशत से भी कम पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी हैं। राजस्थान में शहरी पुलिस स्टेशन में केवल एक ही प्रबंधित किया गया था; मणिपुर, पुदुचेरी और लक्षद्वीप ने कोई रिपोर्ट नहीं की।

नौ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों⁶⁴ के आधे ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी नहीं हैं। केवल 7 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁶⁵ ने सभी विशेष प्रयोजन पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी स्थापित किए हैं।⁶⁶

महिला सहायता डेस्क: न्याय तक पहुंच में सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा की डिग्री को देखते हुए, पुलिस में प्रतिक्रिया प्रणालियों में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। गृह मंत्रालय की समय-समय पर सलाह ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है।⁶⁷

जनवरी 2022 तक, देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों में से 72 प्रतिशत ने इन विशेष सुविधाओं की सूचना दी। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क हैं। बिहार के 47 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क हैं। मेघालय में कोई महिला हेल्प डेस्क नहीं है।

58 वर्तमान बीपीआरडी डेटा प्रशिक्षण को प्रेरण, मध्य-कैरियर या पदोन्नति प्रशिक्षण, न ही प्रत्येक पर खर्च किए गए समय में विभाजित नहीं करता है।

59 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, प्रशिक्षण मास्टर प्लान, 2009। यहां उपलब्ध है: <https://bprd.nic.in/WriteReadData/CMS/File1336.pdf>

60 कार्यभार की गणना पुलिस की कुल स्वीकृत संख्या को प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या से विभाजित करके की जाती है।

61 परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2020) https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/13346/13346_2020_33_1501_24909_Judgement_02-Dec-2020.pdf

62 पुलिस संगठनों पर डेटा, 2022, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी)

63 कर्नाटक, तेलंगाना, लद्दाख, डीएनएच और डीडी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, गोवा, पश्चिम बंगाल

64 राजस्थान, लक्षद्वीप, मणिपुर, पुदुचेरी, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम।

65 तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, डीएनएच और डीडी

66 विशेष प्रयोजन पुलिस स्टेशन वे हैं जो एससी/एसटी/कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार विरोधी/सतर्कता, तटीय सुरक्षा, अपराध जैसे विशेष अपराधों से निपटने के लिए स्थापित किए जाते हैं।

67 जांच विभाग, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, नशीले पदार्थ, नशीली दवाओं की तस्करी, आदि।

68 नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम, केरल, पुदुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, डीएनएच और डीडी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ओडिशा

झारखंड, तमिलनाडु और नागालैंड में भी 50 प्रतिशत से कम पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क हैं। इक्कीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों⁶⁸ ने शहरी क्षेत्रों में सभी पुलिस स्टेशनों के अंदर महिला सहायता डेस्क स्थापित करने की रिपोर्ट दी है; ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 17 में है।⁶⁹ छब्बीस प्रतिशत विशेष प्रयोजन पुलिस स्टेशनों में महिलाओं के लिए सहायता डेस्क शामिल है।

इसके अलावा, कई राज्यों ने सभी महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं। उदाहरण के लिए, कुल 745 महिला पुलिस स्टेशनों में से, तमिलनाडु में 202 सबसे अधिक हैं, जबकि उत्तराखंड में केवल 2 हैं।

राज्यों के नागरिक पोर्टलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ: राज्य-स्तरीय नागरिक पोर्टलों को आसान पहुँच के लिए नौ बुनियादी ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करना आवश्यक है (अगले कॉलम में बॉक्स देखें)। पोर्टल के कामकाज में सुधार का मूल्यांकन करने के लिए सितंबर 2022 से नवंबर 2022 तक इन नौ सेवाओं की दो बार जांच करके प्रत्येक राज्य नागरिक पोर्टल⁷⁰ के अनुपालन का मूल्यांकन किया गया था।

आठ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁷¹ ने अनुपालन के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में खराब प्रदर्शन किया, जबकि 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रतिशत में वृद्धि की। पांच राज्यों में नागरिक सेवा पोर्टल निष्क्रिय थे: 2020 में 9 थे।⁷⁴ प्रगति डैशबोर्ड स्थिति के विपरीत, किसी भी राज्य ने सभी सेवाएं प्रदान नहीं कीं, जो इंगित करता है कि 97% राज्य ऐसा करते हैं। 91 प्रतिशत के साथ गुजरात और 90 प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश अधिकतम अनुपालन दर्शाते हैं जबकि मिजोरम और मणिपुर कोई सेवा प्रदान नहीं करते हैं।⁷⁵

हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्य अधिकांश सेवाएं प्रदर्शित करते हैं, फिर भी लॉगिन और साइन अप की समस्याओं जैसी तकनीकी त्रुटियों के कारण पहुंच योग्य नहीं हैं। झारखंड के पोर्टल तक कई लॉगिन प्रयासों के बाद ही पहुंचा जा सका।

जबकि मेघालय जैसे कुछ राज्यों ने इस वर्ष अधिक सेवाएँ जोड़कर अपने पोर्टल में सुधार किया है, केरल जैसे अन्य राज्यों ने कुछ सुविधाएँ

राज्यों के नागरिक पोर्टलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

1. संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करना।
2. शिकायतों की स्थिति प्राप्त करना।
3. एफआईआर की प्रतियाँ प्राप्त करना।
4. गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों का विवरण।
5. लापता/अपहृत व्यक्तियों का विवरण तथा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से उनका मिलान।
6. चोरी/बरामद वाहनों, हथियारों और अन्य संपत्तियों का विवरण।
7. विभिन्न एनओसी जारी/नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना।
8. नौकरों, रोजगार, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण आदि के लिए सत्यापन अनुरोध।
9. जानकारी साझा करने और नागरिकों को आवश्यक फॉर्म डाउनलोड करने में सक्षम बनाने के लिए पोर्टल।

वैश्विक पर्यटन केंद्र गोवा ने 133 भाषाओं को सूचीबद्ध किया है, जिसमें उनकी राज्य भाषा (कोंकणी) भी शामिल है, जो पिछले साल वहां नहीं थी।

हटा दी हैं। अधिकांश साइटें अंग्रेजी या हिंदी में उपलब्ध थीं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे राज्य भाषा में हों; उदाहरण के लिए, ओडिशा की साइट अंग्रेजी में है, उड़िया में नहीं। केरल ने मलयालम को जोड़ा है। राजस्थान की वेबसाइट एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जो अंग्रेजी के लिए विकल्प प्रदान नहीं करती है।

68 नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, डीएनएच और डीडी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ओडिशा

69 असम, पुडुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, डीएनएच और डीडी, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा।

70 गृह मंत्रालय की स्मार्ट पुलिसिंग पहल के तहत राज्यों को राज्य नागरिक पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने की सलाह दी जाती है: <https://digitalpolice.gov.in/>

71 असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पंजाब, बिहार, केरल, हिमाचल प्रदेश

72 हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, गोवा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, लक्षद्वीप

73 मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल।

74 अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल

75 दोनों राज्यों की वेबसाइट लोड नहीं हो रही है: <https://mnpcitizenportal.gov.in/> और <http://www.cctns.mizoram.gov.in/>

साइबर अपराध: केरल मॉडल

पिछले 2 वर्षों में पूरे भारत में साइबर अपराध में 6% की वृद्धि हुई है।⁶⁷ अपराधों में लोगों से पैसे की धोखाधड़ी (60%) से लेकर पहचान की चोरी, बाल अश्लीलता (child pornography), दुर्भावनापूर्ण प्रणाली के व्यवधान, आतंकवादी संचार, अवैध निगरानी (Illegal surveillance), औद्योगिक जासूसी (Industrial espionage), सोशल मीडिया और शामिल हैं। डार्कनेट और साइबरयुद्ध के बाजारों से उभरते खतरे।

2016 में, साइबर अपराध के लगातार बदलते खतरे⁷⁷ ने केरल पुलिस के अनुसंधान और विकास प्रभाग को साइबर अपराध को रोकने, बचाव करने और उसका पता लगाने के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र साइबरडोम⁷⁸ स्थापित करने के लिए प्रेरित किया; केरल पुलिस की क्षमताओं और विशेषज्ञता को बढ़ावा देना; साथ ही प्रौद्योगिकी के गतिशील, चुनौतीपूर्ण वातावरण से निपटने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना; और पुलिस और जनता को इसे पहचानने, रिपोर्ट करने और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करें।

पारंपरिक स्व-निहित कानून प्रवर्तन तरीकों से आगे बढ़ते हुए, यह सक्रिय रूप से पुलिस जांच को फोरेंसिक सहायता प्रदान करता है और साइबर खतरों को पहचानने और खत्म करने में मदद

करने के लिए अन्य राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी की तलाश करता है और बाहरी शैक्षणिक अनुसंधान समूहों, गैर-लाभकारी संस्थाओं, व्यक्तिगत विशेषज्ञों और एथिकल हैकर्स के योगदान को प्रोत्साहित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केरल पुलिस एक दशक पहले अनसुने अपराधों का जवाब देने के लिए नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित और अद्यतित है। काफी विशिष्ट रूप से, इसका साइबरडोम वालंटियर फ्रेमवर्क दस्तावेज़⁷⁹ स्पष्ट करता है कि योगदान और सहयोग - यहां तक कि लाभकारी उद्यमों के साथ भी - सख्ती से स्वैच्छिक आधार पर होना चाहिए। सीख और संयुक्त रूप से विकसित नवाचारों को बाद में व्यावसायिक उपयोग में लाया जा सकता है। इससे पुलिस को विविध विशेषज्ञता और कानून प्रवर्तन सहायकों का एक 'गर्वित' समूह मिला है। साइबर अपराध की सीमा पार प्रकृति की पहचान में साइबरडोम ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के साथ जुड़ाव किया है।

अब 6 साल पुराने, साइबरडोम के मूल्य को कई हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, यह विशेष रूप से आसन्न रैंसमवेयर हमले के बारे में सरकार को चेतावनी देने में सक्षम था⁸⁰ और, एक अन्य अवसर पर, राज्य के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन की सुरक्षा भेद्यता में खामियों को उजागर किया। वह प्रणाली जो कर प्रेषण सहित सार्वजनिक धन की पर्याप्त मात्रा को संभालती है।

देविका प्रसाद, स्वतंत्र शोधकर्ता

देवयानी श्रीवास्तव, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल

राधिका झा, कॉमन कॉज

डॉ. रेहाना मंजूर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

लखविंदर कौर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

76 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत में अपराध, 2021

77 केरल पुलिस साइबर अपराध ऑकड़े

78 केरल सरकार द्वारा आदेश, दिनांक 22 अगस्त 2014। यहां उपलब्ध है:

<https://keralapolice.gov.in/storage/pages/custom/ckFiles/file/Cp8ecECJSSmrtRBaCj0qQO47NSOZKO1yc4tvEiFG.pdf>

79 केरल पुलिस, साइबरडोम वालंटियर फ्रेमवर्क। यहां उपलब्ध है: https://www.cyberdome.kerala.gov.in/assets/policy/cyberdome_volunteer_framework.pdf

80 'केरल पुलिस साइबरडोम वानाक्राई रैंसमवेयर हमले के खिलाफ अलर्ट', इंडियन एक्सप्रेस, 15 मई 2017। यहां उपलब्ध है: <https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/kerala-cyberdome-alerts-again/>

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा; भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केन्द्रीय बजट दस्तावेज; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; खुला बजट भारत। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्या। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. डी एंड एन एच/डी एंड डी: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. ३ में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए: उपलब्ध नहीं है। vi. सीवार्ड: कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष: वित्तीय वर्ष। vii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। viii. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

48 | इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022

तालिका 3: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	थीम	बजट			मानव संसाधन		
		NEW	प्रति कार्मिक पर प्रशिक्षण खर्च (रुपये, 2020-21)	आधुनिकीकरण निधि का उपयोग (% , 2020-21)	कांस्टेबल, रक्ति (% , जनवरी 2022)	अधिकारी, रक्ति (% , जनवरी 2022)	सिविल पुलिस में अधिकारी (% , जनवरी 2022)
		जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना कम उतना अच्छा	जितना कम उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा
राष्ट्रीय औसत		84.0	9,043	47	21.6	28.6	16.6
बड़े और मध्यम आकार के राज्य							
आंध्र प्रदेश		99.5	6,417	NA ⁴	20.0	9.8	11.1
बिहार		71.8	10,944	NA ⁴	30.0	53.8 ●	23.4
छत्तीसगढ़		53.5 ●	5,179	58	21.2	26.0	12.7
गुजरात		100.0 ●	5,847	100 ●	26.9	22.1	18.2
हरियाणा		95.8	6,991	85	32.0	25.3	15.3
झारखंड		89.2	6,506	NA ⁵	23.9	32.8	25.4
कर्नाटक		90.2	8,031	99	12.0	10.8	17.2
केरल		NA ³	NA ³	76	4.6 ●	23.9	9.5 ●
मध्य प्रदेश		87.9	15,629	NA ⁵	13.9	20.8	19.7
महाराष्ट्र		84.2	7,887	96	28.2	25.3	18.2
ओडिशा		85.7	7,541	NA ⁵	13.3	28.4	21.8
पंजाब		87.0	9,479	33	12.6	22.4	11.6
राजस्थान		100.0 ●	13,216	53	8.3	45.6	11.5
तमिलनाडु		86.0	11,493	NA ⁵	10.9	9.1	12.4
तेलंगाना		91.2	28,126 ●	43	26.1	7.1 ●	17.0
उत्तर प्रदेश		55.6	5,070	24 ●	26.0	42.5	12.8
उत्तराखंड		63.9	5,270	93	6.4	7.2	10.3
पश्चिम बंगाल		61.3	305 ●	42	44.1 ●	25.2	31.5 ●
छोटे राज्य							
अरुणाचल प्रदेश		96.4	43,901 ●	100 ●	27.8	34.7	13.6 ●
गोवा		94.3	2,708	NA ⁴	17.2	23.6	17.7
हिमाचल प्रदेश		89.2	339 ●	90	5.1	16.0	15.0
मेघालय		96.8	4,546	91	16.9	21.2	15.3
मिजोरम		89.5	21,594	42 ●	34.2 ●	26.6	27.4 ●
सिक्किम		85.1 ●	6,885	88	4.6 ●	-4.2 ●	23.1
त्रिपुरा		99.5 ●	6,785	67	23.7	40.1 ●	15.0
रैंक रहित राज्य							
असम		71.3	5,167	11	23.0	26.6	16.7
मणिपुर		79.6	9,608	2	9.5	36.5	15.4
नागालैंड		100.0	5,672	NA ⁵	-2.0	6.0	17.4
केंद्र शासित प्रदेश							
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		100.0	9,213	NA ⁵	13.7	25.5	10.5
चंडीगढ़		23.5	796	NA ⁵	17.3	12.5	13.2
दमन और दीव		NA ²	NA ²	NA ⁵	20.1	25.2	11.1
दिल्ली		100.0	23,989	NA ⁵	19.7	2.4	23.0
जम्मू और कश्मीर		88.9	13,171	25	3.6	28.6	17.3
लद्दाख		NA ²	NA ²	NA ⁵	29.1	6.6	14.0
लक्षद्वीप		NA ²	NA ²	NA ⁵	16.3	40.7	6.1
पुडुचेरी		NA ²	NA ²	200	24.4	32.9	15.2

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; खुला बजट भारत। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. डी एंड एन एच/डी एंड डी: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. र. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए: उपलब्ध नहीं है। vi. सीवाई कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष: वित्तीय वर्ष। vii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। viii. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

1. Count of indicators on which a state has improved over IJR 2. Only non-trend indicators present in both IJR 2 and IJR 3 have been considered. For indicators with benchmarks, if a state met the benchmark, it was marked as an improvement even if its value declined within the benchmark. If a state didn't meet the benchmark but its value improved, it was marked as an improvement. Where an indicator value was not available for one or both years, that indicator was not considered. 2. BPR&D shows police training budget as blank. 4. Expenditure data not provided. 5. No modernisation grant received.

तालिका 3: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	विधि	विविधता					
		पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी (% जनवरी 2022)	अधिकारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी (% जनवरी 2022)	एससी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% जनवरी 2022)	एससी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% जनवरी 2022)	एसटी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% जनवरी 2022)	एसटी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (% जनवरी 2022)
		जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा
राष्ट्रीय औसत		11.8	8.0	NA	NA	NA	NA
बड़े और मध्यम आकार के राज्य							
आंध्र प्रदेश		21.8 ●	5.4	84	99	99	87
बिहार		21.2	10.6	51	90	116	278 ●
छत्तीसगढ़		7.1	9.3	94	95	70	109
गुजरात		16.3	10.0	131 ●	109	95	86
हरियाणा		8.2	12.2	63	63 ●	NA ¹⁰	NA ¹⁰
झारखंड		6.2 ●	4.3	71	93	59	70
कर्नाटक		8.6	6.4	116	116 ●	176 ●	169
केरल		7.8	2.4 ●	78	96	81	73
मध्य प्रदेश		7.4	11.5	101	80	64	83
महाराष्ट्र		17.8	7.7	87	81	96	99.7
ओडिशा		10.5	12.9	80	86	64	112
पंजाब		9.9	8.3	82	108	0 ●	0.01 ●
राजस्थान		10.4	6.8	54	87	62	110
तमिलनाडु		19.1	17.9	78	104	87	117
तेलंगाना		8.5	7.5	94	80	139	138
उत्तर प्रदेश		10.7	5.1	43 ●	75	27	53
उत्तराखंड		12.8	18.1 ●	54	98	55	132
पश्चिम बंगाल		9.9	4.0	65	72	52	82
छोटे राज्य							
अरुणाचल प्रदेश		10.7	5.7	NA ⁹	NA ⁹	78	101
गोवा		10.6	15.6	110 ●	43 ●	74	47 ●
हिमाचल प्रदेश		14.0 ●	4.9 ●	72	91	115 ●	127 ●
मेघालय		6.0	8.5	NA ⁷	NA ⁷	79	89
मिजोरम		7.1	21.4 ●	NA ⁸	NA ⁸	NA ¹⁰	NA ¹⁰
सिक्किम		9.0	7.5	84	171 ●	83	81
त्रिपुरा		5.3 ●	5.9	64 ●	78	57 ●	75
रैंक रहित राज्य							
असम		6.8	6.5	57	23	55	23
मणिपुर		6.9	6.6	117	114	54	73
नागालैंड		9.9	8.5	NA ⁸	NA ⁸	67	73
केंद्र शासित प्रदेश							
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		12.7	14.1	NA	NA	76	90
चंडीगढ़		21.6	7.9	48	84	NA ¹⁰	NA ¹⁰
दमन और दीव		8.8	8.5	NA ⁶	NA ⁶	NA ⁶	NA ⁶
दिल्ली		12.9	11.0	94	73	106	86
जम्मू और कश्मीर		3.3	1.4	30	43	46	63
लद्दाख		28.3	6.4	NA ⁹	NA ⁹	214	153
लक्षद्वीप		10.3	0.0	NA ⁸	NA ⁸	103	182
पुडुचेरी		7.6	4.5	75	68	0	3

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; खुला बजट भारत। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. डी एंड एन एच/डी एंड डी दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. र. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपीए प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए उपलब्ध नहीं है। vi. सीवाई कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष वित्तीय वर्ष। vii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। viii. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

6. Combined reservation data not available. 7. No specific reservation approved for SCs in Meghalaya. 8. BPR&D shows 0% SC reservation. 9. BPR&D shows SC figures as 0. 10. BPR&D shows 0% ST reservation.

तालिका 3: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	थीम	विविधता		बुनियादी ढांचा		
		ओबीसी अधिकारी, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (%), जनवरी 2022)	ओबीसी कांस्टेबल, वास्तविक बनाम आरक्षित अनुपात (%), जनवरी 2022)	थाना जनसंख्या (ग्रामीण) प्रति पुलिस (संख्या, जनवरी 2022)	थाना जनसंख्या प्रति पुलिस (शहरी) (संख्या, जनवरी 2022)	थाना क्षेत्र प्रति पुलिस (ग्रामीण) (वर्ग कि. मी., जनवरी 2022)
	स्कोरिंग गाइड	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना कम उतना अच्छा	जितना कम उतना अच्छा	जितना कम उतना अच्छा
राष्ट्रीय औसत		NA	NA	97,362	94,683	337
बड़े और मध्यम आकार के राज्य						
आंध्र प्रदेश		135	167	48,393	96,939	222
बिहार		58	120	149,020	84,667	125
छत्तीसगढ़		117	156	64,047	102,513	387
गुजरात		76	111	80,200	288,788 ●	414
हरियाणा		77	72	109,113	90,423	264
झारखंड		122	131	86,855	105,552	233
कर्नाटक		148	140	70,108	100,510	345
केरल		104	114	25,010 ●	255,676	82 ●
मध्य प्रदेश		85	82	129,721	49,517	641
महाराष्ट्र		98	81	85,159	218,484	392
ओडिशा		120	200 ●	99,191	46,376 ●	421
पंजाब		154 ●	149	74,479	89,155	199
राजस्थान		34 ●	76	120,031	60,450	684 ●
तमिलनाडु		119	112	42,160	89,659	137
तेलंगाना		145	128	50,581	50,787	281
उत्तर प्रदेश		74	129	175,995	106,332	231
उत्तराखंड		53	84	90,707	58,286	641
पश्चिम बंगाल		37	55 ●	306,063 ●	123,234	408
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश		NA ¹¹	NA ¹¹	21,389	8,733 ●	NA ¹⁷
गोवा		33	27 ●	18,857 ●	146,375 ●	140 ●
हिमाचल प्रदेश		29 ●	73 ●	85,474 ●	16,978	710
मेघालय		NA ¹³	NA ¹³	61,256	40,235	515
मिजोरम		NA ¹¹	NA ¹¹	21,346	48,000	788 ●
सिक्किम		88 ●	67	20,111	35,667	392
त्रिपुरा		NA ¹¹	NA ¹¹	57,818	41,184	229
रैंक रहित राज्य						
असम		65	23	321,677	25,055	830
मणिपुर		14	26	40,130	60,412	410
नागालैंड		0.1	1	23,226	51,684	308
केंद्र शासित प्रदेश						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		29	30	12,611	58,333	456
चंडीगढ़		55	93	NA ¹⁴	76,125	NA ¹⁴
दमन और दीव		NA ⁶	NA	233,000	312,333	508
दिल्ली		24	96	NA ¹⁴	106,938	NA ¹⁴
जम्मू और कश्मीर		NA ¹²	NA ¹²	64,048	75,741	NA ¹⁶
लद्दाख		NA ¹¹	NA ¹¹	52,250	45,000	NA ¹⁶
लक्षद्वीप		NA ¹¹	NA ¹¹	111	NA ¹⁵	1
पुडुचेरी		142	134	30,063	80,500	21

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; खुला बजट भारत। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. डी एंड एन एच/डी एंड डी: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. र. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए: उपलब्ध नहीं है। vi. सीवाई: कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष: वित्तीय वर्ष। vii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। viii. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

6. Combined reservation data not available. 11. BPR&D shows 0% OBC reservation. 12. OBC reservation data not available. 13. No specific reservation approved for SCs in Meghalaya. 14. BPR&D shows 0 rural police stations. 15. BPR&D shows 0 urban police stations. 16. Disaggregated data for rural and urban areas for Jammu & Kashmir and Ladakh not available. 17. Census 2011 does not give rural/urban area break-up.

तालिका 3: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	बुनियादी ढांचा				कार्यभार	
	थाना क्षेत्र (शहरी) प्रति पुलिस (वर्ग कि. मी., जनवरी 2022)	राज्य के नागरिक पोर्टलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं (%), 2022)	कार्मिक प्रति प्रशिक्षण संस्थान (संख्या, जनवरी 2022)	सीसीटीवी वाले पुलिस स्टेशन (%), जनवरी 2022)	महिला सहायता डेस्क वाले पुलिस स्टेशन (%), जनवरी 2022)	प्रति नागरिक पुलिस जनसंख्या (संख्या, जनवरी 2022)
स्कोरिंग गाइड	जितना कम उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना कम उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा	जितना कम उतना अच्छा
राष्ट्रीय औसत	20.2	NA	12,744	74	72.2	835
बड़े और मध्यम आकार के राज्य						
आंध्र प्रदेश	21.0	85.6	26,519	58	83.3	661
बिहार	12.9	21.6 ●	35,718	91	47.0	1,695 ●
छत्तीसगढ़	41.7	87.6	6,558	97	80.5	756
गुजरात	62.8	91.0 ●	24,516	83	67.1	991
हरियाणा	14.4	79.6	20,848	96	61.0	565
झारखंड	25.2	72.6	13,809	22	42.6	874
कर्नाटक	20.5	57.3	7,905	99.7	75.8	823
केरल	74.5 ●	55.0	20,491	95	94.5	776
मध्य प्रदेश	15.5	89.6	6,962	74	60.4	1,051
महाराष्ट्र	32.8	87.6	19,414	57	89.0	813
ओडिशा	18.8	84.6	5,647	91	94.6	1,227
पंजाब	17.7	79.6	14,222	99	90.7	500 ●
राजस्थान	18.9	79.6	10,141	0.1 ●	99.5	1,006
तमिलनाडु	30.0	66.0	5,484 ●	69	34.9 ●	739
तेलंगाना	10.6 ●	70.7	13,770	99.9	77.1	712
उत्तर प्रदेश	14.4	85.1	38,382 ●	86	88.8	864
उत्तराखंड	12.9	77.6	5,601	98	98.8	740
पश्चिम बंगाल	17.6	41.6	9,887	100 ●	100.0 ●	1,331
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	NA ¹⁷	82.6 ●	15,287	93	100.0 ●	264
गोवा	95.6 ●	80.6	10,749	100 ●	72.7	274
हिमाचल प्रदेश	6.0	22.0	19,300 ●	90	92.1	625 ●
मेघालय	16.6	82.6 ●	5,508	33 ●	0.0 ●	422
मिजोरम	41.9	0.0 ●	11,301	91	81.8	386
सिक्किम	4.3 ●	5.0	3,532 ●	43	93.3	233 ●
त्रिपुरा	10.3	5.0	7,402	89	100.0 ●	448
रैंक रहित राज्य						
असम	5.8	82.6	16,344	100	60.8	1,306
मणिपुर	10.6	0.0	35,099	0	66.7	211
नागालैंड	12.8	82.6	8,903	33	32.6	268
केंद्र शासित प्रदेश						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12.6	87.6	5,078	100	95.8	118
चंडीगढ़	6.8	79.6	7,010	94	94.4	302
दमन और दीव	31.4	79.6	1,396	100	100.0	1,688
दिल्ली	5.9	77.6	15,709	88	85.8	299
जम्मू और कश्मीर	NA ¹⁶	77.6	13,029	20	60.0	280
लद्दाख	NA ¹⁶	77.6	NA ¹⁹	100	100.0	166
लक्षद्वीप	NA ¹⁵	87.6	NA ¹⁹	0	56.3	260
पुडुचेरी	11.0	87.6	4,462	0	60.0	826

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; खुला बजट भारत। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. डी एंड एन एच/डी एंड डी दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. र. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपीए प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए उपलब्ध नहीं है। vi. सीवाई कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष वित्तीय वर्ष। vii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। viii. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

15. BPR&D shows 0 urban police stations. 16. Disaggregated data for rural and urban areas for Jammu & Kashmir and Ladakh not available. 17. Census 2011 does not give rural/urban area break-up. 18. Quantitative assessment of state police citizen portals on 10 counts: whether they include each of the 9 services listed by the Ministry of Home Affairs and whether the portal was available in a state language (other than English). 19. BPR&D shows 0 training institutes.

तालिका 3: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

समूह में सर्वश्रेष्ठ

समूह में सबसे खराब

थीम

संकेतक

कुल पुलिस में महिलाएँ (पीपी, सीवाई '17-' 21)

कुल अधिकारियों में महिला अधिकारी (पीपी, सीवाई '17-' 21)

कांस्टेबल रिति (पीपी, सीवाई '17-' 21)

अधिकारी रिति (पीपी, सीवाई '17-' 21)

खर्च में अंतर: पुलिस बनाम राज्य (पीपी, वित्त वर्ष '17-' 21)

स्कोरिंग गाइड

जितना ज्यादा उतना अच्छा

जितना ज्यादा उतना अच्छा

जितना कम उतना अच्छा

जितना कम उतना अच्छा

जितना ज्यादा उतना अच्छा

राष्ट्रीय औसत

0.90

0.49

0.07

0.21

0.75

बड़े और मध्यम आकार के राज्य

आंध्र प्रदेश

3.52

0.35

0.17

0.25

0.40

बिहार

2.47

1.58

-0.04

3.06

0.87

छत्तीसगढ़

0.48

1.00

2.49

-1.21

1.71

गुजरात

1.82

0.90

-0.94

-0.92

1.33

हरियाणा

-0.19

0.53

1.06

-1.93

2.12

झारखंड

0.13

0.26

-1.51

-2.34

3.94

कर्नाटक

0.65

0.48

-1.71

-0.68

-0.54

केरल

0.29

0.07

1.57

-0.03

-4.20

मध्य प्रदेश

0.59

1.02

0.75

0.39

-1.26

महाराष्ट्र

1.24

0.45

4.81

0.06

ओडिशा

0.29

0.91

1.22

0.21

-0.76

पंजाब

0.92

0.81

0.63

2.46

-5.47

राजस्थान

0.22

0.38

-1.09

3.06

1.46

तमिलनाडु

1.24

-0.35

3.55

-1.82

-2.84

तेलंगाना

1.21

1.21

0.27

-1.28

-2.92

उत्तर प्रदेश

1.39

0.40

-5.40

6.01

उत्तराखंड

1.02

1.83

-0.16

-1.53

-0.02

पश्चिम बंगाल

0.46

0.18

2.56

-0.17

4.63

छोटे राज्य

अरुणाचल प्रदेश

0.78

0.08

3.65

-4.61

गोवा

-0.05

0.60

2.18

3.42

हिमाचल प्रदेश

0.36

0.29

0.37

0.90

1.04

मेघालय

0.32

0.58

0.27

2.46

-1.85

मिजोरम

-0.12

0.25

2.75

2.32

-2.82

सिक्किम

0.43

0.00

0.54

1.39

-1.73

त्रिपुरा

0.05

-0.03

1.41

3.51

रैंक रहित राज्य

असम

0.26

0.62

0.49

2.04

-3.58

मणिपुर

-0.25

-0.19

-5.72

2.16

0.50

नागालैंड

0.72

0.16

2.11

-0.02

0.53

केंद्र शासित प्रदेश

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

0.09

0.07

3.99

-6.18

4.01

चंडीगढ़

0.71

0.43

0.98

0.58

0.43

दमन और दीव

-0.90

-1.68

1.20

0.00

7.38

दिल्ली

0.85

0.23

4.32

-1.23

5.28

जम्मू और कश्मीर

NA²⁰

NA²⁰

NA²⁰

NA²⁰

NA²⁰

लद्दाख

NA²⁰

NA²⁰

NA²⁰

NA²⁰

NA²⁰

लक्षद्वीप

0.48

-0.63

-0.87

-4.97

1.68

पुडुचेरी

0.08

0.03

3.17

-1.06

2.36

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; डिजिटल पुलिस पोर्टल, गृह मंत्रालय; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग; खुला बजट भारत। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. डी एंड एन एच/डी एंड डी: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. र. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए: उपलब्ध नहीं है। vi. सीवाई: कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष: वित्तीय वर्ष। vii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। viii. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस शामिल है।

20. For trend indicators, Jammu & Kashmir and Ladakh are excluded as their data was not available separately for 5 years.

चित्र 17: राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति

आईजेआर राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति पर नज़र रखना जारी रखता है। 2022 में, केवल गुजरात और महाराष्ट्र ने अधिकतम अनुपालन दिखाया जबकि मिजोरम और मणिपुर ने कोई अनुपालन नहीं किया।

	राज्य के नागरिक पोर्टलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं (%)	2020 में बदलाव	पोर्टल की उपलब्धता	1. संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करना	2. शिकायतों की स्थिति प्राप्त करना	3. एफ. आई. आर. की प्रतियाँ प्राप्त करना	4. गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों का विवरण	क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41सी का पालन करना है? (Y/N)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	87.6	↓	✓					×
आंध्र प्रदेश	85.6	↔	✓					×
अरुणाचल प्रदेश	82.6	↑	✓					NA
असम	82.6	↓	✓					NA
बिहार	21.6	↓	✗ ¹					NA
चंडीगढ़	79.6	↑	✓					×
छत्तीसगढ़	87.6	↔	✓					×
दादरा नगर हवेली	79.6	NA	✓					NA
दिल्ली	77.6	↓	✓					×
गोवा	80.6	↑	✓					NA
गुजरात	91.0	↑	✓					×
हरियाणा	79.6	↑	✓					NA
हिमाचल प्रदेश	22.0	↓	✓ ²					NA
जम्मू और कश्मीर	77.6	NA	✓					—
झारखंड	72.6	↔	✓					NA
कर्नाटक	57.3	↔	✓					×
केरल	55.0	↓	✓					NA
लद्दाख	77.6	NA	✓					NA
लक्षद्वीप	87.6	↑	✓					×
मध्य प्रदेश	89.6	↑	✓					×
महाराष्ट्र	87.6	↔	✓					×
मणिपुर	0.0	↓	Not loading					NA
मेघालय	82.6	↑	✓					NA
मिजोरम	0.0	↔	Unable to access portal					NA
नागालैंड	82.6	↔	✓					NA
ओडिशा	84.6	↑	✓					✓
पुडुचेरी	87.6	↔	✓					×
पंजाब	79.6	↓	✓					—
राजस्थान	79.6	↑	✓					NA
सिक्किम	5.0	↔	Unable to sign up					NA
तमिलनाडु	66.0	↔	✓					×
तेलंगाना	70.7	↑	✓					×
त्रिपुरा	5.0	↔	Unable to sign up					NA
उत्तर प्रदेश	85.1	↔	✓					×
उत्तराखंड	77.6	↑	✓					NA
पश्चिम बंगाल	41.6	↔	Unable to sign up					×

नोट 1. बिहार में नागरिक पुलिस पोर्टल नहीं है। 2. हिमाचल प्रदेश पोर्टल में उपलब्ध सेवाएं, लेकिन यह लॉगिन पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित हो रही हैं।

ओडिशा को छोड़कर कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आई. पी. सी. की धारा 41सी में उल्लिखित गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण प्रदान नहीं करता है।

- धारा 41सी के साथ जम्मू-कश्मीर और पंजाब के अनुपालन की जांच करने में असमर्थ।

धारा 41सी गिरफ्तारी प्रथाओं की सार्वजनिक निगरानी को प्रोत्साहित करती है, जिसमें कुछ जानकारी सामान्य रूप से लोगों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से, सी. आर. पी. सी. की धारा 41सी निम्नलिखित तीन अनिवार्य आवश्यकताओं को निर्धारित करती है: 1) राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर और प्रत्येक जिले में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पी. सी. आर.) स्थापित करना चाहिए 7; 2) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक जिले के बाहर नोटिस बोर्ड पी. सी. आर. प्रदर्शित हों ए) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते और बी) गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों के नाम और पदनाम; और 3) राज्य पुलिस मुख्यालय में पुलिस नियंत्रण कक्ष को नियमित रूप से डेटा एकत्र करना चाहिए।

चित्र 17: राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति

आईजेआर राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति पर नज़र रखना जारी रखता है। 2022 में, केवल गुजरात और महाराष्ट्र ने अधिकतम अनुपालन दिखाया जबकि मिजोरम और मणिपुर ने कोई अनुपालन नहीं किया।

	5. लापता/अपहृत व्यक्तियों का विवरण और गिरफ्तार, अज्ञात व्यक्तियों और शवों के साथ उनका मिलान	6. चोरी/बरामद वाहनों, हथियारों और अन्य संपत्तियों का विवरण	7. विभिन्न एन. ओ. सी. जारी करने/नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना	8. सेवकों, रोजगार, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण आदि के लिए सत्यापन अनुरोध	9. जानकारी साझा करने और नागरिकों को आवश्यक प्रपत्र डाउनलोड करने में सक्षम बनाने के लिए पोर्टल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह					
आंध्र प्रदेश					
अरुणाचल प्रदेश					
असम					
बिहार					
चंडीगढ़					
छत्तीसगढ़					
दादरा नगर हवेली					
दिल्ली					
गोवा					
गुजरात					
हरियाणा					
हिमाचल प्रदेश					
जम्मू और कश्मीर					
झारखंड					
कर्नाटक					
केरल					
लद्दाख					
लक्षद्वीप					
मध्य प्रदेश					
महाराष्ट्र					
मणिपुर					
मेघालय					
मिजोरम					
नागालैंड					
ओडिशा					
पुडुचेरी					
पंजाब					
राजस्थान					
सिक्किम					
तमिलनाडु					
तेलंगाना					
त्रिपुरा					
उत्तर प्रदेश					
उत्तराखंड					
पश्चिम बंगाल					

नोट 1. बिहार में नागरिक पुलिस पोर्टल नहीं है। 2. हिमाचल प्रदेश पोर्टल में उपलब्ध सेवाएं, लेकिन यह लॉगिन पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित हो रही हैं।

ओडिशा को छोड़कर कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आई. पी. सी. की धारा 41सी में उल्लिखित गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण प्रदान नहीं करता है।

- धारा 41सी के साथ जम्मू-कश्मीर और पंजाब के अनुपालन की जांच करने में असमर्थ।

धारा 41सी गिरफ्तारी प्रथाओं की सार्वजनिक निगरानी को प्रोत्साहित करती है, जिसमें कुछ जानकारी सामान्य रूप से लोगों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से, सी. आर. पी. सी. की धारा 41सी निम्नलिखित तीन अनिवार्य आवश्यकताओं को निर्धारित करती है: 1) राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर और प्रत्येक जिले में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पी. सी. आर.) स्थापित करना चाहिए 7; 2) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक जिले के बाहर नोटिस बोर्ड पी. सी. आर. प्रदर्शित हों ए) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते और बी) गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों के नाम और पदनाम; और 3) राज्य पुलिस मुख्यालय में पुलिस नियंत्रण कक्ष को नियमित रूप से डेटा एकत्र करना चाहिए।

पुलिस स्टेशनों में सी.सी.टी.वी

समय

3 अप्रैल 2018

शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने गृह मंत्रालय को अपराध स्थल की वीडियोग्राफी के लिए कार्य योजना की निगरानी के लिए एक केंद्रीय निगरानी निकाय बनाने का आदेश दिया।

9 मई 2018

गृह मंत्रालय ने सीओबी का गठन किया है और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अपराध स्थल पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के प्रभावी उपयोग को लागू करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

16 जुलाई 2020

SC ने अपराध स्थल पर पुलिस द्वारा ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने के सवाल पर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया।

16 सितंबर 2020

उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की सटीक स्थिति का पता लगाने और निरीक्षण समितियों के गठन का निर्देश दिया।

2 दिसंबर 2020

परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह और अन्य में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर (यानी 13 जनवरी 2021 तक) पूर्ण और विस्तृत अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और एक राज्य और जिला स्तरीय निरीक्षण समिति (एसएलओसी) के गठन का आदेश दिया। (डीएलओसी)।

24 नवंबर 2020 तक

उच्चतम न्यायालय के शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के निर्देशों के अनुसार 14 राज्यों ने अधूरे अनुपालन हलफनामे और कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल कीं।



उच्चतम न्यायालय: "सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाएं"

देश के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन पर आरटीआई अध्ययन के निष्कर्ष

मुख्य निष्कर्ष

केवल अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने सभी स्थापित सीसीटीवी में 18 महीने की भंडारण क्षमता होने की सूचना दी।

- 7 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁸¹ ने बताया कि सभी स्थापित सीसीटीवी में ऑडियो और वीडियो क्षमता है
- 8 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁸² ने बताया कि सभी स्थापित सीसीटीवी में नाइट विजन सुविधा है

- 17 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश⁸³ सीसीटीवी के लिए बजट आवंटन करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या
- 20 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश⁸⁴ जिला स्तरीय निगरानी समितियां (डीएलओसी) बनाने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या
- 23 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश⁸⁵ राज्य स्तरीय निगरानी समितियों (एसएलओसी) का गठन करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या

पहले के फैसले⁸⁶ और 239वें विधि आयोग की सिफारिश⁸⁷ पर अमल करते हुए उच्चतम न्यायालय ने परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह⁸⁸ मामले में सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था।

81 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा।

82 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, त्रिपुरा, कर्नाटक, दिल्ली, गोवा।

83 तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, सिक्किम, दिल्ली, मिजोरम, असम, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक।

84 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, चंडीगढ़, कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल।

85 कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, डीएनएच और डीडी, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड।

86 शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2018)। यहां उपलब्ध है: https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/6212/6212_2017_Judgement_30-Jan-2018.pdf

87 भारत का 239वां विधि आयोग, 2012. यहां उपलब्ध है: <https://indiankanoon.org/doc/39463074/>

88 परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2020)। https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/13346/13346_2020_33_1501_24909_Judgement_02-Dec-2020.pdf

न्यायालय को चौदह स्थानों पर 12 से 18 महीने की भंडारण क्षमता वाले ऑडियो-विज़ुअल और नाइट-विज़न कैमरे स्थापित करने की आवश्यकता थी, जिसमें प्रवेश बिंदु, लॉक-अप, गलियारे, इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर कमरे के अंदर और सभी पुलिस के पीछे शामिल थे। स्टेशन: सभी न्यायक्षेत्रों को आदेश की तारीख से छह सप्ताह में (यानी 13 जनवरी 2021 तक) स्थिति रिपोर्ट करनी होगी। फैसले में निम्नलिखित की स्थापना जैसे अनुपालन के लिए विशिष्ट मानदंड भी निर्धारित किए गए:

1. राज्य स्तरीय निगरानी समिति में शामिल हैं:

- (i) सचिव/अपर सचिव, वित्त विभाग
- (ii) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक; और
- (iii) राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष/सदस्य।

2. जिला स्तरीय निगरानी समिति में शामिल हैं:

- (i) जिले के मंडलायुक्त/मंडलायुक्त/क्षेत्रीय आयुक्त/राजस्व आयुक्त मंडल (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए)
- (ii) जिले का जिला मजिस्ट्रेट
- (iii) उस जिले का एक पुलिस अधीक्षक
- (iv) जिले के भीतर एक नगर पालिका का मेयर/ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत का एक प्रमुख।

2 दिसंबर 2020 को परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह फैसले में उच्चतम न्यायालय ने फिर से पुलिस स्टेशनों में कैमरों और उनके प्लेसमेंट पर विस्तृत जानकारी मांगी। इसने यह भी पूछा कि क्या निरीक्षण समितियाँ-राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति (एसएलओसी) और जिला स्तरीय निरीक्षण समिति (डीएलओसी) स्थापित की गई थीं।

अप्रैल 2022 में, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टीम ने सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रासंगिक जानकारी मांगने के लिए आवेदन दायर किए। पुलिस स्टेशनों के अंदर सीसीटीवी की संख्या, प्लेसमेंट और तकनीकी क्षमता और एसएलओसी और डीएलओसी के गठन के बारे में जानकारी मांगी गई थी। 31 अगस्त 2022 तक कुल 426 प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई थीं। मणिपुर को छोड़कर सभी 36 न्यायक्षेत्रों ने जवाब दिया, लेकिन अपूर्णता की अलग-अलग डिग्री के साथ। हरियाणा, ओडिशा और पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और तेलंगाना जैसे राज्यों में आरटीआई को डीजीपी कार्यालय द्वारा विभिन्न जिला पुलिस मुख्यालयों में पी. आई. ओ. को भेज दिया गया था। उदाहरण के तौर पर, हिमाचल प्रदेश में आरटीआई को प्रशासनिक शृंखला से नीचे उप-मंडलों और पुलिस स्टेशनों तक भेजा गया था। ऐसे राज्यों की प्रतिक्रियाएँ केवल उन्हीं जिलों, उप-प्रभागों और पुलिस स्टेशनों से मिल खाती हैं जिन्होंने आरटीआई का जवाब दिया था। इसमें देशभर के 58 पुलिस स्टेशनों के जवाबों को शामिल किया गया है। केवल अरुणाचल प्रदेश ने ही राज्य मुख्यालय को सारी जानकारी मुहैया कराई।

चित्र 18: पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी: एक अनुपालन रिपोर्ट

ग्रिड 2020 में परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों के अनुपालन को दिखाने का प्रयास करता है। यह 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और मुख्य सचिवों से आरटीआई प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। कई मामलों में जिलों से आरटीआई के जवाब मिले और उन्हें दर्शाया भी गया है।

Yes Information not provided

	राज्य स्तरीय निगरानी समिति	जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया	2021-22 के लिए बजट आवृत्ति	से प्राप्त प्रतिक्रियाएँ
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	Yes	Yes	Yes	Police HQ: 1; Districts: 3/3
आंध्र प्रदेश	Yes	Yes	NP	Home dept: 1; Districts: 26/26
अरुणाचल प्रदेश	Yes	Yes	Yes	Police HQ: 1; Districts: 27/27
असम	Yes	Yes	Yes	Police HQ: 1; Districts: 14/31
बिहार	NP	NP	Yes	DIGP; Districts: 38/38
चंडीगढ़	NR	Yes	NP	SP Chandigarh; 1/1
छत्तीसगढ़	Yes	NP	NP	HQ: 1
दादरा नगर हवेली	NP	NP	Yes ²	PIO logistics and provisional; Districts: 14/15
दिल्ली	Yes	NP	NP	PIO home dept
गोवा	NP	NP	NP	Sub Divisions: 6/8; Districts: 2/2
गुजरात	NP	NP	NP	Home Dept: 1; Districts:33/33
हरियाणा	NP	NP	NP	HQ: 1; Districts: 22/22
हिमाचल प्रदेश	Yes	Yes	NP	HQ: 1; Districts: 12/12
जम्मू और कश्मीर	Yes	Yes	Yes	HQ: 1; Districts: 19/20
झारखंड	Yes ¹	Yes ¹	NP	Districts: 5/24
कर्नाटक	Yes ¹	Yes ¹	Yes	Home dept: 1; Districts: 31/31
केरल	Yes	Yes	Yes	Home dept: 1; Districts: 14/14
लद्दाख	Yes	Yes	Yes	Home dept: 1; Districts: 2/2
लक्षद्वीप	NP	NP	NP	0
मध्य प्रदेश	Yes	Yes	Yes	PHQ: 1; Districts: 50/50
महाराष्ट्र	Yes	Yes	Yes	HQ: 1; Districts: 35/35
मणिपुर	NP	NP	NP	0
मेघालय	NP	NP	NP	Addl.DGP: 1; Home dept: 1; Districts: 1/12
मिजोरम	Yes	Yes	Yes	Home dept: 1; Districts: 11/11
नागालैंड	NP	NP	NP	DGP Police: 1; Districts: 12/16
ओडिशा	NP	NP	NP	DSP: 1; Districts: 30/30
पुडुचेरी	Yes	NP	Yes	PHQ: 1
पंजाब	NP	NP	NP	0
राजस्थान	Yes	Yes	Yes	Police SCRB: 2; Asst commissioner Jaipur: 1; Districts: 1/33
सिक्किम	NP	NP	Yes	PHQ-1; Secretariat finance dept: 1; Districts:6/6
तमिलनाडु	Yes	Yes	Yes	Police HQ planning: 1; Districts: 38/38
तेलंगाना	Yes	Yes	NP	Home dept: 1; Districts: 24/33
त्रिपुरा	Yes	Yes	Yes	Home dept: 1; District Magistrate: 1; Districts: 8/8
उत्तर प्रदेश	Yes	NP	NP	Home dept: 1; Districts: 75/75
उत्तराखंड	Yes	Yes	NP	Home dept: 1; DGP office: 1; Districts: 13/13
पश्चिम बंगाल	Yes ¹	Yes ¹	NP	Police directorate: 1; Asst. IGP: 1; Districts: 23/23

संक्षेप एन. पी.: प्रदान नहीं किया गया है। एनआर: आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी: 1. जानकारी आर. टी. आई. से नहीं, बल्कि आई. जे. आर. दल द्वारा प्राप्त अनुपालन शपथ पत्रों से ली गई है। 2. 9. 68 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। 3. प्रक्रिया में है। 4. पूर्वी खासी पहाड़ियों में। 5. जिलों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार (21.1.2021 पर 2,959)। 6. यह सुनिश्चित किया जाएगा।

चित्र 18: पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी: एक अनुपालन रिपोर्ट

ग्रिड 2020 में परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों के अनुपालन को दिखाने का प्रयास करता है। यह 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और मुख्य सचिवों से आरटीआई प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। कई मामलों में जिलों से आरटीआई के जवाब मिले और उन्हें दर्शाया भी गया है।

	आर. टी. आई. जवाबों के अनुसार सीसीटीवी जानकारी				डीओपीओ 2022 डेटा		
	कुल सीसीटीवी कैमरे	ऑडियो और वीडियो के साथ सीसीटीवी कैमरे	नाइट विजन के साथ सीसीटीवी कैमरे	कैमरों की संख्या के अनुसार भंडारण क्षमता	कम से कम एक सीसीटीवी वाले पुलिस स्टेशन	कुल पुलिस स्टेशन	कम से कम एक सीसीटीवी वाले पुलिस स्टेशन
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	527	527	527	527: 18 months	24	24	24
आंध्र प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP	1,027	599
अरुणाचल प्रदेश	1,485	1,485	1,485	1,485: 18 months	99	107	99
असम	299	63	112	103: below 12 months	125	329	329
बिहार	11,081	NP	NP	NP	952	1,056	957
चंडीगढ़	510 ¹	115 (video only)	0	66: 40-45 days; 16: 15-20, 33: about 30 days	17	18	17
छत्तीसगढ़	1,772	NP ³	NP ³	NP ³	443	456	443
दादरा नगर हवेली	1,941	NP	1,941	1,941: 12 months	197	225	197
दिल्ली	18	NA ⁶	NA ⁶	DNH: 25 days; Daman: 30 days; Diu: Nil	7	8	8
गोवा	259	259	259	236: 18 months; 23: below 12 months	17	44	44
गुजरात	7,354	NP	NP	NP	NP	745	622
हरियाणा	NP ³	NP	NP	NP	NP	397	381
हिमाचल प्रदेश	1,530	711	838	525: 18 months; 298: 12 months; 223: below 12 months	NP	151	136
जम्मू और कश्मीर	306	NP	55	112: below 12 months	112	250	51
झारखंड	169	4 (video only), 8 (audio only)	69	8: 12 months; 62: below 12 months	113	564	126
कर्नाटक	4,176 ¹	4,176 ¹	4,176 ¹	4,176: one year ¹	1049*	1,055	1,052
केरल	1,936	1,936 (video only)	1,936	15-20 days to 45 days	523	564	538
लद्दाख	56	56	56	56: 12-18 months	7	7	7
लक्षद्वीप	NP	NP	NP	NP	NP	16	0
मध्य प्रदेश	3,436	3,436	3,436	3,436: below 12 months	NP	1,159	859
महाराष्ट्र	6,363	NP	NP	NP	1113	1,168	663
मणिपुर	0	NP	NP	NP	NP	84	0
मेघालय	44 ⁴	6	27	27: 12 months; 4: below 12 months; 6: 1 month	14	76	25
मिजोरम	465	430	430	430: 12 months; 35: below 12 months	40	44	40
नागालैंड	70	36 (video only)	58	41: below 12 months; 1: 2 months	66 replied, 43 have CCTVs	86	28
ओडिशा	NP	NP	NP	NP	NP	643	584
पुडुचेरी	0	NP	NP	NP	0	55	0
पंजाब	NP	NP	NP	NP	NP	431	425
राजस्थान	33	NP	NP	NP	NP	917	1
सिक्किम	317	23	325	145: 18 months; 75: 12 months; 41: below 12 months; 64: NP	29	30	13
तमिलनाडु	8,748	All cameras in 1,327 PS	All cameras in 1,578 PS	1,578 PS: below 12 months	1,578	2,292	1,578
तेलंगाना	3,849 ⁵	NP	NP	NP	567	843	842
त्रिपुरा	308	308	308	308: above 1 month	72	82	73
उत्तर प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP	1,783	1,533
उत्तराखंड	960	632	632	632: 12 months	160	162	159
पश्चिम बंगाल	2,623	NP	No night vision	12 months	NP	637	637

संक्षेप: एन. पी.: प्रदान नहीं किया गया है। एनआर: आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी: 1. जानकारी आर. टी. आई. से नहीं, बल्कि आई. जे. आर. दल द्वारा प्राप्त अनुपालन शपथ पत्रों से ली गई है। 2. 9. 68 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। 3. प्रक्रिया में है। 4. पूर्वी खासी पहाड़ियों में। 5. जिलों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार (21.1.2021 पर 2,959)। 6. यह सुनिश्चित किया जाएगा।



જેલ

जेलों की रैंकिंग

रंग गाइड

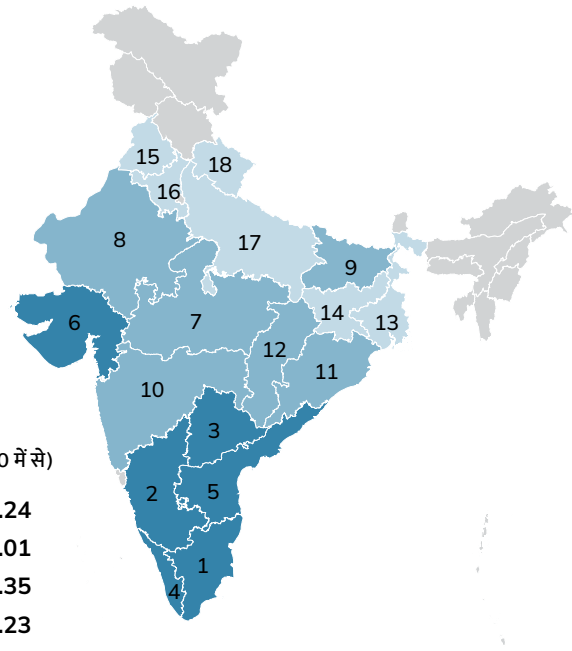
■ श्रेष्ठ ■ मध्य ■ खराब

संकेतक
(IJR 3)

29

समूह (क्लस्टर)

- I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य
(जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर)
- II. 7 छोटे आकार के राज्य
(जनसंख्या 1 करोड़ तक)



मानचित्र 11: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

नया

आईजेआर 2019	आईजेआर 2020	आईजेआर 2022
10	6	1
3	14	2
13	2	3
1	5	4
15	7	5
9	10	6
7	8	7
12	1	8
6	3	9
2	4	10
5	9	11
8	11	12
4	12	13
18	15	14
16	13	15
11	16	16
14	17	17
17	18	18

राज्य	स्कोर (10 में से)
तमिलनाडु	6.24
कर्नाटक	6.01
तेलंगाना	5.35
केरल	5.23
आंध्र प्रदेश	5.02
गुजरात	4.93
मध्य प्रदेश	4.78
राजस्थान	4.71
बिहार	4.53
महाराष्ट्र	4.32
ओडिशा	4.13
छत्तीसगढ़	3.91
पश्चिम बंगाल	3.75
झारखंड	3.69
पंजाब	3.61
हरियाणा	3.57
उत्तर प्रदेश	3.55
उत्तराखंड	2.05

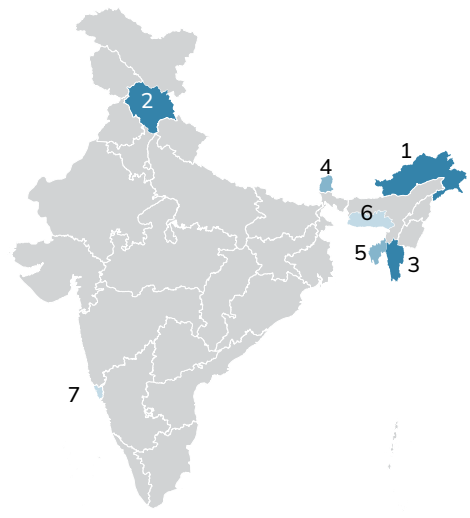
मानचित्र 12: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

नया

आईजेआर 2019	आईजेआर 2020	आईजेआर 2022
3	3	1
6	1	2
4	7	3
7	6	4
5	2	5
1	4	6
2	5	7

राज्य	स्कोर (10 में से)
अरुणाचल प्रदेश	5.32
हिमाचल प्रदेश	4.23
मिजोरम	3.76
सिक्किम	3.73
त्रिपुरा	3.67
मेघालय	3.49
गोवा	2.62

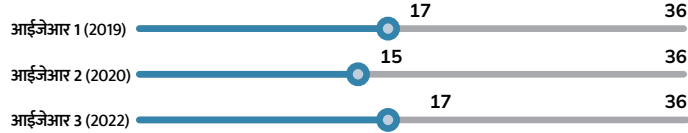


उम्मीदें बढ़ाना

भीड़भाड़

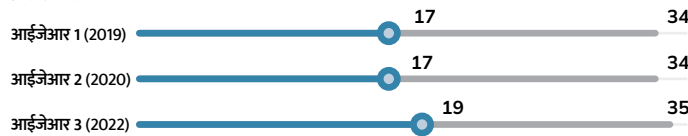
कुल राज्य *

उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां जेलों में कैदियों की संख्या 100% से कम थी



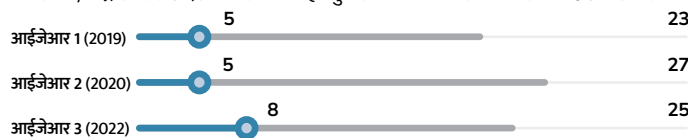
महिला कर्मचारी

उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां जेल कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से अधिक थी।



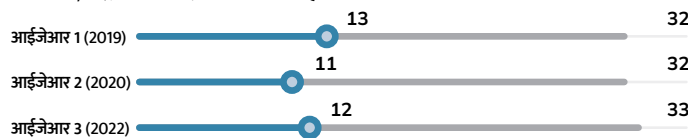
सुधारक कर्मचारी

उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां सुधारात्मक कर्मचारियों की रक्ति 20 प्रतिशत से कम थी।



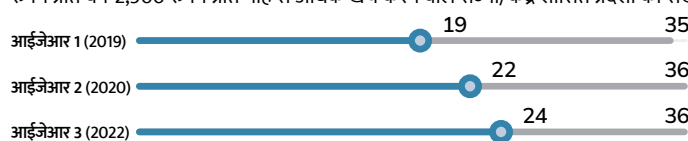
चिकित्सा अधिकारी

उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां चिकित्सा अधिकारियों की रक्ति 20 प्रतिशत से कम थी।



कैदियों पर खर्च

भोजन, कपड़े, चिकित्सा, व्यावसायिक और कल्याणकारी गतिविधियों पर प्रति कैदी औसतन 30,000 रुपये प्रति वर्ष-2,500 रुपये प्रति माह से अधिक खर्च करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या।



* Number of states/UTs (out of 36) for which data was available.

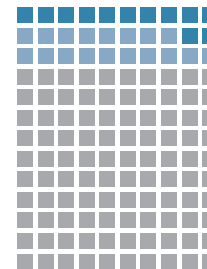
जेलों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग

राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा वाली जेलों की हिस्सेदारी दिसंबर 2019 में 60 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2021 में 84 प्रतिशत हो गई है।



बुनियादी ढांचा

राष्ट्रीय जेल अधिवास



130%

दिसंबर 2021



118%

दिसंबर 2020

उत्तराखंड की जेलों में 3,741 कैदियों की क्षमता है। दिसंबर 2021 तक, 6,921 कैदी थे, और, 185% अधिवास।



भारत में जेलों में **54%** भीड़भाड़ है।

चिकित्सा अधिकारी

उत्तराखंड, 11 जेलों में 6,921 कैदियों के साथ, 10 स्वीकृत पदों के खिलाफ केवल 1 डॉक्टर दर्ज करता है।



11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सुधारात्मक कर्मचारियों के लिए किसी भी पद को मंजूरी नहीं दी है।

अध्याय 2

जेल: निराशाजनक परिस्थितियों से उबारने की सीमा तक

परिचय

2021 में, दुनिया भर में 11.5 मिलियन (1.15 करोड़) से अधिक लोगों के जेलों में होने का अनुमान है - जो अब तक की सबसे अधिक और 2000¹ के बाद से 24 प्रतिशत की वृद्धि है।¹ भारत इस प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2010 और 2021 के बीच, भारत में जेलों की आबादी लगभग दोगुनी हो गई, 3.7 लाख से 5.5 लाख हो गई। 2021 में राष्ट्रीय अधिभोग दर 130 प्रतिशत तक पहुंच गई - एक साल पहले की तुलना में 12 प्रतिशत अंक की वृद्धि।²

विभिन्न मानकों के आधार पर जेल³ प्रशासन की क्षमता का आकलन करते हुए, आईजेआर 5 नए पैरामीटर जोड़ता है और रैंकिंग में काफी सुधार पाता है। अत्यधिक भीड़भाड़, स्थिर या बढ़ती रिक्तियों और बिगड़ते बजट उपयोग के गंभीर स्तर ने रैंकिंग में गिरावट में योगदान दिया है।

तमिलनाडु पहले स्थान पर है, 2019 में दसवें स्थान से बारिशत और 2020 में छठे स्थान पर पहुँची। कर्नाटक सबसे उच्च उछाल दर्ज करता है, चौदहवें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचकर 5 सूचकांकों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है। राजस्थान, जो 2020 में पहले स्थान पर था, आठ स्थानों तक गिर गया, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नीचे के तीन स्थानों में बने रहे। महाराष्ट्र भी चौथे से दसवें स्थान पर गिर गया बजट उपयोगन में गिरावट और रिक्ति के स्तर में वृद्धि के कारण।

सात छोटे राज्यों में, गोवा ने अपनी गिरावट जारी रखी, 2019 में पहले स्थान से, 2020 में चौथे स्थान से, अब सातवें स्थान पर पहुँची। हालांकि, मिजोरम ने सातवें से तीसरे और अरुणाचल प्रदेश ने पहले स्थान से तीसरे स्थान पर बदलाव किया है 2019 और 2020 में।

आधारभूत संरचना

जेल अधिभोग (% , दिसंबर 2021)

100% और अधिक क्षमता वाली जेलों का हिस्सा (% , 2022) **नया**

150% और अधिक क्षमता वाली जेलों का हिस्सा (% , 2022) **नया**

1-3 साल के लिए हिरासत में लिए गए विचाराधीन कैदी (% , दिसंबर 2021) **नया**

वी-सी सुविधा वाली जेलें (% , दिसंबर 2021)

शैक्षिक सुविधाओं से लाभान्वित कैदी (% , दिसंबर 2021) **नया**

कैदियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया (% , दिसंबर 2021) **नया**

विचाराधीन कैदियों का हिस्सा (पीपी, CY '17-'21)

अधिग्रहण (ऑक्यूपेंसी): पूरे देश में, अधिक भरपूरी एक सामान्य और स्थायी स्थिति है। कारागार स्टैटिस्टिक्स इंडिया के नवीनतम डेटा (2021 के 31 दिसंबर के रूप में) के अनुसार, राष्ट्रीय औसत ऑक्यूपेंसी दर को 130 प्रतिशत पर प्रिकट किया गया है। इस वृद्धि का समर्थन करता है, जो पूर्व वर्षों के विरुद्ध है, जिसमें ऑक्यूपेंसी कम हो गई, भले ही थोड़ी सी, 2019 में 120 प्रतिशत से 2020 में 118 प्रतिशत तक। ऑक्यूपेंसी के बढ़ते स्तर कारागार आबादी में वृद्धि के परिणामस्वरूप आते हैं। कारागार जनसंख्या 2019 में 4.81 लाख से 2020 में 4.89 लाख तक और 2021 में 5.54 लाख तक स्थिर रूप से बढ़ी है: जबकि 2021 में 1,319 कारागार में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या 10.8 प्रतिशत वृद्धि के साथ 18.1 लाख से बढ़कर 16.3 लाख से बढ़ गई थी।

1 पेनल रिफॉर्म इंटरनेशनल के वैश्विक जेल रुझान, 2022। यहां उपलब्ध है: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2022/05/GPT2022.pdf>

2 दो प्रतिशत के बीच का अंतर जो वृद्धि या कमी को उजागर करता है।

3 जेल और जेल शब्द दो अलग-अलग अवधारणाएँ बनाते हैं। अमेरिका में, जेल और जेल के बीच मूलभूत अंतर रहने की अवधि के संदर्भ में है, जहां जेल एक अल्पकालिक सुविधा है और जेलें लम्बी सजाओं के लिए होती हैं। IJR जेल और जेल शब्द का परस्पर उपयोग करता है।

सोलह राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी कुल क्षमता⁷ से अधिक कैदी हैं। 7 पिछले वर्ष की तुलना में पंद्रह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वृद्धि दर्ज की गई है⁸, जिसमें बिहार में 2020 में 113 प्रतिशत से 2021 में 140 प्रतिशत तक की उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तराखंड में 185 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उच्चतम औसत अधिभोग दर।

यहां तक कि कोविड अवधि (2020-2021) की विकृतियों को ध्यान में रखते हुए, 2017 से 2021 तक के 5 साल के आंकड़े राज्यों में भीड़भाड़ की लगातार बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं। अस्थायी जमानत या आपातकालीन पैरोल पर कैदियों की रिहाई के बावजूद, जेलों में कैदियों की संख्या में वृद्धि के लिए दो कारक जिम्मेदार हो सकते हैं - गिरफ्तारियों में वृद्धि और अदालतों का काम न करना (तत्काल जमानत सुनवाई को छोड़कर)।

जेलों में भीड़भाड़: संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के ड्रग्स और अपराध (यूनओडीसी) की 'गंभीर' और 'अत्यधिक' भीड़भाड़ की परिभाषा के खिलाफ जांच की गई, यह रिपोर्ट डेटा के माध्यम से प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में 150 प्रतिशत से अधिक अधिभोग दर वाली जेलों की हिस्सेदारी का आकलन करती है। जुलाई से अक्टूबर 2022 की तीन महीने की अवधि में ई-प्रिजन पोर्टल पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय स्तर पर, लगभग 30 प्रतिशत (391 जेलें) 150 प्रतिशत और उससे अधिक की अधिभोग दर दर्ज करती हैं, और 54 प्रतिशत (709 जेलें) 100 प्रतिशत क्षमता से ऊपर चलती हैं।¹⁵ 23 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की आधे से अधिक जेलें क्षमता से अधिक भरी हुई हैं।¹⁶ उदाहरण के तौर पर, 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से, हरियाणा में भीड़भाड़ वाली जेलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। इसकी 20 में से अठारह जेलें 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर चलती हैं: बारह या 60 प्रतिशत में 150 प्रतिशत से अधिक की अधिभोग दर दर्ज की गई है। तमिलनाडु में, कुल 139 जेलों में से 15 जेलों में 100 प्रतिशत से अधिक भीड़भाड़ है और 2 में 150 प्रतिशत से अधिक भीड़ है।

महामारी और कारागार

मार्च 2020 में, उच्चतम न्यायालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को विभिन्न श्रेणियों के कैदियों को अंतरिम जमानत और पैरोल पर रिहा करने की सिफारिश करने के लिए विशेष उच्चाधिकार प्राप्त समितियाँ⁴ गठित करने का निर्देश दिया। इसके बाद, उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने जेलों में भीड़ कम करने के उपाय करने के लिए अंडर ट्रायल समीक्षा समितियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से और आदेश पारित किए।

अप्रैल और जून 2020 के बीच के चार महीनों में, 20 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में जेलों में कैदियों की कुल संख्या घटकर 93.3%⁵ हो गई। सबसे बड़ी कटौती पंजाब में हुई, जिससे इसकी औसत कैदियों की संख्या 91.5% से घटकर 74% हो गई, और महाराष्ट्र में जहां ऑक्यूपेंसी 150% से घटकर 118% हो गई।⁶

दीर्घकालिक भीड़ (क्रोनिक ओवर क्रौडिंग)

संयुक्त राष्ट्र औषधियों और अपराध कार्य कार्यालय 120% भरपूर को 'महत्वपूर्ण' और 150% को 'अत्यंत'⁹ वर्ग में श्रेणीबद्ध करता है। 2021 के अंत में, 13¹⁰ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में औसत ऑक्यूपेंसी दरें महत्वपूर्ण थीं।⁶ 11 में यह 150%¹² से ज्यादा हो गई थी। औसत, हालांकि, यह छिपाने में मदद करती है कि कई कारागारों में भरपूर 150% से ज्यादा है। 22 प्रिजन में ऑक्यूपेंसी दरें 500%¹³ से ज्यादा रिकॉर्ड की गई थी। व्यक्तिगत कारागार अधिक भयानक कारागार स्थितियों को प्रकट करते हैं: छत्तीसगढ़ के डांटेवाड़ा में जिला कारागार की औसत ऑक्यूपेंसी 4,963% है—उसकी क्षमता की तुलना में लगभग 50 गुना ज्यादा। उसी तरह, असम के नालबाड़ी जिला कारागार में औसत आवासी क्षमता के खिलाफ 4,500 कारागारियों को बनाया जाता है, जो कि 155¹⁴ की उपलब्ध क्षमता के खिलाफ है।

4 पुनर्जेलों में COVID 19 वायरस का संक्रमण (स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 1/2020) दिनांक 23 मार्च 2020 के आदेश द्वारा।

5 राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल की महामारी पर प्रतिक्रिया: जेलों और भीड़भाड़, 2020; राज्यों के भीड़भाड़ कम करने के प्रयास। उपलब्ध है:

<https://humanrightsinitiative.org/download/Responding%20to%20the%20Pandemic%20Prisons%20&%20Overcrowding%20Vol%201.pdf>

6 Ibid

7 असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (डीएनएच और डीडी), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

8 असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

9 ई/सीएन.15/2016/10, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग का पच्चीसवां सत्र, 2016। यहां उपलब्ध है:

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/25_Session_2016/session-25-of-the-ccpcj.html

10 बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

11 दिल्ली, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

12 जेल सांख्यिकी भारत, 2021

13 रिपोर्ट में तीन महीने की अवधि (जुलाई-अक्टूबर 2022) में ई-प्रिजन पोर्टल पर दर्ज 1,314 जेलों में जेल की क्षमता और आबादी के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। यहां उपलब्ध है:

<https://eprisons.nic.in/public/ePrisonsLiveStatus>

14 Ibid

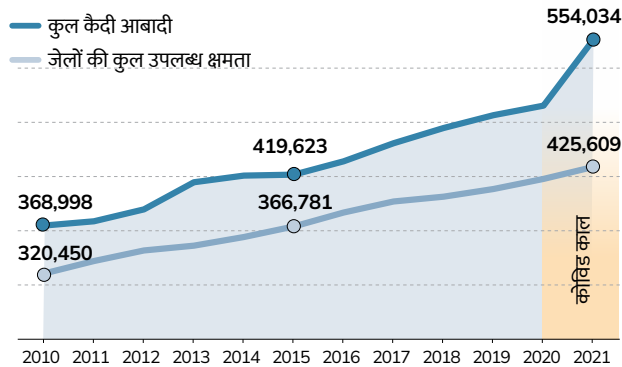
15 भीड़भाड़ वाली जेलों के संकेतकों के लिए, रिपोर्ट ने ई-प्रिजन पोर्टल पर दर्ज कुल 1,314 जेलों का विश्लेषण किया। पोर्टल में 1,367 जेलों की सूची है, जिनमें से 53 जेलों को कुल संख्या में नहीं माना गया, क्योंकि वे कार्यात्मक नहीं हैं या संबंधित जेल विभागों के पास जेलों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, या राजस्व विभाग के अंतर्गत आती हैं।

16 अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, डीएनएच और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

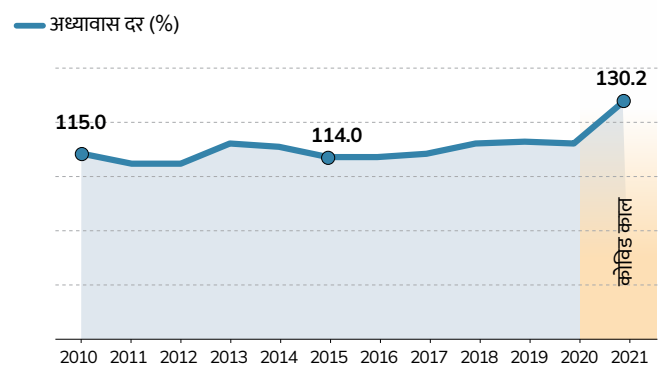
चित्र 19: भारतीय जेलों में अधिभोग दर

निम्नलिखित ग्राफ राज्यों में बढ़ती जेल आबादी और दशक के दौरान अनिवार्य रूप से बढ़ती राष्ट्रीय अधिभोग दर को दर्शाता है।

19ए. भारत: जेलों की क्षमता और जनसंख्या

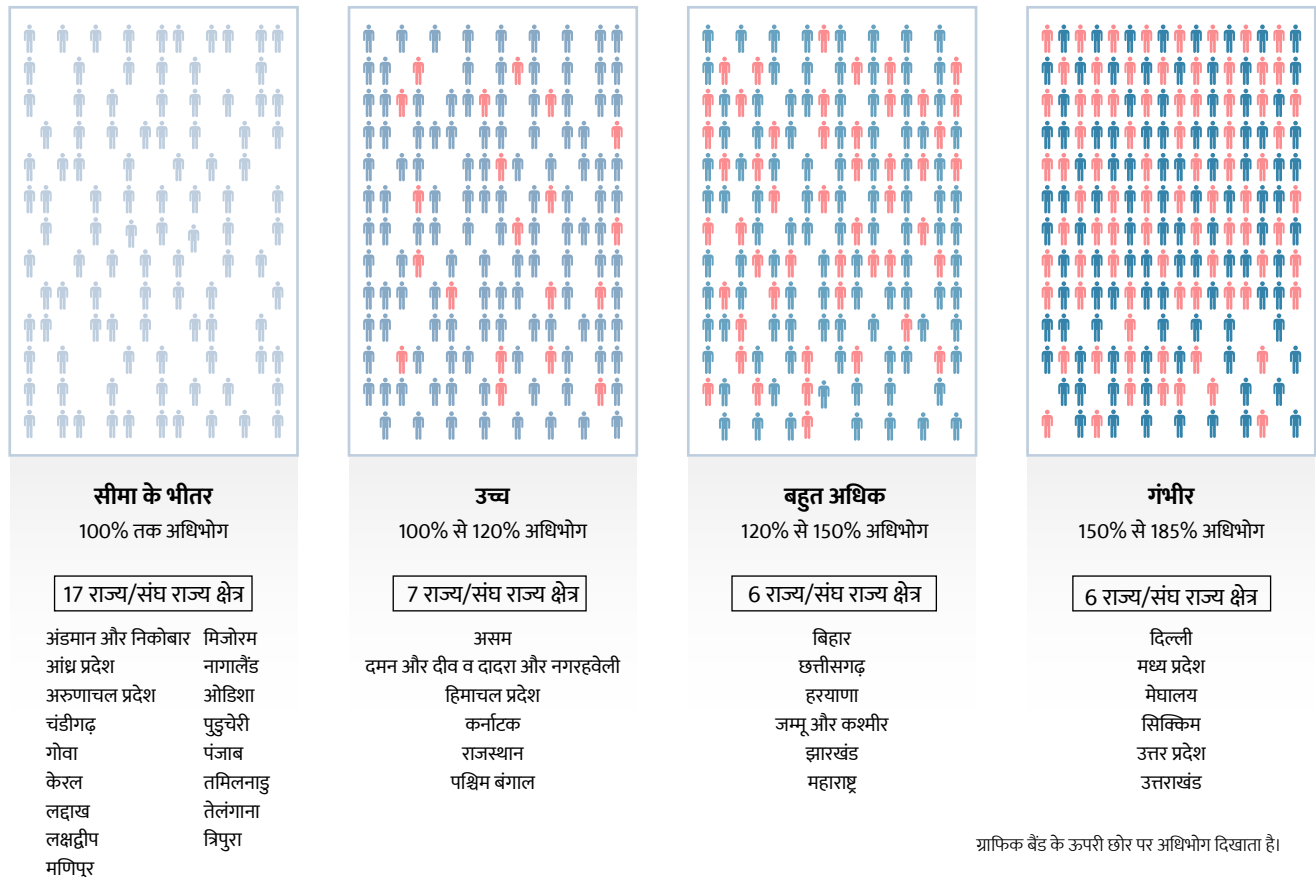


19बी. राष्ट्रीय जेल अधिभोग



19सी. दिसंबर 2021 तक जेल अधिभोग और विचाराधीन कैदी

ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) 120% भीड़भाड़ को 'गंभीर' और 150% को 'अत्यधिक' के रूप में वर्गीकृत करता है। यह तालिका देश की जेलों में कैदियों की संख्या को दर्शाती है। नीचे दी गई पट्टियाँ विभिन्न राज्यों में अधिभोग की विभिन्न श्रेणियों में विचाराधीन कैदियों की उच्च हिस्सेदारी को दर्शाती हैं।



ग्राफिक बैंड के ऊपरी छोर पर अधिभोग दिखाता है।

कैदियों की आबादी में विचाराधीन कैदियों का हिस्सा



नोट: श्रेणी के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है।
स्रोत: कारागार सांख्यिकी (पी.एस.आई.)

दुनिया भर में विचाराधीन कैदी

वैश्विक स्तर पर, जेल में बंद तीन में से लगभग एक व्यक्ति को परीक्षण-पूर्व हिरासत¹⁷ में रखा जा रहा है। 2000 के बाद से, एशिया और अफ्रीका में परीक्षण-पूर्व हिरासत में रहने वाले लोगों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है। 17 भारत चीन, अमेरिका और ब्राजील¹⁸ के बाद चौथे स्थान पर है। 18 अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों में, केवल बांग्लादेश, जहां 80% कैदी मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, से अधिक हैं। भारत के बाद विचाराधीन कैदियों की संख्या पाकिस्तान (70%), श्रीलंका (60%) और नेपाल (54%) है। ब्रिक्स साझेदारों-दक्षिण अफ्रीका (32.9%), ब्राजील (27.2%), रूस (24.6%) और चीन (12.7%) में भी भारत का प्रतिशत सबसे अधिक है।¹⁹

छोटे राज्यों में, मेघालय की 5 जेलों में से 4 में क्षमता से अधिक कैदी हैं, इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, जहां 23 में से 14 जेलें 100 प्रतिशत क्षमता से अधिक चल रही हैं। गोवा की एकल जेल भी क्षमता से 33 प्रतिशत अधिक थी।

यहां तक कि कोविड अवधि (2020-2021) की विकृतियों को ध्यान में रखते हुए, 2017 से 2021 तक के 5 साल के आंकड़े राज्यों में भीड़भाड़ की लगातार बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं। अस्थायी जमानत या आपातकालीन पैरोल पर कैदियों की रिहाई के बावजूद, जेलों में कैदियों की संख्या में वृद्धि के लिए दो कारक जिम्मेदार हो सकते हैं - गिरफ्तारियों में वृद्धि और अदालतों का काम न करना (तत्काल जमानत सुनवाई को छोड़कर)।

विचाराधीन कैदियों की आबादी: जेल की आबादी में से केवल 22 प्रतिशत ही दोषी हैं जबकि 77 प्रतिशत 'विचाराधीन कैदी' या जांच या मुकदमे के पूरा होने का इंतजार कर रहे लोग हैं। विचाराधीन कैदियों की संख्या 2010 के बाद से सबसे अधिक है, जो 2010 में 2.4 लाख से लगभग दोगुनी होकर 2021 में 4.3 लाख हो गई है: 78 प्रतिशत की वृद्धि। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश को छोड़कर, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विचाराधीन कैदियों की आबादी 60 प्रतिशत से अधिक है।

2017 और 2021 के बीच, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड को छोड़कर सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और पुडुचेरी में विचाराधीन कैदियों की आबादी में वृद्धि देखी गई। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से, पंजाब में 3.75 प्रतिशत अंक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सात छोटे राज्यों में, गोवा में 5.23 प्रतिशत अंक की सबसे अधिक वृद्धि देखी गई।

हिरासत की अवधि: विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक हिरासत में रखना इस बात का संकेत है कि मुकदमे पूरे होने में अधिक समय लग रहा है। इससे प्रशासनिक कार्यभार बढ़ता है, अल्प बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और प्रति कैदी खर्च पर असर पड़ता है। आईजेआर का नया संकेतक 1 से 3 साल के बीच हिरासत में लिए गए विचाराधीन कैदियों की अवधि को रिकॉर्ड करता है।

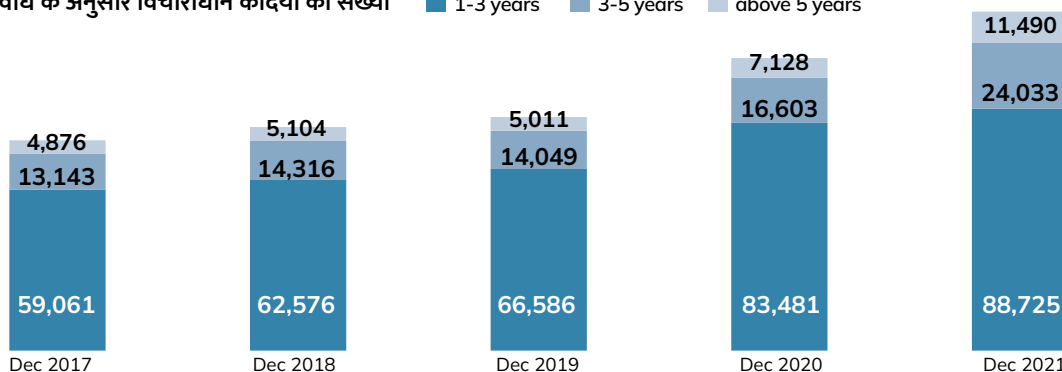
पीएसआई, 2021 से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर, 88,725 (20.8 प्रतिशत) विचाराधीन कैदियों ने 1 से 3 साल जेल में बिताए।²⁰ दस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 25 प्रतिशत से अधिक को 1 से 3 साल के लिए हिरासत में रखा गया था। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, 28 प्रतिशत के साथ राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी जबकि

चित्र 21: हिरासत अवधि के अनुसार विचाराधीन कैदी दर्शाता है।

पिछले कुछ वर्षों में विचाराधीन कैदियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2021 में, विचाराधीन कैदी पूरी जेल की आबादी का 77% थे। नीचे दिया गया आंकड़ा विचाराधीन कैदियों द्वारा पांच वर्षों में जेलों में बिताई गई विभिन्न अवधियों को दर्शाता है।

निरोध अवधि के अनुसार विचाराधीन कैदियों की संख्या

■ 1-3 years ■ 3-5 years ■ above 5 years



स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया

17 पेनल रिफॉर्म इंटरनेशनल के वैश्विक जेल रुझान, 2022. यहां उपलब्ध है: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2022/05/GPT2022.pdf>

18 दुनिया भर की जेल प्रणालियों पर वर्ल्ड प्रिजन ब्रीफ का डेटाबेस। यहां उपलब्ध है: https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/pre-trial-detainees?field_region_taxonomy_tid=16

19 Ibid

20 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, डीएनएच और डीडी, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, राजस्थान और सिक्किम।

छोटे राज्यों में, 47 प्रतिशत के साथ गोवा की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। पूर्ण संख्या के अनुसार, उत्तर प्रदेश (21,244 कैदी) में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, इसके बाद बिहार (8,365), महाराष्ट्र (7,599) और मध्य प्रदेश (6,778) हैं।

2021 के अंत में, देश भर में बड़ी संख्या में (11,490) कैदी 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद थे, जो 2020 में 7,128 और 2019 में 5,011 से काफी अधिक है। हालांकि, वर्ष के दौरान रिहा किए गए कुल विचाराधीन कैदियों में से 96.7 प्रति सेंट ने एक वर्ष के भीतर या तो जमानत पर या बरी/मुक्ति पर जेल छोड़ दी, या मुकदमा पूरा होने पर दोषी में परिवर्तित हो गया।²¹

वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग: वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग: रिमांड और सुनवाई के दौरान कैदियों को अदालत से आगे-पीछे लाने-ले जाने में होने वाली लागत और मानव संसाधनों को कम करने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में अपनाया गया। इसके प्रभावी उपयोग के परिणामस्वरूप देश में कमी आई है, विशेषकर रिमांड चरण में, जहां अन्यथा अदालतें मुकदमा शुरू होने के बाद भौतिक उत्पादन को प्राथमिकता देती हैं। इस सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके की गई सुनवाई की संख्या, या उत्पादन लागत में बचत पर बहुत कम डेटा है। महामारी की शुरुआत से ठीक पहले, 2019 में, केवल 60 प्रतिशत जेलों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा थी। 2019 और 2021 के बीच, वीडियो-कॉन्फ्रेंस सुविधाएं 808 जेलों से बढ़कर 1,102 या 84 प्रतिशत हो गईं।²² 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 100 प्रतिशत कवरेज दर्ज किया,²³ लेकिन केवल 4 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आधे से भी कम कवर कर सके।²⁴ लक्षद्वीप की 4 जेलों में से कोई भी इस सुविधा से सुसज्जित नहीं है। पंजाब, झारखंड, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग कवरेज में गिरावट दर्ज की गई।²⁵

कैदियों को प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सुविधाएँ: 2011 में, कैदियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के प्रयास में, गृह मंत्रालय ने राज्यों को जेलों में विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित करने और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, दूरस्थ शिक्षा बोर्ड और द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करने की सलाह दी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्यू)।²⁶ मॉडल जेल मैनुअल, 2016 अनपढ़ युवा अपराधियों और वयस्क कैदियों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाता है और प्रत्येक जेल में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित शैक्षिक कर्मचारियों और कक्षाओं और पुस्तकालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। यह विचाराधीन कैदियों के लिए शैक्षिक कक्षाओं का भी

प्रशासनिक दक्षता और लागत में कमी के आधार पर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग उचित है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि, इसका उपयोग मुख्य रूप से रिमांड बढ़ाने के लिए किया जाता है, यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों की कीमत पर है। यद्यपि जेल मैनुअल में कैदियों और उनके परिवारों के साथ-साथ उनके वकीलों के बीच बैठकों की सुविधा के प्रावधान हैं, व्यवहार में, सुरक्षा चिंताओं और प्रतिबंधात्मक वातावरण का मतलब है कि ऐसे अवसर बहुत सीमित हैं। वकील शायद ही कभी ग्राहकों से निर्देश लेने के लिए जेलों में जाते हैं और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रभावित होता है। परिणामस्वरूप, अक्सर विचाराधीन कैदियों - जिनमें से अधिकांश सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित हैं - को ऐसी अदालत का सामना करना पड़ता है जिसकी कार्यवाही उनके लिए अपारदर्शी होती है और/या जब उन्हें वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाता है तो वे अपने वकीलों को जानकारी देने में असमर्थ होते हैं।

प्रावधान करता है।²⁷ आईजेआर वर्ष के दौरान भर्ती किए गए कैदियों की संख्या को मापता है जिन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

यह देखते हुए कि जेल की 65 प्रतिशत आबादी कम शिक्षित है,²⁸ साक्षरता और अप-कौशल सुविधाएं एक अमूल्य सुधारात्मक और पुनर्वास उपाय हैं। वार्षिक जेल सांख्यिकी भारत रिपोर्ट में विभिन्न राज्य जेल विभागों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा सुविधाओं के रूप में वर्गीकृत की गई शिक्षा सुविधाओं के बारे में विस्तृत डेटा की कमी बनी हुई है। शैक्षिक सुविधाओं की श्रृंखला में शिक्षित कैदियों या साक्षरता कर्मचारियों की मदद से चलाए जाने वाले साक्षरता अभियान, गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित तदर्थ कक्षाएं और कुछ केंद्रीय जेलों में स्थापित अध्ययन केंद्रों के माध्यम से मुक्त विद्यालयी शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालयों तक पहुंच शामिल है। इसी प्रकार, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं में रसोई, बढ़ईगरी, कपड़ा, कालीन बनाने और ऐसे अन्य उद्योगों में 'करके सीखना' के साथ-साथ वायरिंग, प्लंबिंग, बुनियादी कंप्यूटर कौशल आदि जैसे अल्पकालिक पाठ्यक्रम शामिल हो सकते हैं, जो इसके साथ चलाए जाते हैं। गैर सरकारी संगठनों या सरकारी एजेंसियों की मदद। शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गठन के बारे में स्पष्ट मानकों की अनुपस्थिति

21 जेल सांख्यिकी भारत, 2021, पृष्ठ 172। यहां उपलब्ध है: https://ncrb.gov.in/sites/default/files/PSI-2021/PSI_2021_as_on_31-12-2021.pdf

22 जेल सांख्यिकी भारत, 2021।

23 अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, डीएनएच और डीडी, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

24 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मणिपुर और नागालैंड।

25 तेलंगाना को छोड़कर, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जेलों की संख्या में वृद्धि के कारण वीसी कवरेज में गिरावट दर्ज की गई।

26 भारत सरकार, गृह मंत्रालय, सलाहकार संख्या V-17013/01/2011-PR. यहां उपलब्ध है: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AdvEducationProg15062011.pdf>

27 गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016, अध्याय XIV। यहां उपलब्ध है: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf>

28 भारत के जेल सांख्यिकी में निरक्षर, 10 वीं कक्षा से नीचे, 10 वीं कक्षा और उससे ऊपर लेकिन स्नातक स्तर से नीचे, स्नातक, स्नातकोत्तर, होल्डिंग वाले कैदियों की शैक्षिक प्रोफाइल शामिल की गई है। तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा, और अन्य।

चित्र 22: कैदियों की शैक्षिक प्रोफाइल और प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ

दिसंबर 2021 तक, 5.5 लाख कैदियों में से लगभग 65% या तो निरक्षर थे या दसवीं कक्षा तक पढ़े थे। फिर भी, 2021 के दौरान जेलों में भर्ती किए गए 18 लाख कैदियों के मुकाबले गणना की गई, केवल 89,761 या 5% ने किसी न किसी रूप में शिक्षा प्राप्त की।

कैदियों की शैक्षिक प्रोफाइल

31 दिसंबर 2021 को निरक्षर या दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की

	शैक्षिक स्तर के आधार पर विभाजन (%)					
	अनपढ़	दसवीं कक्षा से नीचे	दसवीं कक्षा और उससे ऊपर लेकिन स्नातक से नीचे	स्नातक	होल्डिंग टेक डिग्री/डिप्लोमा	स्नातकोत्तर
दोषी	25.1	42.8	22.0	6.8	1.3	1.9
विचाराधीन कैदी	25.3	39.4	24.6	7.7	1.2	1.8
हिरासत में लिए गए	19.2	39.2	28.8	6.6	3.5	2.7
अन्य कैदी	33.6	34.9	24.3	5.7	0.2	1.3

जेल में प्राप्त शैक्षिक सुविधाएँ

इस वर्ष के दौरान भर्ती 18 लाख कैदियों के प्रति शिक्षा प्राप्त करने वाले कैदियों की संख्या

कैदियों की संख्या	
प्रारंभिक शिक्षा	38,784
प्रौढ़ शिक्षा	32,544
उच्च शिक्षा	14,083
कंप्यूटर कोर्स	4,350

नोट: 2021 के लिए डेटा।
स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया

कैदियों को बाहरी दुनिया में बेहतर करने के लिए तैयार करने में उनकी प्रभावकारिता का आकलन करने की अनुमति नहीं देती है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण: मॉडल जेल मैनुअल, 2016 में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुधारात्मक कार्यक्रमों की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में उल्लेख किया गया है, जो प्रत्येक केंद्रीय और जिला जेल में रोजगार योग्य दोषियों और स्वेच्छा से काम करने वाले विचाराधीन कैदियों के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।²⁹ कैदियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य "उनकी इच्छाशक्ति को मजबूत करना" है। काम करने के लिए और उनकी आर्थिक सुरक्षा की भावना के लिए।"³⁰

वर्ष के दौरान प्रवेशित 18 लाख कैदियों के मुकाबले शिक्षा प्राप्त करने वाले कैदियों की संख्या व्यावसायिक प्रशिक्षण को कृषि, बढ़ईगरी, सिलाई, साबुन और फिनाइल बनाना, हथकरघा और 'अन्य' में वर्गीकृत किया गया है, और यह उन दोषियों और विचाराधीन कैदियों के लिए उपलब्ध है जो स्वेच्छा से काम करते हैं। सिक्किम (29 प्रतिशत) को छोड़कर कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 2021 के दौरान 20 प्रतिशत से अधिक कैदियों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सका। पश्चिम बंगाल एक प्रतिशत (0.14 प्रतिशत) तक भी नहीं पहुंच सका जबकि गोवा, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, लक्षद्वीप और दमन और दीव ने कोई प्रशिक्षण नहीं दिया।

चिकित्सा कर्मचारी रक्ति (% , दिसंबर 2021)

चिकित्सा अधिकारी रक्ति (% , दिसंबर 2021)

कैडर कर्मचारी रक्ति (% , दिसंबर 2021)

सुधार कर्मचारी रक्ति (% , दिसंबर 2021)

अधिकारी रक्ति (% , दिसंबर 2021)

प्रशिक्षित कर्मचारी (% , दिसंबर 2021)

प्रति अधिकारी कैदियों की संख्या (व्यक्तियाँ, दिसंबर 2021)

प्रति कैडर कर्मचारी कैदियों की संख्या

(व्यक्तियाँ, दिसंबर 2021)

प्रति सुधार कर्मचारी कैदियों की संख्या

(व्यक्तियाँ, दिसंबर 2021)

प्रति चिकित्सा अधिकारी कैदियों की संख्या (व्यक्तियाँ, दिसंबर 2021) **नया**

अधिकारी रक्ति (प्रति, CY '17-'21)

कैडर कर्मचारी रक्ति (प्रति, CY '17-'21)

प्रति कारागार कर्मचारी कैदियों की संख्या (% , CY '17-'21)

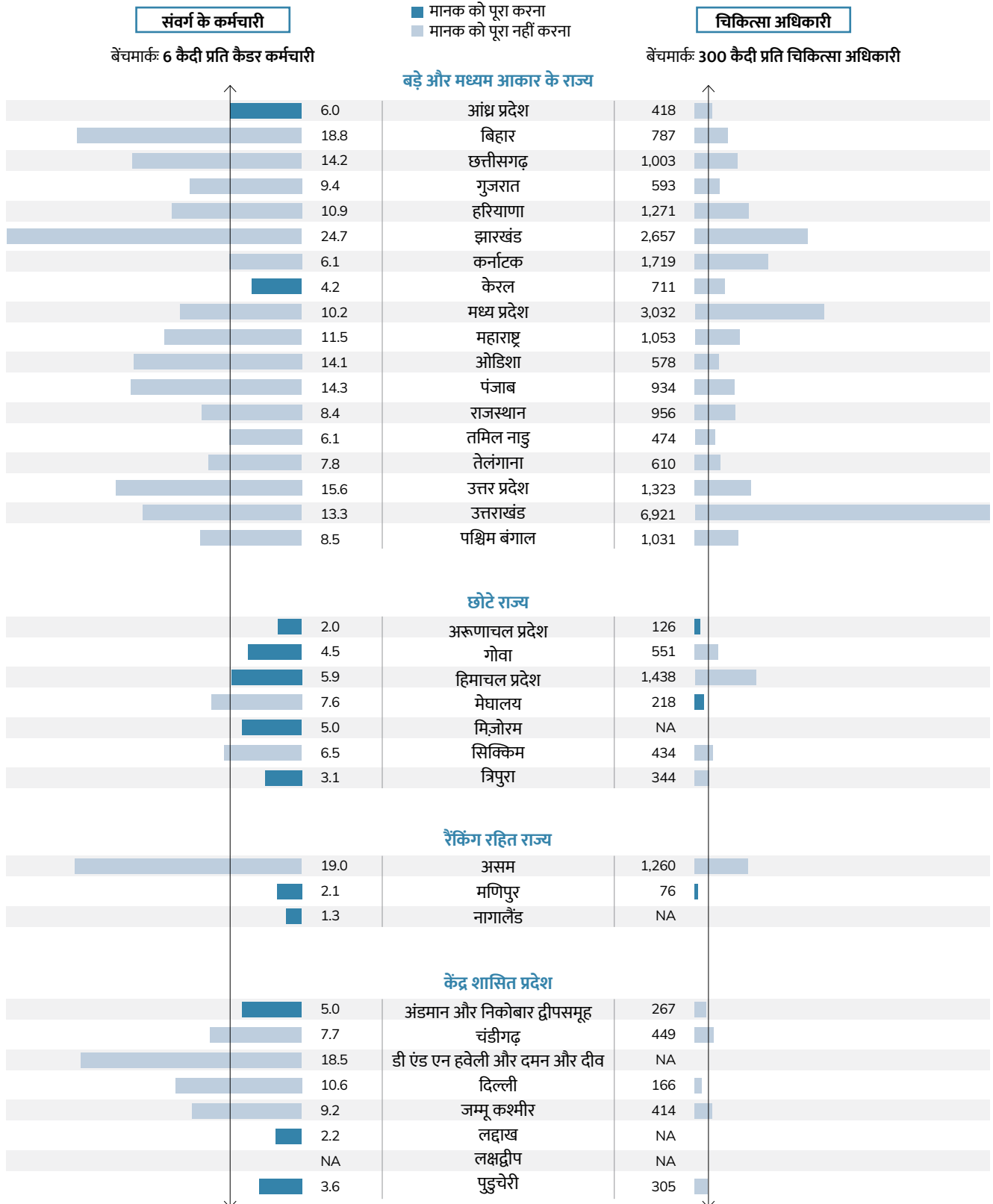
प्रति कैडर कर्मचारी कैदियों की संख्या (% , CY '17-'21)

29 Ibid.

30 गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016, अध्याय XVI। यहां उपलब्ध है: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf>

चित्र 23: मानकों को पूरा करना

मॉडल कारागार मैनुअल, 2016 का उद्देश्य कारागारों के प्रशासन और कैदियों के प्रबंधन में समानता लाना है। अधिकांश राज्य निर्धारित मानकों को पूरा करने में कमी कर गए हैं।



नोट: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को श्रेणी के भीतर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है।

स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया

मानव संसाधन और कामकाज

कैदियों के साथी के रूप में डॉक्यूमेंटेड कर्मचारी अधिकारी, कैडर कर्मचारी, सुधार कर्मचारी, चिकित्सा और मंत्रालयी कर्मचारी के रूप में हैं। स्टाफ की रक्तियों को स्वीकृत संख्या के खिलाफ मापा जाता है। ऐतिहासिक रूप से, स्वीकृत संख्या सालों-सालों स्थिर रहती है और अक्सर वर्तमान आवश्यकताओं से पिछड़ सकती है। पिछले दशक के दृष्टिकोण से देखा जाता है, कुल रक्तियाँ लगभग 30 प्रतिशत के आस-पास हैं। इस स्थिति में सजा यात्रियों के रूप में मासिक वार्डर्स, चौकीदार, आदि के रूप में नियुक्ति की जाती है और रोजमर्रा के कामों को प्रबंधित करने के लिए वेतन दिया जाता है। 2021 के अंत में, राष्ट्रीय औसत रक्तियाँ 28 प्रतिशत पर थीं। आधे से अधिक राज्य/संघ अपने स्टाफ पदों के चौथाई हिस्से की रक्तियों के साथ काम कर रहे थे। महान राज्यों में, झारखंड ने सबसे अधिक रक्ति स्तर (59.3 प्रतिशत) को दर्ज किया और छोटे राज्यों और संघों में यह लद्दाख (83.1 प्रतिशत) और सिक्किम (52.3 प्रतिशत) था।

चिकित्सा कर्मचारी: कारागार स्वास्थ्य कर्मचारी को चिकित्सा अधिकारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसका मतलब प्रमाणित चिकित्सक होते हैं, साथ ही चिकित्सा कर्मचारी भी शामिल होते हैं, जिनमें प्रयोगशाला प्राविधिकों, फार्मासिस्ट्स और कॉम्पाउंडर्स शामिल हैं। 2016 का मॉडल कारागार मैनुअल आवश्यकता है कि प्रत्येक 300 कैदियों के लिए एक चिकित्सक हो। वर्षों-वर्षों, प्रमाणित डॉक्टरों की अवशोषित कमी की समस्या केवल और अधिक गंभीर हो गई है। राष्ट्रीय रूप से, रक्तियाँ 2020 में 34 प्रतिशत से 2021 में 48.2 प्रतिशत तेजी से बढ़ गई। 1,270 की स्वीकृत संख्या के खिलाफ, 2020 में सेवा में पहले ही कम संख्या 797 से 2020 में और कम हो गई और 658 हो गई। 554,034 कैदियों के जनसंख्या के खिलाफ, इससे प्रत्येक 842 कैदियों के लिए एक प्रमाणित चिकित्सक होता है, इसका सूचित करते हैं कि हर कारागार में एक चिकित्सक नहीं होता है और चिकित्सा आपातकालिक स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के लिए किसी भी उपलब्ध जिला स्वास्थ्य पेशेवर पर निर्भर करना पड़ता है।

चिकित्सा के अलावा मेडिकल कर्मचारी की कमी और भी गंभीर है। निर्धारित 3,497 के खिलाफ केवल 2,080 वास्तविक मेडिकल स्टाफ है, जो राष्ट्रीय रूप से निर्वाचित हैं, रक्तियाँ 2021 में 32.7 प्रतिशत से बढ़कर 40.5 प्रतिशत तक बढ़ गई। 15 राज्य/संघ अध्यापन करते हैं कि 40 प्रतिशत से अधिक रक्तियाँ हैं,³¹ जिनमें गोवा (84.6 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (66.8 प्रतिशत) और कर्नाटक (61.3 प्रतिशत) सबसे अधिक स्तर पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। बारह राज्यों³² ने पिछले साल के अधिक रक्तियों को दर्शाया और केवल 3 राज्य/संघ (नागालैंड, एंडमैन और निकोबार द्वीपसमूह, पुदुचेरी) ने कोई रक्ति नहीं दर्शाई।

सुधारात्मक प्रभाग

2021 के अंत में, 1,319 जेलों में 658 डॉक्टर प्रति जेल में आधे डॉक्टर का संकेत देते हैं। वर्ष के अंत में जेल में बंद कैदियों की संख्या 554,034 के मुकाबले प्रत्येक 842 कैदियों के लिए 1 डॉक्टर और 266 महिला कैदियों के लिए 1 महिला डॉक्टर थी।

कैडर कर्मचारी: 2016 का मॉडल कारागार मैनुअल प्रावधान करता है कि प्रत्येक 6 कैदियों³³ के लिए 1 गार्डिंग/कैडर स्टाफ हो। कारागारों का प्रतिदिन प्रबंधन कैडर स्टाफ के साथ होता है:

जेलों का रोजमर्रा का प्रबंधन कैडर कर्मचारियों पर निर्भर करता है: वार्डर, मैट्रन और सुरक्षा कर्मी, जो तीन शिफ्टों में कैदियों के साथ सीधे काम करते हैं। उनके कार्यों में सुरक्षा और संतरी कर्तव्यों, दिन में तीन बार रोल कॉल, कमिश्नरी की खरीद, लेखांकन और वितरण, कैदियों को अदालत में जाने के लिए तैयार करना, अंदर आने या बाहर जाने वालों के रजिस्टर को बनाए रखना, स्वच्छता की निगरानी करना, काम और घरेलू गतिविधियों का वितरण करना शामिल है।³⁴

उत्तीस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 4 में से 1 कैडर स्टाफ गायब है।³⁵ रक्तियों में 2020 में 29 प्रतिशत से मामूली कमी आई है और 2021 में 26 प्रतिशत हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर, लद्दाख (80 प्रतिशत) में सबसे अधिक रक्तियां दर्ज की गईं, जबकि नागालैंड (0.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक रक्तियां दर्ज की गईं। सेंट) सबसे कम। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, झारखंड (60 प्रतिशत) में सबसे अधिक रक्तियां दर्ज की गईं, जबकि तमिलनाडु (9.8 प्रतिशत) में सबसे कम रक्तियां दर्ज की गईं।

तीन साल की अवधि (2019-2021) में, झारखंड और सिक्किम क्रमशः 40 प्रतिशत और 44 प्रतिशत से कम कर्मचारियों के साथ काम करते रहे। पंजाब (47.3 प्रतिशत), बिहार (41.4 प्रतिशत) और गुजरात (34 प्रतिशत) ने 2019 के बाद से रक्तियों में पर्याप्त वृद्धि दिखाई है। केवल चार राज्य-अरुणाचल प्रदेश (3.1 प्रतिशत), मणिपुर (4.8 प्रतिशत), नागालैंड (0.3 प्रतिशत) और तमिलनाडु (9.8 प्रतिशत)-रिकार्ड रक्तियाँ 10 प्रतिशत से कम।

36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 12³⁶ ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक छह कैदियों के लिए एक कैडर स्टाफ के बेंचमार्क को पूरा कर पाए हैं। 21,000 से अधिक कैदियों की आबादी वाले झारखंड में प्रति

31 असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

32 असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

33 गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016। यहां उपलब्ध है: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf>

34 मॉडल जेल मैनुअल, 2016, अध्याय IV, ऑप. सिट., पी 42.

35 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, डीएनएच और डीडी, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड।

36 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी और त्रिपुरा।

कैडर स्टाफ 25 कैदियों का कार्यभार है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक है।

सुधार अधिकारी: मैनुअल द्वारा निर्धारित किए गए 1,200 कैदियों के लिए 1 सुधार अधिकारी और 1 मानसिक चिकित्सक/सलाहकार के लिए 1,500 कैदियों के लिए है।

कारागार के मार्गदर्शन का तत्व है कि दंड देने के बजाय पुनर्वास की दिशा में किया जा रहा है,³⁷ सुधार अधिकारी की अभाव—जो प्रायः परिवीक्षण या कल्याण अधिकारियों, मानसिक और भौतिक रूप से कैदियों के साथ और समाज में उनके समावेश के मानसिक और भौतिक वेबिंग के बारे में प्रमुख रूप से चिंतित हैं—विशेष रूप से स्पष्ट है। वर्षों से रिक्तियां गंभीर रही हैं, बोझ अधिक है और संस्थानिक क्षमताएँ बिना मूल्य हैं।

प्रत्येक 200 कैदियों के लिए 1 सुधार अधिकारी के मानक को पूरा करने के लिए, देश भर में सुधार कर्मचारियों के कम से कम 2,770 स्वीकृत पद होने चाहिए। हकीकत में, 2021 में 1,391 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 886 सुधारात्मक कर्मचारी थे। राष्ट्रीय स्तर पर, औसतन, 1 सुधारात्मक स्टाफ सदस्य 625 कैदियों की सेवा करता है; और रिक्तियां 36 प्रतिशत रहीं, जो 2020 में 40 प्रतिशत और 2019 में 42 प्रतिशत से मामूली कमी है।

तमिलनाडु और चंडीगढ़ को छोड़कर, कोई भी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 200 कैदियों³⁸ के लिए 1 सुधार अधिकारी के बेंचमार्क को पूरा नहीं करता है। 22,938 कैदियों के लिए 1 स्टाफ सदस्य के साथ राजस्थान और 21,257 कैदियों के लिए 1 स्टाफ सदस्य के साथ झारखंड में सबसे अधिक कार्यभार दर्ज किया गया है। क्रमशः 7,316 और 1,033 कैदियों की आबादी वाले तेलंगाना और त्रिपुरा ने अपनी जेलों में केवल 1 सुधार अधिकारी को मंजूरी दी है। पंजाब, हरियाणा और गोवा में 2017 से 100 प्रतिशत रिक्तियां जारी हैं।

विविधता

जेल स्टाफ में महिलाएँ (%), दिसंबर 2021)

जेल स्टाफ में महिलाओं की हिस्सेदारी
(पीपी, CY 2017-2021)

हालाँकि मॉडल जेल मैनुअल कोई बेंचमार्क प्रदान नहीं करता है, नीति दस्तावेज़ महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव देते हैं। 2021 तक, किसी भी राज्य ने इस कोटा को पूरा नहीं किया। राष्ट्रीय स्तर पर, कुल कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 13.8 प्रतिशत है, जो 2020 में 13.7 प्रतिशत और 2019 में 12.8 प्रतिशत से मामूली वृद्धि है। ग्लास सीलिंग यथावत बनी हुई है और लैंगिक असमानता बढ़ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 9.6 प्रतिशत है।

कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ कुल जेल कर्मचारियों में 32 प्रतिशत महिलाएँ थीं। सत्रह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में महिलाओं की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।³⁹ पांच वर्षों (2017-2021) को देखें, तो इक्कीस राज्यों/केंद्रशासित⁴⁰ प्रदेशों ने धीमे लेकिन स्थिर बदलाव किए हैं, जिनमें से बिहार में 3.26 प्रतिशत अंकों के साथ सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया गया है। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में जबकि उत्तराखंड में नकारात्मक वृद्धि देखी गई।

मॉडल जेल मैनुअल महिला कैदियों की देखभाल के लिए महिला चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था करता है, जो कुल कैदी आबादी का 4 प्रतिशत (22,918) हैं। हालाँकि महिला चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, मैनुअल जेल प्रशासन को संबंधित जिला सरकारी अस्पतालों से अंशकालिक महिला चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश देता है। सत्रह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁴² में किसी भी महिला चिकित्सा अधिकारी का रिकॉर्ड नहीं है। उदाहरण के लिए, सर्वाधिक महिला कैदियों (4,995) वाले उत्तर प्रदेश में राज्य की सभी जेलों में केवल 3 महिला चिकित्सा अधिकारी दर्ज हैं।⁴³

बजट

बजट और व्यय

खर्च में अंतर: जेल बनाम राज्य (पीपी, वित्तीय वर्ष '17-'21)

उपयोग किया गया जेल बजट (%), 2021-22)

उपयोग किया गया बजट (पीपी, वित्तीय वर्ष '18-'22)

प्रति कैदी खर्च (रुपये, 2021-22)

प्रति कैदी खर्च (%), वित्तीय वर्ष '18-'22)

37 'केंद्र सरकार मॉडल जेल अधिनियम लागू: अमित शाह', हिंदुस्तान टाइम्स, 5 सितंबर 2022। यहां उपलब्ध है: <https://www.hindustantimes.com/india-news/centre-to-bring-model-prisons-act-amit-shah-101662315982981.html>

38 मॉडल जेल मैनुअल, 2016 में कहा गया है कि प्रत्येक 200 कैदियों पर एक सुधार अधिकारी होना चाहिए। हालाँकि, पीएसआई परिवीक्षा अधिकारियों/कल्याण अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों/मनोचिकित्सकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए सुधारात्मक कर्मचारियों के डेटा को अलग करता है। इस रिपोर्ट में मॉडल जेल मैनुअल में निर्धारित बेंचमार्क के मुकाबले पीएसआई में दर्ज कुल सुधारात्मक स्टाफ के हिसाब से कैदियों को मापा गया है।

39 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दीएनएच और डीडी, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, लद्दाख, पुदुचेरी, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

40 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

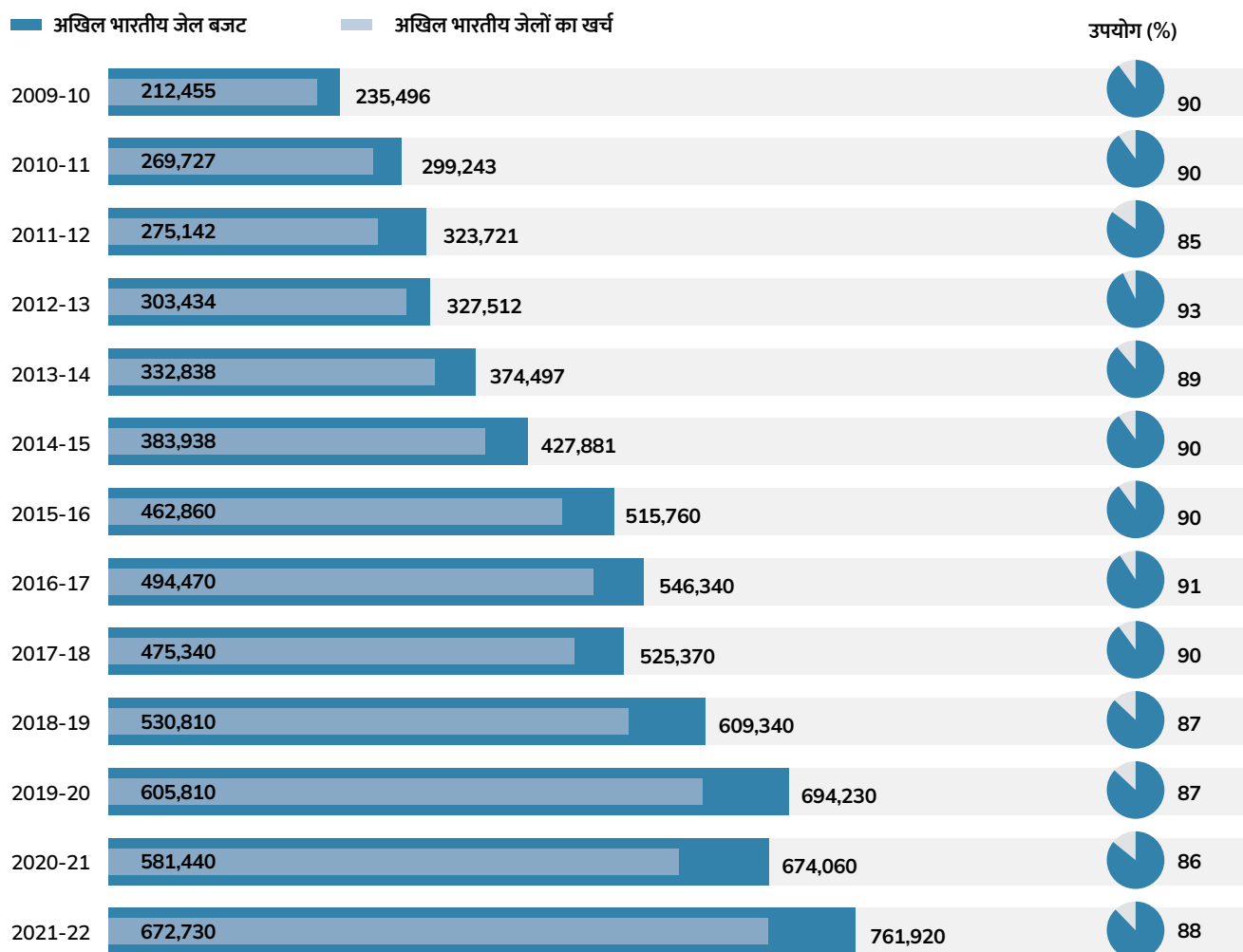
41 गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मॉडल जेल मैनुअल, 2016; अध्याय 26, नियम 26.25, पृ. 243। यहां उपलब्ध है: <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PrisonManual2016.pdf>

42 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, दीएनएच और डीडी, गोवा, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, लद्दाख, लक्षद्वीप, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड।

43 जेल सांख्यिकी भारत, ऑप. सिट., पी. 261.

चित्र 24: पिछले दशक में जेल बजट उपयोग की राष्ट्रीय प्रवृत्ति राशि (लाख रु.)

राशि (लाख रुपये)



स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया

प्रति कैदी बजट और खर्च: 2020-21 में, देश भर की जेलों के लिए कुल स्वीकृत बजट 6740.6 करोड़ (₹67.4 बिलियन) से बढ़कर 7619.2 करोड़ (₹76.19 बिलियन) हो गया, जो एक साल पहले की तुलना में 13.03 प्रतिशत की वृद्धि सात को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने स्वीकृत बजट में वृद्धि दर्ज की। त्रिपुरा का स्वीकृत बजट 162 प्रतिशत बढ़ गया, जो 2020-21 में 13.7 करोड़ से बढ़कर 35.9 करोड़ हो गया, जबकि उत्तराखंड 31.2 करोड़ से घटकर 4.6 करोड़ या 85 प्रतिशत हो गया।

राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों ने अपने कुल स्वीकृत बजट में से औसतन 88 प्रतिशत का उपयोग किया - 2020 में 86 प्रतिशत से मामूली वृद्धि। अधिकांश राज्यों ने 90 प्रतिशत से अधिक का उपयोग किया। लद्दाख

(61 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (71 प्रतिशत) और बिहार (74 प्रतिशत) में सबसे कम उपयोग दर्ज किया गया है जबकि लक्षद्वीप में कोई उपयोग नहीं होने की रिपोर्ट है।⁴⁶

केवल पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, मिजोरम और तमिलनाडु - ने अपने पूरे बजट का उपयोग किया। तेलंगाना ने अपनी आवंटित राशि से 14 प्रतिशत अधिक का उपयोग किया।

2020 और 2021 के बीच, दस बड़े और मध्यम आकार के राज्यों सहित बीस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने बजट उपयोग में वृद्धि देखी।⁴⁷ 2018 से 2022 की पांच साल की अवधि में, तेलंगाना (4.43 प्रतिशत

44 जेल भारत सांख्यिकी, 2021; तालिका 12.2, पृ. 274.

45 आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

46 जेल सांख्यिकी भारत, 2021 राज्य जेल विभागों के लिए करोड़ों का बजट दर्ज करता है और जबकि लक्षद्वीप 0.1 करोड़ का स्वीकृत बजट दर्ज करता है, यह कोई व्यय दर्ज नहीं करता है। इसका कारण लाखों का खर्च हो सकता है।

47 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, डीएनएच और डीडी, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

अंक), आंध्र प्रदेश (3.96 प्रतिशत) अंक) और झारखंड (2.33 प्रतिशत अंक) में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश (-3.42 प्रतिशत अंक), बिहार (-2.16 प्रतिशत अंक) और छत्तीसगढ़ (-1.16 प्रतिशत अंक) ने बजट उपयोग में गिरावट देखी।

प्रति कैदी खर्च: 2021-22 में जेलों के लिए आवंटित 7,619.2 करोड़ बजट में से, राज्य 6,727.3 करोड़ (67.27 बिलियन) या 88 प्रतिशत का उपयोग कर सकते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 'प्रति कैदी खर्च' को भोजन, कपड़े, चिकित्सा आवश्यकताओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और कल्याण गतिविधियों के खर्चों को पूरा करने पर किए गए व्यय के रूप में परिभाषित करती है।

इसमें से 31 प्रतिशत या 2,106.86 करोड़ राष्ट्रीय स्तर पर भोजन, कपड़े, चिकित्सा आवश्यकताओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च किए गए।

राष्ट्रीय स्तर पर, 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁴⁸ ने रुपये से कम खर्च किया। कैदियों पर सालाना 35,000 या रुपये से कम। प्रति दिन 100. बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, 106 जेलों और 7,950 कैदियों के साथ आंध्र प्रदेश ने सबसे अधिक (लगभग 580 रुपये प्रति दिन) खर्च किया, जबकि उत्तराखंड (6,112 रुपये), जहां 11 जेलों में 6,921 कैदी हैं, ने सबसे कम खर्च किया। रु. 17 प्रति दिन. पांच वर्षों (2018-22) में बीस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁴⁹ में प्रति कैदी खर्च में वृद्धि देखी गई है। 20 जेलों वाले हरियाणा ने 2018-22 के बीच प्रति कैदी खर्च में 117 प्रतिशत अंक की वृद्धि की, जो उच्चतम दर है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 75 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। असम (-7.2 पीपी), हिमाचल प्रदेश (-7.6 पीपी), महाराष्ट्र (-5.8 पीपी), पुडुचेरी (-7.4 पीपी), उत्तराखंड (-10.6 पीपी) और गोवा (-20.6 पीपी) ने प्रति कैदी अपने औसत खर्च में कमी की।

जेलों पर खर्च में औसत पांच साल का बदलाव प्रत्येक राज्य द्वारा इस उपप्रणाली को दी जाने वाली प्राथमिकता को दर्शाता है। 2015-16 और 2020-21 के बीच पांच साल की अवधि में उन्नीस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जेल व्यय कुल राज्य बजट व्यय,⁵⁰ से पीछे रहा। उदाहरण के लिए, गोवा का कुल राज्य बजट औसतन 7.33 प्रतिशत अंक की दर से बढ़ा, जबकि इसके जेल बजट में 11.87 प्रतिशत अंक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई; इसका तात्पर्य यह है कि जेल का बजट राज्य के समग्र बजट के समान गति से नहीं बढ़ा। इसी तरह, तेलंगाना के समग्र राज्य बजट में 9.74 प्रतिशत अंक की औसत वृद्धि दर देखी गई, जबकि इसी अवधि में जेल बजट में 2.25 प्रतिशत अंक की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई।

बिहार (1.57 पीपी), पश्चिम बंगाल (2.12 पीपी), गुजरात (16.66 पीपी), कर्नाटक (6.26 पीपी), छत्तीसगढ़ (6.08 पीपी) और झारखंड (5.79 पीपी) सहित⁵¹ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में, जेल बजट का उपयोग जारी रखा गया है। राज्य के समग्र बजट व्यय के साथ तालमेल बिठाना। पांच वर्षों में राज्य के बजट के समग्र उपयोग की तुलना में गोवा (-19.20 प्रतिशत अंक) और तेलंगाना (-11.99 प्रतिशत अंक) में जेल बजट उपयोग में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है।

प्रो. विजय राघवन, टीआईएसएस-प्रयास

मधुरिमा धानुका, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल

सुगंधा माथुर, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल

नयनिका सिंघल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

लखविंदर कौर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

48 असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

49 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, डीएनएच और डीडी, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा।

50 अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, डीएनएच और डीडी, गोवा, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

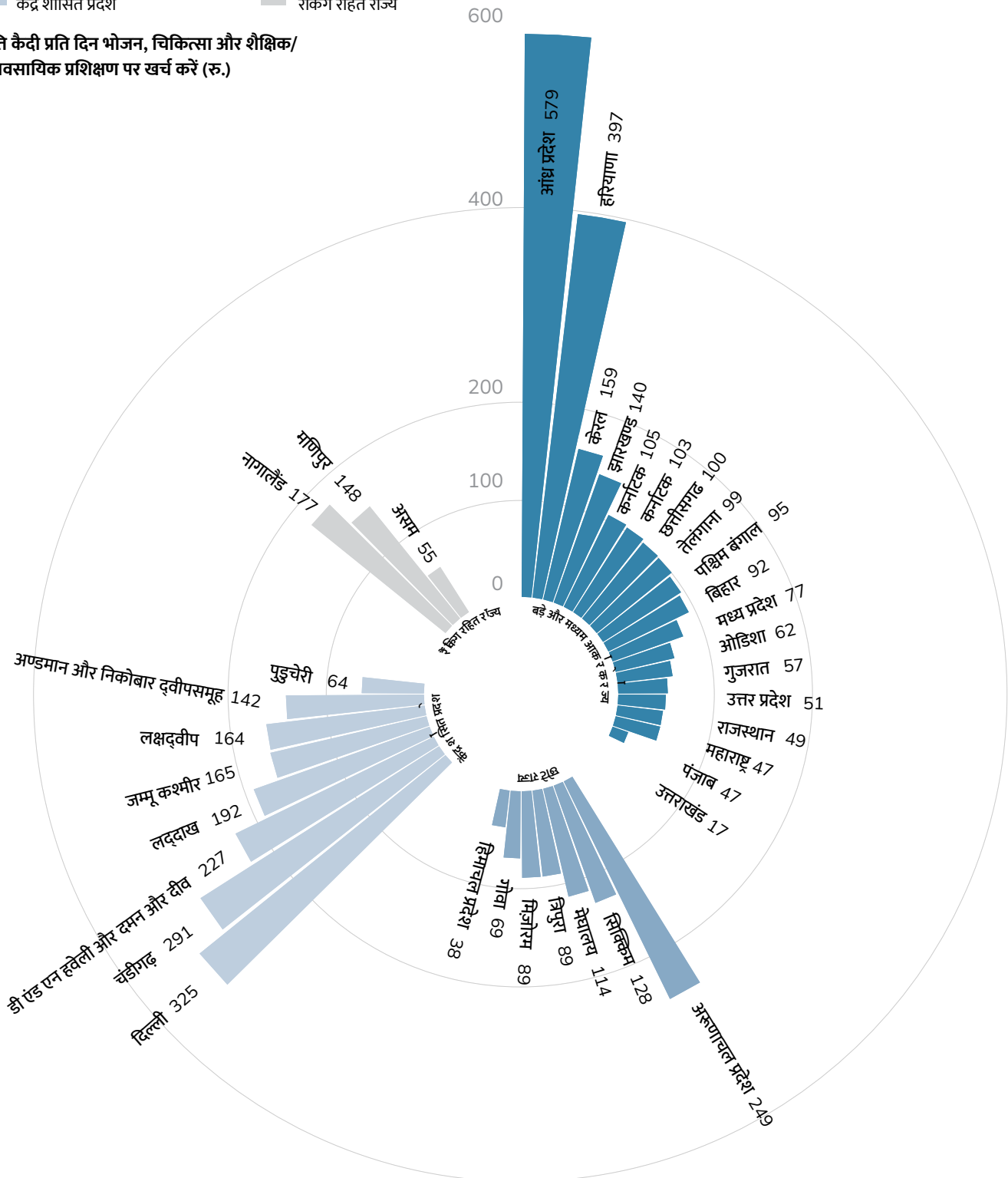
51 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल।

चित्र 25: प्रति कैदी दैनिक व्यय

पांच वर्षों (2018-2022) में पंद्रह राज्यों ने कैदियों के भोजन, चिकित्सा आवश्यकताओं और व्यावसायिक और शैक्षणिक सुविधाओं पर खर्च में वृद्धि देखी है। निम्नलिखित आंकड़ा राज्य-वार प्रति कैदी दैनिक खर्च को दर्शाता है।

■ बड़े और मध्यम आकार के राज्य ■ छोटे राज्य
■ केंद्र शासित प्रदेश ■ रैंकिंग रहित राज्य

प्रति कैदी प्रति दिन भोजन, चिकित्सा और शैक्षिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण पर खर्च करें (रु.)



नोट: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समूह के भीतर खर्च के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया

कर्नाटक में जेलों का सुधार

कर्नाटक में 51 परिचालन जेलों पर सीएचआरआई का 2019 का अध्ययन⁵² दर्शाता है कि राज्य तंत्र - इस मामले में जेल विभाग, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और कर्नाटक उच्च न्यायालय - द्वारा एक समन्वित प्रयास वास्तव में सुधार को उत्प्रेरित कर सकता है।

खोज

1. कर्नाटक जेल मैनुअल और नियम राजस्व जेलों को नियंत्रित नहीं करते हैं। यहां हालात बेहद खराब हैं और कैदियों के अधिकारों की उपेक्षा की गई है।
2. 2000 के बाद 51 में से केवल 18 जेलों का निर्माण किया गया। इमारतों को उन्नयन और डिजाइन की आवश्यकता है जो कानूनी सहायता क्लिनिक, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और पश्चिमी शौचालय जैसी नई आवश्यकताओं को समायोजित करते हैं।
3. पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच को सीमित करने वाले मॉडल जेल मैनुअल 2016 मानकों का अनुपालन न करना। दो उप-कारागारों में शौचालय-कैदी अनुपात 1:200 था।
4. नियमित डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों और लैब तकनीशियनों की कमी के कारण प्रत्येक 250-300 कैदियों पर विजिटिंग मेडिकल अधिकारियों सहित एक चिकित्सा कर्मी की कमी हो गई है।
5. बुनाई जैसे व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण और उनकी उपयोगिता के किसी भी सर्वेक्षण के बिना बढ़ईगरी रिहा होने के बाद कैदियों के लिए अवसरों को सीमित कर देती है। इसके अलावा, जिन कैदियों के पास बैंक खाता खोलने के लिए कोई दस्तावेज नहीं थे, उनके लिए वेतन सुरक्षित करना मुश्किल था।

प्रभाव

1. राजस्व जेलों में कैदियों को नजदीकी सुविधाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। सभी राजस्व जेलों को कारागार एवं सुधार सेवा विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव लंबित है।
2. कर्नाटक के जेल विभाग ने रुपये की लागत से 5,500 की अतिरिक्त कैदी क्षमता का निर्माण किया है। नई जेलों के निर्माण और पुरानी जेलों के नवीनीकरण की योजना के साथ 450 करोड़।
3. अप्रैल 2022 तक रु. मॉडल जेल मैनुअल, 2016 मानकों के अनुरूप, 60 अतिरिक्त शौचालय और 322 बाथरूम के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 5.55 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे।
4. स्वास्थ्य सुविधाओं को स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन है।
5. कर्नाटक देश के उन कुछ राज्यों में से एक है, जिसने अक्टूबर 2021 में जेल विकास बोर्ड अधिनियम लागू किया है। सभी जेलों में सभी दोषियों के लिए जन धन खाते खोले गए हैं और कैदियों की मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव वर्तमान में राज्य के पास लंबित है। सरकार।

52 राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, कर्नाटक की जेलों के अंदर, 2019। यहां उपलब्ध है: <https://kslsa.kar.nic.in/library.html>

बजट

जेल बजट का
उपयोग (%
2021-22)

जितना ज्यादा
उतना अच्छा

78 | इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022

तालिका 4: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	मानव संसाधन					
	अधिकारी, रिति (%), दिसंबर 2021)	संवर्ग कर्मचारी, रिति (%), दिसंबर 2021)	सुधारात्मक कर्मचारी, रिति (%), दिसंबर 2021)	चिकित्सा कर्मचारी, रिति (%), दिसंबर 2021)	चिकित्सा अधिकारी, रिति (%), दिसंबर 2021)	प्रशिक्षित कार्मिक (%), दिसंबर 2021)
	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना ज्यादा उतना अच्छा
स्कोरिंग गाइड						
राष्ट्रीय औसत	27.9	25.3	36.3	40.5	48.2	20.0
बड़े और मध्यम आकार के राज्य						
आंध्र प्रदेश	23.2	26.8	NA ³	26.7	13.6	12.5
बिहार	25.8	41.4	32.9	49.8	62.4	9.0
छत्तीसगढ़	64.7	27.7	49.5	51.7	56.5	3.5
गुजरात	30.0	34.0	44.4	14.7	12.5	28.1
हरियाणा	34.6	28.8	100.0 ●	50.5	47.2	18.5
झारखंड	67.6 ●	60.3	66.7	59.7	83.7	2.8
कर्नाटक	14.5	21.3	20.7	61.3	66.7	155.1 ●
केरल	6.9 ●	11.4	3.6	23.5	16.7	6.7
मध्य प्रदेश	41.4	15.4	18.8	47.2	72.4	28.0
महाराष्ट्र	22.0	11.2	46.0	27.0	20.5	4.8
ओडिशा	23.3	21.3	41.6	46.3	61.7	15.2
पंजाब	29.3	47.3	100.0 ●	37.4	33.3	20.2
राजस्थान	37.3	22.8	87.5	22.9	35.1	15.0
तमिलनाडु	11.0 ●	9.8	15.0	7.8 ●	11.6 ●	6.4
तेलंगाना	8.0	13.5	0.0 ●	53.4	45.5	11.1
उत्तर प्रदेश	36.1	19.4	37.1	52.3	36.0	8.0
उत्तराखंड	77.1 ●	37.1	NA ³	56.3	90.0 ●	0.2 ●
पश्चिम बंगाल	24.3	19.2	31.3	66.8 ●	77.3	14.4
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	43.8 ●	3.1	NA ³	10.0 ●	0.0 ●	0.6
गोवा	29.6 ●	31.5	100.0 ●	84.6 ●	83.3	10.5
हिमाचल प्रदेश	36.4	17.1	69.2	52.2	50.0	3.4
मेघालय	31.6	25.5	NA ³	10.0 ●	0.0 ●	4.8
मिजोरम	45.9	25.5	NA ³	40.0	100.0 ●	14.9 ●
सिक्किम	40.7 ●	56.2	NA ³	28.6	50.0	0.0 ●
त्रिपुरा	65.6 ●	38.4	0.0 ●	29.4	0.0 ●	0.7
रैंक रहित राज्य						
असम	27.3	39.9	10.5	45.9	74.2	8.1
मणिपुर	38.8	4.8	NA ³	22.5	11.1	2.8
नागालैंड	0.0	0.3	33.3	0.0	NA ⁵	6.4
केंद्र शासित प्रदेश						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33.3	38.4	0.0	0.0	0.0	9.9
चंडीगढ़	0.0	25.0	0.0	14.3	0.0	21.0
दमन और दीव	-200.0	37.5	NA ³	NA ⁴	NA ⁵	0.0
दिल्ली	29.5	16.6	47.6	12.3	15.4	29.0
जम्मू और कश्मीर	43.3	41.3	63.5	30.3	40.0	11.1
लद्दाख	80.0	80.4	NA ³	85.7	100.0	0.0
लक्षद्वीप	NA ²	NA ²	NA ³	NA ⁴	NA ⁵	NA ⁶
पुडुचेरी	16.7	12.5	NA ³	0.0	0.0	0.0

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (पीएसआई), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.); भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; ओपन बजट इंडिया; ई-प्रिजन वेबसाइट।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आई. जे. आर. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। v. पीपी: पर्व

2. भारत के जेल आँकड़े (Prison Statistics of India या पीएसआई) स्वीकृत और वास्तविक अधिकारी और कैडर स्टाफ दिखाता है। 3. पीएसआई 0 स्वीकृत और अधिकारियों को दर्शाता है। 6. पीएसआई 0 स्वीकृत और वास्तविक कुल स्टाफ दिखाता है।

तालिका 4: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	विधि	बुनियादी ढांचा				
		जेल कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या (%), दिसंबर 2021	जेल अधिभोग (%), दिसंबर 2021	नया 100% और अधिक अधिभोग वाली जेलों का हिस्सा (%), 2022	नया 150% और अधिक अधिभोग वाली जेलों का हिस्सा (%), 2022	नया 1-3 साल (%), दिसंबर 2021 के लिए हिरासत में लिए गए विचाराधीन कैदी
स्कोरिंग गाइड	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	Higher, the better
राष्ट्रीय औसत	13.8	130.2	54	30	20.8	4.97
बड़े और मध्यम आकार के राज्य						
आंध्र प्रदेश	8.4	90.7	25	16	5.2	2.21
बिहार	21.5	140.1	73	41	14.0	6.40
छत्तीसगढ़	10.4	148.6	63	47	26.9	5.86
गुजरात	7.2	118.6	72	28	23.5	3.84
हरियाणा	6.2	120.8	90	60	23.4	7.46
झारखंड	9.3	121.5	71	26	21.9	5.97
कर्नाटक	32.0	100.6	48	22	20.4	8.07
केरल	10.0	89.8	75	43	7.2	1.83
मध्य प्रदेश	18.6	164.1	56	31	23.3	4.76
महाराष्ट्र	14.8	148.8	53	37	23.9	2.34
ओडिशा	12.5	99.1	62	23	22.1	2.49
पंजाब	9.4	98.5	73	23	20.5	0.48
राजस्थान	19.4	100.2	59	19	27.5	2.08
तमिलनाडु	14.1	76.4	11	1	6.8	7.88
तेलंगाना	10.5	91.5	32	12	6.7	21.52
उत्तर प्रदेश	9.9	184.8	85	77	23.4	5.18
उत्तराखंड	3.6	185.0	82	73	22.9	0.52
पश्चिम बंगाल	10.9	120.0	80	60	24.6	1.46
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	18.2	75.4	56	33	19.0	0.00
गोवा	1.8	88.3	100	0	47.2	0.78
हिमाचल प्रदेश	8.4	119.0	61	13	30.2	0.11
मेघालय	14.8	160.1	80	20	27.5	0.00
मिजोरम	25.0	78.6	56	56	11.4	0.10
सिक्किम	23.2	166.9	50	50	37.1	0.25
त्रिपुरा	5.4	46.9	14	7	11.5	0.00
रैंक रहित राज्य						
असम	12.8	112.8	81	74	4.0	10.04
मणिपुर	10.7	48.0	0 ⁷	0 ⁷	16.8	0.00
नागालैंड	22.5	34.5	0	0	14.7	0.00
केंद्र शासित प्रदेश						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.9	83.7	0	0	41.8	0.90
चंडीगढ़	6.4	80.1	100	0	26.6	6.81
दमन और दीव	0.0	108.8	67	67	35.0	0.00
दिल्ली	12.5	182.5	13	7	22.7	6.17
जम्मू और कश्मीर	8.1	138.6	87	47	27.2	8.68
लद्दाख	8.3	12.9	0	0	25.0	0.00
लक्षद्वीप	NA ⁶	7.8	0 ⁸	0 ⁸	0.0	0.00
पुडुचेरी	9.5	73.3	25	25	8.6	0.00

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (पीएसआई), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.); भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; औपन बजट इंडिया; ई-प्रिजन वेबसाइट।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आई. जे. आर. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। v. पीपी: पक

6. पीएसआई स्वीकृत और वास्तविक कुल स्टाफ दिखाता है। 7. ई-प्रिजन वेबसाइट मणिपुर की 5 जेलों की क्षमता प्रदान नहीं करती है। लेकिन पीएसआई के अनुसार, इन 5 जेलों में अत्यधिक भीड़ नहीं है, और इसलिए हमने मान लिया है कि किसी भी जेल में अत्यधिक भीड़ नहीं है। 8. ई-प्रिजन वेबसाइट लक्षद्वीप की 4 जेलों की क्षमता प्रदान नहीं करती है। लेकिन पीएसआई के अनुसार, इनमें 8% की क्षमता है, और इसलिए हमने माना है कि किसी भी जेल में अत्यधिक भीड़ नहीं है।

तालिका 4: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	बुनियादी ढांचा		कार्यभार		
	नया				
	कैदी (भर्ती) ने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया (%), दिसंबर 2021)	वी-सी सुविधा वाली जेलें (%), दिसंबर 2021)	प्रति अधिकारी कैदी (संख्या, दिसंबर 2021)	प्रति संवर्ग कर्मचारी कैदी (संख्या, दिसंबर 2021)	प्रति सुधारात्मक कर्मचारी कैदी (संख्या, दिसंबर 2021)
स्कोरिंग गाइड	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा
राष्ट्रीय औसत	2.18	84	105	11.2	625
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	0.83	74	33	6.0	NA ¹⁰
बिहार	1.09	97	253	18.8	256
छत्तीसगढ़	2.57	94	264	14.2	436
गुजरात	1.78	94	55	9.4	3,319
हरियाणा	5.14	100 ●	163	10.9	NA ¹¹
झारखंड	7.67 ●	91	443	24.7 ●	21,257
कर्नाटक	2.88	68	49	6.1	673
केरल	4.01	96	31	4.2 ●	263
मध्य प्रदेश	1.63	94	199	10.2	746
महाराष्ट्र	0.55	75	72	11.5	365
ओडिशा	1.19	83	83	14.1	221
पंजाब	1.42	92	168	14.3	NA ¹¹
राजस्थान	4.53	64	112	8.4	22,938 ●
तमिलनाडु	1.05	82	21 ●	6.1	198 ●
तेलंगाना	2.26	57 ●	46	7.8	7,316
उत्तर प्रदेश	2.65	96	287	15.6	2,677
उत्तराखंड	2.00	100 ●	532 ●	13.3	NA ¹⁰
पश्चिम बंगाल	0.14 ●	100 ●	134	8.5	560
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	0.00 ●	100 ●	28 ●	2.0 ●	NA ¹⁰
गोवा	0.00 ●	100 ●	32	4.5	NA ¹¹
हिमाचल प्रदेश	5.05	94	115 ●	5.9	719 ●
मेघालय	3.99	100 ●	99	7.6 ●	NA ¹⁰
मिजोरम	0.62	70 ●	62	5.0	NA ¹⁰
सिक्किम	28.78 ●	100 ●	31	6.5	NA ¹⁰
त्रिपुरा	1.13	100 ●	103	3.1	1,033 ●
रैंक रहित राज्य					
असम	1.53	100	88	19.0	593
मणिपुर	1.94	40	15	2.1	NA ¹⁰
नागालैंड	5.69	45	14	1.3	250
केंद्र शासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13.85	25	53	5.0	267
चंडीगढ़	19.74	100	90	7.7	64
दमन और दीव	0.00	100	46	18.5	NA ¹⁰
दिल्ली	5.10	100	58	10.6	832
जम्मू और कश्मीर	5.23	93	155	9.2	262
लद्दाख	0.00	50	20	2.2	NA ¹⁰
लक्षद्वीप	0.00	0	NA ⁹	NA ⁹	NA ¹⁰
पुडुचेरी	1.14	100	34	3.6	NA ¹⁰

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (पीएसआई), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.); भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; ओपन बजट इंडिया; ई-प्रिजन वेबसाइट।
सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आई. जे. आर. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। v. पीपी: पर्व

9. पीएसआई 0 स्वीकृत और वास्तविक अधिकारियों और कैडर कर्मचारियों को दर्शाता है। 10. पीएसआई 0 स्वीकृत और वास्तविक सुधारात्मक स्टाफ दिखाता है। 11. पीएसआई 0 सुधारात्मक स्टाफ दिखाता है

तालिका 4: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	कार्यभार		रुझान (ट्रेंड्स)		
	प्रति चिकित्सा अधिकारी कैदी (संख्या, दिसंबर 2021)	अधिकारी रिक्ति (पीपी, सीवाई '17-' 21)	संवर्ग कर्मचारी रिक्ति (पीपी, सीवाई '17-' 21)	जेल कर्मचारियों में महिलाओं का हिस्सा (पीपी, सीवाई '17-' 21)	प्रति जेल अधिकारी कैदी (% सीवाई '17-' 21)
	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा
राष्ट्रीय औसत	842	-2.13	-1.55	0.83	-1.9
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	418 ●	-0.84	0.53	0.53	-0.8
बिहार	787	-5.38	-4.91	3.26 ●	9.4
छत्तीसगढ़	1,003	0.53	1.86	0.06	3.4
गुजरात	593	-1.65	0.36	0.34	-10.8
हरियाणा	1,271	2.30 ●	2.40 ●	0.11	8.4
झारखंड	2,657	-0.50	-1.72	0.39	7.7
कर्नाटक	1,719	-2.24	1.35	2.65	-15.0 ●
केरल	711	1.48	2.05	-0.19	-2.5
मध्य प्रदेश	3,032	1.27	-2.91	1.70	7.0
महाराष्ट्र	1,053	0.63	0.39	0.56	4.2
ओडिशा	578	-2.72	1.87	0.06	8.7
पंजाब	934	-2.02	0.74	0.46	-0.8
राजस्थान	956	-4.45	-4.37	1.77	-6.2
तमिलनाडु	474	-7.95 ●	-3.82	-0.16	-12.5
तेलंगाना	610	-1.49	-1.14	1.64	0.0
उत्तर प्रदेश	1,323	-2.75	-3.82	0.80	-0.9
उत्तराखंड	6,921 ●	1.82	-6.91 ●	-0.61 ●	23.0 ●
पश्चिम बंगाल	1,031	1.24	-0.18	0.15	2.7
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	126 ●	-1.25 ●	-2.00 ●	0.01	3.0
गोवा	551	3.70	3.56	-0.09	10.1
हिमाचल प्रदेश	1,438 ●	-0.73	-1.95	0.09	4.3
मेघालय	218	3.16	3.35	-0.45 ●	10.8
मिजोरम	NA ¹³	1.62	-0.10	2.14 ●	4.5
सिक्किम	434	1.01	6.08 ●	0.87	-2.7 ●
त्रिपुरा	344	3.71 ●	2.02	-0.37	17.0 ●
रैंक रहित राज्य					
असम	1,260	0.88	4.19	0.00	6.0
मणिपुर	76	-2.88	-4.97	-0.68	-8.9
नागालैंड	NA ¹²	-1.00	0.003	-0.06	5.2
केंद्र शासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	267	6.67	3.07	-0.42	8.1
चंडीगढ़	449	0.00	5.00	-0.29	-6.6
दमन और दीव	NA ¹²	-100.00	5.96	-1.18	17.2
दिल्ली	166	-5.20	-6.33	-0.54	-4.0
जम्मू और कश्मीर	414	NA ¹⁴	NA ¹⁴	NA ¹⁴	NA ¹⁴
लद्दाख	NA ¹³	NA	NA	NA	NA
लक्षद्वीप	NA ¹²	NA ¹⁵	NA ¹⁵	NA ¹⁵	NA ¹⁵
पुडुचेरी	305	-5.00	-3.21	0.77	-1.6

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (पीएसआई), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.); भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केन्द्रीय बजट दस्तावेज; ओपन बजट इंडिया; ई-प्रिजन वेबसाइट।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आई. जे. आर. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। v. पीपी: पंक्ति

12. पीएसआई स्वीकृत और वास्तविक चिकित्सा अधिकारी दिखाता है। 13. पीएसआई वास्तविक चिकित्सा अधिकारी दिखाता है। प्रवृत्ति संकेतकों के लिए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को बाहर रखा गया है क्योंकि उनका डेटा 5 वर्षों से अलग से उपलब्ध नहीं था।

पीएसआई प्रवृत्ति संकेतकों के लिए विचार किए गए सभी 5 वर्षों के लिए 0 स्वीकृत और वास्तविक कुल कर्मचारी दिखाता है।

तालिका 4: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	रुझान (ट्रेंड्स)				
	प्रति संवर्ग कर्मचारी कैदी (% सीवाई '17-' 21)	विचाराधीन कैदियों का हिस्सा (पीपी, सीवाई '17-' 21)	प्रति कैदी खर्च करें (% वित्त वर्ष '18-' 22)	उपयोग किया गया जेल बजट (पीपी, वित्त वर्ष '18-' 22)	खर्च में अंतर: जेल बनाम राज्य (पीपी, वित्त वर्ष '17-' 21)
	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा
राष्ट्रीय औसत	1.3	1.88	5.7	-0.44	-3.82
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	3.9	1.89	75.0	3.96	-5.48
बिहार	6.1	1.05	-0.3	-2.16	1.57
छत्तीसगढ़	3.7	1.13	4.1	-1.16	6.08
गुजरात	4.4	1.25	-2.9	-0.56	16.66 ●
हरियाणा	8.8 ●	3.28	116.9 ●	-0.85	-0.64
झारखंड	-0.5	0.43 ●	12.0	2.33	5.79
कर्नाटक	-9.2 ●	0.96	6.8	0.34	6.26
केरल	0.4	1.74	9.9	0.13	-0.75
मध्य प्रदेश	0.7	1.04	-3.2	0.26	-1.97
महाराष्ट्र	3.8	2.80	-5.8	-0.16	-1.59
ओडिशा	8.8	2.08	-4.6	-0.15	-7.86
पंजाब	3.6	3.75 ●	0.8	0.95	-8.61
राजस्थान	-3.5	1.10	4.8	1.80	-4.49
तमिलनाडु	2.4	2.06	6.2	1.00	-3.03
तेलंगाना	4.5	0.49	16.9	4.43 ●	-11.99 ●
उत्तर प्रदेश	-0.3	1.03	-3.2	-3.42 ●	-11.39
उत्तराखंड	-0.9	2.92	-10.6 ●	1.65	-8.43
पश्चिम बंगाल	2.6	3.71	-0.04	-0.39	2.12
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	1.1	-3.26 ●	30.9	-0.07	-4.65
गोवा	7.3	5.23 ●	-20.6 ●	5.85 ●	-19.20 ●
हिमाचल प्रदेश	-2.3 ●	2.10	-7.6	-1.24 ●	2.04
मेघालय	7.6	-1.93	37.4 ●	1.15	-10.31
मिजोरम	2.6	1.53	4.3	0.26	-7.65
सिक्किम	7.8 ●	1.82	3.4	-1.14	12.68 ●
त्रिपुरा	6.7	3.74	4.6	3.83	-9.26
रैंक रहित राज्य					
असम	8.8	3.02	-7.2	-1.08	8,061.98
मणिपुर	4.1	0.03	9.1	-3.47	-3.01
नागालैंड	6.1	-1.29	-0.5	0.07	1.00
केंद्र शासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.4	3.42	17.0	0.00	30.57
चंडीगढ़	-0.3	5.88	15.6	0.00	3.76
दमन और दीव	19.2	1.15	22.0	11.43	-4.79
दिल्ली	-2.3	2.65	30.1	0.00	11.81
जम्मू और कश्मीर	NA ¹⁴	NA ¹⁴	NA ¹⁴	NA ¹⁴	NA ¹⁴
लद्दाख	NA	NA	NA	NA	NA
लक्षद्वीप	NA ¹⁵	NA ¹⁵	NA ¹⁵	0.00	NA ¹⁶
पुडुचेरी	2.8	-0.84	-7.4	0.52	51.25

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (पीएसआई), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.), भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; केंद्रीय बजट दस्तावेज; ओपन बजट इंडिया; ई-प्रिजन वेबसाइट। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आई. जे. आर. 3 में नए संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। v. पीपी: पर्फ

14. प्रवृत्ति संकेतकों के लिए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को बाहर रखा गया है क्योंकि उनका डेटा 5 वर्षों से अलग से उपलब्ध नहीं था।

पीएसआई प्रवृत्ति संकेतकों के लिए विचार किए गए सभी 5 वर्षों के लिए 0 स्वीकृत और वास्तविक कुल कर्मचारी दिखाता है। 16. विचाराधीन 5 वर्षों में से 2 वर्षों के लिए जेल व्यय 0 दिखाया गया था।



न्यायपालिका

न्यायपालिका की रैंकिंग

रंग गाइड

■ श्रेष्ठ ■ मध्य ■ खराब

संकेतक
(IJR 3)

28

समूह (क्लस्टर)

- I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य
(जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर)
- II. 7 छोटे आकार के राज्य
(जनसंख्या 1 करोड़ तक)

मानचित्र 13: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

नया

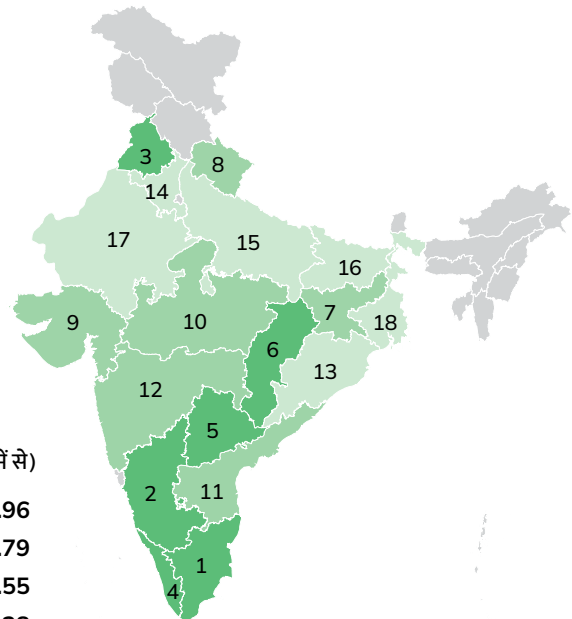
आईजेआर 1
2019

आईजेआर 2
2020

आईजेआर 3
2022

1	1	1
16	12	2
2	2	3
5	3	4
11	6	5
12	4	6
14	9	7
15	13	8
7	8	9
6	11	10
13	14	11
4	5	12
9	15	13
3	7	14
17	17	15
18	18	16
8	10	17
10	16	18

राज्य	स्कोर (10 में से)
तमिलनाडु	6.96
कर्नाटक	6.79
पंजाब	6.55
केरल	6.38
तेलंगाना	6.34
छत्तीसगढ़	6.16
झारखंड	6.14
उत्तराखंड	5.63
गुजरात	5.40
मध्य प्रदेश	5.21
आंध्र प्रदेश	5.16
ओडिशा	5.06
हरियाणा	4.72
उत्तर प्रदेश	4.05
बिहार	4.03
राजस्थान	4.01
पश्चिम बंगाल	3.46



मानचित्र 14: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

नया

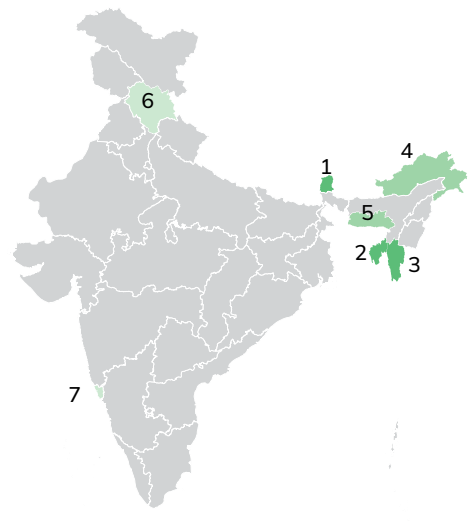
आईजेआर 1
2019

आईजेआर 2
2020

आईजेआर 3
2022

1	1	1
6	6	2
5	3	3
7	5	4
4	7	5
3	2	6
2	4	7

राज्य	स्कोर (10 में से)
सिक्किम	6.06
त्रिपुरा	5.54
मिजोरम	4.29
अरुणाचल प्रदेश	4.21
मेघालय	3.79
हिमाचल प्रदेश	3.17
गोवा	3.03



उम्मीदें बढ़ाना

न्यायाधीश रिक्ति: उच्च न्यायालय

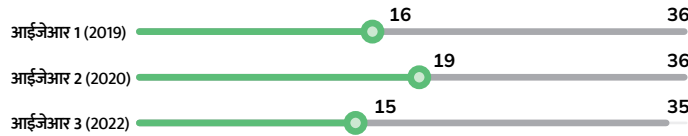
उच्च न्यायालयों की संख्या जहां न्यायाधीश रिक्ति 20 प्रतिशत से कम है।

कुल राज्य *



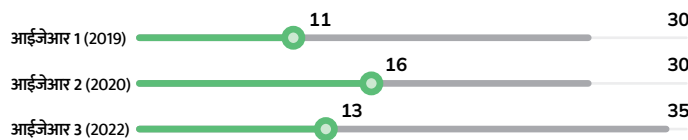
न्यायाधीश रिक्ति: अधीनस्थ न्यायालय

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश की रिक्ति 20 प्रतिशत से कम है।



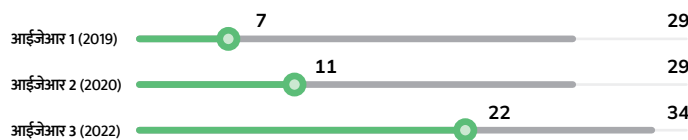
न्यायालय

उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां स्वीकृत न्यायाधीशों के खिलाफ अदालतों की कमी 10 प्रतिशत से कम है।



बजट

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां न्यायपालिका द्वारा खर्च में वृद्धि राज्य के कुल खर्च में वृद्धि से अधिक है।



मामलों के निपटारे की दर

उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय दोनों स्तरों पर 100% से अधिक मामलों के निपटारे की दर वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या।



*राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या (36 में से) जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध थे।

महिलाएं

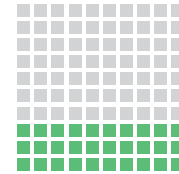
उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का हिस्सा (दिसंबर 2022)

13.1%



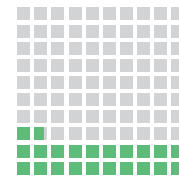
पाँच राज्यों (बिहार, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय) के उच्च न्यायालयों में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है।

रिक्ति: राष्ट्रीय औसत



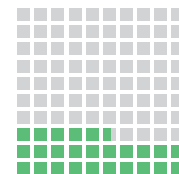
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
(1 दिसंबर 2022)

29.8%



अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश
(25 जुलाई 2022)

21.7%



उच्च न्यायालय के कर्मचारी
(2021-22)

25.6%

जाति विविधता

किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने तीनों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को पूरा नहीं किया है।

अधीनस्थ न्यायालयों में

3/10



उच्च न्यायालयों में

5/10



अधीनस्थ न्यायालयों में 10 में से लगभग 3 मामले और उच्च न्यायालयों में 10 में से 5 मामले 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।

अध्याय 3

न्यायपालिका: संख्याओं को आंकना

2022 के अंत में, क्षमता की कमी के कारण न्याय देने के लिए अदालतों की समग्र क्षमता बाधित रही। राज्यों में औसतन उच्च न्यायालय स्तर पर न्यायिक रिक्तियां 29.8 प्रतिशत और उच्च न्यायालयों के कर्मचारियों की रिक्तियां 25.6 प्रतिशत हैं। जिला अदालतों में 21.7 प्रतिशत न्यायिक पद भरे नहीं गए। 2020 और 2022 के बीच, लंबित मामलों की संख्या 4.1 से बढ़कर 4.9 करोड़ हो गई, जिनमें से 69 प्रतिशत आपराधिक मामले थे। जिला अदालतों में, औसतन मामले निपटारे की दर¹ 3.6 प्रतिशत अंक² कम हो गई और न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले अदालत कक्ष 14.7 प्रतिशत³ कम थे। सकारात्मक पक्ष पर, न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति व्यय में थोड़ा सुधार हुआ, उच्च न्यायालयों ने औसत मामले निपटान दरों में सुधार किया 6.1 प्रतिशत अंक⁴ और विविधता तथा समावेशन ने धीमी प्रगति पर स्वागत योग्य संकेत दिया।

रैंकिंग

लगातार तीसरी बार, तमिलनाडु ने बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। कर्नाटक ने सबसे अधिक सुधार किया और बारहवें से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। राज्य में सुधारों में उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की रिक्तियों को 50 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत करना, अधीनस्थ न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी बढ़ाना और प्रति व्यक्ति खर्च में सुधार करना शामिल है। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय और जिला अदालत के स्तर पर न्यायाधीशों की लगातार रिक्तियों के कारण, कोर्ट हॉल की कमी के कारण, राजस्थान दसवें से सत्रहवें स्थान पर सात पायदान नीचे चला गया; जबकि उच्च न्यायालय कर्मचारियों की रिक्तियों में वृद्धि के कारण पंजाब एक स्थान फिसलकर दूसरे से तीसरे स्थान पर आ गया।

सात छोटे राज्यों में सिक्किम ने भी अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। जिला अदालतों में न्यायाधीशों की रिक्तियों और उच्च न्यायालयों में कर्मचारियों की रिक्तियों को भरने में राज्य के प्रयासों, जिला अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और उच्च न्यायालय में मामले निपटारे की दर में वृद्धि के कारण त्रिपुरा छठे से दूसरे स्थान पर

पहुंच गया है। मेघालय ने भी अपने प्रति व्यक्ति खर्च में सुधार करके, न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरकर और जिला अदालतों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाकर अपनी रैंक को सातवें से पांचवें स्थान पर सुधार लिया है।

इसके विपरीत, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और कर्मचारियों की रिक्तियों में वृद्धि के साथ-साथ निकासी दरों में कमी और अदालत कक्षों की कमी ने हिमाचल प्रदेश को दूसरे से छठे स्थान पर धकेल दिया, जबकि उच्च न्यायालय और जिला अदालत दोनों स्तरों पर न्यायाधीशों की रिक्तियों में वृद्धि, महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी में कमी और उच्च न्यायालय स्तर पर मामले की निपटान दर में कमी के कारण गोवा चौथे से सातवें स्थान पर खिसक गया।

बजट

न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति खर्च (रु. 2020-21)
खर्च में अंतर: न्यायपालिका बनाम राज्य (पीपी,
वित्तीय वर्ष '17-'21)

बजट में कमी को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस वित्तीय दायित्व का बड़ा हिस्सा राज्यों का है, जबकि केंद्र राज्य न्यायपालिका के बजट में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान देता है। दो केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर, कोई भी राज्य न्यायपालिका पर अपने कुल वार्षिक व्यय का 1 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं करता है। कुल राज्य व्यय के प्रतिशत के रूप में न्यायपालिका पर व्यय का हिस्सा राज्यों में काफी भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, पंजाब (0.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (0.6 प्रतिशत) और झारखंड (0.6 प्रतिशत) छत्तीसगढ़ (0.37 प्रतिशत)⁶ की तुलना में दो या तीन गुना अधिक खर्च करते हैं।

1. केस क्लीयरेंस दर एक वर्ष में निपटाए गए मामलों की संख्या है, जिसे उस वर्ष दायर की गई संख्या के मुकाबले मापा जाता है।

2. 93.0 प्रतिशत से 89.4 प्रतिशत।

3. न्याय विकास पोर्टल, 31.08.2022, 2022 तक कोर्ट हॉल की राज्य-वार उपलब्धता का विवरण। यहां उपलब्ध है: https://bhuvan-nyayavikas.nrsc.gov.in/assets/files/ch_info.pdf

4. 88.5 फीसदी से 94.76।

5. बजट और शासन जवाबदेही केंद्र और दक्ष, भारत में न्यायपालिका के लिए बजट पर पंद्रहवें वित्त आयोग को ज्ञापन, 2019। यहां उपलब्ध है: <https://www.dakshindia.org/wp-content/uploads/2019/06/Memorandum-on-Budgeting-for-Judiciary-in-India-from-CBGA-Website.pdf>

6. भारत में संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कुल राज्य व्यय के लिए न्याय प्रशासन का व्यय, 2020-2021।

कोविड-19 प्रभाव

"मैं इस रवैये से बहुत व्यथित हूँ... हमने जो भी पैसा खर्च किया है, वे आभासी सुनवाई के लिए हमारे द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे को खत्म कर रहे हैं... आप एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रौद्योगिकी में रुचि ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आप न्याय तक पहुंच के मिशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सार्वजनिक धन को खर्च करने के लिए बाध्य हैं... क्षमा करें, प्रौद्योगिकी महामारी के लिए कुछ नहीं है। प्रौद्योगिकी यहाँ भविष्य के लिए, हमेशा के लिए रहने के लिए है।"

—डी.वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, फरवरी 2023

COVID-19 महामारी और 2020 और 2021 के लॉकडाउन ने पूरे भारत में अदालती प्रणालियों में बड़े व्यवधान पैदा किए। मार्च 2020 के मध्य में, उच्चतम न्यायालय⁷ ने निर्देश दिया कि अदालतें केवल अत्यावश्यक मामलों पर ही सुनवाई करें। हर स्तर पर न्याय तक सीमित पहुंच के परिणामस्वरूप दाखिल याचिकाओं में कमी आई, साथ ही मौजूदा बैकलॉग में भी तेजी से वृद्धि हुई। उदाहरण

के तौर पर, जिला अदालतों में मामलों की स्थापना में पिछले वर्षों⁸ की तुलना में 32 प्रतिशत और निपटान में 42 प्रतिशत की गिरावट आई है। विश्लेषण किए गए 642 जिला अदालतों में से केवल 40 अदालतों में महामारी के वर्षों⁹ के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या में कमी नहीं देखी गई। 9 दूसरी तरफ, महामारी ने न्यायपालिका को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया: मई 2020 में ई-कोर्ट समिति द्वारा मॉडल ई-फाइलिंग नियमों का मसौदा तैयार किया गया और जून 2020¹⁰ में अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों को सूचित किया गया। 1 मार्च 2020 से 21 मई 2021 तक, जिले के माध्यम से ई-फाइल किए गए मामलों की संख्या अदालत और उच्च न्यायालय में ई-फाइलिंग आवेदन क्रमशः 90,190 और 11,810 मामले थे।¹¹ ई-भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक समन और राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रेकिंग (एनएसटीईपी) जैसे ट्रेकिंग ऐप्स संभावित रूप से नई दक्षता दिखाते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तत्काल सुनवाई सक्षम की गई थी। हालाँकि, सभी अचानक नवप्रवर्तन के साथ, उठाव असमान था। बार और बेंच प्रक्रिया और प्रतिनिधित्व के नए तरीकों से अपरिचित थे, और उनकी पहुंच इंटरनेट पहुंच, कनेक्टिविटी और नियमित बिजली आपूर्ति पर निर्भर थी।

खर्च में अंतर: न्यायपालिका बनाम राज्य: वित्त वर्ष 2017-2021 के बीच, 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों¹² में, न्यायपालिका पर व्यय में वृद्धि समग्र राज्य व्यय में वृद्धि के साथ बनी रही। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में क्रमशः 10.57 और 8.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के साथ सबसे बड़ा सुधार हुआ है। लेकिन 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों¹³ में न्यायपालिका पर खर्च में कमी पाई गई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे नवगठित राज्यों में, न्यायपालिका व्यय में वृद्धि क्रमशः 5.2 और 0.97 प्रतिशत अंक से पिछड़ गई।

2022 में, न्यायपालिका पर कुल राष्ट्रीय खर्च औसतन रु. प्रति व्यक्ति के हिसाब से 146 रुपये की बढ़ोतरी। 2015-16 से 42। ग्यारह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों¹⁴ ने राष्ट्रीय औसत से कम खर्च किया। सिक्किम, जहां पिछले साल पहले से ही प्रति व्यक्ति खर्च काफी अधिक था - (496 रुपये) - ने इसे और अधिक (139 रुपये) बढ़ाकर 635 रुपये कर दिया। यह पश्चिम बंगाल के खर्च (75 रुपये) से आठ गुना अधिक है। आंध्र प्रदेश (145 रुपये) और बिहार (83 रुपये) ने अपने खर्च में केवल

रुपये 24 और रु.16 क्रमशः की वृद्धि की।

मानव संसाधन

उच्च न्यायालय न्यायाधीश जनसंख्या (1 दिसंबर 2022)

अधीनस्थ न्यायालय के प्रति न्यायाधीश जनसंख्या (25 जुलाई 2022)

हाई कोर्ट में जज की वैकेंसी (%), 1 दिसंबर 2022)

अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के रिक्त पद (%), 25 जुलाई 2022)

उच्च न्यायालय स्टाफ रिक्ति (%), 2021-22)

न्यायाधीश रिक्ति (उच्च न्यायालय) (पीपी, वित्तीय वर्ष '18-'22)

न्यायाधीश रिक्ति (उप न्यायालय) (पीपी, वित्तीय वर्ष '18-'22)

न्यायाधीशों की रिक्तियाँ स्थानिक बनी हुई हैं। पांच वर्षों में देखा जाए तो 6 उच्च न्यायालयों¹⁵ और 14 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों¹⁶ की जिला

7 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अधिसूचना दिनांक 13.03.2020, 2020। यहां उपलब्ध है: https://main.sci.gov.in/pdf/Notification/13032020_120544.pdf

8 विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, डेटा स्पीक: महामारी के दौरान जिला न्यायालयों के प्रदर्शन पर एक नज़र, 2021। यहां उपलब्ध है: <https://vidihlegalpolicy.in/research/data>

9 पूर्वोक्त

10 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ई-कमेटी न्यूजलेटर, जून 2020। यहां उपलब्ध है: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81ab/uploads/2020/08/2020081415.pdf>

11 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21। यहां उपलब्ध है: https://main.sci.gov.in/pdf/AnnualReports/12012022_114003.pdf

12 मणिपुर, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, गोवा, नागालैंड, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मेघालय, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दीएनएच और डीडी

13 तेलंगाना, केरल, पंजाब, सिक्किम, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, मिजोरम।

14 आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, दीएनएच और डीडी।

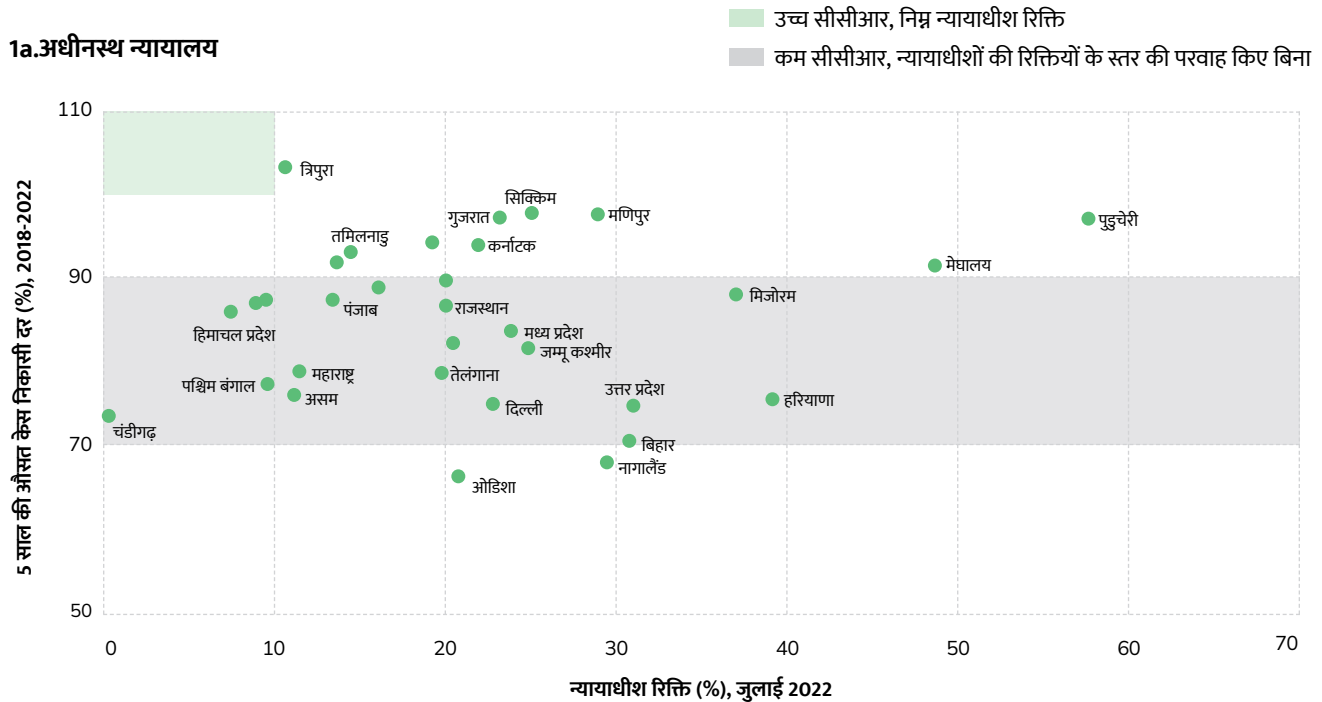
15 पटना, गुजरात, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, उत्तराखंड, राजस्थान।

16 केरल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश (3-वर्षीय रुझान), दीएनएच और डीडी

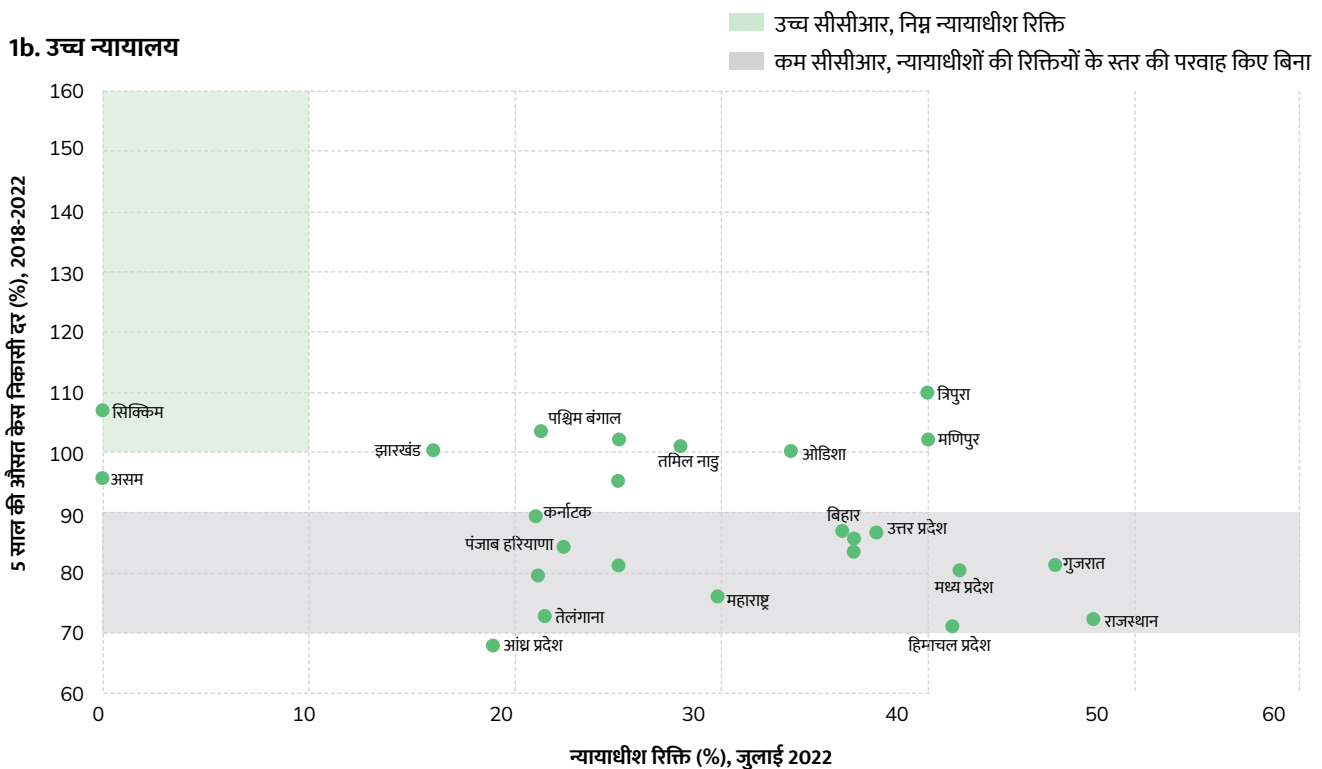
चित्र 26: न्यायाधीशों की रिक्तियां और मामले की मंजूरी दर

भारतीय अदालतें मुकदमों से खचाखच भरी हुई हैं और उनमें दिन-ब-दिन लंबित मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। साथ ही वे स्वीकृत संख्या से कम जजों के साथ भी काम कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों दोनों में, जो अदालतें लंबित मामलों में वृद्धि दर्ज कर रही हैं, वे अपने रिक्ति स्तर की परवाह किए बिना ऐसा कर रही हैं।

1a. अधीनस्थ न्यायालय



1b. उच्च न्यायालय



उच्च न्यायालय साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समान मूल्य होगा। चित्र में केवल प्रमुख अवस्था दिखाई गई है। इस प्रकार, असम (लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड नहीं), केरल (लक्षद्वीप), महाराष्ट्र (गोवा, दमन और निकोबार हवेली और दमन और दीव); पंजाब और हरियाणा (चंडीगढ़); तमिलनाडु (पुडुचेरी); पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह); जम्मू और कश्मीर (लद्दाख) को दिखाया गया है। स्रोत न्याय विभाग और लोकसभा अंतरांकित प्रश्न सं. 2116, दिनांक 29 जुलाई, 2022

अदालतों में रिक्तियाँ बढ़ी हैं। 2018- 2019 से 2022 तक, राष्ट्रीय स्तर पर, उच्च न्यायालय की रिक्तियाँ 37.8 प्रतिशत से 8 प्रतिशत अंक घटकर 29.8 प्रतिशत हो गईं, लेकिन फिर भी 30 प्रतिशत के आसपास रहीं।

जिला अदालतों में रिक्तियाँ केवल मामूली रूप से कम हुई - 22.3 से 21.7 प्रतिशत। राज्यवार, प्रवृत्ति एक समान नहीं थी। उच्च न्यायालय स्तर पर सिक्किम अपनी सभी रिक्तियों को भर सकता है जबकि आंध्र प्रदेश ने अपनी रिक्तियों को 70.3 प्रतिशत से घटाकर 18.9 प्रतिशत कर दिया है। हालाँकि, त्रिपुरा और उत्तराखंड में रिक्तियों में क्रमशः 15 और 11.4 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों¹⁷

में उच्च न्यायालय अपनी स्वीकृत बेंच शक्ति की एक-चौथाई के बिना काम कर रहे थे, जबकि राजस्थान और गुजरात दोनों - क्रमशः 48 प्रतिशत और 46.2 प्रतिशत की कमी के साथ - आधे से अधिक के साथ काम कर रहे थे।

जिला अदालतों में भी रिक्तियाँ पुरानी बनी हुई हैं। 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या का 25 प्रतिशत नियुक्त¹⁸ नहीं किया गया था, सबसे अधिक रिक्तियाँ पुडुचेरी (57.7 प्रतिशत), मेघालय (48.5 प्रतिशत) और हरियाणा (39 प्रतिशत) में हैं।

न्यायाधीश की दुविधा

प्रश्न यह है कि कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है दशकों तक व्यापक रूप से बहस हुई।

1987: 120वें विधि आयोग की रिपोर्ट¹⁹ का प्रस्ताव एक विधि के रूप में न्यायाधीश-से-जनसंख्या अनुपात जज की ताकत की गणना करें।

2002: संसदीय स्थिति²⁰ की 85वीं रिपोर्ट समिति की वृद्धि की सिफारिश करती है न्यायाधीश-जनसंख्या के आधार पर न्यायाधीश अनुपात।

2012: इम्तियाज अहमद बनाम यूपी राज्य²¹ में उच्चतम न्यायालय ने विधि आयोग से उस आधार पर सिफारिशें देने को कहा जिसके आधार पर बढ़ते बैकलॉग से निपटने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

2014: विधि आयोग²² की 245वीं रिपोर्ट निपटान पद्धति की दर प्रस्तावित करता है।

2016: राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (एनसीएमएस)²³

न्यायाधीशों की संख्या की गणना करने की एक विधि के रूप में इकाई प्रणाली पर आधारित एक अंतरिम मॉडल का प्रस्ताव करता है।

2017: उच्चतम न्यायालय ने विधि आयोग की 245वीं रिपोर्ट को खारिज कर दिया और एनसीएमएस इकाई प्रणाली-आधारित मॉडल के अंतरिम कार्यान्वयन का निर्देश दिया।

1987 से, जब भारत का विधि आयोग पहली बार जनसंख्या²⁴ को एक आवश्यक मीट्रिक के रूप में प्रस्तावित किया गया

पर्याप्त जज संख्या तक पहुंचने के लिए, 'जज-टू- 'जनसंख्या अनुपात' को आम तौर पर स्वीकार किया गया है आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने में मानदंड। 1987 में, आयोग ने सिफारिश की कि प्रति 10 लाख (1 मिलियन) जनसंख्या पर 10.5 न्यायाधीश हों प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीशों तक की वृद्धि अगले पांच से दस साल²⁵, दिसंबर 2022 तक, मार्च 2022²⁶ के लिए जनसंख्या अनुमान के आधार पर भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 15 न्यायाधीश हैं प्रति 10 लाख पर 19 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति जनसंख्या और 4.8 करोड़ मामलों का बैकलॉग।

कुल न्यायाधीश, स्वीकृत और वास्तविक

		जिला न्यायालय (जुलाई 2022)	उच्च न्यायालय (दिसंबर 2022)	उच्चतम न्यायालय (दिसंबर 2022)
न्यायाधीशों की संख्या	स्वीकृत	24,631	1,108	34
	वास्तविक	19,288	778	27
प्रति 10 लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या	स्वीकृत	17.93	0.81	0.02
	वास्तविक	14.04	0.57	0.02

नोट: प्रत्येक कोर्ट प्रकार और मीट्रिक के लिए अलग-अलग तराजू का उपयोग किया गया है। स्रोत न्याय विभाग और लोकसभा अंतरांकित प्रश्न सं। 2116, दिनांक 29 जुलाई, 2022

17 पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, दिल्ली, तमिलनाडु, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान।

18 पुडुचेरी, मेघालय, हरियाणा, मिजोरम, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम

19 भारतीय विधि आयोग, न्यायपालिका में जनशक्ति नियोजन पर एक सौ बीसवीं रिपोर्ट: एक ब्लूप्रिंट, 1987। यहां उपलब्ध है: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022080852.pdf>

20 गृह मामलों पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति, कानून की देरी पर 85 वीं रिपोर्ट: न्यायालयों में बकाया, 2002। यहां उपलब्ध है: <http://164.100.47.5/rs/book2/reports/home-aff/85threport%20.htm>

21 इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 254-262, 2012 (43, 36)।

22 भारतीय विधि आयोग, बकाया और बैकलॉग: अतिरिक्त न्यायिक (महिला) जनशक्ति का निर्माण, 2014, रिपोर्ट संख्या 245, पृष्ठ। 20. यहां उपलब्ध है: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022081643.pdf>

23 राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या की गणना के लिए नोट, 2016। यहां उपलब्ध है: https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/NCMs_1.pdf

24 भारतीय विधि आयोग, 120 वीं रिपोर्ट: भारत में जनशक्ति नियोजन: एक न्यायिक खाका, 1987। यहां उपलब्ध है: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022080852.pdf>

25 Ibid.

26 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, नवंबर 2019 में जुलाई 2020 के लिए भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण (2011 से 2036)। यहां उपलब्ध है: https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Population%20Projection%20Report%202011-2036%20-%20upload_compressed_0.pdf

सुचारू न्यायिक कामकाज के लिए न्यायालय कर्मचारी अपरिहार्य हैं और रक्तियां न्यायिक क्षमता में काफी बाधा डालती हैं। उच्च न्यायालयों में अदालती कर्मचारियों के बीच राष्ट्रीय औसत रक्ति 25.6 प्रतिशत थी, जो 2018-19 में 23.8 प्रतिशत और 2016-17 में 22.9 प्रतिशत से लगातार वृद्धि है। आंध्र प्रदेश, जिसे 2019 में नया उच्च न्यायालय मिला, वहां 51.2 प्रतिशत रक्तियां हैं। 2018-19 और 2021-2022 के बीच बिहार के उच्च न्यायालय कर्मचारियों की रक्तियां 26.3 प्रतिशत से दोगुनी होकर 52.8 प्रतिशत हो गई हैं।

भूमिकारूप व्यवस्था

कोर्ट हॉल की कमी(%, 25 जुलाई 2022, 31 अगस्त 2022)

आदर्श रूप से, प्रत्येक न्यायाधीश के लिए एक न्यायालय कक्ष होना चाहिए। अगस्त 2022 में, उस समय स्वीकृत 24,631 न्यायाधीशों के पदों के लिए 21,014 कोर्ट हॉल थे - 14.7 प्रतिशत की कमी, हालांकि 2016-17 के 18.2 प्रतिशत से सुधार हुआ। यदि प्रत्येक राज्य अपने स्वीकृत न्यायाधीशों में से प्रत्येक को नियुक्त करता है, तो केवल 4 राज्यों²⁷ और 4 केंद्रशासित प्रदेशों²⁸ में पर्याप्त न्यायालय कक्ष होंगे। 11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों²⁹ में 25 प्रतिशत से अधिक की कमी होगी। अरुणाचल प्रदेश (21 प्रतिशत से 37 प्रतिशत), हरियाणा (16 प्रतिशत से 28 प्रतिशत) और तमिलनाडु (2 प्रतिशत से 9 प्रतिशत) में, कमी मुख्य रूप से स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण बढ़ी। 46.5 प्रतिशत के साथ मेघालय में सबसे अधिक कमी थी।

राष्ट्रीय स्तर पर, न्यायालय कक्षों की संख्या वास्तविक न्यायाधीशों की संख्या के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है। हालांकि, यदि सभी स्वीकृत पद

डाटा मिसमैच

जनवरी 2020³⁰ में सिक्किम में 23 स्वीकृत निचली अदालत के न्यायाधीशों के मुकाबले 25 कोर्ट हॉल थे, लेकिन अगस्त 2022 में 28 स्वीकृत न्यायाधीश थे, लेकिन कोर्ट हॉल की संख्या घटकर 20³¹ हो गई। इसी तरह, 2020 में हिमाचल प्रदेश में 162 न्यायाधीशों के लिए 160 कोर्ट हॉल थे। 2022 के मध्य तक, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 175 हो गई लेकिन अदालत कक्षों की संख्या घटकर 151 रह गई।

सिक्किम और गौहाटी उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ की जिला अदालतों को छोड़कर कोई भी अदालत न्यायाधीशों के पूर्ण पूरक के साथ काम नहीं करती है। औसतन, 17.7 लाख (1.77 मिलियन) लोगों पर एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश और 71000 लोगों पर एक अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीश है। जहां पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 9.3 लाख लोगों पर एक न्यायाधीश है, वहीं पटना उच्च न्यायालय में 36.7 लाख लोगों पर एक न्यायाधीश है।

भरे जाते हैं तो जगह की समस्या हो जाएगी। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में क्रमशः 86, 82 और 35 सेवारत न्यायाधीशों के लिए कोई कोर्ट हॉल नहीं थे।

राज्यों के कानून और नीतियां सार्वजनिक संस्थानों में लिंग और जाति के आधार पर और हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित करते हैं। जाति-आधारित आरक्षण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है, और नीतिगत प्रावधान महिलाओं को आकांक्षी न्यूनतम 33 प्रतिशत तक शामिल करने का सुझाव देते हैं।

विविधता

एससी न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित

(अधीनस्थ न्यायालय; 25 जुलाई 2022) **नया**

एसटी न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (अधीनस्थ

न्यायालय; 25 जुलाई 2022) **नया**

ओबीसी न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (अधीनस्थ

न्यायालय; 25 जुलाई 2022) **नया**

महिला न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) (% , 1 दिसंबर 2022)

महिला न्यायाधीश (अधीनस्थ न्यायालय) (% , 25 जुलाई 2022)

उच्च न्यायालयों में जाति विविधता पर राज्य-वार डेटा अनुपलब्ध है। हालांकि, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति को दी गई न्याय विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि, "2018 से दिसंबर 2022 तक, उच्च न्यायालयों में कुल 537 न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जिनमें से 1.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 2.8 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 11 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से और 2.6 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों³³ से थे।"

27 तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र।

28 चंडीगढ़, डीएनएच और डीडी, लक्षद्वीप, पुदुचेरी

29 उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम, दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख

30 लोकसभा उत्तर, बजट सत्र - 17वीं लोकसभा का तीसरा सत्र, 2020। यहां उपलब्ध है: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s35d6646aad9bcc0be55b2c82f69750387/uploads/2022/09/2022090116.pdf>

31 न्याय विकास पोर्टल, 31.08.2022, 2022 तक कोर्ट हॉल की राज्य-वार उपलब्धता का विवरण। यहां उपलब्ध है: https://shuvan-nyayavikas.nrsr.gov.in/assets/files/ch_info.pdf

32 प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 'पिछले 5 वर्षों में उच्च न्यायालयों में पिछड़े समुदायों से केवल 15 प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्त किए गए: न्याय विभाग से सममूल्य पैनेल', इकोनॉमिक टाइम्स, 2023। यहां उपलब्ध है:

https://इकोनॉमिकटाइम्स.इंडियाटाइम्स.com/news/india/only-15-pc-judges-appointed-to-hcs-in-last-5-yrs-from-backward-communities-dept-of-justice-to-par-panel/articleshow/96661214.cms?utm_source=

33 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित छह समुदाय ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी और जैन हैं।

चित्र 27: अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के न्यायाधीशों की रक्तियां

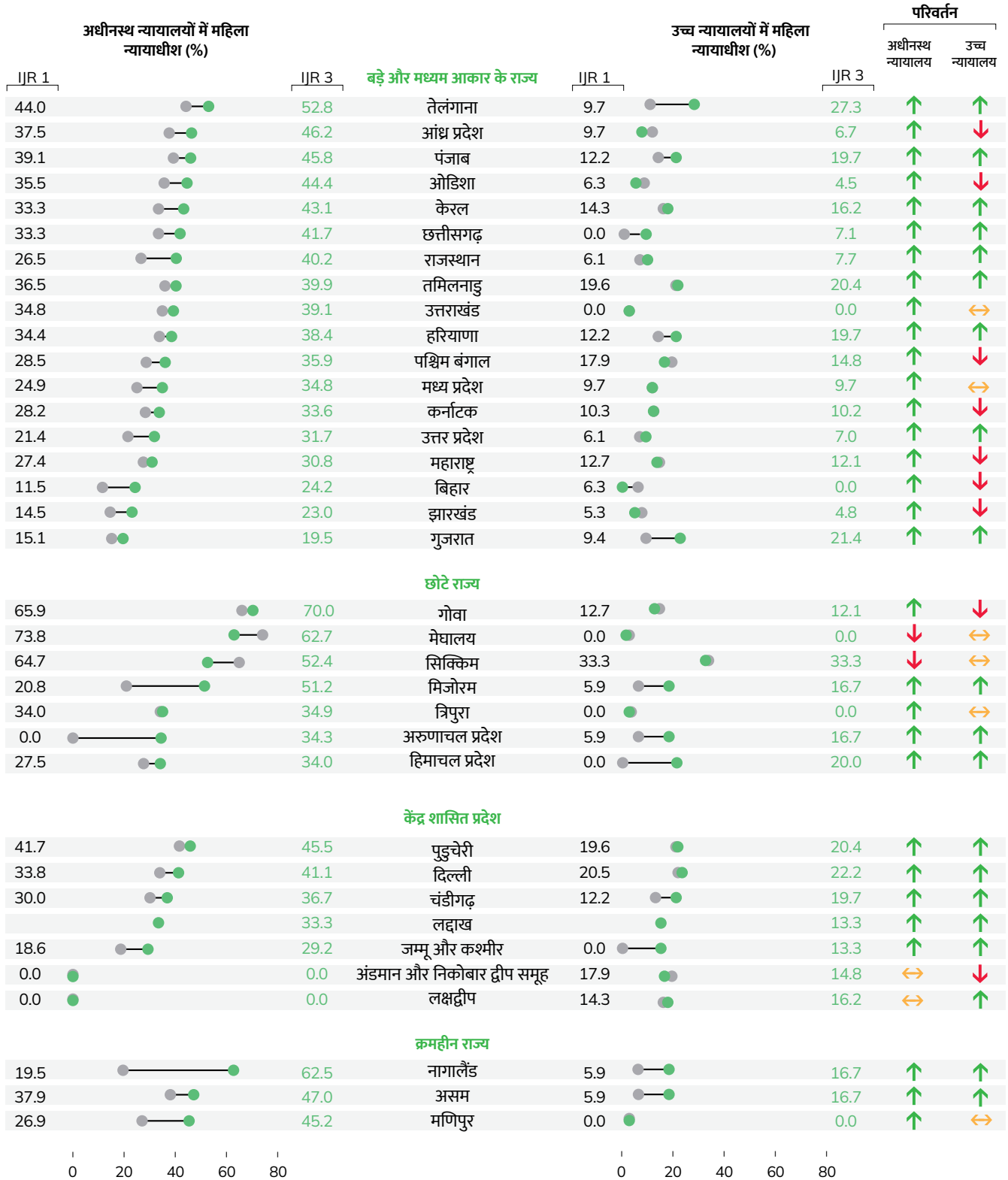
रक्ति (%) 0 प्रतिशत और उससे नीचे (मानक को पूरा करता है) 25% तक 25% से 50% 50% से 100% तक

	रक्तियां (%)			स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या			अधीनस्थ न्यायालयों में आरक्षण (%)		
	एससी	एसटी	ओ. बी. सी.	एससी	एसटी	ओ. बी. सी.	एससी	एसटी	ओ. बी. सी.
बड़े और मध्यम आकार के राज्य									
आंध्र प्रदेश	9	31	-19	91	36	152	15	6	25
बिहार	32	23	49	313	20	645	16	1	33
छत्तीसगढ़	-28	21	-23	58	154	67	12	32	14
गुजरात	-8	98	45	107	228	411	7	15	27
हरियाणा	44	NA	67	154	0	208	20	0	27
झारखंड	61	65	64	68	182	95	10	27	14
कर्नाटक	15	34	25	205	41	436	15	3	32
केरल	21	91	-6	46	11	228	8	2	40
मध्य प्रदेश	27	44	10	323	404	283	16	20	14
महाराष्ट्र	20	95	-20	285	153	416	13	7	19
ओडिशा	89	100	52	156	225	107	16	23	11
पंजाब	17	100	0	173	173	83	25	25	12
राजस्थान	37	42	6	253	189	332	16	12	21
तमिलनाडु	7	32	-22	239	13	665	18	1	50
तेलंगाना	18	-17	-25	77	31	148	15	6	29
उत्तर प्रदेश	36	55	17	763	73	981	21	2	27
उत्तराखंड	17	-25	4	57	12	42	19	4	14
पश्चिम बंगाल	100	100	100	223	61	172	22	6	17
छोटे राज्य									
अरुणाचल प्रदेश	NA	-4	NA	0	33	0	0	80	0
गोवा	100	67	85	1	6	14	2	12	27
हिमाचल प्रदेश	43	9	62	39	9	32	22	5	18
मेघालय	NA	43	NA	NA	84	NA	NA	85	NA
मिजोरम	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0
सिक्किम	100	34	-16	1	11	12	4	38	43
त्रिपुरा	37	39	NA	21	38	0	17	31	0
अनारक्षित राज्य									
असम	35	48	100	34	73	131	7	15	27
मणिपुर	-154	29	30	1	18	10	2	31	17
नागालैंड	NA	24	100	0	34	34	0	100	100
केंद्र शासित प्रदेश									
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	NA	NA	NA	NA	0	0	NA	8	38
चंडीगढ़	26	NA	75	5	0	8	18	0	27
दादरा & नगर हवेली और दमन & दीव	100	100	-144	0	2	1	NA	NA	NA
दिल्ली	46	88	100	133	66	239	15	7.5	27
जम्मू और कश्मीर	33	40	NA	31	25	NA	10	8	NA
लद्दाख	-488	22	NA	0	8	0	1	45	0
लक्षद्वीप	NA	26	NA	0	1	0	0	45	0
पुडुचेरी	100	100	7	4	0	9	16	1	33

टिप्पणी: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए आरक्षण डेटा उपलब्ध नहीं है। 2. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और मिजोरम में कोई आरक्षण नहीं है और कोई एससी न्यायाधीश नहीं है। 3. मेघालय में अनुसूचित जातियों के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण स्वीकृत नहीं है। एसटी न्यायाधीश 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई अनुसूचित जनजाति न्यायाधीश नहीं है। 2. मिजोरम में एसटी आरक्षण नहीं है। 3. चंडीगढ़ और हरियाणा में कोई आरक्षण नहीं है और कोई अनुसूचित जनजाति न्यायाधीश नहीं है। 4. नागालैंड के लिए न्याय विभाग की वेबसाइट से लिया गया एसटी न्यायाधीशों का डेटा। ओ. बी. सी. न्यायाधीश 1. अरुणाचल प्रदेश में ओ. बी. सी. आरक्षण नहीं है। 2. मिजोरम, लद्दाख, लक्षद्वीप और त्रिपुरा में कोई आरक्षण नहीं है और कोई अन्य पिछड़ा वर्ग न्यायाधीश नहीं है। 3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई ओ. बी. सी. न्यायाधीश नहीं है। 4. जम्मू और कश्मीर में ऐसी कोई श्रेणी उपलब्ध नहीं है। 4. मेघालय में ओ. बी. सी. के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण स्वीकृत नहीं है। डी. एन. एच. और डी. डी.: दादरा और नगर हवेली में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण क्रमशः 2 प्रतिशत, 43 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है। दमन और दीव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण क्रमशः 3 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 27 प्रतिशत है।
स्रोत: लोकसभा अंतरांकित प्रश्न सं। 2116, दिनांक 29 जुलाई, 2022

चित्र 28: महिला न्यायाधीश

अधीनस्थ न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी कम है। सिक्किम में सबसे अधिक 33.3% है।



टिप्पणी: 1. जून 2018 के लिए आई. जे. आर. 1 के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और जुलाई 2017 के लिए या अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीशों के लिए डेटा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और जुलाई 2022 के लिए या अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीशों के लिए दिसंबर 2022 के लिए आईजेआर 3 के लिए डेटा। 2. राज्यों को अधीनस्थ न्यायालयों में हिस्सेदारी के अवरोही मूल्य में संबंधित समूह के भीतर व्यवस्थित किया गया है। 3. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को नहीं दिखाया गया। स्रोत: न्याय विभाग और लोकसभा अंतरांकित प्रश्न सं। 2116, दिनांक 29 जुलाई, 2022

जिला-अदालत स्तर पर कोई भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अपने सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सका। नौ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों³⁴ ने अपना अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा पूरा कर लिया। 50 प्रतिशत के साथ, तमिलनाडु इस श्रेणी में आरक्षण का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिशत है, जो अपना कोटा पूरी तरह से पूरा करता है। छत्तीसगढ़ ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अपना कोटा पूरा किया और तेलंगाना ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अपना कोटा पूरा किया। लद्दाख, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और गुजरात ने अपने अनुसूचित जाति कोटा को पार कर लिया।

उत्तराखंड, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश ने अपना अनुसूचित जनजाति कोटा भरा। हिमाचल प्रदेश (91 प्रतिशत) अपनी अनुसूचित जनजाति कोटा आवश्यकताओं को पूरा करने के सबसे करीब है, जबकि गुजरात अपने अनुसूचित जनजाति कोटा का केवल 2 प्रतिशत ही भर सका। आठ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों³⁵ में अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या 10 प्रतिशत से कम है और 3 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों³⁶ में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

2020 और 2022 के बीच उच्च न्यायालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में 2 प्रतिशत से थोड़ी कम वृद्धि देखी गई, तेलंगाना में 7.1 से बढ़कर 27.3 फीसदी। हालाँकि, कुछ राज्यों में, उच्च न्यायालयों में महिलाओं का प्रतिशत गिर गया: आंध्र प्रदेश 19 से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 14.3 से गिरकर 7.1 प्रतिशत हो गया। बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों में अभी भी कोई महिला न्यायाधीश नहीं हैं।

कांच की छत का प्रतीक, उच्च न्यायालय स्तर की तुलना में जिला अदालत स्तर पर अधिक महिला न्यायाधीश हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस स्तर पर न्यायाधीशों की कुल संख्या में महिलाओं की संख्या 35 प्रतिशत है। लेकिन राज्यों में वितरण असमान है। छोटे राज्यों में 70 प्रतिशत के साथ गोवा का प्रतिशत सबसे अधिक है, उसके बाद मेघालय (63 प्रतिशत) और नागालैंड (63 प्रतिशत) का स्थान है। 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, गुजरात (19.5 प्रतिशत) में सबसे कम और तेलंगाना (52.8 प्रतिशत) में महिला न्यायाधीशों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।

झारखंड और बिहार जैसे अन्य बड़े राज्यों में, सभी न्यायाधीशों में महिला न्यायाधीशों की संख्या क्रमशः 23 प्रतिशत और 24 प्रतिशत है।

लंबित मामले (5-10 वर्ष, उच्च न्यायालय, %, जनवरी 2023)	नया
लंबित मामले (10+ वर्ष, उच्च न्यायालय, %, जनवरी 2023)	नया
लंबित मामले (5-10 वर्ष, उप न्यायालय, %, जनवरी 2023)	
लंबित मामले (10+ वर्ष, उप न्यायालय, %, जनवरी 2023)	
लंबित मामले (प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश) (%), वित्तीय वर्ष '18-'22)	
लंबित मामले (प्रति उप न्यायालय न्यायाधीश) (%), वित्तीय वर्ष '18-'22)	
कुल लंबित मामले (उच्च न्यायालय) (%), वित्तीय वर्ष '18-'22)	
कुल लंबित मामले (उप. न्यायालय) (%), वित्तीय वर्ष '18-'22)	
केस क्लीयरेंस दर (उच्च न्यायालय) (%), 2022)	
केस क्लीयरेंस दर (उप. न्यायालय) (%), 2022)	
औसत उच्च न्यायालय लंबित (फरवरी 2022)	
केस क्लीयरेंस दर (उच्च न्यायालय) (पीपी, वित्तीय वर्ष '18-'22)	
केस क्लीयरेंस दर (उप. न्यायालय) (पीपी, वित्तीय वर्ष '18-'22)	

दशकों से, लंबित मामलों के मुद्दों से निपटने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिन्हें विधि आयोग की 245 वीं रिपोर्ट में परिभाषित किया गया है, "सभी मामले शुरू किए गए, लेकिन निपटाए नहीं गए, भले ही मामला कब शुरू किया गया था"³⁷। 2018 में, 'न्यायिक प्रणाली³⁸ में लंबित मामलों और देरी को कम करने की राष्ट्रीय पहल' पर उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व वाले सम्मेलन में बेहतर मामले और अदालत प्रबंधन प्रणाली, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र और प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे समाधानों पर विचार-विमर्श किया गया। आधे दशक के बाद, ई-फाइलिंग³⁹ और न्याय बंधु⁴⁰, टेली-लॉ⁴¹ जैसी योजनाएं जैसे कुछ प्रयास शुरू किए गए हैं, फिर भी सकारात्मक परिणाम अस्पष्ट बने हुए हैं।

34 डीएनएच और डीडी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, केरल, पंजाब।

35 नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, डी एंड एनएच और डीडी

36 चंडीगढ़, हरियाणा, मिजोरम।

37 भारतीय विधि आयोग, 245 वीं विधि आयोग रिपोर्ट, 2014। यहां उपलब्ध है: <https://satyamevayajate.info/wp-content/uploads/2017/08/Law-Commission-report-245.pdf>

38 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों और देरी को कम करने के लिए राष्ट्रीय पहल की सम्मेलन कार्यवाही, 2018। यहां उपलब्ध है: https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/कार्यवाही_पुस्तक_सुप्रीमकोर्ट1.pdf

39 न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई एक ई-फाइलिंग प्रणाली कानूनी कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए है। यह वकीलों को किसी भी स्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचने और अपलोड करने की अनुमति देता है 24x7.

40 न्याय बंधु के तहत, अपने समय और सेवाओं को स्वेच्छा से देने में रुचि रखने वाले अभ्यास करने वाले वकील पात्र हाशिये पर रहने वाले लाभार्थियों के साथ (मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से) जुड़े हुए हैं।

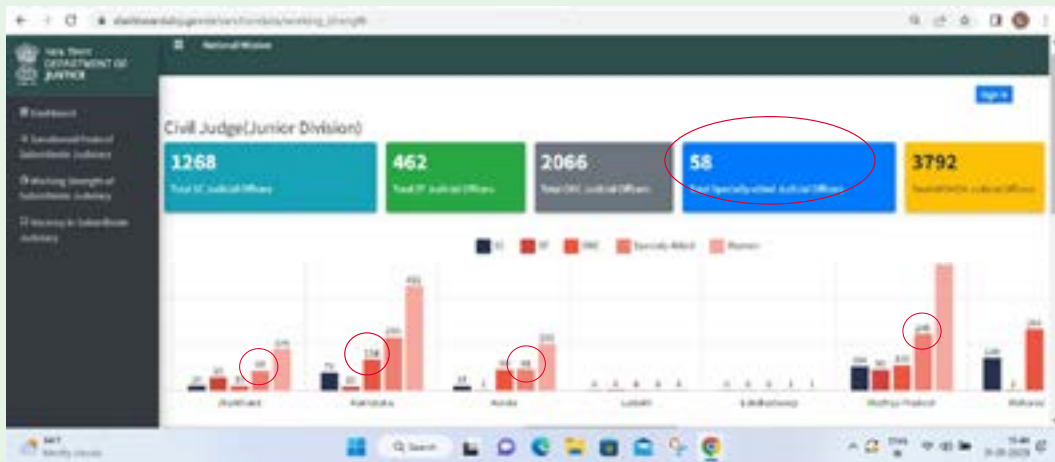
41 टेली-लॉ प्री-लिटिगेशन चरण में कानूनी सलाह और परामर्श प्राप्त करने के लिए एक ई-इंटरफेस प्रणाली है। यह जरूरतमंद और हाशिये पर मौजूद लोगों को वीडियो के माध्यम से कानूनी सहायता के लिए पैनल वकीलों से जोड़ता है कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोनिक सुविधाएं।

डेटा अक्षम

दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत नया आरक्षण⁴² बनाता है। यह कानून विशिष्ट विकलांगताओं को कवर करता है, जिसमें शारीरिक (जैसे लोकोमोटिव, दृश्य, या श्रवण हानि, भाषण और भाषा विकलांगता), बौद्धिक विकलांगता और मानसिक व्यवहार शामिल हैं। न्याय विभाग ने जिला अदालतों⁴³ में राज्य-वार डेटा उपलब्ध कराया है। हालाँकि, इस डेटा की सटीकता पर बहस जारी है। अगस्त और दिसंबर 2022 के बीच एकत्र किए गए दो डेटा सेट महत्वपूर्ण विसंगतियां दिखाते हैं। विशेष रूप से सक्षम न्यायाधीशों की संख्या पांच महीने के भीतर सौ गुना से अधिक बढ़ गई, जो अगस्त 2022 में 60 से बढ़कर दिसंबर 2022 में 6,690 हो गई। अगस्त 2022 में, असम को छोड़कर कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 4 प्रतिशत के बेंचमार्क को पूरा नहीं कर पाया, और 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों⁴⁴ में विशेष

रूप से सक्षम न्यायाधीशों की संख्या 1 प्रतिशत से भी कम थी और 20 राज्यों ने किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। इसके विपरीत, दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार, 30 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश⁴⁶ 4 प्रतिशत कोटा पूरा करते हैं, केवल 6 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश⁴⁷ 1 प्रतिशत से कम हैं और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख और मिजोरम में कोई भी नहीं है।

डेटा कई विसंगतियां भी सामने लाता है- शायद गलत डेटा प्रविष्टि के कारण। उदाहरण के तौर पर, पुडुचेरी में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 26 और कामकाजी शक्ति 11 है, लेकिन रिपोर्ट 244 विशेष रूप से सक्षम न्यायाधीश। अगस्त 2022 में, किसी भी राज्य में 10 से अधिक विशेष रूप से सक्षम न्यायाधीश थे, जबकि दिसंबर 2022 में, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 848 और 678 की संख्या बताई गई।



42 च सामाजिक न्याय और अधिकारिता, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016। यहां उपलब्ध है: <https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/acts.php>

43 https://dashboard.doj.gov.in/sanctiondata/working_strength

44 अंडमान मंत्रालय और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, दीएनएच और डीडी, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान।

45 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, दीएनएच और डीडी, पुडुचेरी

46 पुडुचेरी, दीएनएच और डीडी, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, असम, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, गोवा, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मणिपुर।

47 अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, मिजोरम, तमिलनाडु, मणिपुर।

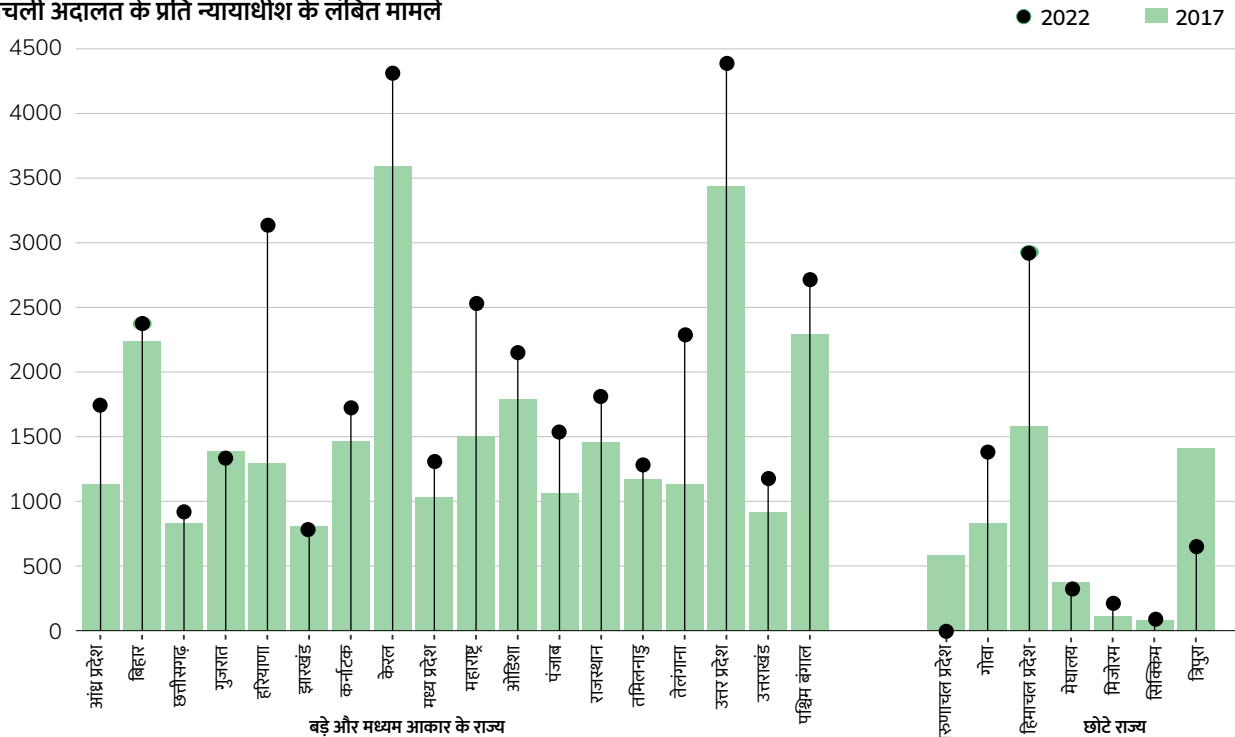
दिसंबर 2022 तक, देश के उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में कुल 4.9 करोड़ मामले लंबित थे। कम से कम 1.9 लाख मामले 30 साल से अधिक समय से और 56 लाख मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं। औसतन, इनमें से 49 प्रतिशत और 29 प्रतिशत

मामले क्रमशः उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में 5 साल⁴⁸ से अधिक समय से लंबित हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में करीब 70,000 मामले लंबित हैं।

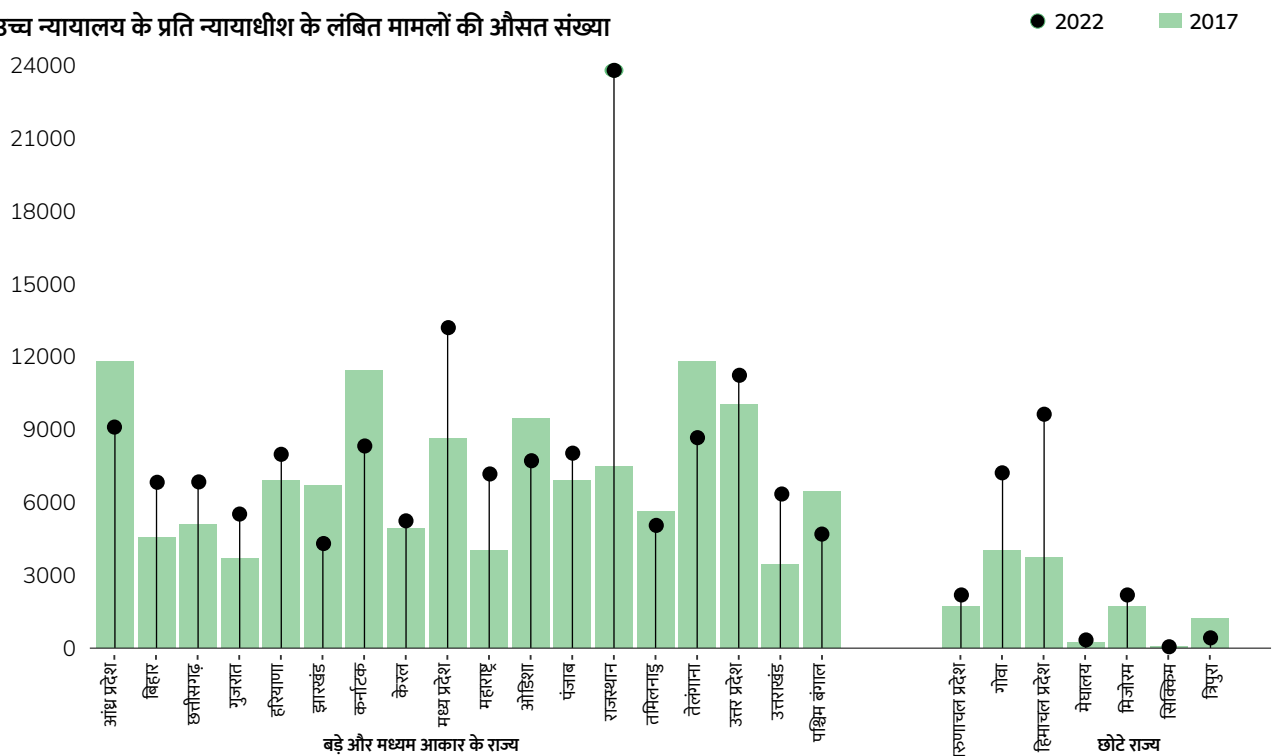
चित्र 29: प्रति न्यायाधीश लंबित मामले

पिछले 5 वर्षों में अधिकांश राज्यों में प्रति न्यायाधीश लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है, जबकि स्वीकृत संख्या काफी हद तक समान रही है।

5a. निचली अदालत के प्रति न्यायाधीश के लंबित मामले



5b. उच्च न्यायालय के प्रति न्यायाधीश के लंबित मामलों की औसत संख्या



Note: States that share a High Court have been assigned the same value.
Source: National Judicial Data Grid

48 इसमें 5-10, 10-20, 20-30 और 30 साल से अधिक समय से लंबित मामले शामिल हैं।

उच्च न्यायालय स्तर पर, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक औसत लंबित मामले हैं; मामले औसतन 11.34 वर्षों तक लंबित रहते हैं, और पश्चिम बंगाल में 9.9 वर्षों तक। सबसे कम औसत उच्च न्यायालय लंबित मामले त्रिपुरा (1 वर्ष), सिक्किम (1.9 वर्ष) और मेघालय (2.1 वर्ष) में हैं।

30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁴⁹ में हर चार उच्च न्यायालयों में से एक मामला 5 साल से अधिक समय से लंबित है: इस श्रेणी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे अधिक (63.3 प्रतिशत के साथ) और त्रिपुरा (0.6 प्रतिशत) सबसे कम है। एक न्यायाधीश को जिन मामलों से निपटना पड़ता है उनकी संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। 2018 और 2022 के बीच, 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁵⁰ में प्रति न्यायाधीश मुकदमों का भार बढ़ गया।

11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁵¹ की जिला अदालतों में हर चार में से एक मामला 5 साल से अधिक समय से लंबित है। देश में ऐसे मामलों की सबसे अधिक हिस्सेदारी सुदूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (53 प्रतिशत) में है, और सबसे कम सिक्किम (0.8 प्रतिशत) में है। बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में पश्चिम बंगाल में 48.4 प्रतिशत और बिहार में ऐसे मामले हैं 47.7 फीसदी⁵² पांच वर्षों (2018-2022) में, बहुत कम न्यायालयों⁵³ को छोड़कर, सभी अधीनस्थ न्यायालयों⁵⁴ में न्यायाधीशों का कार्यभार बढ़ गया है।

केस क्लीयरेंस दर (सीसीआर), या एक वर्ष में निपटाए गए मामलों की संख्या, उस वर्ष दायर की गई संख्या के विरुद्ध मापी गई एक सामान्य मीट्रिक है जिसका उपयोग उस दर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जिस पर मामलों का निपटारा किया जाता है⁵⁵। 100% से अधिक का सीसीआर इंगित करता है कि लंबित मामलों की संख्या कम हो रही है। 2018-19 और 2022 के बीच, उच्च न्यायालयों में राष्ट्रीय औसत में छह प्रतिशत अंक (88.5 प्रतिशत से 94.6 प्रतिशत) का सुधार हुआ, लेकिन निचली अदालतों में 3.6 अंक की गिरावट (93 प्रतिशत से 89.4 प्रतिशत) हुई।

2018 और 2022 के बीच, त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जहां जिला अदालतों में सीसीआर 100 प्रतिशत से ऊपर रहा; 2020 को छोड़कर, महामारी

का वर्ष, जब यह गिरकर 40 प्रतिशत हो गया। त्रिपुरा उच्च न्यायालय में भी, 2019 से सीसीआर 100 से ऊपर बना हुआ है।

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों की तुलना में सालाना अधिक मामलों का निपटारा करते हैं। 2018-19 में केवल 4 उच्च न्यायालयों⁵⁶ में सीसीआर 100 प्रतिशत या उससे अधिक था। 2022 में यह दोगुना से भी अधिक बढ़कर 12 उच्च न्यायालयों⁵⁷ हो गया। केरल और ओडिशा के उच्च न्यायालयों में मामला निपटान दर क्रमशः 156 प्रतिशत और 131 प्रतिशत अधिक है, जबकि राजस्थान (65 प्रतिशत) और बॉम्बे (72 प्रतिशत) के उच्च न्यायालयों में मामला निपटान दर सबसे कम है। पांच वर्षों में, 16 उच्च न्यायालयों में मामले निपटान दर में वृद्धि हुई और 9 में कमी आई।

2018-19 में 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में 2022 में केवल 9 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों⁶⁰ अपने अधीनस्थ न्यायालयों में 100 प्रतिशत या उससे अधिक की सीसीआर दर हासिल कर सके⁶¹। बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश में सीसीआर सबसे कम, 72 प्रतिशत और गुजरात में सबसे अधिक, 117 प्रतिशत है। पांच वर्षों में, 9 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁶² ने अपनी केस क्लीयरेंस दरों में सुधार किया है, जिसमें केरल में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, जिसमें 5.12 प्रतिशत अंक की वृद्धि देखी गई है। 23 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁶³ में केस क्लीयरेंस दर में कमी आई है, जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 13.67 प्रतिशत की कमी आई है।

बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, केरल और पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां दोनों जगह अदालतें हैं स्तर 100 की केस क्लीयरेंस दर प्राप्त कर सकता है प्रतिशत और अधिक।

पांच वर्षों में 9 उच्च न्यायालयों⁶⁴ में निपटान दरों के साथ-साथ लंबित मामलों में भी वृद्धि देखी गई। इसी तरह की प्रवृत्ति 9 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों⁶⁵ की अधीनस्थ अदालतों में भी देखी गई, जहां सीसीआर में वृद्धि के बावजूद, लंबित मामलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

49 उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दीएनएच और डीडी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख।

50 राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, दीएनएच और डीडी।

51 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, पुडुचेरी, नागालैंड।

52 इन राज्यों में कुल लंबित मामले क्रमशः 24 लाख और 32 लाख मामले हैं।

53 त्रिपुरा, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप और झारखंड

54 लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

55 दक्ष, डिक्टेटिंग विलंब: उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में विलंब का विश्लेषण। यहां उपलब्ध है: https://www.dakshindia.org/Daksh_Justice_in_India/19_chapter_01.xhtml

56 झारखंड, मद्रास, उड़ीसा, मणिपुर।

57 सिक्किम, मद्रास, झारखंड, पटना, कलकत्ता, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, केरल, पंजाब और हरियाणा, तेलंगाना।

58 गुजरात, मद्रास, त्रिपुरा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, सिक्किम, पटना, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, मेघालय, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, तेलंगाना, केरल, पंजाब और हरियाणा।

59 राजस्थान, उत्तराखंड, बॉम्बे, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इलाहाबाद, गौहाटी, दिल्ली, मध्य प्रदेश।

60 पंजाब, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, केरल, पुडुचेरी, गुजरात

61 छत्तीसगढ़, झारखंड, लक्षद्वीप, मेघालय, सिक्किम, गुजरात, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा।

62 कर्नाटक, गोवा, पुडुचेरी, पंजाब, ओडिशा, मिजोरम, बिहार, तेलंगाना (3-वर्षीय रुझान), केरल।

63 पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश (3-वर्ष प्रवृत्ति), मणिपुर, राजस्थान, दीएनएच और डीडी

64 केरल, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, पंजाब और हरियाणा, पटना, कर्नाटक और गुजरात

65 कर्नाटक, गोवा, पुडुचेरी, पंजाब, ओडिशा, मिजोरम, बिहार, तेलंगाना, केरल

चित्र 30: केस क्लीयरेंस दर

भारत में एक वर्ष में अदालतों को मिलने वाले प्रत्येक 100 मामलों में से वे कितने का निपटारा करते हैं? सीधे शब्दों में कहें तो यह केस क्लीयरेंस रेट (सीसीआर) है। यदि अदालतें प्राप्त प्रत्येक 100 मामलों में से 100 से कम का निपटारा करती हैं, तो कमी बैकलॉग में जुड़ जाती है - और तदनुसार उनके लंबित मामलों में भी वृद्धि होती है। पिछले पांच वर्षों में, अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों दोनों के स्तर पर अधिकांश अदालतों ने, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, 100% से कम सीसीआर दर्ज किया है, और इस प्रकार उनकी लंबितता में वृद्धि हुई है।

केस क्लीयरेंस दर (%)

Below 70%

70% to 100%

Above 100%

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	केस क्लीयरेंस रेट (उच्च न्यायालय)					केस क्लीयरेंस रेट (अधीनस्थ अदालतें)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	85	110	83	111	121	88	91	117	317	76
2 आंध्र प्रदेश	69	54	74	69	73	96	90	68	66	90
3 अरुणाचल प्रदेश	142	83	79	84	90	108	NA	NA	NA	NA
4 असम	142	83	79	84	90	95	96	48	68	72
5 बिहार	90	86	88	57	113	73	73	47	67	93
6 चंडीगढ़	85	87	73	73	103	90	91	50	60	76
7 छत्तीसगढ़	90	87	78	86	77	105	95	66	81	89
8 दादरा & नगर हवेली और दमन & दीव	87	83	69	69	72	96	106	69	96	97
9 दिल्ली	91	87	66	73	88	90	77	68	70	71
10 गोवा	87	83	69	69	72	91	86	59	99	113
11 गुजरात	75	82	75	82	92	114	105	55	96	117
12 हरियाणा	85	87	73	73	103	88	83	52	72	82
13 हिमाचल प्रदेश	83	61	53	79	80	94	92	58	90	95
14 जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	88	76	287	194	127	NA	NA	NA	NA	NA
15 जम्मू और कश्मीर	NA	NA	NA	NA	NA	99	87	64	85	74
16 झारखंड	102	110	88	100	101	106	100	78	77	96
17 कर्नाटक	75	94	89	107	82	95	98	84	96	95
18 केरल	85	94	76	107	156	97	95	39	100	113
19 लद्दाख	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85	77	90	81
20 लक्षद्वीप	85	94	76	107	156	96	NA	NA	NA	NA
21 मध्य प्रदेश	82	81	75	80	84	98	89	62	78	91
22 महाराष्ट्र	87	83	69	69	72	92	84	48	79	92
23 मणिपुर	132	130	66	83	99	115	98	89	82	103
24 मेघालय	90	100	69	90	128	116	85	62	92	103
25 मिजोरम	142	83	79	84	90	93	74	76	88	111
26 नागालैंड	142	83	79	84	90	96	97	28	56	63
27 ओडिशा	101	114	73	82	131	64	69	42	67	90
28 पुडुचेरी	106	99	93	98	107	98	91	80	102	114
29 पंजाब	85	87	73	73	103	96	94	60	87	100
30 राजस्थान	82	86	59	71	65	94	93	70	81	96
31 सिक्किम	78	111	96	138	111	109	99	92	92	97
32 तमिलनाडु	106	99	93	98	107	98	96	84	94	98
33 तेलंगाना	69	64	58	70	103	96	81	49	71	95
34 त्रिपुरा	92	113	111	127	107	163	101	40	107	104
35 उत्तर प्रदेश	91	94	72	82	96	85	81	66	69	72
36 उत्तराखंड	83	93	88	83	81	93	120	60	80	86
37 पश्चिम बंगाल	85	110	83	111	121	87	89	66	63	80
38 अखिल भारत	88	108	77	83	95	93	89	62	80	89

नोट: उच्च न्यायालय को साझा करने वाले राज्यों को समान मूल्य सौंपा गया है।
स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

ग्राम न्यायालय: एक अवास्तविक दृष्टिकोण

1986⁶⁶ की शुरुआत में, 66 ग्राम न्यायालयों की परिकल्पना उन समुदायों के लिए न्याय वितरण को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए की गई थी जहां वे रहते थे। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2009 में लागू हुआ। हालाँकि, एक दशक से अधिक समय के बाद भी, ग्राम न्यायालय अभी भी विवाद समाधान के लिए एक उपयोगी स्थानीय मंच के रूप में विकसित नहीं हुआ है। केवल 15 राज्यों ने उन्हें अधिसूचित किया है। 24 जनवरी 2023 तक, 476 अधिसूचित ग्राम न्यायालय हैं, जिनमें से केवल 264 चालू हैं⁶⁷। इन संस्थानों की धीमी वृद्धि के कारणों की समीक्षा करते हुए, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय⁶⁸ पर संसदीय स्थायी समिति ने मुख्य चुनौतियों का उल्लेख किया: राज्य सरकारों द्वारा उन्हें स्थापित करने की गैर-अनिवार्य प्रकृति, बुनियादी ढांचे की कमी, स्वतंत्र 'न्यायाधिकारी' या निर्णायकों की रिक्रिया, मोबाइल अदालतों की कमी, और सामान्य पुलिस और अन्य पदाधिकारियों की उनके सामने पेश होने में अनिच्छा।

राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालय स्थापित

करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सहायता के रूप में, केंद्र सरकार रुपये प्रदान करती है। 27.60 लाख⁶⁹ प्रति ग्राम न्यायालय और अधिकतम रु. इसके संचालन के बाद तीन साल तक 3.2 लाख प्रति वर्ष, जिसके बाद राज्य सरकारों को इन संस्थानों के प्रावधान की लागत वहन करनी होगी। योजना की शुरुआत से अब तक ग्राम न्यायालयों के लिए न्याय विभाग द्वारा कुल 8,340 लाख रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश को सबसे अधिक राशि या रुपये मिले हैं। 2,456 लाख, और कर्नाटक, गोवा, पंजाब और हरियाणा को केवल रु. 25 लाख प्रत्येक। 2021-22 में, ओडिशा को 19 परिचालन ग्राम न्यायालयों के साथ रु. 107 लाख और शून्य परिचालन वाले ग्राम न्यायालय (55 अधिसूचित) वाले तेलंगाना को रु. 693 लाख।

24 जनवरी 2023 तक, कुल प्राप्त 2.16 लाख मामलों (दीवानी और आपराधिक) में से केवल 6289 का निपटारा किया गया था। इस प्रवृत्ति की स्वाभाविक प्रगति से पता चलता है कि अधिक जनशक्ति, वित्त और नियमित कामकाज के बिना, ये संस्थान जल्द ही अभिभूत हो जाएंगे और अधीनस्थ और उच्च न्यायालयों पर बोझ को कम करने के लिए दरवाजे पर न्याय के साधन के रूप में अपने उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ हो जाएंगे।

लिआ वर्गीस, दक्ष

संध्या आर, दक्ष

स्मिता मठ, दक्ष;

डॉ. रेहाना मंज़ूर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट;

लखविंदर कौर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट;

अपूर्वा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी;

दीपिका किन्हल, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी

66 भारतीय विधि आयोग, एक सौ चौदहवीं रिपोर्ट, 1986। यहां उपलब्ध है: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022080883.pdf>

67 न्याय विभाग, डैशबोर्ड। यहां उपलब्ध है: https://dashboard.doj.gov.in/gn/operational_gram_nyayalaya

68 कानून और न्याय मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 123वीं रिपोर्ट, 2022। यहां उपलब्ध है: https://rajyasabha.nic.in/rsnew/समिति_साइट/कमेटी_फाइल/रिपोर्ट/फाइल/18/171/123_2022_12_14.pdf

69 रु. 18 लाख (कार्यालय भवन के लिए 10 लाख रुपये + वाहन के लिए 5 लाख रुपये + कार्यालय की साज-सज्जा के लिए 3 लाख रुपये)।

तालिका 5: संकेतक-वार डेटा, राज्य के अंक और रैंक

					थीम >		मानव संसाधन				
					संकेतक >		न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति खर्च (रु, 2020-21)		जनसंख्या प्रति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (संख्या, दिसंबर 2022) ²		
समूह में श्रेणी					संकेतकों में सुधार (13 में से) ¹		स्कोरिंग गाइड >		जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा		
आईजेआर 1 2019					आईजेआर 2 2020		आईजेआर 3 2022		आईजेआर 3 अंक (10 में से)		
राष्ट्रीय औसत							146		1,765,760		
बड़े और मध्यम आकार के राज्य											
आंध्र प्रदेश	13	14	11	5.21		7	145	1,765,733			
बिहार	18	18	16	4.03		8	83	3,674,088			
छत्तीसगढ़	12	4	6	6.16		5	99	2,131,143			
गुजरात	7	8	9	5.54		8	139	2,523,143			
हरियाणा	3	7	14	4.72		6	270	933,333			
झारखंड	14	9	7	6.14		9	115	1,855,667			
कर्नाटक	16	12	2	6.79		5	193	1,372,816			
केरल	5	3	4	6.38		8	233	964,892			
मध्य प्रदेश	6	11	10	5.40		6	129	2,759,613			
महाराष्ट्र	4	5	12	5.16		4	172	1,941,636			
ओडिशा	9	15	13	5.06		9	118	2,007,364			
पंजाब	2	2	3	6.55		10	251	933,333			
राजस्थान	8	10	17	4.01		4	147	3,082,808			
तमिलनाडु	1	1	1	6.96		8	165	1,448,870			
तेलंगाना	11	6	5	6.34		9	157	1,148,697			
उत्तर प्रदेश	17	17	15	4.05		9	104	2,332,970			
उत्तराखंड	15	13	8	5.63		6	193	1,645,429			
पश्चिम बंगाल	10	16	18	3.46		6	75	1,833,444			
छोटे राज्य											
अरुणाचल प्रदेश	7	5	4	4.21		6	199	1,681,917			
गोवा	2	4	7	3.03		4	498	1,941,636			
हिमाचल प्रदेश	3	2	6	3.17		7	278	743,100			
मेघालय	4	7	5	3.79		9	192	1,106,000			
मिजोरम	5	3	3	4.29		6	298	1,681,917			
सिक्किम	1	1	1	6.06		5	635	227,667			
त्रिपुरा	6	6	2	5.54		7	238	1,369,667			
रैंक रहित राज्य											
असम	Not ranked					8	99	1,681,917			
मणिपुर	Not ranked					4	150	1,064,667			
नागालैंड	Not ranked					4	187	1,681,917			
केंद्र शासित प्रदेश											
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	Not ranked					7	337	1,833,444			
चंडीगढ़	Not ranked					7	517	933,333			
दमन और दीव	Not ranked					NA	50	1,941,636			
दिल्ली	Not ranked					7	581	465,889			
जम्मू और कश्मीर	Not ranked					NA	190	920,267			
लद्दाख	Not ranked					NA	313	920,267			
लक्षद्वीप	Not ranked					6	302	964,892			
पुडुचेरी	Not ranked					6	152	1,448,870			

डेटा स्रोत: कोर्ट न्यूज, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ई-कोर्ट सेवाएं; उच्च न्यायालयों की वेबसाइटें; भारत में न्याय के लिए दृष्टिकोण: दक्ष द्वारा एक रिपोर्ट; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; खुला बजट भारत; न्याय विभाग।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आईजेआर 3 में एनई डब्ल्यू संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। iv. उप-न्यायालय अधीनस्थ-न्यायालय व. पीपी प्रतिस्तर अंक (दो प्रतिस्तर के बीच का अंतर)। vi. एनए उपलब्ध नहीं है। vii. सीआईडी कैलेंडर वर्ष, त्रित वर्ष वित्तीय वर्ष। viii. एस्सी: अनुसूचित जाति; एएसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। ix. उच्च-न्यायालय साक्षात् करने वाले राज्यों और उच्च न्यायालय प्रदेशों के उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मूल्य दिए गए हैं। इनमें अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड; केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दमण और निकोबार हवेली और दमन और दीव, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; तमिलनाडु और पुदुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।

1. संकेतकों की गिनती जिन पर एक राज्य ने आई. जे. आर. 2 की तुलना में सुधार किया है। आई. जे. आर. 2 और आई. जे. आर. 3 दोनों में मौजूद केवल गैर-प्रवृत्ति संकेतकों पर विचार किया गया है। बेचमार्क वाले संकेतकों के लिए, यदि कोई राज्य बेचमार्क को पूरा करता है, तो इसे सुधार के रूप में चिह्नित किया जाता है, भले ही बेचमार्क के भीतर इसके मूल्य में गिरावट आई हो। यदि कोई राज्य बेचमार्क को पूरा नहीं करता है, लेकिन इसके मूल्य में सुधार होता है, तो इसे सुधार के रूप में चिह्नित किया जाता है। डी एंड एन एच/डी एंड डी, जो एंड के और लड़ाख मूल्य आईजेआर 2 के साथ तुलनीय नहीं हैं, और इसलिए उन पर विचार नहीं किया गया है। 2. उच्च न्यायालय साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी को जोड़ा गया है। नसली/एक समान मूल्य दिखाते हैं।

तालिका 5: संकेतक-वार डेटा, राज्य के अंक और रैंक

संकेतक	मानव संसाधन				विविधता	
	प्रति उप-न्यायालय न्यायाधीश जनसंख्या (संख्या, जुलाई 2022)	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रक्ति (% , दिसंबर 2022)	उप. अदालत के न्यायाधीश की रक्ति (% , जुलाई 2022)	उच्च न्यायालय कर्मचारी रक्ति (% , 2021-22)	महिला न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) (% , दिसंबर 2022)	महिला न्यायाधीश (उप-न्यायालय) (% , जुलाई 2022)
	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा	जितना ज्यादा, उतना ही अच्छा
स्कोरिंग गाइड						
राष्ट्रीय औसत	71,224	29.8	21.7	25.6	13.1	35.1
बड़े और मध्यम आकार के राज्य						
आंध्र प्रदेश	109,673 ●	18.9	20.4	51.2	6.7	46.2
बिहार	92,259	35.8	30.7	52.8 ●	0.0 ●	24.2
छत्तीसगढ़	67,964	36.4	8.9 ●	32.6	7.1	41.7
गुजरात	60,280	46.2	23.0	24.3	21.4	19.5 ●
हरियाणा	63,367	22.4	39.0 ●	23.1	19.7	38.4
झारखंड	66,842	16.0 ●	13.6	16.9	4.8	23.0
कर्नाटक	63,162	21.0	21.9	26.0	10.2	33.6
केरल	74,546	21.3	16.0	17.3	16.2	43.1
मध्य प्रदेश	55,587	41.5	23.8	14.6	9.7	34.8
महाराष्ट्र	64,645	29.8	11.4	11.3 ●	12.1	30.8
ओडिशा	56,983	33.3	20.7	28.5	4.5	44.4
पंजाब	50,892	22.4	13.3	23.1	19.7	45.8
राजस्थान	63,513	48.0 ●	20.1	37.0	7.7	40.2
तमिलनाडु	71,351	28.0	19.2	13.7	20.4	39.9
तेलंगाना	92,231	21.4	19.7	33.8	27.3 ●	52.8 ●
उत्तर प्रदेश	93,021	37.5	31.0	21.1	7.0	31.7
उत्तराखंड	42,502 ●	36.4	9.4	21.1	0.0 ●	39.1
पश्चिम बंगाल	107,412	25.0	9.5	31.5	14.8	35.9
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	44,229	0.0 ●	14.6	7.9	16.7	34.3
गोवा	39,175	29.8	20.0	11.3	12.1	70.0 ●
हिमाचल प्रदेश	45,870	41.2 ●	7.4 ●	15.0 ●	20.0	34.0 ●
मेघालय	65,059 ●	25.0	48.5 ●	13.2	0.0 ●	62.7
मिजोरम	29,927 ●	0.0 ●	36.9	7.9	16.7	51.2
सिक्किम	32,524	0.0 ●	25.0	11.5	33.3 ●	52.4 ⁴
त्रिपुरा	37,697	40.0	10.7	5.3 ●	0.0 ●	34.9
रैंक रहित राज्य						
असम	82,274	0.0	11.2	7.0	16.7	47.0
मणिपुर	76,048	40.0	28.8	20.2	0.0	45.2
नागालैंड	92,208	0.0	29.4	7.0	16.7	62.5
केंद्र शासित प्रदेश						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30,923	25.0	NA ³	31.5	14.8	0.0
चंडीगढ़	40,633	22.4	0.0	23.1	19.7	36.7
दमन और दीव	195,000	29.8	14.3	11.3	12.1	0.0
दिल्ली	30,695	25.0	22.7	37.1	22.2	41.1
जम्मू और कश्मीर	57,225	11.8	24.8	17.4	13.3	29.2
लद्दाख	33,222	11.8	47.1	17.4	13.3	33.3
लक्षद्वीप	34,000	21.3	33.3	17.3	16.2	0.0
पुडुचेरी	146,182	28.0	57.7	13.7	20.4	45.5

डेटा स्रोत: कोर्ट न्यूज़, भारत का सर्वोच्च न्यायालय; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; ई-कोर्ट सेवाएं; उच्च न्यायालयों की वेबसाइटें; भारत में न्याय के लिए दृष्टिकोण: दक्ष द्वारा एक रिपोर्ट; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; खुला बजट भारत; न्याय विभाग।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आईजेआर 3 में एनई डब्ल्यू संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। iv. उप. न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय। v. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। vi. एनए: उपलब्ध नहीं हैं। vii. सीवाई कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष: वित्तीय वर्ष। viii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। ix. उच्च न्यायालय साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मूल्य दिए गए हैं। इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड; केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दमन और निकोबार हवेली और दमन और दीव; पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; तमिलनाडु और पुडुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।

3. संसद के प्रश्न में 0 स्वीकृत और 13 वास्तविक अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीशों को दिखाया गया है। 4. न्याय विभाग की वेबसाइट से लिया गया डेटा।

तालिका 5: संकेतक-वार डेटा, राज्य के अंक और रैंक

संकेतक	विविधता			बुनियादी ढांचा	काम का बोझ
	नया	नया	नया	नया	नया
● क्लस्टर में सबसे अच्छा	अनुसूचित जाति के न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (उप-न्यायालय) (%), जुलाई 2022	अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (उप-न्यायालय) (%), जुलाई 2022	ओ. बी. सी. न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (उप-न्यायालय) (%), जुलाई 2022	कोर्ट हॉल की कमी (%), अगस्त 2022	लंबित मामले (5-10 वर्ष) (उच्च न्यायालय) (%), जनवरी 2023)
● क्लस्टर में सबसे खराब	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर
राष्ट्रीय औसत	NA	NA	NA	14.7	24.18
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	91	69	119	-4.0	28.40
बिहार	68	77	51	20.2	25.04
छत्तीसगढ़	128 ●	79	123	2.7	26.79
गुजरात	108	2	55	1.1	25.09
हरियाणा	56	NA ⁸	33	27.7 ●	26.48
झारखंड	39	35	36	4.6	21.90
कर्नाटक	85	66	75	14.3	21.81
केरल	79	9	106	5.8	36.90 ●
मध्य प्रदेश	73	56	90	24.0	28.87
महाराष्ट्र	80	5	120	-7.3 ●	23.14
ओडिशा	11	0 ●	48	16.9	25.25
पंजाब	83	0 ●	99.95	14.9	26.48
राजस्थान	63	58	94	15.9	19.97
तमिलनाडु	93	68	122	9.3	18.62 ●
तेलंगाना	82	117	125 ●	-3.1	32.28
उत्तर प्रदेश	64	45	83	25.4	23.20
उत्तराखंड	83	125 ●	96	21.1	24.18
पश्चिम बंगाल	0 ●	0 ●	0 ●	17.6	23.59
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	NA ⁵	104 ●	NA ¹²	36.6	23.55 ●
गोवा	0 ●	33 ●	15 ●	-6.0 ●	23.14
हिमाचल प्रदेश	57	91	38	13.7	16.60
मेघालय	NA ⁶	57	NA ¹³	46.5 ●	9.23
मिजोरम	NA ⁵	NA ⁹	NA ¹⁴	35.4	23.55 ●
सिक्किम	0 ●	66	116 ●	28.6	7.36
त्रिपुरा	63 ●	61	NA ¹⁴	32.8	0.56 ●
रैंक रहित राज्य					
असम	65	52	0	13.4	23.55
मणिपुर	254	71	70	33.9	11.59
नागालैंड	NA ⁵	76 ¹⁰	0	11.8	23.55
केंद्र शासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	NA ⁷	NA ¹¹	NA ¹⁵	NA ³	23.59
चंडीगढ़	74	NA ⁸	25	-3.3	26.48
दमन और दीव	0	0	244	-14.3	23.14
दिल्ली	54	12	0	32.5	21.66
जम्मू और कश्मीर	67	60	NA ¹⁶	38.2	28.34
लद्दाख	588	78	NA ¹⁴	47.1	28.34
लक्षद्वीप	NA ⁵	74	NA ¹⁴	0.0	36.90
पुडुचेरी	0	0	93	-38.5	18.62

डेटा स्रोत: कोर्ट न्यूज़, भारत का सर्वोच्च न्यायालय; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; ई-कोर्ट सेवाएँ; उच्च न्यायालयों की वेबसाइटें; भारत में न्याय के लिए दृष्टिकोण: दक्ष द्वारा एक रिपोर्ट; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; खुला बजट भारत; न्याय विभाग।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आईजेआर 3 में एनई डब्ल्यू संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। iv. उप. न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय। v. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। vi. एनए: उपलब्ध नहीं है। vii. सीवाई: कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष; वित्तीय वर्ष। viii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। ix. उच्च न्यायालय साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मूल्य दिए गए हैं। इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड; केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दमन और निकोबार हवेली और दमन और दीव; पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; तमिलनाडु और पुडुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।

3. संसद के प्रश्न में 0 स्वीकृत और 13 वास्तविक अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीशों को दिखाया गया है। 5. कोई एससी आरक्षण नहीं और कोई एससी न्यायाधीश नहीं। 6. अनुसूचित जातियों के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण स्वीकृत नहीं है। 7. एससी आरक्षण डेटा उपलब्ध नहीं है। 8. कोई एसटी आरक्षण नहीं और कोई एसटी न्यायाधीश नहीं। 9. कोई एसटी आरक्षण नहीं है। 10. एसटी न्यायाधीशों का डेटा न्याय विभाग की वेबसाइट से लिया गया है। 11. कोई एसटी न्यायाधीश नहीं। 12. ओ. बी. सी. आरक्षण नहीं। 13. ओ. बी. सी. के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण स्वीकृत नहीं है। 14. कोई ओ. बी. सी. आरक्षण नहीं और कोई ओ. बी. सी. न्यायाधीश नहीं। 15. कोई ओ. बी. सी. न्यायाधीश नहीं। 16. कोई ओ. बी. सी. श्रेणी नहीं दी गई।

तालिका 5: संकेतक-वार डेटा, राज्य के अंक और रैंक

● क्लस्टर में सबसे अच्छा ● क्लस्टर में सबसे खराब	श्रीम	काम का बोझ				
		नया	लंबित मामले (5-10 वर्ष)	लंबित मामले (10 + वर्ष)	उच्च न्यायालय की औसत	केस क्लीयरेंस रेट
	संकेतक	लंबित मामले (10 + वर्ष) (उच्च न्यायालय) (% जनवरी 2023)	लंबित मामले (5-10 वर्ष) (उप-न्यायालय) (% जनवरी 2023)	लंबित मामले (10 + वर्ष) (उप-न्यायालय) (% जनवरी 2023)	विचाराधीनता (वर्ष, फरवरी 2022)	(उच्च न्यायालय) (%, 2022)
	स्कोरिंग गाइड	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर
	राष्ट्रीय औसत	24.07	19.09	9.73	NA	95
बड़े और मध्यम आकार के राज्य						
	आंध्र प्रदेश	20.47	11.65	1.33	7.48	73
	बिहार	15.77	28.45	19.29	4.96	113
	छत्तीसगढ़	6.46 ●	10.12	0.36	4.08	77
	गुजरात	13.60	13.43	7.54	4.90	92
	हरियाणा	24.80	6.84	0.24 ●	6.75	103
	झारखंड	20.00	23.66	6.02	6.60	101
	कर्नाटक	18.95	16.51	3.09	5.23	82
	केरल	15.21	18.47	1.03	6.50	156 ●
	मध्य प्रदेश	27.08	16.84	1.01	NA ¹⁸	84
	महाराष्ट्र	25.76	20.64	8.41	NA ¹⁸	72
	ओडिशा	21.75	25.83	16.51	6.05	131
	पंजाब	24.80	5.78 ●	0.31	6.75	103
	राजस्थान	17.22	22.10	4.87	5.46	65 ●
	तमिलनाडु	21.95	16.80	4.32	6.38	107
	तेलंगाना	18.01	13.72	1.48	6.85	103
	उत्तर प्रदेश	40.07 ●	19.16	16.35	11.34 ●	96
	उत्तराखंड	6.72	11.07	1.97	3.58 ●	81
	पश्चिम बंगाल	39.46	28.64 ●	19.73 ●	9.89	121
छोटे राज्य						
	अरुणाचल प्रदेश	4.27	NA ¹⁷	NA ¹⁷	3.61 ●	90
	गोवा	25.76 ●	18.54	5.38	NA ¹⁸	72 ●
	हिमाचल प्रदेश	4.37	12.44	1.16	3.10	80
	मेघालय	0.09	26.85 ●	10.49 ●	2.09	128 ●
	मिजोरम	4.27	9.94	2.24	3.61 ●	90
	सिक्किम	0.61	0.65 ●	0.16 ●	1.85	111
	त्रिपुरा	0.00 ●	7.52	3.73	0.99 ●	107
रैंक रहित राज्य						
	असम	4.27	12.69	1.61	3.61	90
	मणिपुर	10.40	16.90	2.75	3.38	99
	नागालैंड	4.27	20.97	5.70	3.61	90
केंद्र शासित प्रदेश						
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	39.46	39.69	13.23	9.89	121
	चंडीगढ़	24.80	5.72	0.26	6.75	103
	दमन और दीव	25.76	18.03	3.91	NA ¹⁸	72
	दिल्ली	13.83	14.17	1.35	NA ¹⁸	88
	जम्मू और कश्मीर	15.52	18.14	4.31	5.71	127
	लद्दाख	15.52	6.76	0.35	5.71	127
	लक्षद्वीप	15.21	NA ¹⁷	NA ¹⁷	6.50	156
	पुडुचेरी	21.95	20.54	6.34	6.38	107

डेटा स्रोत: कोर्ट न्यूज़, भारत का सर्वोच्च न्यायालय; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; ई-कोर्ट सेवाएं; उच्च न्यायालयों की वेबसाइटें; भारत में न्याय के लिए दृष्टिकोण: दक्ष द्वारा एक रिपोर्ट; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; खुला बजट भारत; न्याय विभाग।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iv. आईजेआर 3 में एनई डब्ल्यू संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। v. उप-न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय। vi. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। vii. एनए उपलब्ध नहीं है। viii. सीवाई कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष; वित्तीय वर्ष। ix. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। x. उच्च न्यायालय साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मूल्य दिए गए हैं। इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड; केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दमन और निकोबार हवेली और दमन और दीव; पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; तमिलनाडु और पुडुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।

17. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर डेटा उपलब्ध नहीं है। 18. आंकड़ों की गणना नहीं की जा सकी।

तालिका 5: संकेतक-वार डेटा, राज्य के अंक और रैंक

संकेतक	काम का बोझ	रुझान			
		केस क्लीयरेंस रेट (उप-अदालत) (%), 2022	लंबित मामले (प्रति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) (%), सीवाई '18-' 22)	लंबित मामले (प्रति उप-न्यायालय न्यायाधीश) (%), सीवाई '18-' 22) ²⁰	कुल लंबित मामले (उच्च न्यायालय) (%), सीवाई '18-' 22)
स्कोरिंग गाइड	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर
राष्ट्रीय औसत	89	1.7	5.8	3.6	8.4
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	90	-14.0	17.5	7.2	14.0
बिहार	93	12.2	1.6	8.4	7.7
छत्तीसगढ़	89	6.6	2.9	8.9	8.1
गुजरात	117 ●	8.6	0.4	7.6	0.9 ●
हरियाणा	82	3.6	19.4 ●	4.4	18.3 ●
झारखंड	96	-7.3	-0.01 ●	-0.6	6.5
कर्नाटक	95	-5.4	3.6	3.3	5.2
केरल	113	1.4	4.3	2.3	5.6
मध्य प्रदेश	91	9.4	5.5	6.9	8.8
महाराष्ट्र	92	12.6	11.2	9.4	8.2
ओडिशा	90	-1.1	3.8	0.2	7.2
पंजाब	100	3.6	8.2	4.4	10.6
राजस्थान	96	31.3 ●	4.6	20.8 ●	7.1
तमिलनाडु	98	-1.5	2.4	-0.7	5.5
तेलंगाना	95	-15.5 ●	9.0	5.0	16.1
उत्तर प्रदेश	72 ●	2.5	5.7	3.2	11.5
उत्तराखंड	86	14.4	5.8	7.8	9.7
पश्चिम बंगाल	80	-4.7	7.4	-1.0 ●	3.3
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	NA ¹⁷	4.8	NA ¹⁷	10.0	NA ¹⁷
गोवा	113 ●	12.6	11.5	9.4	7.5
हिमाचल प्रदेश	95 ●	21.3 ●	13.5 ●	24.7 ●	15.8 ●
मेघालय	103	7.5	-2.4	6.7	2.7
मिजोरम	111	4.8	12.8	10.0	10.3
सिक्किम	97	-7.2	3.4	-4.2	6.4
त्रिपुरा	104	-21.4 ●	-10.5 ●	-10.2 ●	-4.6 ●
रैंक रहित राज्य					
असम	72	4.8	8.5	10.0	12.4
मणिपुर	103	-3.0	5.6	-0.1	6.7
नागालैंड	63	4.8	4.2	10.0	5.8
केंद्र शासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	76	-4.7	-1.3	-1.0	2.4
चंडीगढ़	76	3.6	17.7	4.4	17.4
दमन और दीव	97	12.6	7.7	9.4	4.3
दिल्ली	71	8.3	6.2	8.6	13.4
जम्मू और कश्मीर	74	-13.2	NA ²¹	-8.8	NA ²¹
लद्दाख	81	-13.2	NA ²¹	-8.8	NA ²¹
लक्षद्वीप	NA ¹⁷	1.4	NA ¹⁷	2.3	NA ¹⁷
पुडुचेरी	114	-1.5	3.8	-0.7	1.8

डेटा स्रोत: कोर्ट न्यूज़, भारत का सर्वोच्च न्यायालय; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; ई-कोर्ट सेवाएं; उच्च न्यायालयों की वेबसाइटें; भारत में न्याय के लिए दृष्टिकोण: दक्ष द्वारा एक रिपोर्ट; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; खुला बजट भारत; न्याय विभाग।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आईजेआर 3 में एनई डब्ल्यू संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। iv. उप. न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय। v. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। vi. एनए: उपलब्ध नहीं है। vii. सीवाई: कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष: वित्तीय वर्ष। viii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। ix. उच्च न्यायालय साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मूल्य दिए गए हैं। इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड; केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दमन और निकोबार हवेली और दमन और दीव, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; तमिलनाडु और पुडुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।

17. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर डेटा उपलब्ध नहीं है। 19. रुझान संकेतकों के लिए विचार किए गए सभी 5 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, उनके लिए 3 साल की प्रवृत्ति की गणना की गई है। 20. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के लिए सभी 5 वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं न्यायाधीशों के लिए अलग-अलग डेटा पर विचार किया गया। इसलिए, 3 साल की प्रवृत्ति की गणना की गई है। 21. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को इस संकेतक में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनका 5 साल का डेटा अलग से उपलब्ध नहीं था।

तालिका 5: संकेतक-वार डेटा, राज्य के अंक और रैंक

संकेतक	रुझान				
	न्यायाधीश रिक्ति (उच्च न्यायालय) (पीपी, सीवाई '18-' 22)	न्यायाधीश रिक्ति (उप-न्यायालय) (पीपी, सीवाई '18-' 22) ²⁰	केस क्लीयरेंस रेट (उच्च न्यायालय) (पीपी, सीवाई '18-' 22)	केस क्लीयरेंस रेट (उप अदालत) (पीपी, सीवाई '18-' 22)	खर्च में अंतर: न्यायपालिका बनाम राज्य (पीपी, वित्त वर्ष '17-' 21)
	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर
राष्ट्रीय औसत	-0.99	-0.66	1.03	-1.65	0.94
बड़े और मध्यम आकार के राज्य					
आंध्र प्रदेश	-12.01 ●	3.01	6.23	-0.23	-0.97
बिहार	0.35	-2.99	4.48	2.98	1.83
छत्तीसगढ़	-1.44	-1.38	-2.53	-3.46	0.30
गुजरात	0.51	-0.40	1.08	-1.43	0.16
हरियाणा	-0.75	3.18 ●	4.93	-0.68	1.40
झारखंड	-5.47	-4.80 ●	3.02	-1.12	-0.55
कर्नाटक	-5.65	-0.64	2.72	0.18	8.24 ●
केरल	-0.71	0.10	13.56 ●	5.12 ●	-3.59
मध्य प्रदेश	1.19	-2.43	-0.52	-0.61	1.25
महाराष्ट्र	1.83	1.72	-3.20	-0.85	-0.57
ओडिशा	-0.22	-0.60	6.34	2.35	0.65
पंजाब	-0.75	-1.38	4.93	1.79	-3.32
राजस्थान	3.37 ●	2.33	-5.78 ●	-0.07	4.19
तमिलनाडु	-0.82	0.23	1.67	-0.62	-1.08
तेलंगाना	-4.53	0.20	13.03	4.85	-5.20 ●
उत्तर प्रदेश	-0.53	-2.22	-1.38	-3.30	4.96
उत्तराखंड	3.33	-2.32	-5.69	-1.39	1.20
पश्चिम बंगाल	-2.92	0.00	5.20	-13.67 ●	1.40
छोटे राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	-4.24	-4.93 ●	-1.37	NA ¹⁷	10.57 ●
गोवा	1.83 ●	0.49	-3.20 ●	0.76	1.97
हिमाचल प्रदेश	-0.15	0.10	-2.71	-1.06	-0.79
मेघालय	-0.42	-2.26	5.53	-0.26	5.30
मिजोरम	-4.24	1.99 ●	-1.37	2.87 ●	-0.36
सिक्किम	-2.78	0.65	5.73 ●	-0.77	-2.83 ●
त्रिपुरा	-6.42 ●	-3.66	0.25	-5.53 ●	8.81
रैंक रहित राज्य					
असम	-4.24	-1.32	-1.37	-4.41	-1.69
मणिपुर	-4.00	2.09	4.32	-0.17	0.13
नागालैंड	-4.24	-1.18	-1.37	-5.39	2.01
केंद्र शासित प्रदेश					
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-2.92	NA ²²	5.20	-3.61	8.17
चंडीगढ़	-0.75	0.00	4.93	-4.32	-1.15
दमन और दीव	1.83	6.67	-3.20	-1.89	12.62
दिल्ली	-1.06	-3.39	-1.34	-3.11	6.32
जम्मू और कश्मीर	-5.20	NA ²¹	8.11	NA ²¹	NA ²¹
लद्दाख	-5.20	NA ²¹	8.11	NA ²¹	NA ²¹
लक्षद्वीप	-0.71	NA ¹⁷	13.56	NA ¹⁷	0.91
पुडुचेरी	-0.82	0.77	1.67	1.15	3.58

डेटा स्रोत: कोर्ट न्यूज, भारत का सर्वोच्च न्यायालय; राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; ई-कोर्ट सेवाएं; उच्च न्यायालयों की वेबसाइटें; भारत में न्याय के लिए दृष्टिकोण: दक्ष द्वारा एक रिपोर्ट; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; खुला बजट भारत; न्याय विभाग।

सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आईजेआर 3 में एनई डब्ल्यू संकेतक पीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं। iv. उप. न्यायालय: अधीनस्थ न्यायालय। v. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। vi. एनए: उपलब्ध नहीं है। vii. सीवाई: कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष: वित्तीय वर्ष। viii. एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओ. बी. सी.: अन्य पिछड़े वर्ग। ix. उच्च न्यायालय साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च न्यायालय संकेतकों के लिए समान मूल्य दिए गए हैं। इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड; केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दमन और निकोबार हवेली और दमन और दीव; पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; तमिलनाडु और पुडुचेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।

17. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर डेटा उपलब्ध नहीं है। 20. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के लिए सभी 5 वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं न्यायाधीशों के लिए अलग-अलग डेटा पर विचार किया गया। इसलिए, 3 साल की प्रवृत्ति की गणना की गई है। 21. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को इस संकेतक में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनका 5 साल का डेटा अलग से उपलब्ध नहीं था। 22. डेटा पिछले 4 वर्षों के लिए 0 स्वीकृत अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीशों को दर्शाता है।



कानूनी सहायता

कानूनी सहायता रैंकिंग

रंग गाइड

■ श्रेष्ठ ■ मध्य ■ खराब
संकेतक
(IJR 3)

15

समूह (क्लस्टर)

- I. 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य
(जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर)
- II. 7 छोटे आकार के राज्य
(जनसंख्या 1 करोड़ तक)

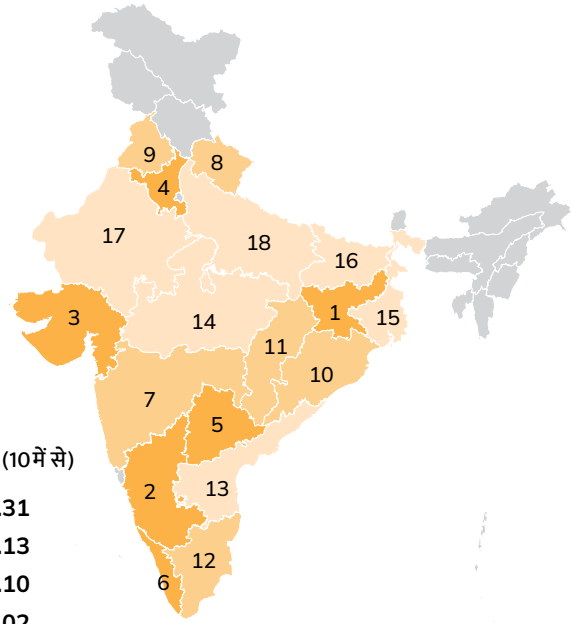
मानचित्र 15: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

नया

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022
14	4	1
7	16	2
6	9	3
2	5	4
4	6	5
1	7	6
5	1	7
17	10	8
3	3	9
15	8	10
8	15	11
12	11	12
10	14	13
9	12	14
13	17	15
16	2	16
11	13	17
18	18	18

राज्य	स्कोर (10 में से)
झारखंड	6.31
कर्नाटक	6.13
गुजरात	6.10
हरियाणा	6.02
तेलंगाना	5.92
केरल	5.85
महाराष्ट्र	5.73
उत्तराखंड	5.63
पंजाब	5.59
ओडिशा	5.44
छत्तीसगढ़	5.33
तमिलनाडु	5.32
आंध्र प्रदेश	5.27
मध्य प्रदेश	5.01
पश्चिम बंगाल	4.88
बिहार	4.41
राजस्थान	4.36
उत्तर प्रदेश	3.24



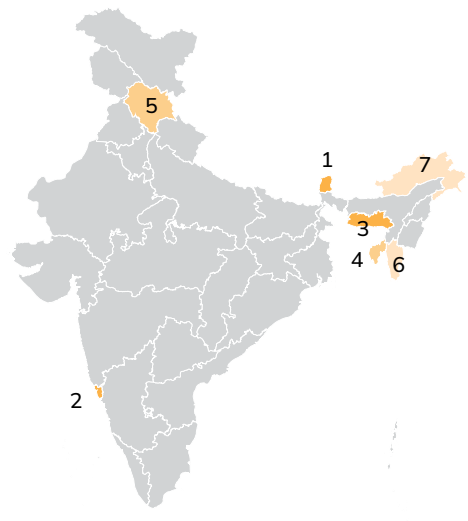
मानचित्र 16: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

नया

आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022
1	1	1
6	6	2
5	3	3
7	5	4
4	7	5
3	2	6
2	4	7

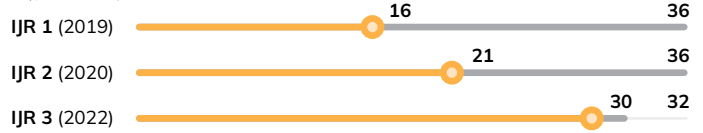
राज्य	स्कोर (10 में से)
सिक्किम	4.96
गोवा	4.41
मेघालय	4.15
त्रिपुरा	3.70
हिमाचल प्रदेश	3.62
मिजोरम	3.33
अरुणाचल प्रदेश	3.10



उम्मीदें बढ़ाना

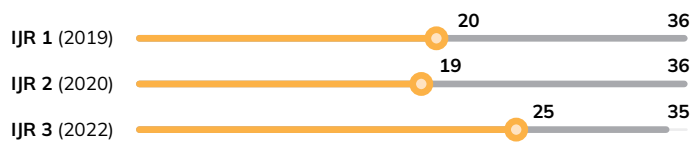
राज्य बजट

अपने कानूनी सहायता बजट में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या।



महिलाएँ

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहाँ पैनल वकीलों में महिलाओं की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से अधिक है।



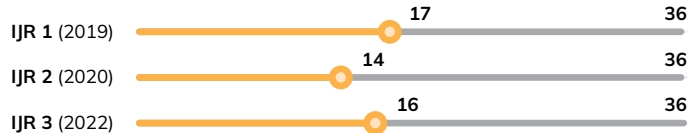
ग्रामीण कवरेज

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहाँ कानूनी सहायता क्लिनिक द्वारा कवर किए गए गांवों की औसत संख्या 150 से कम है।



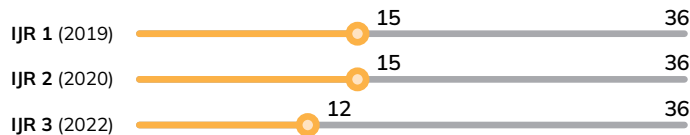
बुनियादी ढांचा

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहाँ कम से कम एक कानूनी सेवा क्लिनिक एक जेल में कार्य करता है।



विवाद का समाधान

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहाँ लोक अदालतों ने मुकदमेबाजी से पहले के 50 प्रतिशत से अधिक मामलों का निपटारा किया।



*राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या (36 में से) जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध थे।

बजट

किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने कानूनी सहायता के लिए अपने पूरे राज्य बजट आवंटन का उपयोग नहीं किया।



कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति खर्च



₹0.73
एनएलएसए



₹3.84
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश



₹4.57
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश+ एनएलएसए

2020-21 के लिए बजट डेटा, मार्च 2021 के लिए जनसंख्या डेटा

ग्रामीण कवरेज

विधिक या कानूनी सहायता क्लिनिक (Legal Aid Clinic) द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले गाँवों की औसत संख्या 42 से बढ़कर 127 हो गई।



विचाराधीन समीक्षा समिति



2021 में यू. टी. आर. सी. द्वारा जमानत के लिए अनुशंसित 42,486 कैदियों में से केवल **39%** को रिहा किया गया था।



अध्याय 4

निःशुल्क कानूनी सहायता: सभी के लिए न्याय एक दूर के सपने समान

दुनिया भर में लगभग 5.1 बिलियन लोगों के पास न्याय तक सार्थक पहुंच नहीं है¹।

परिचय

यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया तथ्य है कि निःशुल्क कानूनी सहायता एक कार्यशील आपराधिक न्याय प्रणाली का आवश्यक तत्व है।² मुफ्त या आसान से मिलने वाली कानूनी सहायता चाहे प्रतिनिधि के द्वारा हो, परामर्श हो, मध्यस्थता हो, जागरूकता या रेफरल बढ़ाती हो- सभी के लिए न्याय तक पहुंचना सरल बनाती है।

तीसरा आईजेआर बजट पर दो नए पहलू जोड़ता है जिसमें बजट में सुधार और जिला कानूनी सेवाओं (डीएलएसए) में फ्रंट कार्यालयों की उपस्थिति शामिल है। इन पहलुओं में

२०२० के बाद सभी बड़े और छोटे दोनों राज्यों में, प्रमुख बदलाव देखे गए हैं जिसका मुख्य कारण बजट उपयोग में सुधार, मामलों का निपटान लोक अदालतों के द्वारा, और लैंगिक विविधता के सुधार की वजह से है।

झारखंड राज्य ने लगातार इस तालिका में सुधार किया है। वह 2019 में चौदहवें पायदान और 2020 में चौथे पायदान से, इस वर्ष पहले पायदान पर आ गया है। वहीं कर्नाटक, राज्य द्वारा बजट आवंटन में सुधार और पैनल वकीलों के बीच महिलाओं का प्रतिनिधित्व और पैरालीगल वालंटियर्स की सहायता से 14 पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे पायदान पर आ गया है जो सभी बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में सबसे ज्यादा उछाल है। गुजरात 2019 में छठे और 2020 में नौवें स्थान से इस वर्ष तीसरे पद पर आ गया है। दूसरे राज्य जैसे महाराष्ट्र इस वर्ष छह स्थान गिर कर, २०२० में पहले स्थान से अब सातवें स्थान पर आ गया है, जिसका मुख्य कारण कानूनी सहायता क्लीनिकों और निधि का खराब उपयोग है। दूसरे स्थान पर रहा बिहार पिछड़ कर अब सोलहवें स्थान पर आ गए हैं और उत्तर प्रदेश 2019 और 2022 में अठारहवां स्थान पर ही है।

सहायता की किरण

कठिन संकट के समय पर (मार्च से जून के बीच मई), कानूनी सहायता हेतु संस्थानों ने अपने परंपरागत काम के परे जा कर, दोनों निःशुल्क सहायता एवं मानवीय सहायता दी, जिसका प्रभाव इस चार महीने की अवधि में सीधे 71 लाख से अधिक लाभार्थियों पर हुआ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने जेलों और न्यायपालिका के सहायता से 42, 772 विचाराधीन कैदी और 16,391 दोषियों को अंतरिम जमानत और पैरोल दी। इन संस्थानों द्वारा प्रवासी घर की ओर यात्रा कर रहे हैं लोगो को भोजन और दवा की भी सुविधा दी गयी थी⁴।

कोविड-19 और विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियाँ (UTRCs)

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के द्वारा, अप्रैल से जून 2020 के बीच में 18 राज्यों के डीएलएसए के कामकाज पर अध्ययन से ये बात सामने आई है कि 284 जिलों में से सिर्फ 231 जिलों में ही UTRC बने हैं। इन् में से सिर्फ 78 %यूटीआरसी हर हफ्ते मीटिंग के लिए मिलते हैं। चार राज्य-मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड- में आधे से भी कम अनिवार्य बैठकें हुए।⁵

छोटे राज्यों में, सिक्किम 2020 में तीसरे स्थान से बढ़कर 2022 में पहले स्थान पर आ गया, जबकि गोवा 2019 में शीर्ष स्थान पर रहने के बाद 2022 में दूसरे स्थान पर आ गया। लगातार सुधार होने के

1 शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए पथप्रदर्शक, सभी के लिए न्याय – न्याय पर कार्य बल की रिपोर्ट, अप्रैल 2019। यहाँ उपलब्ध है: <https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2019/06/Justice-for-All-report-1.pdf>

2 सिद्धांत 1, आपराधिक न्याय प्रणालियों में कानूनी सहायता तक पहुंच के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत और दिशानिर्देश, 2012।

3 राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, महामारी का जवाब : कानूनी सेवा संस्थानों द्वारा सेवाओं का दस्तावेजीकरण, 2021। यहाँ उपलब्ध है: <https://www.humanrightsinitiative.org/download/CHRI%20Reponding%20to%20th%20Pandemic%20Vol%20I.pdf>

4 NALSA का सांख्यिकीय स्नैपशॉट, 2020। यहाँ उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/library/statistical-snapshot/statistical-snapshot-2020>

5 राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, विचाराधीन समीक्षा समितियों के कार्यक्रम पर अध्ययन (अप्रैल से जून 2020 तक)। यहाँ उपलब्ध है: <https://www.humanrightsinitiative.org/publication/study-विचाराधीन-समीक्षा-समितियों-के-कार्यक्रम-पर>

कारण मेघालय 2019 में छठे से, 2020 में पांचवें स्थान पर से इस वर्ष तीसरे स्थान पर आ गया है, जबकि मिजोरम 2019 में दूसरे स्थान से खिसक कर 2020 में 6 चौथा और इस साल छठे स्थान पर आया है। अरुणाचल प्रदेश सातवें स्थान पर ही रहा।

मानव संसाधन

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण सचिव रक्ति
(%, 31 मार्च, 2022)

प्रति लाख आबादी पर पैरा कानूनी वॉलंटियर्स
(संख्या, 30 जून, 2022)

सचिवों को डीएलएसए के% के रूप में मंजूरी
(%, 31 मार्च, 2022)

'कानूनी सहायता प्रदाताओं' में वकील (पैनल, रिटर्नर, रिमांड), जेल जाने वाले वकील और, हाल ही में, कानूनी सहायता के लिए डिफेंस काउंसिल के पूर्णकालिक कार्यालय आते हैं। पैरालेगल वॉलंटियर्स जो पूरे देश में नियुक्त किए गए हैं उनका कार्य समुदाय और कानूनी सेवा संस्थानों के बीच की कड़ी को जोड़ना है। इनके कार्यों में कानूनी साक्षरता फैलाना, कानूनी सलाह देना और जैसे ही कोई भी विवाद होता है, उसका वहीं समाधान की सुविधा प्रदान करना है।⁶

पूर्णकालिक सचिवों के बीच रक्तियाँ: कर्मचारियों की उपलब्धता में कमी निःशुल्क कानूनी संस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रत्येक डीएलएसए की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास होना होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, एक न्यायिक अधिकारी को सचिव के रूप में और सहायक कर्मचारियों का एक समूह भी नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा, प्रत्येक डीएलएसए में वकील और पैरालेगल वॉलंटियर्स होने चाहिए।

विधिक सहायता के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 2012⁷ से सचिव को पूर्णकालिक बनाने पर जोर दिया गया है। कानूनी सहायता प्राधिकरणों में पद स्वीकृत करना और कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। मार्च 2022 तक डीएलएसए की संख्या 2020 में 669 से बढ़कर 2022 में 676 हो गई है।⁸ मगर पूर्णकालिक सचिवों के लिए सिर्फ 603 स्वीकृत पद

थे जिसका मतलब है कि देश में सचिव के 73 पदों में कमी है। इस स्वीकृत पदों में भी केवल 533 पूर्णकालिक सचिवों की नियुक्ति की गई जो 143 पदों की रक्ति मौजूदा डीएलएसए की संख्या के मुकाबले दर्शाती है।

छह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में रक्तियों में वृद्धि देखी गई।⁹ अठारह राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश जैसे बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र और ओडिशा के सारे जिलों में पूर्णकालिक सचिव हैं।¹⁰ मगर दूसरे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कमी देखी गयी है। मेघालय (73 प्रतिशत), त्रिपुरा (60 प्रतिशत), जम्मू एवं कश्मीर (41 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (31 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (28 प्रतिशत) और तेलंगाना (18 प्रतिशत) में सबसे अधिक रक्तियाँ दर्ज की गईं। नौ राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों ने एक भी पूर्णकालिक सचिव को मंजूरी या नियुक्ति नहीं दी।¹¹ उत्तर प्रदेश (71/74) में न्यायिक जिलों (Judicial Districts) की तुलना में कम डीएलएसए है, जबकि तेलंगाना (11/10), अरुणाचल प्रदेश (25/7) और मिजोरम (8/2) में न्यायिक जिलों की तुलना में अधिक डीएलएसए हैं।¹²

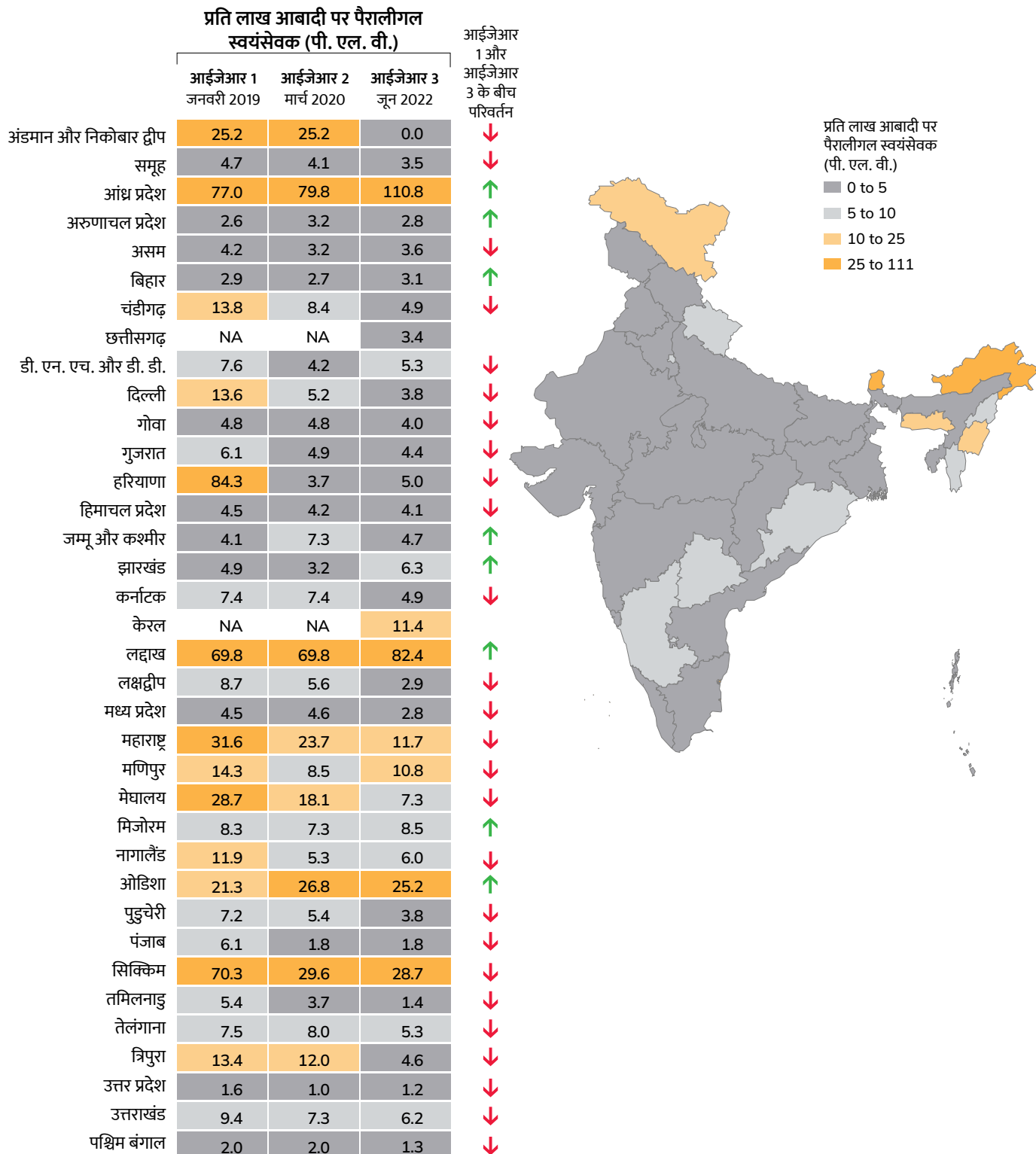
वकील और पैरालेगल वॉलंटियर्स: कानूनी सहायता मुख्यतः पैनलबद्ध वकील करते हैं जिन्हें नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, कानूनी सलाह देने के लिए, जेलों का दौरा, या लोक अदालतों में सहायता करने के लिए कहा जा सकता है। जून 2022 तक पूरे 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 50,316 वकील हैं जो मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। यह 2020 के आँकड़े 59,591 से कुल 16 % कम है।¹³

हालाँकि नालसा विनियम¹⁴ इस प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है मगर पैनल में वकीलों की संख्या स्थापित करने के लिए कोई एक समान नीति मौजूद नहीं है। हालाँकि कुछ राज्यों में वकीलों की संख्या दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर तमिल नाडु के 32 जिलों में सारे विधिक सेवा संस्थानों का मिला कर 4438 वकील सूचीबद्ध थे, जबकि बिहार जिसकी जनसंख्या तमिल नाडु से ज़्यादा है उसमें 37 जिले में सिर्फ 2129 वकील ही सूचीबद्ध थे। महाराष्ट्र में 5461 सूचीबद्ध वकील हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्राधिकार है, में केवल 2,405 सूचीबद्ध वकील हैं। चौदह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों¹⁵ में वकीलों का संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।

6 NALSA (निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवा) विनियम 2010, हिरासत में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व पर NALSA. एस. ओ. पी. 2011 और पैरालेगल वॉलंटियर्स के लिए NALSA की योजना, 2009 जो इन कानूनी सहायता प्रदाताओं की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
7 राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों, तालुक कानूनी सेवा समितियों और उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समितियों के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देश। (दिसंबर 2011 में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में आयोजित कार्य समूहों की चर्चाओं के आलोक में)।
8 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की संख्या पर डेटा NALSA के राज्य प्रोफाइल से है: डेटा का विस्तृत प्रतिनिधित्व (31 मार्च 2022 तक)। यहाँ उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/library/state-profile-2021-22>
9 मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश।
10 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
11 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, डी. एन. एच. और डी. डी., लद्दाख, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी और सिक्किम।
12 प्रत्येक राज्य में न्यायिक जिलों की संख्या पर डेटा NALSA की राज्य प्रोफाइल: डेटा का विस्तृत प्रतिनिधित्व (31 मार्च 2022 तक) से है। यहाँ उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/library/state-profile-2021-22>
13 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के आंकड़े जनवरी 2019 तक के हैं।
14 NALSA (निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवा) विनियम, 2010।
15 अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल।

चित्र 31: पैरालीगल वॉलंटियर्स : संख्याओं का मानचित्रण

(पैरालीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) लोगों और कानूनी सहायता प्रणाली के बीच सेतु का काम करते हैं। प्रति डीएलएसए 50 सक्रिय पीएलवी के नालसा द्वारा बनाए गये नियम के बावजूद, यह संख्या सभी ज़िलों में एक समान नहीं है। 36 में से 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2020 और 2022 के बीच पीएलवी की संख्या कम कर दी।)



स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)

पैरालीगल वॉलंटियर्स योजना में भी उपयुक्त संख्याओं का मुद्दा झलक कर आता है। नालसा प्रत्येक डीएलएसए¹⁶ में 50 पैरालीगल वॉलंटियर्स का सुझाव देता है। परन्तु, 2022 में कई राज्य जैसे बिहार (4,446/1,850), दिल्ली (1,104/550), गुजरात (2,812/1,600) ने आवश्यकता से अधिक पीएलवी नियुक्त किये हैं, वहीं अन्य राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश (368/550), राजस्थान (1,449/1,800) और उत्तर प्रदेश (2,863/3,550) ने अपेक्षित संख्या से कम नियुक्तियाँ करी हैं। पैरालीगल वॉलंटियर्स कानूनी संसाधनों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर तैयार करे थे जो जागरूकता फैलाने, परामर्श देने और समुदाय और कानून के बीच में दूरियाँ मिटाने का काम करते हैं। पीएलवी योजना के तेरह वर्ष के बाद भी कानूनी सशक्तिकरण के एजेंट के रूप में उनकी क्षमता का अच्छी तरह से उपयोग नहीं हुआ है। बीस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी संख्या में कटौती की है।¹⁷ पूरे देश में पीएलवी की संख्या में 15 प्रतिशत¹⁸ गिरावट आई है, जब उनकी संख्या 2020 में 53,679 से 2022 में 45,636 हो गई।

विविधता

पैनल वकीलों में महिलाओं की हिस्सेदारी
(%, 30 जून 2022)

महिला पैरालीगल वॉलंटियर (%, 30 जून 2022)

एनएलएसए निधि का उपयोग (%, 2021-22) कानूनी सहायता बजट में राज्य का हिस्सा (%, 2021-22) राज्य कानूनी सहायता बजट का उपयोग (%, 2020-21)

महिला पैनल वकील: कानूनी सेवाओं का हर स्तर पर आम जनता का प्रतिनिधि होना आवश्यक है। हालाँकि कानूनी सहायता समझने में जाति संरचना के संदर्भ में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी है, लेकिन लिंग विविधता का डाटा का अनुमान सबको है। 2020 और 2022 के बीच, अधिकांश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने महिला पैनल वकीलों की हिस्सेदारी बढ़ाई। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी हिस्सेदारी में 7 प्रतिशत, 18¹⁹ से 25 फीसदी की वृद्धि देखी गयी है। मेघालय में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा 60.4 प्रतिशत है, जिसके बाद नागालैंड (51.4 प्रतिशत), गोवा (45.3 प्रतिशत), सिक्किम (44.7 प्रतिशत) और केरल (42.4 प्रतिशत) थे। राजस्थान (8.6 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (10.5 प्रतिशत) के पैनल वकीलों में महिलाओं की

हिस्सेदारी सबसे कम पायी गई।

महिला पैरालीगल वॉलंटियर्स: राष्ट्रीय स्तर पर महिला पैरालीगल वॉलंटियर्स का सभी वॉलंटियर्स में हिस्सा मार्च 2020 में 35 प्रतिशत³⁵ से बढ़कर जून 2022 तक 40 प्रतिशत हो गया। सभी राज्यों में से कर्नाटक, गोवा, केरल और दिल्ली जैसे चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत से अधिक महिला पैरालीगल स्वयंसेविकाएँ थीं। लद्दाख में यह संख्या सबसे ज़्यादा 82 प्रतिशत और दूसरे नंबर पर सिक्किम में 76 प्रतिशत थी। नागालैंड (23 प्रतिशत), त्रिपुरा (25 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (25 प्रतिशत) और बिहार (27 प्रतिशत) ने महिलाओं का सबसे कम हिस्सा दर्ज किया।

ट्रांसजेंडर्स: एक लंबा रास्ता

2014 में, उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर्स को कानूनी की पहचान प्रदान करी।²¹ 2022 तक, केवल 587 पैरालीगल ट्रांसजेंडर्स हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 183 हैं, जिसके बाद कर्नाटक (137) आता है जबकि सत्रह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों²² में कोई भी ट्रांसजेंडर्स पैरालीगल नहीं काम करता है। ट्रांसजेंडर्स का न्याय सहायता के लिए चुने हुए वकीलों और सचिवों के बीच का डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी नहीं है।

बजट

एनएलएसए निधि का उपयोग (%, 2021-22)

कानूनी सहायता बजट में राज्य का हिस्सा
(%, 2021-22)

राज्य कानूनी सहायता बजट का उपयोग
(%, 2020-21) **नया**

नालसा (एक केंद्रीय निकाय) और राज्य दोनों मिलकर मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वित्त प्रदान करते हैं। नालसा के अनुदान आमतौर पर ऐसे कार्यों के लिए होते हैं जिनमें लोक अदालतों का आयोजन, समझौता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वकीलों, पैरालीगल्स, मीडिएटर्स और लोक अदालतों के प्रमुख न्यायाधीशों को भुगतान किया जाता है, जबकि राज्यों के योगदान का मुख्यतः योजना तंत्र, कर्मचारी और प्रशासनिक गतिविधियों में खर्च में होता है। राज्य अनिवार्यतः धारा 357-A के तहत पीड़ित मुआवजा कोष में भी योगदान देते हैं।

16 NALSA की पैरालीगल वॉलंटियर्स योजना। यहाँ उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/preventive-strategic-legal-services-schemes/scheme-for-para-legal-volunteers>

17 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

18 जनवरी 2019 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल और लक्षद्वीप के आंकड़े।

19 यह आंकड़ा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2020 से है और इसमें केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (रैंक नहीं), लक्षद्वीप (रैंक नहीं) का डेटा शामिल नहीं है, जैसा कि रिपोर्ट में दोहराया गया है कि इन राज्यों से मार्च 2017 के डेटा की अनुपलब्धता है।

20 Ibid

21 राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ [रिट याचिका (सिविल) संख्या 2012 की 400]।

22 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, डीएनएच और डीडी, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, झारखंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड।

पिछले दो वर्षों में, कानूनी सेवाओं के लिए कुल आवंटन में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। नलसा द्वारा राज्यों को किया जाने वाला वित्तपोषण 2021-22²³ में 46 प्रतिशत बढ़कर 144.3 करोड़ रुपये हो गया (2020-21 में 99 करोड़ रुपये के मुकाबले)²⁴। कानूनी सहायता बजट में राज्यों के योगदान में भी वृद्धि देखी गयी। उदाहरण स्वरूप, 2019-20 में, हरियाणा सरकार ने कुल कानूनी सहायता बजट का 68 प्रतिशत योगदान किया और शेष 32 प्रतिशत नालसा के माध्यम से आया। 2021-22 में, हरियाणा का राज्य योगदान 83 प्रतिशत बढ़ गया और केवल 6.5 करोड़ रुपये नालसा द्वारा पूरे कानूनी सहायता बजट के 38.6 करोड़ रुपये में दिया गया।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, राज्यों की कानूनी सहायता पर खर्च असमान और कम रहा है। 2017-18 में, 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों²⁵ ने किसी भी प्रकार से कानूनी सेवाओं में वित्त योगदान नहीं किया था।²⁶ 2021-22²⁷ तक सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने अपने कानूनी सहायता बजट के लिए योगदान दिया है। योगदान करने की वृद्धि विभिन्न मामलों को सुझाती है: कानूनी सहायता की बढ़ती जागरूकता और बेहतर और अधिक व्यापक रूप से कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के महत्व की एक बढ़ती हुई मान्यता जो पूरी की जानी चाहिए, नागालैंड और चंडीगढ़ को छोड़कर, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने अपने कानूनी सहायता बजट के 60 प्रतिशत से अधिक योगदान किया। चार राज्य—गोवा, मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश—ने 90 प्रतिशत से अधिक योगदान किया। असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के योगदान में थोड़ी कमी देखी गई।

रोचक तौर पर, 2021-22 में नालसा के अनुदान के कुल उपयोग में कमी आई। राज्यों को आवंटित किए गए 183 करोड़ रुपये (1.83 अरब) में से 138 करोड़ रुपये (1.38 अरब) का इस्तेमाल ही नहीं किया गया।²⁸ केवल झारखंड और मणिपुर ने 100 प्रतिशत का उपयोग किया, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम (प्रत्येक 97 प्रतिशत), जबकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने केवल 50 प्रतिशत अनुदान का इस्तेमाल किया किया। गोवा ने सबसे कम (49) प्रतिशत का ही उपयोग किया।²⁹

राज्य कानूनी सहायता बजट का उपयोग (2020-21): राज्यों ने अपने आवंटित बजटों का अधिकांश, 50 प्रतिशत³⁰ से अधिक का उपयोग किया, हालांकि चंडीगढ़ (38.5 प्रतिशत), मेघालय (49 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (35 प्रतिशत) जैसे अन्य राज्यों में इस उपयोग की कमी आई। उत्तर प्रदेश ने 133 करोड़ रुपये (1.33 अरब) के आवंटन में से 87 करोड़ रुपये (0.87 अरब) का उपयोग ही नहीं किया। कर्नाटक और

चित्र 32: बजट का उपयोग

किसी राज्य के कानूनी सहायता खर्च में राज्यों को खुद का पैसा और केंद्र से नालसा द्वारा प्राप्त पैसा इस्तेमाल करना होता है। निम्नलिखित आंकड़ा दर्शाता है कि राज्य दोनों निधियों का कितनी अच्छी तरह उपयोग कर रहे हैं।

उपयोग (%)

	60 से नीचे	60 से 75	75 से 90	90 से ऊपर
बड़े और मध्यम आकार के राज्य	नालसा निधि का उपयोग किया गया (% , 2021-22)	राज्य कानूनी सहायता बजट का उपयोग किया गया (% , 2020-21)		
आंध्र प्रदेश	50	100		
बिहार	61	70		
छत्तीसगढ़	75	54		
गुजरात	77	93		
हरियाणा	82	78		
झारखंड	100	51		
कर्नाटक	69	100		
केरल	70	69		
मध्य प्रदेश	65	94		
महाराष्ट्र	87	83		
पंजाब	50	81		
राजस्थान	74	96		
राजस्थान	76	99		
तमिलनाडु	76	57		
तेलंगाना	81	57		
तेलंगाना	68	86		
उत्तर प्रदेश	57	35		
उत्तराखंड	73	72		
पश्चिम बंगाल	67	89		
छोटे राज्य				
अरुणाचल प्रदेश	97	NA		
गोवा	49	81		
हिमाचल प्रदेश	77	99		
मेघालय	63	49		
मिजोरम	97	92		
सिक्किम	125	75		
त्रिपुरा	59	96		

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए), राज्यों के बजट दस्तावेज

23 2021-22 में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को अनुदान। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/grants-and-accounts/grands/grants-2021-2022>

24 2020-21 में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को अनुदान। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/grants-and-accounts/grands/grants-2020-2021>

25 झारखंड, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दीएनएच और डीडी और लक्षद्वीप।

26 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2019, पृ. 85. यहां उपलब्ध है: <https://www.tatatrusters.org/upload/pdf/overall-report-single.pdf>

27 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दीएनएच और डीडी, लक्षद्वीप के लिए डेटा अनुपलब्ध था।

28 इस रिपोर्ट में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को NALSA निधि के कुल आवंटन में पिछले वर्ष की लंबित शेष राशि शामिल है। NALSA द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटन का डेटा NALSA की राज्य प्रोफाइल से है दस्तावेज। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/library/state-profiles-2021-22>

29 यह संकेतक सिक्किम को रैंकिंग से बाहर करता है क्योंकि इसने 2021-22 में राज्य को आवंटित की तुलना में अधिक उपयोग दर्ज किया है। गैर-रैंकिंग वाले राज्यों में, दिल्ली और नागालैंड में आवंटित से अधिक उपयोग दर्ज किया गया।

30 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात।

आंध्र प्रदेश ने अपनी पूरी राशियों का उपयोग किया जबकि केवल बारह राज्यों ने 80 प्रतिशत से अधिक का उपयोग किया।³¹

आधारभूत संरचना

राज्य न्यायिक जिलों के % के रूप में

डी. एल. एस. ए. (% , 31 मार्च 2022)

गांव प्रति कानूनी सेवा क्लिनिक (संख्या, 2021-22)

प्रति जेल कानूनी सेवा क्लिनिक (संख्या, 2021-22)

डी. एल. एस. ए. में सामने के कार्यालयों की

उपस्थिति (% , 30 जून 2022) **नया**

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत हुआ जो कानूनी सेवा संस्थानों के एक नेटवर्क का नेतृत्व करता है। इस नेटवर्क में राज्य के (37), जिला (676) और उप-विभागीय या तालुक स्तर (2,361), साथ ही अपीलीय अदालतों यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल हैं।

मार्च 2020 से 2022 तक, जब कोरोना महामारी पूरे विश्व पर छाई हुए थी, कानूनी सेवा संस्थानों (LSIs) के नेटवर्क में काफी बढ़ोति हुई; 7 नए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSAs) और 82 और तालुका कानूनी सेवा समितियों (TLSCs) को जोड़कर, जिनकी कुल संख्या क्रमशः 676 और 2,361 हो गई।

मुख्य कार्यालय: सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक कानूनी सेवा संस्थान, सहित को "मुख्य कार्यालय"³² होने की आवश्यकता होती है। मुख्य कार्यालय रिटेनर वकील और/या पैरालीगल वॉलंटियर्स³³ द्वारा संचालित सेवा प्रदान हेतु कार्यालय हैं, जिनमें केवल कानूनी सहायता और सलाह ही नहीं, बल्कि वकीलों और ग्राहकों के बीच मामले की स्थिति के बारे में संवाद भी होता है।³⁴

इस रिपोर्ट की तीसरी संस्करण के लिए, लेखकों ने नालसा से राज्यों में कानूनी सेवा संस्थानों और मुख्य कार्यालयों की संख्या के बारे में जानकारी के लिए अनुरोध किया। नालसा केवल DLSAs पर मुख्य कार्यालयों की जानकारी प्रदान कर सका और इस प्रकार रिपोर्ट में केवल जिले के स्तर पर मुख्य कार्यालयों को शामिल किया गया है। अधिकांश राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में सभी DLSAs में मुख्य कार्यालय स्थापित किए गए थे। छत्तीसगढ़ में 23 DLSAs के 25 मुख्य कार्यालय थे जिसमें दिल्ली में 11 DLSAs के 12 मुख्य कार्यालय , सिक्किम में 4 DLSAs के 8 मुख्य कार्यालय और पुडुचेरी में 1 DLSA

के 2 मुख्य कार्यालय थे। मेघालय के अलावा सभी राज्यों में सभी DLSAs में मुख्य कार्यालयों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, जिसमें 11 DLSAs में 9 कार्यालय थे, और अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 25 DLSAs के 15 मुख्य कार्यालय थे।

कानूनी सहायता क्लिनिक: सभी के लिए न्याय की पहुंच के लिए कानूनी सेवाएं उन समुदायों के लिए मौजूद होनी चाहिए जिनको इन सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। कानूनी सहायता क्लिनिकों का उद्देश्य उन क्षेत्रों में कानूनी परामर्श, रेफरल और प्रतिनिधित्व सेवाएं प्रदान करना है जहाँ लोग "भौगोलिक, सामाजिक और अन्य बाधाएँ"³⁵ से जूझ रहे हैं। नालसा का नियम क्लिनिकों की संख्या और स्थान का निर्धारण किए बिना कहता है की हर "एक गांव या गांवों के एक समूह" में एक क्लिनिक होना चाहिए।³⁶

मार्च 2020 से मार्च 2022 तक, भारत के करीब 6 लाख गांवों में कानूनी सहायता क्लिनिकों की संख्या 66.6 प्रतिशत कम हो गई जब इसमें 14,159 से 4723 की गिरावट दर्ज की गयी। इसका मतलब है कि प्रति कानूनी सहायता क्लिनिक के गांवों का राष्ट्रीय औसत 42 से 127 बढ़ गया। अधिकांश राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के गांवों में कानूनी सेवा क्लिनिकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। कानूनी सहायता के कार्यकर्ताओं के अनुसार, कानूनी सहायता क्लिनिकों की संख्या में आकस्मिक गिरावट अनुकूलन प्रयासों (Optimisation Efforts) का हिस्सा है।

पूर्ण प्रदर्शन के मूल्यांकन की बिना कानूनी सहायता क्लिनिकों की उपयोगिता का मूल्यांकन करना कठिन है। नालसा के अनुसार, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच, ऐसे क्लिनिक जिनमें लोग गए थे, उनकी संख्या 11.9 लाख थी, जिनमें से 7.3 लाख को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की गई थी। यह 2017-18 से अब तक इन क्लिनिकों में लोगों की सबसे अधिक संख्या रही है, जब 6.9 लाख लोग आए थे और 5.6 लाख को किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की गई थी।³⁷

केवल केरल और त्रिपुरा के पास 1 क्लिनिक है जो कम से कम 10 गांवों को कवर करता है और केंद्रशासित प्रदेशों में—चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली , दमन और दीव और पुडुचेरी के पास 1 क्लिनिक है, जो औसतन कम से कम 10 गांवों को सहायता पहुंचाता है। शेष बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में यह आउटरीच बहुत खराब है। झारखंड में 2,107 गांवों के लिए 1 क्लिनिक था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1,019 गांवों के लिए 1 क्लिनिक था; बिहार में 814 गांवों के लिए 1 क्लिनिक था और राजस्थान में 475 गांवों के लिए 1 क्लिनिक था। छत्तीसगढ़ में केवल एक ही कानूनी सेवा क्लिनिक था जिसने राज्य में सभी गांवों (19,567) को कवर किया है।

31 गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।

32 NALSA (युक्त और सक्षम कानूनी सेवाएं) विनियम, 2010

33 NALSA सक्षम कानूनी सेवा विनियम, 2010

34 फ्रंट ऑफिसों पर NALSA के दिशानिर्देश।

35 NALSA (कानूनी सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011।

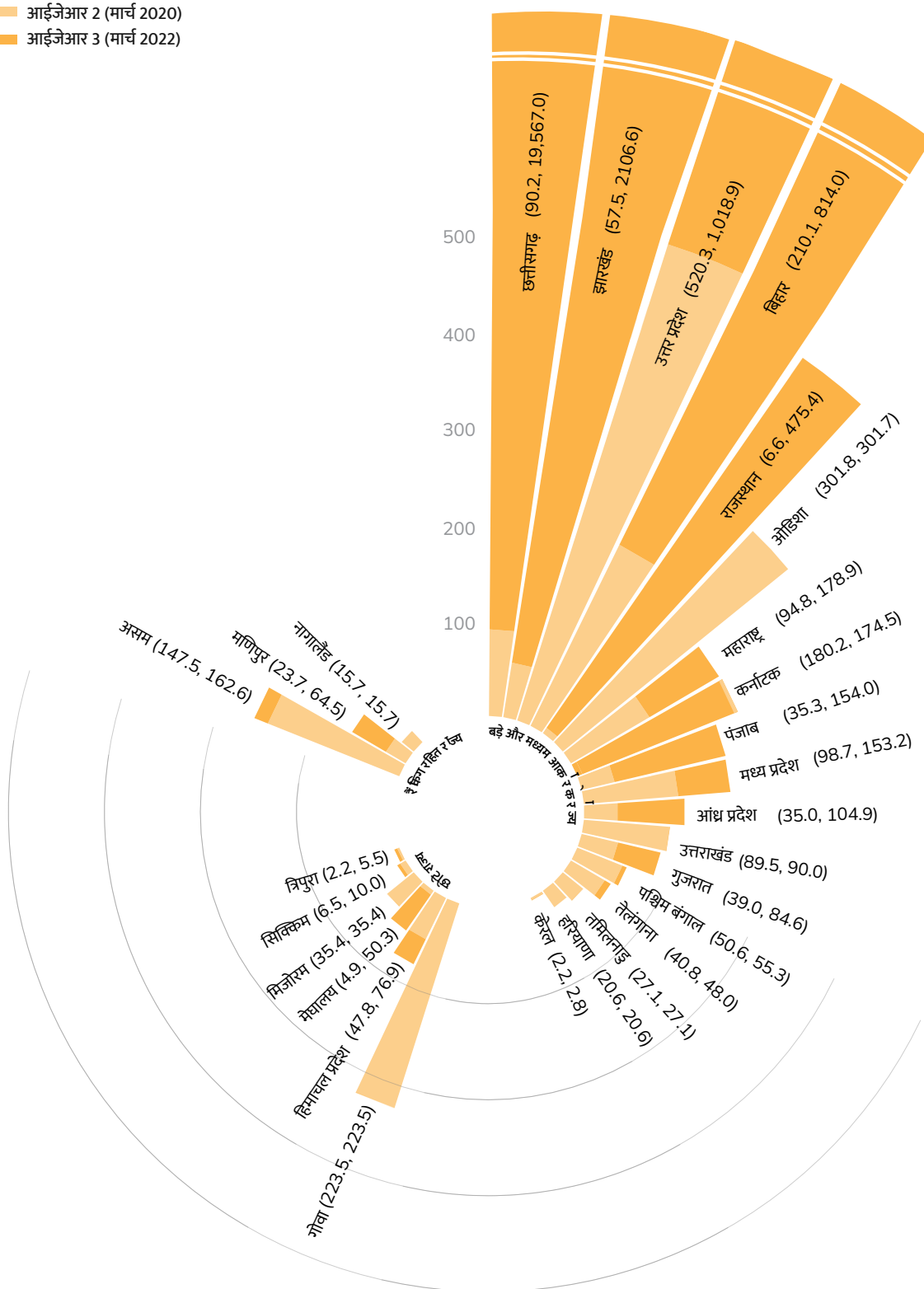
36 Ibid

37 अप्रैल 2017 और मार्च 2018 के बीच कानूनी सेवा क्लिनिकों के संबंध में NALSA की सांख्यिकीय जानकारी। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/statistics/legal-service-clinics-april-2017-to-march-2018>

चित्र 33: एक कानूनी सहायता क्लिनिक पर कितने प्रति गाँव

NALSA नियमों के अनुसार "एक गाँव या गाँवों के समूह की सेवा" के लिए एक क्लिनिक की आवश्यकता होती है। हालाँकि, देश भर में कानूनी सेवा क्लिनिकों की संख्या में भारी गिरावट के कारण प्रति कानूनी सेवा क्लिनिक गाँवों का राष्ट्रीय औसत 2020 में 42 से बढ़कर 2022 में 127 हो गया है।

आईजेआर 2 (मार्च 2020)
आईजेआर 3 (मार्च 2022)



नोट: 1. आई. जे. आर. 3 में गाँवों की संख्या के अवरोही क्रम में राज्यों को समूह के भीतर व्यवस्थित किया गया है। 2. अरुणाचल प्रदेश (छोटे राज्य) में गाँव हैं लेकिन गाँवों में कोई कानूनी सेवा क्लिनिक नहीं है।
स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)

जेलों में कानूनी सहायता क्लिनिक: NALSA (कानूनी सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011 में कहा गया है जेलों में कानूनी सहायता क्लिनिकों का होना अनिवार्य है। 'कैदियों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए मार्गदर्शिकाएँ'³⁸ के माध्यम से यह दिशा-निर्देशित किया गया है कि कुछ चयनित वकीलों को 'जेल दौरे करने वाले वकील' नामित किया जाना चाहिए और उन्हें सप्ताह में कम से कम दो बार जेल में जाना चाहिए।³⁹ आदर्श रूप से, प्रत्येक जेल के पास अपनी कानूनी सहायता क्लिनिक होनी चाहिए। हालांकि, 20 राज्यों/केंद्र⁴⁰ शासित प्रदेशों में अब भी इस मानदंड को पूरा करने की आवश्यकता है।⁴¹ गुजरात और पश्चिम बंगाल समेत छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्लिनिकों की संख्या जेलों की संख्या से अधिक है।⁴² गुजरात के 32 जेलों में 58 क्लिनिक, पश्चिम बंगाल के 60 जेलों में 72 क्लिनिक, पंजाब के 26 जेलों में 27 क्लिनिक, और छत्तीसगढ़ के 33 जेलों में 34 क्लिनिक है। छोटे राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में जेलों से अधिक क्लिनिकें हैं—2 जेलों के लिए 5 क्लिनिकें हैं जबकि मेघालय, गोवा और सिक्किम में प्रत्येक जेल में क्लिनिकें हैं। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में अब तक सभी जेलों में क्लिनिकें नहीं हैं।

कार्यभार

पी. एल. ए. मामले: प्राप्त मामलों के% के रूप में निपटाए गए (%), 2021-22)

एस. एल. एस. ए. एल. ए.: मुकदमे से पहले के मामले कुल मामलों के% के रूप में निपटाए गए (%), 2021-22)

कुल एल. ए. एन. एल. ए. + एस. एल. एस. ए. एल. ए.: निपटाए गए मामलों में मुकदमे से पहले के मामलों का हिस्सा (%), 2021-22)

लोक अदालत: वैकल्पिक विवाद समाधान(Alternate Dispute Resolution) तंत्रों के लिए विरोध होने के बावजूद उनके अदालतों में लंबित मामलों में हस्तक्षेप कर न्यायिक प्रणाली को सुधारने की क्षमता है। एडीआर विवादों को समझौते के माध्यम से समाधान करने का एक सस्ता और समय-कुशल तरीका प्रदान करने की क्षमता है। लोक अदालतें, जिन्हें 'लोगों की अदालतें' भी कहा जाता है, वैकल्पिक विवाद समाधान का एक प्रमुख माध्यम है। उन्हें राज्य की कानूनी सेवा संस्थानों

और नालसा की संरक्षण में दोनों तरीकों से आयोजित किया जाता है और वे दो प्रकार के मामलों को संलग्न करते हैं:

- किसी भी न्यायालय के सामने कोई भी लंबित मामला।
- कोई भी विवाद जो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो और किसी अदालत के समक्ष दायर किए जाने की संभावना है, या एक मामला मुकदमे होने के पहले के चरण में हो।⁴⁴

इसी संदर्भ में सरकार द्वारा स्थायी लोक अदालतें⁴⁵ भी स्थापित की गई हैं ताकि आवश्यक प्री लिटिगेशन समझौता और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे कि परिवहन सेवाएँ, डाक सेवाएँ, टेलीफोन सेवाएँ आदि के विवादों का समझौता प्रदान किया जा सके। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अनुसार प्रत्येक राज्य प्राधिकरण को स्थायी लोक अदालत स्थापित करने का अधिकार है जो वो आवश्यकता के अनुसार काम कर सकते हैं।⁴⁶ 2022 मार्च तक, 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी स्थायी लोक अदालत सक्रिय नहीं थी।⁴⁷ 2021-22 में, उन्होंने 29,153 बैठकों के बीच 118,136 मामलों को निपटाया, जिनकी कुल समझौते की कीमत लगभग 466 करोड़ (4.66 अरब) थी।⁴⁸ यह 2018-19 से वृद्धि है, जब लोक अदालतों ने 26,615 बैठकों के बीच 102,625 मामलों को निपटाया किया।⁴⁹ केवल 7 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 50 प्रतिशत से अधिक मामले को निबटारा(Disposal) जिसमें गुजरात ने प्राप्त सभी मामलों में निबटारा किया।⁵⁰ महाराष्ट्र द्वारा मुकदमे सुलझाने की दर 2019-20 में 83 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 36 प्रतिशत हो गई। केरल ने केवल 4 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश ने 8 प्रतिशत और बिहार ने मात्र 11 प्रतिशत मुकदमों का निबटारा किया।

प्री लिटिगेशन मामले

राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा निबटारे प्री लिटिगेशन मामले: जिस प्रकार लोक अदालतें प्री लिटिगेशन मामलों को निबटाती हैं हैं, वह न्यायिक कार्य प्रणाली के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण होता है। हालांकि यह प्रक्रिया आलोचना से मुक्त नहीं है, लेकिन यह लंबित मामलों में एक बड़े बोझ तले न्यायिक प्रणाली और मुकदमा करने वालों को कुछ राहत प्रदान करता है। प्री लिटिगेशन मामलों का निबटारा किए जाने वाले प्रतिशत और कुल मामलों का निबटारा और संज्ञान में लिए गए कुल मामलों की संख्या महत्वपूर्ण माप है।⁵¹

38 हिरासत में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए NALSA की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), 2016। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/guidelines/standard-operating-procedure-for-hiraasat-men-rakhe-gaye-vyaktiyon-ka-pratinidhitva>। NALSA ने 2022 में इस योजना को संशोधित किया है और प्रत्येक जिले में डीएलएसए को प्रत्येक परिसर के भीतर एक जेल कानूनी सहायता क्लिनिक (पीएलएसी) स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। NALSA (कानूनी सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011 और हिरासत में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए एसओपी, 2016।

39 हिरासत में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए NALSA की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), 2016।

40 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

41 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

42 अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल।

43 कुछ मामलों में, जेलों से अधिक न्यायिक जिलों में सेवा प्रदान करती हैं। ऐसे मामलों में, प्रत्येक डीएलएसए उसी जेल में एक क्लिनिक स्थापित करता है।

44 धारा 10, NALSA लोक अदालत विनियम, 2009। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/regulations/national-legal-services-authority-loc-adalat-regulations-2009>

45 कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 बी-22 ई: 'राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर स्थायी लोक अदालतें स्थापित करेगा और ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा जो एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए हैं और ऐसे क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

46 कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/the-legal-services-authorities-act-1987>

47 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, डीएनएच और डीडी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल।

48 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक स्थायी लोक अदालतों पर NALSA सांख्यिकी, यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/statistics/permanent-loc-adalat-april-2021-to-march-2022>

49 अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक स्थायी लोक अदालतों पर NALSA सांख्यिकी। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/statistics/permanent-loc-adalat-april-2018-to-march-2019>

50 छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब।

51 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2019, op. cit., p. 86.

चित्र 34: लोक अदालतों का प्रदर्शन

निम्नलिखित तालिका राष्ट्रीय लोक अदालतों और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित प्री लिटिगेशन मामलों की राज्य-वार संख्या दर्शाती है।

	राष्ट्रीय लोक अदालतें (2021-22)		एसएलएसए लोक अदालतें (2021-22)			कुल एल. ए.: मुकदमे से पहले के मामलों का निपटारा (%) ¹	एस. एल. एस. ए. एल. ए.: उठाए गए मामलों में पूर्व- मुकदमा (%) ²
	मुकदमे से पहले के मामले उठाए गए	मुकदमे से पहले के मामलों का निपटारा	मुकदमे से पहले के मामले उठाए गए	मुकदमे से पहले के मामलों का निपटारा	कुल मामला: लिया गया बड़े और मध्यम आकार के राज्य		
बड़े और मध्यम आकार के राज्य							
आंध्र प्रदेश	100,828	63,271	7,395	1,657	19,558	25.1	8.5
बिहार	1,619,511	173,734	1,241	6	1,260	74.0	0.5
छत्तीसगढ़	481,462	256,225	10	10	1,511	70.7	0.7
गुजरात	684,495	92,563	19,456	255	50,840	9.1	0.5
हरियाणा	115,349	45,945	0	0	183,542	13.1	0.0
झारखंड	540,222	366,866	20,741	19,289	25,336	78.9	76.1
कर्नाटक	286,268	108,199	175	23	5,221	6.6	0.4
केरल	120,363	25,422	27,738	4,858	184,575	16.8	2.6
मध्य प्रदेश	1,970,848	343,195	3,925	47	17,282	71.7	0.3
महाराष्ट्र	18,072,798	3,908,090	15	1	45	93.2	2.2
ओडिशा	257,100	10,733	0	0	1,770	22.0	0.0
पंजाब	219,112	25,264	374	18	6,294	11.4	0.3
राजस्थान	654,802	146,809	985	84	17,182	29.7	0.5
तमिलनाडु	127,932	31,159	57,398	7,517	76,747	11.9	9.8
तेलंगाना	102,418	95,270	2,803	1,605	9,043	14.0	17.7
उत्तर प्रदेश	11,842,568	6,571,895	46,978	24,010	65,708	74.6	36.5
उत्तराखंड	27,511	5,927	12	12	19,190	15.8	0.1
पश्चिम बंगाल	164,907	33,245	58,340	42,179	93,743	20.6	45.0
छोटे राज्य							
अरुणाचल प्रदेश	6,775	531	211	91	211	44.8	43.1
गोवा	4,506	264	312	47	1,857	5.4	2.5
हिमाचल प्रदेश	63,405	22,047	0	0	73,822	29.3	0.0
मेघालय	3,445	628	316	34	619	57.0	5.5
मिजोरम	6,976	1,589	464	169	551	88.4	30.7
सिक्किम	172	109	1,157	492	1,590	75.4	30.9
त्रिपुरा	11,367	1,690	7,908	1,280	29,317	21.7	4.4
केंद्र शासित प्रदेश							
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,490	404	0	0	35,117	8.8	0.0
चंडीगढ़	25,846	145	681	37	0	1.0	4.5
डी. एन. एच. और डी. डी.	1,784	82	0	0	0	20.4	0.0
दिल्ली	104,453	87,776	9,127	8,769	0	22.8	5.9
जम्मू और कश्मीर	147,288	109,019	999	547	822	45.2	10.5
लद्दाख	674	478	1	0	0	25.8	0.0
लक्षद्वीप	106	59	0	0	149,500	92.2	0.0
पुडुचेरी	4,200	184	4,512	190	5,191	5.6	4.0
क्रमहीन राज्य							
असम	391,148	34,920	2,033	1,051	43	47.9	3.0
मणिपुर	1,280	940	0	0	0	88.3	0.0
नागालैंड	3,144	1,098	0	0	4,728	92.3	0.0
अखिल भारतीय	38,166,553	12,565,775	275,307	114,278	1,082,215	60.0	10.6

टिप्पणी: 1. एन. एल. ए. + एस. एल. एस. ए. एल. ए.: निपटारे गए मामलों में मुकदमे से पहले के मामलों का हिस्सा। 2. एस. एल. एस. ए. एल. ए.: मुकदमे से पहले के मामलों का निपटारा कुल मामलों के % के रूप में किया गया। स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एन. ए. एल. एस. ए.)

अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक आयोजित पांच राष्ट्रीय लोक अदालतों ने 2.06 करोड़ (20,583,396) मामलों का निबटारा किया, जिनमें 1.26 करोड़ (12,565,775) प्री लिटिगेशन मामले थे, जिनकी कुल कीमत 7,322 करोड़ थी। यह 2018-19 से वृद्धि है, जब इतने ही राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन हुआ था और कुल 0.59 करोड़ (5,908,612) की कीमत के मामलों का निबटारा हुआ था, जिनमें 0.33 करोड़ (3,294,463) प्री लिटिगेशन मामले थे। उत्तर प्रदेश (65.7 लाख मामले) ने सबसे अधिक प्री लिटिगेशन मामलों का निबटारा किया जिसके बाद महाराष्ट्र (39.1 लाख) और झारखंड (3.7 लाख) आते हैं। प्री लिटिगेशन मामलों की संख्या के साथ तुलना करने पर, 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल मामलों में से 50 प्रतिशत से अधिक मामलों का निबटारा किया।⁵² तेलंगाना (93 प्रतिशत) ने सारे राज्यों में सर्वाधिक मामलों का निबटारा किया, जबकि उड़ीसा (4 प्रतिशत) और गोवा (6 प्रतिशत) ने सबसे कम मामलों में निबटारा किया। सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने प्री लिटिगेशन मामले के स्तर पर प्राप्त किए गए मामलों में 10 प्रतिशत से कम मामलों का निबटारा किया।⁵³

राज्यों द्वारा आयोजित लोक अदालतों द्वारा उठाए गए प्री लिटिगेशन मामले: 2021-22 के दौरान एसएलएसए (SLSAs) के द्वारा आयोजित 74,480 लोक अदालतों में, हरियाणा (54,762) ने सबसे अधिक आयोजित किया, और उसके बाद गुजरात (5,157) तालिका में दूसरे पायदान पर आया। राष्ट्रीय रूप में, इन लोक अदालतों ने कुल 10 लाख मामलों का संज्ञान लिया, जिनमें वे केवल 11 प्रतिशत का प्री लिटिगेशन स्तर पर निबटारा किया गया। झारखंड उल्लेखनीय अपवाद है क्योंकि यह एकमात्र राज्य है जिसने प्राप्त हुए मामलों में से 50 प्रतिशत प्री लिटिगेशन मामलों को निपटाया। अधिकांश राज्यों ने प्री लिटिगेशन स्तर पर प्राप्त किए गए मामलों के साथ 10 प्रतिशत से कम मामलों को निपटाया और 4 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश—हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, लद्दाख और उड़ीसा—ने कोई मामला नहीं निपटाया।

राष्ट्रीय और राज्य लोक अदालतों द्वारा उठाए गए प्री लिटिगेशन मामले: सभी राष्ट्रीय लोक अदालतों और एसएलएसए द्वारा आयोजित लोक अदालतों को मिलकरा प्री लिटिगेशन स्तर पर 1.27 करोड़ मामलों का निबटारा किया। राष्ट्रीय स्तर पर 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों⁵⁴ ने 50 प्रतिशत से अधिक मामलों का प्री लिटिगेशन स्तर पर निबटारा किया जबकि 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 10 प्रतिशत से कम मामलों को निपटाया।⁵⁵ महाराष्ट्र (93 प्रतिशत) में प्री लिटिगेशन स्तर पर सबसे अधिक मामलों का निबटारा हुआ था, जिसके बाद झारखंड में 79 प्रतिशत था। सबसे कम स्थान पर कर्नाटक है जिसमें निबटारे की दर मात्र 6.6 प्रतिशत था और उसके बाद गुजरात (9.1 प्रतिशत) की दर आती है। छोटे राज्यों में, मिजोरम (88 प्रतिशत) ने सबसे अधिक प्री लिटिगेशन मामलों को निबटारा जबकि गोवा (5 प्रतिशत) सबसे पीछे रहा।

पीड़ित प्रतिकार योजना (विक्टिम कंपनसेशन स्कीम) - कानूनी सहायता प्रणाली की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक पीड़ित प्रतिकार योजना है, जो उन पीड़ितों या निर्भरों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्होंने किसी अपराध के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान या चोट से कष्ट उठाया है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। हालांकि व्यापक दिशा-निर्देश होते हुए भी, विभिन्न पीड़ित प्रतिकार योजनाओं को ढंग से लागू नहीं किया गया। 2016-17 से 2021-22 तक, राज्यीय कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरणों ने कुल मिलाकर 97,037 आवेदन प्राप्त किए जिनमें कंपेंसेशन की मांग की गई थी। इनमें से, सभी राज्यों को मिला कर, केवल 64,333 (66 प्रतिशत) आवेदनों का निबटारा किया गया।

2021-22 में, दिल्ली (2,421), छत्तीसगढ़ (2,195), ओडिशा (1,898), राजस्थान (1,517) और गुजरात (1,188) को सबसे अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। कुल 8,363 आवेदनों का निर्णय लिया गया था, जिनमें 123 करोड़ रुपये (1.23 अरब) की राशि का वितरण किया गया। इन राज्यों ने सभी प्राप्त किए गए कंपेंसेशन का 55 प्रतिशत का योगदान दिया। राष्ट्रीय रूप से, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल 15,173 आवेदनों पर लगभग 222 करोड़ रुपये (2.22 अरब) का कंपनसेशन प्रदान किया। बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड ने सबसे कम कंपेंसेशन प्रदान किया। आंध्र प्रदेश ने 62 मामलों पर 86.4 लाख रुपये प्रदान किए, जबकि तेलंगाना ने 69 मामलों पर 87.7 लाख रुपये और उत्तराखंड ने 46 आवेदनों पर 1.05 करोड़ रुपये प्रदान किए। कंपेंसेशन राशि को अदालत द्वारा तय किया जाता है जिसमें अपराध की गंभीरता और पीड़ित की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि जैसे कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

राष्ट्रीय रूप से, गोवा ने सबसे कम मात्रा में कंपेंसेशन प्रदान किया जहां केवल 2,50,000 रुपये 34 आवेदनों के तहत प्रदान किए गये।

पूरे देश में, कानूनी सेवा संस्थानों द्वारा 89 प्रतिशत मामले निर्णीत किए गए थे। बारह राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों⁵⁶ ने प्राप्त मामलों के केवल 60 प्रतिशत से कम मामलों का निबटारा किया। अरुणाचल प्रदेश ने केवल 10 प्रतिशत और केरल ने 25 प्रतिशत मामलों का निबटारा किया। छोटे राज्यों में, मिजोरम ने सबसे कम केंसों (5 प्रतिशत) का निबटारा किया और सिक्किम ने उन सभी मामलों का समाधान किया जो उन्हें मिले।

इसके अलावा, डेटा से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि मुआवजा⁵⁷ को पुनर्प्राप्ति का एक तरीका के रूप में जानने में आम जानता की जागरूकता की कमी है। 2018 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को नालसा के मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया था

52 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।

53 असम, अरुणाचल प्रदेश, डीएनएच और डीडी, चंडीगढ़, गोवा, पुडुचेरी और ओडिशा।

54 बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश।

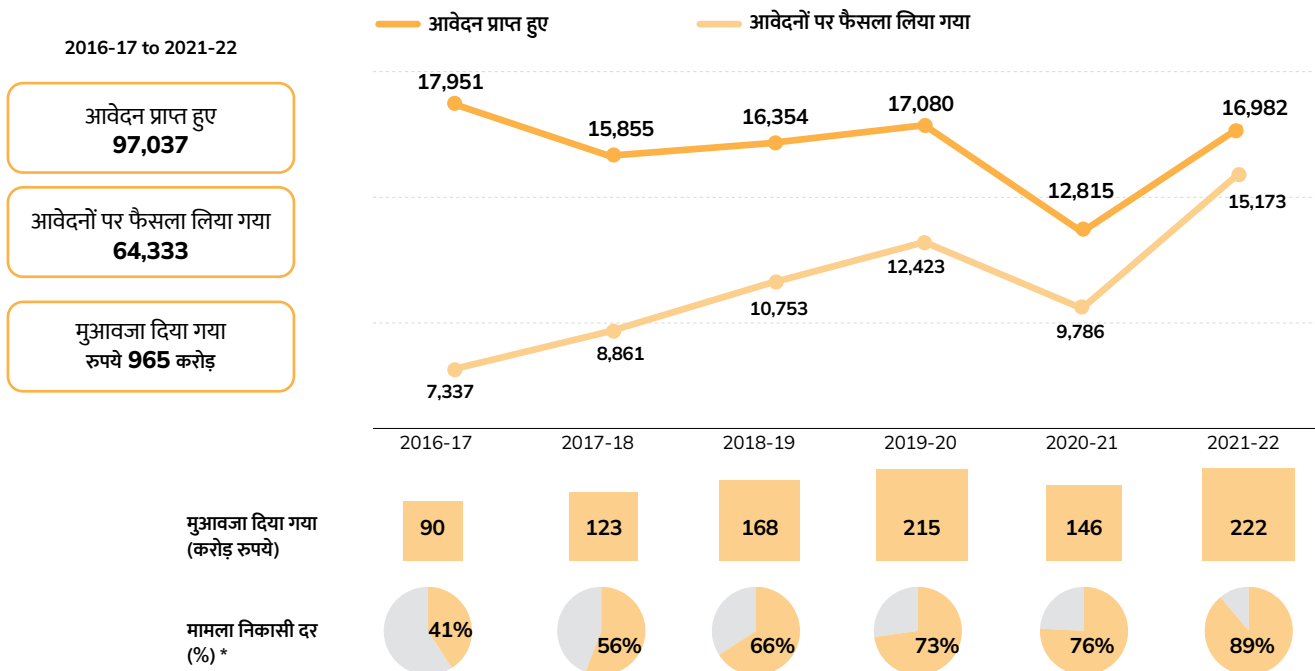
55 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और पुडुचेरी।

56 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और उत्तराखंड।

57 निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ (डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 565/2012) में आदेश दिनांक 11 मई 2018। यहां उपलब्ध है: <https://indiankanoon.org/doc/134824430/>

चित्र 35: पीड़ित मुआवजा

व्यापक दिशानिर्देशों के बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर, विभिन्न पीड़ित मुआवजा योजनाओं का कार्यान्वयन घटिया बना हुआ है।



* प्राप्त होने वाले प्रत्येक 100 आवेदनों पर निर्णय लिया जाता है। स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)

जिसमें विशेष रूप से यौन शोषण के पीड़ितों को हक देने की बात की गई थी। हालांकि, 2021 में पूरे देश में दर्ज 121,161 यौन शोषण के मामले की तुलना में 2020-21 में मुआवजा के लिए प्राप्त किए गए आवेदनों (12,815) की संख्या कुल मामलों का केवल 10.5 प्रतिशत थी।

पांच वर्षों के अवलोकन में (2016-17 से 2021-22 तक), अदालतों

द्वारा प्राप्त मामलों की संख्या और कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त संख्या को अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर 20,000 तक पहुँचने की आवश्यकता थी। 2016 से, राष्ट्रीय स्तर पर कुल 97,037 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें केवल 66 प्रतिशत (64,333) का निर्णय लिया गया था। सभी आवेदन जिनका 'निर्णय' लिया गया है, उनमें आवश्यक रूप से मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है।

कानूनी सहायता रक्षा प्राधिकरण प्रणाली

80 प्रतिशत आबादी, जो इसके हकदार हैं, के लिए स्वतंत्र और गुणवत्तापूर्ण प्रतिनिधित्व की पहुंच में सुधार और विस्तार करने की आवश्यकता ने आपराधिक मामलों में नए और अधिक जवाबदेह कुशल कानूनी प्रतिनिधित्व खोजने के लिए प्रणाली को प्रोत्साहित किया है।

2019 में, नालसा ने 13 जिलों में कानूनी सहायता रक्षा प्राधिकरण योजना (Legal Aid Defence Counsel Scheme) का प्रारंभ किया। इसमें क्रिमिनल मामलों में पूर्व-गिरफ्तारी से लेकर अपील के स्तर तक सत्र, विशेष और मैजिस्ट्रेट कोर्टों में कानूनी

प्रतिनिधित्व, सलाह और संदर्भ प्रदान करने के लिए पूर्णकालिक वकीलों की भर्ती की गई है। नालसा का सुझाव है कि प्रत्येक ऐसी इकाई में अधिकतम 14 वकील और 5 सहायक कर्मचारी होने चाहिए। यह इकाई डीएलएसए के परिसर से काम करेगी और इसे प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक समिति द्वारा चयनित किया जाएगा, जिसमें जुरम के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन किया जाएगा।

2022 के जुलाई में, यह परियोजना 350 जिलों तक विस्तारित की गई। वर्तमान में अविकसित होने के बावजूद, इसका मूल्य तभी पता चलेगा जब इसको नागरिकों द्वारा इस्तेमाल करे जाने का विस्तार होगा और सलाहकार और नागरिक दोनों की संतुष्टि का मूल्यांकन किया जाएगा।

58 यौन उत्पीड़न के मामलों में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376ए-ई (बलात्कार) और धारा 354ए-डी (शील भंग करने के इरादे से हमला) के तहत दर्ज मामले शामिल हैं। डेटा यहां से लिया गया है भारत में अपराध, 2021। यहां उपलब्ध है: <https://ncrb.gov.in/en/Crime-in-India-2021>

59 एल. ए. डी. सी. को 17वां अखिल भारतीय बैठक, 2019 में अपनाया गया। एनएएलएसए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श योजना, 2022। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/guidelines/legal-aid-defence-counsel-system-2>

अनावश्यक पूर्व-न्यायिक निर्वासन

नितदिन बढ़ते हुए जेल में कैदियों की जनसंख्या के संबंध में चिंतित होकर, 2013 में उच्चतम न्यायालय 'In Re-Inhuman Conditions in 1382 Prisons'⁶⁰ के तहत, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा), गृह मंत्रालय और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) को अंडरट्रायल समीक्षा समितियों (यूटीआरसी) की स्थापना करने के लिए निर्देश दिए थे। जिला स्तरीय समिति को आवश्यकता अनुसार सभी कैदियों के मामलों की समय-समय पर समीक्षा करने का कार्य भी सौंपा था। इसके अलावा उन्हें यह ताकत भी दी गई थी कि वह पात्र कैदियों को रिहा करने की सिफारिश भी कर सकती थी।

जिला और सत्र न्यायाधीश यूटीआरसी का प्रमुख होते हैं और उसका सम्मेलन करते हैं। इस यूटीआरसी में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जेलों के अधिकारी-इन-चार्ज और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा योग्य कैदियों की सूची तैयार की जाती है, जो कारागार प्राधिकरण द्वारा साझा की गई होती है।⁶¹

पहले, यूटीआरसी को हर चौथाई साल⁶² में मिलने की जिम्मेदारी दी गई थी और इसका क्षेत्राधिकार धारा 436-ए सीआरपीसी⁶³ के तहत आने वाले मामलों और जमानत देने में असमर्थ कैदियों के मामलों की समीक्षा करने के तहत सीमित था। बाद में, इसमें कैदियों की 14 श्रेणियों को शामिल किया गया।⁶⁴ मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत में, भरे हुए जेलों को खाली करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने दिशा-निर्देश दिए कि यूटीआरसी हर हफ्ते एक बार मिलें।⁶⁵

नालसा के डेटा से पता चलता है कि जनवरी से दिसंबर 2021 तक, पूरे देश में 665 डीएलसीए के द्वारा कुल 10,028 यूटीआरसी की बैठकें बुलाई गईं। 26 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश⁶⁶ में वे कम से कम एक चौथाई में एक बार मिले। केवल सिक्किम ने एक चौथाई में 13 बैठकें बुलाई, जो हर हफ्ते बैठक करते थे, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश (12 बैठकें) की बैठकें की संख्या थी। हालांकि दादरा और

नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप और मिजोरम ने पूरे वर्ष भर में एक भी बैठक नहीं बुलाई।

सिक्किम, जिसमें 452 कैदी⁶⁷ थे, सबसे अधिक बैठकें आयोजित की जिसमें केवल 2 कैदियों के लिए रिहाई की सिफारिश की, जिसमें से केवल एक को रिहा किया गया था। राष्ट्रीय रूप में, 42,486 कैदियों की रिहाई की सिफारिश की गई थी, लेकिन केवल 16,743 यानी 39% वास्तविक रूप में रिहा किए गए थे। गोवा और जम्मू और कश्मीर ने उन सभी को रिहा किया जिनकी रिहाई की सिफारिश की गई थी। तेरह राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश⁶⁸ ने 50% से अधिक को रिहा किया जबकि पांच⁶⁹ ने 20% से कम को रिहा किया।

नालसा के राष्ट्रव्यापी अभियान में यूटीआरसी के तहत रिहाई के पात्र कैदियों की पहचान जुलाई और अगस्त 2022 के बीच हुई। इस अभियान में नामित हुए 47,618 कैदियों की सिफारिश की गई थी, जिनमें से 24,789 कैदियों को रिहा किया गया था। इस अभियान के माध्यम से पूरे देश में विचाराधीन कैदियों के कुल 5.8% को रिहा किया गया जिससे देश की जेलों में कुल अधिभोग दर (Occupancy Rate) 5.7 प्रतिशत बिंदु की कमी हुई (130% से 124.3% तक)। उत्तर प्रदेश (8,409) ने सबसे अधिक और उसके बाद पश्चिम बंगाल (2,107), महाराष्ट्र (1,717) और पंजाब (1,531) ने सबसे अधिक कैदियों को रिहा किया।

यदि देखा जाए तो कुल भारतीय जेलों में कैदियों की जनसंख्या का 77% विचाराधीन कैदियों की होती है, यूटीआरसी एक मूल्यवान तंत्र है जिसका उद्देश्य जेलों में कैदियों की जनसंख्या को कम करने की दिशा में होता है। इसके अलावा, 2016 के उच्चतम न्यायालय के आदेश ने उन्हें "2016 मॉडल प्रिजन मैनुअल में उठाई गई मुद्दों को सम्बोधित करने के साथ-साथ नियमित जेल दौरों" के साथ निर्देशित किया है। इससे यह एक प्रभावशाली जिला स्तर का संस्थान बन गया है जिसके द्वारा जेल प्रबंधन, स्थितियाँ और कैदियों की न्याय तक पहुंच को सुधारा जा सकता है।

प्रो. विजय राघवन, टीआईएसएस-प्रयास;
नूपुर, सामाजिक न्याय केंद्र;
मधुरिमा धानुका, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल;
नयनिका सिंघल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट;
लखविंदर कौर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

60 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियाँ (डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या 406/2013)

61 विचाराधीन कैदियों की समीक्षा समितियों के लिए NALSA की मानक संचालन प्रक्रिया। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/guidelines/standard-operating-procedure-sop-guidelines-for-utrcs>

62 उच्चतम न्यायालय ने 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियों (डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या 406/2013) में 5 फरवरी 2016 के आदेश के तहत यूटीआरसी को हर तिमाही में कम से कम एक बार मिलने का निर्देश दिया।

63 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436-ए अधिकतम अवधि प्रदान करती है जिसके लिए एक विचाराधीन व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। इसमें प्रावधान है कि जहां किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे हिस्से तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया है, तो उसे अदालत द्वारा प्रतिभू के साथ या उसके बिना उसके व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जाएगा।

64 उच्चतम न्यायालय ने 1382 जेलों में अमानवीय परिस्थितियों में 6 मई 2016 के आदेश के तहत (डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या 406/2013) कैदियों की 14 श्रेणियों को शामिल करने के लिए यूटीआरसी के दायरे को बढ़ाया, ताकि शीघ्र रिहाई पर विचार किया जाए।

65 23 मार्च 2020 को उच्चतम न्यायालय ने पुनः कहा: जेलों में कोविड-19 वायरस का संक्रमण (सुओ मोटू रिट याचिका (सिविल) संख्या 1/2020) सभी केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़भाड़ कम करने के लिए नई स्थापित उच्चाधिकार प्राप्त समितियों और स्थानीय कानूनी सेवा संस्थानों के साथ मिलकर साप्ताहिक बैठक करने का निर्देश दिया गया था।

66 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

67 भारतीय जेल सांख्यिकी, 2020. पी. 45. यहां उपलब्ध है: https://ncrb.gov.in/sites/default/files/PSI_2020_as_on_27-12-2021_0.pdf

68 असम, बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

69 छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।

70 NALSA's release UTRC@75, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में UTRCs द्वारा कैदियों की रिहाई के लिए एक अभियान। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/library/report-2/a-bharat-ke-75-ve-svatantrata-divas-ko-manane-ke-liye-vicharaadhin-sameeksha-samitiyo-dwara-kaidiyon-ki-rihaai-ke-liye-abhiyan-rihaai-yutiarsai-75>

71 NALSA की रिपोर्ट रिकॉर्ड करती है कि अभियान की अवधि (16 जुलाई-13 अगस्त 2022) के दौरान 14,162 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था और सितंबर 2022 में रिपोर्ट जारी होने तक 16 जुलाई के बीच 24,789 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था।

72 इस आंकड़े की गणना 31 दिसंबर 2021 तक जेल सांख्यिकी भारत द्वारा दर्ज की गई जेल अधिभोग दरों के आधार पर की गई है।

चित्र 36: विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियों का प्रदर्शन

यूटीआरसी जिला-स्तरीय समितियां हैं जो समय-समय पर सभी कैदियों के मामलों की समीक्षा करती हैं और रिहाई के लिए पात्र कैदियों की सिफारिश करती हैं। निम्नलिखित आंकड़ा जनवरी और दिसंबर 2021 के बीच यूटीआरसी के प्रदर्शन को दर्शाता है।

बड़े और मध्यम आकार के राज्य	विचाराधीन कैदियों की संख्या (दिसंबर 2020)	जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक यू. टी. आर. सी. द्वारा रिहा करने के लिए अनुशंसित विचाराधीन कैदियों की संख्या	यू. टी. आर. सी. की सिफारिश पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों की संख्या	जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक यू. टी. आर. सी. द्वारा रिहा करने के लिए अनुशंसित विचाराधीन कैदियों का हिस्सा	यू. टी. आर. सी. की सिफारिश पर विचाराधीन कैदियों का हिस्सा जारी किया गया	
आंध्र प्रदेश	5,001	1,323	428	26.5	8.6	
बिहार	44,187	865	480	2.0	1.1	
छत्तीसगढ़	11,963	501	68	4.2	0.6	
गुजरात	10,195	602	177	5.9	1.7	
हरियाणा	14,951	334	83	2.2	0.6	
झारखंड	17,103	481	283	2.8	1.7	
कर्नाटक	10,577	719	562	6.8	5.3	
केरल	3,569	207	6	5.8	0.2	
मध्य प्रदेश	31,712	2,606	449	8.2	1.4	
महाराष्ट्र	26,171	9,958	1,466	38.0	5.6	
ओडिशा	15,619	3,865	1,936	24.7	12.4	
पंजाब	15,643	1,206	658	7.7	4.2	
राजस्थान	16,930	4,517	1,276	26.7	7.5	
तमिलनाडु	8,709	2,012	1,566	23.1	18.0	
तेलंगाना	3,946	125	56	3.2	1.4	
उत्तर प्रदेश	80,557	2,411	1,354	3.0	1.7	
उत्तराखंड	3,906	2,458	1,541	62.9	39.5	
पश्चिम बंगाल	20,144	1,985	933	9.9	4.6	
छोटे राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	127	214	90	168.5	70.9	
गोवा	419	47	47	11.2	11.2	
हिमाचल प्रदेश	1,574	40	2	2.5	0.1	
मेघालय	821	306	143	37.3	17.4	
मिजोरम	609	0	0	0.0	0.0	
सिक्किम	328	2	1	0.6	0.3	
त्रिपुरा	472	242	160	51.3	33.9	
केंद्र शासित प्रदेश						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	194	0	0	0.0	0.0	
चंडीगढ़	619	0	0	0.0	0.0	
डी. एन. एच. और डी. डी.	138	0	0	0.0	0.0	
दिल्ली	14,506	1,964	906	13.5	6.2	
जम्मू और कश्मीर	3,717	15	15	0.4	0.4	
लद्दाख	21	0	0	0.0	0.0	
लक्षद्वीप	2	0	0	0.0	0.0	
पुडुचेरी	156	0	0	0.0	0.0	
क्रमहीन राज्य						
असम	6,495	3,314	1,970	51.0	30.3	
मणिपुर	506	79	18	15.6	3.6	
नागालैंड	261	88	69	33.7	26.4	

विचाराधीन समीक्षा समितियों पर एन. ए. एल. एस. ए. की एस. ओ. पी. में विचाराधीन और दोषी दोनों को रिहाई की सिफारिश के लिए अपनी पात्रता और मानदंडों में शामिल किया गया है। कुछ राज्यों में रिहाई के लिए अनुशंसित और रिहा किए गए दोषियों की संख्या शामिल हो सकती है। यहाँ उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/acts-rules/guidelines/standard-operating-procedure-sop-guidelines-for-utrcs>
 स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)

तालिका 6: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

● क्लस्टर में सबसे अच्छा ● क्लस्टर में सबसे खराब		समूह में श्रेणी			आईजेआर 3 अंक (10 में से)	संकेतकों में सुधार (12 में से) ¹	थीम > संकेतक > स्कोरिंग गाइड >	बजट	
		आईजेआर 1 2019	आईजेआर 2 2020	आईजेआर 3 2022				कानूनी सहायता बजट में राज्य का हिस्सा (% 2021-22)	राज्य कानूनी सहायता बजट का उपयोग किया गया (% 2020-21)
								जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर
राष्ट्रीय औसत								83.6	72
बड़े और मध्यम आकार के राज्य									
आंध्र प्रदेश	10	14	13	5.27		5	83.6	99.93	
बिहार	16	2	16	4.41		6	80.6	70	
छत्तीसगढ़	8	15	11	5.33		10	85.0	54	
गुजरात	6	9	3	6.10		8	88.5	93	
हरियाणा	2	5	4	6.02		6	83.1	78	
झारखंड	14	4	1	6.31		9	63.8	51	
कर्नाटक	7	16	2	6.13		10	76.7	99.97 ●	
केरल	1	7	6	5.85		6	78.3	69	
मध्य प्रदेश	9	12	14	5.01		7	91.9	94	
महाराष्ट्र	5	1	7	5.73		7	77.6	83	
ओडिशा	15	8	10	5.44		9	87.8	81	
पंजाब	3	3	9	5.59		7	76.5	96	
राजस्थान	11	13	17	4.36		7	85.0	99	
तमिलनाडु	12	11	12	5.32		9	84.0	57	
तेलंगाना	4	6	5	5.92		4	84.3	86	
उत्तर प्रदेश	18	18	18	3.24		9	96.1 ●	35 ●	
उत्तराखंड	17	10	8	5.63		8	77.9	72	
पश्चिम बंगाल	13	17	15	4.88		7	62.6 ●	89	
छोटे राज्य									
अरुणाचल प्रदेश	7	7	7	3.10		6	NA ²	NA ²	
गोवा	1	1	2	4.41		5	95.7 ●	81	
हिमाचल प्रदेश	3	6	5	3.62		9	71.8	99 ●	
मेघालय	6	5	3	4.15		8	78.7	49 ●	
मिजोरम	2	4	6	3.33		3	69.7 ●	92	
सिक्किम	4	3	1	4.96		7	92.3	75	
त्रिपुरा	5	2	4	3.70		3	69.9	96	
रैंक रहित राज्य									
असम	Not ranked					7	73.8	65	
मणिपुर	Not ranked					3	80.2	57	
नागालैंड	Not ranked					6	35.6	76	
केंद्र शासित प्रदेश									
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	Not ranked					2	NA ²	NA ²	
चंडीगढ़	Not ranked					6	49.5	38	
दमन और दीव	Not ranked					NA	NA ²	NA ²	
दिल्ली	Not ranked					9	77.0	80	
जम्मू और कश्मीर	Not ranked					NA	77.0	71	
लद्दाख	Not ranked					NA	69.8	0	
लक्षद्वीप	Not ranked					4	100.0	0	
पुडुचेरी	Not ranked					4	89.5	93	

आंकड़ों के स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एन. ए. एल. एस. ए.); प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना 2011; जेल सांख्यिकी भारत (पी. एस. आई.); राष्ट्रीय अपराध आयोग ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.); राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। संक्षेप: डी. एल. एस. ए.: जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण; एल. ए.: लोक अदालत; पी. एल. ए.: स्थायी लोक अदालत; पी. एल. वी.: अर्ध-कानूनी स्वयंसेवक; एस. एल. एस. ए.: राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. आर. 3 में एन. ई. डब्ल्यू. संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपी: प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए: उपलब्ध नहीं है। vi. सीवाई: कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष वित्तीय वर्ष।

1. संकेतकों की गिनती जिन पर आई. जे. आर. 2 की तुलना में एस. टी. ई. में सुधार हुआ है। आई. जे. आर. 2 और आई. जे. आर. 3 दोनों में मौजूद केवल गैर-टी. आर. अंत संकेतकों पर विचार किया गया है। बेंचमार्क वाले संकेतकों के लिए, यदि कोई राज्य बेंचमार्क को पूरा करता है, तो इसे सुधार के रूप में चिह्नित किया जाता है, भले ही बेंचमार्क के भीतर इसके मूल्य में गिरावट आई हो। यदि कोई राज्य बेंचमार्क को पूरा नहीं करता है, लेकिन इसके मूल्य में सुधार होता है, तो इसे सुधार के रूप में चिह्नित किया जाता है। डी एंड एन एच/डी एंड डी, जे एंड के और लद्दाख मूल्य आईजेआर 2 के साथ तुलनीय नहीं हैं, और इसलिए उन पर विचार नहीं किया गया है। 2. राज्य कानूनी सहायता बजट के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है।

तालिका 6: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	बजट		मानव संसाधन		विविधता		बुनियादी ढांचा
	नालसा निधि का उपयोग (%), 2021-22) ^{3,4}	डी. एल. एस. ए. सचिव रिक्ति (%), मार्च 2022)	पी. एल. वी. प्रति लाख जनसंख्या (संख्या, जून 2022)	डी. एल. एस. ए. के% के रूप में स्वीकृत सचिव (%), मार्च 2022)	पैनल वकीलों में महिलाओं की हिस्सेदारी (%), जून 2022)	महिला पी. एल. वी. (%), जून 2022)	राज्य न्यायिक जिलों के% के रूप में डी. एल. एस. ए. (%), मार्च 2022)
	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	Lower, the better	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर
राष्ट्रीय औसत	75.8	11.6	3.3	89	24.7	40.3	104
बड़े और मध्यम आकार के राज्य							
आंध्र प्रदेश	50.2	0.0 ●	3.5	100	16.1	38.0	100
बिहार	61.3	0.0 ●	3.6	100	18.6	26.6	100
छत्तीसगढ़	75.1	0.0 ●	4.9	100	14.9	40.6	100
गुजरात	77.2	12.5	4.0	100	24.4	43.5	100
हरियाणा	81.7	0.0 ●	4.4	100	21.5	41.4	100
झारखंड	99.9 ●	0.0 ●	4.7	100	15.6	32.9	100
कर्नाटक	68.5	0.0 ●	6.3 ●	100	38.8	58.4	100
केरल	70.0	0.0 ●	4.9	100	42.4 ●	62.6 ●	100
मध्य प्रदेश	64.5	31.4 ●	2.9	102 ●	15.1	35.6	100
महाराष्ट्र	86.7	0.0 ●	2.8	100	28.2	40.8	100
ओडिशा	50.0 ●	0.0 ●	6.0	100	26.1	37.6	100
पंजाब	73.9	0.0 ●	3.8	100	18.6	37.1	100
राजस्थान	75.9	0.0 ●	1.8	97	8.6 ●	27.1	100
तमिलनाडु	81.0	9.4	1.4	100	24.4	48.7	100
तेलंगाना	67.6	18.2	5.3	100	18.2	41.9	110 ●
उत्तर प्रदेश	57.8	28.2	1.2 ●	100	10.5	24.9 ●	96 ●
उत्तराखंड	73.2	0.0 ●	6.2	100	21.8	44.2	100
पश्चिम बंगाल	79.2	0.0 ●	1.3	86 ●	26.2	40.0	100
छोटे राज्य							
अरुणाचल प्रदेश	97.2	100.0 ●	110.8 ●	0 ●	22.1 ●	46.3	357
गोवा	49.0 ●	0.0 ●	3.8 ●	100 ●	45.3	59.3	100 ●
हिमाचल प्रदेश	77.2	0.0 ●	5.0	100 ●	24.9	27.2	100 ●
मेघालय	63.4	72.7	10.8	100 ●	60.4 ●	41.7	100 ●
मिजोरम	96.7	100.0 ●	7.3	0 ●	37.8	32.6	400 ●
सिक्किम	102.5 ●	100.0 ●	28.7	0 ●	44.7	76.0 ●	100 ●
त्रिपुरा	59.2	60.0	4.6	63	28.7	24.7 ●	100 ●
रैंक रहित राज्य							
असम	80.0	0.0	2.8	67	38.0	32.9	100
मणिपुर	100.0	100.0	11.7	56	42.4	44.9	100
नागालैंड	105.9	100.0	8.5	0	51.4	22.9	100
केंद्र शासित प्रदेश							
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.5	100.0	0.0	0	28.9	NA	NA ⁸
चंडीगढ़	90.0	0.0	3.1	100	26.1	47.4	NA ⁸
दमन और दीव	12.9	100.0	3.4	0	37.9	75.0	NA ⁸
दिल्ली	130.2	0.0	5.3	100	35.6	54.2	100
जम्मू और कश्मीर	81.7	40.9	4.1	110	19.1	37.9	100
लद्दाख	14.4	100.0	11.4	NA ⁵	33.3	NA	NA ⁸
लक्षद्वीप	81.6	100.0	82.4	NA ⁶	NA ⁷	75.0	NA ⁸
पुडुचेरी	37.7	100.0	25.2	0	27.9	42.6	NA ⁸

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए); प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना 2011; जेल सांख्यिकी भारत (पीएसआई), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.); राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। संक्षेप डी. एल. एस. ए.: जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण; एल. ए.: लोक अदालत; पी. एल. ए.: स्थायी लोक अदालत; पी. एल. वी.: अर्ध-कानूनी स्वयंसेवक; एस. एल. एस. ए.: राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. आर. 3 में एन. ई. डब्ल्यू. संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपी प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए: उपलब्ध नहीं है। vi. सीवाई कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष: वित्तीय वर्ष।

3. आवंटित कुल निधियों में पिछले वर्ष की बकाया राशि भी शामिल है। 4. पिछले वर्ष की बकाया राशि को शामिल करने के बाद भी, दिल्ली, नागालैंड और सिक्किम के लिए यह आंकड़ा 100% से अधिक है। 5. डी. एल. एस. ए. और स्वीकृत सचिवों दोनों के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है। 6. डेटा 0 डी. एल. एस. ए. और 0 स्वीकृत सचिवों को दर्शाता है। 7. डेटा कोई पैनल वकील नहीं दिखाता है। 8. न्यायिक जिलों के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है।

तालिका 6: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

संकेतक	थीम	बुनियादी ढांचा			काम का बोझ		
		NEW	प्रति जेल कानूनी सेवा क्लिनिक (संख्या, 2021-22)	गाँव प्रति कानूनी सेवा चिकित्सालय (संख्या, 2021-22)	पी. एल. ए. मामले प्राप्त के% के रूप में निपटारा गया (%), 2021-22)	कुल एल. ए.: मुकद-मेबाजी से पहले के मामलों का निपटारा (%), 2021-22)	एस. एल. एस. ए. एल. ए.: उठाए गए मामलों में पूर्व-मुकदमा (%), 2021-22)
		डी. एल. एस. ए. में अग्रणी कार्यालयों की उपस्थिति (%), जून 2022) ⁹					
स्कोरिंग गाइड		जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना कम, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर
राष्ट्रीय औसत		99.4	0.90	126.5	54.7	60.0	10.6
बड़े और मध्यम आकार के राज्य							
आंध्र प्रदेश		100	0.78	104.9	48.1	25.1	8.5
बिहार		100	0.61 ●	814.0	11.5	74.0	0.5
छत्तीसगढ़		109 ●	1.03	19,567.0 ●	68.4	70.7	0.7
गुजरात		100	1.81 ●	84.6	99.7 ●	9.1	0.5
हरियाणा		100	1.00	20.6	63.7	13.1	0.0 ●
झारखंड		100	0.91	2,106.6	60.2	78.9	76.1 ●
कर्नाटक		100	0.91	174.5	39.9	6.6 ●	0.4
केरल		100	0.93	2.8 ●	4.1	16.8	2.6
मध्य प्रदेश		100	0.93	153.2	35.3	71.7	0.3
महाराष्ट्र		100	0.63	178.9	36.0	93.2 ●	2.2
ओडिशा		100	0.95	301.7	33.1	22.0	0.0 ●
पंजाब		100	1.04	154.0	49.9	11.4	0.3
राजस्थान		100	0.69	475.4	23.6	29.7	0.5
तमिलनाडु		100	0.88	27.1	44.9	11.9	9.8
तेलंगाना		100	0.95	48.0	42.7	14.0	17.7
उत्तर प्रदेश		100	0.96	1,018.9	7.9	74.6	36.5
उत्तराखंड		100	0.91	90.0	21.1	15.8	0.1
पश्चिम बंगाल		100	1.20	55.3	0.0 ●	20.6	45.0
छोटे राज्य							
अरुणाचल प्रदेश		60 ●	2.50 ●	NA ¹²	0.0 ●	44.8	43.1 ●
गोवा		100	1.00	10.0	0.0 ●	5.4 ●	2.5
हिमाचल प्रदेश		100	0.75	223.5 ●	100.0 ●	29.3	0.0 ●
मेघालय		82	1.00	76.9	0.0 ●	57.0	5.5
मिजोरम		100	0.70 ●	50.3	0.0 ●	88.4 ●	30.7
सिक्किम		200 ●	1.00	35.4	0.0 ●	75.4	30.9
त्रिपुरा		100	0.92	5.5 ●	28.4	21.7	4.4
रैंक रहित राज्य							
असम		100	1.00	162.6	25.3	47.9	3.0
मणिपुर		100	0.40	64.5	0.0	88.3	0.0
नागालैंड		100	1.00	15.7	0.0	92.3	0.0
केंद्र शासित प्रदेश							
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		100	0.00	NA ¹²	0.0	8.8	0.0
चंडीगढ़		100	1.00	0.4	42.0	1.0	4.5
दमन और दीव		100	1.00	4.4	0.0	20.4	0.0
दिल्ली		109	1.13	12.9	94.7	22.8	5.9
जम्मू और कश्मीर		100	1.00	NA ¹³	0.0	45.2	10.5
लद्दाख		NA ¹⁰	0.50	NA ¹³	0.0	25.8	0.0
लक्षद्वीप		NA ¹¹	0.00	NA ¹²	0.0	92.2	0.0
पुडुचेरी		200	1.00	1.6	0.0	5.6	4.0

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए); प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना 2011; जेल सांख्यिकी भारत (पीएसआई), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.); राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। संक्षेप डी. एल. एस. ए.: जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण; एल. ए.: लोक अदालत; पी. एल. ए.: स्थायी लोक अदालत; पी. एल. वी.: अर्ध-कानूनी स्वयंसेवक; एस. एल. एस. ए.: राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण। सामान्य टिप्पणियाँ: i. वर्णानुक्रम में समूहों द्वारा व्यवस्थित राज्य। ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। iii. D & NH/D & D: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। iii. आई. जे. आर. 3 में एन. ई. डब्ल्यू. संकेतक पीले रंग में उजागर किए गए हैं। iv. पीपी प्रतिशत अंक (दो प्रतिशत के बीच का अंतर)। v. एनए: उपलब्ध नहीं है। vi. सीवाई कैलेंडर वर्ष; वित्त वर्ष: वित्तीय वर्ष।

9. लद्दाख को हटा दिया गया है। 10. जानकारी उपलब्ध नहीं है। 11. डेटा 0 डीएलएसए और 0 फ्रंट ऑफिस दिखाता है। 12. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में गाँव हैं लेकिन गाँवों में कोई कानूनी सेवा क्लिनिक नहीं है। 13. गाँवों के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है।



**राज्य मानव
अधिकार आयोग
(एस एच आर सी)**

मानचित्र 17: एसएचआरसी रैंकिंग

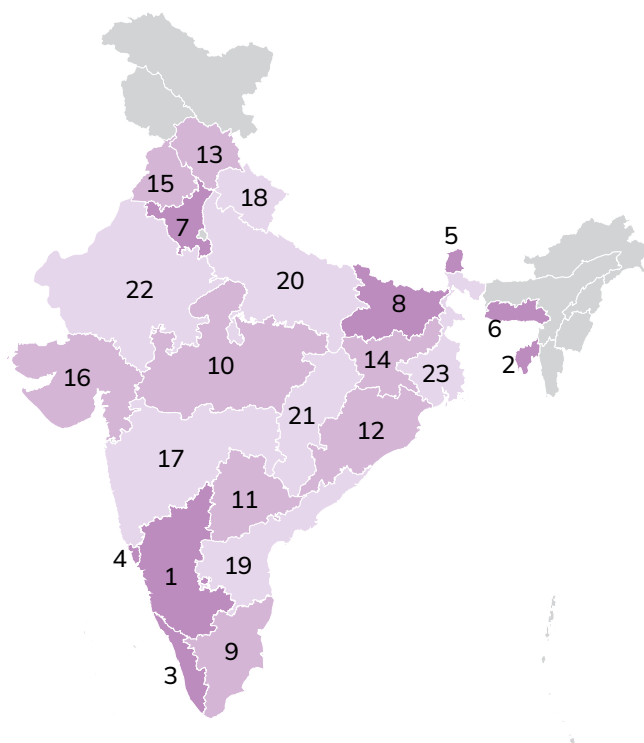
संकेतक

7

रंग गाइड

- श्रेष्ठ (रैंक 1 से 8)
- मध्य (रैंक 9 से 16)
- खराब (रैंक 17 से 23)

रैंक	राज्य	स्कोर (10 में से)
1	कर्नाटक	5.99
2	त्रिपुरा	5.83
3	केरल	5.75
4	गोवा	5.70
5	सिक्किम	5.52
6	मेघालय	5.51
7	हरयाणा	5.35
8	बिहार	5.33
9	तमिलनाडु	5.31
10	मध्यप्रदेश	5.23
11	तेलंगाना	4.89
12	ओडिशा	4.44
13	हिमाचल प्रदेश	4.40
14	झारखंड	3.79
15	पंजाब	3.64
16	गुजरात	3.43
17	महाराष्ट्र	3.39
18	उत्तराखंड	3.28
19	आंध्रप्रदेश	3.16
20	उत्तरप्रदेश	2.94
21	छत्तीसगढ़	2.46
22	राजस्थान	2.45
23	पश्चिमबंगाल	2.10



9 राज्य के मानवाधिकार आयोग 50% और अधिक सदस्यों की रिक्तियों के साथ कार्य कर रहे हैं।



केवल 6 राज्यों के कार्यकारी कर्मचारियों में महिलाएं हैं।



2020-21 में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए 105 करोड़ रुपये का बजट था।



50% एस.एच.आर.सी. के पास अधिकतम 1-5 जांच कर्मचारी हैं।



*सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) की दीर्घकालिक उपस्थिति के कारण असम और मणिपुर में आयोगों को रैंकिंग से बाहर रखा गया है।

तालिका 7: संकेतक-वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक

थीम >	संकेतक >	स्कोरिंग गाइड >	मानव संसाधन		विविधता		कार्यभार	बजट	
			एस. एच. आर. सी. कुल कर्मचारी रिक्ति (%), 2020-21)	एस. एच. आर. सी. कार्यकारी कर्मचारी रिक्ति (%), मार्च 2022)	एस. एच. आर. सी. महिला कर्मचारी (%), 2020-21)	कार्यकारी कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी (%), मार्च 2022)	औसत सी. सी. आर. दर (%), 2018-19, 2019-20, 2020-21)	उपयोग किया गया बजट (%), 2020-21)	उपयोग किया गया बजट (पीपी, वित्त वर्ष 16-20)
			जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना कम, उतना ही अच्छा	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर	जितना अधिक, उतना ही बेहतर
	रैंक	स्कोर							
आंध्र प्रदेश ¹	19	3.16	NA	0	NA	0	NA	NA	NA
बिहार	8	5.33	29.0	0.0	8.5	0.0	100	119	3.84
छत्तीसगढ़	21	2.46	NA ²	50.0	NA ³	0.0	98	106	2.21
गोवा	4	5.70	23.5	0.0	3.8	25.0	73	85	2.69
गुजरात	16	3.43	71.3	0.0	13.0	0.0	NA ³	95	0.97
हरियाणा	7	5.35	33.0	0.0	18.5	0.0	99	94	-1.28
हिमाचल प्रदेश	13	4.40	66.7	0.0	8.3	0.0	NA ⁵	81	14.42
झारखंड	14	3.79	36.4	50.0	14.3	0.0	89	88	4.37
कर्नाटक	1	5.99	21.6	0.0	43.7	0.0	118	86	-1.33
केरल	3	5.75	4.8	0.0	NA ⁴	25.0	80	109	3.06
मध्य प्रदेश	10	5.23	12.4	0.0	7.6	0.0	105	100	0.00
महाराष्ट्र	17	3.39	40.0	25.0	16.7	0.0	61	50	-5.70
मेघालय	6	5.51	6.5	0.0	34.5	25.0	61	65	-7.79
ओडिशा	12	4.44	31.9	25.0	14.9	0.0	86	76	-1.44
पंजाब	15	3.64	94.0	50.0	9.1	50.0	79	99	-0.29
राजस्थान	22	2.45	59.4	25.0	10.7	0.0	52	48	-10.21
सिक्किम	5	5.52	-61.5	25.0	33.3	0.0	90	75	4.73
तमिलनाडु	9	5.31	13.6	0.0	21.4	0.0	71	100	-0.01
तेलंगाना	11	4.89	15.3	25.0	24.1	0.0	NA ⁶	101	NA ⁶
त्रिपुरा	2	5.83	31.3	0.0	18.2	0.0	86	95	13.41
उत्तर प्रदेश	20	2.94	62.4	50.0	NA ³	50.0	45	100	0.00
उत्तराखंड	18	3.28	91.5	0.0	0.0	0.0	82	100	0.00
पश्चिम बंगाल	23	2.10	17.0	50.0	12.8	0.0	74	32	-10.20

टिप्पणी: 1. एपी एस. एच. आर. सी., कुरुनूल का गठन डब्ल्यू. ई. एफ. 21.03.2021। 2. डेटा प्रदान नहीं किया गया है (आर. टी. आई. + वेबसाइट)। 3. राज्य से कोई जवाब नहीं आया। 4. एस. एच. आर. सी. महिला कर्मचारियों पर अलग समेकित डेटा नहीं रखता है। 5. काम करना शुरू किया डब्ल्यू. ई. एफ. जुलाई 2020। 6. टी. एस. एच. आर. सी. ने काम करना शुरू कर दिया। 19.12.2019।

स्रोत: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टीम द्वारा दायर आर. टी. आई. आवेदन

अध्याय 5

नया

एस.एच.आर.सी.: क्षमता की कमी से जूझ रहे हैं

देश भर की सरकारें, चाहे केंद्र में हों या राज्यों में, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। इसकी बाध्यता हमारे संविधान की आधारिक संरचना(Basic Structure) में लिखी हुई है। यह बाध्यता संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की घोषणा में निहित अधिकारों और स्वतंत्रता को साकार करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों में दायित्वों के अनुरूप भी है जो देश ने राष्ट्रों के समुदाय के सदस्य के रूप में किए हैं। घरेलू स्तर पर, राज्य की सभी एजेंसियों को इन सीमाओं के भीतर काम करना आवश्यक है।

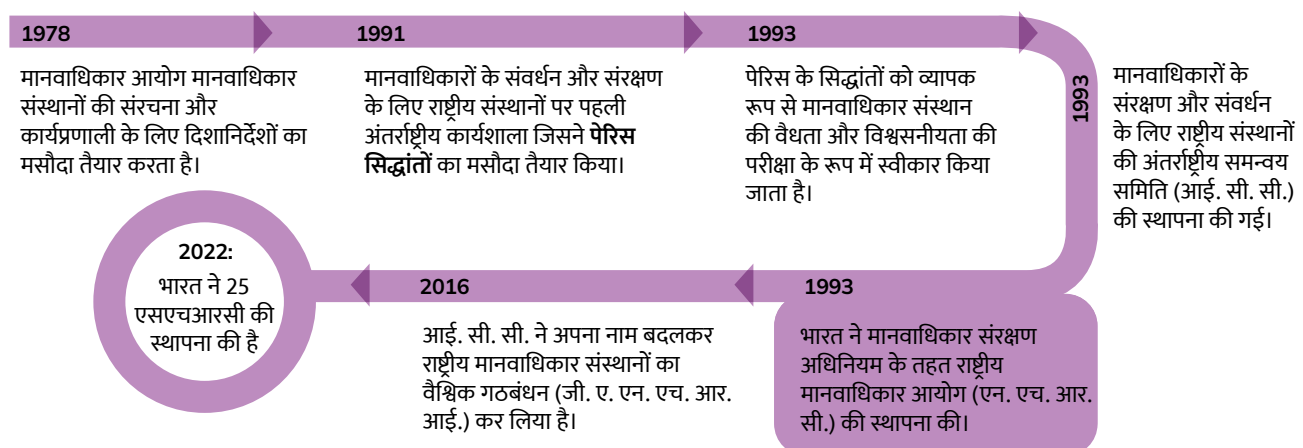
मानवाधिकारों की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, 1993 में भारत ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (पी.एच.आर.ए. या PHRA), 1993 के तहत अपने पहले समर्पित मानवाधिकार संस्थान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना की। तब से, एनएचआरसी की तर्ज पर 25 राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) की स्थापना और की गई है।

अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में, मानवाधिकार आयोगों को व्यक्ति, उनके प्रतिनिधि, तीसरे पक्ष, गैर-सरकारी संगठन या कोई अन्य प्रतिनिधि निकाय द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

उनके पास अपनी इच्छा से संदिग्ध मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच शुरू करने की शक्ति भी है। उन्हें सरकार द्वारा संचालित किसी भी जेल, अस्पताल, किशोर या कल्याण गृह का दौरा करने और वहां रहने की स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें करना अनिवार्य है। आयोगों द्वारा मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा और उनके कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश भी की जाती है। मानव अधिकारों की संस्कृति और समझ को बढ़ावा देना इनके कार्य का हिस्सा है जिसके लिए आयोगों द्वारा अनुसंधान और जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। चूंकि उन्हें सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, वे शपथ के तहत गवाहों को बुला और जांच कर सकते हैं, हलफनामों (affidavit) पर साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, किसी दस्तावेज की खोज और उत्पादन का आदेश दे सकते हैं और किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं।

शिकायत प्राप्त होने पर, एस.एच.आर.सी. को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या यह मामला उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और अधिकारों के उल्लंघन का उचित मामला बनाता है। ऐसे मुद्दों में विचार करने के बाद, या तो शिकायत को खारिज कर देना चाहिए या पी.एच.आर.ए. की धारा 18 के तहत की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए। हालाँकि, एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित होने के बावजूद, आयोग द्वारा दिए गए सुझाव मुख्य रूप से पक्षकारों के

अंतराष्ट्रीय मानकों के विकास की समयरेखा



जी.ए.एन.एच.आर.आई और पेरिस सिद्धांत

सभी क्षेत्रों में 110 से अधिक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एन.एच.आर.आई.), उनके सदस्यों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स (जीएनएचआरआई)² दुनिया भर में सबसे बड़े मानवाधिकार नेटवर्क में से एक है - जिसमें से भारत भी एक सदस्य है।³ 1991 में राष्ट्रीय संस्थाओं पर पहली अंतर्राष्ट्रीय

कार्यशाला में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए पेरिस सिद्धांतों का मसौदा तैयार किया गया और अपनाया गया, जो एनएचआरआई के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं।⁴ 1993 में मानवाधिकारों पर वियना विश्व सम्मेलन द्वारा स्थापित और स्वीकृत, इन सिद्धांतों को एक संस्थान की वैधता और विश्वसनीयता की परीक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता है।⁵ भारत पेरिस सिद्धांतों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है।⁶

लिए बाध्यकारी नहीं हैं और यह, यकीनन, इन निकायों के डिजाइन में प्राथमिक खामियों में से एक है।

हाल ही में 2021 में, मद्रास उच्च न्यायालय¹ ने पाया कि यह धारणा कि "आयोगों द्वारा दिए गए सुझावों में कानूनी मान्यता का अभाव है, और इसलिए इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, उस देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों को संबोधित करने की दिशा में अच्छा संकेत नहीं है जहां लिखित संविधान सर्वोच्च शासन करता है" और निर्णय दिया कि पी.एच.आर.ए. की धारा 18 के तहत एस.एच.आर.सी. के सुझाव सरकारी अधिकारियों पर बाध्यकारी और कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं।

SHRC की संरचना

राज्य आयोगों की अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है। दो सदस्य - एक पूर्व उच्च न्यायालय या जिला अदालत के न्यायाधीश और दूसरा विशेषज्ञ "मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के साथ" - एक सचिव के साथ कार्यकारी कर्मचारी का समूह बनाते हैं।⁷ अध्यक्ष और सदस्य निर्णय लेने वाली संस्था बनाते हैं जो कि अनुपालन के लिए निर्देश/सिफारिशें जारी करने योग्य होती है। सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी होता है, जो राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे नहीं होता, सभी प्रशासनिक और वित्तीय कार्य करता है।

2020-21,⁸ 13 राज्यों ने अपने कुल कर्मचारियों में 25 प्रतिशत से अधिक रिक्तियों के साथ काम किया।⁹ केवल असम और सिक्किम एस.एच.आर.सी. में स्वीकृत से अधिक कर्मचारी थे।¹⁰ राष्ट्रीय स्तर पर, 25 आयोगों में 43.5 प्रतिशत रिक्तियां थीं।

मानव संसाधन

SHRC, कुल स्टाफ रिक्ति (% , 2020-21)

SHRC कार्यकारी स्टाफ रिक्ति (% , 2022)

एस.एच.आर.सी. में अध्यक्ष के अलावा दो सदस्यों - न्यायिक और गैर-न्यायिक - का होना आवश्यक है। 2022 तक, पंजाब को छोड़कर सभी एसएचआरसी में अध्यक्ष मौजूद थे; छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर में कार्यवाहक अध्यक्षों के अधीन काम चल रहा था और 6 राज्यों में दो में से एक सदस्य गायब था।¹¹ उत्तर प्रदेश, मणिपुर और झारखंड में बिना किसी सदस्य के काम चल रहा था। 2010 में स्थापित झारखंड आयोग, 2018 से केवल एक कार्यवाहक अध्यक्ष (Acting Chairperson) और सचिव के साथ काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ आयोग जो 2001 में स्थापित किया गया है, 2020 से एक कार्यवाहक अध्यक्ष और एक सदस्य के साथ काम कर रहा है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल आयोग सचिवों/सीईओ के बिना काम करते हैं।

- 1 अब्दुल साथर बनाम सरकार के प्रधान सचिव और 5 अन्य के मामले में 5 फरवरी 2021 का आदेश, W.P.I. नहीं 2006 का 41791. यहाँ उपलब्ध है: <https://www.mhc.tn.gov.in/judis/index.php/casestatus/viewpdf/590370>
- 2 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (जी. ए. एन. एच. आर. आई.) सदस्य-आधारित वैश्विक गठबंधन है जो दुनिया भर में सबसे बड़े मानवाधिकार नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है। यह एन. एच. आर. आई. का समर्थन करने के लिए पेरिस सिद्धांतों के अनुसार काम करता है और पेरिस सिद्धांतों के साथ एन. एच. आर. आई. का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक सहकर्म-समीक्षा आधारित मान्यता प्रक्रिया आयोजित करता है। देखिए: <https://ganhri.org/>
- 3 जी. ए. एन. एच. आर. आई. मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को एक साथ लाता है और उनका समर्थन करता है। देखिए: <https://ganhri.org/>
- 4 पेरिस सिद्धांत, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (जी. ए. एन. एच. आर. आई.) यहाँ उपलब्ध है: <https://ganhri.org/paris-principles/>
- 5 मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान-इतिहास, सिद्धांत, भूमिका और जिम्मेदारियाँ, 2010। यहाँ उपलब्ध है: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_en.pdf
- 6 जी. ए. एन. एच. आर. आई. की मान्यता प्रक्रिया एन. एच. आर. आई. को पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन के संबंध में मान्यता देने के लिए एक सहकर्म समीक्षा है। पेरिस सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करने के लिए भारत को 'ए' का दर्जा दिया गया है। देखिए: <https://ganhri.org/membership/>
- 7 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21। यहाँ उपलब्ध है: https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAct_2021_0.pdf
- 8 आंकड़ा राज्य आयोगों से प्राप्त आर. टी. आई. प्रतिक्रियाओं पर आधारित है।
- 9 बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।
- 10 बिहार, हरियाणा, केरल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के आंकड़े 2022 तक के हैं। छत्तीसगढ़ और गुजरात एसएचआरसी ने कर्मचारियों की संख्या के संबंध में आंशिक जानकारी प्रदान की। नतीजतन, उन्हें 0 अंक दिए गए हैं।
- 11 छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल।

अधिकार के उल्लंघन की स्वतंत्र जांच किसी भी आयोग की प्रभावशीलता का केंद्र है। इसकी क्षमता कर्मचारियों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। क़ानून में "कम से कम पुलिस महानिरीक्षक रैंक समान अधिकारी के अधीनस्थ ऐसे पुलिस और जांच कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों" का प्रावधान है।¹²

अपने स्वयं के कैडर की अनुपस्थिति में, आयोगों को सरकार के भीतर से और प्रशासन या अदालतों के अनुभव वाले लोगों के बीच से लिए गए कर्मचारियों पर भरोसा करना चाहिए।¹³ व्यावहारिक संचालन में महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक रैंक के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ, पुलिस अधीक्षक (एसपी), अतिरिक्त अधीक्षक (एएसपी) या उपाधीक्षक (डिप्टी एसपी) और आयोग में प्रतिनियुक्ति(Deputation) पर एक निरीक्षक मिलकर राज्य आयोगों की जांच शाखा बनाते हैं।

स्वीकृत जांच कर्मचारी की संख्या अलग-अलग राज्यों में अलग थी। कुछ ने अपनी प्रतिक्रिया में कांस्टेबलों की संख्या को शामिल किया,¹⁴ जबकि महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों ने उन्हें शामिल नहीं किया। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड को छोड़कर सभी ने सदस्यों की कमी की सूचना दी। 2022¹⁵ में ग्यारह आयोगों ने एक से पांच तक की संख्या में जांच स्टाफ के साथ काम किया। असम, झारखंड, मणिपुर और सिक्किम आयोगों ने कोई जांच कर्मचारी न होने की सूचना दी।

एक पूर्ण समूह के अभाव में जांच करने और यह तय करने के लिए कि क्या मानवाधिकारों के उल्लंघन में देरी हुई है हर साल लंबित मामलों की संख्या साल-दर-साल बढ़ती जा रही है। हर साल हजारों पीड़ित मानवाधिकार आयोगों से संपर्क करते हैं। सिर्फ 2020-21 में ही सभी

चित्र 37: आयोगों में रिक्तियाँ

भारत के 25 एसएचआरसी में रिक्ति एक गंभीर मुद्दा है। राष्ट्रीय स्तर पर औसतन, लगभग 2 में से 1 पद रिक्त है, 94% के साथ पंजाब में सबसे अधिक रिक्तियाँ हैं।

	कार्यकारी कर्मचारी (मार्च 2022)		कुल कर्मचारी (2020-21)		
	स्वीकृत	नियुक्त	स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति (%)
आंध्र प्रदेश	4	4	NA	NA	NA
असम	4	4	32	38	Extra staff
बिहार	4	4	100	71	29
छत्तीसगढ़	4	2	98	NP ²	NA
गोवा	4	4	34	26	24
गुजरात	4	4	80	23	71
हरियाणा	4	4	97	65	33
हिमाचल प्रदेश	4	4	36	12	67
झारखंड	4	2	22	14	36
कर्नाटक	4	4	111	87	22
केरल	4	4	42	40	5
मध्य प्रदेश	4	4	105	92	12
महाराष्ट्र	4	3	30	18	40
मणिपुर	4	2	41	10	76
मेघालय	4	4	31	29	6
ओडिशा	4	3	69	47	32
पंजाब	4	2	182	11	94
राजस्थान	4	3	69	28	59
सिक्किम	4	3	13	21	Extra staff
तमिलनाडु	4	4	81	70	14
तेलंगाना	4	3	98	83	15
त्रिपुरा	4	4	32	22	31
उत्तर प्रदेश	4	2	85	32	62
उत्तराखंड	4	4	47	4	91
पश्चिम बंगाल	4	2	94	78	17
अखिल भारतीय	100	83	1,629	921	43.5

नोट: 1. राज्यों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। 2. वास्तविक कर्मचारियों का डेटा न तो आर. टी. आई. के माध्यम से या इसकी वेबसाइट पर प्रदान किया गया है। एनए: उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: आई. जे. आर. दल द्वारा दायर आर. टी. आई. आवेदन

12 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 27 (1) (बी)। यहाँ उपलब्ध है: https://nhrc.nic.in/sites/default/files/PHRAAct_2021_0.pdf

13 राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, मानवाधिकार आयोग: एक नागरिक पुस्तिका, 2004।

14 बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल।

15 जांच कर्मचारियों की स्वीकृत और काम करने की क्षमता पर डेटा राज्य आयोगों से प्राप्त आर. टी. आई. जवाबों पर आधारित है। इसे इस रिपोर्ट के लिए एक संकेतक के रूप में स्थान नहीं दिया गया है।

एसएचआरसी में 1,02,608 शिकायतें थीं। आठ एसएचआरसी ने प्राप्त शिकायतों में से 60 प्रतिशत से कम का निपटारा किया,¹⁶ मेघालय (28 प्रतिशत) ने सबसे कम निवारण किया, इसके बाद महाराष्ट्र (29 प्रतिशत), राजस्थान (30 प्रतिशत) और ओडिशा (48 प्रतिशत) का स्थान रहा। बिहार (99 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (94 प्रतिशत) ने प्राप्त मामलों में लगभग सभी को निपटा दिया। 2020-21 के अंत में अनसुलझे मुद्दों की संख्या 33,312 था।

कार्यभार

औसत मामला निपटान दर
(%, 2018-19, 2019-20, 2020-21)

2018-19 और 2020-21 के बीच, 3 आयोगों- मणिपुर (28 प्रतिशत), राजस्थान (52 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (45 प्रतिशत) ने औसत केस क्लीयरेंस दर 60 प्रतिशत से कम दर्ज की। इस अवधि के दौरान असम (122 प्रतिशत), कर्नाटक (118 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (105 प्रतिशत) ने प्राप्त संख्या से अधिक मामलों को निपटारा किया, जबकि बिहार में 100 प्रतिशत मामले के निपटारे की दर दर्ज की गई।

यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी शिकायतों को पूरी तरह से इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि वे आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं थीं या अंततः उनकी जांच, निर्णय और सुधारात्मक उपायों के लिए सुझाव दिए गए थे।

पेरिस सिद्धांत एनएचआरआई की संरचना और इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के अनुसार प्रावधान करते हैं "जो नागरिक समाज के बहुलवादी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की गारंटी देता है।" नतीजतन, सिद्धांतों के साथ तालमेल रखने के लिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 को 2019 में संशोधित किया गया ताकि वैधानिक रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पांच सदस्यों में से एक महिला को शामिल किया जा सके। हालांकि, अपने अस्तित्व के ढाई दशकों में, एन.एच.आर.सी. में कभी भी कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही। इतने समय में केवल तीन महिला सदस्य रहीं, और कभी भी दो महिला सदस्यों ने एक ही समय में सेवा नहीं की।

विविधता

कुल स्टाफ में महिलाओं की हिस्सेदारी
(%, 2020-21)
कार्यकारी कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी (%, 2022)

बहुलवाद पर जोर देने के बावजूद, पीएचआरए संशोधन, हालांकि, राज्य आयोगों तक विस्तारित नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर, 2020-21 तक आयोगों के समग्र कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 17.1 प्रतिशत थी। न तो उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट और न ही एसएचआरसी की वेबसाइटें किसी विविधता का दस्तावेजीकरण करती हैं और न ही अपने सदस्यों की जाति, धर्म या लिंग संरचना का उल्लेख करती हैं। 2022 तक, केवल 6 आयोगों में सदस्य या सचिव के रूप में महिलाएँ थीं। वहाँ कोई महिला अध्यक्ष नहीं थीं और केवल केरल, मेघालय और पंजाब में एक-एक महिला सदस्य थीं। केवल असम, गोवा और उत्तर प्रदेश में सचिव स्तर पर महिलाएँ थीं।

2016-17 और 2020-21 के बीच उपयोग किया गया बजट:

मानवाधिकार आयोग राज्य सरकारों से मिलने वाले वित्त पोषण पर निर्भर करते हैं, जो खुद अपनी प्राथमिकताओं और उन प्राथमिकताओं के लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हैं। कुल स्वीकृत और उपयोग किए गए धन का पांच साल (2016-2020) का आकलन इन संस्थानों को दी जाने वाली कम प्राथमिकता का संकेत देता है। 2016 और 2020 के बीच, नौ आयोगों ने धन के उपयोग में वृद्धि दर्ज की, जिसमें हिमाचल प्रदेश (14.42 प्रतिशत अंक) ने उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जिसके बाद सिक्किम (4.73 प्रतिशत अंक) और झारखंड (4.37 प्रतिशत अंक) का स्थान रहा। लेकिन नौ राज्यों²⁰ में इस कोष की उपयोग कमी दर्ज की गई जिसमें राजस्थान (-10.21 प्रतिशत अंक) में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद पश्चिम बंगाल (-10.20 प्रतिशत अंक) और महाराष्ट्र (-5.70 प्रतिशत अंक) का स्थान रहा। चार राज्य-असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने 2016-17 और 2020-21 के बीच अपने पूरे स्वीकृत बजट का उपयोग किया।

बजट और व्यय

उपयोग किया गया बजट (%, 2020-21)
बजट का उपयोग किया गया
(पीपी, वित्तीय वर्ष 2016-17 - 2020-21)

2020-21 में उपयोग किया गया बजट: 2020-21 में, स्वीकृत बजट राज्यों में रु. 64 लाख से लेकर 8 करोड़ तक था। हरियाणा का आयोग, जिसे 2020 में 2,500 शिकायतें मिलीं को सबसे अधिक (8 करोड़ रुपये) स्वीकृत किये गये। इसके बाद तेलंगाना का स्थान रहा, जहां 4,319 शिकायतें प्राप्त हुईं और 7.6 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। 1,381 शिकायतों के साथ हिमाचल प्रदेश को सबसे कम 64 लाख रु. स्वीकृत किये गये।

2020-21 में 25 एसएचआरसी में कुल रु. 105 करोड़ के बजट का

16 गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

17 पेरिस सिद्धांत, 'स्वतंत्रता और बहुलवाद की संरचना और गारंटी'। यहाँ उपलब्ध है: <https://ganhri.org/paris-principles/>

18 असम, गोवा, केरल, मेघालय, पंजाब और उत्तर प्रदेश।

19 बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, सिक्किम और त्रिपुरा।

20 हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

आवंटन हुआ। ग्यारह आयोग,²¹ ने 2019-20 और 2020-21 के बीच बजट आवंटन में वृद्धि दर्ज की जबकि 10 राज्यों में यह बजट कम कर दिया गया।²² मणिपुर के बजट में 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जहां यह

आँकड़ा 2019-20 में 83 लाख से 2020-21 में 1.3 करोड़ रुपये तक बढ़ गया। जबकि उत्तराखंड का बजट 67 प्रतिशत नीचे गिरकर रुपये 3 करोड़ से 1 करोड़ रह गया।

चित्र 38: तीन वर्षों में एसएचआरसी द्वारा प्राप्त और निपटाए गए मामले

राज्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी टेढ़ी-मेढ़ी थी। तीन वर्षों (2018-2021) में औसत राष्ट्रीय केस क्लीयरेंस दर 75% है जबकि 2020-21 में यह 68% है।

केस क्लीयरेंस दर ■ 100% और उससे अधिक ■ 70 प्रतिशत से 100% ■ 70 प्रतिशत से कम

	मामले प्राप्त हुए			मामले निपटाए गए			मामले की मंजूरी दर ⁴		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
आंध्र प्रदेश ¹	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
असम	302	310	304	476	370	270	158	119	89
बिहार	8,062	6,105	6,828	7,676	6,475	6,777	95	106	99
छत्तीसगढ़	1,326	1,120	1,294	1,425	1,046	1,219	107	93	94
गोवा	289	159	279	286	97	163	99	61	58
गुजरात	3,210	3,087	NR	3,201	3,031	NR	100	98	NA
हरियाणा	2,405	2,823	2,501	1,939	3,707	2,109	81	131	84
हिमाचल प्रदेश ²	NA	NA	1,381	NA	NA	1,300	NA	NA	94
झारखंड	944	639	719	838	608	594	89	95	83
कर्नाटक	5,570	4,545	4,704	6,527	6,547	4,429	117	144	94
केरल	10,847	9,689	8,803	10,379	7,536	5,868	96	78	67
मध्य प्रदेश	9,422	9,651	8,677	10,291	9,842	9,014	109	102	104
महाराष्ट्र	6,770	4,659	3,763	5,368	3,559	1,083	79	76	29
मणिपुर	89	126	216	31	21	67	35	17	31
मेघालय	21	23	32	16	18	9	76	78	28
ओडिशा	4,246	3,540	4,442	2,633	5,191	2,137	62	147	48
पंजाब	12,046	11,100	11,121	10,987	10,193	5,884	91	92	53
राजस्थान	5,647	5,544	2,154	3,846	3,199	652	68	58	30
सिक्किम	11	7	6	11	6	5	100	86	83
तमिलनाडु	13,701	13,408	11,999	10,429	10,311	7,253	76	77	60
तेलंगाना ³	NA	NA	4,319	NA	NA	2,873	NA	NA	67
त्रिपुरा	65	66	55	64	53	43	98	80	78
उत्तर प्रदेश	29,375	22,635	22,989	13,995	7,672	12,023	48	34	52
उत्तराखंड	2,201	1,921	1,893	2,068	1,594	1,290	94	83	68
पश्चिम बंगाल	4,013	3,896	4,129	1,877	2,858	4,234	47	73	103
अखिल भारतीय	120,562	105,053	102,608	94,363	83,934	69,296	78	80	68

टिप्पणी: 1. एपी एस. एच. आर. सी., कुरुनूल का गठन डब्ल्यू. ई. एफ. 21.03.2021। 2. एस. एच. आर. सी. का गठन किया गया। 01.07.2020। 3. टी 3. एस. एच. आर. सी. का गठन किया गया और इसने काम करना शुरू कर दिया। 19.12.2019। 4. प्राप्त प्रत्येक 100 मामलों के लिए मामलों का निपटारा किया जाता है। एनए: उपलब्ध नहीं है। एनआर: कोई जवाब नहीं।

स्रोत आई. जे. आर. दल द्वारा दायर आर. टी. आई. आवेदन

21 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु।

22 असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

2020-21 में अधिकांश एसएचआरसी ने अपने 60 प्रतिशत से अधिक बजट का उपयोग किया।²³ हालाँकि पश्चिम बंगाल (32.2 प्रतिशत), मणिपुर (45.1 प्रतिशत) और राजस्थान (48.3 प्रतिशत) ने राज्यों में सबसे कम बजट का उपयोग दर्ज किया। केवल 5 आयोगों-असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड- ने अपने पूरे बजट का उपयोग किया। बिहार (119 प्रतिशत), केरल (109 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (106 प्रतिशत) और तेलंगाना (101 प्रतिशत) के आयोगों ने अपने आवंटित बजट से अधिक का उपयोग करने का रिकॉर्ड बनाया।

2019-20 और 2020-21 के बीच, 10 आयोगों ने बजट उपयोग में वृद्धि दिखाई।²⁴ राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों ने औसतन 86 प्रतिशत का उपयोग किया - 2019-20 में 80 प्रतिशत से वृद्धि हुई।

राज्य मानवाधिकार आयोगों की वेबसाइटों की स्थिति

एन. एच. आर. सी. की वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हुए और इन सेवाओं को कितना सुलभ होना चाहिए, इस पर विचार करते हुए, आईजेआर ने शिकायत दर्ज करने के लिए दिशानिर्देशों की उपलब्धता, शिकायतों और निर्णयों की स्थिति के साथ-साथ स्थानीय भाषाओं में जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में आयोगों की वेबसाइटों की उपयोगकर्ता-मित्रता (user-friendliness) का मूल्यांकन किया (लेकिन रैंक नहीं किया)। इन वेबसाइटों को अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच तीन बार चेक किया गया था।

वर्तमान में कार्यरत 25 आयोगों में से केवल 4 राज्यों में - अर्थात् आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और तेलंगाना - के पास कोई कार्यशील वेबसाइट नहीं है। उत्तराखंड को छोड़कर, किसी भी राज्य ने अपने नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं का पूरा विवरण नहीं दिया। केवल 11 आयोगों ने नागरिकों को शिकायतें दर्ज करने के बारे में दिशानिर्देश प्रदान किए, जबकि केवल 6 आयोगों ने अपनी वेबसाइटों पर नियमित रूप से शिकायतों के निर्णय अपलोड किए।

अधिकांश वेबसाइटें केवल अंग्रेजी में उपलब्ध थीं और उन्हें राज्य भाषाओं में उपलब्ध नहीं कराया गया। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश की वेबसाइट केवल अंग्रेजी में उपलब्ध थी पर वहीं कर्नाटक, महाराष्ट्र,

2021 में 23.48 करोड़ की अनुमानित आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले थे - 2020-21 में 22,989 - और उसी वर्ष के दौरान ₹5.7 करोड़ प्राप्त हुए।

बिहार और उत्तर प्रदेश में जानकारी क्रमशः कन्नड़, मराठी और हिंदी में उपलब्ध थी। केरल के लिए मलयालम में वेबसाइट देखने का विकल्प दिया गया था, हालाँकि, यह सुविधा सक्रिय नहीं थी।

2021 में 23.48 करोड़ की अनुमानित आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले थे - 2020-21 में 22,989 - और उसी वर्ष के दौरान ₹5.7 करोड़ प्राप्त हुए।

क्रियाविधि

यह अध्ययन चार विषयों- मानव संसाधन, विविधता, कार्यभार और बजट में सात संकेतकों पर 25 मानवाधिकार आयोगों की क्षमता को दर्शाता है। प्रत्येक विषय आयोगों के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए निर्धारित पूर्व शर्तों का प्रतिनिधित्व करता है और यह सात संकेतक सभी राज्यों में समान रूप से उपलब्ध जानकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे राज्यों द्वारा अपने लिए निर्धारित मानकों के मुकाबले निष्पक्ष तुलना संभव हो पाती है। प्रत्येक संकेतक पर एस.एच.आर.सी. के प्रदर्शन को कुल स्कोर प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है जो तुलनात्मक रैंकिंग की अनुमति देता है।

राज्य जहां तुलना संभव नहीं थी : आईजेआर असम और मणिपुर को बाकी राज्यों से तुलना के लिए छोड़ देता है। इसका कारण है कि वहां सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) की दीर्घकालिक उपस्थिति ने न्याय प्रशासन को बेहद प्रभावित किया है और इसलिए उन राज्यों के साथ तुलना की अनुमति नहीं देता है जिनके पास ये कानून नहीं हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद राज्य में एस. एच. आर. सी. को बंद कर दिया गया था।

निर्धारित मानक: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना, शक्तियों और कार्यों की रूपरेखा देता है, और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया गया है। ग्लोबल अलायंस ऑफ़ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स (GANHRI) और पेरिस सिद्धांतों के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी उल्लेख किया गया है।

स्कोरिंग और रैंकिंग: जिन राज्यों में कुछ संकेतक नहीं मिल रहे थे, वहाँ हमने निम्नलिखित कार्य किया। यदि आँकड़ा इसलिए गायब था क्योंकि डेटा के गायब होने के लिए एक विशेष वस्तुनिष्ठ परिस्थिति (Objective Circumstance) थी, जैसे कि आयोग की स्थापना हुए पांच साल से भी कम समय हुआ हो, तो हमने इसके अंक निर्धारण पर काम करते समय मापदंडों की संख्या को कम कर दिया। हालाँकि, यदि मूल्य इसलिए गायब था क्योंकि राज्य ने डेटा प्रदान नहीं किया था या आंशिक डेटा प्रदान किया था, तो स्कोरिंग सभी राज्यों के लिए सामान्य मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जारी रही।

23 बजट के उपयोग के आंकड़ों में आंध्र प्रदेश द्वारा उपयोग शामिल नहीं है क्योंकि आयोग का गठन 2021 में किया गया था।

24 बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मेघालय, पंजाब और त्रिपुरा।

चित्र 39: एसएचआरसी तक पहुंचाए मामले

एन. एच. आर. सी. वेबसाइट को एक मॉडल के रूप में उपयोग करते हुए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने उपयोगकर्ता-मित्रता एस. एच. आर. सी. की वेबसाइटों का मूल्यांकन किया (लेकिन रैंक नहीं किया)। वेबसाइटों को अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच तीन बार चेक किया गया था। उत्तराखंड को छोड़कर किसी भी राज्य ने अपने नागरिकों को सेवाओं का पूरा गुलदस्ता नहीं दिया।

■ हां/उपलब्ध ■ आंशिक रूप से उपलब्ध ■ उपलब्ध नहीं

		एस. एच. आर. सी. स्थापित	वेबसाइटों पर स्थानीय भाषाएँ	शिकायत सुविधाएं				सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण
				एच. आर. सी. नेट का लिंक	वेबसाइटों पर स्थानीय भाषाएँ	ऑफ़लाइन मामले दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश/अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	मामलों की स्थिति (ऑनलाइन और ऑफ़लाइन)	
आंध्र प्रदेश	2021	कोई वेबसाइट नहीं						
असम	1996	NA	NA	NA	Yes	NA	NA	NA
बिहार	2008	Hindi	Yes	Available ²	Yes	NA	Yes ³	NA
छत्तीसगढ़	2001	NA	Yes	NA	Yes	Yes	NA	NA
गोवा	2011	NA	NA	NA	NA	NA	Yes ⁴	Yes
गुजरात	2006	NA	NA	NA	Yes	Yes	NA	Yes
हरियाणा	2012	NA	Yes	NA	NA	NA	Available	NA
हिमाचल प्रदेश	2020	NA	Yes	Available	NA	Available	NA	NA
झारखंड	2010	NA	NA	NA	NA	NA	Available	NA
कर्नाटक	2007	Kannada	Yes	Available	NA	Available	Available	NA
केरल	1998	NA	Yes	NA	FAQs	NA	Available	NA
मध्य प्रदेश	1995	NA	Yes	NA	Guidelines	NA	NA	NA
महाराष्ट्र	2001	Marathi	Yes	NA	Available ⁵	Yes	NA	NA
मणिपुर	2018	कोई वेबसाइट नहीं						
मेघालय	2016	कोई वेबसाइट नहीं						
ओडिशा	2000	NA	Yes	Available	Available	Yes	NA	NA
पंजाब	1997	Yes	NA	NA	NA	NA	NA	NA
राजस्थान	1999	Hindi	NA	Available	Available	Yes	Yes ⁶	NA
सिक्किम	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
तमिलनाडु	1997	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
तेलंगाना	2019	कोई वेबसाइट नहीं						
त्रिपुरा	2016	NA	Available	NA	Available	Available	NA	NA
उत्तर प्रदेश	1996	Yes	Available	NA	NA	Available	Yes ⁶	NA
उत्तराखंड	2013	Yes	Available	Available	Available	Available	Available	NA
पश्चिम बंगाल	1995	No	NA	NA	NA	NA	Available	NA

1. विभाजन के बाद पुनर्गठित किया गया। 2. आसानी से उपलब्ध नहीं है, पृष्ठ के नीचे एसएचआरसी द्वारा प्रकाशित सभी सूचनाओं को देखने के बाद पाया जा सकता है। 3. वेबसाइट पर उपलब्ध महत्वपूर्ण निर्णय; वर्षवार व्यवस्थित; आदेश और निर्णय हिंदी में उपलब्ध हैं। 4. 39 महत्वपूर्ण निर्णय उपलब्ध हैं। 5. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सूचीबद्ध हैं लेकिन सुलभ नहीं हैं; दिशानिर्देश उपलब्ध हैं। 6. केवल महत्वपूर्ण निर्णय। स्रोत: एसएचआरसी की वेबसाइटें

आंकड़ों के स्रोत: आंकड़ों तक पहुँचने के लिए विभागीय वेबसाइटें और वार्षिक रिपोर्टें पहली पसंद थीं। हालाँकि, चूंकि वेबसाइटें अक्सर पुरानी, अपूर्ण थीं और धारा 4, आरटीआई अधिनियम के तहत सक्रिय रूप से जानकारी का खुलासा नहीं करती थीं; मानव संसाधन के बारे में विस्तृत जानकारी, 2016 से 2022 के बीच की अवधि से संबंधित लैंगिक विविधता, कार्यभार और बजट की मांग 145 आर.टी.आई. आवेदनों के माध्यम से की गई थी। हमने अपनी रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का भी उपयोग किया।²⁵

मांगा गया सभी डेटा आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत जनता के किसी भी अनुरोध के बिना सक्रिय रूप से खुलासा किए जाने की वैधानिक परिभाषा के भीतर था। बजट से संबंधित आंकड़ों के लिए राज्य के बजट दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था।

माया दारूवाला, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट;
नयनिका सिंघल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

25 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, 2019, प्रोटेक्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया: वर्किंग ऑफ़ एनएचआरसी/एसएचआरसी (1993-2018)। यहाँ उपलब्ध है: <https://transparencyindia.org/wp-content/uploads/2019/12/Protection-of-Human-Rights-in-India-as-on-9th-Dec-2019.pdf>

अन्य भाग

आर टी आई

आंकड़ों से जुड़ी समस्याएं

कार्यप्रणाली

निष्कर्ष

अध्याय 4

आईजेआर 2022 के लिए आंकड़ों का संग्रह के लिए आर.टी.आई. का उपयोग करने का अनुभव: एक टिप्पणी¹

इस अध्याय में तीसरे आई. जे. आर. द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यू. टी.) से जानकारी और आंकड़े एकत्र करने के लिए भारत के प्राथमिक पारदर्शिता कानून, अर्थात् सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) का उपयोग करने के अनुभव को दर्ज किया गया है।

हमने केवल सांख्यिकीय जानकारी मांगी-जिनमें से कोई भी, हमारे विचार में, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8,9,11 और 24 के तहत प्रकटीकरण या खुलासे (Disclosure) से मुक्त नहीं है। यह धाराएं उन आधारों को उल्लिखित करती हैं, जहाँ जानकारी तक पहुंच को वैध रूप से अस्वीकार किया जा सकता है। जहाँ कई सार्वजनिक प्राधिकरण जानकारी देने में आगे थे, वहीं अन्य ने या तो हमारी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया या फिर हमें हस्तांतरण खंड का प्रयोग कर दूसरे कार्यालयों में हमें जाने कहा, जिससे पारदर्शिता के वैधानिक दायित्व (Statutory Obligation) से बचा जा सके। कुछ ने हमारे बार बार याद दिलाने और अपील लगाने के बावजूद हमारे आर. टी. आई. आवेदनों का जवाब नहीं दिया। हमारे आर. टी. आई. हस्तक्षेपों का एक संख्यात्मक अवलोकन नीचे दिया गया है। इस विवरण में सूचना अनुरोधों का जवाब देते समय सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अपनाई गई अच्छी और बुरी प्रथाओं के कई उदाहरण दिए गए हैं।

संख्यात्मक अवलोकन (Numerical Overview)

मार्च और दिसंबर 2022 के बीच, आई. जे. आर. दल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 313 आर. टी. आई. आवेदन प्रस्तुत किए।

- 1) पुलिस विभाग (72 बार अनुरोध)²
- 2) मुख्य सचिव का कार्यालय (36 बार अनुरोध)³
- 3) फोरेंसिक विभाग (32 बार अनुरोध)⁴
- 4) राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (37 बार अनुरोध)⁵ और

- 5) राज्य मानवाधिकार आयोग (136 बार अनुरोध, जहाँ भी संभव हुआ)

हमें कुल 839 जवाब मिले जिसमें कुछ पूरी तरह से या आंशिक रूप से जानकारी प्रदान करते थे, कुछ अतिरिक्त शुल्क की मांग कर रहे थे और कुछ विभिन्न आधारों पर जानकारी से इनकार करते हैं, जैसे कि जानकारी पुलिस मुख्यालय (उत्तराखंड) में नहीं है या आर. टी. आई. अधिनियम 2005 (त्रिपुरा) की धारा 24 (4) के तहत आंतरिक सुरक्षा और जांच के आधार पर जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं हैं। हालाँकि सीसीटीवी लगाने की जानकारी राज्य की आंतरिक सुरक्षा या जांच को प्रभावित नहीं करती है।

स्थानांतरण

तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के पुलिस विभागों से 100 से अधिक जवाबों से संकेत मिलता है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और कामकाज से सम्बंधित जानकारी को अन्य कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है। लगभग सभी राज्यों में, आर. टी. आई. को अन्य सरकारी प्राधिकरणों जैसे जिला स्तर के पुलिस प्रशासन, उप-मंडल अधिकारियों और पुलिस थानों में स्थानांतरित कर दिया गया था जिससे वह हमें सीधा जानकारी भेज सकें। कई राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों ने हमारे आर. टी. आई. आवेदनों को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को स्थानांतरित कर दिया। कुछ मामलों में, जिन लोगों ने स्थानांतरित आवेदन प्राप्त किए, उन्होंने इन जानकारीयों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया।

उदाहरण के लिए, सी. सी. टी. वी. पर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव के कार्यालय में प्रस्तुत आर. टी. आई. आवेदन (उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ये निर्देश जारी किए

1 वेकटेश नायक, निदेशक, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, मार्च 2023 द्वारा आईजेआर के लिए तैयार किया गया नोट।

2 सभी पुलिस थानों में सी. सी. टी. वी. लगाने पर; सभी पुलिस थानों में सी. सी. टी. वी. की संख्या, उनकी स्थिति और कार्यप्रणाली और परमवीर सिंह सेनी बनाम बलजीत सिंह के फैसले के अनुसार बजटीय आवंटन।

3 अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करना और राज्य और जिला स्तर की निरीक्षण समितियों की स्थापना, एस. एल. ओ. सी. और डी. एल. ओ. सी. की संरचना और आयोजित बैठकों की संख्या।

4 राज्य फोरेंसिक प्रयोगशालाओं पर; वार्षिक रिपोर्ट, उपलब्ध मानव संसाधन (वैज्ञानिक कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की रक्तियां), बजट (स्वीकृत और उपयोग), कार्यभार (प्राप्त मामले, निपटान और लंबित), प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रभागों की संख्या और उनके बुनियादी ढांचे और उपकरण।

5 मानव संसाधन (कर्मचारी, सचिव, अध्यक्ष, चैनल वकील), बजट और व्यय, पैरालिगल वॉलंटियर्स (महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग), कानूनी सहायता लाभार्थियों, पीड़ित मुआवजे और विचाराधीन समीक्षा समितियों के संदर्भ में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की क्षमता।

थे) को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि उनके अंतर्गत गृह और न्याय विभाग आते हैं।

किसी भी प्रतिक्रिया का अभाव

सामान्य मामलों में आर. टी. आई. आवेदनों का जवाब देने के लिए वैधानिक समय सीमा 30 कैलेंडर दिन होती है। हालांकि, कुछ सार्वजनिक अधिकारियों ने मांगी हुई जानकारी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग (एस. एच. आर. सी.) ने बार-बार फोन पर पूछताछ करने और अध्यक्ष को संबोधित एक विशेष पत्र लिखने के बावजूद जवाब नहीं दिया, जिसमें प्रतिक्रिया की कमी की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया था। मणिपुर और लक्षद्वीप के पुलिस विभागों ने भी सीसीटीवी कैमरा स्थापना के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के फॉरेंसिक विभागों ने अपनी संरचना, संगठन, वित्त, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संबंधित मामलों पर प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया।

शुल्क पर व्यय

हमने शुल्क भुगतान पर कुल मिलाकर रु 17,202 खर्च किए। इसमें आवेदन शुल्क और अतिरिक्त शुल्क दोनों शामिल हैं जिन्हें प्रतिलिपि या पुनरुत्पादन शुल्क (Copying या reproduction charges) के रूप में भी जाना जाता है। कुछ लोक सूचना अधिकारियों (Public Information Officials या पी. आई. ओ.) ने हमें डाक शुल्क का भी भुगतान करने के लिए कहा।

यदि आवेदक वैध रूप से गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आता है, ऐसी स्थिति में आवेदक को मुफ्त में जानकारी प्राप्त करने का हकदार है। इस श्रेणी के अलावा आवेदन शुल्क का भुगतान सभी नागरिकों के लिए एक वैधानिक आवश्यकता है। हालांकि, आईजेआर. द्वारा

भुगतान किए गए शुल्क का श्रेणी-वार विभाजन नीचे दिया गया है:

सार्वजनिक प्राधिकरण	भुगतान किए गए शुल्क
पुलिस विभाग (डी. जी. पी. और मुख्य सचिव)	₹ 8,260
फॉरेंसिक विभाग	₹ 1,517
कानूनी सेवा प्राधिकरण	₹ 380
राज्य मानवाधिकार आयोग	₹ 7,045

सार्वजनिक प्राधिकरणों (public authorities) की सभी श्रेणियों से मांगी गई जानकारी को आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत वैधानिक दायित्व के रूप में स्वेच्छा से प्रकट किया जाना चाहिए था (कृपया विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों को सौंपे गए आर. टी. आई. आवेदनों के पाठ के लिए <https://indiajusticereport.org/> देखें)। मांगी गई जानकारी का अधिकतम हिस्सा इतना मौलिक और नागरिकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जान पड़ती है कि इसे बिना किसी आरटीआई अधिनियम के "वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों" के अनुसार संबंधित एजेंसियों की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए था।⁷ आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (2) के अनुसार, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत स्वेच्छिक प्रकटीकरण (Voluntary Disclosure) का उद्देश्य लोगों द्वारा औपचारिक आर. टी. आई. आवेदनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता को कम करना है।

अत्यधिक शुल्क की मांग और अनुचित अपेक्षाएँ

मांगी गई जानकारी की सामान्य प्रकृति के बावजूद, कुछ सार्वजनिक प्राधिकरणों ने ऐसी जानकारी की आपूर्ति के लिए भी अत्यधिक शुल्क लिया जो उन्हें अपनी वेबसाइटों पर स्वेच्छा से प्रकाशित करनी चाहिए थी। उदाहरण के लिए, केरल एस.एच.आर.सी. ने वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए 3,000 रुपये का बिल भेजा। आई. जे. आर. टीम ने इस शुल्क का भुगतान न करने का फैसला किया। इसी तरह, मध्य प्रदेश एस.एच.आर.सी. ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट की आपूर्ति करने के लिए 1,010 रुपये के अतिरिक्त शुल्क की मांग की।

शुल्क से संबंधित सबसे अनूठी प्रतिक्रियाएं गोवा और तमिलनाडु से आईं। गोवा के पुलिस महानिदेशक (Director General of Police) के कार्यालय द्वारा, पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बजट आवंटन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, 2 रुपये की शाही राशि का भुगतान करने की मांग की गई। पेरनेम, गोवा में उप-मंडल (Sub Divisional) पुलिस अधिकारी के कार्यालय के पी. आई. ओ. ने 4 रुपये के भुगतान करने की मांग की, जबकि मापुसा कार्यालय ने 6 रुपये मांगे। मापुसा पी. आई. ओ. ने भारतीय नागरिक होने का पहचान प्रमाण (Identity proof) भी मांगा। तीनों पी. आई. ओ. ने गोवा के आर. टी. आई. नियमों के तहत अनुमत (Permissible), शुल्क भुगतान के वैकल्पिक तरीकों के बारे में हमें सलाह देने के बजाय वहाँ आकर व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने पर जोर दिया। जवाब तैयार करने और डाक द्वारा हमें भेजने पर किए गए सार्वजनिक धन के व्यय की राशि पी. आई. ओ. द्वारा की जा रही मांगों से कहीं अधिक होगी। इसके बजाय, सार्वजनिक संसाधनों और समय के व्यर्थ खर्च से बचने के लिए जानकारी तुरंत प्रदान की जा सकती थी।

10 रुपये आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए एक बैंक ड्राफ्ट संलग्न (attach) करने के बावजूद, तमिलनाडु के फॉरेंसिक विज्ञान विभाग के पी. आई. ओ. ने यह कहते हुए हमारा आवेदन वापस कर दिया कि उन्हें लिफाफे में ड्राफ्ट नहीं मिला। ये अनुभव सार्वजनिक अधिकारियों के एक स्पष्ट इरादे का संकेत देते हैं कि वह अनुरोधित जानकारी को

7 भारत सरकार की समर्पित वेबसाइट पर सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश 3.0 यहां देखें-अत्यधिक शुल्क की मांग <https://guidelines.india.gov.in/introduction/03/03/2023> पर एक्सेस किया गया।

साझा नहीं करना चाहते हैं और जब आर. टी. आई. आवेदन को पूरी तरह से अस्वीकार करने के लिए छूट को लागू नहीं किया जा सका तो पारदर्शिता के कर्तव्य से बचने के उनके प्रयास को भी दर्शाते हैं।

गेटवे की समस्याएं

कुछ राज्य सरकारों ने देश में कहीं से भी आर. टी. आई. आवेदन जमा करने के लिए सुविधाजनक ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की हैं। देश के किसी भी कोने में बैठे नागरिक इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और क्रेडिट या डेबिट कार्ड से तुरंत भुगतान किया जा सकता है। डाक परिवहन प्रारंभिक वर्षों में आर. टी. आई. आवेदन जमा करने का पसंदीदा तरीका था लेकिन उसके कारण होने वाली देरी से बचने के लिए इस नई सुविधा के अंतर्गत आर. टी. आई. आवेदन तुरंत पी. आई. ओ. तक पहुंचाया जाता है।

हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने इस सुविधा को अपनाया है। हालाँकि, हरियाणा एस. एच. आर. सी. की तरफ से हमारे ऑनलाइन आर. टी. आई. आवेदन का कभी कोई जवाब नहीं मिला। यहां तक कि पी. आई. ओ. की प्रतिक्रियाओं की कमी के खिलाफ, इस सुविधा के माध्यम से प्रस्तुत की गई पहली अपील भी 45 दिनों की वैधानिक समय सीमा तक लंबित रही। वेबसाइट के इस दावे के बावजूद कि एसएचआरसी उन 12 सार्वजनिक प्राधिकरणों में से एक है, जिसके पोर्टल के माध्यम से ही आर. टी. आई. आवेदन जमा किए जा सकते हैं हमें इसके अध्यक्ष द्वारा कॉल और पत्रों का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद हमारी टीम ने शुल्क के लिए एक आई. पी. ओ. (भारतीय डाक आदेश) संलग्न करते हुए डाक द्वारा नए सिरे से वही प्रश्न प्रस्तुत किए। पी. आई. ओ. ने यह कहते हुए आवेदन वापस कर दिया कि आई. पी. ओ. संलग्न नहीं किया गया था। तीसरा आर. टी. आई. आवेदन दिसंबर 2022 में दायर किया गया था और इस रिपोर्ट के प्रकाशन के समय भी जवाब का इंतजार था।

लापता पी. आई. ओ.

पुडुचेरी की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने हमारे आर. टी. आई. आवेदन को यह बताते हुए वापस कर दिया कि पी. आई. ओ. की नियुक्ति नहीं की गई है। आर. टी. आई. अधिनियम लागू होने के 17 साल बाद भी पी. आई. ओ. की नियुक्ति नहीं करना इन निकायों (bodies) के प्रमुखों को सौंपे गए वैधानिक दायित्व का स्पष्ट उल्लंघन है। आर. टी. आई. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूचना अनुरोध प्राप्त करना और उन पर निर्णय लेना सार्वजनिक प्राधिकरण का दायित्व है। पी. आई. ओ. सार्वजनिक प्राधिकरण का मुख्य व्यक्ति है जो इन कर्तव्यों का पालन करता है। हालाँकि पी. आई. ओ. की नियुक्ति न होने से सार्वजनिक प्राधिकरण जैसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं – जो कि 100 प्रतिशत सरकार द्वारा नियंत्रित और वित्त पोषित (funded) हैं – अपने रिकॉर्ड से

संबंधित जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के उनके कर्तव्य से मुक्त नहीं हो जाते हैं।

आर. टी. आई जांच नियम के अनुसार एक प्रश्न

हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एस.एच.आर.सी. ने तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए शुरुआती आर.टी.आई. आवेदन लौटा दिए। एस.पी. एस.एच.आर.सी. ने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 2006 आरटीआई नियमों का हवाला दिया, जो प्रत्येक आरटीआई आवेदन के दायरे को केवल एक विषय और एक वर्ष तक सीमित करता है। इसके बाद आईजेआर टीम ने इनकी रिक्तियों, स्टाफिंग, बजट, वार्षिक रिपोर्ट और केसलॉड आदि के बारे में जानकारी मांगने के लिए 37 और आर.टी. आई. आवेदन दायर किए। हालाँकि यह सारी जानकारी आर.टी.आई अधिनियम की धारा 4(1) के विभिन्न खंडों के तहत उनकी वेबसाइट पर स्वेच्छा से प्रकट की जानी चाहिए थी। इस तरह के प्रकटीकरण की अनुपस्थिति ने हमें औपचारिक रूप से जानकारी मांगने के लिए मजबूर किया है। एक आरटीआई आवेदन को खारिज करके और आरटीआई आवेदनों को विषय और वर्ष-वार विभाजित करने पर जोर देकर, एस.एच.आर.सी. ने न केवल अपने कार्यभार को 37 गुना बढ़ाया, बल्कि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 7 (1) में निहित स्पष्ट प्रावधान का भी उल्लंघन किया जिसके अनुसार सभी सूचना अनुरोधों का यथासंभव शीघ्रता से निबटारा (disposed) किया जाना चाहिए।

इसी तरह, छत्तीसगढ़ और बिहार एस.एच.आर.सी ने भी उनके संगठन के बारे में बुनियादी जानकारी के लिए दिए गए प्रारंभिक आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए अपने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित आर.टी.आई नियमों में लगाई गई 'एक विषय वस्तु और 150 शब्दों की सीमा' का हवाला दिया। फिर हमने उनमें से प्रत्येक को 9 अलग-अलग आर.टी.आई आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें मांगी गई जानकारी का पहली बार में ही आसानी से खुलासा किया जा सकता था। शब्द सीमा और विषय वस्तु प्रतिबंध पर उनके आग्रह का पालन करने के बावजूद, बिहार एस.एच.आर.सी ने अभी तक अपने कर्मचारियों की संरचना, स्टाफिंग में लिंग विविधता, आवंटित बजट, साथ ही प्रत्येक वर्षों में किए गए व्यय के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया है। महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने 150 शब्दों की सीमा से अधिक होने के कारण आर.टी.आई आवेदन को खारिज कर दिया। हालाँकि, पी.आई.ओ पहले 150 शब्दों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकता था।

एक आर.टी.आई. आवेदन केवल धारा 8 या 9 में उल्लिखित कारणों से खारिज कर दिया गया, जिसमें छूट खंड शामिल हैं, अन्य कुछ नहीं। हालाँकि कुछ राज्य शब्द सीमाएँ और विषय वस्तु जैसे प्रतिबंध

8 छूट खंड उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहां (i) मांगी गई जानकारी भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करती है (ii) यदि प्रकटीकरण स्पष्ट रूप से कानून की अदालत द्वारा निषिद्ध है, (iii) संसद या राज्य विधायिका के विशेषाधिकार का उल्लंघन का कारण बनता है (iv) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य, या बौद्धिक संपदा सहित जानकारी (v) किसी व्यक्ति को उपलब्ध जानकारी उसका प्रत्यक्ष संबंध है (vi) विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी (vii) प्रकटीकरण से किसी भी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, (viii) जांच की प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है (ix) कैबिनेट के कागजात जिसमें परिषद के मंत्रियों, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड शामिल हैं (x) व्यक्तिगत जानकारी जिसका किसी भी सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है।

लगाते हैं, लेकिन इन्हें किसी आर.टी.आई. आवेदन को अस्वीकार करने या इसे अनदेखा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

यह बताया जाना चाहिए कि सार्वजनिक प्राधिकरण को सौंपा गया एक आर.टी.आई. आवेदन भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का एक प्रयोग है जिसमें लिखित रूप में विचारों की अभिव्यक्ति शामिल है। इस अधिकार की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं – जो कि इस महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार पर लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों को सूचीबद्ध करता है और जो यह कहता हो कि नागरिकों को खुद को व्यक्त करते समय शब्द सीमा और विषय वस्तु सीमाओं के दायरे में वैध रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि यह सिद्धांत इन राज्यों के आर.टी.आई. नियमों पर लागू किया जाता है, तो वे न्यायिक जांच में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण नहीं हो सकेंगे।

अनुरोधों और संबंधित उपाख्यान (anecdotes) की संदिग्ध अस्वीकृति

प्रकटीकरण के कर्तव्य से बचने के लिए, कुछ अन्य पी.आई.ओ. ने आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8 (1) में सूचीबद्ध छूटों या उनकी संबंधित सरकारों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के तहत पूरे संगठनों को आर.टी.आई. अधिनियम के दायरे से छूट दी। उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के पी.आई.ओ. ने राज्य सरकार की 2005 की एक अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें इसे सुरक्षा और खुफिया संगठनों की सूची में रखा गया था, जिन्हें आर.टी.आई. अधिनियम के तहत पारदर्शिता के सामान्य दायित्वों से बाहर रखा गया है। ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और गुजरात की फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा भी इसी तरह के छूट प्रावधानों का दावा किया गया था। त्रिपुरा के पुलिस विभाग के पी.आई.ओ. और असम के धुबरी जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पी.आई.ओ. ने भी अधिनियम की धारा 24 के तहत छूट का हवाला देते हुए सीसीटीवी कैमरों के बारे में जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया। हालांकि ऐसी अधिसूचनाओं में दी गई छूट के कारण उनके उत्तरों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन उन्हें आर.टी.आई. अधिनियम के दायरे से बाहर रखने से संबंधित राज्य सरकारों की कार्रवाई चिंतनीय है।

आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 24 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत आर.टी.आई. अधिनियम में उल्लिखित पारदर्शिता के सामान्य दायित्वों से उनके “सुरक्षा और खुफिया” संगठनों को बाहर करने की अनुमति देती है। वे केवल ऐसी जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य हैं जो भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित होती है जिसे वे अपनी फाइलों में रखते हैं।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी की जानकारी की मांग

कुछ पी.आई.ओ. ने सीसीटीवी कैमरा लगवाने और/या पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में जानकारी देने से इनकार करने के लिए आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8(1) के तहत सूचीबद्ध वैधानिक छूट का इस्तेमाल किया। गुजरात में, राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए सीसीटीवी कैमरों के उपयोग और फॉरेंसिक जांच उद्देश्यों के लिए वीडियो फुटेज निकालने के लिए पुलिस कर्मियों को दिए गए प्रशिक्षण के बारे में जानकारी शामिल थी। जहां अरुणाचल प्रदेश की एफ.एस.एल. ने आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 24 के तहत छूट देने वाली सरकारी अधिसूचना की एक प्रति प्रस्तुत की, वहीं गुजरात सी.पी.आई.ओ. ने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया।

हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त के पी. आई. ओ. ने भी आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जी) का हवाला देते हुए सी. सी. टी. वी. कैमरा लगाने के संबंध में सौंपे गए आर. टी. आई. आवेदन को खारिज कर दिया। यह धारा ऐसी जानकारी को गोपनीय माने जाने की अनुमति देती है जिसके खुलासे से किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को खतरा हो या कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गुप्त रूप से प्रदान की गई जानकारी के स्रोत का प्रकटीकरण होता हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसरण में सीसीटीवी कैमरा लगाने के संबंध में आर.टी.आई. आवेदन के नमूने के एक अध्ययन के बाद यह पता चल सकता है कि यह विषय धारा 8(1)(जी) के तहत उल्लिखित छूट के किसी भी आधार के अंतर्गत नहीं आता है, जैसा कि ऊपर प्राधिकरणों द्वारा कहा गया है।

फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि पी. आई. ओ. ने इस तथ्य पर पर्याप्त रूप से अपना दिमाग लगाए बिना छूट का हवाला देकर आर. टी. आई. आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि यह जानकारी केवल माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का पता लगाने के लिए मांगी गई थी। भले ही कोई क्षणिक रूप से पी. आई. ओ. से सहमत हो जाए, लेकिन आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत ऐसी कथित ‘छूट’ वाली जानकारी का खुलासा करने में भी अपार सार्वजनिक हित है, क्योंकि व्यापक सार्वजनिक हित धारा 8 (1) (जी) के तहत संरक्षित हितों के किसी भी नुकसान से अधिक है क्योंकि अंत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कानूनी हिरासत में हिंसा से, जीवन और अंगों की रक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों को लगाने का निर्देश जो दिया था।

दिलचस्प बात यह है कि बिहार के मुख्य सचिव कार्यालय के पी.आई.ओ. ने जवाब दिया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में जानकारी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है - इस तथ्य के बावजूद कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उन पर आती है। पश्चिम बंगाल के पुलिस निदेशालय (Directorate) से यह उत्तर मिला कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में बजटीय आवंटन और धन का उपयोग राज्य सरकार से संबंधित मामले हैं। उत्तराखंड पुलिस के पी.आई.ओ. ने हमें सलाह दी कि हम प्रत्येक जिले

के पी.आई.ओ. से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उन पुलिस स्टेशनों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उनके उपयोग में प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की संख्या, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित जिला निरीक्षण समितियों की संख्या और उनके कामकाज के बारे में विवरण लें।

निष्कर्ष

यहां तक कि जिन सार्वजनिक प्राधिकरणों ने या तो निःशुल्क या अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर जानकारी प्रदान की, उनमें से किसी ने भी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में पूरी जानकारी प्रदान नहीं की। कुछ मामलों में, उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का अधिक अर्थ निकालना संभव नहीं था। उदाहरण के लिए, दिल्ली पुलिस ने वर्षवार विवरण प्रदान करने के बजाय, समग्र रूप से पाँच वर्ष की अवधि में लगे सीसीटीवी कैमरों की बजटीय जानकारी प्रदान की।

जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दिए गए बजटीय आंकड़ों से यह पता नहीं

चला कि ये आंकड़े हजारों में, लाखों में या करोड़ों में थे। बिहार पुलिस विभाग ने केवल दो वर्षों के लिए बजटीय आंकड़े उपलब्ध कराए - उस अवधि की शुरुआत से लेकर अंत तक, जिसके लिए हमने जानकारी मांगी थी। जबकि मेघालय पुलिस ने हमारे अनुरोध से अधिक जानकारी प्रदान की। हालाँकि, उसने वह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जो माँगी गई थी। इस पी. आई. ओ. ने हमें पुलिस विभाग और सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए चुने गए विक्रेता के बीच पूरा पत्राचार भेजा। पुलिस को सौंपे गए आइटम के साथ खरीद आदेश भी हमारे साथ साझा किए गए थे। इसके अलावा, मेघालय की प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि सभी जानकारी अधिकारियों के पास उपलब्ध थी और उनमें से कुछ भी सार्वजनिक डोमेन से अलग या दूर रखने की आवश्यकता नहीं थी।

वेंकटेश नायक,
राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, भारत



अध्याय 7

आंकड़ों में चुनौतियाँ

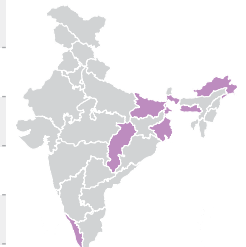
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की रैंकिंग - चाहे स्तंभवार हो या पूर्णतः - पूरी तरह से राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मात्रात्मक (quantitative) आंकड़ों पर निर्भर करती है जिसमें संख्याएं और आंकड़े शामिल हैं। आंकड़ा जितना सटीक होगा, उसके निष्कर्ष उतने ही निष्पक्ष होंगे। गलत और पुराना आंकड़ा न केवल एक झूठी और अक्सर अनुचित तस्वीर पेश करता है, बल्कि इसमें सुधार के रास्ते भी बाधित करता है। इसे संबोधित करने के लिए, आंकड़ों को एक महत्वपूर्ण लेंस के साथ देखना और नुकसान को कम करने के लिए काम करना महत्वपूर्ण है।

मुख्य रूप से, आई. जे. आर. ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), पुलिस संगठन पर आंकड़े (डी. ओ. पी. ओ.), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.), भारतीय जेल सांख्यिकी भारत (पी. एस. आई.) रिपोर्ट, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एन. जे. डी. जी.) और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट और डैशबोर्ड का उपयोग किया है। ये राज्य द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के राष्ट्रीय एकत्रीकरण हैं। इसके अलावा, आईजेआर ने संसदीय प्रश्नों, राज्य के बजट दस्तावेजों और अंत में, आर. टी. आई. प्रश्नों के उत्तरों पर भरोसा किया है। डेटा सेट विभिन्न एजेंसियों और प्रकाशनों के रिकॉर्ड में एक ही विषय से संबंधित कई कठिन विसंगतियों को दिखाते हैं। कुछ चुनौतियाँ नीचे चित्रित हैं।

- जुलाई 2022 में, लोकसभा में एक संसदीय प्रश्न के उत्तर में तमिलनाडु की अधीनस्थ अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या 428 बताई गई। एक महीने बाद, जिला अदालतों में मानव संसाधन और विविधता पर न्याय विभाग (डीओजे) पोर्टल द्वारा दिखाया आंकड़ा, शून्य पर था।
- इसी अवधि (2021-22) के लिए, तीन आधिकारिक प्रकाशनों-पीएसआई, ई-प्रिजन पोर्टल और राज्य की अपनी जेल वेबसाइट-ने दर्ज किया कि मिजोरम में 1 महिला जेल है और कोई खुली जेल नहीं है; कोई महिला जेल नहीं और 1 जेल को खुली जेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है; और क्रमशः 1 महिला जेल लेकिन कोई खुली जेल नहीं।
- इसी तरह, नालसा वेबसाइट का पीड़ित मुआवजा योजनाओं पर अनुभाग कई विसंगतियों (Anomalies) को दर्ज करता है। उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष से लंबित आवेदनों की संख्या (कॉलम बी), चालू वर्ष में प्राप्त आवेदन (कॉलम सी), और चालू वर्ष के दौरान निपटाए गए आवेदन (कॉलम ई) अंत में चालू वर्ष के लंबित आवेदनों के (कॉलम एफ) साथ नहीं जोड़े गए हैं।

जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

राज्य	2020-21 के अंत में लंबित आवेदन	2021-22 में प्राप्त आवेदन	कुल अनुप्रयोग (बी + सी)	आवेदनों का निपटान 2021-22 में किया जाता है	2021-22 के अंत में लंबित आवेदन	2021-22 [(B + C) - E] के अंत में वास्तविक विचाराधीनता
A	B	C	D	E	F	G
अरुणाचल प्रदेश	0	42	42	4	7	38
बिहार	654	1,002	1,656	785	348	871
छत्तीसगढ़	617	2,195	2,812	1,253	1,267	1,559
केरल	81	560	641	139	123	502
मेघालय	79	158	237	75	23	162
पश्चिम बंगाल	33	356	389	246	38	143



9 लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2116, दिनांक 29 जुलाई 2022। यहां उपलब्ध है: <http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/179/AU2116.pdf>

10 न्यायाधीशों की संख्या पर न्याय विभाग का पोर्टल। यहां उपलब्ध है: <https://dashboard.doi.gov.in/sanctiondata/index.php>

11 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित ई-जेल पोर्टल। यहां उपलब्ध है: <https://eprisons.nic.in/public/DashBoard>

12 NALSA की वेबसाइट कानूनी सेवा क्लीनिक, मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए गए मामलों, स्थायी लोक अदालतों, राष्ट्रीय लोक अदालतों और पीड़ित मुआवजा योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों से संबंधित आंकड़े दर्ज करती है। यहां उपलब्ध है: <https://nalsa.gov.in/statistics>

डैशबोर्ड

पारदर्शी सरकारी आंकड़े न केवल नागरिकों को सरकारी आंकड़ों की दक्षता को ट्रैक करने की सहूलियत देते हैं, बल्कि सामंजस्य और सहयोग बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के बीच आंकड़ों को साझा करने की सुविधा भी देते हैं। तेजी से डिजिटल होती अर्थव्यवस्था में आंकड़ों के एक प्रमुख संसाधन के रूप में उभरने के कारण, नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए आईटी प्लेटफॉर्म और डैशबोर्ड बनाने वाली सरकारी पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रसार हुआ है।

न्याय वितरण में सुधार के लिए कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा प्राथमिक ई-गवर्नेंस पहलों में से एक 'ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट' है। वर्तमान में अपने तीसरे चरण में, इस पहल ने 3,256 अदालत परिसरों का आंकड़ा उपलब्ध कराया है, 688 जिला अदालतों की व्यक्तिगत वेबसाइटें स्थापित की हैं, और ई-फाइलिंग और ई-भुगतान के बुनियादी ढांचे के माध्यम से एक मजबूत अदालत प्रबंधन प्रणाली बनाई है।¹³ इस परियोजना ने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एन.जे.डी.जी.) भी लागू किया है, जो कि सभी अदालतों में लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित आंकड़ों का राष्ट्रीय भंडार है।¹⁴

एन.जे.डी.जी. के अलावा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में न्याय विभाग द्वारा शुरू किए गए अन्य पोर्टलों का उपयोग भी किया गया है,¹⁵ जिसमें जिला न्यायपालिका स्तर पर मानव संसाधनों और विविधता के आंकड़ों को एकत्रित करने वाले पोर्टल, साथ ही ग्राम न्यायालयों का वितरण भी शामिल है।¹⁶ इसके अलावा, रिपोर्ट में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ-साथ नालसा डैशबोर्ड द्वारा विकसित ई-जेल पोर्टल से भी आंकड़े एकत्र किये गए हैं।

हालांकि डिजिटलीकरण पर जोर देना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सरकार अभी भी एकत्र किए गए आंकड़ों की क्षमता को अधिकतम नहीं कर पाई है। गुम आंकड़ों के बिंदु, विभिन्न डेटासेट में विसंगतियों के साथ-साथ अभिलेखीय आंकड़े (Archival Data) तक सीमित पहुंच जैसी समस्याएं ऐसे पोर्टलों के पूर्ण उपयोग को प्रतिबंधित करती हैं। इन पोर्टलों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

- ई-जेल पोर्टल जेलों और कैदी प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को एकीकृत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हालांकि, यह अभी वर्तमान समय के आंकड़े प्रदान

करता है और अभिलेखीय आंकड़े अभी तक पहुंच योग्य नहीं है। इसके अलावा इसमें विस्तृत और अलग-थलग विषय के अनुसार वर्गीकृत जानकारी का भी भारी अभाव है। उदाहरण के लिए, यह विचाराधीन कैदियों और दोषियों के रूप में जेल की आबादी का कोई वर्गीकरण प्रदान नहीं करता है और न ही यह अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण प्रदान करता है।

- ग्राम न्यायालयों पर डीओजे पोर्टल, देश भर में इन निकायों के वितरण के साथ-साथ मामले के निपटान पर आंकड़े एकत्रित करता है, हालांकि वह एक महीने से अधिक समय तक आंकड़ों को संग्रहीत नहीं करता है।¹⁷
- इसी तरह, डीओजे पोर्टल अपने आंकड़ों की संख्याओं में विसंगतियां दिखाता है जो जिला न्यायपालिका स्तर पर मानव संसाधनों और विविधता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, डैशबोर्ड न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत संख्या को एक स्थान पर 482 लेकिन दूसरे स्थान पर 526 दिखाया गया है।

मानकीकरण का अभाव

आंकड़े एकत्रित करने और प्रकाशित करने के लिए एक विशिष्ट समय अवधि की अनुपस्थिति किसी भी मुद्दे में पूरी तस्वीर पेश करने की क्षमता को कम कर देती है। उदाहरण के लिए, बीपीआर एंड डी हर साल जनवरी तक के आंकड़ों के साथ 'पुलिस संगठन पर आंकड़े' प्रकाशित करता है। उपलब्ध नवीनतम रिपोर्ट 1 जनवरी 2022 तक उपलब्ध होती है। इसी तरह, एनसीआरबी की 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया' देश भर की जेलों पर हर साल दिसंबर तक का डेटा लाती है, और नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट 31 दिसंबर, 2021 तक उपलब्ध होती है। ये दोनों संगठन गृह मंत्रालय के अधीन हैं।

न्यायपालिका के आंकड़ों को विभिन्न स्तरों पर बनाए रखा जाता है, जिसकी शुरुआत जिला अदालतों से होती है, जिसके लिए आंकड़ों को एकत्र किया जाता है और कई प्लेटफॉर्मों पर यह रिपोर्ट्स जैसे कि ई-कोर्ट, एनजेडीजी के साथ-साथ प्रत्येक उच्च न्यायालयों की वार्षिक रिपोर्ट जैसी रिपोर्टों को प्रकाशित किया जाता है। हालांकि, आंकड़ों को अलग-अलग समय पर एकत्र किया जाता है और जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरण के लिए, गुजरात उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट 2019 की है, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 2006 की वार्षिक रिपोर्ट है।

कुछ एजेंसियां वित्तीय वर्ष के आंकड़े एकत्र करती हैं जबकि अन्य कैलेंडर वर्ष का उपयोग करती हैं। उच्चतम न्यायालय की 2020-21

13 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति न्यायिक प्रणाली द्वारा अपनाई गई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई. सी. टी.) पहलों को प्रदर्शित करती है। यहाँ उपलब्ध है: <https://ecommitteesci.gov.in/significant-achievements/>

14 राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, यहां उपलब्ध है: <https://njdg.ecourts.gov.in/njdgnew/index.php>

15 न्यायाधीशों के बल पर न्याय विभाग पोर्टल। यहां उपलब्ध है <https://dashboard.doj.gov.in/sanctiondata/index.php>

16 न्याय विभाग का ग्राम न्यायालय पोर्टल। यहां उपलब्ध है: https://dashboard.doj.gov.in/gn/notified_gram_nyayalaya

17 रैंकिंग के लिए, आई. जे. आर. लोकसभा के अंतरांकित प्रश्न संख्या में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करता है। 2116, दिनांक 29 जुलाई 2022। यहाँ उपलब्ध है: <http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/179/AU2116.pdf>

की वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष प्रारूप का उपयोग करती है कुछ उच्च न्यायालय मासिक, अन्य त्रैमासिक और अन्य वार्षिक रूप से आंकड़े प्रदान करते हैं। कुछ उच्च न्यायालय वित्तीय वर्ष प्रारूप का उपयोग करते हैं जबकि अन्य कैलेंडर वर्ष का उपयोग करते हैं।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट कैलेंडर और वित्तीय वर्ष दोनों प्रारूपों में आती है। मार्च 2019 के बाद नालसा के डैशबोर्ड को अपडेट किया जाना बाकी है। राज्य मानवाधिकार आयोगों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट- 25 में से 17 राज्यों ने वार्षिक रिपोर्ट अपलोड नहीं की है। अन्य आयोग अनियमित रूप से प्रकाशित करते हैं या कभी भी प्रकाशित नहीं करते हैं।

श्रेणी और संग्रह में परिवर्तन

अधिक विवरण जोड़ने हेतु अपने प्रारूपों में सुधार करते हुए, 2018 में, बी.पी.आर.एंड डी. के डी.ओ.पी.ओ. ने कुल पुलिस थानों की संख्या के साथ यातायात/विशेष पुलिस थानों को एकत्रित किया। अगले वर्ष उन्होंने पुलिस थानों को रेलवे पुलिस थानों के साथ जोड़ा गया और 2020 में वर्गीकरण को पूरी तरह से ग्रामीण, शहरी और विशेष उद्देश्य वाले पुलिस थानों में बदल दिया गया और यातायात पुलिस थानों को उनका अपना अध्याय दिया गया। इसके अतिरिक्त, 2016 तक, बी. पी. आर. एंड डी. ने 12 पैमानों में से 6 रैंक के लिए जाति सम्बन्धित आंकड़ा प्रदान किया। 2017 और 2018 के लिए, इसे घटाकर 4 रैंक कर दिया गया और 2019 और 2020 में फिर से 6 रैंक पर वापस ला दिया। जबकि महिलाओं पर आंकड़े प्रत्येक रैंक के लिए वर्गीकृत है, एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के लिए समान विभाजन उपलब्ध नहीं है।

पुलिस संगठन (डी. ओ. पी. ओ.) के आंकड़ों ने 2017 में पुलिस कर्मियों को प्रदान किए गए सेवा प्रशिक्षण की सूचना दी। 2017 के बाद से यह जारी नहीं रखा गया। इसी तरह एक ओर जिला अदालत के न्यायाधीशों और राज्य पुलिस के लिए जाति और लिंग पर आंकड़ा प्रदान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या आई. पी. एस. अधिकारी पदों के लिए ऐसा कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया है। 2013 तक पुलिस के लिए उपलब्ध धर्म के आधार पर आंकड़े अब उपलब्ध नहीं हैं।

'अन्य' आंकड़े

अक्सर अन्य विस्तृत आंकड़ों के निहितार्थ (implications) को एक

अनिश्चित श्रेणी "अन्य या अन्य यदि कोई हो" की उपस्थिति से अनदेखा कर दिया जाता है। ये कॉलम जो अक्सर अवशिष्ट और अनिर्धारित जानकारी रखते हैं, वे एन. सी. आर. बी. और बी. पी. आर. डी. के राष्ट्रीय डेटा सेट में मौजूद होते हैं। अक्सर उनमें व्याख्यात्मक टिप्पणियों नहीं होती हैं जिससे यह बताया जा सके कि वे क्या तात्पर्य रखते हैं या एक विस्तृत और स्पष्ट तस्वीर को अस्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, स्वीकृत, वास्तविक और खाली पुलिस पदों को सूचीबद्ध करने के बाद बी. पी. आर. डी. 'अन्य यदि कोई' पुलिस कर्मियों को सूचीबद्ध करता है। अक्सर ये एक बड़ी संख्या होती हैं।

पी. एस. आई. भोजन, कपड़े, चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और 'अन्य' के तहत कैदियों पर होने वाले खर्च का विवरण देता है। 'अन्य' श्रेणी अक्सर उच्च व्यय दिखाती है। उदाहरण के लिए, हरियाणा की 'अन्य' श्रेणी 306.5 करोड़ रुपये का व्यय दर्शाती है जो उनके कुल व्यय का 87.5 प्रतिशत है। व्याख्यात्मक टिप्पणी में कहा गया है कि इस श्रेणी के खर्च में 'स्वच्छता, रिमांड के दौरान कैदियों की आवाजाही के लिए परिवहन सुविधाओं, परीक्षण, स्थानांतरण, अस्पतालों आदि पर किया गया खर्च शामिल हो सकता है।'¹⁸

पी. एस. आई. कैदियों के प्रकारों को भी दोषी, विचाराधीन, बंदी और 'अन्य' के रूप में वर्गीकृत करता है। देश भर में 'अन्य' कैदियों की संख्या 547 है। एक अन्य अस्पष्ट श्रेणी जेल में मौतों से संबंधित है। पी. एस. आई. कैदियों की मौत को 'प्राकृतिक' और 'अप्राकृतिक' कारणों और 'अन्य' के कारण होने के रूप में दर्ज करता है। प्राकृतिक कारणों में उम्र बढ़ने और बीमारी के कारण होने वाली मौतें शामिल हैं। जबकि प्राकृतिक कारणों को अंग विफलता के प्रकार या एच. आई. वी. या कैंसर जैसी बीमारियों में काफी विस्तार के साथ वर्गीकृत किया जाता है और अप्राकृतिक मौतों में आत्महत्या, लापरवाही के कारण होने वाली मौतें, दुर्घटनाएं और 'अन्य' शामिल हैं। मौतों की यह श्रेणी अस्पष्ट बनी हुई है, चाहे उनकी संख्या कुछ भी हो।

निस्संदेह आपराधिक न्याय प्रणाली की एक अधिक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए अधिक से अधिक आंकड़ों को सामने रखा जा रहा है, डिजिटल किया जा रहा है और एकीकृत किया जा रहा है। यह एक ऐसा कार्य है जो प्रगति पर है जो मानक संचालन प्रोटोकॉल, निरंतरता और लगातार बढ़ती बारीकियों से लाभान्वित होगा।

अध्याय 8

कार्यप्रणाली

मापन प्रक्रिया-हमें विकास के बारे में अध्ययन, तुलना, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालने में और-नीतिगत निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है।

संख्याओं के निर्धारण के माध्यम से विभिन्न गुणों का मूल्यांकन सभी वैज्ञानिक निष्कर्षों का मूल है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के 2022 संस्करण (edition) के जरिए, हम न्याय प्रणाली के चार प्रमुख स्तंभों, अर्थात् पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता और चौथे ताकतवर स्तंभ राज्य मानव अधिकार आयोग के माध्यम से राज्यों में न्याय क्षमता में सुधार के दायरे के साथ-साथ स्थिरता का मानचित्रण करते हैं। पिछले दो संस्करणों की तरह, हमारे आकलन को गहरा और व्यापक बनाने के उद्देश्य से नए संकेतक जोड़े गए हैं। चार मुख्य स्तंभों में सत्रह नए संकेतक जोड़े गए हैं, जिससे संकेतकों की कुल संख्या 102 हो गई है।

यह आई.जे.आर. राज्य मानवाधिकार आयोगों (एस.एच.आर.सी.) की क्षमता और प्रदर्शन का आकलन अलग से करता है, न कि किसी राज्य की समग्र रैंकिंग के हिस्से के रूप में।

सभी स्तंभों को छह विषयों के आधार पर मापा जाता है: बजट, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन, कार्यभार, विविधता और रुझान (या सुधार का इरादा)।

चरण 1: रूपरेखा

चारों स्तंभों के आंकड़ों के संकेतक :

	स्तंभ	कुल संकेतक	नए संकेतक
1.	पुलिस	30	4
2.	जेल	29	6
3.	न्यायपालिका	28	5
4.	कानूनी सहायता	15	2
	कुल	102	17

स्तंभों पर संकेतक निम्नलिखित विषयों को कवर करते हैं:

1. आधारभूत संरचना
2. मानव संसाधन
3. विविधता (लिंग, एससी/एसटी/ओबीसी)
4. बजट
5. कार्यभार
6. रुझान (पिछले पांच वर्षों में बदलाव)

प्रत्येक विषय एक स्तंभ के कामकाज के लिए आवश्यक पूर्व शर्त (precondition) का प्रतिनिधित्व करता है। बजट प्रति कार्यकर्ता या प्रति व्यक्ति प्राप्त, उपयोग और खर्च किए गए धन को मापता है; बुनियादी ढांचा, अर्थात् उपलब्ध बुनियादी भौतिक संसाधन; मानव संसाधन स्वीकृत और कार्यस्थल पर उपलब्ध कर्मियों पर ध्यान देता है; कार्यभार एक विशेष उपप्रणाली के भीतर एक पदाधिकारी पर सेवा वितरण का भार दर्शाता है; और विविधता यह आकलन करती है कि ये प्रणालियाँ उन आबादी का कितना प्रतिनिधित्व करती हैं जिनकी सेवा के लिए उन्हें स्थापित किया गया है। छठे विषय, 'रुझान' का उपयोग, जहां संभव हो, यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि किसी विशेष विषय में पांच वर्षों में सुधार हुआ है या गिरावट देखी गई। अंत में कुल रैंकिंग पर पहुंचने पर इस विषय को भी ध्यान में रखा जाता है।

चरण 2: समूहीकरण (clustering)

भारत भर में जनसांख्यिकी (Demography) और भूगोल दोनों के संदर्भ में व्यापक विविधताएं, तुलना करना कठिन बना देती हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में पुलिस क्षमता गोवा या सिक्किम की तुलना में अतुलनीय है। राज्यों के बीच निष्पक्ष तुलना करने के लिए, रिपोर्ट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार समूहों में विभाजित करती है:

समूह 1 (रैंकिंग)

अठारह बड़े और मध्यम आकार के राज्य या 100 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले राज्य।

समूह 2 (रैंकिंग)

100 लाख तक की आबादी वाले सात छोटे आकार के राज्य, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा।

समूह 3 (रैंक नहीं किए गए)

8 केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आंकड़ा प्रदान किया गया है लेकिन उन्हें रैंक नहीं किया गया है। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (डीएनएच और डीडी), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं।

समूह 4 (रैंक नहीं किए गए)

तीन राज्य ऐसे हैं जहां सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) लागू है, अर्थात् मणिपुर, असम और नागालैंड। रिपोर्ट इन पर आंकड़े प्रदान करती है लेकिन उन्हें रैंक नहीं करती है।

चरण 3: फ़िल्टर करना

सभी संकेतक सरकारी आंकड़ों की उपलब्धता और राज्यों में तुलनीयता के आधार पर चुने जाते हैं। बेंचमार्क यानी विभिन्न मानक जहां भी उपलब्ध हो जैसे कि कानूनों में, नीतिगत घोषणाओं में और उच्चतम न्यायालय के फैसलों में से लिए जाते हैं। सरकारी सुझावों का भी उपयोग किया जाता है। स्तंभों में सत्रह नए संकेतक हैं, जिनमें से कुछ न्यायपालिका के मामले में अधीनस्थ न्यायालयों में विविधता, पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों की उपस्थिति, पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क और राज्य में भीड़भाड़ वाली जेलों की हिस्सेदारी को मापने वाले संकेतक हैं।

आधारभूत

आई.जे.आर. 2022 प्रेस में जाने के समय उपलब्ध नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करता है। ये हैं:

बजट दस्तावेजों की असमान उपलब्धता और प्रत्येक बजट प्रमुखों को रिकॉर्ड करने के तरीके में भिन्नता के कारण राज्य के बजट दस्तावेजों

के बजाय लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) दस्तावेजों को प्राथमिकता दी गई है। हालाँकि, कानूनी सहायता के लिए, राज्य के बजट दस्तावेजों का उपयोग किया गया क्योंकि बजटीय आंकड़े सीएजी दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं थे।

ई-जेल पोर्टल

भीड़भाड़ वाली जेलों पर दो संकेतकों के लिए - एक राज्य में क्षमता से ज्यादा भारी हुई जेलों की हिस्सेदारी और 150 प्रतिशत तक भारी हुई जेलों की हिस्सेदारी - रिपोर्ट में ई-जेल पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग किया गया है। पोर्टल में 1,367 जेलों की सूची है, जिनमें से 53 जेलों को कुल संख्या में नहीं जोड़ा गया, क्योंकि वे कार्यात्मक नहीं हैं या संबंधित जेल विभागों के पास जेलों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, या उनमें से कुछ राजस्व विभाग के अंतर्गत आती हैं। इस रिपोर्ट में, जुलाई से अक्टूबर 2022 तक, तीन महीने की अवधि में ई-जेलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

वर्ष के अंत में लंबित मामले

न्यायपालिका स्तंभ के तहत 'वर्ष के अंत में लंबित मामलों' संकेतक के लिए, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। वर्ष की शुरुआत/अंत में लंबित मामलों का डेटा एनजेडीजी के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए, अदालत द्वारा चर्चा में इस्तेमाल पुराने आंकड़ों को कुछ गणनाओं के लिए उपयोग किया गया है। विभिन्न उच्च न्यायालय वेबसाइटों के आंकड़ों से तुलना करने पर इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है।

स्तंभ/विषय	तिथि/अवधि	स्रोत	स्तंभ/विषय	तिथि/अवधि	स्रोत
पुलिस	1 जनवरी 2022	पुलिस संगठनों 2022 पर आंकड़े	कानूनी सहायता	2020-21, 2021-22, मार्च 2022, जून 2022	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण
जेल	31 दिसंबर 2021	जेल सांख्यिकी भारत 2021	जनसंख्या के आंकड़े	मार्च 2020, मार्च 2021	राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2019
न्यायपालिका	2022, दिसंबर 2022, जुलाई 2022, अगस्त 2022, जनवरी 2023	राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय समाचार, न्याय विभाग, संसदीय प्रश्न	बजट के आंकड़े	2020-21	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्यों के बजट दस्तावेज

1 पहले की रिपोर्ट में, जम्मू और कश्मीर को क्लस्टर IV में शामिल किया गया था। अगस्त 2019 से यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए इसे क्लस्टर III में स्थानांतरित कर दिया गया है। किसी भी तरह से, एक केंद्र शासित प्रदेश या ए. एफ. एस. पी. ए. राज्य के रूप में इसे स्थान नहीं दिया गया है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय 2020 में हुआ था। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डेटा को जहां भी उपयोग किया जाता है, वहां मिला दिया जाता है।

स्रोत	कैलेंडर वर्ष	वर्ष (क) की शुरुआत में लंबित मामले	वर्ष (बी) के दौरान स्थापित मामले	वर्ष (सी) के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में लंबित मामले (डी = ए + बी-सी)
अदालती समाचार	2017	2,89,445	1,38,285	1,20,310	3,07,420
अदालती समाचार	2018	3,07,420	1,33,734	1,09,766	3,31,388
एनजेडीजी	2019	3,31,388	1,33,704	1,07,918	3,57,174
एनजेडीजी	2020	3,57,174	98,566	74,206	3,81,534
एनजेडीजी	2021	3,81,534	1,23,289	98,161	4,06,662
एनजेडीजी	2022	4,06,662	1,37,741	1,16,249	4,28,154

राज्य नागरिक पोर्टल

इन राज्य-वार पोर्टलों द्वारा नौ बुनियादी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उनका मूल्यांकन सेवाओं की पहुंच, भाषा और पूर्णता के आधार पर किया गया। पोर्टल के कामकाज में सुधार का मूल्यांकन करने के लिए सितंबर 2022 से नवंबर 2022 तक दो बार इन नौ सेवाओं की जांच करके राज्य नागरिक पोर्टल के अनुपालन का आकलन किया गया था। पोर्टल के एक से अधिक भाषाओं में उपलब्ध होने पर एक अंक दिया गया; और सामग्री की पूर्णता के लिए प्रति सेवा एक अंक दिया गया था। जहां एक सेवा को विभिन्न उप-भागों में विभाजित किया गया था, उस चिह्न को भी उप-विभाजित किया गया था। उदाहरण के तौर पर, यदि सेवा चोरी/बरामद वाहनों, हथियारों और अन्य संपत्तियों पर विवरण प्रदान करने की मांग करती है, तो तीन उप-श्रेणियों में से प्रत्येक को 0.3 का अधिकतम स्कोर आवंटित किया गया था। इसलिए 'अपूर्ण' सेवाओं को भी आंशिक अंक दिए गए थे।

राज्य मानवाधिकार आयोग

मौजूदा 25 एस.एच.आर.सी. से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए, 136 आर.टी.आई. आवेदन दायर किए गए थे, क्योंकि एस.एच.आर.सी. के लिए पूरा आंकड़ा न तो एकत्र किया गया था, न ही प्रकाशित किया गया था, या सक्रिय रूप से जनता के सामने प्रकट नहीं किया गया था। सात संकेतकों में से प्रत्येक पर प्रदर्शन की गणना चरण 4 और 5 के समान तरीकों का उपयोग करके की गई थी। असम और मणिपुर को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) की उपस्थिति के कारण रैंकिंग से बाहर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर को बाहर रखा गया है क्योंकि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद एस.एच.आर.सी. को भंग कर दिया गया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 एस.एच.आर.सी. की स्थापना, शक्तियों और कार्यों का प्रावधान करता है, और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बेंचमार्क (मानक) के रूप में उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (जी.ए.एन.एच.आर.आई.)

और पेरिस सिद्धांतों के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी उल्लेख किया गया है।

चरण 4: स्कोरिंग की विधि

आई.जे.आर. 2019 और 2020 की तरह, आंकड़ों को एक सामान्य पैमाने पर फिर से आधारित किया गया था ताकि प्रत्येक संकेतक को 1 से 10 के पैमाने पर स्कोर दिया जा सके, जिसमें 1 सबसे कम या कम से कम वांछनीय (desirable) स्थिति है, और 10 उच्चतम या सर्वोत्तम स्कोर का संकेत देता है। बीच के अंकों को यह दिखाने के लिए अंशांकित किया गया कि कोई राज्य सर्वोत्तम और न्यूनतम के संबंध में कहां खड़ा है। जहां कोई राज्य अपने लिए निर्धारित बेंचमार्क को पूरा करता है या उससे आगे निकल जाता है, तो उसे 10 का स्कोर प्राप्त होता है। ऐसे मामलों में जहां कोई बेंचमार्क उपलब्ध नहीं था, राज्य को 10 का 'शीर्ष' स्कोर प्राप्त होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य एक आदर्श क्षमता तक पहुंच गया है, इसका अर्थ केवल यह है कि वह अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम है। प्रत्येक सूचक के अंकों को एकत्र किया गया और एक स्तंभ स्कोर पर पहुंचने के लिए औसत किया गया, 1 से 10 के पैमाने पर भी स्कोर किया गया। रेखा गुणोत्तर माध्य (Geometric Mean) का उपयोग करके औसत निकाला गया क्योंकि इस विधि में अत्यधिक बाहरी आंकड़ों द्वारा विरूपण (Distortion) की संभावना कम होती है। इस प्रकार, प्रत्येक स्तंभ के लिए प्रत्येक राज्य को 10 में से एक अंक और उसके समूह में एक रैंक मिली। फिर समग्र स्कोर तक पहुंचने के लिए स्तंभ स्कोर का औसत भी 10 में से निकाला गया।

चरण 5: स्कोरिंग और रैंकिंग

प्रत्येक समूह के लिए, रिपोर्ट ने चरण 4 में उल्लिखित पद्धति को स्तंभ के प्रत्येक संकेतक पर लागू किया। उन राज्यों के लिए जिनके आंकड़े कुछ संकेतकों के लिए अपरिहार्य कारण (Unavoidable Reasons) के कारण गायब थे - वहाँ संकेतकों की संख्या कम कर दी गई थी।

इसका एक उदाहरण हरियाणा का है जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, वहाँ भी संकेतकों की संख्या कम कर दी थी।

कुछ राज्यों को आधुनिकीकरण निधि के लिए अनुदान (grant) नहीं मिला था, ऐसे राज्यों में उनके स्कोर निकालते समय संकेतकों की संख्या भी तदनुसार कम कर दी गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए न्यायपालिका का आकलन करने में उनके विभाजन से पहले अलग-अलग आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण केवल तीन-वर्षीय रुझानों का उपयोग किया गया है।

चरण 6: विषयों और भारों में संकेतक की एकरूपता

प्रत्येक संकेतक, थीम और स्तंभ को समान महत्व दिया गया है ताकि किसी एक पहलू को दूसरे पर अधिक महत्व न दिया जाए। अध्ययन किसी एक तत्व को अधिक या कम महत्व देकर व्यक्तिपरकता (subjectivity) नहीं करता है, क्योंकि प्रत्येक आंकड़े का विवरण पूरे परिणाम को प्रभावित करता है।

चरण 7: आंकड़ों की जाँच

स्रोत के आंकड़ों की जांच दो समय पर की गई: रैंकिंग का प्रारंभिक सेट तैयार होने के बाद, और रैंकिंग का अंतिम सेट तैयार होने के बाद (दूसरे शब्दों में, वेब और प्रिंट आउटपुट से पहले)। अंतिम आउटपुट पर तीसरे दौर की जाँच की गई।

अन्य बिंदु

दशमलव को पूर्णांकित करना

रिपोर्ट में दशमलव को, आंकड़ों को पढ़ने में आसानी के माध्यम से रखा गया। जहां संख्याएं बड़ी थीं, वहां दशमलव को शामिल नहीं किया गया और जहां वे छोटी थीं और भिन्नता में थी, वहां दशमलव को शामिल किया गया था - आवश्यकतानुसार एक या दो स्थानों पर।

प्रतिशत अंक का उपयोग

रिपोर्ट प्रवृत्ति या परिवर्तन संकेतकों के लिए माप की एक इकाई के रूप में प्रतिशत अंक का उपयोग करती है। इसकी गणना वृद्धि या कमी को उजागर करने के लिए दो प्रतिशत के बीच के अंतर के रूप में की जाती है।

केंद्र शासित प्रदेश और राज्य

केंद्र शासित प्रदेशों और आफ्रिक्ता राज्यों को क्रमबद्ध नहीं किया गया है जैसा कि पहले ही चरण 2 में उल्लेख किया गया है। अगस्त 2019 तक, जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख।

इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग आंकड़े प्रवृत्ति संकेतकों के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये दोनों प्रवृत्ति संकेतकों में शामिल नहीं हैं। इसी तरह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों का विलय (merged) 26 जनवरी 2020 को किया गया था। इन दोनों के लिए अलग-अलग आंकड़ों को जोड़ा जाता है।

अंकगणितीय माध्य की तुलना में रेखा गुणोत्तर माध्य

एक ऐसे परिदृश्य में जहां एक राज्य कुछ चरण में बहुत अच्छा या बहुत खराब प्रदर्शन करते हैं, और परिणामस्वरूप एक स्तंभ में उच्च या निम्न स्कोर करते हैं, रेखा गुणोत्तर माध्य जो आउटलायर i.e औसत से अत्यधिक संख्या या न्यूनतम चरम चर को सामान्य करता है।

साझा न्यायालय क्षेत्राधिकार

उन राज्यों के लिए जो न्यायालय क्षेत्राधिकार साझा करते हैं, रिपोर्ट में उन्हीं आंकड़ों का उपयोग किया गया जहां उचित हो। उदाहरण के लिए, प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश की जनसंख्या की गणना पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जनसंख्या को मिलाकर की गई क्योंकि दोनों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक ही उच्च न्यायालय द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

ताकत और सीमाएं

न्याय क्षमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग हमारे देश के संदर्भ में एक अभूतपूर्व अभ्यास है जिसका उद्देश्य असमान और अब तक छुपी हुई जानकारी को एक साथ लाना है। इस साल की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 7 छोटे राज्यों और 18 बड़े राज्यों की न्याय देने की क्षमता को एक बार फिर से स्थान दिया गया है। हम प्रत्येक रिपोर्ट के साथ सिस्टम की अधिक गहनता से जांच करते हैं और, हमेशा की तरह, केवल सबसे सटीक आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करते हैं। इतने अधिक आंकड़ों का प्रसारण संभावित हस्तक्षेप और इन संस्थानों के सुधार हेतु सक्षम बनाता है। इतना ही नहीं, बल्कि असमान आंकड़ों की उपलब्धता के कारण होने वाले आंतरिक अंतराल से भी संकेत मिलता है कि देश भर में विश्वसनीय, सुसंगत, समय पर और सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटा सिस्टम स्थापित करना कितना जरूरी है जो कि भविष्य में सफलता के लिए सहयोगात्मक आंतरिक योजना (Collaborative Internal Planning) की सुविधा प्रदान करता है।

रिपोर्ट को सरकारी संगठनों, न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त डीजीपी, पुलिस और विभिन्न उप-प्रणालियों के अन्य विशेषज्ञों द्वारा चल रहे आकलन और सिफारिशों से लाभ मिलता है क्योंकि यह रिपोर्ट कई विशिष्ट नागरिक समाज समूहों के बीच एक साझेदारी है। इस प्रकार कई अलग-अलग दृष्टिकोणों का समावेश संकेतकों और रेटिंग के चयन की पुष्टि करता है।

यह रिपोर्ट न्याय प्रणाली के चयनित पहलुओं पर एक विशुद्ध मात्रात्मक अभ्यास (Quantitative Exercise) है। इसका मूल्यांकन अक्सर आंकड़ों की अनुपलब्धता और कमी तथा इसकी विसंगतियों के कारण सीमित होता है। यह रिपोर्ट कर्तव्य धारक, पदाधिकारी और हितधारक (Stakeholder) के खुद के विचार को रिपोर्ट में साझा करने की आकांक्षा नहीं रखता है जैसा कि कई अध्ययन और सर्वेक्षण में किया जाता है। फिर भी यह रिपोर्ट न्याय प्रशासन में शामिल संरचनाओं का

मूल्यांकन, सेवा और प्रतिक्रिया के स्तर की ओर इशारा करता है।

यहां आंकड़ों का चित्रण अन्य गुणात्मक अध्ययनों के लिए भी एक आवश्यक पूरक है और कई समस्याओं के संभावित समाधानों की ओर नज़र ले जाने में मदद करता है। हमें उम्मीद है कि यह रिपोर्ट दूसरों को न्याय वितरण प्रणाली की संरचना का समग्र और अधिक विस्तार से मूल्यांकन करने के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।



सुझाव

1 पुलिस स्टेशनों और मुकदमे के पहले न्यायालय में 24*7 कानूनी मार्गदर्शन एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।	6 प्रशिक्षण को एक सम्मानजनक भाग मानें और सभी प्रशिक्षण सुविधाओं में मानव और वित्तीय संसाधनों को प्राथमिकता दें।
उच्चतम न्यायालय के परमवीर सिंह सैनी के फैसले को पूरी तरह से लागू करें, जिसमें पुलिस द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग की जांच के लिए हर पुलिस स्टेशन को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने का आदेश दिया गया है।	7 कैदियों की 14 श्रेणियों की रिहाई के लिए यूटीआरसी दिशानिर्देश सुनिश्चित करें
3 रिक्तियों को तत्काल भरें।	यूटीआरसी और न्यायाधीशों सहित जेलों का दौरा करने के लिए आधिकारिक रूप से अनिवार्य किए गए सभी लोगों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा इनके इन दौरों को इनके प्रशासनिक प्रदर्शन की समीक्षा से जोड़ा जाना चाहिए।
हमें पहले उत्तरदाताओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों में वृद्धि शुरू करने की आवश्यकता है।	9 एसएचआरसी को पूर्ण संसाधनयुक्त होना चाहिए और सक्रिय रूप से समुदाय तक पहुंचना चाहिए।
5 कानून से जुड़ी हर प्रणालियों में जाति, लिंग और विशेष रूप से सक्षम लोगों की विविधता बढ़ाना।	10 न्याय वितरण प्रणाली को एक आवश्यक सेवा के रूप में नामित करें और इसे हर समय प्रभावी न्याय वितरण प्रदान करने के लिए हर पहले उत्तरदाता के लिए बढ़ाएं, विस्तारित करें और सुसज्जित करें।



156 | इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022

11. अनुसूचित जाति अधिकारी, वास्तविक से आरक्षित अनुपात (%)।

सूत्र:

वास्तविक अनुसूचित जाति (एससी) के अधिकारी।

----- * 100

(स्वीकृत अधिकारी पद * अनुसूचित जाति आरक्षण)।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2022।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), जनवरी 2022

टिप्पणियाँ: अधिकारियों में ए. एस. पी./डी. वाई. एस. पी./सहायक शामिल हैं। कॉमन + इंस्पेक्टर/आर. आई. + एस. आई./आर. एस. आई. + ए. एस. आई./ए. आर. एस. आई.

12. अनुसूचित जाति के सिपाही, वास्तविक से आरक्षित अनुपात (%)।

सूत्र:

वास्तविक अनुसूचित जाति (एससी) के सिपाही।

----- * 100

(स्वीकृत सिपाही पद * अनुसूचित जाति आरक्षण)।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2022।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), जनवरी 2022 नोट्स कांस्टेबलों में हेड कांस्टेबल शामिल हैं।

13. अनुसूचित जनजाति अधिकारी, वास्तविक से आरक्षित अनुपात (%)।

सूत्र:

वास्तविक अनुसूचित जनजाति (एसटी) अधिकारी।

----- * 100

(स्वीकृत अधिकारी पद * एसटी आरक्षण)।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2022।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), जनवरी 2022 टिप्पणियाँ: अधिकारियों में ए. एस. पी./डी. वाई. एस. पी./सहायक शामिल हैं। कॉमन + इंस्पेक्टर/आर. आई. + एस. आई./आर. एस. आई. + ए. एस. आई./ए. आर. एस. आई.

14. एसटी सिपाही, वास्तविक से आरक्षित अनुपात (%)।

सूत्र:

वास्तविक अनुसूचित जनजाति (एसटी) सिपाही।

----- * 100

(स्वीकृत सिपाही पद * एसटी आरक्षण)।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2022।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और

विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), जनवरी 2022

नोट्स: कांस्टेबलों में हेड कांस्टेबल शामिल हैं।

15. ओ. बी. सी. अधिकारी, वास्तविक से आरक्षित अनुपात (%)।

सूत्र:

वास्तविक अन्य पिछड़े वर्ग (ओ. बी. सी.) के अधिकारी।

----- * 100

(स्वीकृत अधिकारी पद * ओ. बी. सी. आरक्षण)

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2022।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), जनवरी 2022

टिप्पणियाँ: अधिकारियों में ए. एस. पी./डी. वाई. एस. पी./सहायक शामिल हैं। कॉमन + इंस्पेक्टर/आर. आई. + एस. आई./आर. एस. आई. + ए. एस. आई./ए. आर. एस. आई.

16. ओ. बी. सी. सिपाही, वास्तविक से आरक्षित अनुपात (%)।

सूत्र:

वास्तविक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) सिपाही।

----- * 100

(स्वीकृत सिपाही पद * ओ. बी. सी. आरक्षण)।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 1 जनवरी 2022।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), जनवरी 2022

नोट्स: कांस्टेबलों में हेड कांस्टेबल शामिल हैं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर

17. जनसंख्या प्रति पुलिस थाना (ग्रामीण) (व्यक्ति)।

सूत्र:

ग्रामीण जनसंख्या।

ग्रामीण पुलिस स्टेशन।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: मार्च 2022 (ग्रामीण आबादी), जनवरी 2022 (ग्रामीण पुलिस स्टेशन)।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), जनवरी 2022

18. जनसंख्या प्रति पुलिस थाना (शहरी) (व्यक्ति)।

सूत्र:

शहरी जनसंख्या।

शहरी पुलिस स्टेशन।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: मार्च 2022 (शहरी आबादी), जनवरी 2022 (शहरी पुलिस स्टेशन)।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), जनवरी 2022

19. प्रति थाना क्षेत्र (ग्रामीण) (वर्ग कि. मी.)।

सूत्र:

ग्रामीण क्षेत्र (वर्ग कि. मी.)।

ग्रामीण पुलिस स्टेशन।

बेंचमार्क: 150 वर्ग किमी या उससे कम (राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट 1981)।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2011 (ग्रामीण क्षेत्र), जनवरी 2022 (ग्रामीण पुलिस स्टेशन)।

डेटा स्रोत: जनगणना 2011; पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), जनवरी 2022

20. प्रति पुलिस थाना क्षेत्र (शहरी) (वर्ग कि. मी.)।

सूत्र:

शहरी क्षेत्र (वर्ग कि. मी.)।

शहरी पुलिस स्टेशन।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2011 (शहरी क्षेत्र), जनवरी 2022 (शहरी पुलिस स्टेशन)।

डेटा स्रोत: जनगणना 2011; पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), जनवरी 2022

21. राज्य पुलिस नागरिक पोर्टल (%) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।

सूत्र:

प्रदान की जाने वाली सेवाएं (10 में से)।

----- * 100

10.

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2022। डेटा स्रोत: <https://digitalpolice.gov.in>

नोट्स: 10 मामलों पर राज्य पुलिस नागरिक पोर्टलों का मात्रात्मक मूल्यांकन: क्या उनमें गृह मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध 9 सेवाओं में से प्रत्येक शामिल है और क्या पोर्टल राज्य की भाषा (अंग्रेजी के अलावा) में उपलब्ध था।

22. प्रति प्रशिक्षण संस्थान कार्मिक (संख्या)।

सूत्र:

स्वीकृत कुल पुलिस।

प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: जनवरी 2022।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), जनवरी 2022

23. सीसीटीवी के साथ पुलिस थानों का हिस्सा (%)।

सूत्र:

सीसीटीवी के साथ पुलिस स्टेशन।

* 100

कुल पुलिस स्टेशन।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: जनवरी 2022।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), जनवरी 2022

24. महिला हेल्प डेस्क के साथ पुलिस स्टेशनों का हिस्सा (%)।

सूत्र:

महिला सहायता डेस्क वाले पुलिस स्टेशन।

* 100

कुल पुलिस स्टेशन।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: जनवरी 2022।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), जनवरी 2022

वर्कलोड

25. जनसंख्या प्रति नागरिक पुलिस (व्यक्ति)।

सूत्र:

राज्य की जनसंख्या।

कुल सिविल पुलिस।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: मार्च 2022 (राज्य की आबादी), जनवरी 2022 (सिविल पुलिस)।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.), जनवरी 2022

टिप्पणियाँ: सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र आरक्षित पुलिस शामिल है।

रुझान

26. कुल पुलिस में महिलाएं (प्रतिशत अंक)।

फार्मूला:

कुल पुलिस में महिलाएँ-X

2016	X1	
2017	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-वर्षीय औसत (a,b,c,d,e)		

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2017 से 2021 तक।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा।

27. कुल अधिकारियों में महिला अधिकारी (प्रतिशत अंक)।

सूत्र:

कुल अधिकारियों में महिला अधिकारी-X

2016	X1	
2017	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-वर्षीय औसत (a,b,c,d,e)		

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2017 से 2021 तक।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा।

नोट: 2016 की गणना 2017 के लिए दोहराई गई है क्योंकि बी. पी. आर. एंड डी. ने 2017 के लिए महिला जिला सशस्त्र आरक्षित पुलिस के लिए रैंक-वार डेटा प्रदान नहीं किया था।

28. कांस्टेबल रक्ति (प्रतिशत अंक)।

फॉर्मूला:

कांस्टेबल रक्ति-X

2016	X1	
2017	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-वर्षीय औसत (a,b,c,d,e).		

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2017 से 2021 तक।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा।

29. अधिकारी रक्ति (प्रतिशत अंक)।

अधिकारी रक्ति-X

2016	X1	
2017	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5-वर्षीय औसत (a,b,c,d,e).		

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2017 से 2021 तक।

डेटा स्रोत: पुलिस संगठनों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) पर डेटा।

30. खर्च में अंतर: पुलिस बनाम राज्य (प्रतिशत अंक)।

सूत्र:

[पुलिस व्यय का 5-वर्षीय वार्षिक औसत (पी. ई.)-राज्य व्यय का 5-वर्षीय वार्षिक औसत (एस. ई.)]

2015-16	PE = X1	
2016-17	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2017-18	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2018-19	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2019-20	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2020-21	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
पी. ई. = औसत (a,b,c,d,e).		

2015-16 SE = X1

2016-17	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2017-18	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2018-19	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2019-20	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2020-21	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
एसई = औसत(a,b,c,d,e).		

बेंचमार्क: शून्य से बड़ा।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: वित्तीय वर्ष 2016-27 से 2020-21।

डेटा स्रोत: भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; खुला बजट भारत; गृह मंत्रालय का वित्त प्रभाग

जेल

बजट

1. प्रति कैदी (रु.) खर्च करें।

सूत्र:

जेल खर्च।

कुल कैदी।

बैंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2021-22।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021

2. जेल बजट का उपयोग (%)।

सूत्र:

जेल खर्च।

* 100

जेल बजट।

बैंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2021-22।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021

मानव संसाधन

3. अधिकारी, रिक्ति (%)।

सूत्र:

वास्तविक जेल अधिकारी।

100 - () * 100

स्वीकृत जेल अधिकारी।

बैंचमार्क: 0 प्रतिशत।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021।

नोट: अधिकारियों में निम्नलिखित शामिल हैं: डी. जी./ए. डी. डी. एल. डी. जी./आई. जी. + डी. आई. जी. + ए. आई. जी. + अधीक्षक + उपाधीक्षक + सहायक अधीक्षक + जेलर + उप जेलर + सहायक जेलर + अन्य।

4. संवर्ग कर्मचारी, रिक्ति (%)।

सूत्र:

वास्तविक संवर्ग कर्मचारी।

100 - () * 100

स्वीकृत संवर्ग कर्मचारी।

बैंचमार्क: 0 प्रतिशत।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021।

नोट: संवर्ग में निम्नलिखित शामिल हैं। पद: हेड वार्डर + हेड मेट्रन + वार्डर + मेट्रन + अन्य।

5. सुधारात्मक कर्मचारी, रिक्ति (%)।

सूत्र:

वास्तविक सुधारात्मक कर्मचारी।

100 - () * 100

स्वीकृत सुधारात्मक कर्मचारी।

बैंचमार्क: 0 प्रतिशत।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021।

नोट: सुधारात्मक कर्मचारियों में निम्नलिखित शामिल हैं: परिवीक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी + मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक + सामाजिक कार्यकर्ता/अन्य।

6. चिकित्सा कर्मचारी, रिक्ति (%)।

सूत्र:

वास्तविक चिकित्सा कर्मचारी।

100 - () * 100

स्वीकृत चिकित्सा कर्मचारी।

बैंचमार्क: 0 प्रतिशत।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021

नोट्स: मेडिकल स्टाफ में रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर/मेडिकल ऑफिसर + फार्मासिस्ट + लैब टेक्निशियन/लैब अटेंडेंट + अन्य शामिल हैं।

7. चिकित्सा अधिकारी, रिक्तियां (%)।

सूत्र:

वास्तविक निवासी चिकित्सा

अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी।

100 - () * 100

स्वीकृत निवासी चिकित्सा अधिकारी

और चिकित्सा अधिकारी।

बैंचमार्क: 0 प्रतिशत।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: जेल सांख्यिकी भारत, 2021

8. प्रशिक्षित कार्मिक (%)।

सूत्र:

जेल कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

* 100

वास्तविक जेल कर्मचारी।

बैंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021।

विविधता

9. जेल कर्मचारियों में महिलाएँ (%)।

सूत्र:

महिला जेल कर्मचारी।

* 100

कुल जेल कर्मचारी।

बैंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021।

इन्फ्रास्ट्रक्चर

10. जेल अधिभोग (%)।

सूत्र:

कैदियों की आबादी।

* 100

कुल उपलब्ध जेल क्षमता।

बैंचमार्क: नीचे 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021

11. 100% और अधिक अधिभोग (%) वाली जेलों का हिस्सा।

सूत्र:

100% और अधिक अधिभोग वाली जेलों की संख्या।

* 100

कुल जेल।

बैंचमार्क: 0 प्रतिशत।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2022।

डेटा स्रोत: ई-प्रिजन्स पोर्टल

12. 150% और अधिक अधिभोग (%) वाली जेलों का हिस्सा।

सूत्र:

150% और अधिक अधिभोग वाली जेलों की संख्या।

* 100

कुल जेल।

बैंचमार्क: 0 प्रतिशत।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2022।

डेटा स्रोत: ई-प्रिजन्स पोर्टल।

13. विचाराधीन कैदियों को 1 से 3 साल (%) के लिए हिरासत में लिया गया।

फार्मूला:

विचाराधीन कैदियों को 1 से 3 साल तक हिरासत में रखा जाता है।
 $\frac{\text{कुल विचाराधीन कैदी}}{\text{कुल विचाराधीन कैदी}} \times 100$

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: जेल सांख्यिकी भारत, 2021

14. कैदियों (भर्ती) ने शैक्षिक पाठ्यक्रम (%) का लाभ उठाया।

सूत्र:

कैदियों ने शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठाया।
 $\frac{\text{वर्ष के दौरान कैदियों को भर्ती किया गया}}{\text{कुल विचाराधीन कैदी}} \times 100$

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: जेल सांख्यिकी भारत, 2021

15. कैदियों (भर्ती) ने व्यावसायिक प्रशिक्षण (%) का लाभ उठाया।

सूत्र:

कैदियों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण का लाभ उठाया।
 $\frac{\text{वर्ष के दौरान कैदियों को भर्ती किया गया}}{\text{कुल विचाराधीन कैदी}} \times 100$

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: जेल सांख्यिकी भारत, 2021

16. वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं वाली जेलें (%)

फार्मूला:

वी-सी सुविधा के साथ जेल।
 $\frac{\text{कुल जेल}}{\text{कुल जेल}} \times 100$

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021।

वर्कलोड

17. प्रति अधिकारी कैदी (व्यक्ति)।

सूत्र:

कैदियों की आबादी।

अधिकारी।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021।

नोट: अधिकारी में अधीक्षक + उपाधीक्षक + सहायक अधीक्षक + जेलर + उप जेलर + सहायक जेलर + अन्य अधिकारी शामिल होते हैं।

18. प्रति संवर्ग कर्मचारी (व्यक्ति) कैदी।

सूत्र:

कैदियों की आबादी।

संवर्ग के कर्मचारी।

बेंचमार्क: 6 तक।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021।

नोट: संवर्ग के कर्मचारियों में हेड वार्डर/हेड मेट्रन + वार्डर/मेट्रन + अन्य शामिल हैं।

19. कैदी प्रति सुधारात्मक कर्मचारी (व्यक्ति)।

सूत्र:

कैदियों की आबादी।

सुधारक कर्मचारी।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021।

नोट: सुधारात्मक कर्मचारियों में परिवीक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी + मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक + सामाजिक कार्यकर्ता/अन्य शामिल हैं।

20. कैदी प्रति चिकित्सा अधिकारी (व्यक्ति)।

सूत्र:

कैदियों की आबादी।

चिकित्सा अधिकारी।

बेंचमार्क: प्रति चिकित्सा अधिकारी 300 कैदी।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 31 दिसंबर 2021।

डेटा स्रोत: जेल सांख्यिकी भारत, 2021

रुझान

21. अधिकारी रक्ति (प्रतिशत अंक)।

सूत्र:

अधिकारी रक्ति (%) = X

2016	X1	
2017	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$

2019	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5 साल का औसत (a,b,c,d,e)		

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2017 से 2021 तक।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया।

22. संवर्ग कर्मचारी रक्ति (प्रतिशत अंक)।

सूत्र:

संवर्ग कर्मचारी रक्ति (%) = X

2016	X1	
2017	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5 साल का औसत (a,b,c,d,e)		

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2017 से 2021 तक।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया।

3. जेल कर्मचारियों में महिलाओं का हिस्सा (प्रतिशत अंक)।

सूत्र:

जेल कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी (%) = X

2016	X1	
2017	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5 साल का औसत (a,b,c,d,e)		

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2017 से 2021 तक।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया

24. प्रति जेल अधिकारी कैदी (%)।

सूत्र:

प्रति जेल अधिकारी कैदी = X

2016	X1	
2017	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$

5 साल का औसत (a,b,c,d,e)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2017 से 2021 तक।

डेटा स्रोत: जेल सांख्यिकी भारत

टिप्पणियाँ: अधिकारी में अधीक्षक + उपाधीक्षक + सहायक अधीक्षक + जेलर + उप जेलर + सहायक जेलर + अन्य अधिकारी शामिल हैं।

25. प्रति संवर्ग कर्मचारी कैदी (%)।

सूत्र:

कैदी प्रति संवर्ग कर्मचारी = X

2016	X1	
2017	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$

5 साल का औसत (a,b,c,d,e)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2017 से 2021 तक।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया।

26. विचाराधीन कैदियों का हिस्सा (प्रतिशत अंक)।

सूत्र:

यू. टी. पी. का हिस्सा (%) (एक्स) = (यू. टी. पी./कुल कैदी * 100)

2016	X1	
2017	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$

5 साल का औसत (a,b,c,d,e)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: कैलेंडर वर्ष 2017 से 2021 तक।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया

27. प्रति कैदी खर्च करें (%)।

सूत्र:

प्रति कैदी खर्च = X

2016-17	X1	
2017-18	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018-19	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019-20	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020-21	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021-22	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$

5 साल का औसत (a,b,c,d,e)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया।

28. जेल बजट का उपयोग किया गया (प्रतिशत अंक)।

सूत्र: प्रयुक्त बजट = X

2016-17	X1	
2017-18	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2018-19	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2019-20	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2020-21	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2021-22	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$

5 साल का औसत (a,b,c,d,e)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22।

डेटा स्रोत: प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया

29. खर्च में अंतर: जेल बनाम राज्य (प्रतिशत अंक)।

सूत्र:

[जेल व्यय का 5-वर्षीय वार्षिक औसत (पी. ई.)-राज्य व्यय का 5-वर्षीय वार्षिक औसत (एस. ई.)]

2015-16	PE = X1	
2016-17	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2017-18	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2018-19	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2019-20	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2020-21	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$

PE = औसत (a,b,c,d,e)

2015-16	SE = X1	
2016-17	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2017-18	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2018-19	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2019-20	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2020-21	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$

SE = औसत (a,b,c,d,e)

बेंचमार्क: शून्य से बड़ा।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21।

डेटा स्रोत: भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; खुला बजट भारत; गृह मंत्रालय का वित्त प्रभाग; जेल सांख्यिकी भारत

न्यायपालिका

बजट

1. न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति खर्च (रु.)।

सूत्र:

न्यायिक व्यय (रु.)।

राज्य की जनसंख्या।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: मार्च 2021 (जनसंख्या), 2020-21 (न्यायिक व्यय)

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते 2020-21, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; गृह मंत्रालय का वित्त प्रभाग।

मानव संसाधन

2. जनसंख्या प्रति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (व्यक्ति)।

सूत्र:

राज्य की जनसंख्या।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

बेंचमार्क: उपलब्ध

स्कोरिंग गाइड: कम, बेहतर

अवधि/तिथि: मार्च 2022 (जनसंख्या); दिसंबर 2022 (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश)

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; न्याय विभाग टिप्पणियाँ: उच्च न्यायालय को साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या को जोड़ा गया है, और इसलिए वे समान मूल्य साझा करते हैं। इनमें केरल और लक्षद्वीप; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़; असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव; तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं।

3. प्रति अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीश (व्यक्ति) जनसंख्या।

सूत्र:

राज्य की जनसंख्या।

अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: मार्च 2022 (राज्य की आबादी); जुलाई 2022 (अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश)।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; संसदीय प्रश्न-लोकसभा, अंतरांकित प्रश्न सं। 2116

4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिक्ति (%)।

सूत्र:

उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश।

$100 - (\text{-----} * 100)$

उच्च न्यायालय के स्वीकृत न्यायाधीश।

बेंचमार्क: 0 प्रतिशत।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: दिसंबर 2022।

डेटा स्रोत: न्याय विभाग

5. अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीश की रिक्ति (%)।

सूत्र:

अधीनस्थ न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश।

$100 - (\text{-----} * 100)$

अधीनस्थ न्यायालय के स्वीकृत न्यायाधीश।

बेंचमार्क: 0 प्रतिशत।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर। अवधि/

तिथि: जुलाई 2022।

डेटा स्रोत: संसदीय प्रश्न-लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं।

2116

6. उच्च न्यायालय कर्मचारी रिक्ति (%)।

सूत्र:

उच्च न्यायालय के कार्यरत कर्मचारी।

$100 - (\text{-----} * 100)$

उच्च न्यायालय के स्वीकृत कर्मचारी।

बेंचमार्क: 0 प्रतिशत।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2021-22।

डेटा स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, भारत का सर्वोच्च न्यायालय।

विविधता

7. महिला न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) (%)।

सूत्र:

महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश।

$\text{-----} * 100$

कुल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

तारीख: दिसंबर 2022। डेटा स्रोत: न्याय विभाग

8. महिला न्यायाधीश (अधीनस्थ न्यायालय) (%)।

सूत्र:

महिला अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश।

$\text{-----} * 100$

कुल अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: जुलाई 2022।

डेटा स्रोत: संसदीय प्रश्न-लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं।

2116

9. एससी न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (अधीनस्थ अदालतें) (%)।

सूत्र:

वास्तविक अनुसूचित जाति (एससी) के न्यायाधीश।

$\text{-----} * 100$

(स्वीकृत अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश * एससी आरक्षण)।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: उच्चतर, बेहतर

अवधि/तिथि: 25 जुलाई 2022।

डेटा स्रोत: संसदीय प्रश्न-लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं।

2116

10. अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (अधीनस्थ अदालतें) (%)।

सूत्र:

वास्तविक अनुसूचित जनजाति (एसटी) न्यायाधीश।

$\text{-----} * 100$

(अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों को मंजूरी * एसटी आरक्षण)।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 25 जुलाई 2022।

डेटा स्रोत: संसदीय प्रश्न-लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं।

2116

11. ओ. बी. सी. न्यायाधीश, वास्तविक से आरक्षित (अधीनस्थ अदालतें) (%)।

सूत्र:

वास्तविक अन्य पिछड़े वर्ग (ओ. बी. सी.) के न्यायाधीश।

$\text{-----} * 100$

(स्वीकृत अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश * ओ. बी. सी. आरक्षण)।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 25 जुलाई 2022।

डेटा स्रोत: संसदीय प्रश्न-लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं।

2116

इन्फ्रास्ट्रक्चर

12. कोरथल कमी (%)।

सूत्र:

कोर्टहॉल की संख्या।

$100 - (\text{-----} * 100)$

अधीनस्थ न्यायालय के स्वीकृत न्यायाधीश।

बेंचमार्क: 0 प्रतिशत।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: जुलाई-अगस्त 2022।

डेटा स्रोत: न्याय विभाग (अदालतें); संसदीय प्रश्न-लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं। 2116

वर्कलोड

13. लंबित मामले (5-10 वर्ष) (उच्च न्यायालय) (%)।

सूत्र:

उच्च न्यायालयों में 5-10 वर्षों से लंबित मामले।

$\text{-----} * 100$

उच्च न्यायालयों में कुल लंबित मामले।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: जनवरी 2023।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

14. लंबित मामले (10 + वर्ष) (उच्च न्यायालय) (%)।

सूत्र:

उच्च न्यायालयों में 10 + वर्षों से लंबित मामले।

$\text{-----} * 100$

उच्च न्यायालयों में कुल लंबित मामले।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: जनवरी 2023।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

15. लंबित मामले (5-10 वर्ष) (अधीनस्थ न्यायालय) (%)।

सूत्र:

अधीनस्थ अदालतों में 5-10 वर्षों से लंबित मामले।

$\text{-----} * 100$

अधीनस्थ न्यायालयों में कुल लंबित मामले।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: जनवरी 2023।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

16. लंबित मामले (10 + वर्ष) (अधीनस्थ न्यायालय) (%)।

सूत्र:

10 साल से अधिक समय से लंबित

अधीनस्थ अदालती मामले।

$\text{-----} * 100$

अधीनस्थ न्यायालयों में कुल लंबित मामले।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: जनवरी 2023।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

17. उच्च न्यायालय की औसत विचाराधीनता (वर्ष)।

सूत्र:

उच्च न्यायालयों में प्रत्येक लंबित मामले के लिए (जिस तारीख को डेटा स्क्रेप किया गया था-मामला दायर करने की तारीख) = X दिनों के लिए लंबित मामला

X_n = किसी राज्य में लंबित प्रत्येक मामले के लिए X दिनों का योग।

n = कुल लंबित मामले।

उच्च न्यायालयों में औसत विचाराधीनता (वर्ष) =

$$\frac{(X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n)}{\dots} \times 365$$

n

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: फरवरी 2022।

डेटा स्रोत: दक्ष उच्च न्यायालय डेटाबेस

18. केस क्लीयरेंस रेट (उच्च न्यायालय) (%)।

सूत्र:

$$\frac{\text{उच्च न्यायालय के मामलों का निपटारा (दीवानी + आपराधिक)}}{\dots} \times 100$$

उच्च न्यायालय में दायर मामले (दीवानी + आपराधिक)।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2022।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

19. केस क्लीयरेंस रेट (अधीनस्थ अदालत) (%)।

सूत्र:

$$\frac{\text{अधीनस्थ अदालती मामलों का निपटारा (दीवानी + आपराधिक)}}{\dots} \times 100$$

दाखिल किए गए अधीनस्थ अदालती मामले (दीवानी + आपराधिक)।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2022।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

रुझान

20. लंबित मामले (प्रति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) (%)।

सूत्र:

लंबित मामले (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश)-X

2017	X1	
2018	X2	$((X_2/X_1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X_3/X_2)-1)*100 = b$

2020	X4	$((X_4/X_3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X_5/X_4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X_6/X_5)-1)*100 = e$

5 साल का औसत (a,b,c,d,e)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2018 से 2022 तक।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; कोर्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट, न्याय विभाग।

21. लंबित मामले (प्रति अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश) (%)।

सूत्र:

लंबित मामले (अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश)-X

2017	X1	
2018	X2	$((X_2/X_1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X_3/X_2)-1)*100 = b$
2020	X4	$((X_4/X_3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X_5/X_4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X_6/X_5)-1)*100 = e$

5 साल का औसत (a,b,c,d,e)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2018 से 2022 तक।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; कोर्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, अतारंकित प्रश्न सं। 2116.

22. कुल लंबित मामले (उच्च न्यायालय) (%)।

सूत्र:

औसत उच्च न्यायालय के लंबित मामले (दीवानी + आपराधिक)-X

2017	X1	
2018	X2	$((X_2/X_1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X_3/X_2)-1)*100 = b$
2020	X4	$((X_4/X_3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X_5/X_4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X_6/X_5)-1)*100 = e$

5 साल का औसत (a,b,c,d,e)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2018 से 2022 तक।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; कोर्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट।

23. कुल लंबित मामले (अधीनस्थ न्यायालय) (%)।

सूत्र:

औसत अधीनस्थ न्यायालय के लंबित मामले (दीवानी + आपराधिक)-X

2017	X1	

2018	X2	$((X_2/X_1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X_3/X_2)-1)*100 = b$
2020	X4	$((X_4/X_3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X_5/X_4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X_6/X_5)-1)*100 = e$

5 साल का औसत (a,b,c,d,e)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2018 से 2022 तक।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; कोर्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट

24. न्यायाधीश रक्ति (उच्च न्यायालय) (प्रतिशत अंक)।

सूत्र:

न्यायाधीश की रक्ति = कार्यशील उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

$$100 - (\dots) \times 100$$

उच्च न्यायालय के स्वीकृत न्यायाधीश।

न्यायाधीश रक्ति (उच्च न्यायालय)-X.

2017	X1	
2018	X2	$((X_2/X_1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X_3/X_2)-1)*100 = b$
2020	X4	$((X_4/X_3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X_5/X_4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X_6/X_5)-1)*100 = e$

5 साल का औसत (a,b,c,d,e)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2018 से 2022 तक।

डेटा स्रोत: न्याय विभाग

25. न्यायाधीश रक्ति (अधीनस्थ न्यायालय) (प्रतिशत अंक)।

सूत्र:

न्यायाधीश की रक्ति (एक्स) = कार्यशील अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश।

$$100 - (\dots) \times 100$$

अधीनस्थ न्यायालय के स्वीकृत न्यायाधीश।

2017	X1	
2018	X2	$((X_2/X_1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X_3/X_2)-1)*100 = b$
2020	X4	$((X_4/X_3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X_5/X_4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X_6/X_5)-1)*100 = e$

5 साल का औसत (a,b,c,d,e)

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2018 से 2022 तक।

डेटा स्रोत: संसदीय प्रश्न; कोर्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट

26. केस क्लीयरेंस रेट (उच्च न्यायालय) (प्रतिशत अंक)।

सूत्र:

केस क्लीयरेंस रेट (एक्स) = उच्च न्यायालय के मामलों का निपटारा (सिविल + आपराधिक)।
-----* 100

उच्च न्यायालय में दायर मामले (दीवानी + आपराधिक)।

2017	X1	
2018	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2020	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5 साल का औसत (a,b,c,d,e)		

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2018 से 2022 तक।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; कोर्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट

27. केस क्लीयरेंस रेट (अधीनस्थ अदालत) (प्रतिशत अंक)।

सूत्र:

केस क्लीयरेंस रेट (एक्स) = अधीनस्थ अदालती मामलों का निपटारा (सिविल + आपराधिक)।
-----* 100

दाखिल किए गए अधीनस्थ अदालती मामले (दीवानी + आपराधिक)।

2017	X1	
2018	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2019	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2020	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2021	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2022	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
5 साल का औसत (a,b,c,d,e)		

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2018 से 2022 तक।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड; कोर्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट

28. खर्च में अंतर: न्यायपालिका बनाम राज्य (प्रतिशत अंक)।

सूत्र:

[न्यायपालिका व्यय का 5-वर्षीय वार्षिक औसत (जे. ई.)]-
[राज्य व्यय का 5-वर्षीय वार्षिक औसत (एस. ई.)]

2015-16	JE = X1	
2016-17	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2017-18	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2018-19	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2019-20	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2020-21	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$

PE = औसत (a,b,c,d,e)

2015-16	JE = X1	
2016-17	X2	$((X2/X1)-1)*100 = a$
2017-18	X3	$((X3/X2)-1)*100 = b$
2018-19	X4	$((X4/X3)-1)*100 = c$
2019-20	X5	$((X5/X4)-1)*100 = d$
2020-21	X6	$((X6/X5)-1)*100 = e$
SE = औसत (a,b,c,d,e)		

बेंचमार्क: शून्य से बड़ा।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21।

डेटा स्रोत: भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; खुला बजट भारत; गृह मंत्रालय का वित्त प्रभाग

कानूनी सहायता

बजट

1. कानूनी सहायता बजट में राज्य का हिस्सा (%)

सूत्र:

कानूनी सहायता के लिए राज्य द्वारा आवंटन।
-----* 100

कानूनी सहायता के लिए राज्य द्वारा आवंटन +
एनएलएसए द्वारा आवंटन।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: उच्चतर, बेहतर

अवधि/तिथि: 2021-22।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए);
राज्य बजट दस्तावेज

2. राज्य कानूनी सहायता बजट का उपयोग (%)।

सूत्र:

कानूनी सहायता के लिए राज्य द्वारा आवंटन।
-----* 100

कानूनी सहायता के लिए राज्य द्वारा आवंटन +
एनएलएसए द्वारा आवंटन।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2020-21।

आँकड़ा स्रोत: राज्य बजट दस्तावेज

3. एनएलएसए निधि का उपयोग (%) किया गया।

सूत्र:

एनएलएसए निधियों का उपयोग किया गया।
-----* 100

एनएलएसए निधियों को पिछले वर्ष से आगे बढ़ाया गया
और इस वर्ष प्राप्त किया गया।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: 2021-22।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)

मानव संसाधन

4. डी. एल. एस. ए. सचिव रिक्ति (%)।

सूत्र:

वास्तविक डी. एल. एस. ए. सचिव।
100 - -----* 100)

स्वीकृत डी. एल. एस. ए. सचिव।

बेंचमार्क: 0 प्रतिशत।

स्कोरिंग गाइड: कम, बेहतर

अवधि/तिथि: मार्च 2022।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)।

नोट: डीएलएसए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण है।

5. पी. एल. वी. प्रति लाख जनसंख्या (व्यक्ति)।

सूत्र:

पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पी. एल. वी.)।

राज्य की जनसंख्या।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: मार्च 2022 (जनसंख्या); जून 2022 (पी.
एल. वी.)।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2019; राष्ट्रीय कानूनी
सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)

6. सचिवों को डी. एल. एस. ए. (%) के रूप में स्वीकृत किया गया।

सूत्र:

स्वीकृत डी. एल. एस. ए. सचिव।
-----* 100

कुल स्वीकृत डीएलएसए।

बेंचमार्क: 100%।

स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।

अवधि/तिथि: मार्च 2022।

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)।

नोट: डीएलएसए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण है।

विविधता

7. महिला पैनल वकील (%)।

सूत्र:

महिला पैनल वकील।
-----* 100

कुल पैनल वकील।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।
अवधि/तिथि: जून 2022।
डेटा स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)

8. महिला पीएलवी (%)।

सूत्र:
 महिला पैरा कानूनी स्वयंसेवक (पी. एल. वी.)।
 ----- * 100
 कुल पैरा कानूनी स्वयंसेवक।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।
अवधि/तिथि: जून 2022।
डेटा स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)।

इन्फ्रास्ट्रक्चर

9. डी. एल. एस. ए. राज्य न्यायिक जिलों के % के रूप में (%)।

सूत्र:
 कुल डीएलएसए।
 ----- * 100
 न्यायिक जिले।

बेंचमार्क: 100%।
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।
अवधि/तिथि: मार्च 2022।
डेटा स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)।
नोट: डीएलएसए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण है।

10. डी. एल. एस. ए. में अग्रणी कार्यालयों की उपस्थिति (%)।

सूत्र:
 डी. एल. एस. ए. में कुल फ्रंट ऑफिस।
 ----- * 100
 कुल डीएलएसए।

बेंचमार्क: 100%।
स्कोरिंग गाइड: उच्चतर, बेहतर

अवधि/तिथि: जून 2022।
डेटा स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)।
नोट: डीएलएसए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण है।

11. प्रति जेल कानूनी सेवा क्लिनिक (संख्या)।

सूत्र:
 जेलों में कानूनी सेवा क्लीनिक।

 कुल जेल।

बेंचमार्क: 1 प्रति जेल।
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।
अवधि/तिथि: दिसंबर 2021 (कुल जेल), 2021-22 (कानूनी सेवा क्लीनिक)।
डेटा स्रोत: जेल सांख्यिकी भारत, 2021; राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)

12. गाँव प्रति कानूनी सेवा चिकित्सालय (संख्या)।

सूत्र:
 बसे हुए गाँव।

 गाँवों में कानूनी सेवा चिकित्सालय।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।
स्कोरिंग गाइड: जितना कम, उतना बेहतर।
अवधि/तिथि: 2011 (गाँव), 2021-22 (कानूनी सेवा क्लीनिक)।
डेटा स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना 2011; राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)।

वर्कलोड

13. पी. एल. एस. ए. मामले प्राप्त (%) के % के रूप में निपटारा गया।

सूत्र:
 स्थायी लोक अदालतों (पी. एल. एस. ए.) द्वारा मामलों का निपटारा किया जाता है।
 ----- * 100
 स्थायी लोक अदालतों द्वारा प्राप्त मामले।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।
अवधि/तिथि: 2021-22।
डेटा स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)

14. कुल लोक अदालतों निपटाए गए मामलों में मुकदमेबाजी से पहले के मामलों का हिस्सा (%)।

सूत्र:
 लोक अदालतों द्वारा मुकदमे से पहले के मामलों का निपटारा किया जाता है।
 ----- * 100
 लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए कुल मामले।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।
अवधि/तिथि: 2021-22। डेटा स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)।
नोट: लोक अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालतों और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एस. एल. एस. ए.) द्वारा संचालित अदालतें शामिल हैं।

15. एस. एल. एस. ए. लोक अदालतों: मुकदमे से पहले के मामलों का निपटान कुल मामलों के % (%) के रूप में किया जाता है।

सूत्र:
 राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एस. एल. एस. ए.) द्वारा निपटाए गए मुकदमेबाजी से पहले के मामले।
 ----- * 100
 राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एस. एल. एस. ए.) द्वारा उठाए गए कुल मामले।

बेंचमार्क: उपलब्ध नहीं है।
स्कोरिंग गाइड: जितना अधिक, उतना बेहतर।
अवधि/तिथि: 2021-22।
डेटा स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए)

संदर्भ

लेख-लेखक, शीर्षक, "समाचार पत्र, तिथि अध्ययन।

1. महामारी का जवाब देना: जेल और भीड़भाड़, (राज्यों के भीड़भाड़ कम करने के प्रयास), राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, 2020।
2. कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट।
3. रेणुका साने, नेहा साने, 'पुलिस के लिए बजट', लाइव मिंट, 11 अप्रैल 2017।

पुलिस

1. पुलिस सुधार के लिए पद्मनाभैया समिति, 2000।
2. पुलिस संगठन, 2022, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो पर डेटा।
3. 'सरकार एपी महिला पुलिस शाखा के लिए नियमों को अधिसूचित करती है', द हिंदू, 13 जनवरी 2022।
4. मानव शक्ति आवश्यकता अध्ययन, बैंगलोर सिटी पुलिस, जनग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी, 2014।
5. पुलिस संगठन पर डेटा, पुलिस स्टेशनों में 8 घंटे की शिफ्ट के लिए मानव शक्ति की राष्ट्रीय आवश्यकता; पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, अगस्त 2014
6. भारत की जनगणना, 2011
7. एन. ए. एल. एस. ए. बनाम भारत संघ, [2012 की लिखित याचिका सिविल] संख्या 400]
8. राज्यसभा, अतारांकित प्रश्न सं। 701, 8 फरवरी 2023
9. राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण; गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
10. प्रशिक्षण मास्टर प्लान, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, 2009
11. परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह [2020 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3543]।
12. भारत में अपराध, 2021, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो
13. ऑर्डर जी. ओ. (सुश्री) नं. 167/2014 गृह, 2014, गृह विभाग, केरल सरकार,
14. 'केरल पुलिस साइबरडोम वार्नक्राई रैनसमवेयर हमले के खिलाफ चेतावनी देता है', इंडियन एक्सप्रेस, 15 मई 2017

15. शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल।) 2017 की संख्या 2302]

जेल

1. ग्लोबल प्रिजन ट्रेंड्स, 2022, पीनल रिफॉर्म इंटरनेशनल
2. री: जेलों में कोविड-19 वायरस का संक्रमण [सुओ मोटू रिट याचिका (सिविल) सं. 1/2020]
3. ई/सी. एन. 15/2016/10, मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग का पच्चीसवां सत्र, 2016
4. जेल सांख्यिकी भारत, 2021, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो
5. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, सलाहकार सं। वी-17013/01/2011-पीआर
6. मॉडल जेल नियमावली, 2016, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
7. 'सेंटर टू लॉन मॉडल प्रिजन्स एक्ट: अमित शाह', हिंदुस्तान टाइम्स, 5 सितंबर 2022 में 'जेल में बंद सभी दोषी प्रकृति से अपराधी नहीं हैं, और उन्हें समाज में वापस लाने का एक तरीका होना चाहिए'।
8. कर्नाटक की जेलों के अंदर, 2019, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल,

न्यायपालिका

1. न्याय विकास पोर्टल, 31.08.2022 पर कोर्ट हॉल की राज्यवार उपलब्धता का विवरण।
2. बजट और शासन जवाबदेही केंद्र और दक्ष, भारत में न्यायपालिका के लिए बजट पर पंद्रहवें वित्त आयोग को ज्ञापन, 2019
3. भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 2020-21
4. डेटा बोलो: महामारी, 2022 के दौरान जिला न्यायालयों के प्रदर्शन पर एक नज़र; विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी
5. ई-समिति समाचार पत्र, जून 2020; भारत का सर्वोच्च न्यायालय,
6. वार्षिक रिपोर्ट 2020-21; भारत का सर्वोच्च न्यायालय
7. न्यायपालिका में मानव शक्ति योजना पर एक सौ बीसवीं रिपोर्ट: एक खाका, 1987; भारत का विधि आयोग

8. कानून की देरी पर 85 वीं रिपोर्ट अदालतों में बकाया, 2002; गृह मामलों पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति
9. इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। [अपराधिक अपील सं। 2012 का 254-262]
10. बकाया और बैकलॉग: अतिरिक्त न्यायिक (डब्ल्यूओ) श्रमशक्ति का निर्माण, 2014; भारत का विधि आयोग,
11. अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवश्यक न्यायाधीश शक्ति की गणना के लिए टिप्पणी, 2016; राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति, 12. लोकसभा के उत्तर, बजट सत्र-17 वीं लोकसभा, 2020 का तीसरा सत्र।
13. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 'पिछले 5 वर्षों में पिछड़े समुदायों से उच्च न्यायालयों में केवल 15 प्रतिशत न्यायाधीशों की नियुक्ति: न्याय विभाग से लेकर पार पैनल तक', इकोनॉमिक टाइम्स, 2023।
14. भारतीय विधि आयोग, 245 वीं विधि आयोग रिपोर्ट, 2014
15. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक प्रणाली में विचाराधीनता और विलंब को कम करने के लिए राष्ट्रीय पहल की सम्मेलन कार्यवाही, 2018
16. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016
17. विघटनकारी विलम्ब: उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में विलम्ब का विश्लेषण; दक्ष,
18. विधि और न्याय मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 123 वीं रिपोर्ट, 2022।
5. एन. ए. एल. एस. ए. (निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवा) विनियम 2010
6. एनएलएसए (कानूनी सेवा चिकित्सालय) विनियम, 2011
7. हिरासत में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व पर एनएलएसए एस. ओ. पी. 2011
8. पैरालिगल स्वयंसेवकों के लिए एनएलएसए की योजना, 2009
9. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ [2012 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 400]।
10. अग्रिम कार्यालयों पर एनएलएसए दिशानिर्देश
11. धारा 10, नालसा लोक अदालत विनियम, 2009
12. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी-22ई
13. निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ [डब्ल्यू. पी. (C) नहीं। 565/2012]
14. भारत में अपराध, 2021।
15. एन. ए. एल. एस. ए. कानूनी सहायता रक्षा परामर्श योजना, 2022
16. विचाराधीन समीक्षा समितियों के लिए एनएलएसए की मानक संचालन प्रक्रिया
17. 1382 जेलों में पुनः अमानवीय स्थितियाँ [डब्ल्यू. पी. (सिविल) सं. 406/2013]
18. एन. ए. एल. एस. ए. का रिलीज _ UTRC@75 अभियान।

कानूनी सहायता

1. सभी के लिए न्याय-न्याय पर कार्य बल की रिपोर्ट; शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए पथप्रदर्शक, अप्रैल 2019
2. एन. ए. एल. एस. ए. का सांख्यिकीय चित्र, 2020
3. विचाराधीन समीक्षा समितियों के कार्यकरण पर अध्ययन (अप्रैल से जून 2020 तक)।
4. राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल,
1. अब्दुल साथर बनाम सरकार के प्रधान सचिव और 5 अन्य [2006 का डब्ल्यू. पी. सं. 41791]
2. धारा 21, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
3. मानवाधिकार आयोग: एक नागरिक पुस्तिका, 2004; राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल,
4. पेरिस सिद्धांत, 'स्वतंत्रता और बहुलवाद की संरचना और गारंटी
5. भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण: एन. एच. आर. सी./एस. एच. आर. सी. का कार्यकरण (1993-2018); ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, 2019.

तालिकाओं, आंकड़ों, मानचित्रों की सूची

तालिकाओं की सूची	Pg. No
राष्ट्रीय निष्कर्ष	
तालिका 1: बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के लिए श्रेणी और अंक	11
तालिका 2: छोटे राज्यों के लिए श्रेणी और अंक तालिका	11
पुलिस	
3: संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक तालिका	48
जेलों	
4: संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक तालिका	78
न्यायपालिका	
5: संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक तालिका	102
कानूनी सहायता	
6: संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक तालिका	125
एसएचआरसी	
7: संकेतक वार डेटा, राज्य स्कोर और रैंक तालिका	131

आंकड़ों की सूची	
राष्ट्रीय निष्कर्ष	
चित्र 1: आई. जे. आर. 2020 और आई. जे. आर. 2022 के बीच सुधार स्कोरकार्ड	12
चित्र 2: आई. जे. आर. 2019, आई. जे. आर. 2020 और आई. जे. आर. 2022 पर प्रदर्शन	13
चित्र 3: स्तंभों में महिलाओं की हिस्सेदारी	15
चित्र 4: पुलिस कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी को 33 प्रतिशत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा?	16
चित्र 5: पुलिस में 'अन्य' का जिज्ञासु मामला	17
चित्र 6: जनसंख्या अनुपात के अनुसार निर्णय	19
चित्र 7: स्तंभों में रक्तियां	20
चित्र 8: न्याय प्रणाली के लिए बजट	23
चित्र 9: कानूनी सहायता बजट में राज्य का हिस्सा	24
चित्र 10: राज्य में भीड़भाड़ वाली जेलों का हिस्सा	25
चित्र 11: अधीनस्थ अदालतों में 5 साल से अधिक समय से लंबित मामले	26
चित्र 12: उच्च न्यायालयों में लंबित मामले	27
पुलिस	
चित्र 13: पुलिस में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की रक्तियां	38
चित्र 14: महिला पुलिसकर्मी: संख्या बढ़ रही है लेकिन अभी भी बहुत कम है	40
चित्र 15: भारत: पुलिस प्रशिक्षण बजट (2020-21)	43
चित्र 16: पुलिस की उपस्थिति: ग्रामीण-शहरी विभाजन	44
चित्र 17: राज्य नागरिक पोर्टलों की स्थिति	54
चित्र 18: पुलिस थानों में सीसीटीवी: एक अनुपालन रिपोर्ट	58
जेलों	
चित्र 19: भारतीय जेलों में रहने की दर	66
चित्र 20: जेलों में भीड़भाड़	67
चित्र 21: निरोध अवधि के अनुसार विचाराधीन कैदी	68
चित्र 22: प्रदान की गई कैदियों और सुविधाओं का शैक्षिक विवरण	70
चित्र 23: मानदंडों को पूरा करना	71
चित्र 24: पिछले दशक में जेल के बजट के उपयोग की राष्ट्रीय प्रवृत्ति	74
चित्र 25: प्रति कैदी दैनिक खर्च	76

न्यायपालिका

चित्र 26: न्यायाधीशों की रिक्तियां और मामले की मंजूरी दर	90
चित्र 27: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के न्यायाधीश बनाम अधीनस्थ न्यायालयों में योग्यता	93
चित्र 28: महिला न्यायाधीश	94
चित्र 29: प्रति न्यायाधीश लंबित मामले	97
चित्र 30: मामले की मंजूरी दर	99

कानूनी सहायता

चित्र 31: पैरालिगल स्वयंसेवक: संख्या का मानचित्रण	114
चित्र 32: बजट उपयोग	116
चित्र 33: प्रति कानूनी सहायता क्लिनिक गाँव	118
चित्र 34: संख्या के आधार पर लोक अदालतों का प्रदर्शन	120
चित्र 35: पीड़ित मुआवजा	122
चित्र 36: विचाराधीन समीक्षा समितियों का प्रदर्शन	124

एसएचआरसी

चित्र 37: आयोगों में रिक्तियां	134
चित्र 38: तीन वर्षों में एसएचआरसी द्वारा प्राप्त और निपटाए गए मामले	136
चित्र 39: एसएचआरसी तक पहुँच	138

मानचित्रों की सूची

राष्ट्रीय निष्कर्ष

मानचित्र 1: समग्र रैंकिंग; बड़े और मध्यम आकार के राज्य	10
मानचित्र 2: समग्र रैंकिंग; छोटे राज्य	10
मानचित्र 3: रैंकिंग विविधता; बड़े और मध्यम आकार के राज्य	14
मानचित्र 4: रैंकिंग विविधता; छोटे राज्य	14
मानचित्र 5: मानव संसाधन की रैंकिंग: बड़े और मध्यम आकार के राज्य	18
मानचित्र 6: मानव संसाधन की रैंकिंग: छोटे राज्य	18
मानचित्र 7: रैंकिंग का इरादा: बड़े और मध्यम आकार के राज्य	22
मानचित्र 8: रैंकिंग का इरादा: छोटे राज्य	22

पुलिस

मानचित्र 9: पुलिस रैंकिंग: बड़े और मध्यम आकार के राज्य	32
मानचित्र 10: पुलिस रैंकिंग: छोटे राज्य।	32

जेलों

मानचित्र 11: कारागार श्रेणीकरण: बड़े और मध्यम आकार के राज्य।	62
मानचित्र 12: जेलों की श्रेणीकरण; छोटे राज्य।	62

न्यायपालिका

मानचित्र 13: न्यायपालिका रैंकिंग: बड़े और मध्यम आकार के राज्य।	86
मानचित्र 14: न्यायपालिका श्रेणीकरण: छोटे राज्य।	86

कानूनी सहायता

मानचित्र 15: कानूनी सहायता श्रेणीकरण: बड़े और मध्यम आकार के राज्य।	110
मानचित्र 16: कानूनी सहायता श्रेणीकरण: छोटे राज्य।	110

एसएचआरसी

मानचित्र 17: एसएचआरसी रैंकिंग	130

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के विषय में

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2022 अलग-अलग राज्यों में काम कर रही औपचारिक न्याय प्रणाली की क्षमता को रैंक करने के लिए सरकार के अपने आंकड़ों का इस्तेमाल करने वाला एकमात्र व्यापक मात्रात्मक सूचकांक है। यह IJR दक्ष, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, सामान्य कारण, सामाजिक न्याय केंद्र, कानूनी नीति के लिए विधि केंद्र और टीआईएसएस-प्रयास के साथ साझेदारी में की गयी एक सहयोगी कोशिश है। पहली बार 2019 में प्रकाशित, IJR के तीसरे संस्करण में राज्य मानवाधिकार आयोगों की क्षमता का आकलन शामिल है। यह सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए पुलिस, न्यायपालिका, कारागारों और कानूनी सहायता में बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे, कार्यभार और विविधता के मात्रात्मक माप के आधार पर न्याय देने के लिए हर एक राज्य की संरचनात्मक और वित्तीय क्षमता में सुधार और लगातार कमियों को ट्रैक करना जारी रखता है।

मुख्य रिपोर्ट, डेटा का अन्वेषण करने और अन्य के लिए
<https://indiajusticereport.org> पर जाएं।

हमसे संपर्क करें:- ईमेल आईडी: indiajusticereport@gmail.com

फोन नंबर: 9717676026 / 7837144403



Data/design
partner

How
INDIA
Lives

Supported by:



TATA TRUSTS

Frappe

Cyrus
Guzder

Fiona & Louis
Miranda